राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 8) सप्तम विधान सभा के आठवें सत्र का 39 दिवस (संख्या 24

बृहस्पतिवार

दिनांक 12 अप्रेल, 1984

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द विनोई, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न । श्री रूपलाल परमार ।

632. श्री रूपलाल परमार (खैरवाड़ा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान सेवा संघ, डूंगरपुर को जुलाई, 1970 में राज्य सरकार ने अपने अधीन ले लिया था ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त संस्था में कार्यरत शिक्षकों की पूर्व की सेवा अवधि को राज्य सरकार द्वारा नहीं माना गया ?

(3) क्या यह भी सही है कि पूर्व की सेवा अवधि नहीं माने जाने से उक्त संस्था में कार्यरत शिक्षकों में से 10 शिक्षकों को सेवा निवृत्ति के बाद पेन्शन नहीं मिल रही है ?

(4) क्या सरकार उक्त संस्था में कार्यरत 63 शिक्षकों की पूर्व की सेवा अवधि को नियमित कर, सेवा निवृत्त शिक्षकों को पेन्शन दिलाने के आदेश प्रदान करेगी ?

राज्य मंत्री, पंचायत (श्री शीशराम ओला) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न शिक्षा विभाग को ट्रान्सफर कर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

प्रश्न संख्या 633.

अगला प्रश्न। श्री भरोसीलाल।

(अनुपस्थित)

श्री नंदलाल मीणा, श्री बंसीलाल पटवा। प्रश्न संख्या 634।

छापरी (भीलवाड़ा) में आवंटित भूमि

634. **श्री नंदलाल मीणा (प्रतापगढ़)**

श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भीलवाड़ा तहसील के छापरी निवासी बालूनाथ पिता धूकलनाथ को कब कब कितनी कितनी बिना नाम कृषि भूमि आवंटित की गई ?

(2) उक्त आवंटित भूमि में से बालूनाथ पिता धूकल नाथ के पास वर्तमान में कितनी भूमि गैर खातेदारी तथा खातेदारी में दर्ज है ?

(3) यदि उक्त आवंटित भूमि में से दर्ज कम है तो वह किस के कब्जे में या अतिक्रमण के रूप में रिकार्ड पर है ?

राज्य मंत्री, राजस्व (**श्री जय कृष्ण शर्मा**) : (1) भीलवाड़ा तहसील के छपरी निवासी श्री बालूनाथ पिता धूकलनाथ को साविक आराजी नं० 203/1 मे 5 बीघा भूमि दिनांक 27.6.67 को आवंटित हुई।

(2) आवंटित भूमि में से श्री बालूनाथ के पास वर्तमान में आ०नं० 30 व 31 रकबा क्रमशः 2 बीघा 7 बिस्वा व 3 बिस्वा कुल खसरा 2 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि गैर खातेदारी हक में दर्ज रिकार्ड है ।

(3) श्री बालूनाथ की साविक आराजी नं० 203/1 के हाल नं० 20 पर बन्दोबस्त मे श्री कल्याण पिता भूरा ढोली का कब्जा है जब कि कल्याण ढोली की साबिक आराजी नं० 29, 30, 31, 32, 33 व 37 में आराजी नं० 30, 31 बालूनाथ की गैर खातेदारी दर्ज है ।

श्री बंसीलाल पटवा : दिनांक 25.6.67 को बालूनाथ को पांच बीघा जमीन अलाट हुई थी । उस पांच बीघा पर कब्जा पिछले 3 महीने से था लेकिन उसके बाद अब उसके पास कुल जमीन रह गई 2 बीघा 10 बिस्वा । पटवारी ने मिलकर एक तीसरे आदमी का कब्जा करा दिया है । साथ ही आपने गैर खातेदारी में कल्याण ढोली को दर्ज बताया है परन्तु उसका पता नहीं है । उसके पास रिकार्ड है । लेकिन उसके खाते में नहीं है । मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि यह जो रिप्लाई दिया गया है यह गलत है । पांच बीघा उसको जमीन अलाट हुई है । इसका कब्जा दिया गया है । वह खातेदारी में आ गई । पहले गैर खातेदारी में दर्ज थी । तो क्या आप इसकी जांच करा कर इस गरीब आदमी को राहत देंगे ?

राजस्व मंत्री (**श्री हीरालाल देवपुरा**) : अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य बता रहे हैं उस तरह का मामला नहीं है । बालूनाथ को 67 में पांच बीघा जमीन अलाट हुई है । भीलवाड़ा तहसील का सैटलमेन्ट 1969 से 1975 के बीच हुआ था । उस सैटलमेन्ट में यह बन गया 203,

(श्री हीरालाल देवपुरा)

नम्बर 20 सैटलमेन्ट में यह दर्ज 75 के पहले इसी प्रकार था। आज के रिकार्ड में यह चेन्ज हुआ है। अब इस पर कल्याण पिता भूरा ढोली का नाम दर्ज है। इसके अलावा बालूनाथ का नाम भी दर्ज है 30, 31 पर दो बीघा 10 बिस्वा है, जो 20 नम्बर बन गया। इसलिये यह कहना कि तीन महीने पहले हेराफेरी हुई है यह सही नहीं है। यह जो कुछ भी गलती हुई है सैटलमेन्ट के समय हुई है। जो नयी पर्ची बनी है 30, 31 पर बालूनाथ बैठा हुआ है जो 20 नम्बर था। अब वास्तव में कौन कहां पर काबिल है यह जांच का विषय है। यह तो रिकार्ड बता रहा है। यह जो रिकार्ड में तब्दीली हुई है इसके फिजीकल पोजीशन की जांच करनी होगी। मैं माननीय सदस्य को निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी स्थिति होगी उसकी जांच करा ली जायेगी और जो सही स्थिति होगी उससे आपको सूचित कर दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

अखिल भारतीय परिवहन खेलकूद प्रतियोगिता

635. **श्री भगवानदास शास्त्री** (अजमेर पश्चिम) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि 20 एवं 21 मार्च, 1982 को अखिल भारतीय परिवहन खेलकूद प्रतियोगिता अजमेर नगर में आयोजित की गयी थी ? यदि हां, तो सर्व श्रेष्ठ एथेलिट का पुरस्कार किस कर्मचारी ने प्राप्त किया ? कृपया एथेलिट का नाम व योग्यता भी बतायें।

(2) क्या यह सही है कि वास्तविकता में खेल खेला ही नहीं गया था और अधिकारियों की मिली भगत से ही श्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया था ? यदि हां, तो उपरोक्त काण्ड से सम्बन्धित अधिकारियों की फर्जी कार्यवाही के कारण उन्हें दंडित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, यातायात (श्री जयकृष्ण शर्मा) : (1) जी हां मार्च, 1982 में अखिल भारतीय परिवहन एथेलिटिक्स प्रतियोगिता अजमेर में आयोजित की गयी थी। इस प्रयोजनार्थ श्री महेश कुमार मैकेनिक ग्रेड II ने एथेलिटिक पुरस्कार प्राप्त किया। श्री महेश कुमार केन्द्रीय कार्यशाला अजमेर में मैकेनिक पद पर पदस्थापित है।

(2) जी नहीं।

श्री भगवान दास शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, कल इसी प्रश्न पर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा हुई थी। मेरे कहने का मतलब यही है कि आप कहते हैं कि गेम्स हुए। क्या यह सही है कि कुछ अधिकारियों ने यह लिख

(श्री भगवानदास शास्त्री)

कर भेजा है कि अजमेर में जो एथेलिटिक के गेम्स हुए वह गैर कानूनी हुए और जो पुरस्कार है वह भी महाराष्ट्र सरकार को वापस भेजा है ?

श्री जय कृष्ण शर्मा : अध्यक्ष महोदय, आपको पता है कि कल हाउस में इस पर चर्चा हुई थी। उसमें सारी बातें आ चुकी हैं और उस से आप सन्तुष्ट हुए। उसके आधार पर कार्यवाही की जायेगी। अभी तो जो जानकारी मेरे पास है उसी आधार पर आपको 'रिप्लाई दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री हरीश शर्मा, श्री बालचन्द आर्य।

अन्ता एवं बारां (कोटा) में कुओं एवं चक्की के विचाराधीन कनेक्शन

636. **श्री हरीश शर्मा** : (रामगंज मण्डी) **श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग)** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे :—

(1) कोटा जिले के अन्ता एवं बारां कार्यालयों मे कितने व्यक्तियों के आवेदन पत्र चक्की एवं कुओं के कनेक्शन चाहने हेतु प्राप्त हुए हैं तथा कब से विचाराधीन हैं ?

(2) उक्त कनेक्शन देने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्रीमती कमला) : (1) कोटा जिले के अन्ता एवं बारां उपखण्ड कार्यालयों में माह मार्च, 84 तक कृषि एवं औद्योगिक, जिसमें चक्कियों के आवेदन भी सम्मिलित हैं, कनेक्शन चाहने वाले आवेदकों की वर्षवार व खण्डवार संख्या दर्शाते हुए परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) कृषि कनेक्शन वार्षिक कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार दिये जाते हैं। अतः सीमित लक्ष्यों के कारण कृषि कनेक्शन के आवेदन पत्र विचाराधीन हैं। औद्योगिक कनेक्शन के आवेदन पत्र इसलिये विचाराधीन हैं कि अधिकांश मामलों में 11 के. वी. लाइन व ट्रांसफार्मर्स की आवश्यकता होने के कारण अधिक खर्च की जरूरत है तथा इस मद में व्यय हेतु पर्याप्त आवंटन न होने की वजह से डिमान्ड नोटिस जारी करने की कार्यवाही नहीं की जा सकी। कुछ आवेदन पत्र संबंधित आवेदकों द्वारा नियमानुसार औपचारिकताएं पूरी न किये जाने के कारण विचाराधीन हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री हरीश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि कनेक्शन इसलिये नहीं दिये जा रहे हैं कि चक्की के कनेक्शन पर तीन हजार, दो हजार रुपये लिये जाते हैं ? अध्यक्ष महोदय, कई साल से यह कनेक्शन बाकी हैं। उनके डिमाण्ड नोटिस

(श्री हरीश शर्मा)

जारी हुए हैं, पैसा जमा करा दिया गया परन्तु कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं। यह सन् 1968 से बाकी हैं। यह सब गरीब लोग हैं। आज उनके पास खाने को अन्न नहीं है। बड़ी मुश्किल से गुजारा करते हैं। आप गरीब किसानों के उत्थान के हिमायती हैं। क्या किसान को मारना चाहते हैं। न वहां सड़क हैं। आप गरीबों की हिमायत किस तरह से करना चाहते हैं ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि गांवों में चक्कियों के लिए कनेक्शन नहीं दिये गये हैं। इसके बारे में मैंने पहले भी निवेदन किया था, परन्तु गरीब किसानों के लिये कुछ भी नहीं हुआ। क्या उनके 1980 से आवेदन-पत्र पैंडिंग है ? यदि पैंडिंग हैं, तो 1980 से आज तक क्यों पैंडिंग रहे ? आपने अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्रीमती कमला : माननीय सदस्य, राजस्थान भर में लगभग 80–90 हजार एप्लीकेशन्स पैंडिंग हैं और उन सबको एक साथ कनेक्शन दिया जाना सम्भव नहीं है। उन सब को कनेक्शन देने के लिए जितना वित्तीय प्रावधान है उस के अनुसार सम्भव नहीं है। अगर कहीं से विशेष आवेदन करके वित्तीय प्रावधान करवा भी लें तो बिजली की उपलब्धि नहीं है। इसलिए जो लक्ष्य निर्धारित है उसके अनुसार कनेक्शन दिये जाते हैं और वित्तीय प्रावधान के अनुसार ही लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। जहां तक कोटा जिले के अन्ता एवं बारां का सवाल है, जितनी एप्लीकेशन पैंडिंग हैं, उनमें से साल भर में कुछ न कुछ एप्लीकेशन्स को निपटाया जाता है।

श्री हरीश शर्मा : क्या यह सही है कि प्राथमिकता के आधार पर न देकर उल्लंघन किया गया है ?

श्रीमती कमला : जो भी आज के दिन तक एप्लीकेशन पैंडिंग हैं उन सबका डिस्पोजल प्रायोरिटी के हिसाब से ही किया जाता है। अगर किसी क्षेत्र मे खण्ड में, सर्किल ऑफिस में प्रायोरिटी को भंग किया गया है और मनमाने ढंग से एक्शन लिया है तो उसको बड़ी गम्भीरता से लेंगे, अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही भी की जायेगी। आप मेहरबानी करके स्थान, नाम बता दें, उनके ऊपर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री बालचन्द्र आर्यवीर।

श्री बालचन्द्र आर्य वीर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूँगा कि मंत्री महोदया ने बताया कि औपचारिताएं पूरी नहीं करने से कनेक्शन नहीं दिये जाते हैं। मैं आपको बताऊं कि अधिकारी किसानों को सही मार्गदर्शन नहीं देते हैं और जब भी जाते हैं तो यह कहते हैं कि इसमें यह कमी है, उसमें वह कमी है। तो उनको बताना चाहिए एक ही समय में कि यह कमी है, उसको पूरा करो।

श्रीमती कमला : ऐसी औपचारिकता नहीं है। जिसमें कमी थी, दो तरह की

(श्रीमती कमला)

औपचारिकता पूरी नहीं थी। एक तो डिमाण्ड नोटिस है उसके पैसे जमा नहीं कराये। दूसरा, 'एल' फार्म नहीं दिया। इस तरह से दो-तीन तरह की कमियां थीं।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री हरीश शर्मा : मैं अभी नाम बता देता हूँ।

श्री अध्यक्ष : इस तरह से आप नाम बतायेंगे तो मन्त्री महोदय के संमक्ष में नहीं आयेंगे। आप तो लिख कर दे दें। नाम, पिता का नाम, स्थान आदि बताने पड़ेंगे। माननीय सदस्य, विराजें।

अगला प्रश्न। डा. उजला अरोड़ा।

विभिन्न मजदूरी की दरों में समानता लाना

637. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) राज्य में कितने तरह के वेजेज अस्थाई मजदूरों के लिये लागू हैं? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या दैनिक वेज, लिविंग वेज, फैमिन वेज आदि के अन्तर को दूर कर, समानता लाये जाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार महगाई को देखते हुए समानता लाने के लिये उक्त वेजेज का पुनर्निरीक्षण कराये जाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो कब तक?

श्रम मन्त्री (श्री हीरालाल देवपुरा) : (1) श्रम विभाग द्वारा अस्थायी मजदूरों के लिये कोई अलग से वेजेज निर्धारित नहीं किये गये हैं, विभाग न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में दी हुई अनुसूची में विनिर्दिष्ट नियोजनों में श्रमिकों के लिये न्यूनतम दरें निर्धारित करता है। यह मजदूरी की न्यूनतम दरें अस्थायी एवं स्थायी श्रमिकों के लिए ही हैं, जिन विनिर्दिष्ट नियोजन में न्यूनतम वेतन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई है उसकी सूची संलग्न है।

श्री कैलाश मेघवाल : धीरे-धीरे पढ़िये। आप तो फ्रंटियर मेल की तरह पढ़ रहे हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा : मैं धीरे पढ़ देता हूँ।

(2) जी नहीं। श्रम विभाग द्वारा न्यूनतम मजदूरी की दरें प्रतिदिन व प्रतिमाह के लिये निर्धारित की गई हैं। विभाग न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी की दरें निर्धारित करता है। राहत कार्य पर नियोजित श्रमिकों के लिये दैनिक मजदूरी की दरें राज्य सरकार के सहायता विभाग से निर्धारित की जाती हैं। दैनिक वेज जो न्यूनतम वेतन मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित की गयी है वह लिविंग

(श्री हीरालाल देवपुरा)

वेज के समान लाई जाने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है। क्योंकि लिविंग वेज, न्यूनतम मजदूरी से हमेशा अधिक होती है।

(3) महंगाई की दृष्टि से न्यूनतम वेतन में समय समय पर परिवर्तन किया जाता है।

(सूची के लिए परिशिष्ट 2 देखें)

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया और मुझे सूची दी है, मेरा पहला प्रश्न यह है कि असंगठित मजदूरों के बारे में न्यूनतम वेतन लागू होगा या नहीं ? उनके बारे में कोई योजना बनाई है ? मैं आपको संविधान की 43 वीं धारा की परिभाषा पढ़ कर सुना देती हूं, राज्य, उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन या किसी अन्य नोति से कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों के नाम, निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का सम्पूर्ण उपभोग सुनिश्चित कराने का प्रयास करेगा और विशिष्टतम, ग्रामों में कुटीर उद्योगों को वैयक्तिक या सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा।" ये आदेश हैं, राज्य की नीति निर्देशन तत्व हैं, क्या इनकी पालना का इरादा है ? दूसरा, दैनिक वेज को न्यूनतम वेतन, मजदूरी लिविंग वेज के समान लाने की कोई योजना है ? तीसरा, मूल्य सूचकांक महंगाई के आप लागू करेंगे या नहीं ? श्रम सलाहकार समिति ने निरन्तर वेतन की दरों में पुनर्निरीक्षण करने की जो सिफारिस की थी उस सिफारिश को आप कब लागू कर देंगे ?

श्री हीरालाल देवपुरा : असंगठित श्रमिकों के बारे में अगर माननीय सदस्या यह सूची पढ़ लेतीं तो ज्ञात हो जाता। न्यूनतम वेतन की कोई ऐसी नीति नहीं है जो इन श्रमिकों पर लागू नहीं है। इसके अलावा दैनिक वेज जो न्यूनतम वेतन मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित की गयी हैं वह लिविंग वेज के समान इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें मेडिकल फैसेलिटीज, बच्चों को पढ़ाई की सुविधा उनको मिलती है इसलिए लिविंग वेज से हमेशा अधिक होंगे। लिविंग वेज समान होने का सवाल ही नहीं है। न्यूनतम वेज डिफरेन्ट है, लिविंग वेज डिफरेन्ट है।

तीसरी बात आपने पूछी कि न्यूनतम वेजेज के लिये श्रम सलाहकार समिति है। अध्यक्ष महोदय, आपको शायद याद होगा कि मैंने इसी सदन के अन्दर एक प्रश्न के जवाब में कहा था कि न्यूनतम वेजेज के लिये सिफारिश आ गयी है। वह माइन्स डिपार्टमेंट में है। हमारी कोशिश होगी कि अतिशीघ्र उसको निकाल कर लागू करें। जैसी सिफारिश है और उस पर जो निर्णय होगा उसके अनुसार न्यूनतम वेजेज राजस्थान के लिये लागू करें। साथ ही साथ वह मूल्य के आधार पर ही तय करेंगे तथा ऐसे संगठित संगठन जहां पर 50 से ज्यादा मजदूर काम करने वाले हैं वहां पर मूल्य सूचकांक के आधार पर ही हर 6 माह के बाद जयपुर और अजमेर के मूल्य सूचकांक के आधार पर जो डिफरेंस आता

(श्री हीरालाल देवपुरा)

है उसका एवेरेज लेते हैं और फिर संस्थान महंगाई भत्ता 300 रु. तक 50 पैसे प्रति पॉइन्ट देता है और 300-500 तक 30 पैसे प्रति अंक बढ़ता जाता है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक पूरक प्रश्न।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय श्रम मंत्री जी से पूरक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि क्या सुप्रिम कोर्ट ने फेमिन कोड के अन्तर्गत आपके द्वारा दिये जा रहे वेजेज को ठीक नहीं मानकर यह निर्देश दिया है कि फेमिन में काम करने वालों को भी न्यूनतम वेजेज दिया जाय ? क्या आप इसका पालन नहीं कर रहे हैं ? आपने सुप्रिम कोर्ट के फैसले को रिव्यू करवाया है, क्या यह भी सही है ?

क्या कल्याणकारी राज्य होने के नाते लिविंग वेजेज प्रत्येक मजदूर को मिले इसके लिये कोई पॉलिसी बनाने का विचार रखते हैं ?

श्री हीरालाल देवपुरा : आपने श्रमिक वेजेज के लिये कहा, सुप्रिम कोर्ट ने कहा है कि न्यूनतम वेजेज राजस्थान में फेमिन में भी लागू होने चाहिए। यह सुप्रिम कोर्ट का फैसला हुआ है। उसकी अपील की थी लेकिन ऐसा पता लगा है कि उसकी अपील भी नामंजूर हो गयी है। इसका मतलब फेमिन का काम जब कभी भी चलेगा आज की स्थिति में तो न्यूनतम वेजेज वहां पर लागू होंगी। यह आज की परिस्थिति पर निवेदन करना चाहता हूँ, कल कुछ और हो सकता है। फेमिन के अन्दर इस वक्त तो यह प्रश्न नहीं उठता है, अभी काम नहीं चल रहे हैं। अब जब काम चलेंगे तब लेबर डिपार्टमेंट इसको जरूर देखेगा।

दूसरे के बारे में, लिविंग वेजेज के बारे में, हर श्रमिक को मैंने जैसा आरम्भ में निवेदन किया कि जो हमारे संगठित संस्थान हैं जो औद्योगिक संस्थान मे काम करने वाले मजदूर हैं आम तौर पर यह देखा जाता है कि उनको मेडिकल फैसेलिटी, हाउस रेन्ट आदि की सुविधायें दी जायें। वैसे ये आम तौर आपस में बैठकर मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में तय होने वाली चीज है और यह तय हो जाता है, उनको बराबर मिल रहा है। इस तरह का विवाद सामने आता है तो उसको हल करना होता है।

श्री कैलाश मेघवाल: एक निवेदन करना चाहता हूं कि आपने यह मजदूरों के अहित में स्टेटमेंट दिया है। सुप्रिम कोर्ट ने पाइन्ट आउट कर दिया फिर भी अब करने को कह रहे हैं। पुराना दायित्व जो मजदूरों का है जिसके बारे में सुप्रिम कोर्ट का फैसला है....

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री कैलाश मेघवाल : फैसले में साफ लिखा गया है कि मजदूर को न्यूनतम मजदूरी नहीं देना संविधान के अनुकूल नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरा पूरक प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष : भगवान दास शास्त्री ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह, अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण है ।

श्री अध्यक्ष : अन्य किसी तरीके से उठायें । श्री भगवान दास शास्त्री ।

श्री कैलाश मेघवाल : सरकार की मंशा आ गयी है कि वह फेमिन में न्यूनतम मजदूरी देना नहीं चाहती है ।

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर आॅर्डर । अगला प्रश्न ।

श्री मेघराज तावड़ : गरीब मजदूरों को चूस रहे हैं ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, यह प्राइवेट सैक्टर के लिये और निजी सैक्टर के लिये क्या सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है ....

श्री अध्यक्ष : बैठें, माननीय सदस्या ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आसन पर थोपें नहीं । मैंने मना कर दिया है ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आश्वासन ही दिला दें ।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न । 638 ।

आवासन मण्डल द्वारा निर्मित भवन

638 . श्री भगवान दास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : क्या आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सम्पूर्ण राज्य में आवासन मण्डल द्वारा किस किस जिले में कितनी संख्या में विभिन्न कालोनी में भवन निमार्ण पूर्ण कराये जा चुके हैं और कितनी संख्या में निर्माणाधीन हैं ? कृपया जिले व कालोनीवार संख्या की सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) समस्त जिलों में प्रदेश के नागरिकों द्वारा कुल कितनी धनराशि निर्मित मकान प्राप्ति के संदर्भ में जमा कराई गई है ? कृपया जिलेवार जमा कुल राशि का विवरण सदन मेज पर रखें ।

(3) मान सरोवर योजना जयपुर के लिये कितनी राशि 31. 1. 1984 तक जमा हुई ?

उक्त आवासीय योजना कार्य कब से प्रारम्भ होगा और प्रति वर्ष कितने मकान बन कर तैयार हो जावेंगे ?

आवासन मंत्री (श्री दुलाराम) :माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इस प्रश्न को स्थगित करने के लिये निवेदन किया था ।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह तीसरा प्रश्न स्थगित होने जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष : आपके नहीं हुए हैं। इस सत्र में आपके बहुत कम प्रश्न स्थगित हुए हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : सीधा सा प्रश्न है, कहां किस किस कालोनी में कितने-कितने मकान बनाये हैं ? आपने यह प्रश्न स्थगित कर दिया। मैं जानता हूं कि आपके पास मानसरोवर योजना पर चूंकि कोई जानकारी नहीं है, इसलिये यह स्थगित करवाया है।

श्री अध्यक्ष : आसन के माध्यम से। इसमें विस्तृत सूचना चाही है। स्थगित।

श्री दाऊदयाल जोशी : ये कारण तो बता दें कि ये क्यों स्थगित करा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। मैंने प्रश्न को देख लिया है। विस्तृत जानकारी चाही गयी है।

श्री दाऊदयाल जोशी : इसी सत्र में आ जायेगी ?

श्री अध्यक्ष: हाँ, इसी सत्र में ...

(व्यवधान)

श्री भंवर लाल शर्मा : यह बता दें कि क्यों स्थगित कर रहे हैं ?

श्री रामसिंह विश्नोई : प्रश्नकाल में एक ही प्रश्न आ सकता है। फिर भगवान दास शास्त्री के दो कैसे आ गये ?

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। **श्री कैलाश मेघवाल।**

श्री रामसिंह विश्नोई : आपकी व्यवस्था है कि एक ही प्रश्न आयेगा, इससे ज्यादा नहीं आयेगा।

श्री अध्यक्ष : यह लाटरी से आया है।

श्री जयकृष्ण शर्मा : एक प्रश्न तीन तरह से भी आता है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर। शान्त रहें। कैलाश मेघवाल।

अजमेर के विभिन्न मार्गों पर चालित प्राइवेट बसेज

639. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अजमेर नगर को केन्द्र मानकर वहां से प्रारम्भ होने वाले कितने रूट्स हैं, जिन प्राइवेट बस आपरेटर्स को यात्री बसें चलाने के परमिट्स स्वीकृत हैं ?

(2) क्या प्राइवेट बस आपरेटर्स द्वारा उसी वर्ष के मोडल की यात्री बस चलाई जा रही है जिसके लिये उन्हें परमिट दिए गए हैं ?

राज्य मंत्री, यातायात (**श्री जयकृष्ण शर्मा**): (1) अजमेर को केन्द्र मानकर वहां से प्रारम्भ होने वाले 18 रूट्स हैं जिन पर प्राइवेट बस आपरेटर्स की बसों के परमिट स्वीकृत हैं ?

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

(2) 4 बसों को छोड़कर शेष सभी बसें राज्य परिवहन प्राधिकार द्वारा निर्धारित माडल की है। 4 में से 2 बसें (आर. जे. ई. 1055) व आर. एस. एम. 9301 को प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार द्वारा निर्धारित मण्डल की बस से प्रतिस्थापित किये जाने के लिये दिनांक 20.4.84 तक का समय दिया हुआ है। शेष बसें आर. जे. आई. 1120 व आर. जे. एल. 6137 की परमिट वैधता की अवधि क्रमशः दिनांक 14.1.82 को समाप्त हो गयी थी जिन्हें 5 वर्ष की अवधि के लिये इस शर्त पर नवीनीकरण कर दिया गया कि 6 माह की अवधि में निर्धारित माडल की बस से मौजूदा वाहन को प्रतिस्थापित कर लिया जावे। किन्तु दोनों ही बसों के मालिकों द्वारा दूसरी बसें प्रतिस्थापित न किये जाने की स्थिति में ये बसें बन्द हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, माडल जो तय किया जाता है परमिट स्वीकार करने के साथ ही उस साल किस साल की बसें चलेंगी यह तय कर लिया जाता है। ऐसी स्थिति में वह बसें चलाने की स्वीकृति कैसे दी गयी? नं0 2 यह बतायें कि 20.4.84 तक का समय दिया हुआ है। यह समय किस प्रकार दिया हुआ है, परमिट किस तारीख को स्वीकृत किया और कब तक के लिये? और यह किन शर्तों के आधार पर और किन नियमों के आधार पर दिया गया? नं. 3, 26.1.82 और 14.1.82 और 14.7.82 को समाप्त हो गई उस के बाद भी ये बसें कब तक चली? और क्या यह सही है कि प्रश्न आने के बाद ही इन बसों के ऊपर नजर गई है?

श्री जयकृष्ण शर्मा : प्रश्न इस बात का नहीं है कि नीति क्या है? जो डिवीजनल आफिसर है, आर.टी. ओ. है उसको अधिकार है, जो बस का माडल है अगर उसमें कुछ कमी है तो दूसरी बस से रिप्लेसमेंट का समय दिया जाता है। जहां कहीं रिप्लेसमेंट की जब तक की अवधि थी यह कहा कि इतना समय रिप्लेसमेंट के लिये दिया है वहां यह कहा कि इस अवधि में रिप्लेसमेंट नहीं कर सकेंगे तो आपका परमिट कैंसल हो जायगा। इसी आधार पर दोनों बस बन्द हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : चार बसेज हैं उन चार बसेज....

श्री जयकृष्ण शर्मा : यह आपने कहा नहीं।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं पूछना चाहता हूं अजमेर में चार बसेज जो चल रही हैं उनकी सुरक्षा की कोई जिम्मेदारी नहीं, सीटों की जिम्मेदारी नहीं, कोई उनको देखने वाला नहीं। चार बसेज की स्वीकृति हो जाती है और 6–7 चल रही हैं। इसलिये मैं पूछता हूं कि ये इनकी परमिटें कब निर्गत हुईं और कब तक उस मॉडल की बसें नहीं चलती रहीं? उस मॉडल की नहीं हैं तो किसी दूसरे मॉडल की कब तक चलती रहेंगी?

श्री जयकृष्ण शर्मा : माननीय सदस्य, मैंने आपको बताया, वाहन संख्या आर.जे.

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

ई. 1055 ,1965 ए श्रेणी के अन्तर्गत चल रही है जिसमें प्रतिस्थापित करने हेतु दिनांक 20-4-84 तक के लिये समय दिया है। इनको समय दे दिया है 20.4.84 तक गाड़ी लगा दें। अगर गाड़ी नहीं लगायेंगे तो परमिट कैंसल हो जायेगा।

श्री कैलाश मेघवाल : मैंने पूछा कि उस गाड़ी ....

श्री जयकृष्ण शर्मा : मैंने आपको कहा कि आप 26.1.82 और 14.1.82 को इनकी 6137 ...

(व्यवधान)

और 26.1.82 को इनका समाप्त हो चुका था और नवीनीकरण 5 साल के लिये इसका किया गया है।

श्री कैलाश मेघवाल : आपने उनके साथ किया है लेकिन 6 महीने में ये निर्धारित मॉडल, जिसके लिये परमिट स्वीकृत हुआ है, लगा दी हैं।

श्री जयकृष्ण शर्मा : यही तो मैं कहता रहा हूं कि एक्सटेंशन ....

(व्यवधान)

मोटर व्हिकल एक्टम में जो पावर्स दी गई हैं उसकी पावर ....

श्री अध्यक्ष : आज कल तो विन्टेज कार्स शौक बढ़ रहा है।

श्री कैलाश मेघवाल : 82 में इनका खतम हो चुका। ये दोनों बसों का है। ये कब से बन्द हैं? ढाई साल में सूचना एक बार भी नहीं दी गयी? ये 82 में खतम हो चुका लेकिन आप बढ़ाते चले जा रहे हैं और क्या, बताइये?

श्री जयकृष्ण शर्मा : मैंने आपको कहा, माननीय सदस्य, ये तो डिस्क्रिशनरी पावर है ट्रिब्यूनल को इसलिये मोटर व्हिकल एक्ट में पावर एक्सटेंशन में दी गयी है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। **श्री उम्मेद सिंह।**

पंचायत समिति डीडवाना का जब्त रिकार्ड

640. श्री **उम्मेदसिंह** (डीडवाना) : क्या पंचायत राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि जिलाधीश, नागौर ने पंचायत समिति, डीडवाना की किसी शिकायत के आधार पर रिकार्ड सीज करने की कार्यवाही की है?

(2) यदि हां, तो किस तिथि को छापा डाला तथा आगे इस सम्बन्ध में आज तक क्या कार्यवाही हुई?

राज्य मन्त्री, पंचायत (श्री शीशराम ओला) : (1) जी हां।

(2) दिनांक 12–10–83 को शिकायत के आधार पर रिकार्ड जब्त किया गया।

(श्री शीशराम ओला)

शिकायत के सम्बन्ध में उप जिला विकास अधिकारी, नागौर तथा परियोजना निदेशक एव अतिरिक्त जिलाधीश (विकास) एवं सहायक अभियन्ता (सी. डी.) नागौर से जांच करायी गयी। जांच परिणाम अस्पष्ट एव अपूर्ण होने के कारण जिलाधीश, नागौर को विस्तृत जांच कर जांच प्रतिवेदन भिजवाने का आदेश दिया गया है।

श्री उम्मेद सिंह : इस शिकायत में ऐसा कौन सा मुद्दा है जिसके कारण जिलाधीश को रिकार्ड सीज करना पड़ा ?

श्री शीशराम ओला : मुद्दा है। आपने 12–10–83 को शिकायत की है कि कोई मोटर व्हिकल जो पोषाहार कार्यक्रम के लिये खरीदी गयी, फर्नीचर खरीदा गया, आपने बताया है और एक कोई तालाब है वहां पर तालाब और सीमेंट के लिये उसका प्लेट क्रय किया गया है या लागू कर छुड़वाया, चारों मुद्दों में अभी जांच पूरी नहीं हुई है।

श्री उम्मेदसिंह : इसके लिये कोई रकम पंचायत कोष से नहीं दी गयी है ?

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न।

श्री शीशराम ओला : अपनी आय में कर सकता है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री हरिसिंह।

सब तहसील कुम्हेर को भू–राजस्व की आय

641. **श्री हरिसिंह (कुम्हेर)** : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

सब तहसील कुम्हेर (जिला भरतपुर) को भू राजस्व से कितनी आय गत तीन वर्षों में हुई ?

राजस्व मन्त्री (श्री हीरालाल देवपुरा) : सब तहसील कुम्हेर को गत तीन वित्तीय वर्षों में भू–राजस्व से निम्नलिखित आय हुई है :

क्र. सं.	वर्ष	भू–राजस्व से आय
1	1980–81	रु. 2,54,248.88
2	1981–82	रु. 2,23,162.04
3	1982–83	रु. 2,83,428.73

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : श्रीमन्, क्या इसमें जो आपने आमदनी बतायी है उसमें उन सीमांत कृषकों से भी वसूली शामिल है जिनसे कि सरकार की नीति के अनुसार लगान नहीं लेना चाहिये ? और अगर शामिल है तो भविष्य के लिये सरकार ने क्या सोचा है कि उनके खिलाफ कार्यवाही करेगी ?

दूसरी बात मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि सब तहसील कुम्हेर के जो आपने आंकड़े बताये 2,54,248.88,1, 23, 162.04 एवं 2,83,428.73

(श्री हरिसिंह)

तीनों तहसीलों की आमदनी दी है आपने, फिर कुम्हेर सब तहसील की प्राप्ति के आधार पर तहसील में क्रमोन्नत क्यों नहीं किया गया है।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, सब तहसील कुम्हेर की राजस्व की आय बतायी है उसमें छोटी आय भी शामिल है, तो प्रश्न ही बिलकुल अलग है।

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : अलग प्रश्न कैसे है, माननीय अध्यक्ष। मैंने पूछा कि आमदनी कैसे है....

श्री जयकृष्ण शर्मा : अपना प्रश्न खुद पढ़ियेगा।

श्री हीरालाल देवपुरा : इसमें राशि की कोई बात नहीं। मैंने आपसे आग्रह किया कि सवाल छोटे टाइप के किसानों का है तो मैं अभी नहीं कह सकता कि किसानों की आमदनी शामिल है या नहीं। माननीय सदस्य ने कहा कि अगर जिनको राज्य सरकार ने छूट दी है उन किसानों की आय इसमें शामिल की गयी है तो मैं आश्वासन देना चाहता हूं, उनके खिलाफ कार्यवाही करूंगा, उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी जिन्होंने इस तरह किये हैं। दूसरी बात पूछी कि सब तहसील को आपने तहसील बना दिया। मैं कह दूं कि गत वर्ष कहा था कि तहसीलें बनाने का एक क्राइटेरिया से ग्रामीण सैक्टर में उस क्राइटेरिया का एरिया है और आवागमन के साधन हैं, इस सम्बन्ध में तय किया जाता है। कुम्हेर में तहसील हो सकती है या नहीं, आज की स्थिति में नहीं कह सकता लेकिन एट्थ फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट मिल जाय उस समय तहसील बनाने पर निश्चित रूप से विचार करेंगे।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : सहानुभूति पूर्वक विचार किया जायगा ये तो बता दीजिये।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

प्रश्न सं. 642

श्री गोपाल पचेरवाल।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न सं. 643

अगला प्रश्न। श्रीमती विद्या पाठक।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

अगला प्रश्न। श्री बन्सीलाल पटवा।

आवासन मण्डल द्वारा भीलवाड़ा में निर्मित भवन

644. **श्री बंसीलाल पटवा**(भीलवाड़ा) : क्या आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भीलवाड़ा नगर में आवासन बोर्ड ने प्रारम्भ से लेकर आज तक किन बस्तियों में किस-किस साइज के भू-खण्डों

(श्री बन्सीलाल पटवा)

पर कितने-कितने कमरों के कितने मकान बनाये ?

(2) क्या यह सही है कि जो रेट तय हुई उससे अधिक रकम ली जा रही है ?

(3) बनाये गये मकानों की लाटरी कब निकाली गयी ?

(4) क्या यह सही है कि जिनको लाटरी से भवन मिले उनको कब्जे दे दिये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आवासन मन्त्री (श्री दुलाराम) : (1) भीलवाड़ा में मण्डल ने दिसम्बर, 1983 तक बापू नगर व शास्त्री नगर बस्तियों में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आर्य वर्ग के 576, अल्प आय वर्ग के 114 व मध्यम आय वर्ग के 67 मकानों का निर्माण करवाया, विभिन्न वर्ग के भू–खण्डों का माप व कमरों की संख्या संलग्न परिशिष्ट "ए" में उपलब्ध है।

(2) आखिरी दिन तक मकान तैयार होने पर जो लागत होती है, वही ली जाती है।

(3) बनाये गये मकानों की लाटरी वर्ष 1975 से 1983 तक (अतिरिक्त 1978 के) प्रति वर्ष निकाली गयी।

(4) जी हां, अधिकांश आवंटित मकानों के कब्जे दिये जा चुके हैं। कुछ आवंटियों ने आवटन पत्र द्वारा मांगी गयी राशि जमा करवाकर आवश्यक प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किये। अतः निर्धारित प्रक्रियानुसार जैसे जैसे प्रपत्र प्राप्त हो रहे हैं, कब्जा–पत्र जारी किये जा रहे हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

श्री बंसीलाल पटवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने जो जिक्लाई दिया और जो सूची दी, उसके अनुसार 1185 मकान बनाने की योजना है और 757 मकान उनके पास निर्मित हैं, और 74 से लेकर 83 तक एक वर्ष को छोड़कर लाटरी निकाली गयी है समय-समय पर।

मेरा निवेदन यह है मन्त्री महोदय से कि जैसा इन्होंने बताया, मकान कम्प्लीट होते हैं उस समय जो रेट्स बनती हैं, वह रेट्स, जिनको मकान अलाट होते हैं, उनसे ली जाती है, जैसे इन्होंने 10 हजार 800 तक की आय वर्ग वालों के लिए जो मकान 25 हजार का था, उसकी रेट अब बढ़ाकर 31500 तय कर दी। इसी तरह मध्यम आय वर्ग, 10 से 18 हजार वालों के लिए 42 हजार से 47 हजार तक कर दी। मेरा मन्त्री महोदय से यह प्रश्न है कि यह मकान जिस दिन कम्प्लीट होते हैं, जैसे आज से 6 महीने पहले कम्प्लीट हो जाते हैं, आवंटन हो जाते हैं, उस समय की तारीख में, ऐसे कई मकान हैं जो 81–82 में कम्प्लीट हो गये, क्या उसकी तारीख बता सकते हैं ? और वह प्रक्रिया बताने की कृपा करें, जो मकान 32000 के थे उसकी आपने 31500 रेटकर दी जब कि बी. एस. आर. रेट्स के अनुसार 22 हजार

(श्री बंसीलाल पटवा)

से उसमें ज्यादा नहीं लगा। इसी तरह जिसका 42000 से 47000 किया, वह क्यों किया? ये तथ्य बतायें कि रेट्स क्यों बढ़ीं?

श्री दुलाराम : क्या?

श्री बंसीलाल पटवा : एक तो यह अर्ज किया कि 25000 जिस मकान की लागत है, वह मकान कम्प्लीट हो जाते हैं, वह किस तारीख को कम्प्लीट हुए, डेट बताइये, कौन-कौन से सैक्टर में, कौन-कौन से नम्बर के मकान, यह सब बताइये।

श्री अध्यक्ष : विस्तृत जानकारी है काफी।

श्री बंसीलाल पटवा : अच्छा दूसरा ले लीजिए. 25000 का 31500 कर दिया जब कि बी. एस. आर. रेट्स के अनुसार 22000 में बनते हैं। इसी तरह मध्यम आय वर्ग वालों के लिए 42000 से 47000 कर दी, इस पर भी बी.एस.आर. रेट्स के अनुसार 35000 की कास्ट आती है।

श्री दुलाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, अलग अलग कालोनियां बनी हैं, उनका ब्यौरा दिया गया है परिशिष्ट "ए" में, उसमें आंकड़े है, शास्त्री नगर, बापू नगर, फिर शास्त्री नगर, बापू नगर, सैकण्ड। आप इसमें पढ़ लेंगे, कौन-कौन से हैं।

श्री बंसीलाल पटवा : इधर–उधर मत जाइये आप।

श्री दुलाराम : इधर-उधर नहीं, वहीं आ रहा हूं. माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कि मकान की कीमत 47000 कर दी। इसके बारे में निवेदन है कि कीमतें बढ़ती हैं, इन कीमतों का तो कोई इलाज नहीं है। यह पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि जो जमीन हाउसिंग बोर्ड एक्वायर करता है उसकी तो हम कीमत नहीं बढ़ाते लेकिन मैटीरियल की जो रेट्स हैं उन पर इस डिपार्टमेन्ट का कोई कण्ट्रोल नहीं होता।

श्री बंसीलाल पटवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बिलकुल पाइन्टेड प्रश्न पूछे हैं मन्त्री महोदय उन से बिल्कुल मुकर गये, और उनसे अलग जाकर इन्होंने रिप्लाई दिये। जो मकान 22000 में तैयार किये गये, उनका आवंटन कर दिया, उससे मुकर गये. 25000 के जो 31000 ले रहे हैं, उसकी रेट बी. एस. आर. के अनुसार 22000 से ज्यादा नहीं है। इसी तरह मध्य आय वर्ग वालों के लिए 47000 ले रहे हैं, 12000 ज्यादा। इसके उपरान्त, मैं बताऊं वहां न लाइट है, न बिजली है, न नालियां हैं, बड़ी दयनीय स्थिति है। इसके रिप्लाई से भी मुकर गये। मैं निवेदन कर रहा हूं, इन्होंने क्या किया, आवंटन करने के बाद कब्जा नहीं दिया. कागजात हाउसिंग बोर्ड, जयपुर में पड़े रहते हैं, इसके कारण प्रशासनिक खर्चा बढ़ा और इन्होंने कास्ट बढ़ा दी मकान की। उस के रिप्लाई में मुकर रहे हैं. आप कह रहे हैं, आवंटन कर

(श्री बंसीलाल पटवा)

दिये जाते हैं, उनको कब्जे दे दिये जाते हैं. मेरा तो एक ही पर्टिक्यूलर प्रश्न है, शीला शिवकानी है एक, जिसको 80 के अन्त में अलाट हो गया. अलाट होने के बाद समय-समय में ...

श्री दुलाराम : वह मैं बता रहा हूं....

श्री बंसीलाल पटवा : एक मिनट और सुन लीजिए। विराज जाइये

श्री दुलाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक लम्बी लिस्ट उठा रहे हैं ।

भीलवाड़ा में 458 मकानों की लाटरी निकाली है जिसमें से 429 मकानों को कब्जा दे दिया है बाकी 29 मकान ऐसे हैं, जिनकी किश्त वगैरह नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

श्री बंसीलाल पटवा : अंतिम प्रश्न ।

श्री अध्यक्ष : जब मन्त्री महोदय ने कहा है कि मैटीरियल है, उसकी कीमत बढ़ जाती है....

श्री बंसीलाल पटवा : पाइन्टेड प्रश्न । मन्त्री महोदय, मैंने जितने भी सप्लीमेण्ट्री प्रश्न पूछे हैं उनमें से एक का भी रिप्लाई सही नहीं दिया। शीला शिवकानी करके एक है, जिसने 71 में पैसा जमा करा दिया, उसके बाद भी किश्तें जमा करा दीं यह कहते हैं कि आवंटन के तुरन्त बाद कब्जा दे दिया जाता है। उसको आज दिन तक नहीं दिया। इस तरह के कई मकान हैं।

श्री दुलाराम : अध्यक्ष महोदय, वह आपको तो एप्लीकेशन देती हैं कब्जा लेने के लिए लेकिन मुझे नहीं देतीं । क्यों ?

श्री बंसीलाल पटवा : क्यों नहीं देते, इसलिए कि आपका विभाग वह नहीं करता।

श्री दुलाराम : 29 मकान बाकी हैं। उनको कब्जा दे दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न.

श्री बंसीलाल पटवा : वहां हालत खराब है। इनको अलाटमेण्ट नहीं हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर। अगला प्रश्न। माननीय सदस्य. श्री मुराद खां। कृपया बैठ जायें, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

प्रश्न सं. 645

श्री मुराद खां।

(अनुपस्थित : । कृपया आगे देखें)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी

श्री कैलाश मेघवाल।

ग्राम पंचायत दुठवा में पंचायत भवन का निर्माण

646. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : एवं श्री ललित किशोर चतुर्वेदी

(श्री कैलाश मेघवाल)

(कोटा) : क्या पंचायत राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला जालौर की सांचोर तहसील की ग्राम पंचायत दुठवा का मुख्यालय दुठवा ग्राम में होने के उपरान्त भी प्रधान, पंचायत समिति, सांचोर ने पंचायत घर का निर्माण इस पंचायत के गांव चिमड़ा की ढाणी में करने हेतु अनुदान स्वीकार किया था जिसे जिलाधीश, जालौर ने रोक दिया है ? यदि हां, तो ग्राम पंचायत के मुख्यालय पर पंचायत घर निर्माण नहीं कराने के क्या कारण हैं ? कृपया दोनों गांवों की जनसंख्या व पंचायत क्षेत्र में उनकी स्थिति बताने वाला नक्शा सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इस पंचायत क्षेत्र में ग्राम दुटवा में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, ग्राम सेवक मुख्यालय, पटवार घर तथा स्वास्थ्य केन्द्र स्थित है और बस की सुविधा भी है, जो इस पंचायत क्षेत्र के किसी भी अन्य गांव में नहीं है फिर भी पंचायत भवन वहां नहीं निर्माण कराने के क्या कारण हैं ?

श्री शीशराम ओला : इसको स्थगित करने के लिए निवेदन करता हूं, अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : स्थगित।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन आपसे करना यह है, बहुत ही विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं, इस सवाल को आप स्वयं पढ़ लें। मैं स्वयं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, आप स्वयं पढ़ कर बता दें कि इसमें स्थगित करने का क्या है ? दो सवाल पूछे हैं, एक तो यह कि इसको आपने क्यों रिजेक्ट कर दिया और....

श्री अध्यक्ष : इसका उत्तर दिलवाया जायेगा इसी सत्र में।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, जो मूल प्रश्न पूछा है, इसमें कोई विस्तृत सूचना नहीं चाहिए। डिपार्टमेण्ट सूचना नही दे रहा है, मन्त्री महोदय देना नहीं चाहते हैं। छिपा रहे हैं। सूचना आवश्यक ज्यादा है ही नहीं। कारण तो बतायें मन्त्री महोदय कि किस कारण से स्थगित कराना चाहते हैं।

श्री शीशराम ओला : अध्यक्ष महोदय ने स्थगित करने की व्यवस्था दे दी फिर भी निवेदन है कि जो एक ही बात पूछी गयी, उसमें मेरे मन से तो गढ़ कर उत्तर नहीं दे सकता, जब तक प्रशासन से कलेक्टर से जवाब नहीं आ जाता।

श्री अध्यक्ष : इसी सत्र में ताकीद करवा लेंगे।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, आज 7 प्रश्न स्थगित हो गए हैं।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न।

(श्री अध्यक्ष)

स्थगित प्रश्न संख्या 2561

श्री गोपाल पचेरवाल।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें।)

श्री बाल चन्द्र आर्य।

(स्थगित प्रश्न)
(दिनांक 27 मार्च, 1984)

आदर्श ग्रामों को प्रदत्त सुविधाएं

352. **श्री बालचन्द्र आर्यवीर** (डग). क्या पंचायत राज्य मन्त्री यह बताने की करेंगे :—

(1) राज्य में कितने ग्रामों को आदर्श ग्राम घोषित किया गया है तथा वतमान में उन ग्रामों की जनता को क्या-क्या सुविधायें उपलब्ध हैं? कृपया ऐसे ग्रामों सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) भविष्य में सरकार का उनको क्या-क्या और सुविधायें देने का विचार है?

(3) सन् 1983 में कितने ग्रामों को आदर्श ग्राम बनाने की योजना है?

राज्य मन्त्री पंचायत (**श्री शीशाराम ओला**: (1) स्वतन्त्रता की रजत जयन्ती के स्मारक के रूप में राज्य में 461 जयन्ती ग्रामों का सितम्बर, 1972 में चयन किया गया था जिनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। राज्य सरकार द्वारा यह निर्देश जारी किये गये थे कि इन ग्रामों में पीने के पानी की सुविधा; कमजोर वर्ग के लोगों के लिये आवास सुविधाएं, पाठशाला भवनों में सुधार, सड़कों, नालियों का निर्माण तथा बिजली इत्यादि की सुविधाएं देने के कार्यक्रमों को केन्द्रित रूप से लागू किया जाना चाहिये। वर्तमान में इन ग्रामों की जनता को क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, इसकी सूचना एत्रत्रित की जा रही है।

(2) ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(3) ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने जो सूची दी है उसमें झालावाड़ जिले के 6 ग्रामों; झालरापाटन, खानपुर, मनोहर थाना, डग, पिडावा, बकानी को आदर्श ग्राम माना है। अध्यक्ष महोदय, मैंने विधान सभा में एक प्रश्न पूछा था आयुर्वेद मन्त्री जी यहां पर नहीं हैं, वहां पर महिला नर्स की कोई व्यवस्था नहीं है....

श्री अध्यक्ष : जो आपको शिकायत थी वही अंकित कर देते।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : अध्यक्ष महोदय, वहां पर महिला चिकित्सालय है पर महिला नर्स नहीं है, कम्पाउण्डर लगा रखा है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अगर यही शिकायत थी तो यही बात इंगित कर देते लेकिन आपने तो सारे राजस्थान के बारे में पूछा है....

श्री बालचंद्र आर्यवीर : चिकित्सालय में महिला नर्स की व्यवस्था नहीं है,वह कैसे आदर्श गांव माना जायगा ?

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) : माननीय अध्यक्षम होदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानकारी चाहूंगा कि जिन गांवों को आदर्श गांव के रूप में चयनित किया गया था उनके बारे में चाहे सरकार ने या पचायत समिति ने, क्या-क्या व्यवस्था वहां पर दी जाय, उनका चयन करने के बाद कब-कब विचार किया ?

श्री शीशराम ओला : अध्यक्ष महोदय, स्वतन्त्रता की रजत जयन्ती के स्मारक के रूप में राज्य में 461 जयन्ती ग्रामों का सितम्बर,1972 में चयन किया गया था। जिन गांवों का चयन किया था उसकी सूची सदन के पटल पर रखी गई। यही प्रश्न पूछा गया था उसका मैंने जवाब दे दिया। इसलिये, अध्यक्ष महोदय,जिन गांवों को हाथ में लिया गया उनमें क्या-क्या सहूलियतें देने की बात उस समय सोची गई, यह मैंने पूरा उत्तर पढ़ कर सुना दिया कि कौन-कौन से कार्य किये जायेंगे।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : इसके बारे में विचार करने की बात है, तो किसी भी स्तर पर इन सुविधाओं को देने के बारे में क्या विचार हुआ पंचायत समिति से लेकर....

(व्यवधान)

आप चयन करने के बाद बात को भूल गये, किसी स्तर पर विचार नहीं हुआ।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न।

श्री अनंग कुमार जैन (झालरा पाटन): अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न।

श्री अध्यक्ष । श्री अनग कुमार जैन :

श्री अनंगकुमार जैन : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने जो सूची दी है उसमें झालावाड़ जिले की तीन पचायत समितियों के गांवों के बारे में नहीं बताया। पंचायत समिति खानपुर के साजपुर. हरीगढ़ पंचायत समिति बकानी के सरड़ा और पंचायत समिति के झालरा पाटन में कनवाड़ा और गुराड़िया जोगा में क्या-क्या सुविधायें दी जा चुकी हैं ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री शीशराम ओला : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न पूछा गया था कि राज्य में कितने ग्रामों को आदर्श ग्राम घोषित किया गया तथा वर्तमान में उन ग्रामों की जनता को क्या-क्या सुविधायें उपलब्ध हैं ? कृपया

(श्री शीशराम ओला)

ऐसे ग्रामों की सूची सदन की मेज पर रखें। मैंने सूची सदन के मेज पर रख दी।

श्री अध्यक्ष : डा.उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो सूची दी है उसमें जयपुर जिले को 17 पंचायत समितियों को लिया गया है, उसमें जमुवारामगढ़ की भानपुर कलां और आंधी भी हैं। मै पूछना चाहती हूं, मंत्री महोदय, उक्त गांवों में आपने क्या क्या सुविधायें दी हैं ?

श्री अध्यक्ष : आप ही बता दीजिये। उनके पास तो सूचना नहीं है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, पीने के पानी के लिये अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है। 5 हजार रुपये लिये गये वह कम से कम वापस कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल आर्य।

श्री भैरूलाल भारद्वाज (जमुवारामगढ़) अध्यक्ष महोदय, भानपुर कलां का नाम आया है

श्री अध्यक्ष : आपको कुछ ठहरना पड़ेगा।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : अध्यक्ष महोदय, इटावा के गेता और लुहावद की आबादी 3 हजार के ऊपर की है। जो सुविधायें दी जानी चाहिये उसमें न रोड है, न चिकित्सालय है। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, जो सहूलियतें दिये जाने का निर्णय लिया गया था....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य, आपने ध्यान आकर्षित कर दिया मंत्री जी का। आर्डर, आर्डर। भाषण नहीं होगा।

श्री शीशराम ओला : जिस प्रकार का क्वेश्चन था उसका मैंने विस्तृत उत्तर दे दिया। और शंका हो तो किसी अन्य माध्यम से प्रश्न उठाया जा सकता है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न

श्री भैरूसिंह गुजर। श्री गोकुलचन्द्र शर्मा।

राज्य परिवहन निगम द्वारा सिलवासिया से बसों की खरीद

480. **श्री भैरूसिंह गुर्जर** (खारची)

श्री गोकुलचन्द शर्मा (सुमेरपुर) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा वर्ष 1983 के दौरान सिलवासिया से कितनी बसें कब कब खरीदी गई ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री गोकुलचन्द शर्मा)

(2) इन बसों की खरीद के सम्बन्ध किस किस अधिकारी ने सिलवासिया तक किस किस वाहन से यात्रा की ? यात्रा भत्ते पर कुल कितना व्यय हुआ ? कृपया अधिकारियों के यात्रा भत्ते की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) सिलवासिया से बसें किस दर से प्राप्त हुईं एवं उस दौरान राजस्थान में बसें किस दर से उपलब्ध थीं ? कुल बसों की खरीद पर निगम को कितना फायदा हुआ ?

(4) क्या यह सही है कि निगम द्वारा सिलवासिया से बसें खरीद करने पर राजस्थान सरकार को टैक्स नहीं देना पड़ा ? यदि हां, तो इससे निगम को कितना लाभ हुआ ?

राज्य मंत्री यातायात (श्री जयकृष्ण शर्मा) : (1) जी हां। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है (अनुक्रमिका–1)।

(2) चैसिसों के निरीक्षण एवं भुगतान हेतु यात्रा करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को मय यात्रा भत्ते के भुगतान की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है (अनुक्रमिका–2) 4 हजार 48 पैसे का खर्चा हुआ।

(3) सिलवासिया में क्रय किये गये चैसिसों की कीमत व राजस्थान में चैसिसों की खरीद पर निगम को 33,44,704.00 रुपये की बचत हुई है।

(4) जी हां। सिलवासिया से जयपुर तक चैसिस परिवहन करने का व्यय एवं अधिकारियों के यात्रा भत्ते पर व्यय की गई राशि को कम करते हुये 26,54,249.52 रुपये की बचत हुई।

(सूचियों के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें।)

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम तो आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूं कि सिलवासिया से बसें खरीदने का मात्र कारण यह रहा कि गोवा की सरकारी खर्चे पर सैर हो जाय। उसका कारण मंत्री महोदय ने बताया कि सिलवासिया से खरीदने पर हमको टैक्स नहीं देना पड़ा और राजस्थान में टैक्स देना पडता। तो मैं पूछना चाहता हूं कि यह टैक्स किस डिपार्टमेन्ट को देना पड़ता ? आखिर जो टैक्स दिया जाता वह राजस्थान सरकार के पास ही वापिस चला जाता। अध्यक्ष महोदय, वह पैसा राजस्थान सरकार के पास ही रहता। इसके अलावा 33 लाख का फायदा हुआ उसमें से 7 लाख व्यय हो गया।

अध्यक्ष महोदय, नम्बर तीन, यहां पर टाटा की रेट्स उस समय आपने बताई। 1,52,271.49 और उस समय सिलवासिया लीलैंड चैसिस की रेट 1,53,354.00। मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करें कि यह लीलैंड चैसिस में एक हजार ज्यादा देना पड़ा। टाटा चैसिस यदि खरीदा जाता तो खर्चा ज्यादा नहीं होता और राजस्थान में ही बसें उपलब्ध हो जातीं।

23

(श्री भैरूसिंह गुर्जर)

श्री जयकृष्ण शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जानकारी के लिये मैंने पहले ही कह दिया। आपने गोआ जाकर सैर करने की बात कही है उसमें माननीय सदस्य 4214.48 खर्चा हुआ। इसमें वह खर्चा भी शामिल है जो डीजल और उन गाड़ियों को लाने में हुआ? जहां तक टैक्स की बात है। आप हमेशा यह कहते हैं कि कार्पोरेशन एक आटोनामस बाडी है, उसको लाभ-हानि का सोचने का उनको पूरा अधिकार है, इसी लाभ हानि को हिन्दुस्तान के अन्दर लोग सोच रहे थे। यह बात नहीं है कि सिलवासिया से चैसिस लाने की बात केवल राजस्थान परिवहन निगम ने ही सोची हो हिन्दुस्तान भर में यह सोचा गया। कार्पोरेशन के डाइरेक्टर्स ने तय किया। उसके अन्दर मैं कोई आदेश और निर्देश किस तरह से दे सकता था। कार्पोरेशन आटोनामस बाडी है।

इसके अलावा माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि मर्सडीज क्यों नहीं खरीदी गई, ली-लैण्ड क्यों नहीं खरीदी गयी। मैं एक बात कहता हूं कि आप फियेट क्यों खरीदते हैं, अम्बेसेडर क्यों नहीं खरीदते? अलग-अलग गाड़ियों का टाटा मर्सडीज, ली-लैण्ड की रिपेयरिंग का अलग-अलग तरीका होता है, अलग अलग सामान पड़ता है, ड्यूरेबिलिटी अलग होती है, ली-लैण्ड की ड्यूरेबिलिटी कितनी है और टाटा मर्सडीज की ड्यूरेबिलिटी अलग होती है। सिटिंग कैपेसिटी उसकी 57-52 होती है और उसकी 48 होती है, जिसका अन्तर है। ली-लैण्ड की फिलोट को

(12.00 मध्याह्न)

देखते हुए, उन्हीं को देखते हुए उन्हीं के प्रपोर्शन में हमने लीलैण्ड और टाटा खरीदी है। कोई ऐसी अनियमितता इसमें नहीं हुई है। जहां तक खर्चे का सवाल है 4214.84 रु. यात्रा भत्ता पर कोई ज्यादा खर्चा अधिकारियों के जाने पर नहीं हुआ मैं समझता हूं वह बहुत मामूली खर्चा है। इसलिए मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए कह दूं कि यह आटोनामस बोडी होने के नाते लाभ और हानि सोचने का इनको पूरा अधिकार है। आप ही हाउस में कहते रहते हैं कि कार्पोरेशन घाटे में में जा रहा है तब उस समय तो आप इन बातों को ध्यान में नहीं रखते।

श्री भैरूसिंह गुर्जर: अध्यक्ष महोदय, आप बता रहे हैं कि दूसरी स्टेट्स भी वहां से खरीदती हैं, एक स्टेट खड्डे में पड़ गई तो वह कहावत चरितार्थ कर दी कि राजस्थान भी पड़े। यह उसे मानेंगे नहीं। दूसरी बात मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कि आज टाटा का चैसिस कमजोर होता है, सीटें कम होती हैं, ड्यूरेबिलिटी ठीक नहीं होती है, तो आपने अब तक टाटा के चैसिस क्यों खरीदे?

श्री जयकृष्ण शर्मा: यह मेरा प्रश्न नहीं, जैसे आपने इसको तोड़ मरोड़ कर रखा है। मैं यह कहना चाहता हूं, दोनों का अलग-अलग अन्तर होता है, हरएक गाड़ी बिकती है, टाटा और मर्सडीज इनका ही सवाल नहीं है, जितनी भी गाड़ियां इस देश के अन्दर बनती हैं भारतवर्ष में सभी बिकती है। इसलिए टाटा की जगह टाटा की अहमियत है, लीलैण्ड की जगह लीलैण्ड की अहमियत है। मैं

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

लीलैण्ड को टाटा से नहीं जोड़ना चाहता हूं, टाटा को लीलैण्ड से नहीं जोड़ना चाहता हूं। जैसा कीमतों के अन्दर, मैंने आपको कहा, एम्बेसेडर में और फिएट में, दोनों जाती तो उतनी ही हैं, कीमत में क्यों अन्तर है दोनों के अन्दर? यह अन्तर तो कीमतों में रहेगा।

श्री भैरूसिंह गुर्जर : मेरा निवेदन तो यह है कि उनमें अन्तर है तो फिर अन्तर के हिसाब से बसें क्यों खरीदी जाती हैं और एक ही प्रकार की चेसिस क्यों नहीं खरीदी जाती? नम्बर 2, रोडवेज का–

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर। वो कारण बता दिये।

श्री कमलेन्द्र सिंह। कोई नई बात?

श्री कमलेन्द्र सिंह (वल्लभ नगर) : नई बात पूछना चाहता हूं कि यह 26 लाख का जो फायदा बता रहे हैं परिवहन निगम को, तो क्या यह सैल्स टैक्स का फायदा है? यह सैल्स टैक्स की 26 लाख रुपये की कम आय हुई सरकार को। सलवासिया में जो फायदा हुआ। केवल सैल्स टैक्स का फायदा हुआ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : यह नहीं है। आप ही बतला दीजिये, आप ही कह दीजिये कि सरकार के द्वारा यह आदेश या निर्देश दिया जाय कि वह यहां से खरीदें, इस तरह के आदेश दिये जा सकते हैं क्या, जब कि उनका कामर्शियल कार्पोरेशन है। क्या आप यह कह सकते हैं? दूसरी बात यह भी है, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, हिन्दुस्तान भर के लोगों ने क्यों खरीदीं, जहां तक टाटा का सवाल है, कोई जमाना ऐसा था, अब तो छोड़िये, जब उनके पास इतने लिमिटेड सोर्सेज थे देने के, कभी 5 देते थे, कभी दस देते थे, अब तो पांच सौ की जरूरत होती है तो आज ले लो ऐसा, कर दिया, उसकी चेसिस बाजार में बहुतायत से हो गई, कोई जमाना ऐसा था दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह बीस बीस देते थे। नहीं मिल पाती तो उस समय हमको दूसरी प्रकार की भी खरीदनी पड़ती थीं। आप कहते हैं कि सैल्स टैक्स की बचत हुई क्या, मैंने आपको कहा कि....

श्री कमलेन्द्र सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि

श्री जयकृष्ण शर्मा : आपका प्रश्न यह है, आप कहते हैं कि सैल्स टैक्स की बचत हुई क्या? मैंने आपको कहा कि 26 लाख की बचत हुई है। मैंने आपको जानकारी दी, सिलवासिया में सेल्स टैक्स नहीं है, इसलिए वहां खरीदने के लिए गये।

श्री कमलेन्द्र सिंह : मैं इस चीज को मानता हूं कि सैल्स टैक्स नहीं था इसलिए आप वहां पर गये हैं। राजस्थान गवर्नमेन्ट को सैल्स टैक्स का नुकसान हुआ या नहीं हुआ।

श्री जयकृष्ण शर्मा : नुकसान तो हुआ है।

श्री भैरूसिंह गुर्जर : 26 लाख का

(श्री भैंरूसिंह गुर्जर)

नुकसान हुआ और आप बता रहे हैं साढ़े सात लाख उसके अन्दर लगे, परमिट का खर्चा, डीजल का, मेन्टीनेन्स का जो भी खर्चा हुआ, यह सारा खर्चा एक्स्ट्रा हुआ। अगर ये राजस्थान से ही बसें खरीदते तो सैल्स टैक्स हमारे पास रहता और सात लाख का अतिरिक्त खर्चा नहीं होता।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक के रिक्त पद

642. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में प्राथमिक शिक्षा से उच्चतर माध्यमिक शिक्षा तक के विद्यालयों में कितने शिक्षकों के स्थान रिक्त हैं ?

(2) क्या इन रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये शिक्षा विभाग द्वारा नियोजन कार्यालयों को मांग-पत्र भेजे गये हैं ? यदि हां, तो क्या नियोजन कार्यालयों ने अध्यापकों की अनुपलब्धि की असमर्थता व्यक्त की है ?

(3) क्या जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षित अध्यापक जो बेरोजगार हैं उनको सूचीबद्ध किया जाता है ? यदि हां, तो कृपया ऐसे सूचीबद्ध अध्यापकों की जिलेवार संख्या सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य के शिक्षा विभाग में स्वीकृत स्ट्रेन्थ के मुकाबले में कुल 629 शिक्षकों के स्थान वर्तमान में रिक्त हैं।

(2) जी हां, कुछ विषय जैसे कृषि, उर्दू, पंजाबी आदि में अनुपलब्धता व्यक्त की है।

(3) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें।)

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा सीज किया गया ट्रक

643. श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 4-5-1983 को सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी कम्पोजिट चैकिंग पोस्ट मुख्यालय बीकानेर ने ट्रक नं. आर. एस. के. 3434 को गलत ढंग से सीज किया है ?

(2) क्या उक्त अधिकारी ने राजस्थान सैल्स टैक्स नियमों के विपरीत उक्त ड्राइवर के नाम से रसीद काटकर 516.35रु.

(श्रीमती विद्या पाठक)

सैल्स टैक्स व 3323.30 रु. पैनल्टी के रूप में वसूल कर लिए जब कि बाजार खर्च के नाम से सैल्स टैक्स पहले ही दिया जा चुका था ?

(3) क्या यह सही है कि राजस्थान सेल्स टैक्स अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत 1000/–रुपये तक की राशि का जुर्माना किया जा सकता है ? यदि हां, तो इस केस में 3323.30 रुपया क्यों वसूल किया गया ?

(4) क्या उक्त केस की शिकायत राज्य सरकार व संबन्धित उच्च अधिकारियों को अनेकों बार की जा चुकी है ? यदि हां, तो इस केस में राज्य सरकार ने दोषी अधिकारी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

(1) जी नहीं

(2) जी नहीं

बाजार खर्च के नाम से सैल्स टैक्स लेने का कोई प्रावधान नहीं है।

(3) इस मामले में धारा 16 राज. बिक्री कर अधिनियम के तहत जुर्माना नहीं किया गया है बल्कि धारा 22ए (7) के अन्तर्गत शास्ति लगाई गई है जिसमें माल की कीमत के 20 प्रतिशत तक शास्ति आरोपित करने का प्रावधान है।

(4) अभी तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

कस्बा, नगर में उप आगार की स्थापना

642. **श्री मुराद खां** (नगर) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या सरकार अलवर-भरतपुर खेड़ली-पहाड़ी, नदबई-पहाड़ी तथा जयपुर आदि से बस मार्ग के मध्य में स्थित कस्बा नगर में उप-आगार बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं। वर्तमान में नगर कस्बे में 7 वाहनें रात्रि विश्राम करती हैं तथा 7 वाहनें ही वहां से प्रारम्भ होती हैं। अत : केवल 7 वाहनों के संचालन के लिए उप आगार स्थापित करना अनार्थिक है।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 22 मार्च, 1984)

जिला बूंदी में राजस्व भूमि स्थानान्तरण रजिस्ट्रीज पर पाबन्दी

2`6. **श्री गोपाल पचेरवाल** (पाटन) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि जिला बून्दी में राजस्व भूमि स्थानान्तरण सम्बन्धी रजिस्ट्रीज पर जिलाधीश द्वारा पाबन्दी लगाई हुई है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं

अतारांकित प्रश्नोत्तर

ग्राम साकरीया (सांचोर) में भू-आवंटन

807. श्री कनकराज मेहता(सांचोर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि तहसील सांचोर के ग्राम साकरीया में ख. नं. 96, 102 व 105 में 2020 से 2025 तक भूमिहीनों को भू-आवंटन हुआ था व उन्हें कब्जे भी भूमि तरमीम कर दे दी गई थी तथा सनदें भी जारी हो गई थीं ?

(2) क्या ऐसी शिकायत है कि मौजा साकरीया का तरमीम सुदा नक्शा, जिसके जरिए ख. नं. 96, 102 व 105 में आवंटन किया था, गत वर्ष धो डाला गया व पुराने कब्जों के विपरीत नक्शे में नई तरमीम कर दी गई ?

(3) क्या यह सही है कि मौके पर पुराने आवंटी हैं ? यदि हां, तो क्या उन्हें पुराने कब्जों से हटाया जायेगा ?

(4) क्या उक्त तथ्यों की शिकायत जिलाधीश जालौर के पास ग्राम पंचायत द्वारा भेजी गई ? यदि हां, तो आज तक उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

(5) क्या यह सही है कि नई तरमीम जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां। आवंटियों को भूमि से नहीं हटाया जायेगा।

(4) जी हां। जांच की जा रही है।

(5) जी हां।

(6) दोषी व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

तहसील पाली व बाली में पटवारियों की नियुक्ति

808 श्री गोकुल चन्द्र शर्मा (सुमेरपुर) : श्री भैरु सिंह गुर्जर खारची : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में पटवारी (राजस्व) की नियुक्ति की हुई है ? हां, तो तहसील पाली एवं बाली जिला पाली में कहां–कहां कौन–कौन कब से पटवारी नियुक्त हैं ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि संबंधित तहसील के निवासी पटवारी को उसी तहसील में पद स्थापित करने से भेदभावपूर्ण रवैया [illegible]

(श्री गोकुल चन्द्र शर्मा)

के अभाव में इन अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों को आवास व राजस्व रिकार्ड को सुरक्षित रखने में भारी कठिनाई उठानी पड़ती है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार पटवार घरों का निर्माण कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां, सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं। पटवारियों को अपने मूल निवास के ग्राम से काफी दूर के पटवार हल्के में व जिनके विरुद्ध शिकायतें हों अथवा दण्डित किए जाने की कार्यवाही चल रही हो अथवा दण्डित किया गया हो, उन्हें जिले की अन्य तहसील में रखने के राज्य सरकार के आदेश हैं।

(3) पटवार घर के अभाव में पटवारियों को नियमानुसार किराया भत्ता मासिक वेतन के साथ दिया जाता है।

वित्तीय स्थिति के अनुसार समय-समय पर पटवार घर और बनवाये जाते है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें।)

कोटा जिले में निर्धारित लगान दर

809 श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां)

उत्तर

लगान का निर्धारण राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अध्याय 8 के विभिन्न प्रावधानों के तहत दिये गए निर्देशों के अन्तर्गत किया जाता है। कोटा जिले में भी इन्हीं प्रावधानों के आधार पर लगान निर्धारित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा कोटा जिले की तहसील बारां की ही लगान दरें स्वीकृत की गयी हैं जो सम्वत् 2038 से लागू मानी जावेगी। इसके अतिरिक्त जिले की 5 और तहसीलों में विभिन्न स्तर पर पुनः भू-प्रबन्ध की कार्यवाहियां चल रही हैं (लाडपुरा, दीगोद, पीपल्दा, अटरू व मांगरोल) जिनकी बन्दोबस्त अवधि अभी निर्धारित नहीं की गई है।

लगान वसूली उद्देश्य हेतु तहसील बाली का खण्डों में विभाजन

810 श्री असलम खां (बाली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि पाली जिले की तहसील बाली को लगान वसूल करने के उद्देश्य से दो खण्डों में विभाजित किया गया है ? यदि हां, तो ये कौन–कौन से खण्ड हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त विभाजित किए गए खण्डों में मैदानी क्षेत्र के खण्डों में आने वाली खारे व मीठे पानी की भूमि पर लगान एक ही दर से वसूल किया

(श्री राजस्व मंत्री)

(2) जी नहीं। प्रत्येक खण्ड में कुओं द्वारा सिंचित भूमि (चाही) की तीन किस्में निर्धारित की गई हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय। जिन कुओं में खारा पानी है उन्हें चाही प्रथम तथा जिन कुओं में खारा पानी है उन्हें चाही तृतीय में वर्गीकृत किया गया है, जिनकी लगान दरें निम्न प्रकार हैं:—

खण्ड	चाही प्रथम	चाही द्वितीय	चाही तृतीय
मैदानी	41/प्र. हे.	22/प्र. हे.	20/प्र.हे.
पहाड़ी	38/प्र. हे.	28/प्र. हे.	17/प्र.हे.

बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य

811 श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी (जैसलमेर) क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे.—

(1) बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत जैसलमेर जिले के लिए वर्ष 1982–83 व 1983–84 में 'भूमिहीन को भूमि' सूत्र के संदर्भ में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था व कितने परिवारों को अब तक लाभान्वित किया गया और कितनी एकड़ भूमि का आवंटन किया गया ? कृपया ग्रामवार सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत जैसलमेर जिले में 17,330 एकड भूमि-वन विकास चरागाह विकास आदि के लिए नियत की गई थी ? यदि हां, तो उक्त भूमि में से उक्त कार्यक्रमों के तहत कितनी-कितनी व कहां–कहां भूमि दी जा चुकी है? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) सिरोही जिले में सीलिंग भूमि के 8 मामले विचाराधीन हैं, 343 मामलों में न्यायालयों द्वारा 8885 एकड़ भूमि अवाप्ति के आदेश हुए हैं।

(2) जिले में अवाप्त की गई भूमि में से 1910 व्यक्तियों को 7028 एकड़ भूमि आवंटन की गई है।

बारां में सहायक जिलाधीश व मजिस्ट्रेट का वर्ष 1982–83 में रिक्त पद

812. श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बारां में सहायक जिलाधीश व मजिस्ट्रेट प्रथम व द्वितीय का पद कितने समय तक वर्ष 1982–83 में रिक्त रहा ?

(2) जुलाई, 1982 से जनवरी, 1984 तक उपरोक्त दोनों न्यायालयों में कितने दिन अधिकारियों ने कार्य किया ?

(3) क्या बारां में इन न्यायालयों की आवश्यकता नहीं है ?

(4) इन दोनों न्यायालयों में कितने मामले विचाराधीन हैं ?

उत्तर

(1) सहायक जिलाधीश एवं मजिस्ट्रेट प्रथम व द्वितीय का पद वर्ष 82–83 में निम्नांकित दिनांकों में रिक्त रहा :

1– ए. सी. एम. (प्रथम) दिनांक 27.7.82 से 31.3.83 तक

2– सहायक जिलाधीश (द्वितीय) दिनांक 4.7.82 से 31.3.83 तक

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

(2) दिनांक 1.7.82 से 26.7.82 तक तथा 21.6.83 से 19.10.83 तक सहायक जिलाधीश प्रथम ने तथा दिनांक 28 6.83 से 3.12.83 तक सहायक जिलाधीश द्वितीय ने कार्य किया है।

(3) जी नहीं। उक्त दोनों न्यायालयों की आवश्यकता है।

(4) इन दोनों न्यायालयों में निम्न प्रकार प्रकरण विचाराधीन है :—

	फौजदारी	राजस्व	सीलिंग	योग
ए. सी. एम.–1	192	514	123	829
ए. सी. एम.–2	175	862	–	1037

खिरखड़ी (सवाई माधोपुर) खातेदारान की अवाप्त भूमि का मुआवजा

813. श्री चुन्नी लाल (खण्डार) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) श्री रघुनाथ सिंह पुत्र श्री कायम सिंह, श्री तेजसिंह पुत्र श्री कायम सिंह, श्री जगमाल सिंह पुत्र खांगसिंह, श्री बिरजू सिंह पुत्र श्री समन्दर सिंह, श्री कैलाश सिंह पुत्र श्री समन्दर सिंह, श्री रामसिंह पुत्र श्री समन्दर सिंह ग्राम खिरखड़ी तहसील सवाई माधोपुर में उक्त खातेदारान की भूमि सीलिंग एक्ट के अन्तर्गत सन् 1976 में अवाप्त की गई थी ? उक्त खातेदारान को अब तक अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा नहीं दिये जाने के क्या कारण रहे ?

(2) अब राज्य सरकार उक्त खातेदारान को भूमि का मुआवजा कब तक अदा कर देगी ?

(3) उक्त खातेदारान की भूमि अवाप्ति की तारीख से अब तक कितनी किश्तें मुआवजे की बकाया चढ़ चुकी हैं ? क्या राज्य सरकार अब बकाया चढ़ी हुई किश्तों का भुगतान एक मुश्त करने का इरादा रखती है ? अगर हां, तो कब तक ? और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। उक्त खातेदारान द्वारा मुआवजा हेतु क्लेम देरी से प्रस्तुत किया गया। अतः मुआवजा अभी नहीं दिया जा सका।

(2) क्लेम अगर जांच से सही पाया गया तो मुआवजा का भुगतान यथाशीघ्र कर दिया जायेगा।

(3) राजस्थान कृषि भूमि पर अधिकतम सीमा अधिरोपण नियम, 1973 के अनुसार मुआवजे की राशि रुपये 500/ से कम है, तो मुआवजा एक मुश्त में दिया जायेगा। इससे अधिक मुआवजे की राशि होने पर वह निर्धारित किश्तों में देय है। मुआवजे की राशि पर सरप्लस भूमि के समर्पण की तिथि से भुगतान तक ढाई प्रतिशत से देय है।

श्री अग्रसेन प्राथमिक विद्यालय भीलवाड़ा द्वारा निर्माण हेतु भूमि की मांग

814. श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि श्री अग्रसेन प्राथमिक विद्यालय भीलवाड़ा को विद्यालय निर्माण हेतु भूमि की मांग की है ? यदि हां, तो कब ? इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई है ?

(2) उक्त स्कूल के लिए भूमि मांग के अनुसार कब तक मिल जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां । भूमि की मांग दिनांक 1.10.83 को नगर परिषद भीलवाड़ा से की गई है । अग्रसेन विद्यालय ने भूपालगंज क्षेत्र में ही भूमि की मांग की है लेकिन यहां भूमि नहीं है । अन्यत्र उपयुक्त भूमि मिलने पर नियमानुसार आवंटन की कार्यवाही की जावेगी ।

(2) उपयुक्त भूमि उपलब्ध होने पर नियमानुसार आवंटन की कार्यवाही किये जाने के प्रयास किये जावेंगे ।

पं. स. प्रतापगढ़ व अरनोद के ग्रामों का विद्युतीकरण

815. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, प्रतापगढ़ व अरनोद के समस्त गांवों को विद्युतीकृत घोषित कर दिया है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) वर्ष 1980-81 से वर्ष 1983-84 तक उक्त पंचायत समिति क्षेत्र में कितने नवीन गांवों में बिजली पहुंचाई गई है ? कृपया वर्षवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें ।

(3) उक्त दोनों पंचायत समिति के समस्त गांवों में कब तक बिजली पहुंचाने का इरादा है और वर्ष 1984-85 में किन-किन गांवों में बिजली पहुंचा दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) वर्ष 1980–81 से वर्ष 1983–84 तक पंचायत समिति प्रतापगढ़ के 46 गांव एवं पंचायत समिति अरनोद के 24 ग्राम विद्युतीकृत किये गये, जिनका वर्षवार ब्यौरा निम्न प्रकार है :

(ऊर्जा मन्त्री)

स्कीम का नाम	विद्युतीकृत गांवों की संख्या (वर्षवार) 1980-81 1981–82	1982–83	1983–84	योग
(अ) पं. स. प्रतापगढ़				
1. प्रतापगढ़ साउथ –	7	8	5	20
2. प्रतापगढ़ नोर्थ –	19	3	4	26
योग पं. स. प्रतापगढ़ –	26	11	9	46
(ब) पं. स. अरनोद –	5	12	7	24

(3) इन दोनों पंचायत समितियों के समस्त गांवों में बिजली कब तक पहुँचा दी जावेगी इसके बारे में अभी समय बताना सम्भव नहीं है। वर्ष 1984-85 का कार्य-क्रम अभी विचाराधीन है। अतः अभी निश्चित रूप से यह बताना सम्भव नहीं है कि वर्ष 1984–85 में इन पंचायत समितियों के कितने ग्रामों का विद्युतीकरण कर दिया जायेगा।

बरसलपुर शाखा (राजस्थान नहर) का विद्युतीकरण

816. **श्री देवी सिंह भाटी(कोलायत):** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की करेंगे :–

(1) राजस्थान नहर की बरसलपुर शाखा पर किस आर. डी. तक विद्युती-करण पूर्ण कर दिया गया है ?

(2) बरसलपुर शाखा में किस छोर तक विद्युतीकरण करना प्रस्तावित है तथा आखरी छोर पर कब तक विद्युतीकरण कर दिया जावेगा ?

(3) राजस्थान नहर विभाग ने ऊर्जा को किस तिथि को कितनी-कितनी राशि बरसलपुर शाखा पर विद्युतीकरण करने हेतु जमा करवाई है ? क्या शाखा के आखरी छोर तक विद्युतीकरण करने हेतु पूरी राशि नहर विभाग ने जमा करा दी है ? यदि हां, तो इस राशि का कब तक उपयोग कर विद्युतीकरण कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) राजस्थान नहर की बरसलपुर शाखा पर आर. डी. – –0 से 115 आर. डी. तक 11 के. वी. लाइन खींची जाकर निम्न उप केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी है :—

(ऊर्जा मंत्री)

(अ) 859 आर डी. (राज. मुख्य नहर)	1 × 1000	के. वी. ए. 33/11	के.वी.
(ब) 0 आर. डी.	1 × 25	के. वी. ए. 11/4	के.वी.
0 आर. डी.	1 × 63	के. वी. ए. 11/4	के.वी.
(स) 68 आर. डी.	1 × 63	के. वी. ए. 11/.4	के.वी.
(द) 95 आर. डी.	1 × 63	के. वी. ए. 11/.4	के.वी.
(न) 115 आर. डी.	1 × 100	के. वी. ए. 11/.4	के.वी.

(2) बरसलपुर शाखा पर आर. डी. 0 से 115 आर. डी. तक जो कार्य करने के लिए धनराशि विद्युत मण्डल के पास जमा कराई थी वे कार्य नहर विभाग की आवश्यकता के अनुसार पूर्ण कर दिये गये हैं। कनेक्शन लेने की उनके द्वारा आवश्यकता बताये जाने पर उस स्थान पर उप केन्द्र स्थापित कर कनेक्शन दे दिया जाता है।

(3) राजस्थान नहर परियोजना ने विद्युत मण्डल की बरसलपुर शाखा पर विद्युतीकरण कराने हेतु दिनांक 30.1.79 को 12 लाख 66 हजार रुपये जमा करवाये हैं। शाखा के आखरी छोर तक और क्या कार्य करवाया जाना आवश्यक है इसकी जानकारी विद्युत मण्डल को नहीं है।

हिण्डौन विद्युत् खण्ड के हैल्पर का लाइन मैन पद फिक्सेशन

817. **श्री राम किशोर मीणा** (सिकराय): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि विद्युत मण्डल के कोटा सर्किल के कार्मिक अधिकारी द्वारा हिण्डौन खण्ड के एक हैल्पर को अवार्ड का हवाला देकर 1-4-1968 से सीधे ही लाइन मैन (द्वितीय) के पद पर फिक्सेशन कर दिया गया है ?

(2) क्या उक्त व्यक्ति का फिक्सेशन सही है ? यदि हां, तो अब तक उसे बकाया का भुगतान क्यों नहीं किया गया ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त फिक्सेशन आदेश के तहत 1.4.1968 से ही बकाया राशि का बिल बनाया गया है ? यदि हां, तो वह कितनी राशि का है तथा किस अधिकारी के पास है ?

(4) क्या यह सही कि उस आदेश से श्रमिकों में काफी असन्तोष के बावजूद कुछ अधिकारी उक्त हैल्पर को गलत भुगतान करवाने में व्यक्तिगत रुचि ले रहे हैं ? सरकार इस नियम के विरुद्ध कार्य करने वाले दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का इरादा रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं, हिण्डौन खण्ड के एक हैल्पर श्री रामकिशोर का फिक्सेशन कोटा सर्किल के कार्मिक अधिकारी द्वारा नहीं किया गया परन्तु उक्त फिक्सेशन "सिह–

(श्री रामकिशोर मीणा)

संचेती''अवार्ड के अन्तर्गत श्रमिकों के फिक्सेशन के लिए गठित कमेटी द्वारा किया गया था। इस कमेटी द्वारा उक्त हैल्पर का फिक्सेशन अनुमोदित किये जाने पर इसके आदेश कार्मिक अधिकारी (कोटा) वृत्त के हस्ताक्षर से केवल प्रसारित ही किये गये थे।

(2) अवार्ड के प्रावधानों के अनुरूप फिक्सेशन कमेटी द्वारा श्री रामकिशोर सहायक का दिनांक 1.4.1968 से लाइनमेन (द्वितीय) के पद पर किया गया फिक्सेशन सही था। चूंकि कुछ श्रमिक जो श्री रामकिशोर के फिक्सेशन से नाखुश थे, उन्होंने करौली न्यायालय से इस फिक्सेशन पर दिनांक 5.12.81 को निषेधाज्ञा प्राप्त कर ली थी, अतः एतयातन तौर पर केवल श्री रामकिशोर के फिक्सेशन के बकाया भुगतान को रोक दिये जाने के आदेश दिये गये थे। चूंकि फिक्सेशन अवार्ड के अतर्गत-गठित एक वैधानिक कमेटी द्वारा किया गया था, अतः फिक्सेशन आदेश को निरस्त किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अब चूंकि न्यायालय ने वह बाद दिनांक 17.1 84 को खारिज कर दिया है अतः श्री रामकिशोर के बकाया भुगतान कराये जाने की कार्यवाही नियमानुसार को जा रही है।

(3) जी हां, उक्त फिक्सेशन आदेश के तहत सहायक अभियन्ता, करौली ने श्री रामकिशोर के हक में दिनांक 1.4.68 से अब तक का 16,506 रु. का बकाया भुगतान का बिल बनाया है, जिसका भुगतान किये जाने की कार्यवाही के लिए लेखाधिकारी (कोटा वृत्त) के यहां भिजवाया जा रहा है।

(4) जी नहीं। केवल कुछ श्रमिक जो श्री रामकिशोर से नाखुश हैं और फिर न्यायालय के निर्णय से निराश हो गए हैं, इस विषय में अनर्गल प्रचार एवं अफवाह फैला रहे है। चूंकि फिक्सेशन नियमानुसार किया गया है अतः किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के दोषी होने या उनके विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही किए जाने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

चूरू के 25 ग्रामों का विद्युतीकरण

818. श्री भालू खां (चूरू) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार जिला चूरू के निम्न 25 ग्रामों का वर्ष 1984–85 में विद्युतीकरण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

1. पोथीसर 2. कुणसीसर 3. बालरासर 4. दूधवा मीठा 5. रामदेरा 6. रायपुरिया 7. नाकरासर 8. जासासर 9. ढाढरिया चारणान 10. ढाढरिया बणारोतान 11. गेबिया 12. मेरावणसर 13. खण्डवा पटा चूरू 14. खण्डवा पट्टा भारिया 15. खण्डवा पट्टा पीथीसर 16, चावणवासी 17, बिकासी 18, रामपुरा पट्टा भारिया 19, आसल खेडो 20, ढाणी चान्देलान 21, भैरूसर 22, कोटवाद तीन 23, धमेली 24, बास जैसे का 25, ढाणी चारणान

उत्तर

ज़िला चूरू की पंचायत समिति चूरू में नये ग्रामों का विद्युतीकरण करने की कोई योजना स्वीकृत नहीं है। अतः प्रश्न में वर्णित ग्रामों का वर्ष 1984–85 में विद्युतीकरण किया जाना सम्भव नहीं है।

राज्य में संस्कृत परामर्श मण्डल का गठन

819. श्री शिवराम शर्मा (वनीपार्क) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान में सरकार द्वारा संस्कृत परामर्श मंडल का गठन किया हुआ है? यदि हां, तो उसके उद्देश्य एवं कार्य प्रणाली क्या हैं ?

(2) मण्डल की बैठकें प्रति वर्ष कितनी होती हैं और वर्ष 1983-84 में कितनी बैठकें हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) मण्डल के निर्णयों पर क्रियान्वित की क्या स्थिति है ?

(4) क्या मण्डल को सक्रिय बनाने के लिए इसके पुनर्गठन का सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। मण्डल के मुख्य उद्देश्य संस्कृत शिक्षा के विकास एवं योजनाबद्ध विस्तार के लिये राज्य सरकार को समय-समय पर परामर्श देना है।

(2) मण्डल की बैठक वर्ष में कम से कम दो बार आयोजित की जानी चाहिये। किन्हीं कारणों से वर्ष 1983-84 में मण्डल की बैठक आयोजित नहीं हो सकी।

(3) मण्डल द्वारा दिये गये सुझावों पर परीक्षण किया जा रहा है।

(4) जी हां।

राजस्थान विश्वविद्यालय में संस्कृत अध्ययन संकाय

820. श्री शिवराम शर्मा (वनीपार्क) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान विश्वविद्यालय में संस्कृत अध्ययन संकाय कब से कार्यरत है ?

(2) परम्परागत संस्कृत शिक्षण व शोध के स्वतन्त्र विभाग की स्थापना हेतु क्या सिण्डीकेट ने निश्चय किया था ? यदि हां, तो कब ?

(3) इस निश्चय को क्रियान्विति के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) राजस्थान विश्वविद्यालय में संस्कृत अध्ययन संकाय 5 जनवरी, 1971 से कार्यरत है।

(शिक्षा मंत्री)

(2) जी नहीं।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

उपाध्याय व शास्त्री कालेजों के प्राचार्यों के रिक्त पद

821. श्री सूर्य कुमार (नैनवा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

उपाध्याय व शास्त्री कालेजों के प्राचार्यों के पद कहां-कहां कब से खाली हैं और सरकार उन्हें कब तक भरना चाहती है ?

उत्तर

उपाध्याय व शास्त्री कालेजों के प्राचार्यों के निम्नलिखित पद उनके सामने अंकित तिथि से रिक्त हैं :–

1–प्राचार्य, राजकीय संस्कृत कालेज, अलवर (उपाध्याय) 1–1–82

2–प्राचार्य, राजकीय संस्कृत कालेज, नीमकाथाना (उपाध्याय) 29.8.82

3–प्राचार्य, राजकीय सस्कृत कालेज, चिराणा (शास्त्री) 16-12–82

4–प्राचार्य, राजकीय संस्कृत कालेज, नाथद्वारा (उपाध्याय) 4.11.83

उपरोक्त प्राचार्यों के चारों पद सीधी भर्ती से भरे जाने हैं जिनके लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग को अभ्यर्थना भेजी जा चुकी है। आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 7/83–84 द्वारा पद विज्ञापित किये जा चुके हैं व प्रार्थना पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि 6–3–84 थी। आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर नियुक्तियां की जा सकेगी।

जनता उच्च प्राथमिक विद्यालय मदनगंज, अजमेर में वित्तीय अनियमितताएं

822. श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही कि जनता उच्च प्राथमिक विद्यालय, मदनगंज, अजमेर के बारे में वित्तीय अनियमितताओं, गबन, घोटालों एव लेखों की जांच करने हेतु विद्यालय के एक प्रबन्धक श्री बी. एल. शर्मा से शिकायत होने पर जिला शिक्षाधिकारी (पुरुष), अजमेर ने जांच अधिकारी नियुक्त कर जांच के आदेश दिये थे ?

(2) जांच अधिकारी ने कौन-कौन से जांच बिन्दु बनाकर जांच की और उसके क्या परिणाम रहे ? यदि अभी तक जांच पूरी नहीं हुई है, तो कब तक पूरी कर ली जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) लेखा जांच के मुख्य बिन्दु पताका "क" पर उपलब्ध हैं।

(शिक्षा मन्त्री)

जनता उच्च प्राथमिक विद्यालय, अजमेर के लेखों की जांच अवधि 1-4-78 से 31-3-82 तक निदेशालय, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर के सहायक लेखाधिकारी ने की तथा जांच रिपोर्ट के अनुसार कुछ प्रकरण संदिग्ध गबन एवं अन्य अनियमितताओं के पाये गये। निदेशक महोदय ने जांच प्रतिवेदन में दर्शायी गयी कमियों की ओर दिनांक 3-1-83 को सचिव, जनता उच्च प्राथमिक विद्यालय, मदनगंज, अजमेर को नोटिस दिया तथा संस्था द्वारा उक्त रिपोर्ट पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई। जिसके लिये निदेशक महोदय ने संस्था को कारण बताओ नोटिस जारी किया तथा उत्तर प्राप्त नहीं होने पर निदेशक महोदय को संस्था के अनुदान बन्द करने हेतु अनुदान नियम 10 के अन्तर्गत कार्यवाही करने तथा अनुदान सूची से पृथक करने हेतु अपने प्रस्ताव आगामी अनुदान समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये पत्रांक एफ–11 (8) शिक्षा–6/83 दिनांक 14-3-1983 के द्वारा आदेश प्रदान किये। संस्था का अनुदान बन्द करने, अनुदान सूची से पृथक करने तथा गबन सम्बन्धी प्रकरणों की पुलिस में एफ. आई. आर. दर्ज कराने हेतु निदेशक महोदय को आदेश दिये जा चुके हैं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

गांव रामनेर ढाणी (तहसील अजमेर) में नाजायज शराब की बिक्री पर छापा

823. श्री छीतर लाल आर्य (अटरू) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गांव रामनेर की ढाणी तं. अजमेर में आबकारी निरीक्षक अजमेर देहात की पोस्ट खाली होने से जिला आबकारी अधिकारी, अजमेर के आदेश से आबकारी निरीक्षक, किशनगढ़ ने नाजायज शराब की बिक्री के बारे में गत दि. 15-10-81 को छापा मारकर 303 बोतलें जब्त की थीं जिसका आबकारी विभाग अजमेर का प्रकरण सं· 23/81 होकर उनवान राज्य बनाम लक्ष्मीनारायण है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस प्रकरण में अभियुक्त की गिरफ्तारी के विरुद्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट नं. 4 अजमेर एवं सत्र न्यायाधीश अजमेर ने जमानत के प्रार्थनापत्र खारिज कर दिये थे ?

(3) क्या यह भी सही है कि दि. 19-10-81 को जिला आबकारी अधिकारी अजमेर ने दुकान को गांव चान्दियावास में स्थापित करने के विचाराधीन प्रार्थना-पत्र को बैक डेट में अस्थाई स्वीकृति प्रदान कर अभियुक्त का उस दुकान हेतु नौकरनामा मान्य करने के आदेश जारी कर न्यायालय के सम्मुख पैरवी करने वाले अधिकारी को गांव चान्दियावास के तथ्य को छिपाते हुए पत्र लिखा जिसके आधार पर अभियुक्त की जमानत दि. 24-10-81 को स्वीकार की गई ?

(4) क्या इस प्रकरण में आबकारी विभाग अजमेर द्वारा न्यायालय में फाइनल रिपोर्ट [नेगेटिव] प्रस्तुत की जा चुकी है ?

(श्री छीतर लाल आर्य)

यदि हां, तो कृपया उसकी प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां

(2) यह सत्य है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट नं0 4 द्वारा अभियुक्त श्री लक्ष्मीनारायण का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया परन्तु जिला सत्र न्यायाधीश अजमेर द्वारा दि. 24.10 81 को जमानत ले ली गई।

(3) यह सही नहीं है।

(4) इस सम्बन्ध की रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। प्रति संलग्न है। न्यायालय द्वारा अभी कोई फैसला नहीं दिया गया है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखें।)

अजमेर शहर एवं जिले में शराब के लिये अनुज्ञा–पत्र

824. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में शराब बन्दी की नीति समाप्त हो जाने के बाद से अजमेर शहर एवं जिले में अब तक देशी व विदेशी शराब के लिये कितने थोक व खुदरा अनुज्ञा-पत्र किस किस पद्धति से जारी किये गये और इनसे राज्य कोष को प्रत्येक थोक व खुदरा अनुज्ञा-पत्र से कितनी कितनी आय प्राप्त हो चुकी है? और कितनी बकाया है? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इस अवधि में कितनी कितनी थोक व खुदरा दुकानें गंगानगर शुगर मिल्स द्वारा चलाई जानी थीं और कितनी चलाई गई? पूरी दुकानें नहीं चलाने के क्या कारण रहे?

(3) निश्चित संख्या से कम थोक एवं खुदरा दुकानों के टेण्डर प्राप्त होने के बाद उनकी स्वीकृति हो जाने पर पड़त रही दुकानों को कब कब किस किस प्रक्रिया से पुन: नीलाम करने की कार्यवाही की गई? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) राजस्थान में शराब बन्दी नीति समाप्त हो जाने के बाद अजमेर शहर एवं जिले में वर्ष 1981–82 में विदेशी मदिरा के 2 थोक एवं 36 खुदरा दुकानें पुरानें अनुज्ञाधारियों को आफर दी जाकर एवं राजस्थान विदेशी मदिरा (थोक व्यापार तथा खुदरा बहीपान अनुज्ञप्ति प्रदान) नियम, 1972 के तहत अनुज्ञापत्र जारी किये गये। वर्ष 1982–83 में 5 थोक व 31 खुदरा तथा वर्ष 83–84 में 1 थोक एवं 32 खुदरा अनुज्ञापत्र टेण्डर द्वारा एवं नीलामी पद्धति द्वारा जारी किये गये।

(आबकारी मन्त्री)

देशी मदिरा दुकानें

वर्ष 1981–82 में 120 दुकानें नीलामी से तथा वर्ष 1982–83 में 124 दुकानें तथा 1983–84 में 123 दुकानें टेण्डर एवं नीलामी पद्धति से उठाई गई। प्रत्येक थोक एवं खुदरा अनुज्ञापत्र से प्राप्त आय की सूची संलग्न है। (परिशिष्ट 1 से 10)

विदेशी मदिरा की बकाया

वर्ष 1981–82 में कोई बकाया नहीं है। वर्ष 1982–83 में कुल बकाया 61, 617. 44 रुपये रही।

वर्ष 1983–84 में फरवरी, 1984 तक कोई बकाया नहीं रही।

देशी मदिरा की बकाया

वर्ष 1981–82 में 19,48,278.64 रु. बकाया रही।

वर्ष 82–83 में 34870.64 रु. बकाया रही।

वर्ष 83–84 में जनवरी, 84 तक कोई बकाया नहीं है।

2. इस अवधि में जी. एस. एम. को निम्न दुकानें चलानी थीं :—

विदेशी मदिरा

वर्ष	थोक	खुदरा
1981–82	—	2
1982–83	—	12
1983–84	—	—

देशी मदिरा

वर्ष	खुदरा
1981–82	10
1982–83	—
1983–84	—

जी एस एम ने दुकानें निम्न प्रकार चलाई —

विदेशी मदिरा

वर्ष	थोक	खुदरा
1981–82	—	2
1982–83	—	2
1983–84	—	—

देशी मदिरा

वर्ष	खुदरा
1981–82	2
1982–83	—
1983–84	—

(2) वर्ष 1982-83 में जी.एस.एम.को 12 दुकानें चलानी थीं। एक दुकान प्रारम्भ

(आबकारी मन्त्री)

होने पर अन्य दुकानें आरम्भ करने की कार्यवाही चल रही थी। इस बीच न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दिये गये कि जी. एस. एम. द्वारा दुकानें चालू नहीं की जावें। स्थगन आदेश वेकेट होने पर जी. एस. एम. ने केवल एक दुकान और चलाई। बाकी 10 दुकानों की लाइसेन्स फीस जी. एस. एम. द्वारा नहीं जमा कराने के कारण नहीं चली।

देशी मदिरा की बाकी दुकानें "बी" श्रेणी की छोटी होने से जी. एस. एम. द्वारा चालू नहीं की गई जो बाद में नीलामी द्वारा उठा दी गई।

(3) ऐसी दुकानें वर्ष 1981–82 व 1982–83 में कोई नहीं थीं। वर्ष 1983-84 में केवल भारत निर्मित विदेशी मदिरा की 3 थोक दुकानें हैं जिन्हें नीलाम कर उठाने की कार्यवाही निम्न तारीखों में की गई परन्तु अभी तक दुकानें उठी नहीं हैं—

दिनांक :

29–4–83
6–5–83
31–5–83
15–7–83
12–10–83
7–11–83
13–2–84
7–3–84
24–3–84

(सूचियों के लिए कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

सरकारी निगमों, कम्पनियों के कर्मचारियों को बोनस

825. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या राज्य सरकार सरकारी निगमों, कम्पनियों एवं सरकारी सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों को बोनस देने का विचार रखती है? यदि हां, तो वह किस प्रकार, कब से तथा किस ढंग से लागू किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) कौन–कौन सी राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों को कब से बोनस दे रही हैं?

(3) यदि बोनस दिया जायेगा तो उसमें कितना व्यय होने का अनुमान है?

उत्तर

(1) जो निगम/कम्पनियां बोनस एक्ट की परिधि में आते हैं वहां नियमानुसार बोनस देय है। जहां तक सरकारी कर्मचारियों का संबंध है, राज्य सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है क्योंकि सरकारी कार्यालयों में कोई उत्पादन सम्बन्धी कार्य नहीं होता है।

(2) अन्य राज्य सरकारों से सूचना अपेक्षित है।

(वित्त मंत्री)

(3) उपरोक्त एक के अनुसार प्रश्न नहीं उठता ।

रामलीला मैदान (जयपुर) में गणतंत्र मेला प्रदर्शनी

826. श्री मालाराम (खेतड़ी) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि रामलीला मैदान में प्रतिवर्ष लगने वाली गणतन्त्र मेला प्रदर्शनी में सांपों के खेल, स्किल गेम व अन्य तरह के मनोरंजन कार्यक्रम भी होते हैं ? यदि हां, तो क्या उसमें प्रवेश के लिए टिकट व इन मनोरंजन कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए भी टिकट लगाया जाता है ?

(2) ये टिकट किस-किस राशि के होते हैं ओर उन पर मनोरंजन कर का कितना हिस्सा राज्य कोष में पिछले तीन सालों से प्रतिवर्ष वसूला गया है ? कृपया विवरण सदन मेज की पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) विभिन्न कार्यक्रमों के लिए अलग अलग दरें होती हैं, जैसे:—

1. प्रदर्शनी में प्रवेश हेतु 50 पैसे
2. पायल थियेटर में प्रवेश 2/ रु. एवं 3/ रु.
3. सांपों का खेल हेतु 1/ रु.
4. हंसीघर में प्रवेश हेतु 25 पैसे
5. बोलते हुए पुतला देखने हेतु 1/- एवं 2/ रु.
6. हाथ के झूले पर झूलने के 25 पैसे एवं 50 पैसे
7. बिजली के झूले पर झूलने के 1/रु. व 50 पैसे
8. जल पक्षी देखने के 50 पैसे

दिनांक 26.1.81 से 15.3.81 तक आयोजित गणतन्त्र मेला प्रदर्शनी रामलीला मैदान, जयपुर में आयोजित की गई जिसे राज्य सरकार के आदेश द्वारा प्रदर्शनी में प्रवेश, झूला, शार्पिंग गैलरी, सांस्कृतिक कार्यक्रम को मनोरंजन कर से मुक्त किया गया था बशर्ते कि प्रवेश शुल्क की अधिकतम सीमा 15 रुपये से अधिक न हो ।

वर्ष 1982 में रामलीला मैदान-जयपुर में गणतंत्र मेला प्रदर्शनी दिनांक 26 1.82 से 15.3.82 तक आयोजित हुई । राज्य सरकार के आदेश से मेला प्रदर्शनी में प्रवेश व अन्य जैसे मिनी थियेटर, कठपुतली का प्रदर्शन, चमत्कार घर, हंसी घर, झूला, मौत का कुआं, सांस्कृतिक कार्यक्रम नंदन कला के आयोजन को मनोरंजन कर से मुक्त किया ।

वर्ष 1982 में राज्य सरकार ने एक विज्ञप्ति जारी कर संगीत नाटक आदि कई प्रकार के कार्यक्रमों को मनोरजन कर से मुक्त कर दिया । उस विज्ञप्ति के अधीन यह प्रदर्शनी स्वतः ही कर मुक्त हो गई । अतः कोई मनोरंजन कर वसूल नहीं हुआ ।

समाज कल्याण विभाग के छात्रावास में रह रहे छात्रों को छात्रवृत्ति

827. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा):

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि समाज कल्याण विभाग के छात्रावासों में रह रहे छात्रों की छात्रवृत्ति एवं अन्य सुविधाओं में वृद्धि का सरकार ने आश्वासन दिया था ?

(2) क्या उक्त छात्रवृत्ति में वृद्धि कर दी गई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो कब तक कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) विधान सभा के बजट सत्र में उप मंत्री, समाज कल्याण विभाग द्वारा छात्रों को भोजन-वस्त्र आदि के लिए दी जाने वाली राशि को बढ़ाने के लिए प्रयत्न करने हेतु कहा गया था।

(2) राशि में वृद्धि हेतु राज्य सरकार विचार करेगी।

कुशलगढ़ क्षेत्र में आदिवासियों के लिए छात्रावास

828. **श्री फतेसिंह** (कुशलगढ़) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ क्षेत्र में समाज कल्याण विभाग की ओर से आदिवासियों के लिए कितने छात्रावास चलाये जा रहे हैं ? कृपया स्थान की सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र में 'अ' श्रेणी के कितने छात्रावास गत वर्ष तक चल रहे थे व इस वर्ष कितने नये खोले गये हैं ?

(3) क्या आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के कारण सरकार वहां छात्रावास में लड़कों की संख्या बढ़ाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितनी–कितनी व कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि कुशलगढ़ छात्रावास के विद्यार्थियों को वर्दी, जूते अभी तक नहीं दिये गये है ? यदि हां, तो क्यों ? अब कब तक लड़कों को वर्दी व जूते दिलाये जावेंगे ? नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या इन छात्रावासों में अनियमितता किये जाने की शिकायतों की सरकार शीघ्र जांच कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ क्षेत्र में समाज कल्याण विभाग की ओर से आदिवासियों के लिए चलाये जा रहे छात्रावासों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) उक्त क्षेत्र में 'अ' श्रेणी के निम्न छात्रावास गत वर्ष तक चल रहे थे—

1. राजकीय छात्रावास (छात्र) कुशलगढ़।

2. राजकीय छात्रावास (छात्रा) कुशलगढ़

इस वर्ष [वर्ष 83–84] में निम्न 'अ' श्रेणी के छात्रावास खोले गये—

(समाज कल्याण मन्त्री)

1. राजकीय छात्रावास [छात्र] छोटा सरवा

2. राजकीय छात्रावास [छात्र] छोटी डूगरा

(3) जी नहीं। क्योंकि बांसवाड़ा जिले के अन्य छात्रावासों में स्थान रिक्त रहते हैं जहां प्रवेश प्राप्त हो सकता है।

(4) जी नहीं। छात्रों को वस्त्र उपलब्ध करा दिए गये हैं।

(5) कुशलगढ़ छात्रावास (बालक) के तत्कालीन कार्यवाहक सहायक अधीक्षक के बारे में छात्रों ने शिकायत की थी जिसे निलम्बित कर अन्य व्यवस्था कर दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

भीलवाड़ा जिले में वृद्धावस्था पेंशन

829. **श्री बंसीलाल पटवा** (भीलवाड़ा) :क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भीलवाड़ा नगर व जिले में कितने व्यक्तियों को वर्ष 1981-82, 1982-83 तथा 1983-84 में वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत की गई ?

(2) वर्तमान में उक्त जिले में कितने व्यक्तियों के आवेदन पेंडिंग हैं तथा उक्त अवधि में कितने आवेदन निरस्त किये गये ?

कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिलाधीश, भीलवाड़ा की सूचना के अनुसार भीलवाड़ा नगर व जिले में 1391 व्यक्तियों को वर्ष 1981-82, 1982-83 तथा 1983-84 में वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत की गई।

(2) वर्तमान में उक्त जिले में 15 व्यक्तियों के आवेदन जांच हेतु पेन्डिग हैं। तथा इस उपरोक्त अवधि में नियमानुसार नहीं होने के कारण 184 आवेदनपत्र निरस्त किये गये।

अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को सहकारी एवं भूमि विकास बैंक से ऋण

830. **श्री जगदीश प्रसाद तिवाडी** (वस्सी) :क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को केन्द्रीय सहकारी बैंक एवं भूमि विकास बैंक से मध्य अवधि व दीर्घ अवधि के ऋण उपलब्ध कराने के लिये उन्हें इन बैंकों के समस्य बनने व हिस्सा राशि के लिये 4 प्रतिशत व्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है जब कि अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को 500/-रु. तक का अनुदान दिया जाता हैं। यदि हां, तो अनुसूचित जन जाति को अनुदान एवं अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को ऋण क्यों ?

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)

(2) क्या राज्य सरकार अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को भी अनुसूचित जन-जाति के व्यक्तियों की तरह हिस्सा राशि के लिये अनुदान देने के बारे में विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, क्योंकि पूर्व के नियम इसी प्रकार के हैं।

(2) ऐसा अभी विचार नहीं हैं।

पंचायत समिति देसूरी मारवाड़ जंक्शन में वृद्धावस्था व विकलांग पेन्शन

831. श्री भैरूंसिह गुर्जर (खारची): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिले की पंचायत समिति रानी, देसूरी व मारवाड़ जंक्शन में जून, 1980 से फरवरी, 1984 तक वृद्धावस्था व विकलांगता पेन्शन कितने लोगों को दी गई ? नाम व ग्रामवार सूची कृपया सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जिलाधीश पाली की सूचना के अनुसार पाली जिले की पंचायत समिति रानी, देसूरी तथा मारवाड़ जंक्शन में जून, 80 से फरवरी, 84 तक 301 वृद्धावस्था पेन्शन तथा 27 विकलांग पेन्शन स्वीकृत की गई। नाम व ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

माडा योजना (सवाई माधोपुर) में कुओं, एनीकटों पर मरम्मत कार्य

832: श्री हंसराज शर्मा (सवाईमाधोपुर) : क्या जन जाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि माडा योजना के अन्तर्गत जिला सवाई माधोपुर में कुओं, तालाबों, स्कूलों, एनीकटों आदि का काम कराया गया है ? यदि हां, तो यह बताया जावे कि अब तक योजना चालू होने के बाद कितने-कितने कामों की मंजूरी देकर काम कराया गया है ?

(2) जनवरी, 1984 तक कुल कितने काम पूर्ण हो गये हैं, कितने अपूर्ण हैं तथा उन पर अब तक कुल कितनी राशि खर्च की जा चुकी है ?

(3) माडा योजना में अब तक बनाये गए नये कुओं में से कितने पूर्ण कर दिए गये और पानी आ गया तथा कितने अधूरे है अथवा पानी नहीं मिला ?

(4) क्या यह भी सही है कि जो काम पूर्ण हो गये है उनके उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हो गए हैं ? यदि हां, तो किस पंचायत समिति द्वारा कितने-कितने उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेजे गए ?

उत्तर

(1) जी हां। 448 कुएं, 2 तालाब, 89 स्कूल, 13 एनीकट, 7 आश्रम स्कूल व 144 हैण्ड पम्प की मंजूरी दी गई है।

(मंत्री जन जाति क्षेत्रीय विकास)

(2) जनवरी, 84 तक 239 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, व 464 कार्य अपूर्ण हैं। अब तक इन पर 101.76 लाख रुपये व्यय किए जा चुके हैं।

(3) अब तक 136 कुएं पूर्ण हो गए हैं, उनमें पानी आ गया है, तथा 312 कुए अपूर्ण हैं।

(4) जी हां। 10 पंचायत समितियों में पूर्ण 239 कार्यों में 8 पंचायत समितियों ने 42 के उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजे हैं :–

पंचायत समिति	पूर्ण कार्य	पूर्ण कार्यों के प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र
1.	2.	3.
स. माधापुर	20	1
बौंली	13	8
गंगापुर	21	2
बामनवास	43	16
नादोती	7	1
करौली	66	1
सपोटरा	21	—
हिण्डोन	29	12
महुवा	11	1
टोडाभीम	8	—
	239	42

उपयोजना क्षेत्र के आदिवासियों को कोर बजट से आवंटित राशि

833. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़) क्या जन जाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि उपयोजना क्षेत्र में आदिवासियों को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाने के लिए आयुक्त, जन जाति विकास विभाग द्वारा कोर बजट से राशि आवंटित की जाती है? यदि हां, तो वर्ष 1982-83 एवं 1983-84 में कितना बजट प्रावधान था और किस–किस तहसीलों में किन-किन कार्यों के लिए कितनी राशि व्यय की गई? कृपया वर्षवार एवं कार्यवार ब्यौरा सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

जी हां। वर्ष 82–83 में 81,97,000 रुपये व 1983–84 में 22,26,000 रुपये का बजट प्रावधान था।

राशि जिला विकास अभिकरणों को स्वीकृत की जाती है, तहसीलों को नहीं। जिन कार्यों के लिए राशि स्वीकृत की गई है, उनका कार्यवार वर्षवार व जिले वार ब्यौरा सदन के पटल पर रख दिया गया है। परिशिष्ट 'अ'

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

ट्राइबल विकास निगम (उदयपुर) की आदिवासियों के हितार्थ योजनाएं

834. श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (सराड़ा): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान ट्राइबल एरिया डवलपमेंट कोआपरेटिव कार्पोरेशन लि., उदयपुर द्वारा वर्ष 1982-83 में आदिवासियों के हितों की क्या क्या योजनाएँ कितनी कितनी राशि को क्रियान्वित की और उनसे आदिवासी किस तरह लाभान्वित हुए ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) 1983-84 में कौन कौन सी योजनाएं पूरी हुई ? वर्तमान में क्या क्या योजनाएं चालू हैं और 1984-85 के लिये क्या क्या योजनायें प्रस्तावित हैं ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ लि., उदयपुर द्वारा वर्ष 1982-83 में आदिवासियों के हितों के लिए खाद, बीज, कीटनाशक औषधियां, उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण, लघुवन उपज संग्रह, कृषि उपज संग्रह, सामाजिक कार्यों के लिए उपभोक्ता ऋण, मत्स्य विपणन, बीड़ी निर्माण योजनाएं क्रियान्वित की गई। इन योजनाओं पर व्यय की गई राशि एवं लाभान्वित आदिवासियों की संख्या सदन के पटल पर रख दी गई है। परिशिष्ट "अ"।

(2) वर्ष 1983-84 में खाद, बीज, कीटनाशक औषधियों का वितरण, उपभोक्ता सामग्री का वितरण, लघुवन उपज सग्रह, कृषि उपज संग्रह, सामाजिक कार्यों हेतु उपभोक्ता ऋण वितरण, मत्स्य आखेट एवं विपणन, विभेदी ब्याज दर योजना एवं ग्राम साख योजना चालू है। तथा इनके अतिरिक्त रतनजोत योजना, दुर्घटना बीमा योजना, मत्स्य जाल उद्योग, ग्रामीण आवासीय आदि नई योजनाओं को अन्तिम रूप देकर प्रारम्भ कर दिया गया है। वर्ष 1984-85 के लिये साबुन उत्पादन उद्योग दरी पट्टी उद्योग, रेशम का धागा बनाने का उद्योग, हाथ करघा एवं बुनकर सहकारी समिति इकाई, खनिज सम्पदा पर आधारित सहकारी समितियां, मोमबत्ती, लकड़ी के खिलौने, ईंट, चूना, खाद्य तेलों तथा साबुन निर्माण की स्थापना आदि योजनाएं प्रस्तावित हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 15 देखें)

जयपुर में मान सरोवर आवासीय योजना

835. श्री रामकंवार बैरवा (फागी): क्या आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर में मानसरोवर योजना में प्रस्तावित 40 हजार मकानों के लिये कितने व्यक्तियों ने पंजीकरण करवाया है ?

(2) इन आवेदकों को कितनी अवधि में मकान मिल सकेंगे ?

(श्री रामकंवार बैरवा)

(3) प्रस्तावित मकान स्वतंत्र होंगे या फ्लेट टाइप ?

(4) क्या सांसदों व विधायकों के लिये अलग कालोनी बनाया जाना प्रस्तावित है ?

उत्तर

(1) जयपुर में अलग से मान सरोवर योजना नाम से 40,000 मकानों के पंजीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं था।

(2) जयपुर शहर के आवेदकों को मान सरोवर नामक योजना में 3-4 वर्ष में मकान मिल सकने की संभावना है।

(3) दोनों ही प्रकार के होंगे।

(4) जी हां।

आवासन मण्डल के अजमेर डिवीजन क्षेत्र में पंजीकरण

836 **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान आवासन मण्डल के अजमेर स्थित डिविजन के क्षेत्राधिकार में किस-किस वर्ग के कितने-कितने प्रार्थना-पत्र मकान आवंटित किये जाने के लिये अब तक पंजीकृत किये गये और कितनी-कितनी पंजीकरण राशि कब कब जमा हुई ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) अजमेर डिविजन में आवासन-मण्डल द्वारा इन प्रार्थना पत्रों के अनुसार आवंटित करने हेतु कौन कौन सी योजना कहां कहां पर चालू करना प्रस्तावित किया गया है और उसे कब तक पूरा किये जाने की योजनायें बनाई गई हैं ?

उत्तर

(1) वांछित विवरण परिशिष्ट "ए" पर उपलब्ध है।

(2) अजमेर डिविजन में आनासागर सरक्यूलर रोड, वैशाली नगर, धोलाभाटा, अजय नगर एवं शास्त्री नगर योजनाएं अजमेर शहर में बनाई गई हैं तथा नाका मदार योजना एवं धोला भाटा विस्तार योजना का कार्य चालू है। किशनगढ़ में योजना प्रारम्भ की जा चुकी है तथा ब्यावर में इस वित्तीय वर्ष में निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा। मण्डल की ओर से सभी योजनाओं को शीघ्र पूरी करने का प्रयास किया जायेगा।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 16 देखें)

भरतपुर शहर के लिए अल्प एवं मध्यम आय वर्ग हेतु आवासीय योजना

837. **श्री राजबहादुर** (भरतपुर) : क्या आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या भरतपुर शहर के लिए अल्प एवं मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए कोई आवासन योजना स्वीकृत की गई है ? यदि हां, तो क्या ? विवरण सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या भरतपुर शहर व उनके आसपास की कच्ची बस्तियों के स्थान पर कोई आवासन योजना सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है ?

उत्तर

(1) जी हां । भरतपुर शहर की कृष्णा नगर योजना में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के 164 व मध्यम आय वर्ग के 65 मकानों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है ।

(2) जी नहीं ।

राज्य मन्त्रिमण्डल सदस्यों को आवासन मण्डल द्वारा आवंटित मकान

838. श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद): क्या आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा वर्ष 1982-83 एवं 1983-84 में राज्य मंत्रिमंडल के किन किन सदस्यों एवं उनके परिवार के सदस्यों को जवाहर नगर, जयपुर में कितनी कितनी कीमत के व साइज के मकान आवंटित किए गए ?

(2) क्या यह सही है कि मंत्रियों को मकानों के आवंटन सम्बन्धी सामान्य नियमों के अन्तर्गत ही आवंटित किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 82-83 में कोई मकान आवंटन नहीं किया गया । वर्ष 83-84 में श्री दुलाराम एवं श्री छोगाराम बंकोलिया को अनुसूचित जाति का सदस्य होने के कारण आवंटन किया गया है जो कि मंत्री मण्डल के सदस्य हैं, श्री दुलाराम के मकान की कीमत 240830.22 है तथा साइज 585.44 वर्ग मीटर है । श्री छोगाराम को आवंटित उच्च आय वर्ग का मकान नं० 4त8 अभी अपूर्ण है ।

(2) जी, हां ।

डग व भवानी मण्डी रोडवेज बस स्टेण्ड पर यात्रियों हेतु आवश्यक व्यवस्था

839. श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि झालावाड़, डग व भवानी मंडी के रोडवेज बस स्टेण्ड पर यात्रियों की सुविधा के लिए पेशाबघर, पीने के पानी तथा छाया की व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बस स्टेण्ड पर उक्त सुविधायें उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं । झालावाड़ बस स्टेण्ड पर यात्रियों की सुविधा के लिए शौचालय/मूत्रालय, प्याऊ व यात्री प्रतिक्षालय आदि की समुचित व्यवस्था है । डग व भवानी-मण्डी में निगम निर्मित बस स्टेण्ड नहीं है । इन स्थानों पर निगम द्वारा किराये पर कमरा लिया जाकर वाहनों को बुक किया जाता है । इन स्थानों पर गर्मी के मौसम में जनता जल सेवा समिति द्वारा प्याऊ खोली हुई है तथा पास ही सार्वजनिक मूत्रालय भी है ।

संसाधनों के अभाववश निगम द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जिन स्थानों पर निगम के बस स्टेण्ड नहीं है उन स्थामों पर स्थानीय नगर पालिका/पंचायत बस स्टेण्ड उपलब्ध करा दे तो निगम नियमा-

(यातायात मन्त्री)

नुसार किराया भुगतान करने को तैयार है।

इस सम्बन्ध में स्थानीय संस्थाओं से प्रस्ताव प्राप्त होने अपेक्षित है।

ग्राम सेवकों को पदोन्नति हेतु नियुक्त विभागीय समिति

840. **श्री हीरा लाल आर्य** (पीपल्दा) एवं **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) : क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सेवकों को पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की मीटिंग पिछले कई वर्षों से नहीं हुई है? यदि हां, तो कब से तथा क्यों ?

(2) क्या सरकार ग्राम सेवकों की पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की मीटिंग आयोजित करने की व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

(1) ग्राम सेवकों की वरिष्ठता सूची बनाने तथा विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक बुलाने के सम्बन्ध में कई व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक 1965 से नहीं बुलाई जा सकी।

(2) जी हां।

जिला जैसलमेर में 'गरीब को छप्पर' योजना के लक्ष्य

841. **श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी** (जैसलमेर) : क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बतादे की कृपा करेंगे :—

बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत जैसलमेर जिले के लिये वर्ष 1982-83, 1983-84 में 'गरीब को छप्पर' योजना के क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये थे व क्या क्या उपलब्धियां अर्जित की चुकी हैं? कृपया विगतवार सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) जैसलमेर जिले में 'गरीब को छप्पर' योजना में भू-खण्ड आवंटन एवं ग्रामीण गृह निर्माण के लक्ष्य एवं उपलब्धि वर्ष 1982-83 एवं 1983-84 निम्न प्रकार रही है :—

	वर्ष 82-83		वर्ष 1983-84	
	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति
भू-खण्ड आवंटन	1000	1327	1000	1046
ग्रामीण गृह निर्माण	160	160	460	331

विगतवार सूची सदन के पटल पर रखदी गई हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 17 देखें)

ग्राम पं. लाखना (सांगानेर) के सरपंच के विरुद्ध शिकायतें

842. **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर) क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सच हैं कि सरपंच ग्राम पंचायत लाखना पंचायत समिति सांगानेर, जिला जयपुर के विरुद्ध काम के बदले अनाज की योजना वर्ष 1978-79 में अनेक गम्भीर अनियमितताएं विभिन्न जांच अधिकारियों की जांच रिपोर्ट में सही पाई गयी हैं ?

(2) यदि हां, तो जांच अधिकारी धर्मसिंह मीणा की जांच रिपोर्ट दिनांक 19-10-79 श्री सुधीर भार्गव की जांच रिपोर्ट माह अप्रेल सन् 1981 तथा ए. ई.एन.सी. डी जयपुर की मूल्याकन जांच रिपोर्ट दिनांक 15-12-79 की प्रतियां सदन के पटल पर रखें । उक्त जाच रिपोर्टों के आधार पर सरपंच का निष्कासन करने हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गई तथा सरपंच से दुरुपयोग एवं गबन की गई राशि, अनाज व सीमेंट की वसूली की गई है ?

(3) यदि नहीं, तो सरपंच के विरूद्ध कार्यवाही तथा अन्तिम निर्णय अभी तक क्यों नहीं किया गया और सरकार के पास सन् 1981 से विचाराधीन पत्रावली का अब कब तक निर्णय कर दिया जयेगा ?

(4) क्या यह भी सही है कि जिलाधीश जयपुर के आदेश से दि. 9-9-83 को सांगानेर थाने में नाथूलाल सरपंच ग्राम पंचायत लाखना के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी ? प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(5) सरपंच के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? और क्या इस केस का चालान कोर्ट में पेश किया गया है ?

(6) उक्त सरपंच को कब तक निष्कासित कर दिया जायेगा ? तथा अब तक क्यों नहीं कार्यवाही की गई ?

उत्तर

[1] जी हां ।

[2] जांच अधिकारी धर्मसिंह मीना द्वारा की गयी प्राथमिक जांच दिनांक 19-10-79 श्री सुधीर भार्गव, उप जिलाधीश, जयपुर की विस्तृत जांच रिपोट माह अप्रेल, 1981 एवं ए. ई. एन. [सी. डी.] जयपुर की मूल्यांकन जांच रिपोर्ट दिनांक 15.12.79 की प्रतियां सदन के पटल पर रख दी गई हैं । यह मामला अब राज्य सरकार के समक्ष सुनवाई में चल रहा है । सुनवाई की आगामी तारीख 21.5.84 निश्चित है । वसूली की कार्यवाही जिलाधीश, जयपुर के यहां चल रही है ।

[3] मामला सुनवाई में चल रहा है । आगामी तारीख 21.5.84 निश्चित है । निर्णय शीघ्र किया जायेगा ।

[4] जी हां । प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है ।

[ ] पुलिस द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है । चालान कोर्ट मे अभी तक पेश नहीं किया गया ।

(6) मामला सुनवाई में चल रहा है । आगामी तारीख 21.5.84 निश्चित है ।

(जांच रिपोर्ट के लिये कृपया परिशिष्ट 18 देखें)

कोटा के प्राथमिक विद्यालयों में भवनों का अभाव

843. श्री हरीश शर्मा [रामगंज मण्डी]

श्री गोपाल पचेरवाल [पाटन]

श्री बालचन्द्र आर्यवीर [डग]: क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

कोटा जिले में कितने प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जिनके स्वयं के भवन नहीं हैं? क्या सरकार, ऐसे विद्यालयों को भवन बनाकर देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) कोटा जिले की पंचायत समितियों में 190 प्राथमिक विद्यालयों के स्वयं के भवन नहीं हैं। विद्यालयों के लिये पर्याप्त स्थान एवं भवन की व्यवस्था जनता/पंचायत/पंचायत समिति द्वारा की जाती है।

पंचायत समितियों द्वारा दो लाख रुपये तक के निर्माण कार्य

845. श्री हंसराज शर्मा [सवाई माधोपुर]

श्री कुंजीलाल [वामन वास] : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

[1] क्या यह सही है कि 2 लाख रुपये तक के सभी निर्माण कार्य पंचायत समितियों के माध्यम से कराने का आदेश प्रसारित किया गया था? यदि हां, तो कब तथा किस के द्वारा?

[2] क्या यह भी सही है कि उपरोक्त आदेशों के अन्तर्गत सभी विभागों द्वारा 2 लाख रुपये तक के काम पंचायत समितियों को दे दिये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों? और हां, तो किस किस विभाग द्वारा किस किस पंचायत समिति को काम दिया गया?

[3] वर्ष 1983 में किस किस विभाग के 2 लाख तक के निर्माण कार्य संबंधित पंचायत समिति द्वारा कराये गये? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) विभिन्न पंचायत समितियों के क्षेत्रों में 2.00 लाख रुपये तक की लागत वाले निम्न प्रकार के भवनों का निर्माण कार्य सम्बन्धित पंचायत समिति द्वारा करवाये जाने के आदेश दिनांक 1. 5. 82 को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्रसारित किये गये थे :—

1. नई प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शालाओं के भवन एवं कमरे।

2. पटवार घर।

3. पंचायत भवन।

4. स्वास्थ्य उप केन्द्र।

5. पंचायत मुख्यालयों को जोड़ने वाली छोटी सड़कें व पुलिया।

(52)

(ग्रामीण विकास एव पंचायती राज्यमन्त्री)

(2) 18 जिलो से प्राप्त सूचना के अनुसार किसी भी विभाग द्वारा अभी तक किसी भी कार्य के लिए किसी भी पंचायत समिति को कोई राशि हस्तान्तरित नहीं की गई है। शेष जिलों से सूचना प्राप्त की जा रही है। दिनांक 1.5.82 के बाद विभिन्न विभागों द्वारा 2.00 लाख रुपयों तक की लागत वाले करवाये गये कार्यों का विवरण एवं उनको सम्बन्धित पंचायत समिति के द्वारा नहीं करवाये जाने के कारणों की सूचना सम्बन्धित विभागों से प्राप्त की जा रही है।

(3) 18 जिलों से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 1983 में किसी भी विभाग के 2.00 लाख रुपये तक के निर्माण कार्य सम्बन्धित पंचायत समिति द्वारा नहीं करवाये गये हैं।

ग्राम पंचायतों का परिसीमन

846. श्री घनश्याम तिवाड़ी [सीकर]: क्या पचायत राज्य मत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

[1] वर्तमान ग्राम पंचायतों का परि-सीमन कब हुआ था तथा इसका आधार क्या था ?

(2) क्या सरकार अब पंचायत का पुन: परिसीमन करने का विचार रखती हैं ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्तमान ग्राम पंचायतों का परि-सीमन 1960 में हुआ था। परिसीमन का आधार निम्न प्रकार था :-

1) जिन ग्रामों की जनसंख्या 1500 या उससे अधिक थी, उनमें प्रत्येक के लिए अलग अलग पंचायत का गठन किया गया था।

2) 1500 या कम जनसंख्या वाले ग्रामों को मिलाकर पंचायत का गठन किया गया। इस सम्बन्ध में यह सिद्धान्त अपनाया गया कि ऐसी पंचायतों की जनसंख्या 2000 से अधिक तथा साधारणतया 1500 से कम नहीं होनी चाहिये। ऐसे ग्रामों को मिलाते समय निम्न बातों का ध्यान रखा गया था :

(अ) ऐसे गांव एक ही पंचायत समिति क्षेत्र में होने चाहिये।

(ब) जहां तक सम्भव हो ऐसे समस्त गांवों का एक ही पटवार सर्किल होना चाहिये।

(स) जहां तक सम्भव हो ऐसे मामलों में समस्त गांव पास पास होने चाहिये।

(द) जहां ऐसे मिलाये जाने वाले गांव पास पास नहीं हों, और प्रशासनिक दृष्टि से उन गांवों को एक समूह में मिलाया जाना सम्भव नहीं होता हो, ऐसे मामलों में 1500 से कम जनसंख्या पर भी पंचायत का गठन किया जा सकता था

(पंचायत राज्य मंत्री)

किन्तु यह बहुत ही विशेष परिस्थितियों में किया जाना था और ऐसी पंचायत का गठन करते समय उन विशेष कारणों को अंकित किया जाना आवश्यक था।

(2) फिलहाल पुनः परिसीमन का कोई विचार नहीं है।

पंचायत समितियों में कार्यरत अस्थायी अध्यापक

847. **श्री भरोसी** (हिन्डौन)

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) : क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान में कुल कितने अस्थाई अध्यापक हैं जिन्हें हर साल नियुक्ति दी जाती है तथा गर्मी की छुट्टियों में हटा दिया जाता है ?

(2) पंचायत समिति इटावा में कार्यरत अध्यापकों का सूची मय नाम, पता सहित नियुक्ति दिनांक, हटाने के दिनांक आदि सहित सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या सरकार ऐसे अस्थाई अध्यापकों, जिनको कार्य करते हुए कई वर्ष हो गये हैं, को स्थायी नियुक्ति देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) 24 जिलों से प्राप्त सूचना के अनुसार गत शिक्षा सत्र के पश्चात् 8677 अस्थाई अध्यापकों को ग्रीष्म अवकाश में हटाया गया था। शेष तीन जिलों (बांसवाड़ा, चूरू व झुन्झुनू) से सूचना एकत्रित की जा रही है।

(2) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं।

ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के कनिष्ठ अभियन्ता

848. **श्री हरीश शर्मा** (रामगंज मंडी)

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन)

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) : क्या पंचायत एवं विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज्य विभाग में ऐसे कितने कनिष्ठ अभियन्ता हैं जो स्वयं विकास विभाग द्वारा नियुक्त किये गये हैं तथा इनमें से कितने रूरल हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत किए गये थे और कितने बाद में ?

(2) क्या यह सही है कि इन अभियन्ताओं का वर्ष 1976 का वेतन निर्धारण विकास विभाग द्वारा किया गया था परन्तु 1983 का (1-9-81 से लागू) वेतन निर्धारण नहीं किया जा रहा है ?

(८५)

(श्री बालचन्द आर्यवीर)

यदि हां, तो क्यों और अब कब तक कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में ऐसे 18 कनिष्ठ अभियन्ता है जो स्वयं विकास विभाग द्वारा नियुक्त किये गये हैं। इनमें से 6 कनिष्ठ अभियन्ता रूरल हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत नियुक्त हैं और 12 कनिष्ठ अभियन्ता "काम के बदले अनाज" योजना के अन्तर्गत नियुक्त हैं।

(2) जी हां। यह सही है कि रूरल हाउसिंग स्कीम के कनिष्ठ अभियन्ताओं का 1976 का वेतन निर्धारण विकास विभाग द्वारा किया गया था। परन्तु 1.9.81 में वेतन निर्धारण हेतु रूरल हाउसिंग स्कीम एवं "काम के बदले अनाज "योजना में नियुक्त कनिष्ठ अभियन्ताओं के लिए अभी आदेश नहीं हुए हैं। जो वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर जारी कर दिये जावेंगे एवं तत्पश्चात वेतन निर्धारण कर दिया जावेगा।

बड़गांव बन्ध (उदयपुर) का ठेका

849. **श्री गुलाब चंद कटारिया** (उदयपुर)

श्री बालचंद्र आर्यवीर (डग)

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन): क्या मत्स्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1979-80 में बड़गाव बन्ध जिला उदयपुर, का ठेका 35,000 रु. में हुआ था ?

(2) क्या इसी बड़गांव बन्ध को जिला चित्तौड़ में दिखा कर दिसम्बर, 80 में मात्र 1,000 रु. में ठेका दे दिया गया ? यदि हां तो क्यों व किस अधिकारी द्वारा ?

(3) इस अनियमितता के लिये दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1978–80 में रुपये 30700/– में ठेका दिया गया था।

(2) जी नहीं।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

जिला चित्तौड़गढ़ में मत्स्य तालाबों से आय

850. **श्री शोभराज मल** (चित्तौड़गढ़)

श्री घनश्याम जैन [बिगू] : क्या मत्स्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चित्तौड़गढ़ जिले में ऐसे कितने तालाब हैं जिनसे मत्स्य विभाग को आय होती हो ? वर्ष 1983–84 में कितनी आय

(श्री शोभराजमल)

अर्जित की गयी ? कृपया पूर्ण ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिये चित्तौड़गढ़ जिले में कोई नयी योजनाएं हैं ? यदि हां, तो कब तक उन्हें आरम्भ कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) चित्तौड़गढ़ जिले में करीब 20 जलाशय ऐसे हैं जिनसे मत्स्य विभाग को आय होती है। वर्ष 1983-84 में रुपये 7,79,886/- की आय हुई है जिसका ब्यौरा सदन की मेज पर रख दिया है।

(2) जी हां। शीघ्र आरम्भ किया जावेगा।

(ब्यौरे के लिए कृपया परिशिष्ट 20 देखें।)

प्रशासनिक अधिकारी द्वारा अपने पद का दुरुपयोग

851. **श्री रामलाल (उनियारा)** : क्या खेल-कूद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है। कि राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के वर्तमान में कार्यरत प्रशासनिक अधिकारी ने अपने पद का दुरुपयोग कर कई अनियमित कार्य किये हैं व इनके बारे में तथा इनकी शैक्षणिक योग्यता एवं आयु बाबत वर्ष 1978-79 व 1980-81 में ऑडिट आब्जेक्शन भी हुए ? यदि हां, तो क्या-क्या और सरकार ने इनके संबंध में प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब सरकार कब तक कार्यवाही कर इन्हें सेवा मुक्त कर देगी ?

(2) क्या यह भी सही है कि वर्तमान प्रशासनिक अधिकारी को आयु एवं शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने हेतु खेल प्रशासन ने मौखिक व लिखित रूप में आदेश जारी किये ? यदि प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये गये हैं तो उनकी प्रति सदन को मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। परिषद द्वारा 8.5.62 को इन्हें परिषद का रेकार्ड अन्य व्यक्तियों को दिये जाने के लिए चेतावनी दी गई। सन 1979 में इन्हें छठे आबू पर्वत प्रशिक्षण शिविर के दौरान 610.90 रुपये अनियमित भुगतान करने के कारण परिषद द्वारा निलंबित किया गया। बाद में इन्हें राशि जमा करा देने के पश्चात परिषद द्वारा गंभीर चेतावनी दी जाकर बहाल किया गया।

जन्म तिथि का प्रमाण-पत्र नहीं होने के बारे के महालेखाकार द्वारा एतराज उठाया गया था। चूंकि इनको अनियमितता की सजा परिषद द्वारा दी जा चुकी है इन अनियमितताओं के लिये इन्हें सेवा निवृत्त किये जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

(2) जी हां। परिषद द्वारा आयु एवं शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने

(राज्य मंत्री, खेलकूद)

के लिये अनेक बार इन्हें पत्र लिखे गये और कारण बताओ नोटिस भी दिया गया है। आयु के बारे में प्रमाण स्वरूप अधिकारी महोदय ने उनके चाचा द्वारा दिया गया हलफनामा एवं ग्राम पंचायत, बोबास (जयपुर) द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जिसकी प्रतियाँ सदन की मेज पर रख दी गई हैं। शैक्षणिक योग्यता के बारे में कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(प्रतियों के लिए कृपया परिशिष्ट 21 देखें)

प्रदेश के पंचायत कार्यालय

540. **श्री छीतर लाल आर्य** (अटरू) : क्या पंचायत राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान की कुल कितनी ग्राम पंचायतों के कार्यालय पूरी तरह अपने स्वयं के भवनों में चल रहे हैं, कितने पूरी तरह किराये के भवनों में चल रहे हैं और कितने आंशिक स्वयं के व आंशिक किराये के भवनों में चल रहे हैं? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(1) क्या राज्य सरकार ने सब पंचायतों, जिनके अपने भवन नहीं हैं, के स्वय के भवन निर्माण कराये जाने के बारे में कोई योजना बनाई है? यदि हां, तो अब कब तक यह योजना पूर्ण करवा दी जायेगी? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में 5490 पंचायतों के कार्यालय पूरी तरह अपने स्वयं के भवनों में, 996 पचायतों के कार्यालय पूरी तरह किराये के भवनों में तथा 563 पंचायतों के कार्यालय आंशिक रूप से स्वयं के व आंशिक रूप से किराये के भवनों में चल रहे हैं। विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 22 देखें।)

विकास अधिकारियों द्वारा पंचायतों का निरीक्षण

542. **श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी** (बस्सी) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या पंचायतों के निरीक्षण करने का विकास अधिकारियों को अधिकार है? यदि हां, तो किस-किस विकास अधिकारी ने वर्ष 1980-81, 81-82 व 82-83 में कितनी पंचायतों का निरीक्षण किया? पंचायत समितिवार व वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम,

(पंचायत मंत्री)

1959 की धारा 27 की उपधारा 1 के खण्ड (ठ) एवं (ढ) के अनुसार विकास अधिकारी को पंचायतों का निरीक्षण करने का अधिकार है। विकास अधिकारियों द्वारा वर्ष 1980-81, 1981-82 व 1982-83 में किये गये पंचायतों के निरीक्षण की पंचायत समितिवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 25 देखें)

स्थगित प्रश्न
(दिनांक 3 अप्रेल, 1984)

प्रदेश में निलम्बित किये सरपंच

568. श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान की विभिन्न विकास पंचायतों के किन-किन सरपंचों को वर्ष 1981 से लेकर आज तक किन-किन कारणों से निलम्बित किया गया ?

(2) जिन सरपंचों को निलम्बित किया गया उनमें कितने ऐसे हैं जिन्हें फिर से बहाल कर दिया गया ?

(3) कितने ऐसे सरपंच हैं जिन्हें शो काज नोटिस दिये और उनके जवाब की अवधि समाप्त हुए बिना ही निलम्बित कर दिये गये ?

(4) कितने सरपंचों के विरुद्ध जांच के मामले चल रहे हैं ?

(5) कितने ऐसे सरपंच हैं जो निलंबन के बाद अदालतों से स्थगन आदेश ले आये ?

(6) स्थगन आदेश लाने के बाद भी कितने ऐसे हैं जिन्हें सरपंच के पद पर कार्य करने के रोके रखा गया या सम्बन्धित अधिकारी ने कार्य करने के आदेश नहीं निकाले ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। 150 निलम्बन हुए हैं।

(2) निलम्बित किये गये सरपंचों में से 46 सरपंचों को बहाल कर दिया गया है।

(3) सभी मामलों में निलम्बन के आदेश उसी दिन जारी किये गये हैं जिस दिन उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किये गये हैं।

(4) 1869 सरपंचों व भूतपूर्व सरपंचों के विरुद्ध धारा 17 (4) राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 के अन्तर्गत प्रारम्भिक जांच की पूर्ति के बाद की कार्यवाही विचाराधीन है। प्रारम्भिक जांच के विचाराधीन मामलों की सूचना एकत्रित की जा रही है।

(5) 27 सरपंच निलम्बन के बाद अदालतों से स्थगन आदेश ले आये है।

(58)

(पंचायत राज्यमंत्री)

(6) ऐसा कोई मामला नहीं है जिसमें स्थगन आदेश लाने के बाद भी सरपंच को अपने पद का कार्य करने से रोके रखा गया है अथवा सम्बन्धित अधिकारी ने स्थगन आदेश की पालना नहीं की है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 23 देखें)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

1. श्री मेघराज तावड़, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के सेवा मुक्त एवं निलम्बित कर्मचारियों द्वारा किये जा रहे आन्दोलन के विषय में।

2. श्री कुंजीलाल सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला सवाई माधोपुर की गंगापुर नगरपालिका क्षेत्र की आवासीय भूमि राजस्व विभाग द्वारा अनियमित तरीके से पंचायत समिति को दिये जाने के विषय में।

3. श्री कमलेन्द्रसिंह : सदस्य विधान सभा की ओर से उदयपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लि. के एक कार्यवाहक सचिव द्वारा अनियमित कार्यवाही करने के विषय में,

4. श्री अनंगकुमार जैन व श्री बालचन्द्र आर्यवीर : सदस्य, विधान सभा की ओर से गत वर्ष हायर सैकण्डरी स्कूल, झालरा पाटन के लिए राज्य कोश से रकम उठा लेने के बावजूद 28 हजार रुपये का फर्नीचर स्कूल में न लाने के विषय में,

5. श्री हंसराज शर्मा व श्री चुन्नीलाल जेलिया : सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम पचायत बोंली जिला सवाई माधोपुर में अनुसूचित जाति के लोगों द्वारा बनाये गये मकानों को सरपंच द्वारा तोड़े जाने के विषय में,

6. श्री छीतरलाल आर्य : सदस्य विधान सभा की ओर से पंचायत समिति अटरू जिला कोटा की अटरू पंचायत ग्रुप सचिव द्वारा 3 हजार रुपये के गबन के विषय में,

7. श्री दाऊदयाल जोशी : सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 14 मार्च को गांधी नगर, जयपुर निवासी श्री राजेश गोयल के घर से गायब होने के विषय में,

8. श्री देवीसिंह भाटी : सदस्य, विधान सभा की ओर से बीकानेर शहर में निर्माणाधीन सीवर लाइन के कार्य में ठेकेदार द्वारा लापरवाही बरतने के विषय म,

9. श्री बंसीलाल पटवा : सदस्य, विधान सभा की ओर से भीलवाड़ा व चित्तौड़गड़ जिले के मेजा फीडर व मातृकुण्डिया प्रोजेक्ट के स्टोर से सीमेन्ट के कट्टे गायब होने के विषय में,

10. श्री घनश्याम तिवाड़ी : सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन द्वारा आज से सांकेतिक धरना प्रारम्भ करने के विषय में,

(श्री अध्यक्ष)

11. श्री गुलाबचन्द कटारिया : सदस्य, विधान सभा की ओर से श्रीमती आशा दर्जी निवासी-गढ़ी परतापुर जिला बांसवाडा की हत्या के विषय में,

12. श्री जीतमल जैन : सदस्य, विधान सभा की ओर से केला देवी मन्दिर के ट्रस्ट द्वारा निर्मित दुकानों व चबूतरे को जिला प्रशासन द्वारा तोड़ने के विषय में,

13. श्रीमती उजला अरोड़ा : सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर स्थित फ्लाइंग क्लब बंद होने से छात्रों का प्रशिक्षण रुक जाने के विषय में,

14. श्री कैलाश मेघवाल : सदस्य, विधान सभा की ओर से अजमेर नगर परिषद की सफाई व्यवस्था ठप्प हो जाने के विषय में,

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा ।

15. श्री हरीश शर्मा : सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटा स्थित हनुमानजी के गोदावरी धाम के पास गटर का पानी भर जाने के विषय में,

पूर्व में इसी विषय पर माननीय सदस्य का एक स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जिस पर प्राप्त जानकारी अधूरी होने से इस पर पूरी विस्तृत जानकारी मंगवाई जा रही है ।

16. श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : सदस्य, विधान सभा की ओर से चम्बल क्षेत्रीय परियोजना के मजदूरों को राजस्थान नहर में रोजगार न देने के विषय में ।

यह विषय पूर्व में सदन में उठाया जा चुका है और इस पर चर्चा हो चुकी है । अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं ।

निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से तथ्यात्मक सूचना प्राप्त हुई है ।

1. श्रीमती उजला अरोड़ा : जयपुर में स्थित भानपुर कलां के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में अव्यवस्था ।

सरकार ने सूचित किया है कि उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर शिकायतें प्राप्त होने पर डाक्टरों की व्यवस्था की गई । फिर भी वहां दो डाक्टरों को स्थानान्तरित करके उनके स्थान पर अन्य डाक्टरों को लगा दिया गया है ।

2. श्री अनंग कुमार जैन. सहकारी उपभोक्ता संघ, भवानी मण्डी, जिला झालावाड़ के क्रय-विक्रय भण्डार में आवश्यकता से अधिक कपड़ा खरीद कर रख लेना ।

सरकार ने सूचित किया है कि मांग से ज्यादा अनियमित कपड़ा खरीदने के विषय में जांच करने के लिये संयुक्त रजिस्ट्रार, कोटा को निर्देश दिये जा चुके हैं ।

3. श्रीमती विद्या पाठक : राजस्थान स्टेट औद्योगिक सहकारी बैंक में घोटाले व रिकार्ड की हेरा-फेरी ।

सरकार ने अपने उत्तर में बताया है कि कुछ मामलों में गबन व अनियमिततायें पाई गई हैं और उनमें आवश्यक कार्यवाही की गई है । रिजर्व बैंक से इस बैंक को कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है ।

(श्री अध्यक्ष)

4. सर्व श्री हंसराज शर्मा, चुन्नीलाल जेलिया व कुन्जीलाल : सवाई माधोपुर जिले में लगने वाले परिवार नियोजन शिविर में लापरवाही बरतने के विषय में

सरकार ने सूचित किया है कि जिन मामलों में आपरेशन के दौरान मृत्यु हुई उनमें डाक्टरों की लापरवाही नहीं पाई गई।

5. श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष नगरपालिका, बून्दी द्वारा दिये गये त्यागपत्र को स्वीकार न करना।

इस विषय में कुछ कानूनी मुद्दे निहित हैं।

6. श्री हरीश शर्मा : कोटा जिले की पंचायत समिति अन्ता के अन्तर्गत काचरी लिफ्ट योजना का वर्क आर्डर जारी न करना।

सरकार ने सूचित किया है कि केंद्रीय जल आयोग व योजना आयोग की स्वीकृति आने पर तथा बजट आने के बाद कार्य प्रारम्भ करना सम्भव हो सकेगा।

अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्रीमती उजला अरोड़ा : भानपुर कला प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सा केंद्र के बारे में।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, भानपुरा प्राथमिक चिकित्सा स्वास्थ्य केन्द्र के बारे में मैंने जो स्थगन प्रस्ताव दिया था उसके बाद में मन्त्री महोदय ने वहां पर जो डैपूटेशन पर डाक्टर्स बुलाये गये थे उनसे एक तो मजीठिया साहब ने और दूसरे मंत्री महोदय ने हटा कर दूसरे डाक्टर्स लगा दिए। अब मेरा काम हो गया है। बस इतना ही निवेदन करना है।

श्री अध्यक्ष : श्री अनंगकुमार जैन। सहकारी उपभोक्ता संघ में अनियमितता के बारे में। इसमें संयुक्त रजिस्ट्रार कोश जांच कर रहे हैं इसलिए मेरे ख्याल से तो मामला समाप्त हो जाता है क्योंकि इसमें जांच हो रही है अतः यह मामला अब सबज्यूडिश हो गया है। इस प्रकरण को समाप्त किया जाय।

श्री हरीश शर्मा : अध्यक्ष महोदय

[व्यवधान]

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें। मैं आपको अवसर दूंगा।

श्रीमती विद्या पाठक
(अनुपस्थित)

श्री हंसराज शर्मा।

सवाई माधोपुर जिले में लगने वाले परिवार नियोजन शिविर में कुछ महिलाओं की मृत्यु के बारे में।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, सवाई माधोपुर जिले में परिवार नियोजन के कार्यक्रमों में महिलाओं की एक के बाद एक लगातार मृत्यु हुई है। मैं उस संदर्भ में सरकार से कुछ निवेदन करना चाहूँगा। अध्यक्ष महोदय, इस क्षेत्र में सवाई माधोपुर जिले मे जो परिवार नियोजन के आपरेशन हो रहे हैं उसमें पिछले दिनों एक के बाद एक करके पांच महिलाओं की मृत्यु हो गई।

(श्री हंसराज शर्मा)

अध्यक्ष महोदय, जब इस बात की जानकारी की तो मालूम हुआ कि ग्राम पंचायत बोली के ग्राम मलाता में एक महिला की मृत्यु हो गयी। उस महिला की मृत्यु होने के बाद उसी स्थान पर डाक्टर लोग छोड़कर भाग गये डाक्टर्स ने यह तक भी नहीं बताया कि महिला की मृत्यु हो गई है। अध्यक्ष महोदय, जब वहां से डाक्टर्स लोग भाग गये तो फिर बाद मे वहां के जन प्रतिनिधियों ने उस काम को सम्भाला और सम्भालने के बाद में जब डाक्टरों को बुलाने के लिए कहा तो वहां पर उस मरी हुई महिला का पोस्ट मार्टम भी नहीं किया गया। वहां के जन प्रतिनिधियों ने उसके दुखी परिवार को पांच हजार रुपया दिया। उस महिला को जला दिया गया। उसके एक दो दिन बाद ही, अध्यक्ष महोदय, ग्राम भगवतगढ में एक महिला की मृत्यु हो गई जिसकी उम्र करीब 26–27 साल थी। अध्यक्ष महोदय आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि जिस समय उस महिला की मृत्यु हुई उसके बाद भी वहां पर जो लोग थे उनको नहीं बताया गया और यह कहा कि हम इस महिला को सवाई माधोपुर ले जाना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, वहां पर बाकी महिलायें, जिनका कि आपरेशन होना था, लेटी हुई थीं, उनको छोडकर उस मरी हुई महिला को गाड़ी में पटक कर डाक्टर सवाई माधोपुर ले गए और वहां ले जा कर सवाई माधोपुर में यह कह दिया कि यह तो महिला मर चुकी। अध्यक्ष महोदय, सच तो यह है कि वह तो आलरेडी मरी हुई थी। वहां पर जब लोगों ने इस लापरवाही की तरफ ध्यान आकर्षित किया तो वहां के जिलाधीश ने और डाक्टर्स ने मिलकर उस महिला का पोस्टमार्टम किया नहीं। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि उस महिला की मृत्यु हुई उसका पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया? इसका कारण क्या था? पर डाक्टरों की गलती छुपाने के लिए वहां पर उसका पोस्टमार्टम नहीं किया गया इस प्रकार उसकी मृत्यु कैसे हुई इसका पता नहीं लग सका। इसके अलावा उस महिला की मृत्यु के कारणों को छिपाते रहे। मैं राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार वहां पर एक के बाद एक महिलाओं की मृत्यु हो रही है। वहां जो महिलायें मर गयी हैं उनके किसी भी परिवार को एक भी पैसा नहीं दिया गया।

उस महिला का एक चार महीने का बच्चा है जो तड़फ रहा है पर कोई सुनने वाला नहीं है। वहां पर पंचायत समिति ने अपनी तरफ से उस गरीब महिला के परिवार वालों को पांच हजार रुपये दिये। तो, अध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि साधारण से एक्सीडेन्ट में किसी की मृत्यु हो जाती है तो सरकार दस, पन्द्रह हजार रुपये तक दे देती है तो ऐसी नौजवान मौतों में जो कि राष्ट्रीय अभियान के कार्यक्रमों के अन्तर्गत हो गई है क्या पांच हजार रुपये देकर ही सन्तोष कर लेंगे आप? अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं जब किसी महिला का आपरेशन किया जाता है तो उसको कार्बन डाई आक्साईड देना चाहिये, पर वहां उन महिलाओं को आपरेशन के पहले कार्बन डाई आक्साइड नहीं दिया गया वहां पर एक थैली योनि

(श्री हंसराज शर्मा)

में डाल दी जाती है, फिर उसको पम्प किया जाता है और बच्चेदानी को दबाते हैं, इससे पेट फूलता है। कार्बन डाई आक्साइड दी जाती है तो गैस में मिल जाती है पर वह नहीं होने से बहुत परेशानी होती है। उसके अलावा उनके पास एक्सकोप के एक दो ही यन्त्र है इसको अगर किसी तरल पदार्थ में डालते हैं तो उसमें आसानी रहती है। यह चालीस मिनट तक रहता है पर चूंकि वह एक दो ही होते हैं। अतः वहां पर बिना पूरी सामग्री के आपरेशन किये जाते हैं जिनके कारण वहां पर मृत्यु लगातार हो रही है अध्यक्ष महोदय, जिस तरह सन् 76-77 में पुरुषों के आपरेशन के लिये इमर्जेंसी मे भीड़की भीड़ खड़ी रहती थी उसी तरह अब वहां पर महिलाओं के आपरेशन कर रहे है। वहां तो दबा-दबा कर पेट काटने का काम किया जा रहा है। न तो उनका ब्लड टैस्ट किया जाता है, न ही उनका यूरीन टैस्ट किया जाता है न ही किसी के अगर हार्ट की बीमारी होती है तो उसको ध्यान मे रखा जाता है। बिना टैस्ट के ही आपरेशन किये जा रहे हैं और डाक्टर लोग वहां पर इस अभियान के अन्तर्गत हत्यायें कर रहे है। तो मेरा निवेदन है कि यह तो अपने डाक्टर्स की गलती मान नहीं रहे है आपसे मेरा निवेदन है और मैं सरकार से मांग करता हूं कि यह राष्ट्रीय अभियान जो आपका परिवार नियोजन का है अगर इस तरह हुआ तो यह अभियान राजस्थान में सफल न होगा और यह फेल हो जायेगा। इसलिए सवाई माधोपुर जिले में आप अपने लक्ष्य जो पूरे करने की सोच रहे हैं वह तो पूरे होंगे नहीं। जो आपरेशन में महिलाओं की मृत्यु हुई है वह डाक्टर्स की लापरवाही से मृत्यु हुई, उन पांच कैसेज में से एक भी महिला का पोस्टमार्टम नहीं हुआ और एक भी मेडिकल रिपोर्ट आपके पास नही। अगर आपके पास हो तो आप बता दें अन्यथा जिन डाक्टर्स की लापरवाही से उन महिलाओं की मृत्यु हुई है उसके विरुद्ध आप एक्शन लें और बतावें कि उन महिलाओं की मृत्यु कैसे हो गयी, क्या कारण थे और उन लाशों को आपने क्यों जला दिया? इसकी आप जांच करावें, एक्शन लें आप कमीशन बैठावें और जांच करा कर के दोषी लोगों को सजा दीजिये। इसके अलावा महिलाओं, जिनकी मृत्यु हो गयी है, उन के परिवार को कम से कम 40 हजार या पचास हजार की राशि दिलायी जाये ताकि उनके परिवार का पालन हो सके। बस यही निवेदन करना है।

श्री अध्यक्ष : श्री गोपाल पचेरवाल (अनुपस्थित)

श्री हरीश शर्मा

श्री भैरोंसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

व्यवस्था का प्रश्न

हां पक्ष की लोबी में से कागज गायब

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें इसका व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री भैरुंसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि कल जब यूनिवर्सिटी वाला बिल चल रहा था उस समय आपने विचार विमर्श करने के लिए हां पक्ष के सदस्यों को ना पक्ष की लाबी में और ना पक्ष के सदस्यों को हां पक्ष की लाबी में भेजा था। उस समय विपक्ष के कुछ माननीय सदस्य जब हां पक्ष की लाबी में गये तो वहां पर जो हमारे कागजात टाइप करता है टाइपिस्ट उसको तो वहां से बाहर निकाल दिया था। उस समय विपक्ष के माननीय सदस्य मेरे टाइप किये हुए कागज तो ले ही गये साथ ही जो मूल कागज थे वह भी ले गये। अध्यक्ष महोदय, उनके नहीं मिलने के कारण मैं बहुत परेशान हूं। वह कागज बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो मेरा यह निवेदन है कि आप विपक्ष के माननीय सदस्यों को इसके लिए प्रताड़ना दें और मेरे कागज जिस किसी माननीय सदस्य के पास हों उनसे मुझको दिलायें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रताड़ना तो आपने उन माननीय सदस्यों को बोल कर सुना दी। अब किसी माननीय सदस्य के पास इनके कागज हों तो दे दें।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, इनके कागजात किस बारे में थे यह बता दें तो हम उनको ढूंढें। क्या किसी को ठेका दिलाने का था या कोई सोसायटी में गबन का था या कोई दुकान दिलाने का था।

श्री भैरुंसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, इन लोगों के भ्रष्टाचार की शिकायतों के बारे में थे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर-आर्डर।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, एक कागज तो मुझे मिला था वह कोई सुखलाल सेणचा के खिलाफ प्राईमाफेसी केस के बारे में, एक महिला का रेप करने के विषय में, कार्यवाही के बारे में है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर-आर्डर। इस विषय पर चर्चा नहीं होगी। सदन में बिना किसी पूर्व सूचना दिए किसी विषय पर चर्चा नहीं हो सकती है। मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करूंगा कि अगर उनके कागज किसी के पास हों तो दे दें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कोई सोसाइटी के गबन के बारे में था या कोई दुकान दिलाने के लिए था?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर-आर्डर। जन प्रतिनिधियों के पास कई तरह के कागज होते हैं इसमें सभी तरह के कागज हो सकते हैं।

आर्डर-आर्डर।

(व्यवधान)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मंडी) : अध्यक्ष महोदय, कोटा जिले की पंचायत समिति अन्ता के अन्तर्गत काचरी लिफ्ट योजना का कार्य होने के लिए टेण्डर हो चुके हैं पर अभी तक उनको वर्क आर्डर नहीं दिया जा रहा है और राजनैतिक कारणों से उनको दबाया जा रहा है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं चाहूंगा कि इस योजना जल्दी से जल्दी शुरु करायी जाय।

(श्री हरीश शर्मा)

इसको राजनैतिक कारणों से पूरा नहीं होने देने के लिए देर की की जा रही है। यह जल्दी से जल्दी पूरी करायी जाय, यह मेरा निवेदन है।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा मेरा निवेदन है कि यह बड़ा गम्भीर मामला है कोटा का। यह इतना आवश्यक हो गया है कि सदन को इसके ऊपर गम्भीरता से विचार करना ही पड़ेगा क्योंकि गत रामनवमी पर जब जगतगुरु शंकराचार्य कोटा पधारे थे वहां हजारों श्रद्धालु भक्तगन उनके प्रवचन सुनने को आये तो वहां गटर के पानी की सड़ांध बहुत थी....

श्री अध्यक्ष : जो सरकार से सूचना आई थी वह अपूर्ण थी। आज ही मैंने विस्तृत जानकारी मंगाई है। मेरी कोशिश होगी कि आपकी संतुष्टि हो। जब उत्तर आयेगा मैं आपसे चर्चा करूंगा।

श्री हरीश शर्मा : वहां के अधिकारी पंजाबियों को रखना नही चाहते, यह सवाल हो गया है। वहां पर यह निर्णय किया गया है कि गटर के पानी को नहीं रोकेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वह हिन्दू नहीं हूं जो....

श्री अध्यक्ष : अब मूल प्रश्न को टालने की कोशिश की जा रही है, इसमें विस्तृत जानकारी आज से ही दुबारा मंगाई है, यह मैं आपसे निवेदन कर दूं। ऐसी आशंका हुई कि मूल प्रश्न को टाल देना चाहते हैं उस स्थिति में मैंने दुबारा जानकारी मंगवाई है।

श्री हरीश शर्मा : वहां स्थिति खराब है। मैं बता दूं इंदिरा गांधी को कि वहां मस्जिद निर्माण के लिए पैसे दिये....

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : अधिकारी लोग वहां मदद नहीं करते हैं। वह लोग वहां समस्या बढ़ा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : मेरा निवेदन है कि जो उन्होंने उत्तर भेजा है उसमे मैं संतुष्ट नहीं हुआ। उसमें जो मूल प्रश्न था उसको टाला जा रहा था इसलिए मैंने यह जो मूल समस्या है इसके बारे मे दुबारा क्वेरी की है, दुबारा सूचना मंगवाई है।

श्री हरीश शर्मा : यह विधान सभा चलेगी तब तक जवाब नहीं आयेगा....

श्री अध्यक्ष : जवाब मंगवाया गया है। मैंने दुबारा ताकीद की है। आज यह प्रश्न आया था उन्होंने उत्तर दे दिया उसमे दुबारा ताकीद की है। इसी सदन में, इसी सत्र में आयेगा।

श्री हरीश शर्मा : धन्यवाद।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो इतना निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने जिस समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया है और आपने राज्य सरकार से जानकारी चाही है उसमें इतना हो गया है कि काम बहुत कुछ हो गया है। जो गटर का पानी जिस जगह जाना है, केवल आर. ए. सी. के वहां के व्यक्ति परमिशन नहीं दे रहे हैं। आप राज्य सरकार को इस बात के लिए कहिए कि

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

वह परमिशन दे। नहीं तो वहां इतनी बड़ी हानि खड़ी हो जायेगी, साम्प्रदायिक सद्भावना खतम हो जायेगी। राज्य सरकार को लेने के देने पड़ जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : जैसा मैंने निवेदन किया, सरकार ने उत्तर भेजा वह अपूर्ण था। मुझे कुछ ऐसा लगा कि मूल जो प्रश्न है उसमे हटकर जवाब भेजा जा रहा है। इसलिए मैंने मुद्दे के सवाल लिखकर जानकारी मंगवाई है।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। प्रक्रिया के नियम 121 के अन्तर्गत श्री हेमाराम चौधरी, बाड़मेर में अकाल की स्थिति।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

बाड़मेर जिले में सम्वत 2040 में अकाल से प्रभावित गांवों को अकाल ग्रस्त घोषित नहीं करना

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से....

श्री अध्यक्ष : आज कुछ समय की बचत करनी है हमें इसलिए संक्षेप में बोलें।

श्री हेमाराम चौधरी : बाड़मेर जिले के अकाल से प्रभावित गांवों में सरकार द्वारा अभी तक केवल राजस्व वसूली को छोड़कर बाकी अन्य किसी प्रकार की वसूली स्थगित नहीं किये जाने एवम् राहत कार्य नहीं खोलने और गत वर्षों के अकाल राहत के ऊपर लगाये गये श्रमिकों को उनकी मजदूरी का भी अभी तक भुगतान नहीं किये जाने के बारे में ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, सरकार ने बाड़मेर जिले कर 116 गांवों को अकाल ग्रस्त घोषित तो कर दिया है, लेकिन क्या उन गांवों को अकाल ग्रस्त घोषित कर देने मात्र से ही उन गांवों की अकाल से प्रभावित जनता को कोई राहत पहुँची है ? इसी बारे में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले वर्षों, गत तीन-चार-पाँच सालों से लगातार राजस्थान में अकाल पड़े हैं और बाड़मेर जिला भी प्रभावित हुआ है। इन गत वर्षों में ही नहीं इससे पहले भी अनेकों बार राजस्थान में अकाल से गांव प्रभावित हुए हैं। कभी बहुत कम गांव प्रभावित हुए और कभी पूरा राजस्थान अकाल से प्रभावित हुआ। लेकिन जब पूरा राजस्थान अकाल से प्रभावित होता है उस समय सरकार के पास सीमित साधन होते हुए भी सरकार अकाल से प्रभावित जनसंख्या को राहत कार्य खुलवा कर रोजगार उपलब्ध कराकर के भूख से मरने से बचाने की व्यवस्था करती है। अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि इस साल राजस्थान में बहुत कम गांवों में अकाल है। बाड़मेर जिले में जहां 900 गांव हैं, उनमें से 116 गाव ही अकाल से प्रभावित हुए हैं जब कि पिछले वर्ष सभी गांव अकाल से प्रभावित थे। उस समय अकाल राहत कार्य खोलकर वहां की जनता को राहत पहुंचाई गई, लेकिन इस समय जब 116 गांव ही अकाल से प्रभावित हुए, फिर भी सरकार चुप बैठी है और वह

(श्री हेमाराम चौधरी)

की अकाल से प्रभावित जनता के लिए रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कोई किसी तरह की व्यवस्था नहीं कर रही है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, इस तरह से यह सरकार की अकाल से प्रभावित जनता के प्रति न्याय संगत बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आज से पहले जो व्यवस्था सरकार ने की उसके पीछे क्या-क्या कारण थे और आज नहीं कर रही है उसके पीछे क्या कारण है। इससे पहले अकाल से प्रभावित लोगों की मदद की, राहत पहुँचाई, उसके पीछे कारण यह था कि जनतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार का यह दायित्व है कि वह जब कभी भी कोई किसी तरह....

श्री अध्यक्ष: इस बार अकाल में न्यूनतम मजदूरी मिलेगी।

श्री हेमाराम चौधरी : न्यूनतम मजदूरी मिलेगी लेकिन, अध्यक्ष महोदय, काम ही नहीं खुल रहा तो मजदूरी मिलेगी कैसे? समस्या यह है।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : जो मजदूरी देते हैं उसमें दो-दो तीन-तीन रुपये आते हैं।

श्री हेमाराम चौदरी : अध्यक्ष महोदय, सरकार यह सोच रही होगी कि यह अकाल बहुत कम हिस्से में है, बहुत कम गांव इससे प्रभावित हुए हैं इसलिए यहां अकाल राहत कार्य खोलने की जरूरत ही नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, बहुत कम लोग भूख से चाहे मरते रहे, या उन पर किसी तरह की विपत्ति या आपदा आये उसकी तरफ सरकार का कभी ध्यान नहीं जायगा, बाढ़ आ जाये, अकाल के अन्दर बहुत कम गांव प्रभावित हो जायें तो उनकी मदद करना क्या सरकार अपना दायित्व नहीं समझती है? जो बहुत कम गांव प्रभावित हुए, मैं समझता हूं कि यह सरकार के लिए बहुत आसान है, इन गांवों की जो प्रभावित जनसंख्या है उनके लिए राहत कार्य खोलने चाहिये। इस वर्ष राजस्थान में अच्छी फसल हुई है, सब तरह से आय के स्रोत बढ़े हैं, वसूलियां हो रही हैं तो इतने कम प्रभावित गांवों में राहत कार्य खोलकर वहां की जनता के लिए रोजगार उपलब्ध कराना, मैं समझता हूं, कोई बड़ी बात नही है। लेकिन सरकार अपनी एक जिद पर अड़ी हुई है। यह बात कहकर कि बहुत कम पोकेट में फेमिन है इसलिए हम राहत कार्य खोलना उचित नहीं समझते। हम मुख्य मंत्रीजी से भी मिले उन्होंने भी कहा कि बहुत कम पाकेट के अन्दर फेमिन है इसलिए हम वहां पर क्या करें। वहां की जो स्थिति है' यह 116 गांव इस साल ही प्रभावित नहीं हुए हैं, यह नहीं है, पिछले चार साल से लगातार यह गांव अकाल से प्रभावित थे। मैं कहता हूं कि वहां एक भी मनुष्य के खाने के लिए अनाज का एक भी दाना नहीं हुआ। तो इस साल उनके पास ऐसे क्या साधन आ गये कि आप उनको रोजगार का काम देना उचित नहीं समझते? इनका आप जवाब दे दें कि उनके पास क्या प्रोस्पेरिटी आ गई, उनके कोई और आय के स्रोत बढ़ गये या इन्कम का जरिया बढ़ गया जिससे कार्य खोलना उचित नहीं समझते? तो

(श्री हेमाराम चौधरी)

अध्यक्ष महोदय, आज इस तरह की वहां हालत है। आप स्वयं, अध्यक्ष महोदय, धोरीमन्ना पधारे थे वहां जिस समय मामूली फसलें खेतों में खड़ी थी, उस समय की बात है, वह कट रही थीं। उससे साफ जाहिर होता है जिस वक्त गिरदावरी का वक्त था गांवों के अन्दर फेमिन था या नहीं था, आपने खुद ने देखा होगा कि गांवों के अन्दर खेत सुनसान, वीरान पड़े थे, गांव के अन्दर कोई किसी तरह फसल नहीं थी। आज उनकी हालत यह हो गई है कि वहां की जनता, लोग घरबार छोड़–छोड़ कर बाहर चले गए हैं, गांव खाली हो गये हैं।

अध्यक्ष महोदय, एक समस्या और हो गयी है कि पिछले वर्षों में हमारे वहां पर अकाल राहत कार्य खोले तो बहुत सी जनता उसमें लग जाती थी और कुछ आदमी मजदूरी करने के लिए बाहर चले जाने की स्थिति में थे, वह बाहर मजदूरी करने के लिए पंजाब वगैरह जाते थे लेकिन इस साल, अध्यक्ष महोदय, पंजाब में भी कुछ ऐसी विचित्र स्थिति पैदा हो गयी कि पंजाब के अन्दर भी हमारे वहां का आदमी मजदूरी करने के लिए जाना पसन्द नहीं करता है क्यों कि वहां पर इस तरह की जो स्थिति है वह यहां भूखों रहकर या कहीं पर मजदूरी के लिए भटकना पसन्द कर सकते हैं लेकिन वहां जाना पसन्द नहीं करते हैं, इसलिए वह समस्या मजदूरी की एक और पैदा हो गयी है।

इसके साथ ही साथ इस साल सरकार ने जब कोई काम नहीं खोले और उनको कोई रोजगार नहीं दिया तो, अध्यक्ष महोदय, इस तरह की हालत है कि गांव आज खाली हो रहे हैं। बिल्कुल गांव खाली हो गये हैं, बहुत कम लोग बसे हैं, मवेशी सारी की सारी मर चुकी है। आज उनके पास पशुधन समाप्त हो गया, गांव उनको खाली करने पड़े, अनाज उनके पास खाने को है नहीं। तो इसलिए, अध्यक्ष महोदय, सरकार को गम्भीरता से सोचने की जरूरत है, गम्भीरता से सोच करके वहां पर अकाल राहत कार्य खोले। अब बहुत समय निकल चुका है। हमेशा दिसम्बर और जनवरी के अन्दर टैस्ट वर्क्स चालू करते है और फिर उसके बाद में अकाल राहत कार्य खोलते हैं। इस साल अप्रेल आ गया है, और अप्रेल भी समाप्त हो रहा है

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : सरकार के तो कान में ठाठी है इसलिए उसे छोड़कर इधर चले आओ।

श्री हेमाराम चौधरी : मैं वहीं ठाठी निकालने की बात कर रहा हूं।

श्री महाराम चौधरी : तो इधर आ जाओ।

श्री हेमाराम चौधरी : उधर नहीं आयेंगे।

अध्यक्ष महोदय, इसलिए अप्रेल जब निकल गया है तो आगे आने वाले केवल मई और जून यानी दो महीने ही रहे हैं, क्या आप मई, जून और जुलाई के अन्दर बरसात होने की आशा रखते हैं? कभी न

(श्री हेमाराम चौधरी)

कभी तो भगवान हमारे पर भी प्रसन्न होगा। तो मई और जून, क्या इन केवल दो महीनों के लिए आप वहां पर कुछ भी अकाल के काम नहीं खोल सकते ? कुछ भी लोगों को रोजगार नहीं दे सकते ? जिनकी हालत बहुत ही खराब है, शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लोग हैं उन इलाकों में, 116 गांव जो प्रभावित है अकाल से। उन गावों में आप चले जाओ तो आपको एक भी आदमी घर में नहीं मिलेगा। मैं जैसा बता रहा हूं आप इसकी जांच करवा लें। मामता जो गांव है गुडामालानी तहसील का जो शिड्यूल्ड कास्ट्स की बस्ती है उसमें 90 पर्सेन्ट लोग घरों में नहीं हैं। आप चले जाओ वहां के भील और मेघवाल सब कहीं चले गये। वहां गावों में हैं ही नहीं। अब किस तरह से अपने घर छोड़ करके, खाली करके गये हैं। अध्यक्ष महोदय, यही नहीं है, आज तो वह गये हैं लेकिन इन्होंने पिछला समय किसी तरह से निकाला है, लेकिन अब वापस जब बरसात का टाइम आयेगा तो वह वापस आना पसन्द करेंगे कि वापस आयें और फिर कभी बरसात हो तो हम खेतों के अन्दर कुछ फसल बोयें। तो, अध्यक्ष महोदय, जब वह जमीन उनको वापस बोने के लिए आना पड़ेगा। वहां पर किसी तरह का काम नहीं खोला गया है। अध्यक्ष महोदय, तो जो लोग यहां से मजदूरी के लिए बाहर चले गये हैं, वह वापस समय के ऊपर बरसात के दिनों में पहुंच नहीं पायेंगे और पहुंच नहीं पायेंगे तो उनके खेत वापस फिर खाली रह जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, आने वाले समय में अगर बरसात भी हुई और जमाना भी हुआ तो भी उनके फिर भी अकाल रहेगा। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, उन लोगों के लिए अब गावों के अन्दर कम से कम काम खोले जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। यदि यहां काम समय के ऊपर नहीं खोले गये और वह लोग काम वहां से यहां आ गये और यहां पर कोई किसी तरह का दूसरा काम नहीं मिला तो, अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि वहां अकाल में लोगों की मृत्यु हो जायेगी और उसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। तो इस तरह की हालत है, अध्यक्ष महोदय।

दूसरे वसूलियों के बारे में जैसा कहा गया है। वसूली कौनसी स्थगित हो रही है ? वसूली तो केवल भू राजस्व की हुई है और भूराजस्व का बहुत कम लगान होता है। 15-20 रुपये एक खातेदार के होते हैं तो उसका तो इस तरह से कोई वजन ही नहीं है। भू राजस्व की वसूली है, वह भी हो चुका है। अध्यक्ष महोदय, अकाल में यह गांव अभावग्रस्त घोषित किये गये उससे पहले भू राजस्व की वसूलियां तो कर ली गयी हैं।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य। काफी समय हो गया है।

श्री हेमाराम चौधरी : और अब कहते हैं कि इतने अकालग्रस्त घोषित कर दिये हैं और भू राजस्व की वसूली स्थगित कर दी है। सहकारिता की वसूली तो बराबर

(श्री हेमाराम चौधरी)

हो रही है और काम वहां किसी तरह के खोले गये नहीं हैं। अकाल से प्रभावित लोगों को राहत पहुँचाने की कोई किसी तरह की आज दिन तक व्यवस्था नहीं की गयी है। एक पैसा नहीं लगाया गया है। तो, अध्यक्ष महोदय, फिर अकाल से प्रभावित गांवों को अकालग्रस्त घोषित कर देने और गजट में छाया मात्र कर देने से क्या उनको तृप्ति हो जायेगी या उनकी भूख की तृप्ति हो जायेगी ?

अध्यक्ष महोदय, हमारे सिंचाई मंत्री श्री परसराम जी मदेरणा साहब और केन्द्रीय सिंचाई मंत्री श्री रामनिवास जी मिर्धा साहब भी वहां पधारे थे दौरे में, तो उनको भी मैंने बताया था कि यह स्थिति यहां है अकाल की। आपको इस साल फिर इन गांवों के अन्दर कुछ न कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। आप ऐसा नहीं समझें कि पूरे बाड़मेर जिले में ही जमाना आ गया। अगर हम गलत बात भी करे तो हम 900 गांव की बात कर सकते थे लेकिन 900 गांवों में केवल 116 गांवों की बात है। अध्यक्ष महोदय, इसलिए 116 गांव में ज्यादातर 48 गांव चौहटन तहसील के हैं और 46 गांव गुडामालानी तहसील के हैं....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए।

श्री हेमाराम चौधरी : गुडामालानी और चौहटन तहसील में जो यह गांव हैं, 94 गांव हैं। यह बिलकुल एक पाकेट में आये हुए हैं। एक ही पाकेट ऐसी रह गयी कि जहां समय पर बरसात नहीं हुई और बाद में बरसात हुई तो फसल नहीं हुई। इसलिए वह गांव इस तरह से रह गये हैं। वहां पर आज हालत बिलकुल ही दयनीय है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है मवेशी के बारे, मैं आप चाहे उनके चारे की व्यवस्था नहीं करें। मवेशी तो मर चुकी है। बाकी मरेगी तो मरने दो लेकिन मनुष्यों को तो बचा लो। उनके लिए कोई रोजगार के साधन तो उपलब्ध कराओ, कोई काम तो खोलो। इसलिए मेरा बार-बार निवेदन है कि आप वहां पर काम खोलें। नहीं तो जनता भूख से मर जायेगी या फिर वहां कोई आन्दोलन होगा और फिर उसके बाद में सरकार यदि करेगी तो अच्छा नहीं होगा। इसलिए मेरा आपसे यह निवेदन है। कि आप गंभीरता से विचार करें। यह कोई मामूली मसला नहीं है, मामूली बात नहीं है। इस तरह मे लोगों के जीवन का प्रश्न है। मैं कहता हूं कि हर साल हर जगह कटौती की होगी, पैसे की कहीं न कहीं से व्यवस्था की होगी। किसी न किसी मद में कटौती करें कहीं से भी करें, कैसे भी करें लेकिन इन गांवों के लिए रोजगार की व्यवस्था करायें। मेरा यही, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से बारबार निवेदन है।

दूसरा मेरा यह निवेदन है, कोई यह समझें कि वहां पर अकाल से प्रभावित नहीं हैं। लेकिन स्थिति ऐसी भयावह है या नहीं तो इसके बारे में तो मेरा सदन के जो माननीय सदस्य हैं उनसे निवेदन है, उनको मैं आमंत्रित करता हूं जैसे हमारे यहां विधान सभा की कमेटियां बनी हुई हैं, वह एक बार वहां पर पधारें

(श्री हेमाराम चौधरी)

और पधार करके गांवों की स्थिति का अवलोकन करें ।

श्री अध्यक्ष : अकाल में इतना खर्चा और आप क्यों कराते हो ?

श्री हेमाराम चौधरी : वह खर्चा मैं कर दूंगा, अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : तो आपके भी अकाल हो जाएगा । मंत्री महोदय ।

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यही नहीं मुख्य मंत्री या मंत्री जी वह समझें कि यह अकाल की बात केवल प्रचार मात्र है तो वह अपने विश्वास के जिन आदमियों को समझें कि यह आदमी हमारे विश्वास के हैं, राजस्थान में कोई तो इनका विश्वास का होगा; उनको यह वहां भेज दें । एक टीम भेज दें उनकी और टीम भेज करके मालूम करा लें कि जो स्थिति आज मैंने यहां पर बताई है, वास्तव में वहां पर वह स्थिति है या नहीं । यदि यह स्थिति है तो शीघ्र उनके रोजगार का प्रबंध करके उनको भूखों मरने से बचाया जाये। नहीं तो स्थिति ज्यादा गम्भीर होगी और फिर इसके परिणाम ज्यादा खराब होंगे ।

श्री अध्यक्ष : श्री भगवानदास शास्त्री ।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, एक सी स्थिति है हमारी और हेमाराम जी की । मेरे 48 गांव प्रभावित हैं अकाल से बहुत सी बातें हेमाराम जी ने कहीं, उन बातों का मैं समर्थन करता हूं । हम लोग इस इलाके में गये थे । सेंडुपा थाने के ऐसे गांव भयंकर अकाल में हैं । जैसे जलीला, बीसासर वगैरह कि लोग बिल्कुल गांव छोड़ छोड़ कर चले गये हैं । गांव बिलकुल खाली हैं । लोग बाहर मजदूरी के लिए चले गये । वहां तीन-तीन और चार-चार साल से अकाल है । अब दो महीने रहे हैं । कुछ न कुछ नाडियों का काम, कुछ न कुछ अकाल का काम खोलें । हमेशा काम खोलते हैं और इस साल नहीं खोला तो इसमें हमारी क्या पैंठ रहेगी और क्या स्थिति रहेगी ? दस दफा जिमाने के बाद भी एक दफा भूखा रखते हैं तो सारे पर पानी फिर जाता है । यही निवेदन है । कि सरकार ने टाइम पर अकाल के गांव घोषित नहीं किये । वसूलियों की तो कोई राहत मिली नहीं । 31 मार्च से यों ही पूरे राजस्थान की राजस्व वसूलियां बन्द हो गयीं और अकाल राहत कार्य भी अंत में जाकर घोषित हुए । तो यही निवेदन है । कि जिस तरह से गवर्नमेंन्ट ने हमेशा सालों साल व्यवस्था की है वैसी ही व्यवस्था की जाये ताकि लोगों को आराम मिले ।

दूसरा पानी से कुछ गांवों में टैंकर वगैरह चालू नहीं हुए तो पानी की भी बहुत दिक्कत है । अकाल के गांव हैं । अकाल के अलावा भी गांवों में हमेशा गवर्नमेन्ट पानी पहुंचाती है । वहां पर पानी नहीं पहुंचाने के कारण गांवों में ऐसी हालत खराब हो गयी है कि लोगों को पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं है और

(श्री भगवानदास शास्त्री)

गांव खाली हो गए हैं। इसके अलावा अनपेड पेमेन्ट भी 6-7 लाख रुपये जिले का बाकी पड़ा है गये साल का। तो अनपेड पेमेन्ट भी लोगों का है। लोगों ने काम कर दिया और 7-8 लाख की मजदूरी का पेमेन्ट नहीं हुआ। यह भी तुरन्त कराया जाये। यही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मंत्री महोदय।

श्री महाराम चौधरी (नागोर) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, हेमाराम जी चौधरी ने मेरे पास आकर मुझ से कहा तो मैं इस बात से बहुत प्रभावित हुआ कि उस क्षेत्र के अन्दर पिछले पांच साल से लगातार कहतशाली चल रही है। पांच साल से कहतशाली है तो सरकार का यह कर्तव्य हो जाता है कि सबसे पहले वहां अकाल राहत कार्य खोले। इसके साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से शीत लहर से और रोगों से रबी की फसल को बहुत भयंकर नुकसान हुआ और रबी की फसल के अन्दर जब सालों फसल नहीं हुई थी उसी जगह सैकड़ों गांवों में रबी की फसल हो गई।

श्री अध्यक्ष : विषयान्तर हो रहे हैं, माननीय सदस्य। आर्डर, आर्डर।

श्री महाराम चौधरी : इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसकी भी प्राकृतिक आपदा घोषित कर उनको राहत पहुंचायें....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। नया प्रश्न है।

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह उसकी गिरदावरी वगैरह करवा रहे थे इसलिए मैं मांग करता हूं कि उनको भी प्राकृतिक आपदा घोषित कर राहत पहुंचायें।

श्री अध्यक्ष : यह बाड़मेर जिले के बारे में है, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, बैठ जायें कृपया।

श्री महाराम चौधरी : एक मेरा निवेदन यह है कि यह जो फेमिन कोड है यह बहुत ही पुराने समय का है। इसकी परिभाषा बदल करके इसमें कुछ चेन्जेज करके कुछ राहत देने की और व्यवस्था कराई जाये। बहुत पुराने राजा महाराजाओं के जमाने का फेमिन कोड चल रहा है इसमें सुधार कराया जाये।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री चेतराम मीणा (राज्य मंत्री, अकाल राहत) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निवेदन करना चाहता हूं कि गुड़ामालानी से आने वाले माननीय सदस्य श्री हेमाराम जी चौधरी ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से निम्न बिन्दुओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है :—

1. संवत् 2040 में ग्रामों को अभावग्रस्त घोषित नहीं किया गया।

2. सरकारी वसूली को स्थगित नहीं किया गया।

(श्री चेतराम मीणा)

3. गत वर्षों के अकाल राहत के सभी श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया।

4. राहत कार्य प्रारंभ नहीं किये गये।

श्री हेमाराम चौधरी : इनके बारे में नहीं कहा है।

श्री चेतराम मीणा : आपने जो लिखकर दिया है उसके बारे में निवेदन कर रहा हूं। जहां तक अभावग्रस्तता की घोषणा का संबंध है, जिलाधीश बाड़मेर ने जिले के 116 ग्रामों को अभावग्रस्त घोषित करने के प्रस्ताव किये थे। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 1 (2) (1) सग्रा/ख/ग्रुप-1/83–84/2662/80 दिनांक 13 मार्च, 1984 के द्वारा इन ग्रामों को अभावग्रस्त घोषित कर दिया गया है एवं इस हेतु जारी की गई विज्ञप्ति का प्रकाशन राजस्थान राज पत्र के विशेषांक भाग 4 (ग) उप खण्ड (11) दिनांक 13 मार्च, 1984 को किया जा चुका है।

जहां तक वसूलियों को स्थगित करने का संबंध है, इन अभावग्रस्त घोषित ग्रामों की ऐसी भूमियों के संबंध में जो भू-अभिलेख में बारानी, तालाबी एवं सैलाबी दर्ज है व जिन पर किसी भी स्रोत से वर्तमान में सिचाई नहीं हो रही है एवं केवल खरीफ की ही फसल का उत्पादन होता है संवत् 2040 के चालू यानिकरेंट भू-राजस्व की वसूली को दिनांक 30 सितम्बर, 1984 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।

जहां तक पंचायत समितियों की बकाया राजस्व विभाग की अन्य वसूलियों एवं सहकारिता विभाग के ऋणों का संबंध है, इस संबंध में यह व्यवस्था है कि अभाव स्थिति की घोषणा को दृष्टिगत रखते हुए जिलाधीश तथा रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग द्वारा उनकी वसूली के स्थगन/परिवर्तन के प्रस्ताव संबंधित प्रशासनिक विभाग के माध्यम से वित्त विभाग को प्रेषित करें एवं परिणाम स्वरूप जो निर्णय इन मामलों में हो उनके अनुसार कार्यवाही की जावे। सहायता विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1 (2) (1) सग्रा/ख/ग्रुप–1/83-84/268-1-98 दिनांक 13-3-84 को इस प्रकार का प्रावधान किया गया है।

पिछले वर्षों के राहत कार्यों के बकाया के चुकारे के मामले में विस्तार से विचार करके दिनांक 21-3-84 को सार्वजनिक निर्माण विभाग कृषि (भू-सरक्षण) विभाग एवं सिचाई विभाग को धनराशि आवंटित कर दी गई थी। इन्हीं विभागों को बकाया मजदूरी का चुकारा करने के लिए धनराशि की जरूरत थी। मजदूरी के चुकारे की स्थिति जिलाधीश द्वारा दी गई सूचना के अनुसार निम्न है :—

1. सार्वजनिक निर्माण विभाग : बकाया राशि 2.14 लाख रु थी इसमें से रु. 00.43 लाख का चुकारा किया जा चुका है। शेष चुकारा करने की कार्यवाही जिलाधीश कर रहे हैं। इस राशि के अलावा संवत् 2038 की कुछ कार्यों की ऐसी राशि बकाया है जिसको लेकर भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में जांच कार्यवाही अभी चालू है।

(श्री चेतराम मीणा)

2. **सिंचाई विभाग** : बकाया राशि 6132 रु. थी। इसमें से रु. 5554 का चुकारा कर दिया गया है। शेष का चुकारा किया जा रहा है।

3. **वन विभाग** : बकाया राशि 3100 रु. थी इसमें से 2300 रु. का चुकारा कर दिया गया। शेष का चुकारा किया जा रहा है।

4. **कृषि (भू-संरक्षण) विभाग** : रु. 8075.80 रु. पैसे का चुकारा किया जाना था। इसमें से 8000 रु. की राशि का चुकारा कर दिया गया है। शेष का चुकारा किया जा रहा है।

5. **नाड़ी कार्य** :11545रु. का चुकारा किया जाना था। यह जिस नाड़ी कार्य से सम्बन्धित है उसमें शिकायतें होने के कारण एफ.आई. आर. दर्ज करा दी गई है जिसकी पुलिस जांच कर रही है।

जहां तक राहत कार्य प्रारम्भ करने की बात है, इस वर्ष बाड़मेर जिले में काफी सीमित क्षेत्र में अभाव स्थिति की घोषणा की गई है। राज्य में खरीफ की फसल के हालात अच्छे हैं। इस पृष्ठ भूमि में बाड़मेर की स्थिति को देखते हुए राहत कार्य प्रारम्भ करना आवश्यक नहीं समझा जा रहा है।

श्री हेमाराम चौधरी : यह तो मेरी बात की कोई जवाब आया नहीं है। अभावग्रस्त की बात है। आपने अभावग्रस्त घोषित कर दिया, उनको आराम मिल गया ? उनके पेट में रोटी मिल गई क्या ? आपने कहा, बहुत सीमित क्षेत्र में है, यही तो बात मैंने कही थी कि बहुत सीमित क्षेत्र के अन्दर अकाल है। यही जवाब सरकार का रहा है कि बहुत कम सीमित क्षेत्र में अकाल है इसलिए अकाल राहत कार्य नहीं खोलते हैं ? बहुत कम लोग भूखे हैं इसलिए नहीं खोले गये ? कम लोगों को मारना है क्या ? क्या एक भी आदमी को बचाने का फर्ज नहीं समझते ? 116 गांव अकाल से प्रभावित है। आप कह रहे हैं बहुत कम सीमित क्षेत्र अकाल से प्रभावित है। बड़े अफसोस की बात है, सरकार बिल्कुल नट करके बैठ गई है, अध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा और शर्म की बात क्या हो सकती है। बाड़मेर के अकाल की बात को आपने पहले से ही राजस्थान गजट में शाया कर दिया है, यह तो मैंने पहले से ही कह दिया लेकिन इससे क्या समस्या हल हुई ? उनको राहत क्या मिली, सवाल इस बात का है। पिछले सालों की मजदूरी का अभी तक भुगतान नहीं हुआ और जब मेरा यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आया तब आपने यहां से धनराशि का आवंटन किया है। इससे पहले लोग जिलाधीश के वहां और पी. डब्लू. डी. से सम्बन्धित विभागों के वहां चक्कर काट काट कर के हैरान हो गये, साल भर के अन्दर आज तक उनको भुगतान नहीं हुआ। यही नहीं, अध्यक्ष महोदय, अनेक सालों से कितने ही लाख रुपये बकाया पड़े हुए हैं। भ्रष्टाचार करने वालों को जेल में डाल दो, किसने आपको मना किया है। लेकिन आप उनको पेमेंट करिये। जिनके खिलाफ किसी तरह की कोई

(श्री हेमाराम चौधरी)

शिकायत नहीं है, मजदूरी सही है, केवल अनपेड इसलिए पड़े हैं, क्योंकि आपने राशि आवंटित नहीं की है। अब भी, अध्यक्ष महोदय, यदि आप वहां अकाल राहत कार्य नहीं खोलेंगे तो लोग भूखों मर जायेंगे। सरकार अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझती है क्या? जब पिछले चार साल बराबर काम खुले हैं और यह पांचवां साल है, चार साल पहले का अकाल, अब यह पांचवा हो गया, फिर चार साल तक आपने राहत देकर उनको बचाया है अब पांचवें साल उनको इस तरह से छोड़ देंगे, जैसे उनके बारे में आपको चिन्ता ही नहीं है इतने कम क्षेत्र में। अध्यक्ष महोदय, बड़े अफसोस की बात है, मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है।

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसा निवेदन किया, माननीय सदस्य स्वयं इस बात को मानते हैं कि बहुत सीमित क्षेत्र में अकाल घोषित किया गया है। पूरे जिले के छोटे से क्षेत्र में अकाल है, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उस क्षेत्र के अलावा दूसरे स्थानों पर रोजगार उपलब्ध है। इसके साथ ही एन. आर. ई. पी. और एम. एन. पी. के कार्य भी दूसरे स्थानों पर कार्य चल रहे हैं जिससे मजदूरी मिल जाती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, यही नहीं....

श्री हेमाराम चौधरी : आप बतायें, कितने मजदूरों को मजदूरी मिल रही है? एन. आर. ई. पी. एम. एन. पी. में कितने मजदूर काम कर रहे हैं,....

श्री चेतराम मीणा : बात सुनिये, गुस्सा क्यों कर रहे हैं...

श्री हेमाराम चौधरी : गुस्सा क्यों न करें। लोग भूखे मर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप। हम चुन कर आये हैं, हमारा फर्ज है। आपको कोई एक्शन लेना है ले लीजिये। क्या बात करते हैं, लोग भूखे मर रहे हैं। आप हमारी बात का जवाब नहीं दे रहे है –

(व्यवधान)

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय मन्त्री महोदय कह रहे हैं थोड़े क्षेत्र के अन्दर अकाल है। क्या आप पूरे राजस्थान के अन्दर अकाल पटकना चाहते हैं? थोड़े क्षेत्र के अन्दर अकाल है तो थोड़े काम आपको खुलाने पड़ेंगे। श्री हेमाराम की दयनीय स्थिति को देखते हुए आपको सोचना चाहिये और आपको आश्वासन देना चाहिये। इस तरह से बाड़मेर जिले के अन्दर लोग भूखे मर रहे हैं और फिर आप हंसी में बात चला रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, अकाल ग्रस्त घोषित करने का फिर तात्पर्य क्या था? अकाल की परिस्थितियों को देखते हुए अकाल राहत कार्य नहीं खोलना....

श्री हेमाराम चौधरी : फिर अकाल से आपका मतलब क्या है। अगर उनको काम नहीं देना है तो नोटिफिकेशन जो जारी किया है वापस ले लीजिये। कोई फर्क

(श्री हेमाराम चौधरी)

नहीं पहुंगा। आप एक तरफ तो अकाल ग्रस्त घोषित करते हैं....

(व्यवधान)

श्री महाराम चौधरी : वहां पर अकाल की भयंकर स्थिति है। मैं चाहूंगा, मुख्य मंत्री यहां पधारे हैं इसके लिये कुछ आश्वासन दें, चाहे कम क्षेत्र में हो, चाहे ज्यादा क्षेत्र में हो, जिन गांवों के अन्दर अकाल है और पांचवे साल अकाल है उन गांवों के अन्दर राहत कार्य तुरन्त खोलने चाहिये।

श्री अमरचन्द (गंगरार) : अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि चितौड़ जिले में 82-83 में अकाल राहत के अन्दर जो कार्य चले हैं....

श्री अध्यक्ष : यह अलग विषय है माननीय सदस्य। यह बाड़मेर जिले का है। कृपया विराजें।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूनी) : अध्यक्ष महोदय, बाड़मेर जिले से आने वाले माननीय हेमारामजी साहब ने कहा कि 116 गांवों में इस प्रकार से अकाल घोषित हुआ है और मंत्री महोदय ने जो उसका जवाब दिया है वह आश्वासन व खानापूर्ति के अलावा कुछ नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है। कि राजस्थान में पिछले चार साल से अकाल था। यह जो 116 गांव और जो कुछ जोधपुर के गांव हैं, उनमें फिर अकाल पड़ गया है। तो लगातार पांच साल तक अगर किसी क्षेत्र में अकाल हो और चार साल तक लोगों की हालत खराब हो गई हो और पांचवें साल फिर अगर बरसात कम होती है और उसकी वजह से उनकी माली हालत और खराब हो जाती है तो इसको विशेष स्थिति मान करके कुछ राहत कार्य खोलने चाहिये। यह नहीं कि जमाना हो गया, कम अकाल है। ऐसा मानकर नहीं चल सकते। मैं मानता हूं सरकार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है। लेकिन कुछ सरकार को अपने सोर्सेज भी रखना चाहिये जिसके माध्यम से वहां कम हो। दो महीने का काम है। कोई तालाब है,कोई मामूली सड़कों का काम है, ऐसे कुछ कार्य खोलकर लोगों को राहत पहुंचानी चाहिये। बाकी केवल यहां पर विधान सभा में आश्वासन देने से या बीगोडी कम कर दी....

एक माननीय सदस्य : आश्वासन भी कहां दिया है।

श्री रामसिंह विश्नोई : हां तो, मंत्री महोदय, बिना कोई कार्य करवाये कुछ काम चलने वाला नहीं है। जो गरीब आदमी हैं, शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग है जो वास्तव में काम की तलाश में दूसरी जगह चले गये हैं, वापस भी आ करके अपना काम करेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है मंत्री महोदय से कि कुछ न कुछ घोषणा करें।

(व्यवधान)

श्री भैरूंलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : यह बाड़मेर के बारे में है, माननीय सदस्य ।

श्री भेरूंलाल मीणा : जी हां. मैं उसी के बारे में निवेदन करना चाहता हूं ।

(व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई : मैं अभी बोल रहा हूँ ।

इसलिये, अध्यक्ष महोदय, 116 गांव जो बाड़मेर जिले के हैं । या शेरगढ़ और कुछ जोधपुर पोर्शन के हैं वहां पर अगर वास्तव में अकाल घोषित हुआ है तो उनकी स्थिति इन चार सालों में खराब हो गई है । यह आप खुद जानते हैं, बराबर अकाल पड़ने के बाद तो उनकी हालत यों ही खराब होती है । मवेशी की क्या स्थिति हुई होगी, पानी का क्या मामला है सारी स्थिति को देखकर अपने सोर्सेज से वहां अकाल राहत कार्य दो महीने के लिये आप खोलें ताकि लोगों को राहत मिले और जो लोगों की स्थिति है वह कुछ सुधरे । नहीं तो आगे जो बरसात होगी उसमें भी खेती करने लायक नहीं रहेंगे । इसलिये मेरा निवेदन है कि माननीय हेमाराम जी ने जो प्रस्ताव रखा है उस हिसाब से वहां पर कुछ काम अकाल राहत के खोलने चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी ।

(व्यवधान)

किस सम्बन्ध में ? बाड़मेर के बारे में ?

श्री भेरूंलाल मीणा : हां, बाड़मेर के बारे में है । समझो, उसी तरह का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष : उस तरह का नहीं आएगा, माननीय सदस्य । कृपया बैठ जायं । बाड़मेर के बारे में उत्तर आया है । अलग से प्रश्न उठाइए ...

(व्यवधान)

मैं आपको अवसर दे दूंगा । कृपया बैठ जायं ।

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया कि बहुत कम सीमित क्षेत्र में अकाल घोषित किया गया है । जिला इतना बड़ा है कई जगह अच्छी फसल हुई है और लोगों को रोजगार मिल रहा है । इसके अलावा वसूलियों को स्थगित किया गया है । सहकारिता का जो अल्पकालीन ऋण है उसको मध्य कालीन में करने हेतु प्रस्ताव आये हैं ।

(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : रोजगार की बात है ...

श्री चेतराम मीणा : दूसरे भी काम किये जा रहे हैं । पेयजल की व्यवस्था की जा रही है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि रोजगार के काम एन.आर.ई. पी. और एम.एन. पी. में बहुत शुरू हो रहे हैं और भी शुरू होंगे इसलिये मैं समझता हूं ऐसी अवस्था नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । चर्चा समाप्त हुई ।

श्री हेमाराम चौधरी : एन.आर.ई.पी.

(श्री हेमाराम चौधरी)

और एम.एन.पी. में कितने मजदूर लगे हुए हैं, आज की तारीख में, यह तो आप बता दो। दूसरा आपने कहा कि आस पास के इलाके में जमाना था। तो लोग किसी के भरोसे जिन्दा थे क्या? क्या जिन्दा ही नहीं रहते? आप के भरोसे से वे जिन्दा थे क्या? खरीफ की एक फसल होती है। रबी की फसल वहां होती नहीं है। अब तो रोजगार मिलने का कोई दूसरा जरिया है ही नहीं, इसलिये मैं निवेदन कर रहा हूं कि वापस भी तो घर आना चाहते है....

(व्यवधान)

उनके पास हल चलाने के लिये बैल नहीं है। न उनके पास कोई दूसरे साधन हैं। कोई काम ही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री स्वयं बिराजे हुए हैं। मैं समझता हूं मुख्य मंत्री जी को आज अभी घोषणा करनी चाहिये। लोग भूख से मर जायं और यह सरकार कुछ नहीं करे....

(व्यवधान)

श्री हीरालाल आर्य : आपकी सुनने वाला कौन है। आपको पूछता कौन है। ये सुनने वाले ही नहीं हैं। लोग मरते रहें आपका क्या लेना देना है....

श्री अध्यक्ष : इससे अधिक कुछ नहीं किया जा सकता है।

(व्यवधान)

चर्चा समाप्त हुई।

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, अकाल से लोग भूखों मर रहे हैं। सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या?

श्री हीरालाल आर्य : अकाल से मर रहे हैं × × ×। त्याग पत्र देकर इधर आ जावो। ये तो आपकी सुनने वाले हैं नहीं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, लोग भले ही भूख से मरें, सरकार उनको बचाने के लिये कुछ नहीं करना चाहती है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से मुकर रही है क्या? इसका जवाब दिला दें, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : जवाब आ चुका है। सरकार ने उत्तर दे दिया। इससे अधिक कुछ नहीं हो सकता है।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

सवाई माधोपुर स्थित श्री नारायण बैरवा की खाते की जमीन का एक व्यक्ति की मिलीभगत से दुर्गा प्रापर्टी को बेचान

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री हंसराज आर्य। संक्षेप में कृपया।

(व्यवधान)

थोड़ा जोर से बोलें। आप बहुत "धीमा" बोल रहे हैं।

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(78)

श्री हीरालाल देवपुरा (राजस्व मंत्री) : हमेशा बुलन्द आवाज में बोलते हैं, आज तो आवाज ही नहीं आ रही है।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार के सम्बन्धित मंत्रियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जैसा कि मैंने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में दिया है, अध्यक्ष महोदय, सवाई माधोपुर नगर पालिका क्षेत्र में नारायण, बद्रीलाल सन आफ गेंदी लाल बैरवा ग्राम हींगला का रहने वाला है। उसके खातेदारी में सवाई माधोपुर में खसरा नं. 371, खसरा नं. 372, खसरा नं. 374, खसरा नं. 375, खसरा नं. 376, खसरा नं. 377, खसरा नं. 378, खसरा नं. 379, 380, 381, 382, 383, 384 और 388, ये खसरा नम्बरान बैरवा की खातेदारी में चले आ रहे है कई वर्ष पूर्व से। अब उसको आर्थिक स्थिति ज्यादा कमजोर होने की वजह से नन्दलाल स्वर्णकार सन आफ गेंदीलाल स्वर्णकार को जमीन को रहन रख दी और रहन रखने के बाद जब, अध्यक्ष महोदय, उसके पास थोड़ा बहुत साधन हुआ तो उस जमीन को रहन से मुक्ति करने के लिये बार बार प्रार्थना पत्र दिये।

(12.56 म. प.)

[श्री हरिसिंह (कुम्हेर) सभापति, पीठासीन]

स्वर्णकार इस जमीन को बार बार अपनी खातेदारी में परिवर्तन कराने के बराबर प्रयास करता रहा। किन्तु जब जमीन बैरवा की थी और बैरवा की जमीन स्वर्णकार की खातेदारी में नहीं जा सकती थी, वह आज तक बैरवा की खातेदारी में चलती आ रही है। जब खातेदारी में चलती आ रही है तो उस जमीन पर जबरदस्ती से स्वर्णकार द्वारा कब्जा कर लिया गया। उस पर जो हरे वृक्ष थे वो काट लिये गये, हरे वृक्षों को काट लिया गया। उसके विरोध में बैरवा द्वारा पुलिस सवाई माधोपुर मे केस किया, एस० डी० एम० सवाई माधोपुर के यहां केस दायर किया। उसी सम्बन्ध में आगे चलकर उसी पार्टी का आपस में हाई कोर्ट में केस चल रहा है। जमीन आज की तारीख में विधिवत बैरवा की खातेदारी में चल रही है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज की स्थिति में उस बैरवा को यदि आप देखेंगे तो सरकार इस बात का प्रयास करेगी कि जिसका बुढ़ापा आ चुका है और जिसके हाथ-पैरों में सूजन आ चुकी है ऐसे वृद्ध की जमीन पर स्वर्णकार द्वारा जबरदस्ती से कब्जा किया हुआ है। सभापति महोदय, जब यह प्रक्रिया प्रारम्भ रही, केस बराबर चलते रहे, उसी बीच में स्वर्णकार ने सोचा कि जमीन को मैं प्राप्त करने में असमर्थ हूं तो उस जमीन को उसने एक दुर्गा प्रापर्टी जो एक सोसायटी है, जिस प्रकार जयपुर में सोसायटियां जमीनों का क्रय करके विक्रय करती हैं-हाउसिंग बोर्ड के लिए या अन्य आवासीय मकानों के लिये, उससे एक लाख रुपया लेकर दुर्गा प्रापर्टी, जो यहां की सोसायटी है, उसने वह जमीन बेच दी। उसके बेचने के बाद उस दुर्गा प्रापर्टी वालों ने 80 प्लाट बनाये और 80 प्लाट बनाकर बीस-बीस हजार रुपये में प्लाट बेच दिये उनसे दस-दस हजार रुपया एडवान्स ले लिया और दस-

(श्री हंसराज शर्मा)

दस हजार यह कह कर छोड़ दिया कि जब नियमानुसार बैरवा की जमीन हमारी खातेदारी में आ जायेगी, सोसायटी के नाम लगने वाली है राजस्थान सरकार कुछ नियमों को चेन्ज कर रही है इसलिये बैरवा की जमीन हमारे खातेदारी में बहुत जल्दी आ जायेगी तब हम आपसे और रुपये ले लेंगे। परिणाम यह हुआ कि उसी रोड पर 30 फीट की दूरी पर वह जमीन थी, उस 30 फीट की रोड पर भी कब्जा कर लिया और बैरवा की जो पहले से दीवार बनी हुई थी, वह तोड़ दी, सारे वृक्ष काट लिये गये और 80 प्लाट उसमें बना दिये और लोगों को प्लाटों का कब्जा दे दिया। अब बेचारा एक गरीब बैरवा पहले एक से तो जीता ही नहीं और अब 80 आदमी उसके मुकाबले में और आ गये। वह 80 पर, किस किस पर मुकदमा दायर करे। सभापति महोदय, जब यह स्थिति आई तो उसी बीच में, उस क्षेत्र में इन खसरा नम्बर को हाउसिंग बोर्ड ने एक्वायर करने का कार्यक्रम प्रारम्भ कर दिया। उसी क्षेत्र में 149 बीघा 10 बिस्वा जमीन हाउसिंग बोर्ड ने अपनी खातेदारी में रेवेन्यू बोर्ड से ले ली अपने ही खातेदारी में लेने के बाद 985 मकानों का प्लान बनाया और प्लान बनाकर विधिवत लोन के लिये हुडको को योजना भेज दी। जब यह सारी प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई तब बैरवा ने सोचा कि कम से कम हाउसिंग बोर्ड में ही यह जमीन रहेगी तो उसको जो मुआवजा मिलेगा, वह तो मुझे मिल जायेगा। इस बात को लेकर उसने 80 व्यक्तियों पर किसी प्रकार का दावा नहीं किया और न ही उसके पास दावा करने को पैसा था। सभापति महोदय, जिन लोगों को जमीन दी उसमें कई तो गुण्डागर्दी करने वाले भी हैं,

(1.00 म. प.)

पैसे वाले भी हैं। वह उनसे नहीं जीत सकता था। परिणाम क्या हुआ कि उस सारी जमीन को दुर्गा प्रापर्टी को बेचा। जब दुर्गा प्रापर्टी को मालूम पड़ा कि यह जमीन बैरवा की खातेदारी में है, यह हमारे नाम कैसे आयी यह तो प्लान में जा चुकी है। इसी विधान सभा में माननीय हाउसिंग बोर्ड मन्त्री जी ने एक प्रश्न के उत्तर में जवाब दिया है आज से 7 रोज पहले-इन्हीं नम्बरों की है। 149 बीघा-10 बिस्वा, नम्बर इतने से इतने तक प्लान में ले लिये गये हैं। इन पर मकान बनाने को विधिवत योजना बनाकर लोन के लिए हुडको को भेज दी गयी है। इनको नियमानुसार जो भी मुआवजा होगा वह देने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी है। रेवेन्यू बोर्ड से हाउसिंग बोर्ड की खातेदारी में यह जमीन आ गयी है। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इसको जहां इतना सताया जा रहा है, उसमें एक जबरदस्त कांड हो गया। हाउसिंग बोर्ड में इस जमीन के लिए नारायण बैरवा एक दिन एप्लीकेशन देने के लिए नहीं गया और स्वर्णकार के नाम से हाउसिंग बोर्ड में मन्त्री महोदय ने इन नम्बरों, जिनका मैंने हवाला दिया है, हाउसिंग बोर्ड से निकाल दिया है। एक तरफ तो विधान सभा में कह रहे हैं कि इनका प्लान बनाया है, हुडको को योजना भेजी हुई है। दूसरी ओर उन्हीं नम्बरों को बिना...

(श्री हंसराज शर्मा)

बैरवा की एप्लीकेशन के जब कि जमीन बैरवा की खातेदारी में चल रही है, माननीय मन्त्री महोदय ने उस जमीन को हाउसिंग बोर्ड की योजना में से रिलीज कर दिया। आपको जानकर आश्चर्य होगा। आखिर में यह किस प्रकार का जघन्य अपराध किसने किया है? जमीन की खातेदारी भ्रागाजियात है ही नहीं, दरख्वास्त दी ही नहीं और दुर्गा प्रापर्टी के नाम से इस जमीन को रिलीज कर दिया। क्यों कर दिया? दुर्गा प्रापर्टी ने इस जमीन को हाउसिंग बोर्ड में से निकालने के लिए हमारे हाउसिंग बोर्ड के मन्त्री को × × ×

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। कृपया बिना नोटिस के इस प्रकार के आरोप नहीं लगायें। आगे चलिये।

श्री हंसराज शर्मा : सभापति महोदय, मै आरोप इसलिए लगा रहा हूं कि जब प्रार्थी जिसकी खातेदारी है वह एप्लीकेशन देने ही नहीं आया है, वह तो आज भी हाउसिंग बोर्ड को जमीन देना चाहता है, जब हाउसिंग बोर्ड को जमीन देना चाहता है तो यह सोसायटी के आधार पर किस तरह रिलीज की? इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार से हाउसिंग बोर्ड का मसला बताकर इस विधान सभा में मन्त्री महोदय ने सदन को धोखा दिया; गमराह किया, × × × वक्तव्य दिया, एक बहुत बड़ी राशि खाकर के बैरवा की जमीन को रिलीज कर दिया। उन्होंने यह बात कही थी कि मैंने बैरवा की जमीन को रिलीज किया है इसलिए सवर्ण लोगों का पेट दर्द कर रहा है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सवर्ण का पेट दर्द नहीं कर रहा है आपने गरीब हरिजन की हत्या की है, उसके परिवार को पालने के लिए जो मुआवजा मिलता उससे आपने उसको मुक्ति दिला दी। हमेशा हमेशा के लिए आपने उसकी हत्या की है, उसका गला घोटा है। आपने हरिजनों के साथ अन्याय किया है। सभापति महोदय, इतना ही नहीं मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा। उसी नम्बर में से नम्बर एक से 74 तक जो नम्बर 159 बीघा 10 बिस्वा है उसको भी इन्होंने निकाल दिया और एक दूसरा नम्बर और निकाल रहे हैं। इस प्रकार हाउसिंग बोर्ड द्वारा जो जमीनें एक्वायर की गयी हैं उनमें से बार-बार XXX हाउसिंग मन्त्री जी उन जमीनों को रिलीज कर रहे हैं और प्लान को खराब कर रहे है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा माननीय मुख्य मन्त्री जी भी हैं और राजस्व मन्त्री जी भी हैं, मैं जो चार्ज लगा रहा हूं आप इसकी जांच करा लें। यदि आपने जांच करा ली तो जो व्यक्ति दोषी पाया जायेगा दोषी पाये जाने वाले के खिलाफ आप कार्यवाही करेंगे, मेरी ऐसी आपसे मांग है।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें। श्री कुंजी लाल।

श्री हीरालाल देवपुरा (राजस्व मंत्री): सभापति महोदय, सवाई माधोपुर से आने

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री हीरालाल देवपुरा)

वाले माननीय सदस्य ने एक ध्यानाकर्षण के प्रस्ताव के माध्यम से सवाई माधोपुर में स्थित आरजी नम्बर 371, 372,374 से 384 व 388 के सम्बन्ध में मेरा ध्यान आकर्षित किया। अपने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के सम्बन्ध में विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने बताया कि ये आराजियात श्री बद्री लाल नारायण लाल पिता गेंदीलाल बैरवा के नाम पर अंकित हैं। यह वास्तविकता है, सही है। यह आराजियात बद्रीलाल नारायण लाल सन आफ गेंदीलाल बैरवा के नाम पर राजस्व रिकार्ड में हैं। श्री नन्द लाल सन आफ नारायण लाल स्वर्णकार सवाई माधोपुर के रहने वाले है। आपके अनुसार रेवेन्यू रिकार्ड के अन्दर उन के रहन होने का, नहीं होने का कोई इन्द्राज नहीं है। राजस्व विभाग को इसकी जानकारी नहीं है लेकिन माननीय सदस्य के अनुसार,जैसा उन्होंने अभी बताया कि यह आराजियात नन्दलाल स्वर्णकार के यहां पर रहन रखी हुई थी। रेवेन्यू रिकार्ड के आधार पर यह आराजियात आज भी बद्रीलाल नारायण लाल सन आफ गेंदीलाल बैरवा को है, उसी के खाते में दर्ज है और उन्हीं की दस्तावर की जा रही है। इन आराजियात पर जैसा आपने बताया कि हाउसिंग बोर्ड ने अपनी कोई योजना बनायी, उस योजना में इन आराजियात को शामिल करके वहां की एक योजना बनी। हाउसिंग बोर्ड में इन आराजियात को एक्वायर करने की बात निश्चित रूप से कही थी लेकिन वापस हाउसिंग बोर्ड ने उन आराजियात को डी–एक्वायर करने की बात कह दी और वह भी पार्टी, डी–एक्वायर करने में यह आराजियात में कोई रद्दोबदल नहीं हुई। रेवेन्यू रिकार्ड के अन्दर एक्वायर करके हाउसिंग बोर्ड के खाते में जाने वाली बात हो,ऐसी बात नहीं हुई। रेगुलरली यह आराजियात बद्रीलाल नारायण लाल सन् आफ गेंदीलाल बैरवा के नाम पर ही चली आ रही है। नन्दलाल स्वर्णकार और दुर्गा प्रापर्टी सोसायटी, अब यह बीच में कैसे आयी, कहां से आयी, यह राजस्व रिकार्ड के अनुसार कहीं पर भी नहीं पाया जाता। मैं इस स्थिति में कहने में मजबूर हूं कि यह कहां से आयी कैसे आयी। अलबत्ता जब यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आया तब यह जानकारी मिली तो हमने छानबीन की। आज की स्थिति यह है कि बद्रीलाल नारायणलाल बैरवा की तरफ से नन्दलाल स्वर्णकार के विरुद्ध एस. डी. ओ. कोर्ट के अन्दर एक दावा किया हुआ है। दावा आज चल रहा है जिसमें एस. डी. ओ. ने स्थगन आदेश जारी किया है इस बात का नन्दलाल स्वर्णकार को पाबन्द किया है कि वह आराजियात को खुर्द बुर्द नहीं करे, यह स्थगन आदेश उनको दिया हुआ है। तो आज तो यह केस अब उन दोनों के बीच में है, नन्दलाल स्वर्णकार और बैरवा के बीच में क्या सम्बन्ध है, क्यों यह झगड़ा है, यह मैं नहीं कह सकता। यह दोनों का आपसी मामला है। इस मामले में न्यायालय में आज वाद चल रहा है तो न्यायालय में जो भी निर्णय होगा उसके अनुसार तामील की जा सकेगी। मैं नहीं कह सकता, हमारी तरफ से तो आज भी इन आराजियात के मालिक

(श्री हीरालाल देवपुरा)

बद्रीलाल नारायण लाल बैरवा हैं। उनको कानून के अन्तर्गत जो भी राहत मिलनी चाहिए, चूंकि वह न्यायालय में चले गये है इसलिए न्यायालय के बाहर हम कुछ नहीं कह सकते। न्यायालय में जो फैसला होगा उस आधार पर इस बात के लिए कहा जा सकेगा। बद्रीलाल नारायण लाल बैरवा की इस प्रकार की कोई शिकायत राजस्व विभाग के पास नहीं आयी कि उनको छुड़वाना है, क्या करना है। हाउसिंग बोर्ड ने यह जमीन ली और वापस छुड़वायी तो उनका प्लान शायद दूसरी तरह से बन रहा होगा इस वजह से उन्होंने जमीन को छुड़वा दी। तो वह जमीन आज भी ज्यों की त्यों है। हाउसिंग बोर्ड ने इसके अलावा काफी जमीन अपने काम के लिए वहां पर एक्वा-यर करवायी है। उसमें इस नन्दलाल नारायण लाल बैरवा का तो एक नम्बर जो उसमें है इसमें नहीं है, वह दूसरा नम्बर है। 369 नम्बर की जमीन आराजी नम्बर है, वह 369 नम्बर बद्रीलाल नारायण लाल बैरवा के नाम पर भी नहीं है। बद्रीलाल स्वर्णकार की है 8 बिस्वा। गर्ज यह कि जो आराजियात आपने बतायी है 371, 372, 373 नहीं हैं, 374 से 384 और 388 यह आरा-जियात आज भी बद्रीलाल नारायण लाल बैरवा के नाम पर अंकित हैं। राजस्व विभाग मे इसमें किसी तरह की कोई दख-लंदाजी नहीं हुई है। नन्दलाल, स्वर्णकार को किसी तरह की कोई राहत राजस्व विभाग से नहीं दी है। उनका आपसी विवाद आज कोर्ट में चल रहा है, वहां से फैसला होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। मैं इस बारे में और अधिक बात नहीं कह सकता।

श्री हसंराज शर्मा : यह जो इसमें आराजियत हैं हाउसिंग बोर्ड में दिया हुआ है आज से आठ रोज पहले तक, एक तो यह है....

श्री हीरालाल देवपुरा : यह तो मैंने कहा ही है कि हाउसिंग बोर्ड मे ली थी।

श्री हसंराज शर्मा : यही तो मैं निवेदन कर रहा हूं। मेरा यह निवेदन है कि आज से छः रोज पहले विधान सभा में आप यह बता रहे हो कि ये नम्बर हाउसिंग बोर्ड में हैं तो जब आपने इसको छोड़ी उस समय किसने एप्लीकेशन दी, किस की एप्लीकेशन के आधार पर सरकार ने इसको छोड़ा है? क्या बैरवा की एप्लीकेशन पर आपने रिलीज की है या किसी दूसरे की एप्लीकेशन पर छोड़ी है। बैरवा तो हाउ-सिंग बोर्ड में देना चाहता है। फिर आपने किसकी एप्लीकेशन पर इसको रिलीज किया है।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, आपका इंटेशन क्या है यह मेरी समझ में नहीं आता। 16–12–83 को हाउसिंग बोर्ड ने इसको एक्वायर करने की बात कही थी और उनको कब्जा दिया था, 16–12–83 को। उसके बाद 30–1–84 को हाउसिंग बोर्ड ने अवाप्ति मुक्त करने को कहा राज्य सरकार ने नहीं, हाउसिंग बोर्ड ने....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : किस की एप्लीकेशन पर।

(व्यवधान)

श्री हंसराज शर्मा : हाउसिंग बोर्ड ने स्वर्णकार की एप्लीकेशन पर मुक्त की है।

श्री हीरालाल देवपुरा : हाउसिंग बोर्ड ने किसकी एप्लीकेशन पर की, I do not know हमारे राजस्व विभाग से हाउसिंग बोर्ड ने एक्वायर कराने की कार्यवाही करवाई। हाउसिंग बोर्ड को कब्जा दिया और अब हाउसिंग बोर्ड राजस्व विभाग से रिलीज करवा रहा है तो हमने मुक्त कर दी। अब हाउसिंग बोर्ड में किसने एप्लीकेशन दी, किसने नहीं दी, मैं नहीं कह सकता क्योंकि मेरे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है।

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई।

व्यवस्था का प्रश्न

अन्तर्राज्यीय जल एवं विद्युत विवाद पर विचार करने के पूर्व उससे सम्बन्धित साहित्य का सदस्यों को वितरण

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय सभापति महोदय, यह चर्चा प्रारम्भ करें उससे पहले मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। कल जब यह विषय सामने आया था तो कुछ माननीय सदस्यों का यह आग्रह था कि इस पर आज ही विचार किया जाय यानि कल इस पर विचार किया जाय। लेकिन मत यह बना कि न तो अभी सदस्यों की तैयारी है और न ही लिट्रेचर या कोई पत्रावली, सरकार की तरफ से जो जानकारी मिलनी चाहिए वह सदस्यों के पास है। इसलिए इसको कल न रख कर आज पर रखा गया। अभी भी स्थिति यह है कि माननीय सदस्यों के पास सरकार की ओर से कोई सूचना किसी प्रकार की नहीं है। कोई पत्रावली या कोई लिट्रेचर भी नहीं है। यह विषय ऐसा गम्भीर है कि इस पर गहन चिंतन होना सब का मत आना बहुत जरूरी है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि हम चर्चा शुरू करें इसके पहले कुछ तो जानकारी सरकार की ओर से हमको मिल जाय, माननीय सदस्यों को, ताकि सभी लोग चर्चा में भाग ले सकें और डिबेट का जो मकसद है उसको पूरा कर सकें। माननीय मुख्य मन्त्री जी भी यहां विराजमान हैं। ऐसा कोई पेपर या कुछ तो लिट्रेचर सक्यूलेट करें जिस के आधार पर हम चर्चा कर सकते हैं। क्योंकि चर्चा का जो उद्देश्य है वह बिल्कुल स्पष्ट है। अगर लिट्रेचर नहीं है तो वैसे ही बता दें।

श्री सभापति : विचार विमर्श के पश्चात् ही आज का समय निश्चित किया गया था।

श्री भंवरलाल शर्मा . हां, वह इसीलिए किया गया था कि कल अगर इस पर विचार किया जाता तो कोई सामग्री उपलब्ध नहीं थी। This was the only reason for adjournment. आप कुछ भी पत्रावली उपलब्ध करा दें जिससे सभी लोग चर्चा में भाग ले सकें।....

श्री कैलाश मेघवाल : कोई श्वेत पत्र हो।

श्री भंवरलाल शर्मा : Yes, कोई वाइट पेपर हो ताकि माननीय सदस्य अपने पक्ष को पूरा रख सकें। इसमें कोई पक्ष और प्रतिपक्ष का प्रश्न नहीं है। We are one on this issue कल माननीय अध्यक्ष महोदय ने भी आपको निवेदन किया था, निर्देश भी दिया था कि इस प्रकार का कोई पत्र प्रसारित कर दिया जावे ताकि विषय क्या है, यह सब सदस्यों को समझ में आ जावे। तो आप जरा बता दें इसको।

श्री शिवचरण माथुर (मुख्य मंत्री) : सभापति महोदय, विपक्ष के नेता महोदय ने कल अन्तर्राज्यीय जल एवं विद्युत विवाद के बारे में चर्चा की मांग की थी और इस पर सिंचाई मंत्रीजी ने स्पष्ट रूप से एक टिप्पणी दी थी। मैंने भी इस सम्बन्ध में कुछ कहा था। माननीय सदस्य जानते हैं कि इस प्रश्न पर हम सब लोग कितने चिंतित हैं। जो माननीय सदस्य, हवा-महल से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे वह स्वयं भी उस कमेटी के सदस्य थे जिसने कि 80-81 में इन सारे स्थानों का तत्स्थानीय अध्ययन किया था। हरएक चीज को वे जानते हैं। वह रिपोर्ट भी उनके पास है। उस रिपोर्ट के आधार पर चर्चा आप कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी जानकारी इस मामले में आप सब लोगों को है। ऐसा नहीं है कि इसके अभाव में आप चर्चा ..

(1.16. म. प)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

की शुरुआत नहीं करें। वैसे जहां तक इनीशियेट करने वाली बात का सम्बन्ध है। कल सिंचाई मंत्री जी ने प्रारम्भिक वक्तव्य दे दिया था और मैंने भी कुछ इस बारे में कहा था। मेरा ऐसा ख्याल है कि जो विचार आप रखते हैं उसके आधार पर चर्चा शुरू करें जिससे इसका लाभ देश को मिले, राजस्थान को मिले। मेरा ऐसा मत है कि चर्चा शुरू की जावे।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने स्वयं निश्चित रूप से इंगित किया था कि माननीय सदस्यों को विस्तृत जानकारी देने के लिए इसका कोई साहित्य दें, कोई लिट्रेचर दें जिसके आधार पर माननीय सदस्य तैयार होकर सदन में आवें और चर्चा में भाग ले सकें। यह बात सही है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने राजकीय उपक्रम समिति की जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसमें कई तथ्यों पर प्रकाश डाला है। लेकिन इसमें जो तथ्य हैं वे आज के नहीं बल्कि सन् 80-81 की स्थितियां हैं। इसके बाद काफी चेंजेज रावी-व्यास योजना के तहत आ चुके हैं।

श्री अध्यक्ष : वह प्रतिवेदन आपके पास है क्या ?

श्री दाऊदयाल जोशी : हां साहब, मेरे पास है और मैंने पढ़ा भी है, मैंने देखा भी है। मेरा निवेदन करना यह है कि आपने जो शासन को स्पष्ट रूप से इंगित किया था कि आप श्वेत पत्र के रूप में, कोई लिट्रेचर के रूप में माननीय सदस्यों को दें....

श्री अध्यक्ष : इतना तो मैंने नहीं कहा

(श्री अध्यक्ष)

था। मैंने तो यही निवेदन किया था कि यदि कोई सामग्री उपलब्ध हो तो माननीय सदस्यों को उपलब्ध करवा दें।

श्री दाऊदयाल जोशी : शासन की ओर से वह नहीं करवाई गई है।

श्री अध्यक्ष : उसके अभाव में कोई चर्चा तो रुकती नहीं है।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक परम्परा तो पिछली बार भी थी कि जब रावी-व्यास के मसले पर यहां चर्चा हुई उस समय हिन्दी में भी और अंग्रेजी में भी एक रिजोल्यूशन सदन के सामने रखा गया था। उस रिजोल्यूशन के आधार पर, उसमें बताए हुए तथ्यों के आधार पर इस विधान सभा में चर्चा हुई थी और एक सार्थक डिबेट हुई थी। मैं स्वयं सवेरे से इस बात की तलाश में था कि आज भी आनन्दपुर साहब और रोपड़ के सम्बन्ध में कोई श्वेत पत्र या लिट्रेचर मिलेगा जिस पर चर्चा कर सकेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्वेत पत्र पर कोई चर्चा नहीं होती।

श्री कैलाश मेघलाल : इस सम्बन्ध में, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने स्वयं कहा था कि कोई लिट्रेचर....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वैसे जो पत्र यहां वितरित किए जाते हैं अधिकतर श्वेत ही होते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है।

श्री कैलाश मेघवाल : वे काली स्याही से लिखे रहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय इसलिए मेरा निवेदन है, कि अभी भी बहुत समय है। इसका कंसीडरेशन बाद में किया जा सकता है। उसके आधार पर अगर चर्चा होगी तो वह सार्थक होगी। जब तक उसके कुछ नए तथ्य सदन के सामने नहीं आवें, 80–81 की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर अगर चर्चा शुरू होती है तो उसमें तो अब बहुत परिवर्तन हो गए हैं। अब तो आधार नए हैं आयाम नए हैं परिस्थितियां बदल गई हैं, और कई तरह के परिवर्तन करने की कोशिश की जा रही है। इस परिस्थिति में मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप किसी न किसी तरह का कोई श्वेत पत्र दे दें, कोई रिजोल्यूशन दे दें या कोई भी सामग्री आप सदन के पटल पर रख दें। घण्टे दो घण्टे में कोई देरी नहीं होगी। उसके आधार पर ज्यादा अधिक सार्थक चर्चा हो सकेगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य तावड़ कुछ कहना चाहते हैं।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : माननीय अध्यक्ष महोदय....

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : यही बात है। इसलिए हम चर्चा उठा रहे हैं। हमको डर

(86)

(श्री दाऊदयाल जोशी)

इसी बात का है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि आप प्रधान मंत्राणीजी के इशारे पर झुक जायं....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। वरिष्ठ व्यक्तियों को चर्चा में नहीं लायें।

श्री मेघराज तावड़ : कल जब हमने लिट्रेचर की बात कही थी आपके चेम्बर में तब माननीय सिंचाई मंत्रीजी ने यह कहा था कि हम आपके घर पर जो विरोधी पार्टी के लोग है उनके पास शाम को सामग्री पहुँचा देगे। मैं रात को बड़ी देर तक इन्तजार करता रहा कि हमको कोई लिट्रेचर मिले।

श्री अध्यक्ष : मुख्य सचेतक जी।

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय। हमने तो कल भी कहा था कि आज ही विचार कर लिया जाय क्योंकि बहुत ही ज्यादा अहमियत का मसला है। उस समय विरोधी दल के नेता महोदय ने कहा था कि मेरी पत्रावलियां घर रह गई। तो निश्चय यह हुआ था कि आप कल पत्रावलियां लेकर पधारें और कल इस पर बहस हो जावे। इसी आधार पर सारा मामला तय हुआ था। अब मैं समझता हू कि माननीय विरोधी दल के नेता महोदय पत्रावलियां लेकर पधार गए हैं। मैं निवेदन करूगा कि....

श्री मेघराज तावड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि किसी एक माननीय सदस्य से कह दें, माननीय विपक्ष के नेता के पास पत्रावलियां हैं। यह एक माननीय सदस्य का प्रश्न नहीं है....

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष): यह जो पत्रावली है

श्री मेघराज तावड़ : हम लोगों का भी उतना ही हिस्सा है, लोगों के विचार भी उतने ही अहमियत रखते हैं जितने और किसी के। इसमें किस कोने से कौन सी बात निकले यह नहीं बता सकते। इसलिए मेरा यह मानना है कि इस सम्बन्ध में जो पत्रावली है या लिट्रेचर है वह सर्क्यूलेट किया जाना चाहिये। इसके बाद ही हैल्दी बहस हो सकेगी, ज्यादा बढ़िया होगी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : वह तो सब आपको मालूम है।

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, आप रीत का रायता करने की बात मत कीजिए।

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता महोदय।

श्री भैरोंसिह शेखावत: अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि मुख्य सचेतक महोदय को यह पता नहीं है कि रोपड़ केन्द्र में है या रोपड़ राजस्थान के बाहर हरियाणा में या पंजाब में है, इस पर चर्चा की वह ताकीद कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, कल भी यह चर्चा आई थी। यह सही है कि मुझ थोड़ी जानकारी है। अच्छा होता कि सरकार की ओर से

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई है इसकी विस्तृत रूप से जानकारी दी जाती। माननीय मुख्य मन्त्री जी कह सकते हैं कि पी. यू. सी. की रिपोर्ट में इसका हवाला है लेकिन मुख्य मन्त्री जी इस बात को स्वीकार करेंगे कि विवाद इस समय रोपड़ का है, आनन्दपुर साहिब दूसरे नम्बर पर है। जो सारी स्थिति पैदा हो रही है वह रोपड़ थर्मल प्रोजेक्ट के लिए कितना पानी दिया जाय और किस प्रकार से दिया जाय इसका विवाद चल रहा है। आप अपनी रिपोर्ट को देखेंगे तो उसमें केवल मुकेरियां, आनन्दपुर साहिब, थीन आदि विद्युत प्रोजेक्ट के बारे में उल्लेख किया है लेकिन रोपड़ के बारे में किसी प्रकार का उल्लेख नहीं है। साथ ही, अध्यक्ष महोदय, कल भी इस बात की चर्चा हुई थी कि सरकार भारत सरकार की मध्यस्थता में किस स्थिति पर पहुंच गई है। पंजाब का क्या दावा है, राजस्थान का क्या दावा है, इसके बारे में सरकार की ओर से जानकारी दी जाय।

अध्यक्ष महोदय, मुझे यह भी जानकारी मिली है कि फैसला हो चुका है। राजस्थान की सरकार और हरियाणा की सरकार को कैनाल बन्द करने के लिए नोटिस सर्व होने के बाद भी जो वे अपना काम करना चाहता है, वह काम करेंगे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकारी पक्ष की ओर से पहले सारी स्थिति बताई जाय। इसीलिए माननीय सदस्यों ने मांग की थी कि सारी स्थिति के संबंध में एक नोट बना कर यदि मैम्बर्स को सक्यूलेट कर दिया जाय तो उस आधार पर चर्चा सार्थक होगी। मैं समझता हूं माननीय सिंचाई मंत्री जी आ चुके हैं, नोट उन्होंने रात को तैयार करवाया है और शायद अब तक साक्इलोस्टाइल हो गया होगा। यदि इसमें थोड़ा विलंब होता है तो पहले डिमाण्ड ले ली जाय और उनको नोट सक्यूलेट करने का अवसर प्रदान कर दिया जाय।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, कल का जो वातावरण था उससे तो यह अपेक्षा थी कि आप कल ही इसको शुरू करना चाहते थे। और उसके बाद जब अध्यक्ष महोदय के सामने चर्चा हुई उसमें भी शायद मेघराज जी तावड़ मौजूद थे, यदुनाथ सिंह जी मौजूद थे और कमलेन्द्र सिंह जी भी मौजूद थे, एक ब्योरे वार चर्चा की थी, क्या सन्दर्भ है, क्या वातावरण है इस पर भी थोड़ी बहुत चर्चा हुई थी। मेरा ऐसा ख्याल है कि बजाय इसके कि इस विवाद में पड़ें, आप चर्चा शुरू कर दें। आपकी जो शंकाएं हैं, मैंने कल भी निवेदन किया था कि आपकी शंका का कोई आधार नहीं है। राजस्थान सरकार ने जो शुरू से ही स्टैण्ड रखा है वह स्टैण्ड आज भी कायम है। आपकी चर्चा के आधार पर जो बात आयेगी उसका जवाब देंगे। इसीलिए चर्चा शुरू की जाय, यह मेरा निवेदन है।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सिंचाई मंत्री जी कुछ लाये हों तो दे दें ...

(व्यवधान)

सिंचाई मंत्रीजी ने कल अध्यक्ष महोदय के निर्देश से यह स्वीकार किया था कि इस

(88)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

चर्चा के पहले वह एक नोट मैम्बर्स को सर्यूलट करेंगे, जिसमें यह था, आज की वस्तु-स्थिति क्या है इसकी जानकारी माननीय सदस्यों को दी जाय ।

श्री परसराम मदेरणा (सिंचाई मंत्री): मैंने यह कब कहा था कि नोट सर्यूलेट करेंगे ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा था या नहीं ?

श्री परसराम मदेरणा : मैंने तो यह कहा था कि इन्टर स्टेट मैटर के अन्दर हमारा एक नोट बना हुआ है जो आलरेडी मैम्बर्स को दिया हुआ है, मैम्बर्स के पास होगा । नही होगा तो मांगेंगे तो दे देंगे ।

(व्यवधान)

श्री कमलेंद्रसिंह (बल्लभ नगर) . माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने कहा था कि हमें माननीय सदस्यों के एड्रेस मालूम हैं हम उनके घर भिजवा देंगे ...

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : अलग-अलग बिरोधी पार्टी के महान् नेता के बतौर जब आप दिल्ली पधारे थे उसमें इन्टर स्टेट वाला था ही, मैंने समझा वही आपने....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उसमें रोपड़ का उल्लेख नहीं है । रोपड़ के संबन्ध में आपने आज तक कोई लिट्रेचर दिया है क्या ?

श्री परसराम मदेरणा : रोपड़ की बात तो पंजाब री आर्गेनाइजेशन जो है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह तो हैड वर्क्स का है । मैं थर्मल प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं ।

श्री परसराम मदेरणा : रोपड़ में थर्मल प्रोजेक्ट का मामला तो दूसरा मामला है जो लिंक हुआ है It has been linked with आन्दपुर साहिब का पानी थर्मल के जितने प्राजेक्ट कोई राज्य बनता है, तो आप हम से उम्मीद करेंगे कि हिन्दुस्तान में थर्मल प्रोजेक्ट जहां कहीं भी कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं उनके बारे में हम आपको विस्तृत नोट सक्यूलेट करेंगे ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या रोपड़ थर्मल प्लाण्ट के लिये आपसे पानी देने के लिये मांग नहीं की जा रही है ?

श्री परसराम मदेरणा : जी हां, की जा रही है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह बताइये कि कितनी मांग की जा रही है, यह सवाल है ।

श्री परसराम मदरणा : मांग अभी तो वर्क चार्ज में 600 क्यूसेक्स की की जा रही है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यही तो जानकारी करना चाहते हैं । आप कह रहे हैं लिट्रेचर उस समय दे दिया । उसमें कहीं रोपड़ का उल्लेख ही

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

नहीं है, केवल आनन्दपुर साहिब का उल्लेख है और बाकी के प्रोजेक्ट का उल्लेख है। आज विवाद इस बात शुरू हुआ है कि रोपड़ थर्मल प्रोजेक्ट बिल्कुल कंपलीट हो गया है, कमीशन होने की स्थिति में है उस को यदि पानी दे दिया जाय तो कमीशन हो सकता है। अभी जो भारत सरकार का दवाव बढ़ रहा है वह डायरेक्ट आनन्द पुर साहिब के लिए नहीं है। रोपड़ थर्मल प्लांट को पानी दिया जाय इस संबंध में रोज मीटिंग चल रही है और इसके साथ लिंक कर रहे है वह आनन्दपुर साहिब का। इस सारी स्थिति के सम्बन्ध में आपसे लिट्रेचर की मांग की थी आनन्दपुर साहिब प्रोजेक्ट क्या है, कितना पानी चाहियेगा। बांध नांगल हाइडल चैनल के बराबर समानान्तर चैनल बनाई है इस संबंध में नहीं, इस पर तो इतना ही मान लें कि आपने लिट्रेचर दिया। वह भी, अध्यक्ष महोदय, सभी माननीय सदस्यों को मिलना चाहिये जो नहीं मिला जो अभी माननीय सिचाई मंत्री जी कह रहे हैं कि जिस समय ट्रिपार्टाइट कांफ्रेस में गये थे उस समय लिट्रेचर दिया उस लिट्रेचर में भी इस बात का उल्लेख नहीं है। अब लिट्रेचर में 55 का एग्रीमेंट या 66 का जो एक्ट है उसकी कापी आपने सक्यूलेट की थी, बाकी और कुछ नहीं दिया।

श्री परसराम मदेरणा : 1981 के एग्रीमेंट का नहीं दिया क्या?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह तो हाउस में दिया हुआ है। उसमें क्या बात है?

श्री परसराम मदेरणा : उसमें 1981 का एग्रीमेंट दिया है, उसके साथ कमेंट्स दिये हैं, उसमें राजस्थान का स्टेंड दिया है और उसके साथ 1955 के एग्रीमेंट की कापी दी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह मैं कह रहा हूं कि आपने 1955 के एग्रीमेंट की कापी दी है, 1956 के पंजाब री-आर्गेनाइजेशन एक्ट की कापी दी है या 31 सितम्बर, 1981 को जो एग्रीमेंट हुआ उसकी कापी दी है। उसमें कहां रोपड़ और आनन्दपुर साहिब आते हैं?

श्री परसराम मदेरणा : उनसे लिंक्ड जितने भी इन्टर स्टेट डिस्प्यूट चल रहे हैं वह हैं। उनमें मुकेरियां है, आनन्दपुर साहिब है, थीन है, यह सब एक-एक हैंड लगाकर दिये हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने रोपड़ के बारे में दिया है क्या?

शासकीय वक्तव्य

अन्तर्राज्यीय जल एवं विद्युत विवाद

श्री परसराम मदेरणा : माननीय नेता महोदय, आप बैठिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां बैठ गया।

श्री परसराम मदेरणा : रोपड़ थर्मल पावर प्रोजेक्ट का कूलिंग

(श्री परसराम मदेरणा)

पर्पजेज के लिये पानी नांगल हाईडल चैनल से देने का प्रश्न....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यही है।

श्री परसराम मदेरणा : यह नहीं है। अभी आप समझ ही नहीं रहे हो।

व्यवधान

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मैटर भाखरा नांगल एग्रीमेंट, 1959, जिसमें राजस्थान पार्टनर, स्टेट है, 1959 में हरियाणा नहीं था, भाखरा नांगल एग्रीमेंट में उल्लेख दो ही राज्यों का है, एक राजस्थान और दूसरा पंजाब। तो जनरल एग्रीमेंट के अन्दर एक बी. बी. एम. बी. है। भाखरा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड, पहले व्यास मैनेजमेंट कंट्रोल बोर्ड अलग था। भाखरा अलग था। दोनों को अमालमेंट कर दिया, उसके अन्दर राजस्थान मेम्बर है। राजस्थान के जो कामन स्ट्रक्चर हैं, कामन कैरियस हैं, पावर कन्वेयर्स है पानी का फार्मुलेशन है उसकी कमेटियां बनी हैं। बोर्ड की मीटिंग होती है। राजस्थान के अधिकारी जाते हैं। वहां पर यह तय होता है कि किसको पानी कितना मिलेगा। किस स्टेट को कितना पानी मिलेगा इम्पाउण्ड और स्टोरेज किस साल कितना है और कितना शेयर है। उसको अपोर्शन करते हुए बी.बी. एम.बी. निर्णय लेता है। यह बात बार बार इस सदन में कई दफा अपने सामने भी आई है, और प्रतिपक्ष के नेता मुख्य मंत्री थे उस समय उनके भी सम्मुख आई है। बी बी एम बी तो वहां पर हिसाब करता है और अकाडिंग टू दी शेयर पानी का फार्मुलेशन देख कर के रिलीजेज की बात कहता है। इम्पाउंडेज को देखकर लेकिन, हैड वर्क्स पंजाब के पास में हैं इसलिये बी. बी.एम.बी. और उसका चेयरमैन, जिसको सैन्ट्रल गवर्नमेंट अण्डर दी एग्रीमेंट नोमिनेट करती है आन लुकर है हैल्पलेस है इसीलिये हैड वर्क्स ट्रांसफर होने चाहिये। जब तक हैड वर्क्स ट्रांसफर नहीं होते हैं तब तक बी. बी.एम. बी. का स्पीक नहीं है। बिना स्पीक के जिसको मारवाड़ी डायलेक्ट में बांखा आदमी कहते हैं वह अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकता। यह प्रश्न चल रहा है। अब अगर इसके अन्दर कलोजर का प्रश्न हो, पानी देने का प्रश्न हो तो right falls on B. B. M. B. और राजस्थान सरकार का बराबर यही स्टेण्ड है कि आज कोई भी फोरम है, राइट फोरम है जो कानूनी तौर पर स्टेट्-यूटरी फोरम है। जो एग्रीमेंट के इन in accordance with performing forum है वह फोरम बी.बी.एम.बी. है और बी.बी. एम.बी. को ही इस पर निर्णय लेना चाहिये। बी.बी.एम.बी. की जो मीटिंग हुई है, जो हमारे प्रतिनिधियों ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया है टेक्निकल भी और लीगल भी किया है। इसलिये बी.बी.एम.बी. में इस बात का समझौता नहीं हो रहा है। बी.बी.एम.बी. में अलग अलग राय थी तो भारत सरकार ने इन्टरवीन किया और इन्टरवीन करके सैक्रेटरी लेवल पर, एनर्जी सैक्रेटरी के लेवल पर, केबिनेट सैक्रेटरी के स्तर पर और मंत्री स्तर पर कई मीटिंग बुलायी हैं। वहां पर भी हम ने कहा है कि राइट फोरम इज.बी.बी.एम.बी. है और बी.

(श्री परसराम मदेरणा)

बी. एम. बी. के अन्दर यह निर्णय होने की बात है। जिस तरह से पानी का फारमुलेशन हो रहा है। उसी तरह से पानी हमको पूरा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है; हम हमेशा प्रोटेस्ट बी.बी.एम. बी. में करते रहते हैं। और....

(व्यवधान)

भारत सरकार को भी करते हैं। मेरी बात सुनिये। मैं अभी उस पर आ रहा हूं....

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : यह आगे देने वाली बात आप करवा रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : मैं बैकग्राउण्ड पर इसीलिये आ रहा हूं... ....

श्री अध्यक्ष : इससे कई बातें समझ में आ जायेंगी।

(व्यवधान)

पढ़ने में दिक्कत होगी। जुबानी कह रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भी थर्मल प्रोजेक्ट बना है उसके दो स्टेज हैं, स्टेज वन एण्ड स्टेज टू। स्टेज वन के लिये वह यह कह रहे हैं,इसकी आवश्यकता 600 क्यूसेक हैं। इसमें से एक यूनिट 210 मेगावाट की है, दो यूनिट 420 मेगावाट की। दूसरी स्टेज की तीन यूनिट हैं each consisting of 210 मेगावाट। कुल पांच हैं। जाब का हमेशा यह स्टेण्ड रहा है कि हम जब सैकण्ड स्टेज पर काम करेंगे तो आपको पानी इस नांगल से देना चाहते हैं लेकिन आनंदपुर साहिब की चैनल से सुपर पैसेज बना करके हाइडल चैनल के ऊपर से सीधे रेगुलेटर चार हजार क्यूसेक का बनाया है प्रोजेक्ट के पास, पानी को कन्ट्रोल करने के लिये अन्ततोगत्वा पानी वहां से ले लेंगे। राजस्थान का बेसिक एतराज है कि आनंदपुर साहिब में हमारा शेयर है। यह तो हम झगड़ रहे है, बी.बी.एम.बी. ने यह मैटर अन्डर रूल 7 सैन्ट्रल गवर्नमेन्ट को रेफर कर दिया है इसलिये सैन्ट्रल गवर्नमेंट यदि गुड आफिसेज यूज करना चाहती है तो पहले हमारा जो मैटर रेफर्ड है उसमें फाइनल फैसला अगर गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया नहीं करती है तो हम इस मैटर को सुनना नहीं चाहते है रेगुलेटर हाथ में किस के देना या नहीं देना। हमारा स्टेण्ड यह नहीं रहा है। दूसरी स्टेट का तो रहा है। हरियाणा का तो स्टेण्ड रहा है कि हम रेगुलेटर दे देते हैं बी. बी. एम. बी. को आप क्यों नहीं मानते हो। हमारा प्रश्न बेसिक है। क्योंकि अल्टीमेटली पानी आनंदपुर साहिब से लेना चाहते हैं। कब उन्होंने एक गुलांच खायी है, जम्प किया है, सोमर साल्ट किया है कि नहीं हम तो आनंदपुर साहिब से लेना ही नहीं चाहते। सैकण्ड स्टेज की अभी बात ही नहीं कर रहे हैं और न सुपर पैसेज बनाएंगे और न आपका शेयर वाला झगड़ा चल रहा है, वह मैटर अभी है। अभी तो केवल हमारे शेयर में से हाइडल नांगल चेनल में से हम लेना चाहते हैं पानी, उसके लिए आप परमिशन दे दीजिये। परमिशन हम इसलिये चाहते हैं और तो हम ने हमारा इन्वेस्टमेंट किया, है

(श्री परसराम मदेरणा)

आपका लेना-देना क्या था। लेकिन चूंकि हमको पानी कुलिंग पर्पजेज के लिये आवश्यक है, पानी हाइडल नांगल चैनल से ही मिल सकता है। उसमें आप पार्टनर हो इसलिये आप बैठकर इसको क्लोजर कर दीजिये ताकि हम स्ट्रक्चर बना कर पानी ले लें और उसका जनरेशन शुरू कर दें। हम यह कह रहे हैं कि नहीं, हमारा बेसिक एतराज है। हम यह बात कहते हैं कि हाइडल नांगल चैनल और उसकी केपेसिटी आगे भाखरा मैन केनाल की केपेसिटी मैचिंग करती है। बराबर हैं। उसमें पानी सब का टाटल अपोर्शन में एक क्यूसेक नहीं बनता है। इसलिये यह पानी अगर लोगे तो भाखरा मैन केनाल में पानी कम हो जायेगा। भाखरा मैन कैनाल का पानी जो आज मैच करता है। बराबर क्वान्टम में, वहां कम होता है, तो हम टेल एण्ड पर आये हुए हैं। We would be worst sufferer. इसीलिये यहां पर भी हमारे पानी को तुम इस्तेमाल कर सकते हो इसकी हमको गारण्टी नहीं हैं क्योंकि हमारा एक्सपीरियेंस बहुत बिटर है और बहुत बिटर एक्सपीरियेंस है। जब जब समझौता करते हो, जब जब पार्टी होते हो लेकिन जाने के बाद में तुम क्या करते हो, या तो पंजाब जानता हैं या परमपिता परमेश्वर जानता है। इसलिये हम तुम्हारे कथन के ऊपर किसी प्रकार का रिलायेंस नहीं कर सकते क्योंकि हमेशा हमारा यह अनुभव रहा है। इसलिये हमारे शेयर को इफैक्ट करेगा। केपेसिटी भाखरा मन लाइन की अभी कम हो गयी है इसलिये आप उसकी केपेसिटी पहले रेस्टोर करो, नहीं तो हमारा पानी खाते रहोगे, यह रेस्टोर करोगे नहीं, तुम्हारी ज्योग्राफिकल टेरीटरी है इसलिये भाखरा मैन लाइन की केपेसिटी जो कम है करीबन 1100/1200 क्यूसेक, उस को आप कम कर दें और उसको रेस्टोर कर दो। रेस्टोर करने के बाद में हम सोचेंगे। एक और दूसरा, हम कहते हैं तुम्हारे शेयर में से लेना चाहते हो तो तुम्हारा है फर्टाइल एरिया, उस फर्टाइल एरिया का कुल एरिया कितना डिकमाण्ड करोगे। डिकमाण्ड करो तो करो या नक्शे के ऊपर एलीनियेट करके वापस करो नक्शे को बी. बी. एम. बी. को ताकि बी. बी. एम.बी. पानी के फार्मुलेशन में आपका पानी उतना ही कम करे। यह हमारा स्टेण्ड है आज और इसी स्टेण्ड पर बात है। इससे आगे अब आप चलाइये गाड़ी को।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय....

श्री परसराम मदेरणा : 1100 कह दिया होगा। 11,000 है। 12,500। 12 सौ, सवा बारह सौ क्यूसेक का पानी कम हो जायेगा। हालांकि केपेसिटी दोनों की एक ही सी है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : एक हजार का फर्क है।

अध्यक्ष महोदय, सिंचाई मंत्री जी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

ने जो वक्तव्य दिया है उससे यह तो स्पष्ट है कि पंजाब सरकार के हित में भारत सरकार की ओर से राज्य सरकार पर दबाव पड़ रहा है। यह इससे भी स्पष्ट है कि कल जैसा माननीय मंत्री महोदय ने कहा था कि इस सम्बन्ध में मंत्री स्तर पर, मुख्य मंत्रीजी के स्तर पर, सिंचाई और विद्युत के सचिव के स्तर पर और केन्द्रीय केबिनेट सैक्रेटरी के स्तर पर निरन्तर बैठकें हो चुकी हैं और बैठकें हो रही हैं। इससे, अध्यक्ष महोदय, एक संकेत मिलता है कि भारत सरकार के मन में यह है कि रोपड़ थर्मल प्लान्ट, जो 300 करोड़ रुपये की परियोजना है, और जो कमीशन करने की स्थिति में आ गया है, को कमीशन कराया जाये और उसको कमीशन कराने के लिये जितने पानी की आवश्यकता है, वह पानी राजस्थान को राजी करके पंजाब को दिलवाया जाये। माननीय सिंचाई मंत्रीजी ने कहा कि हमने इस सम्बन्ध में यह कहा है कि तुम पानी अपने हिस्से का लेना चाहते हो तो पहले तो हमको यह बताओ कि जिस पानी से आपके क्षेत्र में, पंजाब के क्षेत्र में सिंचाई होती थी उसमें से कितना क्षेत्र आप अनकमाण्ड कर रहे हो ताकि आप जो कुछ मांग कर रहे हो उस मांग की सत्यता के बारे में विश्वास हो जाये कि यह जो पानी लेंगे उस पानी की कमी अन–कमाण्ड एरिया घोषित करके वहां उसको एडजस्ट कर लेंगे। पंजाब ने इस प्रकार का अभी तक कोई एश्योरेन्स नहीं दिया है बल्कि माननीय मंत्री महोदय को जानकारी होगी कि पंजाब के इस एरिया में वाटर इन्टेन्सिटी 100 पर्सेन्ट जिस समय थी आज 100 पर्सेन्ट नहीं है। 180 पर्सेन्ट है। उन्होंने वाटर इन्टेन्सिटी बढ़ाई है और वाटर इन्टेन्सिटी 180 पर ले गये हैं। इसके बाद में कोई यह विश्वास कर ले कि वहां पर पानी नहीं पहुंचेगा और काश्तकार इस बात को स्वीकार कर लेंगे, यह बात मैं समझता हूं कि न मैं विश्वास करूंगा और न यह सदन इस प्रकार से विश्वास कर सकता है। तो यहां यह प्रश्न तो स्पष्ट है कि पंजाब इस बात का एश्योरेन्स दे दे कि हम अपने हिस्से का पानी रोपड़ में कुलिंग प्लान्ट में जितना पानी उपयोग में आयेगा उतना लेंगे और हम राजस्थान के हिस्से का पानी नहीं लेंगे। अध्यक्ष महोदय, इस बात के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता और इस आर्ग्यूमेन्ट को आधार नहीं बनाया जा सकता। यदि पंजाब कह भी दे कि हम कुछ एरिया अन-कमाण्ड घोषित कर देंगे, तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि इस लोक–तंत्र में जिस क्षेत्र में एक बार तो पानी चला जाये, वहां के किसानों का दबाव पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, तो हमें पानी देना पड़ेगा। जैसे आज रोपड़ के लिए पानी देने की स्थिति पैदा कर दी इसी तरह से सिंचित क्षेत्र को अनकमाण्ड डिक्लेअर कर दें तो वहां के किसानों का दबाव पड़ेगा और हमें पानी उनको निश्चित रूप से देना पड़ेगा।

इसलिए इस आर्ग्यूमेन्ट में तो कुछ है नहीं। अध्यक्ष महोदय, दूसरा आर्ग्यूमेन्ट जो पंजाब सरकार की ओर से दिया जा रहा है कि आनंदपुर साहिब के लिए जो पेरेलल हाइडल चैनल हमने बनायी है

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

नांगल से, हम उस से पानी नहीं लेंगे और पानी ऊपर से ले जाकर रेगुलेटर के पास से ले जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, यह बात भी विश्वास करने लायक नहीं है, और यह इसलिए विश्वास करने लायक नहीं है कि 1972 में जिस समय आनंदपुर साहिब का प्रोजेक्ट बना, पावर प्रोजेक्ट बना, उस समय से लेकर आज तक राजस्थान सरकार और पंजाब सरकार के बीच में विवाद चल रहा है। 1974 में बिना सी०ई०ए० के एप्रूवल के, बिना प्लानिंग कमीशन को एप्रूवल के और बिना राजस्थान सरकार और हरियाणा सरकार की अनुमति के 1974 में उन्होंने पैरलल हाइडल चैनल बनाना शुरू किया। उस समय भी राजस्थान सरकार ने विरोध किया। उस विरोध की चिन्ता नहीं, उस समय भी प्लानिंग कमीशन को लिखा, सी०ई०ए० को लिखा, उसकी भी चिन्ता नहीं। जब प्लान में कोई पैसे का प्रावधान नहीं रखा, सी०ई०ए० की कोई एप्रूवल नहीं हुई तो उन्होंने पैरलल हाइडल चैनल बनाने का काम शुरू कर दिया। उसके बाद यह आनंदपुर साहिब प्रोजेक्ट का काम भी उन्होंने प्रारम्भ कर दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं आज यह कह सकता हूँ कि आनंदपुर साहिब प्रोजेक्ट भी आज कमीशन होने की स्थिति में पहुँच गया है। केवल इस समय वे एक कैमोफ्लेज करना चाहते हैं कि आनंदपुर साहिब का नाम इस समय लेंगे तो प्रश्न यह खड़ा होगा कि मैन बांध से, मैन डेम से जिसमें राजस्थान का भी शेयर है और शेयर बढ़ गया तो प्रारम्भ में शेयर पावर में कम था लेकिन ज्योंहि सतलज ब्यास लिंक बना उसमें हमारा शेयर बढ़ा है। पावर में भी शेयर बढ़ा, पोंग में भी शायद 52 प्रतिशत और डेम के अन्दर साढ़े बाइस प्रतिशत— सॉरी 58 प्रतिशत है। वहां 58 प्रतिशत पॉवर, यहां 22 प्रतिशत पॉवर।

श्री परसराम मदेरणा : यहां 20 प्रतिशत रही, शेयर हमारा 52.6 पर्सेन्ट था। लेकिन पॉवर हमको 58 पर्सेन्ट मिली।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है मैं आपकी बात मानता हूं। जब हमारा पॉवर का हिस्सा बढ़ा यह इसलिए बढ़ा कि ब्यास और सतलज को हमने लिंक कर दिया। लिंक करने में जिस प्रकार का कॉस्ट का शेयर है, उस कॉस्ट के शेयर को आधार बनाकर पानी में और बिजली में हमारा कितना शेयर होगा, यह भारत सरकार ने निर्णय लिया। उसके बाद में यदि कोई भी पॉवर प्रोजेक्ट नांगल से या इस पानी के आधार पर बनता है तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि पानी को इम्पाउन्ड करने में जो हमारा खर्चा लगे, पानी को इम्पाउन्ड करने में मात्रा बढ़े और उसके लिए ब्यास को लिंक करने के अन्दर हमारा जो खर्चा हुआ उस खर्च के बाद में कोई भी उस पानी के आधार पर प्रोजेक्ट बनेगा तो उसमें निश्चित रूप से राजस्थान का शेयर होगा और इस आधार पर जब आनंदपुर साहिब का प्रोजेक्ट बना तो राजस्थान सरकार ने उस समय से जो हमारा हिस्सा है इस बात का क्लेम किया।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

अध्यक्ष महोदय, यह बी. बी. एम. बी. में मामला डिस्कस हुआ, जोनल कांफ्रेंस में भी इस मामले को कई बार उठाया गया और अंत में बीच में याद पड़ता है, यह भी तय हुआ था कि इस मामले के अन्दर एक आर्बिट्रेटर नियुक्त कर दिया जाय, सम्भवत शिवरमन साहिब को इसमें आर्बिट्रेटर नियुक्त किया। राजस्थान सरकार ने इसको स्वीकृति दे दी लेकिन पंजाब सरकार की ओर से उनको आर्बिट्रेटर नहीं माना। उसका नतीजा यह हुआ कि यह मामला अभी भी तय नहीं हुआ। अब पंजाब सरकार की चाल है कि पहले हम रोपड़ का काम शुरू करें। भारत सरकार पर दबाव बढ़ रहा है। प्लानिंग कमीशन या सैन्ट्रल इलैक्ट्रिसिटी अथोरिटी ये सब विचार कर रहे हैं कि हिन्दुस्तान में पावर की कमी है, स्टेट में पावर की कमी है। यदि इस पावर की कमी को पूरा करना है तो प्रोजेक्ट तैयार हो गये हैं, उनको जल्दी से जल्दी कमीशन किया जाय। अध्यक्ष महोदय, आप भी मानकर चलेंगे कि 300 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट हो जाय और वह इन्वेस्टमेंट केवल इस आधार पर ही वर्क वाउट नहीं करें कि पानी नहीं मिल रहा है। पानी भा 800 क्यूसेक, जैसा माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि 600 क्यूसेक उसको पानी चाहिये, 600 क्यूसेक पानी के लिए यदि 300 मेगावाट बिजली दी पैदा हो रही हो, उस प्रकार के प्रोजेक्ट को चालू नहीं किया जाय, यह बात भारत सरकार बार बार दबाव डाल रही है और मैं ऐसा समझता हूं कि राजस्थान सरकार के लिए यह टैस्ट का सवाल है। राजस्थान सरकार यदि यहां झुक गयी या और किसी कारण से झुक गयी तो रोपड़ तो जायेगा ही, लेकिन आनंदपुर साहिब का क्लेम भी आपका खतम हो जायेगा। आप लोग कहेंगे कि आनंदपुर साहिब का क्लेम इस रोपड़ से जुड़ा हुआ नहीं है, यह तो बिलकुल इन्डिपेंडेण्ट है। यदि मैन कैनाल से वे पानी ले गये, और आपकी बिना अनुमति के ले गये, आप झगड़ा करते रहो और वे ले गये तो यह मानकर चलो कि उन्होंने तो आनंदपुर साहिब के लिए पैरलल कैनाल बना रखी है, उसमें आप रोक नहीं सकेंगे। आज आप यह कहना चाहते है कि भाखरा मैन कैनाल के अन्दर 1150 की कैपेसिटी है, 1150 या 1100–साढ़े ग्यारह सौ और नांगल हाइडल चैनल की कैपेसिटी 12.250 क्यूसेक है इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। यह आर्ग्यूमेन्ट भी कोई दमदार नहीं है कि आप इस बात को पहले रेस्टोर करायें कि भाखरा मैन कैनाल के अन्दर पूरा पानी ले जाने की कैपसिटी हो जाय, यह मैं समझता हूं कि लचर दलील यदि राजस्थान सरकार ने दी है, तो इस दलील के आधार पर पानी रोका नहीं जा सकता। आपको यह कहना पड़ेगा कि जो नांगल हाइडल चैनल पर भी हमारा कब्जा है, आप उस समय तक इस कब्जे को पकड़ कर बैठे नहीं रहे तो सारा मसला यों का यों ढीला हो जायेगा। आपका जो यह आर्ग्यूमेन्ट है कि पानी को रेस्टोर किया जाय माननीय सिंचाई मंत्री जी, मैं कहना चाहूंगा कि यह बिल्कुल लचर दलील है, इसको कोई सुनने वाला नहीं है। आज आप कह रहे हैं कि पानी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

की कैपेसिटी को रेस्टोर किया जाय, इतने वर्ष तक ग्राप क्यों बैठे थे? क्यों नहीं आपने इतने वर्षों तक रिमूव कराया, क्यों नहीं आपने उसकी कैपेसिटी बढ़ायी? आज आप इस आधार पर कहना चाहते हैं कि 12,250 क्यूसेक में से हम आगे चलकर भाखरा मैन कैनाल में से जो पानी लेंगे, उसमें पानी कैरिंग कैपेसिटी कम है इसलिए उस कैपेसिटी को रेस्टोर किया जाय, यह कोई तर्क नहीं है। मैं माननीय सिंचाई मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि यदि इस प्रकार का आर्ग्यूमेन्ट दिया है तो उस आर्ग्यूमेन्ट को विथड्रा कर लें। आर्ग्यूमेन्ट केवल एक होना चाहिए कि मैन कैनाल, हाइडल कैनाल के ऊपर यह राजस्थान सरकार की अनुमति के नहीं किया जा सकता। जब तक आप यह स्टेण्ड नहीं लेंगे उस समय तक आप यह मान कर चलिये कि इस मामले में नहीं जीत सकते। साथ ही आपको यह भी कहना पड़ेगा कि आनंदपुर साहिब में जो उन्होंने समानान्तर एक हाइडल चैनल बनायी है वह भी बिल्कुल अनधिकृत है। इसलिए मैंने कल आपसे कहा था कि आनंदपुर के मसले में यदि कोर्ट में ले जाना चाहें तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि राजस्थान के पक्ष में फैसला नहीं देगी। जो हमारे पानी को अनधिकृत रूप से ले जाने के लिए कैनाल का निर्माण कर ले, वे नहीं ले सकते। उसके लिए मैं कहूंगा कि आप सीधे कोर्ट के दरवाजे खटखटायें। यह पानी किसी भी प्रकार से आनंदपुर नहीं जाये, इस तरह की व्यवस्था आप करें। वहां पर यदि पंजाब सरकार या हिन्दुस्तान की सरकार यह कहे कि आज मैन कैनाल में जो हाइडल चैनल है उसके अन्दर से रोपड़ के लिए दे देंगे, पंजाब के हिस्से में से पानी दे देंगे, हम हमारे चैनल को जो हमारे और पंजाब के साझे की है, उस चैनल को बिल्कुल नहीं टूटने देंगे, किसी भी हालत में नहीं टूटने देंगे, जब तक हमारे पानी का जो उन्होंने निकालने का रास्ता किया है उस रास्ते को बन्द करें। आनंदपुर साहिब में जो हमारे पानी के आधार पर पावर जनरेट करना चाहते हैं, हमारा हिस्सा तय करें। यहां पर केवल आनंदपुर साहिब को नहीं लें, आपको जो मुकेरियां कमीशन हो गया है उसके अन्दर हमारा हिस्सा है, उसकी भी मांग करें, थीन डेम के बारे में जो प्राइम मिनिस्टर ने क्लियरेन्स दे दिया है उस संबंध में भी आपत्ति करें और साथ ही उस शाहपुर-काण्डी के संबंध में भारत सरकार ने जो एक लचीला निर्णय लिया है उसके संबंध में भी आपको विरोध करना चाहिए। इसी प्रकार से नायपा झाकड़ी के मामले में राजस्थान को पंजाब और हिमाचल, हरियाणा ने मिलकर जो विदाई दे दी उसको भी प्रतिरोध करें। आर्ग्यूमेन्ट यह पीसमील हम देना चाहेंगे तो पीसमील आर्ग्यूमेन्ट से राजस्थान का फैसला नहीं होगा। हमें सामूहिक रूप से इस मामले को लेना पड़ेगा चाहे पंजाब का हिस्सा हो और चाहे किसी का हिस्सा हो। जब तक हमारी सारी बातें मन्जूर नहीं होगी उस समय तक राजस्थान का जो जोइन्ट वेन्चर है उसमें से एक पार्टी को या पार्टीसिपेन्ट को एक्सक्ल्यूसिवली लाभ उठायें इस प्रकार की

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

स्थिति में ले जाना चाहते। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, अच्छा होता कि राजस्थान सरकार इस विधान सभा में सारी बातें स्पष्ट रूप से रख कर यदि विधान सभा का मत लेती तो राजस्थान सरकार के हाथ स्ट्रेंग्दन होते। मैं यह चार्ज नहीं लगता कि सिंचाई मंत्रीजी या मुख्य मंत्रीजी राजस्थान के हितों का बलिदान करना चाहते हैं। लेकिन बलिदान करना नहीं चाहते हुए भी बलिदान करवाया जा सकता है। यह ताकत यदि प्राप्त करनी थी तो ताकत पैदा करने वाली जगह यह राजस्थान विधान सभा है, पोलिटिकल पार्टी और गवर्नमेन्ट के लिए यदि कोई जनरेटिंग सैन्टर है, यदि पावर जनरेट करता है, कान्फिडेन्स जनरेट करता है तो यह विधान सभा है। इस विधान सभा की पीठ के ऊपर हम कुछ करना चाहेंगे तो यह दलील कभी आपकी चलने वाली नहीं है। मैं आज आपको कहता हूं, मुख्य मंत्रीजी और सिंचाई मंत्रीजी, इस विधान सभा से प्रस्ताव करवा दीजिए कि हम हाइडल चैनल में से थोड़ा बहुत भी पानी रोपड़ के लिए नहीं देंगे, आनंदपुर साहिब का पानी नहीं जा सकता, तो आपको भारत सरकार के सामने कोई आर्ग्यूमेन्ट देने की आवश्यकता नहीं है। आप विधान सभा का प्रस्ताव लेकर जा सकते हैं कि विधान सभा ने प्रस्ताव पास करके हमारे हाथ बांध दिये हैं, हम इसके आगे मूव नहीं कर सकते हैं। आप में ताकत पैदा होगी। हम तो चाहते थे कि मुख्य मन्त्री जी–अपने हाथों को मजबूत करने के लिये कुछ इस प्रकार का मसाला राजस्थान विधान सभा में लाकर उसके आधार पर प्रस्ताव पारित करायेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है, न मुख्य मन्त्री जी ताकत पैदा करना चाहते हैं, न सिंचाई मन्त्री जी किसी प्रकार का निर्देश लेना चाहते हैं। ये कहते हैं कि बात कर रहे हैं, केबिनेट सचिव के स्तर पर अधिकारियों ने जोर-शोर से कह दिया, सिंचाई मन्त्री के स्तर पर जोर-शोर से कह दिया, यह सारा आपका जोर चलने वाला नहीं है। यह जोर तो राजस्थान की विधान सभा में दिखा देना, यह जोर तो सिंचाई अधिकारियों में लम्बा चौड़ा भाषण देकर दिखा देना। लेकिन जिस समय देवी का प्रकोप होगा उस समय न मुख्य मंत्री जी यहां पर टिके हुए नजर आयेंगे, न सिंचाई मन्त्री जी के वहां दर्शन होंगे। इसलिये मैं कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, आज आप पंजाब सरकार को देखिये, हर इश्यू पर व्हाइट पैपर इश्यू किया है चाहे 1981 का, 31 दिसम्बर, 1981 का जो समझौता हुआ उसके लिए व्हाइट पैपर इश्यू किया। सारे मैम्बर्स में नहीं, पंजाब की जनता उसको सक्यूंलेट किया। पंजाब की 20 वर्षों की इलेक्ट्रिसिटी की योजना क्या है, उस योजना में इन्टर स्टेट मैटर कौन से होंगे, भारत सरकार के एन. सी. के साथ हमारे किन किन मामलों में समझौते हुए हैं, कितना पावर जनरेट होगा, कितने एन. टी. पी. सी. के साथ हमारे समझौते हुए हैं, जिसमें कोयले का कहां टाईअप किया गया है। सारी जानकारी पंजाब की सरकार ने विधान सभा के सदस्यों को दी है। समय समय पर चर्चा करते हैं।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

समय समय पर प्रस्ताव पारित कराते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से राजस्थान की सरकार चाहे दिल्ली में बात कर ले, चाहे प्रधान-मंत्री के स्तर पर बात कर ले विधान सभा को कॉनफीडेंस में लेना नहीं चाहती है। मैं चार्ज लगाता हूं, मुख्य मन्त्री जी के ऊपर, चाहे कोई भी मसला हो आपने इस विधान सभा को कॉन्फीडेंस में नहीं लिया। यह तो अपोजिशन की देन है कि पिछले सत्र में रावी व्यास के समझौते के समय एक प्रस्ताव सदन में पारित कराया। वह भी आप नहीं चाहते थे। लेकिन कुछ तो अध्यक्ष महोदय की कृपा थी और कुछ अपोजिशन का दबाव था जिसके कारण वह प्रस्ताव पारित हुआ। मैं आज चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, सरकार यदि ईमानदारी से राजस्थान के हितों के बारे में संघर्ष करना चाहती है, राजस्थान के हितो का बलिदान नहीं करना चाहती तो सरकार को स्पष्ट रूप से कहना चाहिए कि हम रोपड़ में एक इंच पानी नहीं देंगे। हम मैन कैनाल से पानी ले जाने की इजाजत नहीं देंगे, और यदि आनन्दपुर साहिब में वो पानी ले गये तो भारत सरकार का मुंह नहीं ताकेंगे हम अदालत के दरवाजे खटखटाकर वहां से स्टे आर्डर ओब्टेन करेंगे। इसके संबंध में, मुख्य मन्त्री जी, बहुत विनम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि आपको आज आगे होकर विधान सभा में एक प्रस्ताव रखना चाहिए, उस पर माननीय सदस्य चर्चा करके अपनी ओपीनियन दें। विधान सभा का सर्वसम्मत मत लेकर यदि आप दिल्ली जायेंगे तो आप में ताकत होगी। राजस्थान के हितों की रक्षा करने में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। आपके कागज और सारा राजस्थान की जनता आपके साथ होगी। आप तो अकेले हवाई जाहज में बैठकर दिल्ली जाना चाहते है, परसराम जी को साथ ले जाना चाहते हैं, दो-एक अधिकारियों को साथ ले जाना चाहते हैं। मैं आपके साथ एक मन्त्री और सरकारी अधिकारियों को नहीं राजस्थान की साढ़े तीन करोड़ जनता की भावनायें दिल्ली तक पहुँचाना चाहता हूं, इसलिये कहना चाहता हूं कि इस विधान सभा को कान्फीडेंस में लेकर पूरी राजस्थान की जनता को साथ लेकर दिल्ली में जायें। इतना मुझे विश्वास है कि राजस्थान की जनता और विधान सभा आपकी पीठ के ऊपर रही तो न, परसराम जी, आपको झुकने का मौका मिलेगा न मुख्य मन्त्री जी आपको झुक कर राजस्थान के हितों का बलिदान करना पड़ेगा। इस आधार पर मैंने कल प्रस्ताव उठाया था....

श्री परसराम मदेरणा : आदमी आदमी के वजन में बहुत फर्क होता है। पर्सनलिटी को वजन का कहता हूं, मैं किसी फैट से लम्बा चौड़ा नहीं कहता। इसलिये मुख्य-मंत्री जी मुझे ले जाते हैं तो कोई मतलब से ले जाते होंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह मैं भी जानता हूं कि मुख्य मंत्री जी परसराम जी को इसलिये साथ ले जाते हैं कि परसराम जी मुख्य मंत्री जी से ज्यादा ताकतवर हैं।

श्री परसराम मदेरणा : ताकतवर का

(श्री परसराम मदेरणा)

सवाल नहीं है। Immediate consultation.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यही है।

श्री परसराम मदेरणा : ताकतवर का सवाल नहीं है। कन्सल्टेशन....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं पर्सनेलिटी का है।

श्री परसराम मदेरणा : Vital and delicate matters require immediate consultation.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह तो हम जानते हैं कि मुख्य मंत्री जी से ज्यादा पर्सनेलिटी आपकी है।

श्री परसराम मदेरणा : पर्सनेलिटी क्या होती है ?

पर्सनेलिटी आपकी भी रामनिवास जी मिर्धा से मिलती है। मैं पर्सनेलिटी में सरोजनी नायडू का मुरिद रहा हूं महिलाओं में हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा टॉलेस्ट अगर कोई है पिछली दो शताब्दी में, तो वह सरोजनी नायडू है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यहां पर पर्सनेलिटी का सवाल नहीं है। मैंने पर्सनेलिटी की बात नहीं कही। मेरे कहने का सीधा सा अर्थ यह है कि मुख्य मंत्री जी जायें, सिचाई मंत्री जी जायें, अधिकारी जायें, मैं यह कहना चाहता हूं कि कोई जाये, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मैंने तो स्वयं स्पष्ट रूप से कहा है कि आपके मन में राजस्थान के हितों का बलिदान करने की नहीं है। लेकिन कुछ सरकम्सटान्सेज ऐसे आते हैं। कुछ दबाव इस प्रकार के आते हैं कि मन में नहीं चाहते हुए भी इस प्रकार के निर्णय के ऊपर हस्ताक्षर कर आना है मन में यह समझते हुए कि इससे राजस्थान का नुकसान होगा। इसलिये मैं कह रहा था कि आप लोग जायें आपके पीछे राजस्थान की विधान सभा हो और राजस्थान विधान सभा के पीछे पूरे राजस्थान की जनता हो।

श्री परसराम मदेरणा : हम को तो यह अनफिलन्चिग फेथ और भरोसा था। यह हाउस जो है, राजस्थान जो है, सरकार के पीछे है। इस ताकत के बल पर बोल रहे थे। आप कह रहे है कि हम यों ही चले गये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह सही है। यह तकनीकी बात है। आप कह सकते हैं कि मुझे कॉन्फीडेंस में लेने की क्या जरूरत है ? 1980 के चुनावों में बहुमत के आधार पर आये हैं, बहुमत हमारे साथ है और इसलिए पूरी राजस्थान की जनता हमारे साथ है। यह आप तकनीकी आधार पर कह सकते हैं। आप यदि राजनैतिक आधार पर मानें कि हम आज भी इलेक्टेड गवर्नमेंट हैं। तो उस आधार पर भी कह सकते हैं लेकिन ऐसे मसलों पर, सिचाई मंत्री जी, आप भी स्वीकार करेंगे कि ताजा मसला क्या है ?

श्री परसराम मदेरणा : ताजे मसले के ऊपर आपने मुझे एक दफा कॉन्फीडेंस में लिया था तब मैं लीडर आफ अपोजिशन था और आपने कहा कि यह करार कर रहे हैं शाह ईरान के साथ में । पर थोड़े दिनों बाद उसके बोरी बिस्तर गोल हो गये ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, सिंचाई मंत्री जी की इंटवेंशन कितना लचर है । इसका तो आप भी अनुमान लगा सकते हैं । पर्सनेलिटी के स्तर का । अध्यक्ष महोदय मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने कन्सल्टेशन किया....

श्री अहमद बक्श सिंधी : किस्मत की बात है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी भी किस्मत खुल गयी तब बैठे हो मंत्री बन कर कोई योग्यता के आधार पर थोड़े हो बैठे हो । आप भी योग्यता के आधार पर नहीं, किस्मत के आधार पर बैठे हो इसलिये आये जाओ कोई बात नहीं है ।

श्री अहमद बक्श सिंधी : जो तारीफ बतायी....

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं अध्यक्ष महोदय । इसलिये निवेदन करना चाहता हूं इस सबंध में, यह एक मसला नहीं है । एक छोटा सा मसला है । रोपड़ का तो बहुत ही छोटा सा है । लेकिन इस मसले के साथ बहुत सारे के सारे मसले टाइडअप हैं । वह चाहे आनन्दपुर साहिब का मसला हो चाहे मुकेरियां का मसला हो, चाहे नाथपा–झाकड़ी का मसला हो, चाहे थीन डेम का मसला हो चाहे चमेरिया का हो, चाहे मुख्य-मंत्री जी ने पार्वती का समझौता किया है वह हो । सारे मामले टाई अप किये हुए हैं । यदि एक जगह भी यह चैन खुली गई तो दो टुकड़े होंगे इसके और उसका परिणाम राजस्थान को भोगना होगा । अध्यक्ष महोदय, अभी मुख्य मंत्री भी कह रहे थे और सिंचाई मंत्री भी कह रहे थे कि हम किसी भी लेबल पर निपटेंगे । मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप सही बतायें कि नहर क्लोजर के संबंध में आपको नोटिस मिले हैं या नहीं ? और नोटिस मिले हैं तो उसका इम्पेक्ट क्या है ? ये किस बात के नोटिस हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : बंद करने का ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : किस बात के लिये ?

श्री शिवचरण माथुर : जवाब देंगे ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जवाब दे दें । बता दीजिये । मेरा भी ज्ञानवर्द्धन हो जायेगा ।

श्री परसराम मदेरणा : क्लोजर है । यह तो अपने आप ही स्पष्ट हो गया है । क्लोजर काहे के लिए हो रहा है । यह किस बात के लिये होता है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बतायें ना काहे का ।

श्री परसराम मदेरणा : क्लोजर तो लिंक करने के लिये रेगुलेटर से एक चैनल

(श्री परसराम मदेरणा)

को हाइडल चैनल को लिंक करने के लिये और काहे के लिए क्लोजर मांग रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, जो मैं कह रहा था, जो मेरा संदेह था, वह स्पष्ट है।

श्री परसराम मदेरणा : वह स्पष्ट है as clear as day.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं आज यह कहना चाहता हूं कि अगर मैं कल यह मसला नहीं उठाता तो राजस्थान सरकार तो विधान सभा को कॉन्फीडेंस में लेने वाली नहीं थी। यह मैंने कल मामला उठाया तब जाकर यह पता लगा है कि क्लोजर का नोटिस दिया गया है। कल तक तो आप और मुख्य मंत्री जी दोनों एक ही बात कह रहे थे। कि हम ने केबीनेट सैक्रेटरी के स्तर पर राजस्थान का पक्ष रखा हैं सिंचाई मंत्री के स्तर पर राजस्थान के पक्ष को रखा है....

श्री खेतसिंह राठौड़ : मसला तो हम सबने मिलकर उठाया है। हम सब ने बैठकर बात करके उठाया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : खेतसिंह जी, आप तो पंचायत का मामला हो तो बोल लिया करो। ये अन्तर्राज्यीय सिंचाई के मामलों में आप क्यूं बोलते हैं? आपको तो सोलंकिया तला के सरपंच को सस्पेंड कराना है। वह ही काफी है। आप कहां इस मामले में पड़ गये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं ऐसी छोटी हरकतों में जिन्दगी में कभी नहीं पड़ा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप पड़े नहीं लेकिन करवा देते हैं। आप होशियार बहुत हैं। एक सरपंच की लड़ाई है उसमें भी आप काबू नहीं कर पाये, ये पंजाब सरकार से लड़ने जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिये निवेदन करना चाहता था कल जो मैंने आपसे निवेदन किया और जिस अर्जेंसी की ओर मैंने संकेत किया था....

श्री परसराम मदेरणा : उस दिन तो कागज मैं ढूंढ रहा था। मुझे मिला नहीं, मैं जिस दिन 5 तारीख को डिटेल में बोलते-बोलते रोपड़ के बारे में कह रहा था उस समय वह कागज मिला नहीं। Rajasthan stalls Ropar unit opening. We have already stalled it.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अच्छा अच्छा।

श्री परसराम मदेरणा : इसलिये नोटिस वोटिस सब गया....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह राज्य सरकार जो दिखा रही है वह ट्रिब्यून में लिखा हुआ है ना?

श्री परसराम मदेरणा : राजस्थान सरकार ने यह सब मामला....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह अखबार कौनसा है? यह ट्रिब्यून है ना?

श्री परसराम मदेरणा : बी बी एम बी में 26 मार्च, 1983 है....

श्री भैरोंसिह शेखावत : अखबार कोनसा है ?

श्री परसराम मदेरणा : ट्रिब्यून तो बराबर में यहां रिपीट कर रहा था। आपने गलत कहा....

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं यह पूछ रहा हूं कि यह अखबार ट्रिब्यून ही है ना।

श्री परसराम मदेरणा · Rajasthan stalls Ropar unit opening.

(2.00 म.प)

'The Obduracy'

Obduracy means stubbornness, हठधर्मी

"Obduracy on the part of Rajasthan Government who is stalling the commissioning of the first unit of the 420 M. W. Ropar Thermal power Station in Punjab.

This is hundred percent correct.

श्री भैरोंसिह शेखावत: अध्यक्ष महोदय, सरकार की एक तो यह विशेषता बन गयी है। कि अखबारों की कटिंग इस सदन में प्रस्तुत करें यदि किसी अखबार ने....

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, नहीं, we will place the record on the table of the House. मैं जो कह रहा हूं इसके पीछे फोरम के ऊपर चर्चा होकर निर्णय हुआ है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : ये है स्पिरिट अध्यक्ष महोदय, इनकी प्रशंसा करनी पड़ेगी।

श्री परसराम मदेरणा : हमको ये कहा कि ये सीक्रेट है लेकिन राजस्थान के हितों से अधिक कोई चीज सीक्रेट नहीं हो सकती, ऐसा मैं कहना चाहता हूं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए चाहूंगा कि जो अब तक नोटिस, कल भी मैंने आपसे निवेदन किया था कि मुझे ऐसा लगता है कि फैसला हो चुका। अब माननीय मंत्री महोदय ने यह स्वीकार कर लिया है कि नोटिस for closure of the Canal ये इश्यू हो गए, और कैनाल बन्द करने का मतलब ये है कि उस कैनाल से रोपड़ के लिए पानी चला जाय, उसको लिंक किया जाय। उस लिंक कैनाल के लिए खुल गया तो राजस्थान सरकार ने अब तक जो प्रोटेस्ट किया, वह बेकार गया। अब तक लम्बे चौड़े भाषण दिये, वे बेकार गये। इसलिए मैं चाहूंगा कि वस्तु स्थिति क्या है, उस वस्तु स्थिति के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मन्त्री जी और सिंचाई मंत्री जो एक स्टेटमेन्ट दें, उस स्टेटमेन्ट के ऊपर सदन को चर्चा करने का अवसर दिया जाय और फिर सदन उसके ऊपर अपना क्या री-एक्शन देता है उस री-एक्शन को लेकर माननीय मुख्य मंत्री दिल्ली जाकर विधान सभा की भावनाओं से लोगों को परिचित करायें। यह ज्यादा अच्छा होगा। तो मैंने उस समय भी जब माननीय सदस्य भंवरलाल

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

जी ने और बाकी के लोगों ने मांग की कि आप लिट्रेचर पेश करो। उस लिट्रेचर पेश करने के पीछे यह भावना थी कि सरकार वस्तु स्थिति से माननीय सदस्यों को अवगत करा दे। अध्यक्ष महोदय, इस तरह से हम पराजित हो गये, हमारा प्रोटेस्ट भारत सरकार ने स्वीकार नहीं किया, हमारे आर्ग्यूमेन्ट भारत सरकार ने स्वीकार नहीं किये, अनकमाण्ड डिक्लेयर करने का या पानी नहीं देने का, जो मैं अभी कह रहा था उसको भारत सरकार ने स्वीकार नहीं किया और भारत सरकार ने राजस्थान के हितों की उपेक्षा कर क्लोजर के लिए नोटिस दे दिया। इसका मतलब कि मैंन कैनाल के सम्बन्ध में जो हमारे आर्ग्यूमेन्ट थे वे सब खतम हुए और रोपड़ के लिए पानी दिया जायगा। आज मैं कहता हूं इस सम्बन्ध में विधान सभा की पीठ के पीछे यदि आपने कोई समझौता किया है या जबर्दस्ती कोई समझौता कराया है या भारत सरकार ने यूनिलेटरली कोई डिसीजन लिया है, वे सब बातें सदन के सामने सरकारी पक्ष की ओर से रख दी जायं और उसके ऊपर विधान सभा को चर्चा करने का मौका दिया जाय। मैं फिलहाल इतना ही निवेदन करता हुआ अपनी बात बीच में ही खत्म करता हूं।

श्री अध्यक्ष : सिंचाई मंत्रीजी।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, अब दूसरे माननीय सदस्य भी अपने विचार रखना चाहेंगे, सदन के अन्दर हमारी पार्टी के लोग भी। इसलिए जो माननीय सदस्य इसमें पर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनको भी अवसर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता ने अपना भाषण समाप्त नहीं किया है। उन्होंने एक प्रश्न रखा है आपके सामने कि पहले सिंचाई मन्त्री जी वास्तव में स्थिति क्या है वह सदन के समक्ष रखें उसके ऊपर चर्चा हो और तत्पश्चात फिर सरकार का उत्तर आये, यह बात उन्होंने कही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप नोटिस की कापी रखें हाउस का मेज पर?

एक माननीय सदस्य : तारीख क्या है?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इनकी स्पिरिट की तारीफ करता हूं।

श्री परसराम मदेरणा: माननीय अध्यक्ष महोदय. वर्तमान में राजस्थान के मुख्य मंत्री पहले स्टेट एन्टरप्राइजेज कमेटी के चेयरमेन थे, जिसके चेयरमैन अब आप हैं, पी. यू. सी. की रिपोर्ट में मुख्य मन्त्री जी ने यह बात कही है कि ऐसे मामलों के अन्दर हाईएस्ट पालिटिकल लेवल के ऊपर निर्णय लेने चाहिए और उनको डायरेक्शन देने चाहिये, क्योंकि उस वक्त के चेयरमैन वर्तमान में मुख्य मन्त्री हैं इसलिए हाईएस्ट पोलिटिकल लेवल से ही ये वक्तव्य आना चाहिये।

(व्यवधान)

आप सुनिये, विपक्ष के आने वाले माननीय सदस्य यह जानते हैं कि यह हरिके का मामला नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री परसराम मदेरणा : दीगोद से आने वाले माननीय सदस्य ये जानते हैं कि ये ऐसा मामला नहीं है।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : मैं पी. यू. सी. का मेम्बर रहा हूं और माननीय मुख्य मन्त्री जी के साथ टेल से लेकर हैड तक पूरे प्रोजेक्ट को देखकर आया हूं, इसी आधार पर मैं अपनी बात कह रहा हूं इसमें पेज नम्बर 4 पर लिखा हुआ है कि जो बात आप कह रहे हैं वह लिखा है कि

श्री परसराम मदेरणा : मुझे मालूम है, मुझे अच्छी तरह से मालूम है।

एक माननीय सदस्य : ये च्वनप्राश नहीं है, दाऊदयाल जी।

श्री दाऊदयाल जोशी : हाइएस्ट आथोरिटी के पास जाने के बाद हाइएस्ट आथोरिटी इस बात को नहीं माने तो हमको कोर्ट में जाने के लिए....

एक माननीय सदस्य : ये चूरण चटनी नहीं हैं।

(म. प. 2.05 बजे)

[श्री हरिसिंह (कुम्हेर), सभापति, पदासीन]

श्री परसराम मदेरणा : मुझे यह बात भी मालूम है कि जो माननीय सदस्य उस कमेटी के मेम्बर हैं 11, उनमें आप भी माननीय सदस्य, उसके सदस्य हैं। मुझे इस बात की भी जानकारी है कि आप एक स्थान पर सर्किट हाउस में ठहरने की सुविधा नहीं दी थी। मुझे इस बात की भी जानकारी है कि आप पड़ोसी गये थे और वहां पर आपके फिसलने की, एक दफा जब आप नीचे थे, नौबत आ गयी थी मुझे इस बात की भी जानकारी हैकी जिस वक्त एजिटेशन चल रहा था, उस समय आपके एक सदस्य सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य को आन्दोलनकारियों ने रोक लिया था।

श्री भैरोंसिह शेखावत : सफेद टोपी क्यों लगा रखी है, इसलिए।

श्री परसराम मदेरणा : इसलिए, सभापति महोदय, ये जो नोटिस और क्लोजर के नोटिसेज इश्यू हुए हैं ये नोटिसेज पंजाब ने इश्यु किए हैं अपने पाने की जो बेनिफिसियरीज हैं, या उपभोक्ता हैं हरियाणा सरकार जैसी हमको जानकारी मिली है, उन्होंने भी नोटिस पब्लिश करके अपने उपभोक्ताओं को सूचित किया है, राजस्थान ने कोई नोटिस नहीं निकाला है। राजस्थान का स्टेण्ड बहुत साफ रहा है कि हम कभी भी इस प्रकार के किसी भी क्लोजर के अन्दर पार्टी नहीं है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : पार्टी नहीं है। तो वे कर लेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : मेरी बात तो सुनिये।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप ऐसी बात क्यों करें, पार्टी नहीं है। पूछता कौन है। आपको ?

श्री परसराम मदेरणा : मेरी बात सुनिये।

बी. बी. एम. बी. ने इस प्रकार को गलतफहमी के अन्दर, मिसअन्डरस्टेन्डिग के अन्दर इन स्टेट को लिख दिया। हमने बी. बी. एम. बी. की रिव्विजिशन मीटिंग बुलायी। रिव्विजिशन मीटिंग में हमने रिजोल्व करा दिया कि क्लोजर का कोई डिसीजन नहीं हुआ है। जब क्लोजर का डिसीजन नहीं हुआ है तो आगे हरियाणा के और राजस्थान के बीच में क्या बातें हैं, वह अभी बात हो रही थी, मुझे अभी उसकी जानकारी नहीं है। हरियाणा के मुख्य मंत्री जी और अपने राजस्थान के मुख्य मंत्री जी के बीच में नोटिस को लेकर बात–चीत हो रही थी। पंजाब तो, आप जानते हैं, बिथड्रा करेगा नहीं, तो इस तरह के हमारे एफर्ट् से चल रहे हैं। लेकिन उस 24 तारीख की रिव्विजिशन बी. बी. एम. बी. की मीटिंग में जब यह डिसीजन ले लिया कि,

This is not a decision of the B.B.M.B. The B.B.M.B. could not have taken such a decision, and B.B.M.B. said yes, we have not taken that decision; and whatever is on record may be corrected.

उसके बाद में मामला स्टाल हो गया, स्टाल हो गया, तब ये अखबार में छपा है। मैं यह कह रहा हूं इसलिये बी. बी. एम. बी में जो भी निर्णय हुआ है 24 तारीख की मीटिंग में, रिव्विजिशन मीटिंग है राजस्थान की उसकी तमाम प्रोसीडिंग्स हम यहां पर रख देंगे, उससे सब स्थिति स्पष्ट होगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कब रखेंगे ?

(व्यवधान)

श्री सभापति : अवसर दे दूंगा। विराजें। आप बोल लेना। आपको अवसर दे दूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कब रखेंगे ?

श्री परसराम मदेरणा : मुख्य मंत्री जी जब बोलेंगे, कई मामले हैं उसमें तो। मैं तो बीच में....

(व्यवधान)

आपने तो मुझे डॉक में खड़ा कर दिया, आपने वह दिया नहीं फैक्चुअल नोट वोट तब मैंने यह बात कही है। आपको एप्राइज करने के लिये फैक्चुअल पोजीशन दी है। जितने भी आपने मुद्दे उठाये हैं जिनके बारे में आपको शंकायें हैं, जो कुछ भी बात मैंने आपसे कही, हम कह रहे हैं, या पंजाब कह रहा है। कुछ बातें सामने मीटिंग में आई हैं। आप किसी भी टेबल पर बैठते हैं एक्रास दी टेबल, तो आपके सामने वह एक बात कहते हैं आप दूसरी बात कहते हैं। इसलिए डी–कमान्ड की बात या कैपेसिटी को रेस्टोर करने वाली बात, या इसको टिकरिंग विथ इट समझें या उसका सिर्फ समझें नाक। हमारे क्या स्टेण्ड रहे, इस में हमारा स्टेन्ड बिल्कुल यह रहा है, हम बराबर आनन्दपुर साहिब वाली बात को आगे रख रहे हैं। हमारा सबसे पहले आर्ग्यूमेन्ट

(श्री परसराम मदेरणा)

तो यही रहा है कि जब आर्बिट्रेशन के अन्दर मैटर रेफर कर दिया है। रूल–7 में पहले शिवरमन को आर्बिट्रेशन की बात हमने कही थी लेकिन आर्बिट्रेशन उसका नहीं किया। इसलिए पहले तो फाइनल फैसला जो आपके पास में रेफर्ड मैटर है उसका कीजिये, उसके बाद में हम उस बात को सोचेंगे।

रेगुलेटर, रैगुलेटर, 600 क्यूसेक्स शेयर वगैरह का मामला सैकण्डरी है। हमारा पहला स्टेण्ड यही है कि आनन्दपुर साहिब में हमारा शेयर तय कर दीजिये।

श्री सभापति : श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : माननीय सिंचाई मंत्री जी का भाषण सुनने के बाद इस सदन को इस बात की पूरी शंका हो गयी है। जैसे अभी यहां प्रकट कर रहे थे। रोपड़ का उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया बिना राजस्थान गवर्नमेण्ट की सैंक्शन के, बिना प्लानिंग कमीशन की स्वीकृति के उन्होंने प्रोजेक्ट बनाकर तैयार किया। उसके बाद मेन कैनाल से कैनाल निकाल कर तैयार कर ली, सभापति महोदय। जैसा इन्होंने कहा कि इनको नोटिस मिल गया इस बात का कि नहर का क्लोजर किया जाय....

(2.10 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

क्लोजर इसलिए किया जाय कि क्लोजर के बाद रोपड़ के हैड....

श्री अध्यक्ष : कृपया, एक मिनट बैठ जायं।

इस चर्चा में करीब पूरे एक घण्टे का समय लग गया लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मैं स्वयं भी पूरा समझ नहीं पाया कि विचारणीय बिन्दु क्या है। क्या विचारणीय बिन्दु हैं, अगर मैं थोड़ा बहुत समझ पाया तो यह है कि 600 क्यूसेक्स पानी, जो राजस्थान हरियाणा और पंजाब की सम्मिलित नहर है उसमें से लिया जायेगा और उस पानी को ठण्डा करने के लिए, बिजली में और काम में लिया जायेगा। फिर वह पानी किसी दूसरी चैनल में पड़ेगा। फिर वह पानी वापस अपने काम में आयेगा या पंजाब के काम में आयेगा, उसका अपने पर क्या असर पड़ने वाला है। अगर वह उनके हिस्से का पानी लेते हैं तो उस स्थिति में अपन को उस से क्या एतराज हो सकता है। इस सम्बन्ध में यदि मुख्य मंत्री जी या सिंचाई मंत्री जी कुछ कहें तो विचार के बिन्दु बनते हैं। वरना तो मुझे ऐसा लगता है कि हम अंधेरे में भटक रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कहने से काम नहीं चलेगा। लिट्रेचर भी दें।

श्री अध्यक्ष : विचारणीय बिन्दु हैं वह तो आखिर में बहुत थोड़े में कहे जा सकते हैं। जिस पर चर्चा हो, विचारणीय बिन्दु आखिर क्या हैं। मैं स्वयं भी अभी समझ नहीं पाया। यदि इसका और स्पष्टीकरण कर दिया जाय तो उस पर कारगर चर्चा हो सकती है।

श्री शिवचरण माथुर : विपक्ष के नेता महोदय ने....

श्री अध्यक्ष : हमको आशंकायें क्या हैं ? हमको क्या डर है ?

श्री शिवचरण माथुर : रोपड़ थर्मल पावर स्टेशन, जो कि पंजाब ने अपनी तरफ बनाया है, कोई हाइडल प्रोजेक्ट नहीं है। वह थर्मल प्रोजेक्ट है। जैसे हमने कोटा में थर्मल पावर बनाया है उसी प्रकार पंजाब ने अपना रोपड़ थर्मल पावर स्टेशन बनाया है। उसको चलाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। वह पानी लेना चाहते हैं नांगल हाइडल चैनल से. नांगल हाइडल चैनल कामन वर्क्स हैं। उसमें से पानी लेने के लिए राजस्थान को पूछना जरूरी है। उस नांगल हाइडल चैनल में से 600 क्यू-सेक्स पानी लेने वाली बात है। ऊपर वह जहां तक भाखड़ा मेन कैनाल शुरू होती है उस वक्त तक उसकी कैपेसिटी 12500 क्यू-सेक्स की है। उसके बिल्कुल ठीक बगल में पंजाब ने आनन्दपुर साहिब चैनल बनाई है, उस चैनल की कैपेसिटी भी वही है जो नांगल हाइडल चैनल की है। करीब 122-50, की कैपेसिटी उसकी है। उस चैनल पर जैसा नांगल हाइडल चैनल पर कोटा और गंगवाल के पावर हाउस बने हुए हैं ठीक उसी एलाइनमेण्ट में आनन्दपुर साहिब चैनल, आनन्दपुर साहिब का एक पावर प्रोजेक्ट बनाया है। 1959 के एग्रीमेण्ट के मुताबिक वहां शुरू से वर्क्स रखे हुए हैं जो कि कामन वर्क्स हैं। जैसा कि आपने भी कहा, भाखड़ा का मेन बांध, उसके पास में नांगल का पोण्ड जहां पर कि भाखड़ा से पानी निकल कर नांगल पोण्ड में आता है। नांगल पोण्ड से नांगल हाइडल चैनल में पानी जाता है। यह सारे के सारे कामन वर्क्स हैं। नांगल पोण्ड में या भाखड़ा के रिजर्वायर में हमारी भी कास्ट लगी है। उस कास्ट का और बेनिफिट्स का फैसला हो चुका है। शुरू शुरू में पानी शेयर करने का फैसला हुआ. उसके बाद में 1962 में ए. एम. खोसला की एक कमेटी बनाई गयी जिसको यह बात तय करने के लिए निश्चित किया गया कि कास्ट के आधार पर आप का शेयर कितना हो, कास्ट कितनी हो, उसके आधार पर शेयर तय हो गया। उस इम्पाउण्डेड वाटर के द्वारा अगर कोई भी चीज आगे बनाई जाती है तो उसमें राजस्थान का भी हिस्सा आता है। राजस्थान की शेयर कैपिटल होनी चाहिए, मूल प्रश्न यह है। इस प्रश्न को हमने, जब से पंजाब ने प्रोजेक्ट बनाने वाली बात शुरू की आनन्दपुर साहिब चैनल की, तभी से, अध्यक्ष महोदय, एजीटेट करना शुरू किया। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना उत्तर देते समय सब पत्र पढ़कर सुनाना चाहता था....

श्री अध्यक्ष : पैरेलल दूसरी चैनल साढ़े बारह हजार क्यूसेक्स की है, उस पर अपना खर्चा लगा है कि नहीं लगा है ?

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : शुरू से ही इल्लीगल है।

श्री शिवचरण माथुर : अपना नहीं लगा है। वही हम कह रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : इसके मायने अपनी कैनाल जो कि कामन है वह एक तरफ चलती है और उन्होंने उसी कैपेसिटी की अपने काम में उसमें से पानी लेने के लिए दूसरी बड़ी नहर बना ली ? अन्यत्र कहीं ले जा रहे हैं।

श्री शिवचरण माथुर : जी हां, हमने

(श्री शिवचरण माथुर)

यह कहा है कि जो पानी नांगल पोण्ड में इम्पाउण्ड किया है उससे अगर कोई भी दूसरी चैनल ले जाते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, हम उसकी कास्ट शेयर करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप अलग से नहीं बना सकते हमारी कॉन्करेंस के बगैर, हमसे पूछे बगैर। पंजाब ने इसकी परवाह नहीं की और पंजाब लगातार उसको बनाता गया। अपना खर्चा करता गया। यहां तक कि प्लानिंग कमीशन की भी राय की, प्लानिंग कमीशन के एलोकेशन की परवाह नहीं की, और चैनल बना ली। चैनल के नीचे एक पावर हाउस और बना लिया। उस पावर हाउस को आगे जोड़ने वाली बात है। उस चैनल से पानी लेकर उस पावर हाउस को चलाया जाता है और उसी से वहां पर रोपड़ थर्मल पावर प्लाण्ट को पानी देने का सवाल आता है। पहले तो कहते थे कि आनन्दपुर साहिब चैनल से सुपर पैसेज बनाकर इस रोपड़ में पानी देंगे। अब, जैसा कि आपने अभी कहा, उन्होंने अपना स्टैण्ड चेन्ज किया है। चूंकि आनन्दपुर साहिब चैनल में राजस्थान के शेयर को डिटरमिन करने का हमारा शुरू से स्ट्रेस रहा है, हमने लगातार 1971 से आज तक भारत सरकार के अलग अलग फोरम पर चिट्ठी लिखकर, चीफ मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस में, सब में अपना एतराज उठाया है। उस शेयर को डिटरमिन करने की चीज को स्टाल करने के लिए पंजाब ने अपना दूसरा स्टैण्ड अब लिया है। वह कहते हैं कि हम तो नांगल हाइडल चैनल में हमारा जो लो हैड एस्केप से पानी खाली जाता है, बेकार जाता है, फालतू जाता है, करीब 1100, 1200 क्यूसेक्स, वह पानी जो लो हैड एस्केप से निकाल देते हैं उस पानी के बदले में हम 600 क्यूसेक्स पानी को लेना चाहते हैं। हमने यह भी कहा है मीटिंग में कि लो हैड एस्केप का पानी फालतू नहीं जाता है। लो हैड एस्केप का पानी निकालकर सतलज की रिवर में डालते हैं। फिर वह सरहिंद सिस्टम है उनका, उस सरहिंद सिस्टम में यूज कर लेते हैं। दरअसल कोई भी फालतू पानी होगा इस सारे सिस्टम का तो वह पाकिस्तान में जाने वाला पानी होगा। वह हिन्दुस्तान के अन्दर तो भले ही आप एस्केप से नदी में डालें, नदी से फिर किसी सिस्टम में डालें, अल्टीमेटली कोई न कोई स्टेट उस पानी का उपयोग कर रहा है। इसलिए हमारा कहना यह है कि यह जो पानी आप कहते हैं कि लो हैड एस्केप से फालतू जा रहा है इस पानी में से 600 क्यूसेक्स यूटीलाइज कर रहे हैं। आपके पानी का सवाल क्या है। हमारा शुरू से यही स्टेण्ड रहा है। मै एक एक पत्र को पूरा पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। शुरू से हमारा स्टेण्ड यही रहा है। आज भी हमारा स्टेण्ड यही है। हमने पानी के बारे में नहीं कहा। आपने कहा, भाखड़ा मेन लाइन के रेस्टोरेशन की कैपेसिटी का सवाल आता है। उसमें तो हमारा इन्ट्रेस्ट इतना है। ज्यादा तो इन्ट्रेस्ट उसमें हरियाणा का है। 7 हजार क्यूसेक्स से अधिक पानी उसको मिलता है। लेकिन हमको भी पानी मिलता है। हमारा जो नोहर और भादरा का इलाका है, जहां पर भी आज 35 परसेंट इन्टेन्सिटी है और हमारी फसलें सूखती हैं, एक फसल भी पूरी नहीं कर सकते इसलिए हमारा रेस्टोरेशन

(श्री शिवचरण माथुर)

ऑफ दी कैपेसिटी ऑफ भाखड़ा मेन लाइन में भी उतना ही इन्ट्रेस्ट है। आपने कहा, उसमें आपका इन्ट्रेस्ट क्या है, आपकी दलील वड़ी लचर है। यह बात नहीं है। अगर वह कैपेसिटी रेस्टोर नहीं हुई तो वह पानी जो हम चाहते हैं नोहर भादरा इलाके में वह पानी हमको नहीं मिल सकेगा। इसलिए उसमें भी हमारा इन्ट्रेस्ट है। लेकिन हमारा तो मेन कन्टेन्शन यही रहा है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बता दीजिए। मान लीजिए कि पंजाब यह स्वीकार कर ले कि भाखड़ा मेन कैनाल की जितनी कैरिंग कैपेसिटी है उसको हम रेस्टोर कर देंगे, क्या उस हालत में आप पानी देने के लिए मंजूर कर लेंगे ?

श्री शिवचरण माथुर : किसको ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पंजाब को।

श्री शिवचरण माथुर : आपने मेरी बात नहीं सुनी। मैं तो यह कह रहा था कि भाखड़ा मेन कैनाल की कैपेसिटी को रेस्टोर करने में भी हमारी दिलचस्पी इतनी है कि ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इस से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री यदुनाथ सिंह : वह तो पहले ही हो जायेगा कबाड़ा।

श्री आत्माराम चौधरी (हनुमानगढ़) : हनुमानगढ़ भी आता है। नोहर भादरा ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर। मुख्य मंत्री जी को पहले अपनी वात कहने दीजिए, माननीय सदस्य।

श्री शिवचरण माथुर : ऐसा है कि भाखड़ा नांगल हाइडल चैनल की कैपेसिटी 12500 क्यूसेक्स की है। भाखड़ा मेन लाइन जो रोपड़ के आगे है जो उस पानी को रिसीव करती है नांगल हाइडल चैनल के पानी को, उसकी कैपेसिटी अगर बराबर नहीं होती है और अब वह एक्सटेंड हो गई है, पंजाब लोअर एस्केप से पानी को ला रहा है और जो एक्स्ट्रा पानी जाता है। दूसरे रास्ते से हम यह कहते है, हमारा इंट्रेस्ट इस में भी है। अगर यह कैपेसिटी रेस्टोर हो जाती है तो लोअर एस्केपमेंट का बहाना पंजाब नहीं ले सकता, उसको बकायदा भाखरा मेन लाइन से पानी हमको देना पड़ेगा। लेकिन हमारा मेन कन्टेशन जो है वह दूसरा है। हमारा मेन कन्टेशन यह है कि नांगल पौंड से जो पानी आपने निकाला है, आनन्दपुर साहिब चैनल को उसमें हमारा बेसिक इन्ट्रेस्ट है और पावर के शेयरों को डिटरमिन करने में हमारा उद्देश्य है, इसलिये पहले आप इसको तय कीजिये। जब तक आप तय नहीं करते तब तक हम कोई अपनी कान्करेन्स नहीं दे सकते। चाहे भले फिर आपका पानी कुछ भी हो हमारी कान्करेन्स के बिना आप पानी नहीं ले जा सकते, दोनों इन्सेपरेबल हैं। हमने दोनों इश्यूज को बिलकुल अनडिवाइडेड माना है,

(श्री शिवचरण माथुर)

एक माना है इन्सेपरेबल माना है। हमने यह नहीं कहा कि अपने हिस्से का 600 क्यूसेक पानी रोपड़ से ले सकते हैं। हमने उसकी इजाजत देने की बात कभी स्वीकार नहीं की है। हमने यह कहा है कि दोनों इश्यूज लिंक्ड हैं, इन्सेपरेबल इश्यूज हैं। अगर आनन्दपुर साहिब का पानी का फैसला आप नहीं करते हैं, हमारे शेयर के डिटरमिन का फैसला आप नहीं करते हैं तो हम आपको रोपड़ में पानी ले जाने की इजाजत नहीं दे सकते, उस पर कान्फरेन्स हम नहीं दे सकते, यह स्टेंड हमने शुरू से ही लिया है, चिट्ठियों में लिखा है, मीटिंगों में लिया है, बी. बी. एम. बी. की मीटिंग में लिया है। मैं आपको कुछ पढ़कर सुनाना चाहता हूं, जो बी.बी.एम.बी. की मीटिंग 23 और 24 तारीख को दिल्ली में हुई थी, जैसा कि सिंचाई मंत्री जी बता रहे थे कि वह हमारे रिक्विजिशन पर मीटिंग थी, हमारे बुलाने पर बुलाई गई थी। हमने कहा कि हमारा इसमें बहुत वाइटल इन्ट्रेस्ट है इसलिये मैं उसके कुछ रेलेवेन्ट पैराज सुनाना चाहता हूं। पैरा फोर आफ दी मिनिट्स को मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं।

Member Rajasthan expressed his apprehension/concern that in view of the excavation of the approach channel having already been undertaken very close to the Nangal pond, the road, which at present was acting as a coffor dem, was likely to be breached and during the rainy season adequate measures should be taken in this regard by Punjab."

Para 5 of the Minutes:— Rajasthan clearly stated that the issue of supply of water from Nangal Channel to Ropar Thermal powar station and Construction of Anandpur Sahib Hydel Channal are inseparable as, according to the proposal of Punjab Government the ultimate arrangement for supply of water to Ropar Thermal Power Station would be from Anadnpur Sahib Hydel Channal." यह हमने बहुत specifically कहा है कहां पर। इस पर Chairman, in para 19 of the miuutes.

मैं एक्चुअली आपको बताऊं, जो एक्स्ट्रैक्ट हैं वह बता रहा हूं आपको—

"The Chairman, B. B. M. B. stated that he would write back to the Government of India ..."

वहां पर जो गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया ने उनको इन्स्ट्रक्शन्स दिये थे क्लोजर के, चेयरमैन ने स्वीकार किया है वहां पर—

"The Chairman, B. B. M. B. stated that he would write back to the Government of India, saying that he could not take

(श्री शिवचरण माथुर)

action on the matters attending to the closure as conveyed by the Government of India on 25. 2. 1984. "

25 फरवरी, 1984 को गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया ने क्लोजर के जो इन्स्ट्रक्शन्स दिये थे उन पर चेयरमैन बी. बी. एम. बी. ने कहा कि इसको हम नहीं कर सकते इसलिये हमें दुबारा भारत सरकार को लिखना है....

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : भारत सरकार ने नोट क्या दिया था ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : भारत सरकार ने नोट दे दिया कि पंजाब को पानी ले जाने दें....

श्री अध्यक्ष : आप जब बोल रहे थे उस वक्त आप यह बात कह सकते थे।

(व्यवधान)

बीच में बाधा डालने की कोशिश न करें, माननीय सदस्य। कृपया बैठ जायं, आपको भी अवसर देंगे, बाधा न डालें।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, पैरा 19, "The Chairman stated that in view of the different stands taken by the Punjab and Rajasthan, it was not possible to arrive at any agreed solution regarding the closure of Nangal Hydel Channel.

As such, he proposed to write back to Government of India seeking their advice for he could not take action in connection with closure of Nangal Hydel Channel as conveyed vide their letter dated 25.2.1984."

यह मैं जो 25-2-1984 का बता रहा हूं, This is very clear.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 25–2–1984 का जो लैटर है वह पढ़ कर सुना दीजिये, वह क्या है ?

श्री शिवचरण माथुर : गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया का लैटर तो 25–2–84 का है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया का 25–2–84 का लैटर क्या है ?

श्री परसराम मदेरणा : चेयरमैन यही कह रहा है कि 25–2–1984 के लैटर के लिये हम दुबारा लिखेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पढ़कर सुना दीजिये।

श्री शिवचरण माथुर : "Decision of Government of India on Cooling Water Arrangements for Rop-

(श्री शिवचरण माथुर)

ar Thermal Power Station in Punjab.

With a view to facilitating the early commissioning of Stage I of the Ropar Thermal Station, authorisation will be accorded for drawal of water from the Nangal Hydel Channel to meet the cooling water needs of this project and for the execution of the necessary works therefor. The B.B.M.B. which is in charge of the reach of the Nangal Hydel Channel at the point of take of the colling water channel for Ropar station, will manage the regulator for the purpose of supplying water for the Ropar project. This arrangement would however be reviewed as soon as items No. (ii) and (iii) below have been completed.

Item No. (ii):—Punjab shall take up and complete expeditiously the work of restoration of the capacity of Bhakhra main line to 12 500 cusecs in a period not exceeding 12 months.

Item No. (iii)-Construction of a link channel from Anandpur Sahib Hydel channel to Nangal Hydel channel for replenishing the supplies to be drawn for both the stages of Ropar thermal power station shall be completed well before the drawal of water for stage II of Ropar Thermal Station.

Item No. (iv) :—On completion of item No. (ii), i. e. the restoration of the capacity of Bhakhra main line to 12,500 cusec, supplies for Ropar thermal station shall come out of the share of water in the Bhakhra main line, and without prejudice to any mutual agreement between the States. The system will be regulated in such a manner that the shares of Haryana and Rajasthan are not affected.

Item No. (v) :—The progress and work of restoring the capacity of Bhakhra main line and also of construction of the link channel mentioned in (iii) above will be closely monitored by the B. B. M. B./Central Government.

Itme No. (vi) :— The timing of the closure of the Bhakhra Canal system to enable Punjab carry out these works would be

(श्री शिवचरण माथुर)

decided by the Government of India in consultation with B.B.M.B./Central Government."

बी. बी. एम. बी. ने अपनी असमर्थता प्रकट की कि हम इसको लागू नहीं कर सकते। 23/24 मार्च की मीटिंग्स के मिनिट्स हैं और गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया का लैटर है वह दोनों मैं सदन की मेज पर रखता हूं। मैं समझता हूं कि इसमें स्थिति बहुत साफ है। गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया ने एक आदेश जो बी. बी. एम. बी. को दिया, बी. बी. एम. बी. की मीटिंग में हमने एतराज किया कि इसमें कोई आदेश नहीं दिये जा सकते, जब तक कि हम इसमें कान्फरेन्स नहीं दें तब तक यह आदेश पंजाब को देने वाली बात सम्भव नहीं है। बी. बी. एम. बी. के चैयरमेन ने इस बात को स्वीकार करते हुए यह कहा कि हम इसको लागू नहीं कर सकते, हम भारत सरकार को पुनः लिखेंगे कि इसमें यह हालात हैं, राजस्थान और पंजाब के व्यूज बिल्कुल डिफरेन्ट हैं, इसलिये हम कोई एक्शन लेने की स्थिति में नहीं हैं। हम भारत सरकार को दुबारा लिखेंगे।

अब इसमें कहां सवाल आता है कि हमने उन आदेशों का पालन करके अपनी स्थिति को छोड़ दिया, अपने दृष्टिकोण को बदल दिया या अपने स्टेण्ड को चेन्ज कर दिया। हमारा स्टेण्ड आज भी वही है। हमने, 15 मार्च को हमारे सैक्रेटरी सैक्रेटरी एनर्जी को जो चिट्ठी लिखी है, दूसरी 16 मार्च को जो चिट्ठी लिखी है और जब मीटिंग हुई एनर्जी मिनिस्टर के सामने तब मैंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से यह बात कही है कि हम इस बात को कभी स्वीकार नहीं करते क्योंकि दोनों इश्यूज इनसे परेबल हैं, दोनों इन्टर लिंक्ड हैं और आनन्दपुर साहिब हाइडल चैनल में, पावर हाउस में हमारे हिस्से का पहले डिटरमिनेशन कीजिए। इसलिए आप पहले इसको तय कीजिये। जब तक आप तय नहीं करते तब तक थर्मल रोपड़ पावर स्टेशन के लिये नांगल हाइडल चैनल से, चाहे भले ही दो सौ क्यूसेक हो, 5 सौ क्यूसेक हो वह बात इममैटीरियल बात है, आप अपने शेयर से भी ले रहे हैं, हम इसमें कान्करेन्स देने की स्थिति में नहीं हैं इसलिए इसका विरोध करते हैं। यह बात मैंने पहले भी कही है, मीटिंगों में भी कही है, चिट्ठियों में भी कही है और एनर्जी मिनिस्टर के साथ जब हमारी मीटिंग हुई थी तब हमने इस बात को स्पष्ट रूप से कहा है, इसको हमने कन्फर्म किया है लैटर्स के जरिये से, आप अगर इजाजत दें तो, अध्यक्ष महोदय, मैं लैटर को पढ़ कर सुना सकता हूं। मैं समझता हूं कि इससे स्थिति बहुत स्पष्ट हो जायेगी। इसका ओपरेटिव पार्ट है वह मैं पढ़ कर सुना सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय, अब चूंकि मैंने शुरू कर दिया है और कोई बोलने वाला नहीं।

(व्यवधान)

अगर और कोई माननीय सदस्य बोलना चाहें तो हमें एतराज नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक स्पष्टीकरण कर दें मुख्य मंत्री जी।

श्री अध्यक्ष : मेरा उद्देश्य इतना ही था कि जो बुनियादी मुद्दे हैं वे सदन के सम्मुख आ जावें, विचार विन्दु बन जावें ताकि उनके आधार पर चर्चा हो जावे।

(व्यवधान)

मैं अवसर दे दूंगा। शान्त रहें, माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं कि भारत सरकार की क्या प्रोपराइटी है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शान्त रहें। बातें नहीं करें, माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : भारत सरकार ने किस अधिकार से यह पत्र लिखा है ? भारत सरकार ने जो यह पत्र लिखा है जिसमें से 5 बिन्दु आपने सुनाये, बी. बी. एम. बी. को जो पत्र लिखा है, आपने कहा पत्र लिखा है, 25–2 का या कौन सी तारीख का, वह भारत सरकार ने किस अधिकार से पत्र लिखा है ? भारत सरकार को निर्णय करने का किसने अधिकार दिया है ? यह कहां से भारत सरकार को अधिकार मिला, किस कानून में मिला और भारत सरकार ने किस प्रकार से पत्र लिखा है, इसका भी स्पष्टीकरण कर दें।

श्री शिवचरण माथुर : इसका स्पष्टीकरण हम क्यों करें ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बोलिये। जब तक हम हैं, स्पष्टीकरण....

श्री शिवचरण माथुर : हमारा स्टेण्ड हम बता सकते हैं, भारत सरकार का कहां से....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं नहीं, भारत सरकार बीच में कहां से आ गई ? भारत सरकार कहां से आ गई ? अध्यक्ष महोदय, यह तो डर हमको है। भारत सरकार को किसने अधिकार दिया था ?

श्री शिवचरण माथुर : आपके डर का तो हमारे पास कोई इलाज नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, इलाज की बात नहीं करता।

श्री शिवचरण माथुर : इसमें हमारा जो स्टेण्ड है वह बहुत साफ है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपका स्टेण्ड तो साफ हो गया। मैं तो केवल यही पूछ रहा हूं कि भारत सरकार ने इसमें पंचायती क्यों की ? उनको पंच किसने बनाया था कि आप फैसला करिये ? कोई अधिकार नहीं है भारत सरकार को। किसी इण्टर स्टेट डिस्प्यूट में भारत सरकार को मामला रेफर किया हुआ हो तो मामला समझ में आये। भारत सरकार के आर्बिट्रेटर बनाया हो तो मामला समझ में आये। या भारत सरकार को कोई इनहेरेन्ट पावर हो तो समझ में आये। भारत सरकार को न इनहेरेन्ट पावर है, न भारत सरकार को अन्य अधिकार है। यह किसने अधिकार दिया ? हम तो यह स्पष्टीकरण चाहते हैं। यदि अधिकार

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

नहीं दिया तो बी. बी. एम. बी. ने उस पत्र का कांग्निजेन्स क्यों लिया और उस पत्र के आधार पर आपने मीटिंग के अन्दर सारा मामला कैसे रखा ? कोई जस्टिफिकेशन नहीं है लैटर का। यह स्पष्टीकरण कर दें तो डिबेट ठीक होगी।

श्री शिवचरण माथुर : हम क्या स्पष्टीकरण करेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसका मतलब भारत सरकार मर्जी आये जो कर दे।

श्री शिवचरण माथुर : हमसे क्या स्पष्टीकरण चाहते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, आप बताइये।

श्री परसराम मदेरणा : भारत सरकार ने डिसीजन लेकर डाइरेक्टिव दिया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कैसे दे सकते हैं ?

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : नहीं नहीं। भारत सरकार जाने। आप सुनिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अगर आप मुझे गलत कह दें तो करने वाली तो भारत सरकार है।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात नहीं कह रहा हूं, जहां तक राजस्थान सरकार का प्रश्न है

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : जहां तक राजस्थान सरकार का प्रश्न है राजस्थान सरकार का स्टेण्ड यह रहा है कि जो कुछ भी आपने डिसीजन लिया है वह लीगेली राजस्थान के ऊपर बाइण्डिंग नहीं है, आपको कोई लोकस स्टेण्डाई नहीं है और आप फोरम नहीं हैं सही, और कानून और एग्रीमेन्ट के बीच में फैसला दूसरी जगह होना चाहिये था। हमने हमारा यह स्टेण्ड लिया है लेकिन भारत सरकार ने क्या किया है, हम कोई अटार्नी जनरल ऑफ इण्डिया हैं जो आपको राय बता दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह बात आपने भारत सरकार को लिखी है या नहीं लिखी कि आपको लोकस स्टेण्डाई नहीं है, इस तरह के डाइरेक्शन्स इश्यू करने का ? यह लिखा या नहीं लिखा है ?

श्री परसराम मदेरणा : तभी तो यह स्टेण्ड लिया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बी. बी. एम. बी. में शेर की तरह से दहाड़ें, इसमें कोई संकोच नहीं।

श्री शिवचरण माथुर : रहने दीजिए इस बात को। मैं तो एक बात और कहना चाहता हूं, 1977 के जनवरी महीने में आपने जो शिवरमन की बात कही....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां ।

श्री शिवचरण माथुर : आर्बिट्रेटर मुकर्रर करने की । हमने आर्बिट्रेटर मुकर्रर करने की बात स्वीकार की । उस समय जो के. सी. पन्त हैं यूनियन मिनिस्टर उनकी चिट्ठी आई । उन्होंने हमारे तत्कालीन मुख्य मन्त्री जोशी जी थे उनको धन्यवाद दिया कि आपने उसको स्वीकार कर लिया, पंजाब गवर्नमेन्ट ने उसको स्वीकार नहीं किया । उसके दो महोने बाद हमारी गवर्नमेन्ट बदल गई । 25 मार्च, 77 से आप सरकार में आ गए, उसमें पंजाब गवर्नमेन्ट की स्वीकृति आना जरूरी नहीं था, उसमें भारत सरकार, जो नियम 51 है एग्रीमेन्ट का क्लोज 51 है उसके अन्दर प्रेसीडेन्ट आफ इण्डिया आर्बिट्रेटर मुकर्रर कर सकता था । लेकिन हमारे वक्त में चूंकि आर्बिट्रेटर स्वीकार कर लिया था, पंजाब गवर्नमेन्ट की स्वीकृति की जरूरत नहीं थी, 77 से 80 के बीच में आपने....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है ।

श्री शिवचरण माथुर : आपने आर्बिट्रेटर क्यों नही मुकर्रर किया ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 80 से 84 के बीच में तो आप भी दो साल तक....

श्री शिवचरण माथुर : नहीं, नहीं । आपने क्यों नहीं किया ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह आर्ग्यूमेंट है, अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : खैर ! आपकी तो आदर्श व्यवस्था नहीं थी कोई ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मेरे यह समझ में नहीं आता कि यह हमको क्यों आदर्श मान कर चलें । हमसे प्रेरणा लेते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है । यह सरकार हर विषय में जनता पार्टी के शासन को आदर्श मान करके चल सकती है ।

श्री शिवचरण माथुर : मैं जवाब दे रहा हूं । इसमें पंजाब गवर्नमेन्ट को पूछने की जरूरत नहीं थी । क्लाज 51 आफ दी एग्रीमेन्ट में प्रेसीडेन्ट आफ इण्डिया अपने आप मुकर्रर कर सकता है एक आर्बिट्रेटर । हमने अपने वक्त में एक आर्बिट्रेटर की स्वीकृति दे दी थी, शिवरमण साहब की । के. सी. पन्त जो मिनिस्टर थे उन्होंने हमको

श्री भैरोंसिंह शेखावत : धन्यवाद दे दिया ।

श्री शिवचरण माथुर : धन्यवाद दिया था कि आपने स्वीकर कर लिया, पंजाब गवर्नमेन्ट की स्वीकृति की जरूरत नही थी, भारत सरकार सीधा आर्बिट्रेटर मुकर्रर कर सकती थी । मैं समझता हूं कि वह तीन साल में आर्बिट्रेटर मुकर्रर अगर हो जाता तो शायद आपका आज तक शेयर के डिटरमिनेशन का जो सवाल है वह तय हो गया होता । तो आप अपनी जिम्मेदारी को समझिये, केवल दूसरों को दोष देकर ही यह नहीं कहे कि साहब, आप कमजोर हैं आप समझौता कर लेंगे और आप दबाव में आ जाओगे । आप उन तीन साल तक क्या करते रहे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मेरे समझ में नहीं आता कि माननीय मुख्य मन्त्री जी किस बात की दलील दे रहे हैं। क्या मुख्य मन्त्रीजी को यह जानकारी है कि आर्बिट्रेटर नियुक्त करने के सम्बन्ध में जब पंजाब सरकार ने इस मसले को स्वीकार नहीं किया तो हमने इसको नोर्थ जोनल कान्फ्रेन्स के अन्दर नहीं उठाया और वहां पर पंजाब सरकार के ऊपर दबाव नहीं डाला ? यह 78 में हुआ।

श्री शिवचरण माथुर : दबाव डालने की जरूरत नहीं थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप मेरी सुनिये।

श्री शिवचरण माथुर : भारत सरकार जो है वह सुओमोटो अपाइन्ट कर सकती थी Under Clause 51 of the 1959 agreement Government of India may suo moto appoint an arbitrator.

फिर पंजाब गवर्नमेन्ट को परस्यूएड करने की जरूरत क्या थी। सीधे भारत सरकार, मुकर्रर कर सकती थी आर्बिट्रेटर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह तो थीन डेम का मामला तीन वर्ष से प्राइम मिनिस्टर के पास पड़ा है, अटार्नी जनरल की ओपिनियन है, क्या कर रहे हैं बैठे बैठे।

श्री शिवचरण माथुर : उन्होंने फैसला नहीं दिया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तीन वर्ष तक आप फैसला क्यों नहीं ले पाये।

श्री शिवचरण माथुर : क्या फसला दे...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तीन वर्ष तक आप फैसला क्यों नहीं ले रहे हैं, तीन वर्ष तक आपने फैसला क्यों नहीं लिया ?

श्री शिवचरण माथुर : उन्होंने फैसला नहीं दिया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 1980 में कांग्रेस की सरकार आई, अध्यक्ष महोदय, 1980 के पहले थीन डेम के मामले में प्राइम मिनिस्टर ने जब अटार्नी जनरल की ओपिनियन ली और ओपिनियन राजस्थान के पक्ष में मिल गई कि थीन डेम के अन्दर राजस्थान का हिस्सा है; चार वर्ष से प्राइम मिनिस्टर के पास पड़ा है, आपने उसमें फैसला क्यों नहीं कराया ?

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आरोप-प्रत्यारोप में नहीं फंस करके राजस्थान के हित की बात ज्यादा करनी चाहिये।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि मैंने अभी जो कुछ बात कहते हुए यहां पर राजस्थान का भारत सरकार के निर्णय के सम्बन्ध में क्या इन्टरप्रिटेशन रहा है या क्या स्टेण्ड रहा है, एक लोकल स्टेण्डार्ड वर्ड यूज किया था। आपने कहा कि लोकल स्टेण्डार्ड वर्ड यूज किया कि नहीं किया, क्योंकि जिस वक्त सदन में बोलते हैं तो

(श्री परसराम मदेरणा)

उस वक्त 'लोकस स्टेण्डाई' वर्ड यूज नहीं किया है लेकिन एक्चुअल क्या वर्ड यूज किया है, वह मैं आपको सुनाता हूं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : यह है काम की बात।

श्री परसराम मदेरणा . यह जो गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया को हमने प्रोटेस्ट किया है इस डिसीजन के बारे में पढता हूं, हाउस की टेबल के ऊपर मैं इसको ले डाउन नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत सी बातें है, अध्यक्ष महोदय। आप मुझे परमीशन दे दें कि इस पत्र को मैं हाउस की टेबल पर नहीं रखूं। इसका एक थोड़ा सा रेलेवेंट पैरा पढ़ रहा हूं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : ठीक है।

श्री परसराम मदेरणा : "It is surprising to note that without considering the view points expressed by Rajasthan the Government of India has taken a decision to resolve the issue without obtaining the concurrence of Rajasthan. You will agree that the proposal to link Nagal Hydel Channel with Ropar thermal power station is definitely an alteration in the existing work and it cannot be done without the concurrence of Rajasthan under clause 13 of the Bhakra Nangal agreement. As such, any decision taken without the prior concurrence of the Government of Rajasthan would be clear violation of the above agreement and would not be legally binding'.

'locus standi' नहीं है तब ही तो लीगली बाईडिंग मिली है' इसलिए मेरा....

श्री भैरोंसिह शेखावत : यह आपका है या मुख्य अभियन्ता का है। यह किस का कहना है ?

श्री परसराम मदेरणा : वह मैं अभी बता दूंगा। यह राजस्थान सरकार का लैटर भारत सरकार को है। आप तो अभी कह दोगे कि वेट किसका है। कभी कहते हो कि मेरी दलील लचर है, कभी हल्की है, कभी भारी है। अभी ठहरिये आप, अभी बता देंगे आपको। not only this यह तो है जो गवर्नमेन्ट के लेवल पर लिखा। बी.बी.एम.बी. की उसके बाद 24 तारीख की मीटिंग हुई। यह 15 मार्च का लैटर है। हमारे रिप्रजेन्टेटिव ने जो सैक्रेटरी टू दी गवर्नमेन्ट इरिगेशन एण्ड एनर्जी को कहा बी.बी.एम.बी. के अन्दर वह पेज नम्बर तीन के आइटम नम्बर 212/04, पर है, वह मैं टेबल पर रख रहा हूं, वह रखने के पहले जो रेलेवेन्ट पोर्शन है वह पढ़ देता हूं :—

"Member Rajasthan stated that the decision of the Government of India conveyed vide letter No. 2/3/81-D (B. & B.) dated 25.2.84 had neither the concurr-

(श्री परसराम मदेरणा)

ence of the Rajasthan Government, nor had it been given on a formal reference by the B. B. M.B. under rule 7 of the B. B. M, B. Rules, 1974. Thereforc, this decision has no legal sanctity or any statutory backing and it is not acceptable to this State Government.'

It means, Secretaray to the Government. Government is before this House.

Second State Government of Rajasthan hed already sent a pro: test note to the Government of India in this regard and that is a protest जिसका उद्धारण मैं अभी पढ़ रहा था।

. The Rajasthan Government had neither given their concurrence to the decision of Government of India so far nor they will do so till all connected issues were settled first to their satisfaction."

श्री अध्यक्ष : अब ऐसा है कि—

श्री यदुनाथसिंह : अध्यक्ष महोदय, कुछ भी समझ में नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : जब चर्चा होगी तब सब कुछ समझ में आ जायेगा। माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करूंगा कि जो विचारणीय विषय हैं वह किसी दल विशेष से संबध नहीं रखता है। इसमें तो राजस्थान के हित और अहित जुड़े हुए हैं। इसलिये हम इस तरह से हमारे पक्ष को प्रस्तुत करें कि हमारे प्रतिनिधि इस बात को कारगर ढंग से जिस किसी के सम्मुख यह प्रश्न जाय रख सकें। यह नहीं है कि किसने क्या किया या किसकी सरकार ने क्या नहीं किया। इसके लिये तो सदन में बहुत से अवसर आते हैं। इस लिये आरोप प्रत्यारोप के बजाय हमको चाहिये कि आज की इन कठिन परिस्थितियों में हम हमारे प्रदेश का किस तरह से भला कर सकते हैं। यदि हमारी भावनायें वहां नहीं जाती हैं तो किस तरह से हमारा अहित होगा, इसी को मुख्य विषय बनाकर अपने विचार रखें। अब इस पर चर्चा शुरू होती हैं। वैसे माननीय सदस्य जिनको मैंने पहले बोलने का अवसर दे दिया था, आपको नाथपा झाकड़ो के बारे में ज्यादा नालेंज है इसलिये यदि आप सब की अनुमति हो तो जो इससे प्रभावित सदस्य हैं उनको पहले अवसर दे देते हैं। उसके बाद में पूरी छूट होगी माननीय सदस्यों को अपने विचार सदन के समक्ष रखने की।

श्री पीरूराम।

श्री पीरूराम : अध्यक्ष महोदय, यह रावी-ब्यास पर जो सदन में चर्चा हो रही है आनन्दपुर चैनल के बारे में, इस बारे में मैं यह बताना चाहूंगा कि राजस्थान को बहुत बड़ा नुकसान होगा इससे। क्यों होगा। इसमें 611 क्यूसेक पानी है। मंत्री जी ने बताया है 600 क्यूसेक पानी, यह 611

(श्री पीरूराम)

क्यूसेक पानी है। इसके अन्दर तीन लाख काश्तकार आते हैं। चार तहसीलों के बहुत ज्यादा काश्तकारों का नुकसान होगा जिसमें हनुमानगढ़, टी बी, नौहर, भादरा इनके गांव आते हैं। जमीन को एक दफा पानी लग गया। वह अनकमाण्ड होने से चार साल तक वारिस होती है तब भी उसमें फसल पैदा नहीं हो सकती। मैं मुख्य मंत्री और सिंचाई मंत्री को यह कहना चाहता हूं कि आप इस बात पर अटूट रहें कि यह पानी जो साउथ घग्घर की बरवाली डिस्ट्रिब्यूटरी में होता हुआ आता है और इन इलाकों में लगता है, वह पानी किसी भी कीमत पर आप पंजाब को न दें क्योंकि गंगानगर जिले के काश्तकार हैं वह पहले ही अन्दर ही अन्दर गरीब हो रहे हैं। सिंचाई के लिये पानी नहीं मिला तो वह और गरीब हो जायेंगे। वहां पर बहुत ज्यादा आन्दोलन व भड़काव पैदा होगा। मैं सिंचाई मंत्री को यह बताना चाहता हूं कि इस बरवाली डिस्ट्रिब्यूटरी से अमरसिंह डिस्ट्रिब्यूटरी से 355 क्यूसेक पानी फतियाबाद हरियाणा में होता हुआ नौहर तहसील में नौहर भादरा के 30 गांवों को सिंचित करता है। इसके अन्दर जैसाणा, के. एन. एन माइनर भूकरका माइनर. को अमरसिंह डिस्ट्रिब्यूटरी को पानी 355 क्यूसेक दिया जाता है और साउथ घग्घर को 266 क्यूसेक साउथ घग्घर के एच. एम. एच माइनर, एस एल. डब्ल्यू. माइनर, के. एस. पी. माइनर, रामसरा माइनर है इन माइनरों से करीब इन दोनों डिस्ट्रिब्यूटरी से करीब दो लाख जमीन सिंचित होती है। मैं साथ में यह भी बताना चाहता हूं कि इनमें 60 गांव आते हैं। उनमें से बताना चाहता हूं कि फतेहगढ़, यह साउथ घग्घर के हैं, रामसरा, श्रीनगर भाबर, हनुमानगढ़, ढाणी नन्दराम की, थैंडी गाडू, ढालिया, पन्नियावाली, सरेका, कमराणी, मसाणी, सेलेवाला खुर्द, सलेमगढ़, टीबी। इसी तरह से अमरसिंह डिस्ट्रिब्यूटरी के अन्दर शोदान पुरा, खिनानिया, ढढेला, भूकरका, पिचकराई, महराना, नेठराना, ढीलकी, रामगढ़, परलीका, रामसरा, रतनपुरा, गुडिया, रजपरिया, गांव आते हैं। 30 गांव ...

(2. 45. म. प)

[श्री हरिसिंह (कुम्हेर) सभापति, पदासीन]

हनुमानगढ़ टी. बी. तहसील के हैं और नौहर तहसील के करीब 25-30 गांव आते है। तो मैं सिंचाई मंत्री जी से यह भी कहना चाहता हूं कि यह पानी जो पंजाब को मिल गया तो राजस्थान को बहुत बड़ा नुकसान होगा। इससे खास दिक्कत क्या आयेगी कि वाटर वर्क्स से नौहर शहर, गोगामेडी, जेडाणा, फेफाना, तलवाड़ा, टीबी जुड़े हैं। यहां पीने का पानी भी नहीं मिलेगा। तो मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप दिल्ली जांय तो पंजाब सरकार को पानी किसी भी कीमत पर नहीं दें। यही मेरा सुझाव है।

इसके साथ यह भी बताना चाहता हूं कि हमारी नोहर तहसील की जनता इस बरवाली डिस्ट्रिब्यूटरी को आगे बढ़ाने के लिये काफी दिनों से प्रयास कर रही है,

(श्री पीरूराम)

जिसके अन्दर 15-20-25 गांव मेरे ही क्षेत्र के पड़ते हैं। उनके अन्दर पानी लाने की वड़ी लालसा लोगों में जगी हुई हैं। वह सरकार की तरफ निगाह कर रहे हैं कि पानी खेतों के लिये हमें भी मिलेगा और खेतों की सिंचाई होगी। तो मैं सिंचाई मंत्री महोदय को यह भी कहना चाहता हूं, अगर यह पानी दे दिया गया तो मैं एलानिया कहता हूं कि वहां पब्लिक भड़केगी, काश्तकार वर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी के साथ मुख्य मंत्री से मैं यह कहना चाहता हूं कि आप जाकर राजस्थान के इस पानी को किसी भी कीमत पर पंजाब को न दें।

इसी के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्रीगुलाबचन्द कटारिया

(अनुपस्थित)

श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : सभापति महोदय, जैसा कि मैं पहले निवेदन कर रहा था, रोपड का प्लांट बनाने की स्वीकृति न तो पंजाब ने प्लानिंग कमीशन से ली और न राजस्थान और हरियाणा की जो राज्य सरकार हैं, उनसे भी किसी प्रकार की स्वीकृति प्राप्त की, माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी और माननीय सिंचाई मंत्रीजी के द्वारा पढ़े हुए पत्रों को जब मैंने देखा तो इससे साफ साफ मालूम होता है कि भारत सरकार ने इसका फैसला राजस्थान के हितों के खिलाफ कर दिया है। भारत सरकार ने यह पत्र लिखा कि इस कैनाल का क्लोजर कर दिया जावे। वह क्लोजर किस बात के लिए है? सभापति महोदय, वह क्लोजर इसलिए है कि मुख्य केनाल को रोक कर जो रोपड़ प्रोजेक्ट बना है थर्मल प्रोजेक्ट, उसके लिए पानी ले जाना चाहता है। जिस दिन पानी ले जाया जायगा उस दिन राजस्थान के हितों का सर्वनाश हो जाएगा। सभापति महोदय, मुख्य प्रश्न पानी का नहीं है कि 12500 क्यूसेक पानी पूरा पानी जायगा या 600 क्यूसेक पानी जायगा। मुख्य प्रश्न यह है कि सतलज और रावी, सतलज और व्यास इन नदियों पर जितने प्रोजेक्ट बनेंगे उन सारे प्रोजेक्ट्स में चाहे वह सिंचाई का प्रोजेक्ट हो, चाहे वह बिजली का प्रोजेक्ट हो राजस्थान और पंजाब का हिस्सा है। रोपड़ का जो प्रोजेक्ट है इसमें अगर पानी जाएगा तो इसकी बिजली में राजस्थान का हिस्सा होना चाहिए था। ठीक इसी प्रकार से जो आनन्दपुर साहिब का प्रोजेक्ट है उसके लिए अगर पानी जाने वाला है तो उसमें भी राजस्थान का हिस्सा होना चाहिए। सभापति महोदय, यह बात सन् 1980 की है, जब हमारा हिस्सा तय हुआ था। 1955 में हमारा हिस्सा तय हो गया था। रावी और व्यास का जो पानी था उसमें 80 लाख एकड़ की पानी का हमारा हिस्सा तय हुआ था। उसमें तय क्या था, सभापति महोदय, जितना फ्लो बढ़ेगा, जैसे जैसे पानी का फ्लो बढ़ेगा उसमें जो अलग

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

अलग प्रदेश हैं। उनका भी हिस्सा बंढता जायगा। सभापति महोदय, इसके अन्दर हमें विवाद नहीं लेकिन विवाद में हम तब आए, पहले हरियाणा और पंजाब, जो दोनों एक साथ थे, का जब विभाजन हुआ, हरियाणा और पंजाब का विभाजन होने के पश्चात् यह विवाद हरियाणा और पंजाब के बीच में मुख्यतः होना चाहिए था। हमारा हिस्सा तो पहले ही तय हो गया था। हमारा हिस्सा भारत सरकार ने या इन दोनों प्रान्तों की सरकार ने नहीं किया था। यह हिस्सा विश्व बैंक के द्वारा तय हुआ था। जब पाकिस्तान ने भाखरा नांगल प्रोजेक्ट पर आपत्ति उठाई थी और पाकिस्तान के प्रेशर के कारण से जब मामला विश्व बैंक के सामने गया तो विश्व बैंक के सामने यह पैरवी की गई थी कि राजस्थान में जो इतना बड़ा डेजर्ट है। उस डेजर्ट को हरा भरा करने के लिए रावी-व्यास और सतलज का पानी राजस्थान के खेतों में लाया जाय। राजस्थान के कारण से पाकिस्तान की बात समाप्त की गई और भारत के हिस्से के अन्दर हम को पानी दिया गया। उसके पश्चात् जब राजस्थान के कारण से पानी मिला भारत को और राजस्थान केनाल की योजना स्वीकार की, उसके पश्चात् हरियाणा और पंजाब का विभाजन हुआ। हरियाणा और पंजाब का विभाजन होने के पश्चात् यह विवाद हरियाणा और पंजाब के बीच में है।

इस मौके पर मैं यह बात भी कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने और माननीय सिंचाई मंत्री जी ने यह बताया कि जो त्रिपक्षीय वार्ता हुई थी उसके अन्दर हिन्दुस्तान के सम्पूर्ण विरोधी दलों ने इस बात को एक स्वर में कहा था कि राजस्थान इस विवाद के अन्दर नहीं है। राजस्थान को इस विवाद में नही लिया जाए, राजस्थान का हित पूर्णतः सुरक्षित है। तो, माननीय सभापति महोदय। मैं माननीय, मुख्य मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि जब भारत के सम्पूर्ण विरोधी दलों ने त्रिपक्षीय वार्ता के अन्दर राजस्थान के हितों को प्रतिपादित किया है। तो कौन-से ऐसे कारण उपस्थित हो गये थे भारत सरकार के लिए कि उसने बी. बी. एम. बी. को पत्र लिखा था....

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया बैठे बैठे बातें नही करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कि इसको क्लोज किया जाये और रोपड़ के लिए पानी दिया जाए। मैं पूछना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, जब त्रिपक्षीय वार्ता में सभी पक्षों ने, जैसा मुख्य मंत्रीजी ने कहा है कि राजस्थान का हित सुरक्षित है, यह बात स्वीकार की है तो भारत सरकार ने क्यों लिखा ? यह रोपड़ तक सीमित नहीं है मामला, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि नाथपा–झाकड़ी का मामला था उसमें यह कहा था कि सारी नदियों का मिलने वाला पानी में राजस्थान और जितने राज्य हैं उनका हिस्सा विभाजित है। उसके

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

हिसाब से उनको पानी मिलना चाहिए। उसके बाद में हिमाचल प्रदेश और हरियाणा ने मिलकर द्विपक्षीय समझौता कर लिया और राजस्थान को इसमें से निकाल दिया। इसके पश्चायत, माननीय सभापति महोयय, जो राष्ट्रीय प्रोजेक्ट है, जो बिजली की देखभाल करता है, 32 प्रतिशत हिस्सा आर. एस. पी. पी. ने लिया और राजस्थान का हिस्सा चला गया। उस 32 प्रतिशत में उत्तर प्रदेश सरकार, जिसका कोई नदियों में हिस्सा नहीं है, जिन्होंने आज तक इसमें कोई पैसा खर्च नहीं किया है, 20 प्रतिशत पानी का हिस्सा सुरक्षित कर दिया गया। हिमाचल प्रदेश और हरियाणा ने मिलकर समझौता कर लिया, आर. एस. पी. पी. समझौता करके 36 प्रतिशत हिस्सा अपने पक्ष में रखा और उसमें से 20 प्रतिशत हिस्सा उत्तर प्रदेश को दे दिया। इस प्रकार नाथपा-झाकड़ी परियोजना में राजस्थान के साथ अन्याय हुआ। इसी प्रकार से सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि रोपड़ में मान गए और आनन्दपुर साहिब में मान गये तो जो थीन डैम में जो हमारा है, मुकेरिया में जो हमारा है, नाथपा-झाकड़ी में जो हमारा है, जितने हमारे 12 प्रोजेक्ट बनने वाले हैं उन 12 प्रोजेक्ट्स में राजस्थान का हिस्सा चला जायेगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि रोपड़ का मामला नहीं है, यह राजस्थान के हितों का मामला है। सभापति महोदय, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि राजस्थान एक ऐसा प्रान्त है जिसके पास स्वयं के जल स्रोत उपलब्ध नहीं है। रावी-व्यास और सतलज जो प्रोजेक्ट्स बनने वाला है उसके आधार पर हमारी आगे की योजना है। मुख्य मंत्री महोदय, यह सारा मामला इस प्रकार का है कि रोपड़ के मामले में इस पानी के मामले में अगर आप यदि झुक गये तो राजस्थान का सारा का सारा हिस्सा चला जायेगा। राजस्थान की जनता इस बात को कभी बर्दाश्त करने वाली नहीं है। मैं आज पंजाब में आन्दोलन हो सकता है तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर पंजाब में आन्दोलन कर सकता हैं तो राजस्थान में भी आन्दोलन हो सकता है। अगर पंजाब के अन्दर जबरन इस तरह से प्रोजेक्ट बन सकते है तो कोशिश कर इसको रोके, भारत सरकार को रोकें, बी. बी. एम. बी. को कहें और इन सबको कहने के पश्चात् भी अगर हमारी बात नहीं मानी जाती है तो आपको सर्वोच्च न्यायालय में जाना चाहिए और स्टे हासिल करना चाहिए। यह राजस्थान के हितों का सवाल है। सारा सदन इस बात पर एकमत है, मुख्य मंत्री जी, न्यायालय के द्वारा, न्याय के द्वारा भारत सरकार को बाध्य किया जाए कि किसी प्रकार से राजस्थान के हितों पर कुठाराघात नहीं हो जाये। इस बात का प्रयत्न करना चाहिए। मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार ने इस बात का प्रयत्न नहीं किया तो जिस प्रकार का आन्दोलन आज पंजाब में हो सकता है, जिस प्रकार का आंदोलन हरियाणा में हो सकता है उसी प्रकार का आन्दोलन राजस्थान में भी हो सकता है। भारत सरकार जिस प्रकार आज पंजाब के आगे बेबस है उसको मजबूर होकर राजस्थान के सामने भी यह करना पड़ेगा। आपने

(१२५)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

अगर थोड़ी-बहुत कमजोरी दिखाई तो राजस्थान की जनता इसके खिलाफ आन्दोलन करेगी। इसमें रोपड़ का सवाल नहीं है, यह राजस्थान के सुखद भविष्य का सवाल है। हमारी बिजली और पानी का सवाल है। इन सारे सवालों का माननीय मुख्य मंत्रीजी को अपने उत्तर में जवाब देना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : माननीय रामरघुनाथ चौधरी।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) : सभापति महोदय, अभी अध्यक्ष महोदय फरमा रहे थे कि राजस्थान का यह मसला जो अन्तर्राज्यीय पानी बिजली के विवाद का है, यह कोई पक्ष और विपक्ष की टीका-टिप्पणी करने के लिए नहीं है, बल्कि मिल जुल कर इस स्थिति को मजबूत करने का है कि राजस्थान पर किसी भी तरह से हावी होकर पंजाब जो कब्जा करना चाहता है वह नहीं कर पाये। लेकिन फिर भी ...

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया व्यवधान न डालें।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : इस चर्चा के दौरान क्योंकि तीन साल तक बीच में जनता पार्टी का राज रहा था और उससे पहले कांग्रेस का शासन था, इसलिए कुछ ऐसी बातें हैं जो कहना जरूरी हैं, लेकिन मेरी कतई ऐसी मशा नहीं है कि कोई आक्षेप करूं या ऐसी बात कहूं जिससे कोई यह समझे कोई कि मैं टीका टिप्पणी कर रहा हूं। मै निवेदन करना चाहता था कि यह मसला तब पैदा हुआ जब भारत सरकार के एनर्जी सेक्रेटरी ने क्लोजर मांगा। यह पहले मामला प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने उठाया था कि इस क्लोजर से राजस्थान की स्थिति खराब हो जायेगी। मैं भी यह समझता हूं कि वास्तव में अगर क्लोजर मांगा गया और जिस प्रकार की सूचना मिली है कि हरियाणा और पंजाब ने एक नोटिफिकेशन जारी भी कर दिया है कि 15.4.84 से क्लोजर लागू होगा, और राजस्थान सरकार ने नहीं किया है, इसके लिए मैं यह कहना चाहता कि 1980 के बाद में जैसे ही राजस्थान में कांग्रेस सरकार आई उसके बाद कांग्रेस सरकार हमेशा सतर्क रही और हमेशा इस कोशिश में रही कि किसी भी तरह से कि जो धोखे पर धोखे किए जा रहा है, जो झूठ पर झूठ बोले जा रहा है यह किसी तरह से राजस्थान के पानी पर कब्जा करने की कोशिश नहीं करे। इसके लिए सरकार सतर्क है और सरकार ने कई पत्र प्रस्तुत किये हैं। अभी आपको बताया भी था, आगे इस पर चर्चा भी हो चुकी है, मुझे जो जानकारी है मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं लेकिन इस क्लोजर के मामले को लेकर शंकायें ही नहीं हैं, बड़ा कष्ट हो गया है दिल में। ऐसा लगता है कि वास्तव में अगर ऐसा हो गया तो राजस्थान की जनता की बहुत बुरी हालत हो जायेगी। इसलिए मैं यह बात निवेदन करना चाहता हूं कि क्लोजर की बात कैसे पैदा हुई ?

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

असल में जो हमारा एग्रीमेंट है उसके आधार पर चाहे वह एनर्जी सेक्रेटरी हों, चाहे वह भाखड़ा-व्यास मैनेजमेंट बोर्ड हो लेकिन जब तक राजस्थान सरकार उन का हिस्सेदार है, यह सारे प्रोजेक्ट भाखड़ा-व्यास मैनेजमेंट बोर्ड के अन्तर्गत आते हैं उसमें राजस्थान का हिस्सा है, बिना राजस्थान सरकार के पूछे बगैर न तो यह क्लोजर माना जाना चाहिए था, न यह नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए था। जैसा अभी माननीय मुख्य मंत्री महोदय और सिंचाई मंत्री महोदय बता रहे थे कि राजस्थान में इस तरह की कोई बात नहीं थी और यह बिल्कुल स्पष्ट तौर पर जाहिर है कि नियमों को तोड़कर उन्होंने यह कार्यवाही की है। इसके लिए क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए वह तो मैं चाहूंगा कि मुख्य मंत्रीजी उत्तर दें तो बतायें। इस तरह बिना राजस्थान सरकार को पूछे अगर उन्होंने क्लोजर मांगा गया है तो नियमों के विरुद्ध ही नहीं है बल्कि राजस्थान के लिए बहुत ही नुकसानदायक बात है। इसके साथ ही थोड़े से कुछ बांध वगैरह बनने शुरू हुए थे और आनन्दपुर साहिब चैनल बननी शुरू हुई थी उस दौरान में पार्टनरशिप और एग्रीमेंट हुए थे राजस्थान के साथ में, उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मै यह चाहूंगा, सभापति महोदय, व्यास कंस्ट्रक्शन बोर्ड से प्रोजेक्ट के पानी के वितरण के लिए हमारा जो एग्रीमेंट हुआ था वह दिल्ली में एक कांफ्रेंस में 1955 में हुआ था। 1955 में हमारा पानी का जो वितरण हुआ था वह इस प्रकार से हुआ था, सारा पानी 15.85 मिलियन एकड़ फीट पानी मानकर के उसका वितरण किया गया था। जम्मू कश्मीर को 0.65 प्रतिशत, पंजाब को 5.90 प्रतिशत और राजस्थान को 8 प्रतिशत, पटियाला को 1.30, यह कुल मिलाकर 15.85 मिलीयन एकड़ फीट पानी का बंटवारा हुआ था। इसके बाद में, माननीय सभापति महोदय, यह व्यास सतलज लिंक बन गया और व्यास सतलज प्रोजेक्ट बन गया, उसके बनने के बाद इस वितरण से पूर्व में जो वितरण था पानी का, बिजली का और पानी का प्रायः एक-सा रेश्यो रहा था। उस वक्त बिजली का बंटवारा नहीं हुआ था कि पानी के साथ बिजली किस तरह मिलेगी। उसके बाद व्यास सतलज लिंक प्रोजेक्ट बना, उसके साथ में बिजली का भी बंटवारा हुआ। उस वक्त जो बंटवारा किया गया उसमें नहर विद्युत परियोजना है जो कि कंडों से पानी आता है टैनल के द्वारा। आगे भी उस पर चर्चा हो चुकी है। 114 माइल करीब वह टैनल में ला करके बग्घी और बग्घी से वह पानी यहां लाया जाता है और उसमें एक हजार कुछ फीट का फाल देकर बिजली पैदा की जाती है। जो यह बिजली पैदा की जाती है....

श्री परसराम मदेरणा : एक हजार है, यह खुद देखा है, या दो हजार है ?

श्री रामरघुनाथ चौधरी : मैं अभी आपको निवेदन कर रहा था कि यह टनल 40 किलोमीटर है। जहां पानी खुले में आता है वहां चहल कदमी करके मैंने स्वयं व्यक्तिगत तौर से देखा है, मुझे व्यक्तिगत

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

अनुभव है इस बात का, पानी वहां पर किस तरह से लाया जाता है। लाने के बाद और किस तरह टनलाइज करके टनल के द्वारा नैहर पर लाते हैं और नैहर पर लाने के बाद जो हमें हिस्सा मिला है, जिस तरह से बांटा गया है वह पंजाब को 48 प्रतिशत, हरियाणा को 32 प्रतिशत, राजस्थान को 20 प्रतिशित है। वैसे तो....

(3.00 म. प.)

वैसे तो सतलज में हमारा 15 पर्सेन्ट है, आज मैं आपको निवेदन करूंगा लेकिन जो रावी-व्यास लिंक है उसमें हमारा हिस्सा 58.5 पर्सेन्ट है। तो इन दोनों को मिला कर हमें 20 पर्सेन्ट इसलिए दिया गया कि जो पानी सतलज से पोंग में जाता है और पोंग के मार्फत, क्योंकि पहले कोई विद्युत परियोजना नहीं बनी थी, पानी सारा सिंचाई के काम आता था लेकिन जब सिंचाई का पानी नैहर की तरफ डाइवर्ट किया गया तो हमारा यह इन्ट्रेस्ट था और उद्देश्य था कि यहां पानी आने से हमको बिजली मिलेगी। बिलली के साथ में हमारा जो पानी का प्रतिशत 58.5 पर्सेन्ट था वह घटाकरके 15 पर्सेन्ट जो हमारा सतलज में था और जो भाखरा से हमको मिलता था उसे बढ़ाकर 20 पर्सेन्ट कर दिया। लेकिन एक स्थिति इसके सामने आई, माननीय सभापति महोदय, जब हमारी कमेटी वहां पर गयी थी और हमारे सभापति महोदय ने और कमेटी के सदस्यों ने वहां जांच पड़ताल की तो यह बात सामने आयी थी कि अगर डेहर पर बिजली पैदा नहीं हो, किसी कारण से डेहर स्टेशन को बन्द करना पड़े तो सारा पानी जो पेड़ों से आता है वह कहां जायेगा। क्योंकि पेडो में एक छोटा बांध बनाया गया, रिजवायिर बांध और रिजर्व बनाकर के पानी को डाईवर्ट किया गया। पेडों की ऐसी स्थिति नहीं है कि इस पानी को रोककर उस पानी को एकदम चैनेलाइज किया जा सके। इसके लिए हमको जानकारी मिली थी कि नैहर के ऊपर उन्होंने साईड बाई चैनेलाइज करके पानी को निकाला है जैसे ही पावर स्टेशन को बन्द कर देते हैं वह सारा पानी निकल करके सतलज में आ जाता है। तब एक विषय बना था कि सतलज में जैसे ही पानी आयेगा और हमको अगर बिजली नहीं मिलती है तो पानी सतलज में गिरते ही हमारा पर्सेन्टेज जो इरिगेशन के लिए पेंडों के ऊपर आ करके मिलता था 58.5 पर्सेन्टेज वह घट करके 20 पर्सेन्टेज हो जायेगा। इस बात पर चर्चा हुई थी और चर्चा होने के साथ था हमारा मुख्य इन्ट्रेस्ट सिंचाई के साथ बिजली का भी क्योंकि राजस्थान में हमेशा बिजली का संकट रहा है। राजस्थान की मौजूदा सरकार इस बात पर बहुत विजिलेन्ट थी कि सिंचाई के साथ में हमारे बिजली के साधन बढ़ाना बहुत जरूरी हैं। इसलिए यह रिस्क उठायी गयी कि चाहे हमारा 58.5 से पर्सेंट घटकर के 20 पर्सेन्ट हो जाये लेकिन जो हमारी बिजली की परियोजना है वहां से हमें बिजली प्राप्त करनी चाहिये। उसके बाद में हमको चार सौ चार सौ

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

के. वी. की दो लाइनें हमको मिली हैं जो कि सोनीपत में आती है। माननीय सभापति महोदय, मैं इसके साथ में आपको निवेदन करना चाहता था कि उसके बाद में पौंग डेम है, जो व्यास का पानी सतलज में आता उसके बाद में व्यास का पानी घट जाता है, कम होता है और वह जाकर पौंग में जाता है। वहां पौंग में जलस्तर बना हुआ है यह रावी व्यास के ऊपर यह अरदन डैम बहुत ही बड़ा भारत का डैम है और इसकी जो ऊंचाई है यह 1400 फीट है और पानी का भराव 1365 फीट तक रखते हैं। उसके बाद जितना भी पानी अधिक आता है विशेष करके जब बाढ़ आती है और अतिवृष्टि होती है, आता है, तो उसको चैनेलाइज करके सैट निकाल देते हैं। इसके साथ में जो इसका वितरण हुआ था उसके बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं क्योंकि इस बांध से गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर में सिंचाई के लिए नहर जा रही है, सारा पानी पौंग से हमको मिलता है तो इसमें जो हिस्सा था वह 58.5 पर्सेन्ट था। इसके साथ में जो हिस्सा अब इन प्रोजेक्ट में जो बी. बी. एम. बी. के अण्डर में चलेंगे, इस तरह से रहेंगा कि भांखरा नांगल विद्युत परियोजना में 15.22, व्यास सतलज लिंक में 20 पर्सेन्ट और व्यास में 58.5, और रावी थीन में 52.6। यह जो इन्टर स्टेट प्रोजेक्ट हैं इनमें इस तरह से हमारा हिस्सा तय किया गया।

मैं इसके साथ में आपका ध्यान यह भी आकर्षित करना चाहूंगा कि तत्कालीन पंजाब राज्य का नवम्बर, 1986 में पंजाब और हरियाणा में विभाजन हो गया और उससे पहले जो हमारा पानी का वितरण हुआ था, सभापति महोदय, वह पंजाब और राजस्थान के बीच में हुआ था। दिनांक 13–1–1959 को तत्कालीन पंजाब व राजस्थान राज्यों के मध्य जो समझौता हुआ था धारा 32 के अन्तर्गत, उसमें भांखरा से हमको 15.22 और पंजाब को 84.78 पर्सेन्ट का अनुपात निश्चित हुआ था। यह हरियाणा का डिविजन बाद में हुआ है इसके लिए मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं :

Article of agreement made entered into this 19th day of January, 1959 between the Governor of Punjab and the Governor of Rajasthan; whereas, the States of Punjab and Rajasthan have agreed to colloborate in the construction of a dam across the river Sutlej at Bhakra and other ancilliary works executed under the Bhakra Nangal Project for extension and improvement of irrigation and generation of Hydro-electric power on the term and conditions here in after appearing;

इसमें जो हिस्सा बताया गया मैंने आपको निवेदन किया था, यह मैं इसलिये

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

आपको निवेदन कर रहा हूं कि पंजाब सरकार से हमारा विधिवत एग्रीमेंट हुआ था, लिखा पढ़ी हुई और उसके बाद में भाखरा मैनेजमेन्ट बोर्ड, पहले भाखरा मैनेजिंग बोर्ड बना था, को सुपुर्द कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद भी इस पंजाब पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। इतना एग्रीमेन्ट करने के बाद में भी इतनी झूठी और धोखेबाज कोई स्टेट हो सकती है तो पंजाब ही हो सकती है। मैं आपको इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि हमारा यह टोहगी और व्यास और सतलज का लिंक होगा। उसके बाद में दुबारा हैंडओवर किया भाखरा मैनेजमेन्ट बोर्ड को,इसका नाम बदल करके भाखरा एण्ड व्यास मैनेजमेन्ट बोर्ड रख दिया गया। बी.बी.एम.बी. इसका नाम रख दिया गया। उसके बाद में जितने भी पंजाब सरकार के पुराने समय में हैडवर्क्स थे पंजाब सरकार को यह आदेश कर दिये कि यह सारे के सारे हैडवर्क्स जिसमें रोपड़ भी आता है, जिसमें फिरोजपुर भी आता है, जिसमें नांगल भी आता है, यह सारे हैडवर्क्स बी.बी.एम.बी. को सुपुर्द कर दिये जायें। लेकिन पंजाब ने परवाह नहीं की। इसका मतलब यह हुआ कि पंजाब के बीच में और राजस्थान के बीच में जो एग्रीमेन्ट हुआ था पहले पहल तो उसने ब्रीच आफ एग्रीमेंन्ट यहां किया कि जो उन्होंने सुपुर्द नहीं किया।

मैं इस संबंध में आपको एक और निवेदन करना चाहूंगा कि सतलज नदी पर भाखरा नांगल परियोजना के अन्तर्गत जो बांध बनाया गया था वह बी. बी. एम. बी. को किस तरह से दिया गया। भारत सरकार ने पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 79 की सब धारा (ए) के अन्तर्गत भाखरा प्रबधक मण्डल का गठन किया था। यह तो था भाखरा मैंनेजमेन्ट बोर्ड और उसी अधिनियम 1966 की उपधारा (5) के अतर्गत केन्द्रीय सरकार व्यास परियोजना में पूरे हुए कार्यों को भाखरा प्रबधक मण्डल को स्थानान्तरित कर दिया और उप–धारा (6) के अन्तर्गत इसको उसी बोर्ड को सौंप करके उसका नाम भाखरा व्यास मैनेजमेन्ट बोर्ड रख दिया। लेकिन जब हमारी कमेटी गयी और यह कहा कि बी. बी. एम. बी. के चैयरमैन साहब को, तो सभापति महोदय, चैयरमैन साहब ने हमको यह उत्तर दिया कि यह मैंनेजमेन्ट हमारे पास में है लेकिन क्योंकि इसके सारे हैड वर्क्स पंजाब के पास में हैं इसलिए हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कमेटी को बताया कि हम तो आपके पानी का डिस्ट्रिब्यूशन कर सकते हैं और यह सूचना कर सकते हैं कि राजस्थान को कितना पानी देना है। अब देते हैं या नहीं देते हैं इसमें हमारा कतई कन्ट्रोल नहीं है। असमर्थ है। इसका मतलब यह हुआ कि जिन लोगों को एक बाडी बनाकर राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के लिए एक कस्टोडियन बनाया गया वह कस्टोडियन भी अपने कार्यों में अपूर्ण रहे और अपूर्ण रहने के कारण से हमारे साथ हमेशा ज्यादती हुई और उन लोगों ने लाभ उठाया जो कि वहां पर हैड्स को कन्ट्रोल करते थे। मैं साथ ही एक निवेदन और करना चाहूंगा कि बी.बी.एम.बी. के अध्यक्ष से जो

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

समिति गयी उसने यह पूछा कि राजस्थान को जितना पानी दिया है पिछले तीन वर्षों में उसकी क्या स्थिति रही है तो उन्होंने अपना रिकार्ड देखकर हमको बताया कि 1 लाख 80 हजार क्यूसेक्स पानी हमको कम मिला है । हमने पूछा, आप यह किस आधार पर बता रहे हैं । उन्होने कहा, यह भी आधार वही है । पंजाब सरकार ने जो सूचना भेजी है राजस्थान सरकार को हम कितना पानी कम दे सके हैं, यह उसमें आंकड़े हैं । लेकिन हमारे एस. ई. श्री गुप्ता वहां पर लगे हुये थे उनसे जब जानकारी की तो उन्होने हमको बताया कि राजस्थान को इन तीन वर्षों के दौरान करीब 4 लाख क्यूसेक्स पानी कम मिला है इससे आप अन्दाजा लगाइये कि पंजाब के रिकार्ड्स झूठ बोलते हैं, पंजाब झूठ बोलता है उनकी कार्यवाही झूठी है । एग्रीमेन्ट के अनुसार वह चलना नहीं चाहते । ऐसी सरकार पर और ऐसे लोगों पर क्या विश्वास किया जा सकता है । इसलिए, सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी का विशेष करके ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आप चाहे कितना ही सतर्क हैं, आप चाहे कितनी ही इसके लिए मेहनत कर रहे हैं लेकिन उस पंजाब का और पंजाब सरकार का किसी कीमत पर भरोसा उस वक्त तक नहीं किया जा सकता जब तक कि स्पष्ट तौर पर भारत सरकार उनको बाध्य नहीं कर दे कि वह वही करेंगे जो कि भारत सरकार या एनर्जी सैक्रेटरी भारत सरकार उनको आदेश दे या बी.बी. एम.बी. जिस तरह से कहे । इसके लिये मैं आपका आगे और ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस बारे में कितने विवाद खड़े हुए थे । 1972 में हमने उनको लिखा और बैठक में यह तय हुआ कि हमारे राजस्थान के साथ ज्यादती की जा रही है । उससे पहले राजस्थान के मुख्य सचिव ने भी उनको पत्र लिखा था

श्री शिवचरण माथुर : चेयरमेन इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड ने ।

श्री राम रघुनाथ चौधरी : Sorry, चेयरमैन इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड ने उनको पत्र लिखा था और पत्र लिखकर यह एजीटेट किया था और बताया था कि राजस्थान के साथ पंजाब सरकार बिल्कुल न्याय नहीं कर रही है इसलिये हम इसको कतई मन्जूर नहीं करते । उसके बाद 4-8-73 को फिर इसको रिपीट किया । गया । उसके बाद में स्थिति चेन्ज हुई, चेन्ज होने की बात मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं, जब जनता सरकार आ गई, जनता सरकार आने के पूर्व में कांग्रेस सरकार और इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड बराबर एजीटेट कर रहा था और एजीटेट यह कर रहा था कि हमें हमारा हिस्सा एग्रीमेंट के अनुसार नहीं मिल रहा है । उसकी सूचना भारत सरकार को और भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड दोनों को बराबर भेज रहे थे । जितनी भी उनकी कान्फ्रेंसेज होती थीं, मीटिंग्स होती थीं उनमें भी इस पर पूरी चर्चा होती थी । 3-10-77 को यह निर्णय लिया गया, मान्यवर, यह जितने सिंचाई के हैड वर्क्स हैं रोपड़, हरिके, फिरोजपुर यह सारे भाखड़ा मैनेजमेंट को दे दिये जायें । यह निर्णय करने के बाद में उस वक्त के भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने

(130)

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

उनको एक पत्र लिखा और पत्र लिखकर के बाध्य किया कि यह सारे उनको सौप दिये जायेंगे लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। उसके बाद में, मान्यवर, थीन बांध के संबंध में 14-2-79 को एक मीटिंग प्रधान मंत्री ने और बुलाई थी दिल्ली में। 14-2-79 को हमारे तत्कालीन मुख्य मंत्री महोदय, जो अभी प्रतिपक्ष के नेता हैं, पधारे थे और थीन बांध की बैठक के दौरान यह उनसे निवेदन किया कि 3-10-77 को जो निर्णय लिया गया था कि सारे जितने हैड वर्क्स हैं पंजाब के वह भाखड़ा और व्यास मैनेजमेंट बोर्ड को सुपुर्द कर दिये जायेंगे। इस पर भारत के भूतपूर्व प्रधान मंत्री जी ने पुनः पत्र लिखा, पत्र लिख कर उनको बाध्य किया और बाध्य कर के उनको यह कहा कि जितने हैड वर्क्स हैं यह सात दिन में सुपुर्द कर देंगे। मान्यवर, मैं आक्षेप नहीं लगाना चाहता लेकिन मैं यह सोचता हूं कि कुछ बातें जो जानकारी में हैं, चाहे वह लिखी हुई न हों, चाहे उनको प्रोसीडिंग्ज नहीं हों लेकिन अगर नहीं कहूंगा तो मैं राजस्थान के साथ धोखा करूंगा, ऐसा मैं मानता हूं। इसलिये मैं इस सदन में कहना चाहता हूं कि तत्कालीन मुख्य मंत्री, विपक्ष के जो नेता हैं अभी, अपना पूरा प्रयत्न किया था, इसमें कोई दोराय नहीं है। यह बात नहीं है कि इन्होंने प्रयत्न न किया हो, प्रयत्न करने के बाद में ही भूतपूर्व प्रधान मंत्री जी ने आदेश दिये थे कि ये सारे हैड वर्क्स सौंप दिये जायें। पर इससे पहले यह नहीं कि ये प्रयत्न इन्हीं के थे, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इससे पहले जब हमारी प्रधान मंत्री इन्दिरा जी के सामने यह मामला गया था तब आर्बिट्रेटर नियुक्त करने के लिये भी पेशकश चली थी और पेशकश यह चली थी कि पंजाब का हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है, उनको बाध्य किया जाये लेकिन उसी दौरान चुनाव होने के बाद में जब राजनैतिक परिवर्तन आया तो निश्चय तौर से जो हमारे भारत के प्रधान मंत्री बने उन का यह कर्तव्य था कि उसके लिये वे करते और उन्होंने किया लेकिन हुआ क्या। हुआ यह, मान्यवर, पंजाब में खलबली मच गई। पंजाब के मुख्य मंत्री ने यह सोचा कि अगर यह हैड वर्क्स सौप दिए जायेंगे भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड को तो हो सकता है कि पंजाब का राज बदल जाये। राज तो अंततोगत्वा बदला, लेकिन वे नहीं चाहते थे, उस वक्त इनको जानकारी नहीं थी कि राजनैतिक परिवर्तन क्या आ सकता है। इसलिये उन्होंने हमारे प्रतिपक्ष के नेता, जो उस वक्त मुख्य मंत्री थे, उस वक्त शायद यह आराम कर रहे थे, अस्वस्थ थे, को यह कहा कि आप इस बारे में जोर मत लगाइये। समय ऐसा आ गया था कि 24 घंटे में या दो दिन में सारे जितने हैड वर्क्स है वह उनको मैनेजमेंट बोर्ड को सुपुर्द करने थे। उन्होंने एप्रोच करके हमारे यहां के मुख्य मंत्री जी भैरोंसिंह जी से निवेदन किया कि आप इस मामले के लिये प्रधान मंत्री पर प्रेशर मत डालिये। इस मामले में हम अपने आप करेंगे। उधर भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड के चेयरमैन और उनके सदस्य इस बात के लिये तैयार बैठे

श्री रामरघनाथ चौधरी

थे कि हम आज या कल सारा चार्ज लेकर हैड वर्क्स अपने कब्जे में ले लें ताकि पानी का और बिजली का वितरण जैसा वे करते है उसी तरह से उनको नियमित रूप से चला करके सबके साथ में न्याय कर सकें। हमारे तत्कालीन मुख्य मंत्री जी मौन रहे, मौन रहने के बाद में उन्होंने वहां पर वातावरण पैदा किया और प्रधान मंत्री को समझाने की कोशिश की। वह जो नोटिस था उस समय वह निकल गया और उन्होंने हैड वर्क्स सुपुर्द नहीं किये। उन्होंने वहां पंजाब में एक इस तरह का वातावरण पैदा कर दिया कि हम राजस्थान को किसी भी तरह यह पानी देने वाले नहीं है न तो हैड वर्क्स सुपुर्द करेंगे, न पानी उनको देंगे। तो यह आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन उस वक्त हमारे तत्कालीन मुख्य मंत्री महोदय श्री भैरोंसिंह जी अगर सतर्क होते और पंजाब के मुख्य मंत्री जी के प्रेशर में नहीं आते और यह नहीं सोचते कि राज जाये या रहे लेकिन राजस्थान की जनता के साथ न्याय होगा, राजस्थान की जनता को पानी पूरा मिलेगा और उसके लिये हैड वर्क्स भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड को सुपुर्द होने चाहिये। वह हो जाते तो एक इतना बड़ा काम हो जाता कि आज राजस्थान की जनता भुलाये नहीं भूलती। मान्यवर, समय निकल गया, बात निकल गई और बात निकलने के बाद में ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि वह स्थिती आज तक पैदा नहीं की जा सकी। सन् 1980 के बाद जब कांग्रेस सरकार वापस आ गई, कांग्रेस सरकार के वापस आने के बाद यहा को पी.यू.सी. कमेटी गई जिसके चेयरमैन अभी वर्तमान मौजूदा मुख्य मंत्री महोदय, जो बिराजमान हैं। इन्होंने वहां जाकर माईनूटली आबजर्व किया, माइनूटली आबजर्व करने का मतलब यह है कि कारों में घूमे हो या तफरी की हो, ऐसा नहीं है वहां जितने भी दिन, 6 या 7 दिन रहे, एक एक इंच जमीन पैदल घूम कर देखी। एक एक जगह देख करके उसकी जानकारी हासिल की। जब जानकारी हासिल की तब यह पता लगा, वहां जो हमारे यहां के चीफ इन्जीनियर थे उन्होंने बताया कि नांगल के ऊपर, नांगल के पास में आनंदपुर साहिब में एक हाइडल प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है और वहां पर आनंदपुर साहिब एक चेनल तैयार कर दी गई है जो 40 मील लम्बी खोदी गई है। यह देखकर आश्चर्य होता है, मान्यवर, पैदल घूम कर देखा था, मैंने यह सोचा था, जब शाम का निकला तो ये बड़े बड़े टीबे काहे के हो सकते हैं। लेकिन जाकर देखा वहां पर, रातों रात मशीनें काम कर रही थीं, 24 घंटे रात और दिन काम चल रहा था। इतना ही नहीं हमको यह जानकारी मिली। भाखड़ा और नांगल जितने प्रोजेक्ट बने हैं, डेहर बना हो, चाहे पण्डा बना हो, चाहे पोंग बना हो इनमें जो हमारा हिस्सा था। हमारे हिस्से के साथ यह निश्चित था कि हमें भी उसके अनुरूप धनराशि खर्च करनी पड़ेगी। उसी के अनुरूप उसी रेश्यो और प्रपोर्शन में मशीनरी लगानी पड़ेगी। उसके साथ होना यह चाहिये था

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

कि पंजाब ने जितने एम्पलाय किये थे, चाहे लेबर हो, चाहे आफिसर हों उसी रेश्यो प्रपोर्शन में होना चाहिए था। यहां हमारी सरकार फिर मात खा गई और यह मात उनको बहुत महंगी पड़ी। सभापति महोदय, हमने हमारे यहां के आफिसर भेजे नहीं, पंजाब वाले अधिकारियों ने और पंजाब सरकार ने हमारी जितनी राजस्थान की वेकेन्सीज़ थी उन पर अपने अधिकारियों को लगा कर उसको पूरा कर लिया। नतीजा वह निकला कि वहां सारी मशीनें जो राजस्थान सरकार के पैसे से खरीदी गई थीं, वे सारी मशीनें राजस्थान सरकार को वापस लौटायी जानी चाहिये थी, या हमारी साझेदारी में रहनी चाहिये थी उनको पंजाब सरकार इस तरह से काम में नहीं ले सकती थी और न ही पंजाब सरकार उनको खरीद सकती थी। उन्होंने उनकी घटी हुई दर नियत करके वह सारी मशीनें ले लीं और लेकर के अकाउंट का आज तक पता नहीं, डाइवर्ट कर दिया और वही मशीनें जो हमने प्रोजेक्ट के लिये खरीदी थीं या मिलकर खरीदी थीं उन्होंने उन्ही मशीनों के सहारे आनंदपुर साहिब को खोदा, उन्ही मशीनों के सहारे यह सारा काम करते रहे। मान्यवर, यह एक छोटी सी बात नहीं है कि चालीस मील लम्बी उन्होंने इतनी बड़ी चैनल बनाई जिसका एक बहुत बड़ी नदी का रूप लगता था, वह कोई मिनिटों में नहीं हो गई। लेकिन उनको यह पता था कि किसी तरह से अगर ढिलाई रही, राजस्थान सरकार ने अगर बहुत ज्यादा कोशिश की तो इसमें बाधा पड़ सकती है। उसके लिये उन्होंने क्या किया, मान्यवर, भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड की मीटिंग नहीं होने दी। भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड की मीटिंग कई बार बुलाई गई। बुलाने के बाद में हर बार उन्होंने मीटिंग को पोस्टपोन करा लिया, कुछ न कुछ बहाना बना लिया। मैं इस बारे में थोड़ा पढ़ कर सुनाना चाहता हूं जो रिपोर्ट में एक अंश है। "समिति को बताया गया कि 89 वीं मीटिंग में पंजाब की प्रार्थना पर यह मामला स्थगित किया गया। राजस्थान ने इस पर फैसला देने का जोर दिया। बी. बी.एम. बी. द्वारा इस विषय पर भेजे गये मिनिट्स की प्रतिलिपि का समिति ने अवलोकन किया। इसमें व्यास भाखड़ा प्रबन्ध मण्डल द्वारा आनंदपुर साहिब हाइडल चैनल की प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांगने पर जोर दिया गया और पंजाब के अतिरिक्त सभी सदस्यों द्वारा यह चाहा गया है कि यह प्रोजेक्ट बी.बी.एम.बी. के अधिकार क्षेत्र में दे दिया जाये। ताकि नांगल हाइडल चैनल के समानान्तर आनन्दपुर साहिब हाइडल चैनल को चलाने के लिए गतिरोध उत्पन्न नहीं हो क्योंकि दोनों ही चैनल एक ही बान्ध से चलेंगे। इनमें से एक पहले ही बी.बी.एम.बी. के अधिकार क्षेत्र में है। इसके अतिरिक्त तकनीकी दृष्टिकोण से यह प्रोजेक्ट उपयुक्त है या नहीं इसकी जानकारी भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के उपलब्ध होने तथा उसकी जांच किये जाने के उपरान्त ही हो सकेगी। इस पर राजस्थान के प्रतिनिधि ने इस बात पर

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

जोर दिया कि पंजाब बार-बार मण्डल की बैठक स्थगित कराने का प्रयास कर रहा है। तकनीकी रिपोर्ट के पैरा 10 में जिन बातों का उल्लेख किया गया है उनका निर्णय भी मण्डल द्वारा किया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त यह प्रश्न भी मण्डल के विचारार्थ रखा गया कि क्या भाखरा और नांगल दोनों बान्धों के भराव को अकेले पंजाब को अपने हितों के लिये काम में लेने दिया जावे या नहीं, क्योंकि दोनों बान्धों के भराव में राजस्थान और हरियाणा का हिस्सा भी है इसलिये ये दोनों राज्य इनके लाभ को प्राप्त करने के अधिकारी हैं। इस हाइडल चैनल पर लागत का व्यय 1959 के अनुसार लाभ के अनुपात में वहन करने को तैयार है।" यह बैठक भी पंजाब के, प्रतिनिधि, मण्डल के सदस्य ने यह कह कर स्थगित करवा ली कि आज की बैठक में उठाई गई बातों के सम्बन्ध में अपनी सरकार से परामर्श करना चाहेंगे।

इस तरीके से यह कोई एक बार नहीं है, तीन-चार बार रहा है। कोई रोज बैठक होती नहीं है। बैठक में कभी कहते हैं हम तैयार होकर नहीं आये है तो कभी कहते हैं हमारे ऑफिसर स्थानान्तरण होकर आये हैं, उसको जानकारी नहीं है। कभी कहते हैं हम अपनी सरकार से पूछेंगे। इस प्रकार से उन्होंने बी.बी.एम.बी. की मीटिंग नहीं होने दी और बी.बी.एम.बी.की मीटिंग नहीं होने से बी.बी. एम.बी. इसमें असहाय रही और कुछ कर नहीं सकी। तो, माननीय. मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो हमारे कस्टोडियन थे, वे असमर्थ रहे। जब हमारे लिये फायदा हो सकता था और प्रति पक्ष के नेता मुख्य मंत्री विराजते थे, उस वक्त नहीं हुआ और अब जब पंजाब हमारे पर चोट पर चोट करता आ रहा है और पंजाब सरकार जो धोखा करती आ रही है उससे हम यह मानकर चलते हैं कि अगर हम बहुत सतर्क नहीं रहे और बहुत ध्यान देकर कार्यवाही नहीं की तो हमको नुकसान होगा। अब देखिये एक स्थिति और पैदा हो गई। पहली स्थिति तो यह हो गई, माननीय, इन्होंने थर्मल स्टेशन बना लिये। जब कमेटी वहां पर गई थी तब थर्मल स्टेशन का नाम नहीं था और न कमेटी को इसकी जानकारी थी। इसलिये कमेटी ने इसके बारे में कोई जानकारी हासिल की भी नहीं। उस वक्त तक समस्या एक ही थी कि आनन्दपुर साहिब को हाइडल स्टेशन बना रहे है नांगल चैनल से जहां नांगल बांध है, वहां से कोई मुश्किल से 5–7 फीट की दूरी पर है, वे जब चाहें रात को उसे पंक्चर कर सकते हैं।

श्री शिवचरण माथुर: उस वक्त उन्होंने पावर हाउस का काम चालू कर दिया था।

श्री रामरघुनाथ चौधरी: नहीं, पावर हाउस का कर दिया था लेकिन हमें जानकारी नहीं थी कि इस पावर हाउस के लिए कहां से पानी लेंगे, यह स्पष्ट नहीं था लेकिन इस वक्त मैन मुद्दा था आनन्दपुर साहिब हाइडल स्टेशन, जो पावर स्टेशन बन रहे हैं। यह मैन मुद्दा था कि यहां से नांगल बांध से वो पंक्चर करके पानी ले

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

जायेंगे। हमने जहां पर यह स्टेशन है, नांगल बांध बना हुआ है और जहां से उन्होंने चैनल लिन्क करने के लिये बनाया था, माननीय, अगर आपको याद हो तो हमने वहां घूम कर आधा घंटे चहल कदमी करके भी देखा था। उस वक्त पंजाब के आफिसर्स का बड़ा अजीब रुख था। वो इस बात से नाराज थे कि राजस्थान के विधायक और कमेटी वाले यहां क्यों घूम रहे हैं। हमें इस बात का आश्चर्य था कि इतनी बड़ी घटना घट रही है और भारत सरकार और भारत सरकार के एनर्जी सैक्रेटरी और बी. बी. एम. बी. ये सारे चुप क्यों हैं ?

(व्यवधान)

श्री दाऊ दयाल जोशी : ....और सरकार भी चुप है, तत्कालीन मुख्य मंत्री भी चुप थे।

(व्यवधान)

श्री रामरघुनाथ चौधरी : राजस्थान सरकार इसलिये चुप थी कि राजस्थान सरकार तो पावर में आई थी, उस समय जनता सरकार के जाने के 6 महीने बाद की बात है, माननीय, यह कोई बहुत लम्बा चौड़ा समय नहीं है। जब हमारी कमेटी गई थी आप भी सदस्य थे, आप बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि हम अक्टूम्बर, 1980 में गये थे, चुनाव हमारे जून में हुए थे, जुलाई मे हमारा पहला सेशन बैठा था और उसके बाद दो महीने बाद कमेटी वहां विजिट करने के लिए गई थी। आप यह सोचिये, राजस्थान सरकार चाहे प्रति पक्ष की रही हो और चाहे इस पक्ष की रही हो, आप राजस्थान सरकार पर सीधा लांछन लगायेंगे तो दोनों लगायेंगे, एक पर लगा नहीं सकते। लेकिन अगर लगायेंगे तो ज्यादा जिम्मेदारी आदरणीय भैरों सिंह जी की थी चूंकि जून, 1980 तक वे मुख्य मंत्री थे, उस समय जनता सरकार थी, मैं जो मामला प्रस्तुत कर रहा हूं वह अक्टूबर, 1980 का कर रहा हूं। जब अक्टूबर, 1980 में हम वहां गये थे तब की हालात को देखते हुए हम इस स्थिति पर पहुंचे थे कि जो कुछ हो रहा है, वह ठीक नहीं हो रहा है। उसके बाद थर्मल स्टेशन की बात आई, मान्यवर।

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया व्यवधान न डालें। आर्डर प्लीज।

श्री दाऊ दयाल जोशी : सारी कार्यवाही पूरी कर दी थी।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, बिराजें। उनको अपनी बात पूरी कर लेने दें फिर आपको अवसर दूंगा।

श्री भंवर लाल शर्मा : माननीय सभापति महोदय, जब माननीय अध्यक्ष महोदय ने यहां आज की डिबेट प्रारम्भ की थी तो यह निर्देश दिये थे ....

(व्यवधान)

(श्री भंवरलाल शर्मा)

तो माननीय अध्यक्ष महोदय ने यह यह कहा था कि हम ऐसी बातें कहें, जिनसे हमारे देश की स्थिति मजबूत हो। अगर हम एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगायेंगे तो आप क्या यह समझ रहे हैं और क्या आप यह सोचते हैं कि आप के खिलाफ कुछ नहीं कहना है। ऐसा कुछ नहीं है। इस सरकार के खिलाफ बहुत कुछ कहा जा सकता है।

श्री राम रघुनाथ चौधरी : मैंने खुद ने यह कहा है....

श्री भंवर लाल शर्मा : Why do you start ? Why do you invite it ? Do not comment on it.

(व्यवधान)

श्री सभापति : आपकी भावना को समझ गये।

श्री राम रघुनाथ चौधरी : माननीय, मैंने खुद ने कहा, आक्षेप नहीं हो, मैंने यह कहा है कि अगर वह उस समय हो जाता तो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता....

(व्यवधान)

आप देखिये, यही तो हम कह रहे हैं राजस्थान सरकार की भूल रही है। राजस्थान सरकार ने 1977 से पहले अगर इस को और तेजी से किया होता तो आज समस्या पैदा नहीं होती ....

श्री भंवर लाल शर्मा : आप नाम लेकर बता रहे हैं।

श्री राम रघुनाथ चौधरी : मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिये नहीं कह रहा हूं।

श्री सभापति : कृपया बिराजिये।

(व्यवधान)

कृपया आसन को सम्बोधित करें। आपस में बातें नहीं करें।

श्री भंवर लाल शर्मा : फिर आपका इस बात को लेने का ही क्या मतलब है ?

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। कृपया जल्दी समाप्त कीजिये।

श्री राम रघुनाथ चौधरी : माननीय महोदय, मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था कि उसके बाद में थर्मल स्टेशन बन गया, थर्मल स्टेशन में इनका 600 क्यूसेक पानी चाहिए। पहले जैसी जानकारी है और हम यह सोचते थे कि जब उन्होंने आनन्दपुर साहिब चैनल बनाई है तो यह आनन्दपुर साहिब की चैनल से ही पानी लेंगे लेकिन अब हम यह सोचते हैं और यह सुन रहे हैं, जैसी हमें जानकारी है, हमें डर लगता है कि यह पानी ये चाहते हैं, जैसा कि मुख्य मंत्री महोदय बता रहे थे कि नांगल चैनल से पानी लेना चाहते हैं। नांगल में तो हमारा गंगवाल और कोटला, जहां पर विद्युत गृह लगे हुए हैं, पानी जाता है और उनका हिस्सा है वे यह कहते हैं कि हम तो हमारा हिस्सा लेते हैं। हमारा हिस्सा लेते हैं तब मुझे यह निवेदन करना है कि वो अगर अपना हिस्सा लेना चाहते हैं तो उन्होंने क्या जितना

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

उनका कमान्ड है, उसको डी कमान्ड कर दिया है। प्रश्न यह पैदा होता है कि उन्हों ने अपने कमान्ड को डी.कमान्ड कर दिया और डी कमान्ड करने बाद में वे अपने पानी को थर्मल पावर में काम में लेना चाहते हैं और उस पानी को कतई अपने कमान्ड के लिये काम में नहीं लेना चाहते हैं तब एक अलग हिस्सा बनता है। लेकिन मैं नहीं सोचता कि पंजाब जैसी सरकार जो इतनी झूठी और ××× हैं वो किसी भी तरह की बात कह करके निभा सके, मुझे नही लगता। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चहूंगा कि वो सारा पानी उधर लेना चाहता है और जब सारा पानी उधर लेना चाहता है तो इसके पीछे यह है कि आनन्द पुर साहिब में पानी ले लिया जाता है तो हमारे गंगवाल और कोटला जितने भी स्टेशन हैं को पानी मिलने की नहरें खाली रहेंगी जैसा अभी कांग्रेस के माननीय सदस्य पीरूमल जी कह रहे थे कि अगर यह पानी उधर ले लिया गया तो राजस्थान की जितनी भी धरती है, राजस्थान का जितना भी इलाका है यह सूखा रहेगा, इसमें पानी नहीं पहुंचेगा। मैं भी आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस पानी के मामले में पंजाब ने जितनी गड़बड़ियां की है और जितना झूठ बोलता है वह किसी भी दिन, हो सकता है रात को ही पंक्चर करके पानी निकाल दे, तो राजस्थान को प्यासा मरना पड़ेगा, राजस्थान की धरती पर अनाज नहीं हो सकता है। अगर यह पानी उन्होने ले लिया थर्मल पावर स्टेशन के लिये तो भी यही स्थिति होने वाली है। इसलिये हमें बहुत सतर्क होना चाहिये। सतर्क होकर यह निर्णय हमें करना पड़ेगा सर्व सम्मति से कि हमें क्या करना चाहिये। आप भारत सरकार को निरन्तर लिख रहे है जैसा कि माननीय सिंचाई मंत्री जी बता रहे थे। भारत सरकार को आप पोलिटिकल प्रेसर इज भी कर रहे हैं, भारत सरकार को इतना करने के बाद में भी जैसा प्रति पक्ष के नेता महोदय बता रहे थे और मुझे भी जानकारी है, आप खुद भी बता रहे थे कि उन्होंने क्लोजर की डिमान्ड को है। क्लोजर डिमान्ड करने के बाद पंजाब ने और हरियाणा दोनों ने नोटिफिकेशन इश्यू कर दिया। नोटिफिकेशन इश्यू करने के बाद उन्होंने यह कहा है कि 15–4–84 से क्लोजर लागू कर दिया जायगा। माननीय सभापति महोदय, स्थिति यह बनती है कि अगर क्लोजर लागू हो जाता है तो निश्चित रूप से पानी निकालने के लिये नांगल चैनल से उसको जोड़ेंगे। नांगल चैनल से जोड़ने के लिये अभी तो उन्होंने दो अपने स्टेशन लगाये हैं, थर्मल स्टेशन लगाये हैं। तीन इसके बाद में सैकन्ड फेज में और बनाने वाले हैं। इससे स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि पंजाब सरकार का मन, पंजाब सरकार की नियत न तो साफ है, न अच्छी है और न सच्ची है। बिलकुल हलाहल झूठी नियत है। राजस्थान का हित अगर इस मौके पर नहीं देखा गया और अगर राजस्थान सरकार किसी तरह झुक जाती है तो राजस्थान की जनता

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

बेमौत मारी जायेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। माननीय, इस तरह के फैसले से सरकार बदल जाती है, इस तरह के फैसले से रिवोल्यूशन हो जाते हैं। चूंकि हमारी जनता जिसके हम प्रतिनिधि हैं, कोई सारी जनता यहां आकर कहने वाली नहीं है इसलिए पक्ष और विपक्ष दोनों से मैं यह निवेदन करता हूं कि मिलकर इसका प्रस्ताव पास किया जाय और जितनी मेहनत हो सके, वह अवश्य ही की जाय लेकिन पंजाब जो × × × स्टेट है उसका कतई विश्वास नहीं किया जाय और हमारे पानी में से एक बूंद पानी पंजाब को चाहे वह आनन्दपुर साहिब हो और चाहे थर्मल स्टेशन हो, कहीं भी नहीं दिया जाय। बस, मुझे इतना ही निवेदन करना है।

श्री सभापति : श्री यदुनाथ सिंह।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : सभापति महोदय, मैं धन्यवाद दूंगा विपक्ष के नेता को जिन्होंने कल एक ऐसे मसले को सदन के सामने विचार हेतु प्रस्तुत किया जिससे राजस्थान का आने वाला भाग्य जुड़ा हुआ है। सभापति महोदय, जब हम पानी की बात करते हैं और राज्य की जो भौगोलिक स्थिति है, प्राकृतिक स्थिति है जब हम उसे देखते हैं तो हमारे लिए एक एक बूंद पानी, एक-एक यूनिट बिजली बहुत महत्वपूर्ण है। सभापति महोदय, अब रोपड़ के पावर स्टेशन को लेकर आज राजस्थान सरकार और पंजाब सरकार के बीच में एक झगड़ा मचा हुआ है। पंजाब रोज कुलाचियां खा रहा है। कभी पंजाब कहता है, मुझे भय लगता है, सभापति महोदय, जिस प्रोजेक्ट में 400 करोड़ रुपया खर्च कर दिया गया हो, जिस प्रोजेक्ट में जो कूलिंग सिस्टम दिया गया था, जो प्रपोजल में था, सैन्ट्रल सी. ई. ए. ने जिसको परमिशन दी थी, उसको बदलकर वह दूसरा कूलिंग सिस्टम लगाये, उस कूलिंग सिस्टम में 70 से 100 क्यूसेक पानी की सिर्फ आवश्यकता थी, पंजाब ने उसकी अवहेलना करके एक ऐसा कूलिंग सिस्टम, साइकिल सिस्टम, मैथड लगा लिया, 1350, 1690 दोनों यूनिटें अगर इनकी तैयार होंगी तो 600 क्यूसेक पानी का वह उपयोग इसमें चाहेगा सभापति महोदय, इसलिए 600 क्यूसेक्स पानी आज ले ले पहली स्टेज के लिए पंजाब, इतना ही नहीं है, प्रश्न यह जुड़ा हुआ है कि जो हमारे कामन कैरियर्स हैं, मुझे दुख होता है, सभापति महोदय, पानी हमारा दूसरे देश में भले ही चला जाय, पानी हमारा पाकिस्तान वेस्ट होकर चला जाता है लेकिन आपस में राज्य पानी के मसले को लेकर इस देश में जिस तरह का एक दूसरे के प्रति व्यवहार रखते हैं वह दुश्मन देशों से भी ज्यादा बुरा है। पानी हमारा फालतू निकलकर पाकिस्तान जा रहा है, पानी हमारा फालतू निकलकर समुद्र में जाता है लेकिन जब किसी राज्य के बीच में उसकी हिस्सेदारी की बात आती है तो हम एक दूसरे को दुश्मन समझकर बात करने का काम करते

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री यदुनाथसिंह)

हैं। यह हमारी स्थितियां,परिस्थितियां है। रावी ब्यास का समझौता भी हुआ, उसके बाद जब यह 1959 में समझौता हुआ, भाखरा का, तो सीधे तौर पर इस सतलज के पानी से लिंक बनने के बाद जो भी इस पर सिस्टम बनेगा उसमें हम हिस्सेदार होंगे। पंजाब परवाह नहीं कर रहा है। पंजाब परवाह नहीं कर रहा है कि क्या डायरेक्शन्स दी जा रही है, क्या बी. बी. एम. बी. की मीटिंग में डिसीजन्स लिए जा रहे हैं। जैसा कि माननीय मन्त्रीजी ने अपने उत्तर में कहा कि बी. बी. एम. बी. के टीथ नहीं है, ये हम लगातार मांग प्रस्तुत करते चले आ रहे हैं अपनी सरकार को, किस आधार पर सरकार कहती हैं कि बी. बी. एम. बी. के टीथ नहीं हैं, क्या बी. बी. एम. बी. ने कभी आपसे मीटिंग में कहा, क्या बी. बी. एम. बी. ने कभी यह कहा कि हमारी पकड़ मजबूत नहीं है। फिर हम बी. बी. एम. बी. से किस प्रकार से कह रहे हैं कि हमारे सारे हैड वर्क्स का काम बी. बी. एम. बी. को दे दिया जाय। बी. बी. एम. बी. को आप एक तरफ कमजोर मानने की बात करते हैं दूसरी तरफ आप यह भी कहते हैं कि बी. बी. एम. बी. के टीथ नहीं हैं, इसको स्पष्ट कहने की कृपा करें जब सरकार की ओर से उत्तर आये। सभापति महोदय, प्रश्न यह है कि इस पंजाब के इरादे क्या हैं केन्द्रीय सरकार और उसमें पार्टनर्स जो भी है, जो बी. बी. एम. बी. के चेयरमैन हैं, अभी मैं मिनिट्स पढ़ रहा था, जो पिछली बी. बी. एम. बी. की मीटिंग हुई है, जिसमें हमारे इरिगेशन सैक्रेटरी गये। मीटिंग हमने बुलायी,अजेण्डा में कोई बात है नहीं पानी बन्द करने की नांगल चैनल का, हाइडल चैनल का लेकिन पानी बन्द करने का वहां फैसला करने की बात कर ली गयी यानि हमारे ऊपर हर फैसले को लादने की कोशिश की जा रही है। सवाल यही नहीं है, सभापति महोदय, पंजाब में इस प्रोजेक्ट के आगे, इस थर्मल प्रोजेक्ट के आगे 4000 क्यूसेक्स का जो हैड वर्क्स बनाया है, उसके इरादे क्या हो सकते हैं यानि उस हैड वर्क्स को किस लिए पंजाब बना रहा है? उसको हैड वर्क्स को इतना बड़ा बनाने की जरूरत क्या है? यानि पंजाब जहां फाल पड़ते है, उन फालों पर पानी को आगे ले जाकर और बिजली बनाने की बात करना चाहता है यानि पानी लेना चाहता है, थर्मल पावर स्टेशन के नाम से। सवाल है, सभापति महोदय, नांगल से हम पनी दें या नहीं दें, उस बात को मैं दोहराना नहीं चाहता इसका सरकार ने जब प्रश्न को उठा दिया तो स्पष्ट करने का काम करेगी अभी मैं एक पत्र देख रहा था राव कमलेन्द्र सिंह जी के पास था जिसमें लिखा हुआ है कि जो कैबिनेट सैक्रेटरी के सामने मीटिंग हुई उस आधार पर हम यह डायरेक्शन्स दे रहे हैं। उस आधार पर यह डायरेक्शंस बताये हैं। तो आप उसमें कैसे पार्टी नहीं है? आप उसमें शामिल थे इससे यह जाहिर होता है। सभापति महोदय, सवाल यह है कि पंजाब जहां चाहता है नहर बना लेता है, यानि बराबर की पैरेलल चैनल उन्होंने बना ली और उसमें पावर स्टेशन की एक यूनिट

(श्री यदुनाथसिंह)

खड़ी भी कर दी। पंजाब कुलाचें मारता है, कभी कहता है कि साइफन करके ले जाऊंगा, कभी कहता है कि इसको आपस में लिंक करके ले जाऊंगा। यह आनन्दपुर साहिब चैनल जो है यह एक्सक्लूसिवली पंजाब की है। कभी उससे लिंक करने की बात करता है और अब पंजाब रोज संदर्भ बदल रहा है, आज पंजाब ने संदर्भ बदला है कि ठीक है मेरे को थोड़े दिन के लिए पानी दीजिए ताकि, मैं उस पावर स्टेशन को चालू करने का काम कर सकूं। आगे चलकर मैं यमुना सतलज लिंक से पानी लेने का काम करूंगा यानि यमुना सतलज में जो भी कामन लिंक कैरियर्स हों, यमुना सतलुज पानी को अलग मानेंगे जब उसमें पानी भाखरा का मिल रहा है तो यमुना सतलज लिंक भी पंजाब का कैसे हुआ? यानि रोज संदर्भ बदलकर पंजाब उसको कराना चाहता है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने इस पावर स्टेशन का शिलान्यास 1980 में किया, 80 के बाद 81 के बाद, सभापति महोदय, इस पर काम चालू हुआ। पंजाब कितना सतर्क है अपने हितों के लिए इससे स्पष्ट होगा कि इतने बड़े प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कम से कम 7 वर्ष की आवश्यकता थी लेकिन पंजाब ने 3 वर्ष में बना दिया। यानि पंजाब पूरी तरह से सतर्क है, पूरह से जागरूक है कि किसी तरह से पानी को डाइवर्ट करने की बात करते हैं तो मैं अपने हिस्से का पानी लूंगा। सभापति महोदय, प्रश्न यहां यह है, जो सिस्टम है उसमें सरकार को आज फैसला यह करना है। मैं धन्यवाद दूंगा जो भी विरोधी दल है, राष्ट्रीय विरोधी दल है उनके नेताओं को कि उन्होंने इस मुद्दे पर दृढ़ मत होकर राजस्थान के हितों के लिए हमेशा यह कहा है कि राजस्थान का पानी और बिजली में बराबर हिस्सा रहे। मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। सभापति महोदय, प्रश्न यह है कि अब 400 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट खड़ा हो गया, पंजाब की समस्या से जैसे हालात पैदा हुए हैं, इसी दबाव से मुझे भय है, सभापति महोदय, इस समझौते के नजदीक आने के कारण अकालियों को कहीं से सुगन्ध आयी कि जल्दी इसका फैसला होने वाला है, दबाव बढ़ाओ। इसीलिए राजस्थान में यह एक्सट्रीमिस्टों की घटना हमको देखने को मिली नजर आयी। इस लिए किसी भी प्रकार का कोई भी दबाव चाहे वह केन्द्रीय सरकार पर हो, चाहे वह हरियाणा पर हो, चाहे वह राजस्थान पर हो, पंजाब आज देने को तैयार बैठा है। इसलिए, सभापति महोदय, बहुत जरूरी है कि इसका पानी अब किस तरह से लें। केन्द्रीय सरकार किसी भी तरह से इसका फैसला करने वाली नहीं है, ट्रिब्यूनल को देते जाना, चाहे आप हाईकोर्ट में लड़ना, बीसों तीसों साल की गर्भी। आपके 3–4 जिलों को पानी आता है वह तो इससे महरूम रहेंगे ही रहेंगे, प्रिसीडेन्ट कायम हो जायेगा। इस सिस्टम से अगर आपने पानी पंजाब को काम में लेने का हक दे दिया तो, सभापति महोदय, होगा क्या? रोज पंजाब कोई न कोई काम करेगा और आप को महरूम रखेगा। इस लिए राजस्थान की पूरी जनता सरकार के

(श्री यदुनाथसिंह)

साथ है इस मामले में, राजस्थान की पूरी जनता कोई भी कुर्बानी करने को तैयार है, आनन्दपुर साहिब में राजस्थान का हिस्सा है कि नहीं है यह फैसला होना बहुत जरूरी है। यह पानी देना या नहीं देना इतना महत्वपूर्ण नहीं है। इसको तो किसी न किसी तरह पानी दिया जायेगा। क्या सरकार ने यह भी अपना स्टैण्ड रखा है कि जो कूलिंग सिस्टम पंजाब ने बदलकर साइकिल सिस्टम बनाया है इस सिस्टम को वापस बदलने में कितना खर्चा आता है। उस सिस्टम बदलने का काम नहीं करता तो यह प्रश्न नहीं है, सभापति महोदय, हम जो भाखरा मेन लाइन है उसकी कैपेसिटी पूरी कर लेंगे या नहीं कर लेगे यानि 600 क्यूसेक पानी उसमें से ले जाना चाहते हैं, 1250 क्यूसेक की कुल कैपेसिटी है, 1205 Sorry। उसमें से इतना पानी ले जाना चाहते हैं। तो, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार पर राजस्थान सरकार इस मुद्दे पर दबाव डालें कि किसी भी सूरत में राजस्थान के हित पहले हैं। कहीं यह न हो कि जिस प्रकार से आप 1981 में पंजाब को जैसा मौका दे आये थे कि राजस्थान तो कहीं भी झुक सकता है, कभी भी घुटने टेक सकता है, ऐसा मौका नहीं आने पाये। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि हाउस की भावनाओं को लेकर जाय। 15 तारीख को नोटिस इश्यू किये गये हैं ये इस बात को इंगित करते हैं, और जो भी प्रोसीडिंग देखीं चैयरमैन कह रहे हैं, एनर्जी सैक्रेटरी कह रहे हैं कि नेशनल इन्ट्रैस्ट में है। नेशनल इन्ट्रैस्ट को बहाना बनाकर उस पावर स्टेशन को जल्दी से जल्दी चालू करने की जो हडकम्प मच रही है उसके दबाव को देखते हुए, सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि कोई भी तरह की कुर्बानी आपको देनी पड़े, मुख्य मंत्री से हटना पड़े, मंत्री से हटना पड़े, आप यह कुर्बानी करेंगे तो राजस्थान की जनता आपके साथ होगी, हम भी आपके साथ होंगे। नहीं तो कभी इस तरह से किसी प्रकार से झुक के आप दब कर कोई फैसला करके चले आए तो आपको किसी भी सूरत में माफ नहीं किया जाएगा, राजस्थान की जनता इससे निपटने का काम करेगी।

(30–40 म. म.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : श्री कमलेन्द्रसिंह।

श्री कमलेन्द्र सिंह (वल्लभनगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन सरकार से यह आश्वासन चाहता था, जब कल यह प्रश्न उठा था. आश्वासन यह चाहता था कि इस राजस्थान का जो भी पानी है, जो भी बिजली में हिस्सा है, उसमें कोई तरह की कमी नहीं आएगी और सेंट्रल गवर्नमेंट के, केन्द्रीय गवर्नमेंट के दबाव में आप नहीं आयेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहना पड़ेगा कि रावी-व्यास के नेगोशियेशन्स के टाइम पर जैसे अपोजीशन को विश्वास में लिया गया था, अपोजीशन के कहने से सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव भी पेश किया गया था हाउस में, प्रस्ताव पास किया गया था

(श्री कमलेन्द्रसिंह)

प्रस्ताव में जो भी राजस्थान की भावना थी उसमें अंकित किया गया था और उस प्रस्ताव को लेकर मुख्य मंत्री जी नेगोशियेशन्स में गए। मैं समझता हूं कि उनके हाथ मजबूत जरूर हुए होंगे और उनको नेगोशियेशन में पोइन्ट पुट अप करने के लिए कुछ न कुछ शक्ति जरूर मिली होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह समझ में नहीं आता कि जहां रोपड़ का सवाल आ रहा है, जहां छः सौ क्यूसेक पानी मांगा जा रहा है इस क्वेश्चन पर राजस्थान सरकार क्यों नहीं हाउस के सामने आती है, राजस्थान की जनता के सामने आती है? बारबार खोद खोद करके इनसे पूछने के बाद यह पता लगता है कि आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह आर्डर दिया है, कल यह आर्डर दिया है, हमने यह जवाब दिया है। खोद खोद कर पूछते हैं तब जाकर कहीं एक स्थिति सामने आती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के पीठ के पीछे क्या नेगोशियेशंस चल रहे हैं उसके बारे में पता नहीं है, किन्तु अवश्य एक चीज हो रही है कि हाउस को कॉन्फीडेंस में आज दिन तक नहीं लिया गया है। क्यों नहीं लिया गया? कल यह प्रश्न नहीं उठाते विपक्ष के नेता महोदय तो मैं समझता हूं कि कोई भी तरह का एग्रीमेंट सरकार कर के आ जाती और राजस्थान के सामने एक फैट अकम्पलाई पेश कर देती कि हमने यह तय कर दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सन् 1955 से, जब से हम को 52.6 प्रतिशत पानी का हिस्सा मिला है उस दिन से पंजाब को यह टीस लग रही है कि किसी न किसी तरह से इस हिस्से को कम किया जावे। किसी न किसी बहाने पर यह कोशिश कर रही है कि राजस्थान का हिस्सा कम किया जावे। राजस्थान को पानी जो मिल रहा है उसमें से शेयर जो उनको मिलना चाहिए उससे ज्यादा शेयर वह ले। उसी वजह से उन्होंने हैड वर्क्स बनाना चालू कर दिया, उन्होंने पावर प्लाण्ट बनाने चालू कर दिए। जितने भी मैनेजमेंट बोर्ड बनाए हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अन्तर्गत चलने चाहिए, उनमें सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडेंस लेनी चाहिए, वह सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडेंस पर नहीं चल रहे हैं और न सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडेंस मान रहे हैं, न राजस्थान गवर्नमेंट के या हरियाणा गवर्नमेंट के जो ओब्जेक्शन्स हो रहे हैं उनके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि इण्डो–पाकिस्तान ट्रीटी जो हुई थी 1960 में, उसके अन्तर्गत, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के डेजर्ट को लेकर ही अपने को तीन नदियों का पानी मिला है। हण्ड्रेड पर्सेन्ट पानी जो हिन्दुस्तान को मिला है, केवल इसलिए मिला है कि थार डेजर्ट का आर्ग्यूमेंट उसके सामने भारत सरकार ने रखा था उस आर्ग्यूमेंट के बेसिस पर 24 प्रतिशत पानी तीनों नदियों से मिला है, उसमें से 52,6 प्रतिशत हमको मिला है। उस 52 प्रतिशत के हक के लिए हमको लगातार सतर्क रहना चाहिए था। किन्तु, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान गवर्नमेंट सन् 1955 से लगाकर आज दिन तक छोटे छोटे कंसेशन देकर...

(142)

श्री अध्यक्ष : समय हो रहा है इस-लिए....

श्री कमलेन्द्रसिंह : पांच मिनट और लूंगा।

छोटे छोटे कंसेशन लेकर अपना हक पंजाब जमाना चाहता है। इसके अन्तर्गत, माननीय अध्यक्ष महोदय, थीन डैम का जितना भी अपना हिस्सा है, थीन डैम के अन्तर्गत जितना भी हिस्सा मिलना चाहिए वह पूरी तरह से मिल नहीं रहा है। वह भी केस सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने पेंडिंग है। हैड वर्क्स का जो दावा है उस दावे के बारे में भी, माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रोच किये हैं उसका भी आज दिन तक फैसला नहीं हुआ है। नाथपा भाकडी में जो हमको हिस्सा मिलना था वह भी केस पेंडिंग है। आनन्दपुर साहिब में और मुकेरिया में जो हमारा दावा अभी तक पेंडिंग सन् 1977 से है उसके बारे में सब कुछ जितने भी विवाद खड़े हुए, माननीय अध्यक्ष महोदय, आज दिन तक इस 52.6 प्रतिशत पानी, जो हिस्सा हमको मिलना चाहिए, जितने भी विवाद खड़े हुए हैं, वह सब पेंडिंग चल रहे हैं। आज उनकी वही हालत होगी जो मध्य प्रदेश के गांधीसागर कैचमेंट में हुई है अपने सतर्क नहीं रहेंगे तो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कोट करना चाहूंगा कि 25 फरवरी का जो कागज हाउस के पटल पर रखा गया था उसमें स्पष्ट रूप से यह लिखा गया, माननीय अध्यक्ष महोदय—

"I am to communicate herewith the decisons of the Government of India, as enclosed herewith, in regard to the operation of the regulators for release of waters for the Ropar Thermal Power Station, based on the discussion held under the Cabinet Secretary's Chairmanship."

जो सरकार यह दावा कर रही है कि हमने इस मामले में कोई एग्रीमेंट नहीं किया है, हमने अपना दावा पेश किया है उस दावे में यह सरकार पार्टी है स्पष्ट रूप से। आनन्द मोहनलाल चीफ सैक्रेट्री के नाम पर यह लेटर जो आया है उसमें लिखा हुआ है : discussions held under the Cabinet Secretary's Chairmanship."

उसमें हमने यह एग्रीमेंट किया है :

"With aview to faciltiating ihe early commissioning of Stage-I of the Roper Thermal Station authorisation will be accorded for drawal of water from the Nangal Hydel Channel to meet the cooling water need of this project and for the execution of the necessary works therefor. The BBMB which is in charge of the reach of the Nangal Hydel Channel at the point of off-take of the cooling water channel for the

(श्री कमलेन्द्रसिंह)

Ropar Station will manage the regulator for the purpose of supplying water for the Ropar Project. Thia arrangements would, however, be reviewed as soon as item (ii) and (iii). below have completed."

इसका मतलब यह है, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने आलरेडी एग्रीमेंट कर लिया है कि यह छः सौ क्यूसेक पानी रोपड़ थर्मल प्लाण्ट को कूलिंग वाटर के लिए दिया जाएगा। हम जो दावा कर रहे हैं, जो भी कागज इन्होंने हाउस में पढ़े हैं यह केवल एक पर्दा मात्र है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पर्दे के लिए यह कह रहे हैं :—

"Punjab shall take-up and complete expeditiously the work of restoration of the capacity of Bhakra main canal."

कब पंजाब यह बनाएगा, कब रेस्टोर करेगा इस पानी को, इस पानी के लिए कोई बाइंडिंग, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने नहीं ली है। राजस्थान सरकार ने इस चीज को कंसीड कर लिया है कि रोपड़ पावर प्लाण्ट को छः सौ क्यूसेक पानी देने को तैयार है और केबिनेट सैक्रेटरी की मीटिंग में इस चीज को कंसीड कर लिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक और चीज रिमाइण्ड करना चाहूंगा कि इस हाउस में एक रिजोल्यूशन पास किया गया था, सरकार की तरफ से रिजोल्यूशन आया था तब हाउस ने सर्व सम्मति से उस को पास किया था। उसमें यह लिखा था :—

"अतएव राजस्थान के हिस्से में एक बूंद पानी की कमी करना भी राजस्थान की जनता को असह्य होगा।"

ये वर्ड, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के उस रिजोल्यूशन को पढ कर मैं बता रहा हूं जो इस हाउस ने पास किया था। मैं राजस्थान सरकार से यह पूछना चाहूंगा कि राजस्थान के हिस्से का आपने यह छः सौ क्यूसेक पानी पर डें का एग्रीमेंट किस हिसाब से किया है जब हाउस का रिजोल्यूशन आपके सामने है, जब हाउस को आपने यह कमिटमेंट दे दिया है कि एक बूंद भी पानी अब राजस्थान सरकार के हिस्से का नहीं दिया जाएगा तो आपने कैसे कंसीड कर लिया है?

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है, और इसी प्रश्न को लेकर यह डिबेट चालू की गई थी, इसी प्रश्न को लेकर माननीय विपक्ष के नेता ने इस पोइन्ट को उठाया था, इसका जवाब कम्पलीटली और पूरी तरह से सरकार से आना चाहिए कि जो रिजोल्यूशन हाउस ने पास किया था उस रिजोल्यूशन को आपने काउण्टरवीन कैसे किया है।

श्री अध्यक्ष : श्री आत्माराम। इसके पश्चात् यदि सरकार चाहेगी तो उत्तर दिया जाएगा। समय का अभाव है....

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरा एक निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है ढाई घण्टे का समय हो गया है। दो घण्टे का समय निर्धारित किया गया था।

श्री यदुनाथ सिंह : कनक्लूजन पर नहीं आया हाउस अभी।

श्री कमलेन्द्रसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार का कमिटमेंट है. उस कमिटमेंट के बारे में उनको जवाब तो देना ही पड़ेगा।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : अच्छा तो डिमाण्ड ले लीजिये।

श्री अध्यक्ष : डिमाण्ड लेने की मैं कोशिश कर रहा हूं इसलिये जल्दी समाप्त हो जाय। यही है मतलब मेरे कहने का। संक्षप में।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, फेक्चुअल डिसीजन तो हो चुका है।

श्री अध्यक्ष : अब ढाई घंटे का समय था उसमें जितनी माननीय सदस्यों को बोलना था वे बोल लिये।

श्री सी. पी. जोशी : मैन मुद्दा तो यह है कि जो स्थिति है उससे माननीय मुख्य मंत्री जी ने और भैरोंसिंह जी साहब ने अवगत करा दिया। उस पानी को रोकने के लिये राजस्थान के विधायक क्या सोचते हैं, राजस्थान की जनता का प्रतिनिधित्व करके सरकार का किसी तरह का मानस बनाना चाहते हैं....

श्री अध्यक्ष : दो घंटे का समय दिया था इस पर मानस बनाने को पर पौने तीन घंटे में भी मानस नहीं बना तब तो....

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, तब तो पूरी सूचना नहीं होने के कारण....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। अपनी अपनी क्षमता है। मानस बनाया जा सकता है एक लफ्ज में भी, और बहुत लम्बे भाषणों से भी मानस नहीं बनता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सी. पी. जोशी ने जो बात कही वह बिल्कुल वाजिब है। सभी तथ्य सामने आ गये, अब यह सदन क्या निर्णय लेता है यह प्रश्न सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष : निर्णय तो कोई प्रस्ताव से ही लिया जा सकता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मै यह निवेदन करना चाहता हूँ। इसीलिए आज अगर इसको डेफर किया जाय और सरकारी पक्ष, विरोधी पक्ष और बाकी के माननीय सदस्य बैठ कर इस मामले पर निर्णय कर लें कि किन लाइन्स पर विधान सभा अपनी भावनाओं को किन शब्दों में प्रकट करके किस प्रकार के प्रस्ताव में वह अपनी अभिव्यक्ति कर सकती

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

है इस पर विचार विमर्श करने के बाद यदि कोई यहा कांक्रीट फोर्म में सदन आता है तो उस पर चर्चा होगी तो राज्य सरकार को भी लाभ होगा, हमारा पक्ष भारत सरकार के सामने सही ढंग से रखा भी जा सकेगा और सरकार भी यह कह सकती है कि हमारे हाथ विधान सभा ने बान्ध दिये, यह इस प्रस्ताव के पीछे जनता का समर्थन है। इसलिये मैं उचित समझूंगा, अध्यक्ष महोदय, सरकारी पक्ष और विरोधी पक्ष सब मिल कर करें, इसमें कोई दो पक्ष नहीं है। इसमें कोई यह भ्रान्ति नहीं रहे कि इस में कोई दो पक्ष है। जहा तक राजस्थान के हितों का प्रश्न है हम 200 के 200 सदस्य एक हैं और इसके पीछे पूरे राजस्थान की जनता की भावनाए हैं यह एक ऐसा गंभीर मसला है कि जिसको केवल डिबेट करके हम टाक-आउट कर दें, इस प्रकार की स्थिति में नहीं आना चाहिये। इस लिये मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे भी अपना मानस बना लें क्योंकि जिस प्रकार के मिनिट्स इन्होंने हाउस में रखें हैं और जो लैटर रखा है उससे और कई तरह के काम्प्लीकेशंस पैदा हो गये इतने काम्प्लीकेशस हैं कि जिनका कोई अन्त नहीं होगा डिबेट के अन्दर। इसलिये मैं चाहूंगा कि सारे मसले पर हाउस के बाहर बैठ कर निर्णय कर लें और फिर आपसे निवेदन करेंगे कि कृपापर्वक घंटा, आधा घंटा, जो भी समय हो, इसके लिये निश्चित कर दिया जाएं ताकि दोनों पक्ष थोड़ी थोड़ी देर बोल कर अपनी भावनाएं व्यक्त करके प्रस्ताव पारित कर दें।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय, कुछ कहना चाहेंगे ?

श्री आत्माराम चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, दो मिनट।

श्री अध्यक्ष : श्री आत्माराम जी को सुन लें। यह उन माननीय सदस्यों में से हैं जिनका नहरों का सबसे अधिक....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उनके ज्ञान के बारे में मुझे कोई आपत्ति नहीं है नहरों के विषय में....

श्री अध्यक्ष : तब तक सदन के अन्य माननीय सदस्य भी ठंडे दिल से विचार कर लेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, हमने आत्माराजी को सुना है, नहरों के विषय में उनको पूरी जानकारी है और सही बात भी कहते है इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, वह बोलें, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष : उनके बोलने के पश्चात् सरकार की....

श्री आत्माराम चौधरी : दो मिनट में खतम कर दूंगा, विपक्ष के नेता महोदय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बोलिये, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री आत्माराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मुद्दा आज का यह है कि अपन

(श्री आत्माराम चौधरी)

डिस्कशन से राज्य सरकार के कहां तक हाथ मजबूत करते हैं, किस तरह के नये पाइन्ट देते हैं। यह मैं समझता कि हूं मुख्य मुद्दा है। इस डिस्कशन में जाने की जरूरत नहीं है कि माननीय भूतपूर्व मुख्य मंत्री महोदय की कर्तव्य परायणता कितनी थी, मैं यहां आपको कह सकता हूं कि विरोधी दल के नेता का जो कर्तव्य है उन्होंने बहुत अच्छी तरह से निभाया और वह धन्यवाद के पात्र हैं।

मुख्य मुद्दा जो है वह यह है कि आज कौन से पाइन्ट हैं जिनको हम बतायें, जिनकी वजह से राज्य सरकार के हाथ मजबूत हों और राज्य सरकार आगे जाकर राजस्थान के हितों का ख्याल रखें। मैं यह निवेदन करूंगा कि यह आज स्थिति क्यों पैदा हो रही है कि राज्य सरकार झुक जायेगी ? यह भ्रम क्यों पैदा हो रहा है ? मैं समझता हूं कि इसके लिये दो मुद्दे हैं। एक तो यह कि वहां कुछ इस तरह पैसा लग गया है, कुछ प्रोजेक्ट बन गये हैं, और दूसरा यह कि पंजाब में इस तरह की आंधी बह रही है जिसमें हमारी राजस्थान गवर्नमेंट, हमारे राजस्थान के नुमाइन्दे खड़े रह सकेंगे या नहीं रह सकेंगे। यह दो मुद्दे मुख्य हैं। इसलिये लोगों को शक हो रहा है। इसके लिये मैं यह निवेदन करूंगा कि हमारी सरकार पिछले एक साल से लोगों को कह रही थी, पिछले सैशन में भी इस तरह की बात आई थी तो उस वक्त भी सरकार मजबूत थी और उन्होंने मजबूती के सिवाय कोई कमजोरी वाली बात नहीं दिखाई। मैं एक बात और नोटिस में लाऊं कि राजस्थान कैनाल के हिस्से का पानी जो है वह इसी साल से, इसी अर्से के अन्दर बढ़ा है। तो मै नहीं समझता कि इस तरह की कोई बात, कमजोरी वाली बात नजर आई, हो पर कोई तगड़ी बात भी नजर नहीं आई। जैसे क्या है कि 1966 के अन्दर भारत सरकार के अध्यादेश के जरिये यह भाखरा व्यास प्रबन्ध बोर्ड बना था तो इसका जो सैंटर गवर्नमेंट के कानून के रूप में आ गया है वह लागू हो तो मैं समझता हूं कि उससे हमारे हाथ ज्यादा मजबूत होंगे। वह लागू नहीं होने की कोई बात नहीं है। अभी जिन कुछ माननीय सदस्यों ने बताया कि उसके लागू होने के लिये मोरारजी देसाई ने आर्डर कर दिये थे, भैरोंसिंह जी ने कोशिश की। तो मेरी अर्ज यह कि 1966 का जो अध्यादेश है उसको लागू कराने में क्या कमी आ रही है, क्यों कमजोरी आ रही है, उसके बारे में अगर जनता के अन्दर मानस बनाया जाय तो ज्यादा मेरे ख्याल से उपयुत रहेगा। दूसरी बात यह है कि यह जो पैरेलल चैनल्स इसके बाद बने थे, यह क्यों बन गये ? मुझे ज्ञान नहीं है कि इन्टर-स्टेट गवर्नमेंट के किस तरह के क्या सदाचार है या कि तरह क्या इनकी अण्डर स्टेंडिंग है। इस तरह के शुरू में ही बन गये हों तो राज्य सरकार को इंटर-स्टेट, सैंटर गवर्नमेंट को इस तरह के रोकने चाहिये और जैसे वहां कुछ बन रहा हो। बन रहा था तो यह राज्य सरकार के नोटिस में लाना चाहिये और यह राज्य सरकार की नोटिस में नहीं आया है, इस तरह की कोई, जानकारी नहीं है तो इस तरह की कोई म्युच्युअल अन्डर स्टेंडिंग

(श्री आत्माराम चौधरी)

नहीं है। तो इस के लिये सेन्ट्रल गवर्नमेंट को कम्पेल किया जाय। इस तरह के जो हमारे मौजूदा वर्क्स हैं उन पर अफेक्ट पड़ता हो तो वह स्टेट गवर्नमेंट के नोटिस में लायें और इस तरह की कार्यवाही नहीं हो यह मुद्दा सेंटर में उठाना चाहिये। इस तरह से यह जो लैटर पढ़ रहे थे उसमें यह है कि डिसीजन आफ दी गवर्नमेंट आफ इण्डिया, इस तरह का डिसीजन कैसे हो जाता है। जब कि इंटर-स्टेट का मामला है तो इंटर-स्टेट का अपने हिसाब से होता है। तो यह 2–3 मुद्दे हैं जिनकी ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। मेरे ख्याल से यह सेंट्रल लेवल पर हो जाय तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं समझता हूं कि सरकारी पक्ष के जो कोई सदस्य बोलें उस वक्त विरोधी पक्ष शांति से सुने तो हम भी शांति से सुनने को तैयार रहेंगे वरना इस तरह की भावनाएं पैदा होंगी कि कुछ लोग तो अच्छे सुझाव दे सकते हैं, कुछ लोग कमजोर सुझाव दे सकते है। इसलिये बीच में बोला जाय तो कोई बात बैठती नहीं है।

तो मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि यह जो 2–3 मुद्दे हैं व्यास-भाखरा मैनेजमेंट बोर्ड जो इस सेंटर के द्वारा बोर्ड बन गया है उसको लागू करने के लिये राज्य सरकार पहले क्या कोशिश करती रही, आगे क्या कोशिश करेगी, यह कब तक लागू करा देंगे। जो कानून है इसको नहीं लागू कराने का क्या कारण है। अब रहा सवाल हमारी कमजोरी की बात का, तो मैं समझता हूं कि यह जो आनन्दपुर साहिब का प्रस्ताव पास हुआ, पता नहीं किसने प्रस्ताव पास किया? कोई एक पार्टी थी उसने प्रस्ताव पास किया और इस प्रस्ताव के पिछे जनमत इतना तगड़ा था कि उसने केन्द्र सरकार की परवाह नहीं की, पंजाब सरकार की परवाह नहीं की, दूसरी गवर्नमेंट की परवाह नहीं की और वह आज आन्धी के रूप में हमारे सामने आई। इस तरह की भावना बिगड़ रही है कि हम पंजाब वालों को गाली दे रहे हैं, कोस रहे हैं। न तो इसमें पंजाब वालों का दोष है, न राजस्थान वालों का दोष है। अपने हितों की लड़ाई सभी को लड़नी है। अपने हित, कानून के जरिये अपना हिस्सा बनता हो, कितना हम को मिलने वाला है, इस मुख्य मुद्दे के लिये अगर इस तरह की कोई आचार संहिता बनानी पड़े जैसा कि मैंने अभी आपसे निवेदन किया कि अगर कोई इस तरह से पैरलल चीजें, जो दूसरी स्टेट का अफेक्ट करती हों, बनें तो सैन्ट्रल गवर्नमेंट का फ़र्ज़ बनता है कि वह उन्हें रोके उनके नोटिस में लाकर। इस तरह की व्यवस्था नहीं है तो इस तरह की व्यवस्था करने की कोशिश की जाय।

धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिसिंह।

(4.00 म. प.)

श्री हरिसिंह (महुवा) : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता महोदय ने कल एक विशेष प्रश्न के माध्यम से यह मुद्दा उठाया। इस पर काफी सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं और जो तथ्यात्मक बात है वह सामने आ चुकी है सदन के।

(148)

(श्री हरिसिंह)

मैं इस विषय में कुछ कानूनी पहलुओं पर निवेदन करना चाहता हूं। अन्तर्राज्यीय जल विवादों को सुलझाने के लिये न्याय शास्त्र के सिद्धान्तों के मुताबिक मुख्य रूप से तीन सिद्धान्त काम में लिये जाते हैं। पहला है The principle of riparian: The upper riparian cannot deny the right of the lower riparian.

नदी के ऊपर किनारे पर जो रह रहा है वह नीचे किनारे पर रहने वाले को अधिकारों से वंचित नहीं रख सकता। यह एक सिद्धान्त है जूरिसप्रूडेन्स का।

श्री अध्यक्ष : यह नदियों पर लागू होता है नहरों पर नहीं।

श्री हरिसिंह : मैं वही अर्ज कर रहा हूं कि हमने जो राजस्थान नहर बनाई है यह अपने आप में एक नदी है। इससे हमारे राइट्स पैदा हो गये। यह मैं बाद में निवेदन करूंगा।

दूसरा सिद्धान्त है The doctrine of prior appropriation of water और तीसरा है The principle of equitable distribution of water. अब देखना हमें यह है कि न्याय शास्त्र के यह सिद्धान्त हमारे अन्तर्राज्यीय विवादों के ऊपर यहां लागू होता हैं या नहीं। इसके लिये, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन से निवेदन करूंगा कि हिन्दुस्तान ने जब पाकिस्तान को जाने वाले जल स्रोत को रोका, उस समय पाकिस्तान की तरफ से आर्ग्यूमेन्ट दिया गया था कि हिन्दुस्तान ने पंजाब से आने वाली नदियों के पानी को रोका है यह उससे भी ज्यादा भयंकर है जो जापान ने नागासाकी और हिरोशिमा पर बम डाले थे। उन्होंने यह कहते हुए अपने अधिकार को जताया था कि हम को आप हमारे जो अधिकार हैं पानी के उपभोग के उससे वंचित नही कर सकते। उस समय भारत सरकार एक बहुत बड़े विवाद लम्बे 8-9 साल के विवाद, में, निरन्तर यह आर्ग्यूमेन्ट देती रही कि हिन्दुस्तान का ही नहीं, विश्व का सबसे बड़ा थार का रेगिस्तान राजस्थान में है। हजारों-हजारों वर्षों से वहां के इंसानों को तो छोड़ें, वहां के पक्षियों तक को पानी की बूंद नहीं मिलती है। हम हमारी नदियों का पानी राजस्थान की प्यासी जमीन को, प्यासे मवेशियों को, वहां के रहने वाले प्यासे लोगों को और थार के रेगिस्तान के विकास के लिये वहां ले जाना चाह रहे हैं। इसलिये हमें हमारे इस पानी का उपभोग करने का अधिकार है। भारत सरकार के पास इस से बड़ा कोई आर्ग्यूमेन्ट नहीं था। यही एक आर्ग्यूमेंट था जिसके और बलबूते पर उसके बाद में इण्डो-पाक जो इन्डस वाटर ट्रीटी हुई 1960 में, जिसमें मुख्य रूप से जो महत्वपूर्ण भूमिका थी उस समय के अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के अध्यक्ष थे, उनकी मुख्य भूमिका रही थी। उन्होंने ने इस ट्रीटी में यह तय किया था कि हिन्दुस्तान से जाने वाली 6 नदियों में से तीन नदियों

(श्री हरिसिंह)

का पानी हिन्दुस्तान रोके, यह पाकिस्तान को नहीं दें, सतलज, व्यास, और रावी, और तीन नदियों के पानी को हिन्दुस्तान बिल्कुल नहीं छेड़ सकता, यह पानी पाकिस्तान को जायेगा । इन तीन नदियों के पानी को रोकने के लिये उसी समय संधि हुई है सन् 1960 में । भारत सरकार ने सन् 1954 से ही यह प्रोग्राम बनाना शुरू कर दिया था कि रावी से किस प्रकार व्यास को चैनेलाइज किया जाये, व्यास को किस प्रकार सतलज से चैनेलाइज किया जाये । जिस प्रकार राजस्थान नहर निकालने को एक परिकल्पना की गयी थी, जिस प्रकार भाखरा डैम बनाने की परिकल्पना की गयी थी, यह ट्रीटी होने के पहले पहले भाखरा डैम का स्वरूप स्पष्ट रूप से सामने आ गया था, उसमें राजस्थान का हिस्सा निर्धारित हो गया था। रावी और व्यास के पानी में 58.5 प्रतिशत हिस्सा राजस्थान को सिर्फ इसलिये तय किया गया था, क्योंकि यही आर्ग्यूमेंन्ट हमने विश्व बैंक के सामने दिया था कि हम रेगिस्तान के इस इलाके को हरा-भरा करने के लिये, सर-सब्ज करने के लिये, रावी, व्यास और सतलज का पानी राजस्थान को ले जाना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, आज कौनसी बात हो गयी ? आज उन परिस्थितियों में कौन सा परिवर्तन हो गया ? इसलिये मैं अधिकारपूर्वक कह सकता हूँ कि यहां पर doctrine of prior apporiation लागू हो जाते हैं। हमारा राइरियन का अधिकार उस दिन से लागू होगा जिस दिन 1960 में, सन् 1954 में भारत सरकार ने यह आर्ग्यूमेन्ट पेश किया था वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष महोदय के सामने कि यह पानी हम राजस्थान को ले जाना चाहते हैं। तो राइरियन का हमारा यह नेचरलाइज हक बन चुका है। यह हमारा कानूनी हक बन चुका है, यह हमारा नैतिक अधिकार है और यह हमारा राजनीतिक अधिकार है।

दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय, जैसा आपने बीच में टोकते हुए कहा, यह नदियों का मामला नहीं है। हकीकत यह है कि राजस्थान कैनाल एक छोटी मोटी कैनाल नहीं है। यह विश्व की सब से बड़ी कैनाल है और मनुष्य निर्मित एक नदी है।

श्री अध्यक्ष : गंगा को भी भागीरथ ही लाये थे। वह भी एक नहर की तरह मानी जा सकती है।

श्री हरिसिंह....हमारा अधिकार तो उसी दिन होगा था जिस दिन भारत सरकार ने इस पानी को लाने का मानस बनाया था राजस्थान को पानी देने का मानस बनाया था उस दिन इस परिकल्पित नहर के किनारे, जब इसका साकार रूप नहीं था, जो आज साकार हो गया है, हमको इसके पानी का उपभोग करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त हो गया था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि समय समय पर राजस्थान गवर्नमेंट को जो कदम उठाने चाहिये थे वे कदम नहीं उठाये गये। रावी-व्यास का जो चैनल बना, उससे से शाह नहर निकली। पंजाब गवर्नमेंट ने निकाली और उन्होंने चार अपने यहां हाइड्रौलिक पावर स्टेशन खड़े कर लिये, उस

(श्री हरिसिंह)

दिन हमने अपना हक उस पर नहीं मांगा, उस दिन टोका-टोकी नहीं की। दूसरी, जो नांगल से चैनल उन्होंने निकाली पैरेलल उस दिन भी हम ने हमारे हक को नहीं मांगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि सांड निकल गया और अब जब भेड़ का मेमना निकल रहा है तो हम पुकार रहे हैं। जिस दिन रास्ते से सांड निकल गया उस दिन नहीं रोका और आज जब भेड़ का मेमना उस रास्ते से निकल रहा है, किस बात के लिये कि रोपड़ पर जो थरमल पावर स्टेशन बना है उसके लिये 600 क्यूसेक पानी चाहिये, यह भेड़ का मेमना निकला है उसके लिये रोका रोकी कर रहे हैं। उस दिन, जिस दिन चार बड़े बड़े पावर स्टेशन व्यास नदी के किनारे, हाइडो लिक स्टेशन कायम कर लिये उस दिन राजस्थान सरकार कहां सो रही थी। इसलिये मेरा आपसे अनुरोध है। मैं आपका और सदन का विशेष समय न लेकर इतना ही कहना चाहूंगा कि इस रावी-व्यास और सतलज पर हमारा कानूनी हक है। हमारा हर प्रकार से हक है और उस पर कहीं भी अगर पंजाब ने किसी भी प्रकार के आज तक कोई पावर स्टेशन खड़े किये हैं या कोई नहर खड़ी की है तो उन सब पर हमारा उतना ही प्रापर पर्सेन्टेज का हक हो चुका है वह वह आज भी जताना चाहिये। राजस्थान की जनता राजस्थान सरकार के साथ है और इस मामले में राजस्थान की सरकार कोई भी कदम उठा कर पीछे रखेगी तो यह राजस्थान के हितों पर कुठाराघात होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं पुरजोर शब्दों में आपके माध्यम से राजस्थान सरकार से निवेदन करूंगा कि इस मामले में पहले से व्यास पर जो कोई हाइड्रोलिक पावर स्टेशन काम किये हैं, पंजाब गवर्नमेंट ने जो चार पावर स्टेशन कायम किये हैं उनमें पूरा का पूरा हक मांगें और केन्द्रीय सरकार से कहें। अगर केन्द्रीय सरकार भी नहीं सुनती है तो विपक्ष के नेता महोदय के शब्दों से मैं अपनी सहमति जाहिर करते हुए कहूंगा कि कानून का सहारा लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिये।

धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री मेघराज तावड़। अन्तिम वक्ता होंगे फिर सरकार की ओर से वक्तव्य दिया जायेगा।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के नेता महोदय को धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता कि ऐसे गंभीर मसले को उठाया है जो राजस्थान सरकार इस सदन से छिपाना चाहती थी। अध्यक्ष महोदय, मुझे यह मालूम कि गत वर्ष भी जब यह मसला राजस्थान के सामने आया तब भी सदन में इस तरह का प्रस्ताव मूव किया गया था सदन के नेता महोदय की ओर से सभी नेताओं ने, सभी विपक्षी दलों ने एक मत होकर सहमति प्रकट की थी और उसके बाद में श्री पी. सी. सेठी जो केन्द्रीय गृह मन्त्री हैं, उनको भी मैं धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता, उस समय उन्होंने एक बात तो कम से कम मानी कि यह इन्टर स्टेट मसला है। इसलिये जितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं वह इसमें इन्वाल्व होकर अपना सहयोग प्रदान

(श्री मेघराज तावड़)

करे। उस पेर राजस्थान के, हरियाणा और पंजाब के सभी विपक्षी नेताओं और राज्य पार्टी लीडर्स, जा मौजूद थे, ने और राष्ट्रीय नेताओं ने, राष्ट्रीय पार्टियों ने हमारे हकों की सुरक्षित रखने की, हकों की पैरवी की थी। अध्यक्ष महोदय, जिस समय पंजाब और राजस्थान का समझौता हुआ था, उस समय हरियाणा नहीं बना था। पंजाब और हरियाणा बनने के बाद यह पंजाब और हरियाणा का आपस में झगड़ा है, यह राजस्थान का नहीं है। यही स्थिति हमारे साथ बनती चली आ रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं साफ शब्दों में कहना चाहूंगा कि जितने भी जहां जहां डेम हैं, उनमें हम अपना हिस्सा पूरी तरह से नहीं ले पा रहे हैं। गांधी सागर का जो हिस्सा है, हम नहीं ले पाये हैं इसी तरह से बांध बना कर मध्य प्रदेश उसमें पानी रोकना चाहता है, हमारा एटामिक एनर्जी का जो प्लांट है वह भी बिजली के तौर पर हमारे साम्राज्यवादियों की देन है, कनाडा से दिया गया है, वह भी बीमार रहता है, हमें पूरी तरह से बिजली नहीं मिल पाती है। तो, अध्यक्ष महोदय, मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि इसमें सी. आई. ए. का हाथ है। कई बार यह मामला सदन में उठा है कि इसके अन्दर जो काम करने वाले लोग हैं, जो पहले नाम चेयरमेन का बताया गया था कि यह सी. आई. ए. से संबंधित हैं। मैं यह मान सकता हूं कि माननीय विरोधी पक्ष के नेता महोदय की उनके साथ × × × हो सकती है लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जिस दिन कानून और व्यवस्था का मामला आया था सदन में, उस समय मुख्य मंत्रीजी की जुबान लड़खड़ा रही थी, यह लगता है कि कहीं इसमें बाहर के लोगों का हाथ है, यह मैं नहीं कह सकता कि बाहरी शक्तियों का हाथ है लेकिन निश्चित रूप से कह सकता हूं, क्यों नहीं कहना चाहते ? मैं कहना चाहता हूं मुख्य मंत्रीजी को कि आप स्पष्ट क्यों नहीं कहना चाहते कि इसमें साम्राज्यवादियों का हाथ नहीं है ? मैं साफ तौर से कहना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान की शान्ति को, हिन्दुस्तान की अखण्डता का खतरा पैदा करने के लिए, शान्ति को तोड़ने के लिए या हमारे विकास को रोकने के लिए आज जो बाहरी शक्तियां हैं, जो साम्रज्यवादी ताकते हैं। वह उनको उकसा रही हैं। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि इस सदन में हमारी एक स्पष्ट नीति है, हमारा एक स्पष्ट सिद्धांत है। हम चाहते हैं कि यह जो राज्यों का मामला है वह आपस में निपटा जाये। मैं साफ तौर से कहना चाहूंगा कि हम राजस्थान में अलग अलग पार्टी के लोग हैं, मैं कम्युनिस्ट हूं। हमारी कम्युनिस्ट पार्टी पंजाब में कोई अलग बात नहीं कहेगी अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में कोई अलग बात नहीं कहेगी या और कही राज्यों में हमारी जो नीति है उसमें अलग बात नहीं कहेगी। इसलिये मैं यह सदन से कहना चाहता हू कि कांग्रेस सरकार ने

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री मेघराज तावड़)

भी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में तीन तरह की बात कही, तीन तरह की बातें बोले, यह बर्दास्त नहीं की जा सकती। इसी तरह से बी. जे. पी. भी पंजाब में अपनी बात अलग रखे....

श्री अध्यक्ष : विषय तक ही सीमित रखें। सत्ता आने पर सभी पार्टियां लड़ने लग जाती हैं। यह कोई बात नहीं है।

श्री मेघराज तावड़ : नहीं, अध्यक्ष महोदय, हम नहीं लड़ते हैं और हम कभी भी नहीं लड़ेंगे। मैं यह कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : सी. पी. आई. और सी. पी. एम. दोनों क्या हैं ?

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, वह राज्य के लिए झगड़ा नहीं है, सिद्दान्त के लिए झगड़ा नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अपने विषय तक ही सीमित रखें।

श्री मेघराज तावड़ : मैं अपने विषय पर ही आ जाता हूँ। अध्यक्ष महोदय, इस बात को मजाक में टाला जा नहीं सकता हम पंजाब में अलग से बात कहें, राजस्थान में अलग से बात कहें, राजस्थान के हित की बात पर, हम यहां खून बहाने की बात कहें। पंजाब में पंजाब के लोग कहते हैं। एक पार्टी के पंजाब में खून बहाने की बात या हरियाणा में खून बहाने की बात कर लें तो कहां नीति एक हुई ? इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान की सरकार इतनी कमजोर है, राजस्थान की सरकार ही नहीं हिन्दुस्तान की भी सरकार इतनी कमजोर है कि अकालियों के दबाव में आकर 1955 का जो फैसला है उसको तोड़ने के लिए हमको मजबूर कर रही हैं। आज जिस तरह का लैटर राजस्थान के चीफ सैक्रेटरी को मिला हैं इससे यह साफ तौर से जाहिर होता है कि राजस्थान की सरकार भी झुक गयी और हिन्दुस्तान की सरकार भी अकालियों के सामने झुक गयी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये। समय काफी हो गया।

श्री मेघराज तावड़ : कि सभी राष्ट्रीय पार्टियाँ एक साथ बैठ कर, यह राष्ट्रीय मसला है, राष्ट्रीय पार्टियां एक मत लेकर अपनी एक नीति कायम करें। इस अन्तर्राज्यीय मसले को सुलझाया जाना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के हित सुरक्षित हों, इसमें कोई दो राय नहीं है और कोई इससे परे नहीं जा सकता। इसलिए मैं चाहता हूं कि राजस्थान के मुख्य मंत्री को माफी मांगनी चाहिए। उनको मालूम था कि आज इस तरह समझौता हिन्दुस्तान की सरकार ने या सैक्रेटरी ने किया हमारे खिलाफ, हमारे हितों को बेच दिया तो छिपाने की बात क्या थी। अगर विरोधी पक्ष के नेता महोदय के दिमाग में यह बात कल नहीं आती तो राजस्थान की सरकार चुप बैठी रहती और आज

(श्री मेघराज तावड़)

यह विवाद खड़ा नहीं होता। तो, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के हितों को ध्यान में रखते हुए हम सब एक हैं, हमारी कोई अलग राय नहीं है, लेकिन नीति हमारी एक होनी चाहिये। अलग अलग जगह पर अलग जुबान नहीं बोली जाय। यह भी मैं चाहता हूं कि राजस्थान की सरकार पहले करे, झुके नहीं, अकालियों के सामने झुके नहीं और न ही केन्द्र की सरकार के सामने झुके। यही बात कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी।

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, इसमें एक बात और है कि सदन में एक मत से इस संबंध में प्रस्ताव पास किया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता महोदय कुछ कहना चाहेंगे।

(व्यवधान)

श्री महाराम चौधरी : ज्यादा समय नहीं लूंगा।

श्री अध्यक्ष : अब मैं इजाजत नहीं दूंगा। अब विपक्ष के नेता महोदय बाद में....

श्री महाराम चौधरी : एक सुझाव देना चाहूंगा, दो लाइन के अन्दर।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। बैठ जायें, माननीय सदस्य। विराजें। समय बहुत हो गया है। कृपया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में चर्चा बहुत हो गयी। मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने और सिंचाई मंत्रीजी ने इस सदन में जो तथ्य रखें, उन तथ्यों का कोरोबरेशन या सपोर्ट जो लैटर सदन की मेज पर रखा है उससे नहीं होता है। अध्यक्ष महोदय, सदन की मेज पर वह लैटर रखा है जो भारत सरकार के एनर्जी सेक्रेटरी ने राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव को लिखा है। इस लैटर के बाद में क्या डिसीजन राजस्थान सरकार ने लिये हैं, वह डिसीजन उनको कन्वे कर दिये? अब एक तो यह बात कही गई कि भारत सरकार ने जो लैटर लिखा है, वह कानूनी दृष्टि से किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। माननीय मंत्री महोदय तो यहां तक कह गये कि भारत सरकार का कोई लोकल स्टेन्डाई नहीं है। मैं मानता हूं, उन्होंने इसके प्रोटेस्ट में लैटर लिखा है, मैं इस बात की प्रशंसा करूंगा कि राजस्थान सरकार ने भारत सरकार के लैटर के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट लैटर लिखने का साहस पहली बार किया। लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, यह जो सारे डिसीजन्स हैं, वे डिसीजन्स केवल मात्र भारत सरकार ने यूनीलेटरली लिख दिये हों, या डिसीजन ले लिये हों, यह स्थिति नहीं है। इस लैटर में साफ लिखा है—

"based on the discussions held

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

under the Cabinet Secretary's chairmanship."

अध्यक्ष महोदय, आपको स्मरण हो तो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मैंने यह मुद्दा उस समय भी उठाया था कि कैबिनेट सैक्रेटरी का दबाव पड़ रहा है कि रोपड़ थर्मल प्लांट के लिए कूलिंग के लिए जितने पानी की आवश्यकता है उतना पानी दिया जाय। मैं ऐसा समझता हूँ कि जिस बैठक का मैंने उल्लेख किया था उसी बैठक के सन्दर्भ में यह पत्र आया है। इस पत्र में साफ तौर से कह दिया—'based on the discussions held under the Cabinet Secretary's chairmanship."

अब यह कोई अपने आप ही पैदा नहीं हुआ। ये सभी बातें डिस्कस हुई हैं। पहले तो मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि बी. बी. एम. बी. की प्रोसीडिंग रख दी, भारत सरकार से जो आपको पत्र मिला वह रख दिया। डिस्कशन की मिनिट्स भी रिकार्ड किए होंगे, वह क्या डिस्कशन्स थे और जिन डिस्कशन्स के बेसिस पर भारत सरकार ने यह लैटर लिखा, क्या उन डिस्कशन्स में हमारा कहीं कमिटमेंट तो नहीं है? जैसा समाचार पत्रों से मालूम हुआ कि सरकार का कोई कमिटमेंट नहीं है। तो भारत सरकार ने कैसे लिख दिया? सरकार के अधिकारियों का, मंत्रियों का कोई कमिटमेंट नहीं हो और भारत सरकार ने पत्र लिख दिया तो, अध्यक्ष महोदय, एक स्थिति स्पष्ट है कि भारत सरकार पानी दिलवाना चाहती है रोपड़ थर्मल प्लांट के लिए और राजस्थान के हितों के बारे में भारत सरकार को कोई चिन्ता नहीं है। एक अब, अध्यक्ष महोदय, यदि डिसीजन्स को आप पढ़ेंगे तो माननीय सिंचाई मंत्रीजी जो कह रहे थे कि हम रेस्टोरेशन के संबंध में भारत सरकार, पंजाब सरकार के ऊपर दबाव डाल रहे हैं, एक बात, और दूसरी बात उन्होंने यह कही कि अभी तक कूलिंग पर्पजेज के लिए कितना पानी लेना है वह पंजाब अपने हिस्से से लेगा, पंजाब के हिस्से से पानी जाएगा लेकिन यह डिसीजन बिल्कुल अगेन्स्ट है।

अब डिसीजन क्या है, थोड़ा सा, अध्यक्ष महोदय, टाइम लगेगा, मैं सुनाना चाहता हूं।

"With a view to facilitating early commissioning of stage I of the Ropar thermal station, authorisation will be accorded for drawal of water from the Nangal hydel channel to meet the cooling water needs of this project and for the execution of necessary works therefor. The B. B. M. B. which is in charge of reach of the Nangal hydel channel at the point of offtake of the cooling water channel for the Ropar station will manage the regulator for the purpose of supplying water for the Ropar project. This arrange-

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

ment would, however, be reviewed as soon as item No. (ii) and (iii) below have been completed."

इसका मतलब पहले इसका कहीं उल्लेख नहीं है कि पंजाब के हिस्से का पानी रोपड़ में जायेगा। इसमें कहीं उल्लेख नहीं है बल्कि कामन हिस्से से पानी जायेगा। जो कामन प्रापर्टी है तीनों स्टेट की उसमें से जायेगा। वह स्पष्ट इस बात से होता है कि बाद में 4 पर लिखा है "on completion of item No. (ii)" मतलब रेस्टोरेशन का क्वेश्चन है : "supplies for Ropar thermal station shall come out of Punjab share of waters in the Bhakhra main line" मतलब 'have been completed होगा, उस समय भाखरा मैन लाइन से पंजाब के हिस्से का पानी रोपड़ जायेगा। अब यह कम्पलीट कब होगा? इसके लिए (ii) में लिखा है।

(4·22 म. प.)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पीठासीन)

"Punjab shall take up and complete expeditiously the work of restoration of the capacity of Bhakhra main line to 12,500 cusecs in a period not exceeding सु12 months."

इसका मतलब 12 महीने की तो छूट है ही। आप जानते हैं कि पंजाब कोई बात के लिए कमिटेड नहीं है। पंजाब 12 महीने में ही इस रेस्टोरेशन का काम कराये या नहीं कराये, यमुना सतलज लिंक के बारे में हरियाणा ने पैसे जमा कर दिए लेकिन उसको पंजाब ने लैण्ड एक्वीजिशन के मामले में ऐसा उलझा दिया कि वहां यमुना सतलज लिंक नहीं बन पा रही है जिसके कारण से सिद्धमुख प्रोजेक्ट हमारा बना पड़ा है और हरियाणा के अन्दर सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। तो पंजाब तो अपनी मर्जी से काम करेगा। लेकिन यहां पर तो कमिटमेंट हो रहा है कि 12 महीने यदि रेस्टोरेशन में लगेंगे तो 12 महीने तक तो चाहे राजस्थान का हिस्सा हो, चाहे हरियाणा का हिस्सा हो चाहे पंजाब का हो जो कामन वाटर है उससे रोपड़ को पानी दिया जायेगा। जब रेस्टोरेशन का प्रश्न तय हो जाये तो उसके बाद में the question shall be reviewed.उस समय रिव्यू किया जायेगा और रिव्यू करके यह तय किया जायेगा कि बी.एम.सी. में जो पंजाब का हिस्सा है उस हिस्से को कामन पावर प्रोजेक्ट के लिए दिया जाये। सभापति महोदय, यहां मुझे ऐसा लगता है कि मंत्री महोदय ने जो कहा कि पंजाब केवल अपने हिस्से का पानी मांग रहा है और पंजाब यह कह रहा है कि एस्केप से जो पानी फालतू जाता है, फालतू कहीं नहीं जाता एक बूंद पानी फालतू नहीं जाता है, जितना भी सरप्लस वाटर है या एस्केप से जो पानी निकालते हैं, एक-एक बूंद से सिंचाई होती है, कोई इस इम्प्रेशन में रहे कि उससे पंजाब में सिंचाई नहीं होती या

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

पानी फालतू जाता है और जैसा मुख्य मंत्री जी ने कहा कि एस्केप से पानी जाकर सतलज में चला जाएगा, वह पोजीशन भी नहीं है। अधिकांश पानी का वहां उपयोग होता है। सतलज में जाने के बाद में जैसा आपने कहा कि उस पानी का कहीं न कहीं उपयोग होता है। तो ऐसी पोजीशन भी नहीं है। अब सवाल यह आ गया, अध्यक्ष महोदय, जब तक भाखरा मैन कैनाल में रेस्टोरेशन का काम जिसकी मियाद उन्होंने एक वर्ष की रखी है उस समय तक नहीं होगा तो पंजाब हमारे हिस्से के पानी को लेगा इस फैसले के अनुसार। एक बात तो यह हुई।

दूसरा, सभापति महोदय, माननीय सिंचाई मंत्री और मुख्य मन्त्री ने आनन्दपुर साहिब की बात कही। आनन्दपुर साहिब चैनल बन गयी और अब भारत सरकार ने उसको भी रिकोग्निशन दे दिया। आज तक हम उस पर आपत्ति कर रहे थे कि चैनल का निर्माण अनधिकृत है. यह इल्लीगल है, पंजाब ने हमारी बिना कन्सेंट के बनाया, हम उसको अभी तक मान्यता प्रदान नहीं कर रहे थे। लेकिन भारत सरकार ने उसको मान्यता प्रदान कर दी आप आइटम नं. 3 देखें। तीन में लिखा है :

"Construction of link channel from Anandpur Sahib hydel channel."

मतलब आनन्दपुर साहिब हाइडल चैनल को हम अब तक मान्यता नहीं दे रहे थे। अब भारत सरकार ने उसको मान्यता दी है। "Construction of link channel from Anandpur Sahib hydel channel to Nagal hydel chanel." यह लिंक यदि कहीं बन गया तो आप यह समझते हैं कि नांगल डेम से पानी देने में आपत्ति क्यों होगी और आपके एतराज को कौन सुनेगा। इस नाते मैं कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, पहले तो माननीय मंत्री महोदय यह बतायें कि डिस्कशन्स क्या हुए थे? क्या डिस्कशन्स की कोई मिनिट्स रिकार्ड हुयी, क्या भारत सरकार ने बिना मिनिट्स को रिकार्ड हुए अपने मन के अनुसार यह राजस्थान के ऊपर बात थोप दी कि ये डिस्कशन्स हुए थे और इन डिस्कशन्स के आधार पर हमने यह निर्णय लिया? अब भारत सरकार ने बी. बी. एम. बी. को भेज दिया। सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि पहले तो भारत सरकार को यह लैटर लिखने का कोई अधिकार नहीं। लेकिन आज देश में जिस प्रकार की स्थिति चल रही है कि भारत सरकार स्टेट्स के मामले में इस प्रकार का दखल करती है, जिसको कोई सहन नहीं कर सकता। इसी कारण से कई सैंटर-स्टेट के रिलेशन्स के मसले आज उलझन में पड़ गये और सरकारिया कमीशन नियुक्त करने की स्थिति पैदा हुयी। मै निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, इस लैटर के बाद में अब राज्य सरकार यह कह कर सन्तोष कर ले कि हमने लैटर का प्रोटेस्ट कर दिया। अब प्रोटेस्ट करने का सवाल क्या है? आपने

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

प्रोटेस्ट कर दिया लेकिन उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने लिखा है :

"Timing of the closure of the Bhakhra canal system to enble Punjab to carry out these works would be decided by the Govt. of India in cousultation with B.B.M.B and Central Government

अब यह तो गवर्नमेंट आफ इंडिया को तय करना है, कन्सल्टेशन बी. बी.–एम. बी. से करना है। इसको अगर हम एग्री कर लें तो कन्सल्टेशन तो जैसा होता है, लोकायुक्त एक्ट में लिखा हुआ है कि लोकायुक्त की नियुक्ति with the consultation of leader of the opposition होगी। कन्सल्टेशन किस सीमा तक होता है। कन्सल्टेशन कर लिया लेकिन फैसला तो गवर्नमेंट को करना है। उसके आधार पर भारत सरकार इसी पर डटी रही तो भारत सरकार को फैसला करना है तो बी. बी. एम. बी. से कन्सल्टेशन कर लेंगे और कह देंगे कि आप इनको कैनाल बनाने दीजिए। कैनाल बनाने के साथ रेगुलेटर बनाने दीजिए, और रेगुलेटर बन जाये तो उसके बाद पानी दे दीजिए। अर्थात् केवल मात्र स्थिति यह आ गयी कि हमारा जो राइट था, जो लीगल राइट था, उस लीगल राइट को हमने सरेण्डर करके भारत सरकार को अधिकार दे दिया कि वह विद दी कन्सल्टेशन आफ बी. बी.. एम. बी. जिस प्रकार चाहे उसी प्रकार का निर्णय कर ले। अब, सभापति महोदय, यह तो तथ्य आये। इन तथ्यों के कारण राजस्थान सरकार या राजस्थान की जनता के हितों का संरक्षण नहीं हो सकता इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि जो कुछ भारत सरकार के निर्णय हुए हैं, इस निर्णय के पक्ष में यह सदन नहीं है, यह सदन नहीं चाहता कि आनन्दपुर साहिब का जब तक फैसला नहीं हो, आनन्दपुर प्रोजेक्ट में जब तक राजस्थान की जनता या राजस्थान की सरकार का बिजली के अन्दर हिस्सा तय नहीं हो तब तक न तो आनन्दपुर साहिब चैनल को हम किसी भी प्रकार से मान्यता देंगे, न हम उसके लिए पानी देने के लिए तैयार हो सकते हैं। आखिर में यह कह सकता हूं, सभापति महोदय, चाहे वह कितनी ही चैनल बना लें लेकिन जब तक राजस्थान सरकार की कन्सेंट नहीं होगी उस समय तक वह पानी नांगल डेम से नहीं ले सकते। नहीं ले सकते तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सदन में जैसे माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किये उसमें चाहे मेरे ऊपर आरोप लगाये, जनता पार्टी पर आरोप लगाये, मैं इस समय उन चीजों में नहीं जाना चाहता हूं, कभी मौका पड़ेगा, मैंने पहले बताया भी है, और मौका पड़ेगा तो मैं सारी वास्तविकता बता दूंगा। इस संदर्भ में मैं केवल एक ही निवेदन करना चाहता हूं माननीय सिंचाई मन्त्री जी खड़े हो जायें, चाहे मुख्य मन्त्री जी खड़े हो जाये, इस सदन की यह सर्व सम्मति है कि जब तक आनन्दपुर साहिब में हमारी बिजली का हिस्सा तय नहीं होता तब तक न रोपड़ में पानी दिया जाय, न उस समय तक

(श्री रामनारायण चौधरी) :

आनन्दपुर साहिब में किसी प्रकार से पानी देने की इजाजत दी जाय । मैं चाहूंगा मंत्री महोदय से, इस भावना के आधार पर वह सदन को आश्वस्त करें । सभापति महोदय, यदि हमने यहां पर किसी प्रकार की कोताई कर दी यदि किसी प्रकार से फिसल गये तो मैंने पहले ही सदन में कहा था 2500 मैगावाट पावर प्रोजेक्ट है पानी हमारा लेकिन हमारे पानी के आधार पर आज हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के 2500 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट्स की या तो रिपोर्ट तैयार हुई है, या कहीं पर कन्सट्रक्शन का काम चालू हो गया है, कहीं पर डेम के कन्सट्रक्शन का काम चालू हो गया है । इससे राजस्थान का बहुत बड़ा अहित होगा । इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं जो भारत सरकार ने इस प्रकार का फैसला किया है वह भारत सरकार का फैसला अनुचित है और अमान्य करना चाहिए इस सदन को । अमान्य किया है सरकार ने लैटर लिख कर लेकिन सरकार ने जो लैटर लिखा है उस लैटर के ऊपर कायम रहे । मेरा विश्वास है कि जब तक राजस्थान सरकार कंसेट नहीं देगी उस समय तक न बी. बी. एम. बी. कुछ कर सकता है और न भारत सरकार कुछ कर सकती है । इसलिए इस सदन का, माननीय सिंचाई मंत्री जी, यह फैसला है कि यह सदन इस बात की कन्सेंट देने के लिये आपको अधिकृत नहीं करता है और अधिकृत नहीं करता है उस हालत में न भारत सरकार के सामने आप कन्सेंट की बात कर सकते है, न बी.बी.एम.बी. के सामने आप बात कर सकते हैं । या तो आप यह कहिए कि इस सारे सदन की ओपिनियिन को आप इस रूप में नहीं लेते, सदन यह निर्णय करता है कि आनन्दपुर साहिब में पानी का देने के प्रश्न या रोपड़ के लिये पानी देने के प्रश्न पर राजस्थान सरकार जब तक अपनी कंन्सेंट नहीं देगी उस समय तक कानूनी स्थिति ऐसी है कि न भारत सरकार पानी दे सकती है न बी.बी.एम.बी. पानी दे सकता है । यह सनन की भावना है इस सदन की भावना का आदर करते हुए सरकार हमको इस बात के लिए आश्वस्त करे कि हम किसी रूप में कोई कंसेंट नहीं देंगे । जिस कन्सेन्ट के आधार पर पंजाब की सरकार हमारे पानी, जो हमारा पानी है, के ऊपर बिजली का कारखाना लगाकर उस बिजलो के कारखाने में हमारा हिस्सा नही रखे, मैं ऐसा समझता हूं, सभापति महोदय, इस समय सदन कोई एक पार्टी के आधार पर नहीं है, हमारे विरोधी पक्ष के अन्य दलों के नेताओं ने भी स्पष्ट कहा, मैं भी स्पष्ट कहता हूं और कांग्रेस के कई माननीय सदस्यों ने भी कहा, हम इस प्रश्न के ऊपर एक दूसरे को नीचा दिखाने या एक दूसरे को स्कोर करने की दृष्टि से नहीं कह रहे हैं, यह राजस्थान के व्यापक हितों का प्रश्न है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि सदन की भावना के आधार पर हमको ये आश्वस्त करें कि न रोपड़ के लिऐ आप कन्सेन्ट देंगे, न आनन्दपुर

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

साहिब के लिए कन्सेन्ट देंगे और बाकी के प्रोजेक्ट, जहां हमारे हिस्से के पानी का उपयोग करके बिजली पैदा की जाती है में आप किसी प्रकार को कन्सेन्ट देंगे। इस आधार पर मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि इस मामले पर गवर्नमेण्ट गम्भीरता से विचार करे और विचार करके मैंने पहले भी निवेदन किया था, सभापति महोदय, सदन में कुछ करने की बजाय हम अपने एक्सप्रेशन्स को किस भाषा में व्यक्त कर सकते हैं, या प्रस्ताव के रूप में ला सकते हैं या और किसी रूप में ला सकते हैं उसके सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी को या सरकारी पक्ष को पहल करनी चाहिए। उन्होंने पहल नहीं की, इस आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि सदन की यह सर्वसम्मति से राय है कि जब तक हमारे हित के अंदर बिजली का समझौता नहीं हो, हमारे हिस्से निर्धारत नहीं हो उस समय तक भाखड़ा का पानी हो, चाहे नांगल डैम से लिया जाने वाला पानी हो, उसमें राजस्थान की सरकार किसी प्रकार की कन्सेन्ट न तो भारत सरकार को देगी, न बी.बी.एम.ब. को देगी। अगर राजस्थान सरकार इस प्रकार का कमिटमेण्ट करती है तो कानूनन स्थिति हमारी ऐसी जरूर है कि वह अगर कोई दखल करे तो बात दूसरी है, हमारी कन्सेन्ट के विना वह किसी भी प्रकार से पानी का उपयोग नहीं कर सकती।

श्री सभापति : सिंचाई मन्त्री जी।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सभापति महोदय, सदन की भावनायें राज्य सरकार के लिए सर्वोच्च है। राज्य सरकार इस सदन के प्रति उत्तरदायी है, सदन की भावनाओं के प्रति यह सरकार, जो पार्लियामेण्ट्री डेमोक्रेसी को आर्टिकल आफ फेथ समझती है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पढ़ कर बोल रहे हैं या मन से ?

श्री परसराम मदेरणा : मन से, जो पढ़ा हुआ है, आपका जवाब दूसरा है, बाद में दूंगा।

पार्लियामेण्ट्री डेमोक्रेसी को आर्टिकल आफ फेथ समझती है, सदन की भावनाओं के प्रति सर्वोच्च आदर रखती रही है और रखेगी। यहां पर प्रतिपक्ष के नेता ने हनुमानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने, टीबी से आने वाले माननीय सदस्य ने और बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने, जो स्टेट एन्टरप्राइजेज कमेटी के मेम्बर थे और जो आनन्दपुर साहिब चैनल के ऊपर चहलकदमी कर चुके हैं कई मीलों तक, उसका भी उल्लेख किया और यहां पर नदबई से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ बातें कही और उसके व्यावहारिक पहलू के सम्बन्ध में भी अपने विचार रखे, वल्लभ नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने भारत सरकार के 25 फरवरी, 1984 के निर्णय के साथ में जो फार्वडिंग लेटर है, उसका इन्टरप्रिटेशन अपनी बुद्धि के अनुसार किया, प्रतिपक्ष के नेता यहां पर अभी नहीं हैं, मुझे इस बात का बड़ा दुःख

(श्री परसराम मदेरणा)

है उन्होने मेरे ऊपर यह कहा था कि लोकस स्टेण्डाई वर्ड यूज कर रहा है तू, मैंने कहा कि लोकस स्टेण्डाई नहीं होगा तो शायद उसका एनालोगस, एकिन टू दैट, इसके बराबर का ही कोई शब्द होगा, लीगली आप सक्षम नहीं हैं, लीगली हमारी कोई बाइण्डिग नहीं है, जब लीगली बाइण्डिग नहीं है तो कोई आदमी आर्डर पास कर रहा है और आदेश दे रहा है वह वह लीगल नहीं है। तो लीगल कैसे नहीं है जब लोकस स्टैण्डाई नहीं है तो मैंने सोचा कि मेरे से भूल कहां हो गई। प्रथम बार राजस्थान के प्रतितिधि को बुलाया है 16 अप्रेल 1983 को एनर्जी सैक्रेटरी ने और एनर्जी सैक्रेटरी की वही प्रासिडिस हैं सब प्रासीडिंग्स ड्रा नहीं हुई हैं। मैं आप से कह रहा हूं, कौन-कौन सी हुई है वह भी मैं आपको बता दूंगा, जो भी मीटिंग्स हुई हैं उनमें प्रासीडिंग जो ड्रा हुई है 16 अप्रेल, 1983 को जो एनर्जी सैक्रेटरी के यहां मीटिंग हुई है, जिसमें राजस्थान का प्रतिनिधि एनर्जी सैक्रेटरी गया है वह प्रांसीडिंग ड्रा हुई है, उसके बाद बी. बी. एम. बी. की प्रासीडिंग ड्रा होती है। उसके बाद कोई प्रासीडिंग ड्रा नहीं हुई है, इसलिए जो पहली प्रासीडिंग ड्रा हुई है, पहली दफा राजस्थान को बुलाया है इस रोपड़ के वाटर सप्लाई के मामले में उस वक्त राजस्थान का जो प्रतिनिधि है उसका स्टेण्ड यह था। He said, रिप्रजेण्टेटिव, मैंआपके सामने ऑपरेटिव पोर्शन पड़ता हूं जिसका आप अभी उल्लेख कर रहे थे :

"He was of the strong view that the right forum would be the Bhakra Beas Management Board to discuss this issue and that the Central Government had no locus standi and the statutory backing for discussing this matter at this conference."

इसलिए लोकस स्टेण्डाई की बात कही मैंने कब कही, मेरे ध्यान में थी उस वक्त मैं पकड़ नहीं सका, जैसा कि 5 तारीख को रोपड़ वाला स्टाल किया हुआ यह कागज मेरे हाथ में नहीं आया इसलिए मैंने कहा कि मैंने देखा है, यह लोकस स्टेण्डाई है शायद, प्रतिपक्ष के नेता कहा कि आप आपदेवी का हो। प्रकोप और वे अपना विकराल रूप धारण करेंगी तो आप सटासट ××× गायब हो जाओगे

श्री भैरोंसिह शेखावत : ये तो मेरा मतलब नहीं था।

श्री परसराम मदेरणा : इसका मतलब क्या था। ××× बात करने का मतलब क्या था? कुछ बातें इम्प्लाइड भी होती हैं लेकिन उसके गूढ़ अर्थ होते हैं उनके मीनिंग हर एक आदमी स्वतः अपने आप फोलो करता है जिस तरह केप कैनेडी से कई बातें खटका दबाते ही उड़ती हैं 400 किलोमीटर ऊपर लांचग पेड से। दूसरी। बात यह कहना कि I am to communicte herewith the decisions of the

××× अभिव्यक्तियां माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री परसराम मदेरणा)

Gove. of India.' जिस लैटर का, फार्वडिंग लैटर का आप उल्लेख कर रहे थे और जिसका प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने उल्लेख किया : "as enclosed herewith in regard to the operation of the regulators for release of waters for the Ropar Thermal Power Station based on the discussions held under the Cabinet Secretary's Chairmanship.

इसका इन्टरप्रिटेशन यह है । कैसे हुआ है, जब आप मौजूद थे, आपका चीफ सैक्रेटरी था और चीफ सैक्रेटरी ने चुपके चुपके आपकी कन्सैन्ट दे दी। जब उसने डिसीजन निकाल लिया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि चीफ सैक्रेटरी के साथ कैबिनेट सैक्रेटरी ने तीन मीटिंगें लीं थीं एक नहीं। पहली, जहां तक मुझे याद है 22 नवम्बर, 83 को, दूसरी मीटिंग 13 दिसम्बर, 1983 को और आखिरी मीटिंग 19 दिसम्बर 1983 को, 6 दिन के बाद थी। जब कैबिनेट सैक्रेटरी पहली मीटिंग में गये, उनका क्या स्टैण्ड रहा है, उन्होने उसको वर्बेटम ब्लैक एण्ड व्हाइट में रिड्यूस करके स्टेट के रिकार्ड पर रख दिया है, वहां की कोई प्रासिडिंग नहीं हैं न मिनिटस आई हैं लेकिन उन्होंने उसको रिकार्ड में रख दिया, रिकार्ड में रखने के बाद उन्होंने मेरे सामने प्रस्तुत किया है। फिर उन्होंने यह कहा कि 13 तारीख को मैं जाकर के आया हूं मुझे 19 को और बुलाया है, गवर्नमेंन्ट का डायरेक्शन क्या है ? मैं ने कहा कि यह बहुत इम्पार्टेण्ट मैटर है इसलिए मैं डायरेक्शन नहीं दूंगा। मुख्य मन्त्री जी उस दिन, सभापति महोदय, एक चुनाव हो रहा था झुंझुनूं डिस्ट्रिक्ट में, वहां गये हुए थे उस चुनाव के अन्दर मैंने यहां से एस. ओ. एस दिया कि उनको मीटिंग आखिरी कैन्सल करनी चाहिए और 18 को यहां चाहिए तीन घण्टे के पहले, मुझे इस तरह का मैसेज है, चीफ सैक्रेटरी को डायरेक्शन देना है, चीफ सैक्रेटरी को मैंने आदेश दिये कि तुम एयर का टिकट बुक करा लो। उसका टिकट बुक था लेकिन ढाई घण्टे हमें डायरेक्शन देने में लग गये इसलिए वह कैंसल करना पड़ा, वह सुबह 4 बजे 19 तारीख को यहां से भगी, 4 तारीख को ढाई घण्टे जो हमने उसको इन्स्ट्रक्शन दिये हैं, वही इन्स्ट्रक्शन है। मिनिस्टर्स कान्फ्रेंस हुई थी 25 जुलाई, 1983 को, यूनियन इरिगेशन मिनिस्टर ने बुलाई थी। जिसमें मैं भी गया था, सुरजेवाला भी थे, और तीसरे इरिगेशन मिनिस्टर पंजाब के थे उस वक्त। बाद में राष्ट्रपति शासन हो गया, उनका स्वर्गवास हो गया, वे संसार में नहीं हैं लेकिन सुरजेवाला जी हैं। कभी भी हरियाणा के इरिगेशन मिनिस्टर आप से मिले और यूनियन इरिगेशन मिनिस्टर की चेयरमेनशिप में हुई थी। वह तो घासीराम जी थे, लेकिन यूनियन इरिगेशन मिनिस्टर ने मीटिंग बुलाई थी। उस मीटिंग में जो स्टेन्ड रहा, वह स्टेण्ड भी मैंने ब्लैक एण्ड व्हाइट में रिड्यूस कर दिया। ब्लैक एण्ड व्हाइट में रिड्यूस ही नहीं किया, उसी वक्त मैंने रिकार्ड पर लाने

(162)

(श्री परसराम मदेरणा)

के लिए शाम के वक्त दो घण्टे के बाद यूनियन इरिगेशन मिनिस्टर को दे दिया कि मेरा क्या स्टेण्ड रहा है। आप कभी मिलें तो सुरजेवाला से पूछना कि राजस्थान का स्टेण्ड क्या था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कितने घण्टे बोले आप ?

श्री परसराम मदेरणा : वह रगड़पट्टी का है, ढाई घण्टे में से दो घण्टे में अकेला ही था, और बाकी में सब थे, लेकिन, अनफॉर्चुनेटली वहां आफिसर नहीं थे, अगर आफिसर होते तो राजस्थान का स्टेण्ड बहुत क्लीयर होता। इसलिए यह एप्रिहेन्शन आपका निर्मूल है। वल्लभगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, आपको ऐसी धारणा नहीं बनानी चाहिए, हम मोम के बने भी नहीं हैं। मैं एक बात इसलिए कह रहा हूं....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय सदस्य ने कहा था कि वेस्ड आन डिस्कशन है, आपने कह दिया, आपकी धारणा निर्मूल है। तो भारत सरकार का वह लैटर है जिसमें यह संकेत दिया है कि वेस्ड आन डिस्कसन है, वह लैटर भी निर्मूल है,

श्री परसराम मदेरणा : लैटर का मूल और निर्मूल यह है कि It is without हम बार बार कह रहे है कि it is without our concurrence. We have never been a party to this decision. We have never agreed to it. We have never agreed to.

श्री उम्मेद सिंह : एडमिशन कर लीजिए।

श्री परसराम मदेरणा : उसी को प्रोटेस्ट किया है। प्रोटेस्ट ही नहीं किया है, यह एप्रिहेन्शन हमारा बराबर रहा है, यह बात ठीक कह रहे थे टोबी से आने वाले माननीय सदस्य, जो पानी उनको मिलता है उसके निर्वाचन क्षेत्र में, वह नांगल हाइडल चैनल वहीं जाकर बनती है, भाखड़ा मैन लाइन वहीं जाकर आगे बनती है, भाखड़ा मैन ब्रान्च वहीं जाकर आगे बनती है। खटियाबाद ब्रान्च वहीं आपके खारों का सिस्टम है, चाहे वह अमरसिंह सिस्टम हो, चाहे किशनसिंह कटारा सिस्टम, किशनसिंह सिस्टम, किशनपुर सिस्टम हो, यह पानी 855 क्यूसेक्स हमारा शेअर है 12455 क्यूसेक्स में, यह 12500 नहीं है उसमें 45 कम है इसकी कैपेसिटी 12455 क्यूसेक्स पानी है, और इसमें हम टेल एण्ड पर है। टेल एण्ड पर हैं इसलिए उसकी कैपेसिटी कम है, वह मैचिंग है। और मैचिंग में, बराबर मैचिंग की कैपेसिटी 12455 क्यूसेक्स की है, भाखड़ा मैन लाइन और यह है 12455 की नांगल हाइडल, पानी हमारा 12455 क्यूसेक्स प्रपोर्शनेटली तीनों स्टेट में है। हम टेल पर हैं, दो स्टेट बीच में आती हैं, यह हमारा एप्रिहेन्शन नहीं है, माननीय सदस्य। इरिगेशन मिनिस्टर बराबर मुझे रात दिन कहते है कि टेल के ऊपर पानी कम पहुंचता है, कहीं पर

(श्री परसराम मदेरणा)

भी इन्टैन्सिटी, अगर राजस्थान के अन्दर तीनों सिस्टम के अन्दर कम है, गंगा कैनाल सिस्टम, भाखड़ा कैनाल सिस्टम, राजस्थान कैनाल सिस्टम. तीनों में अगर किसी भी क्षेत्र में सबसे कम इन्टैन्सिटी है तो खटियानाद ब्रान्च से पानी आता है इसकी इन्टैन्सिटी सबसे कम है We are the greatest sufferers. जब वह ग्रेटेस्ट सफरर्स हैं। तो हमारा एप्रिहेन्शन है आप इसको रेस्टोर नहीं करोगे तो मारे जायेंगे, हम भी मारे जायेंगे और हरियाणा को कम मिलेगा, लेकिन उस मीटिंग की प्रोसिडिंग्ज़ हुई है 16 अप्रेल, 1983 की, उसमें बी. बी. एम. बी. का चेयरमैन क्या कहता है "Chairman, Bhakra Bees Manage ment Board expressct the experience of BBMB in having to meet its commitment of irrigation requirements of Rajasthan and Haryana on account of overdrawals by Punjab en-route. He was apprehensive that once the temporary arrangements are agreed to; tha Punjab in fact might soft pedal the works regarding the restoration of B. M I. capacity." He wanted to go on record as I want to go on record now here in this august House. "He wanted to go on record that the strech of Nangal Hydel Channel upto the Ropar regulator was under the B. B. M. B."

चेयरमैन यह कहता है, इसलिए कैपेसिटी की जो बात आती है, कैपेसिटी के रेस्टोरेशन की....

श्री उम्मेद सिंह : मैं यह पूछना चाहता हूं....

श्री सभापति : बीच में नहीं, माननीय सदस्य। उचित नहीं होगा।

श्री उम्मेद सिंह : आपकी प्रासीडिंग में जो आब्जेक्शन है, केवल हरियाणा के मैम्बर ने किया है, राजस्थान के मैम्बर का कोई भी आब्जेक्शन नहीं है आपकी प्रासीडिंग में।

श्री सभापति : बीच में नहीं कहें कोई बात, माननीय सदस्य।

श्री परसराम मदेरणा : मैं वह लोकस स्टेण्डाई की बात ही तो कर रहा था, लोकस स्टेण्डाई वाली प्रासीडिंग का आगे का पोर्शन पढ़ रहा हूं। फिर कह रहे हैं आन, नहीं है, गलत कदम लेकर गुजरात की तरफ मुंह मोड़ लिया है क्या आपने ?

मैं निवेदन यह कर रहा था कि यह हमको एप्रिहेन्शन है क्योंकि प्रतिपक्ष के नेता प्रारम्भ में जब बोले थे, तब कहा कि राजस्थान अन कमाण्ड एरिया को एक बात अभी इरिगेशन मिनिस्टर ने कही है, कैपेसिटी के रेस्टोर करने वाली दूसरी बात कही है। यह दोनों जो दलीलें हैं, बहुत लचर हैं। मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि राजस्थान के लिए कैपेसिटी रेस्टोर होना बहुत जरूरी है, आज गंग कैनाल

(श्री परसराम मदेरणा)

की कैपेसिटी 2700 क्यूसेक्स है, रेस्टोर नहीं होता है तो राजस्थान का पानी अभी आ रहा है 2200 क्यूसेक्स, अब तो 2200 से भी कम हो गया है, 2100 रह गया है, इसलिए 600 क्यूसेक्स पानी पर हमारा राइट है । इसलिए मैं निवेदन कर रहा था, आप कह रहे थे, यह उसके साथ जुड़े हुए मैटर हैं । एक्रॉस दी टेबल कई बातें आती हैं सामने, इसलिए जो एक दूसरे से जुड़े हुए मैटर हैं, वह फिर यह कह दें कि नहीं, आप यह मत कीजिए । अब दलील के लिए नहीं है, कहते हैं कि हमारा शेयर है । शेयर लोगे तो कौनसा एरिया अन कमाण्ड करोगे ? तुम यह कर नहीं रहे हो इसलिए शेअर दूसरों का छोड़ोगे । वह तो आप करोगे । हम यह आर्ग्यूमेन्ट करते हैं । यह आर्ग्यूमेन्ट की बात है, मैं इस बात को कह रहा हूं । दूसरा आपने यहां पर ...

(व्यवधान)

नहीं, नहीं, अभी नहीं । मैं उसी पर आ रहा हूं ।

दूसरी बात, सभापति महोदय, यह कही गयी, जो डिस्कशन का आखिरी पैरा है 6, उसमें इन कन्सल्टेशन विथ बी बी. एम. बी. जो गवर्नमेंट आफ इंडिया ने बात कही है, हम तो यह कह रहे हैं कि बी. बी. एम. बी से कन्सल्टेशन का प्रश्न नहीं, फोरम भी वही है । डिसीजन आप ले नहीं सकते । हम यह स्टैंड ले रहे हैं । बी. बी. एम. बी. जब कभी भी कोई मैटर रेफर करती है, बी. बी. एम. बी. रेफर करेगी, जब राजस्थान पार्टनर होगा, राजस्थान एग्री करेगा जब रेफर करेगा । यों तो रेफर कर नहीं सकती । इसलिए सुओमोटो तो आप डिसीजन ले ही नहीं सकते । हमारा स्टेण्ड हमेशा यही रहा है और आज भी रहा है । इस स्टेण्ड के सम्बन्ध में मैं आपसे निवेदन करूं । यही नहीं, सभापति महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया था, वह लैटर में नहीं रखूंगा । एक दूसरा लैटर मैंने और लिखा है । उसकी आखिरी लाइन यह है । किसने लिखा है, यह मैं, अध्यक्ष महोदय को सीक्रेटली बता सकता हूं । कभी पूछते हैं, आपने लिखा, इन्होंने लिखा, सैक्रेटरी ने लिखा, चीफ सैक्रेटरी ने लिखा ? आखिरी पैरा यह है : "I am also desired to inform." 16 मार्च का लैटर है 84 का ।

"I am also desired to inform that if any unilateral action to the Contrary is taken, the Government of Rajasthan will be left with no alternative but to take recourse to appropriate legal action."

यही नहीं, यह लैटर मुख्य मन्त्रीजी ने लिखा है । यह लैटर मुख्य मन्त्री ने किसको लिखा है, यह नहीं बताऊंगा ।

"The State Government means

(श्री परसराम मदेरणा)

Rajasthan will be constrained to seek such legal remedy as may be warranted by the situation."

यह कोई आज का लैटर नहीं है, यह बहुत पहले लिखा गया है। सही बात यह है कि इनमें एक आध दिन का या शायद कुछ घण्टों का फर्क होगा। इसलिये जहां तक आपने लीगल ओपीनियन की बात कही है, लीगल ओपीनियन ली जा चुकी है। लीगल ओपीनियन पहले भी ली जा चुकी थी। लीगल ओपीनियन उसी व्यक्ति से ली है जिसके घर अपन सीधे पार्लियामेंट एनैक्सी से भाग कर गये थे, उससे ली है रात को 11 बजे। उससे पहले लीगल ओपीनियन और दी है कि काज आफ एक्शन नहीं बनता। वह लीगल ओपीनियन ली होगी ज्योंही यह मैटर आया होगा, as early as in June, 1983. फिर दूसरी लीगल ओपीनियन अभी ली है 25-2-84 के बाद।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपके एडवोकेट जनरल से तो नहीं ली है न ?

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, उनसे लेने का प्रयत्न नहीं किया है।

उनकी ओपीनियन लेने के बाद में स्टेट गवर्नमेंट ने उनको फरदर इन्सट्रक्शन्स दिये हैं। उनसे ओपीनियन लेने के बाद में ऐसे मामलों में हमारा लीगल पक्ष बहुत मजबूत रहना चाहिये, हमको हर साइट पर फाइट करना चाहिये। इसलिये एक प्रस्ताव मेरे सैक्रेटरी से मैंने अभी फाइनेंस डिपार्टमेंट को भिजवाया है कि इसके लिये कुछ मनी ईयर मार्क करना चाहिये। पेमेंट नहीं होता है तो वह हमको घर में नहीं घुसने देंगे। वह अमाउन्ट भी मैंने कोई एक साथ 50-60 हजार रुपये नहीं मांगा है। यह जानते हैं कि क्या अमाउन्ट होगा ? मैंने कहा कि 2 लाख रुपये की घर राशि की आवश्यकता है। इसमें तो सदन एक है ना ?

अनेक माननीय सदस्य : एक है।

श्री परसराम मदेरणा : अब यह बताना मुख्य मन्त्रीजी को कि सदन एक है इस मामले में।

(व्यवधान)

मैं यह निवेदन कर रहा था कि जहां तक, यह भी नहीं है कि चाहे सूट है, चाहे स्टे एप्लीकेशन है, इसका भी ड्राफ्ट रेडी है, लॉचिंग पैड के ऊपर है, केप कनेडी लॉचिंग का स्थान था न, जहां से शर्मा सीधा गया था, लॉचिंग पैड के ऊपर रखा हुआ है, बटन दबाने की देरी है, उसकी स्टे एप्लीकेशन भी तैयार है साथ ही साथ। लेकिन इसमें दो डेलिकेट लीगल मैटर्स हैं जिसे फरदर एग्जामिन करने के लिये लिखा है। यहां पर कहने को तो अपन बहुत कह देते हैं, मैं उसको बहुत एल्यूसिडेट फरदर करना चाहता हूं, अगर डिमाण्ड्स विमाण्ड के लिये ज्यादा तैयारी आपकी नहीं हो तो ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : समझ गये।

(166)

श्री परसराम मदेरणा : आप तो समझ गये। It is beyond your horizon of comprehension. यह महुआ से आने वाले माननीय सदस्य कह गये, वह डाक्टरीन लाये यहां पर Doctrine of prior appropriation, doctrine of riperion law. तीन डाक्टरीन और हैं उनको ध्यान नहीं है। उनको ध्यान है doctrine of riperion law का, पर एक अलग है doctrine of right of sovereignty. दूसरा अलग है doctrine of cardinal principle और यह है maximum benefits from a source with minimum detriment. बाद में डिस्प्यूट पानी का आयेगा, इन्टर-स्टेट वाटर डिस्प्यूट है। इन्टरनेशनल पानी के बारे में बहुत से डिसीजन्स वर्ल्ड कोर्ट के हुए हैं, वह बातें अलग हैं वह सेपरेट मैटर है उसको इससे लिंक नहीं करना चाहिये क्योंकि इश्यूज जम्बल हो जायेंगे।

इस डिसीजन के अन्दर से एक पैरा इन्होंने पढ़ा है और पैरा को पढ़ने के बाद इन्होंने कहा, आप एक एक बात पर ही बताते चले जाइये।

The construction of link channel from Anandpur Sahib Hydel Channel to Nangal Hydel Channel for supplies to be drawn for both the stages of Thermal power stations shall be completed well before the drawal of water for stage II of Ropar Thermal station.

प्रतिपक्ष के नेता, यहां पर आते आते पंजाब ने अबाउट टर्न कर लिया। अब थर्मल की सैकण्ड स्टेज के लिये आनन्दपुर साहिब का पानी लेने की बात तो छोड़ चुके। अभी अभी अप्रेल की बात कह रहा हूं आज तारीख तो 12 ही है, वह छोड़ चुके हैं। सिचुएशन में फरदर डवलपमेंट यह है कि वह छोड़ चुके हैं तो यह डिसीजन विसीजन कहां रहता है? यह ही गया खड्डे में ...

सदन की कार्यवाही
विधान सभा की बैठक के
निर्धारित समय में वृद्धि

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि सदन का समय आज की कार्य सूची पूर्ण हो, तब तक के लिये बढ़ा दिया जाये।

श्री सभापति : सदन की अनुमति से सदन का समय आज की कार्यसूची पूर्ण हो तब तक के लिये बढ़ाया जाता है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : सभापति महोदय, हां-ना तो कराओ।

श्री सभापति : सदन की सहमति है।

व्यवस्था का प्रश्न
पीठासीन अधिकारी द्वारा खड़े
होकर व्यवस्था देना

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, एक निवेदन है कि इस सदन की परम्परा के अनुसार आसन की तरफ से कोई निर्णय दिया जाता है तो आसन

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

पर बैठे हुये कोई भी महानुभाव हों, वह खड़े होकर निर्णय देते हैं, बैठे बैठे नहीं देते हैं....

(व्यवधान)

आप खड़े होकर निर्णय सुना दीजिये।

श्री सभापति : यह आसन के ऊपर है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आसन पर नहीं है, हाउस की गरिमा का प्रश्न है।

श्री सभापति : इसमें कोई खास बात नहीं है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : नहीं खास बात है, सदन की परम्परा है।

श्री सभापति : ऐसा मैंने देखा भी है कि आसन में बैठे बैठे निर्णय हुये हैं और खड़े होकर भी हुये हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : वह केजुअल की बात हो सकती है।

श्री सभापति : यह भी कैजुअल ही था।

श्री भैरोंसिह शेखावत : कैजुअल नहीं था, यह फैसला हुआ है।

श्री सभापति : समय बढ़ाने का मामला भी कैजुअल था। सदन की अनुमति से ही बढ़ाने का फैसला किया गया। यह कैजुअल ही था, कोई गम्भीर बात नहीं थी।

सिंचाई मंत्री महोदय।

शासकीय वक्तव्य
अन्तर्राज्यीय जल एवं विद्युत विवाद

श्री परसराम मदेरणा : बल्लभनगर से आने वाले माननीय सदस्य और प्रतिपक्ष के नेता महोदय जब दुबारा बोल रहे थे, और उस डिसीजन को बार बार रेफर कर रहे थे, इसके फार्वडिंग लैटर पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे रहे थे। मैं पूर्व में इस बात को बहुत स्पष्ट कर चुका हूं कि भारत सरकार के इस निर्णय को हमने स्वीकार नहीं किया हैं, हमने बहुत क्लियर कट टर्म्स उनको साफ कहा है It is not acceptable to us. हमने यह बात भी कही है कि आपका निर्णय totally with out jurisdition and authority है उसके उद्धरण मैंने आपको पढ़कर सुनाये।

अब अन्त में लूनी से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि कुछ सेन्टेन्स बोल दीजिये....

(व्यवधान)

आप इनवर्टेड कौमाज में यह लिखो कि यह सदन इस पक्ष में है कि सर्वसम्मति से, आनन्दपुर साहिब का हिस्सा तय नहीं हो, इस प्रकार की रिजोल्यूशन वगैरह कुछ सोचकर करते तो ठीक होता। इस प्रकार का रिजोल्यूशन यहां से करने के बाद मैं समझता हूं कि....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कन्टेन्ट यह है।

श्री परसराम मदेरणा : कन्सेन्ट आप सबकी हो, तो उस हिसाब से करना चाहिये। वह आज नहीं तो कल हो सकता है, मैं यह नहीं कहता कि नहीं हो लेकिन रिजोल्यूशन और तरह से बना लीजिये। सिचुएशन बहुत बदल गई है और इतनी बदल गई है, मैं तो खुद ही, प्रतिपक्ष के नेता महोदय, आश्चर्य कर रहा था कि राकेश शर्मा तीन मिनट पहले तो था बिहार में और फिर राजस्थान की फोटो ले रहा था तीन मिनट के बाद, तीन मिनट पहले था बिहार में और फिर जैसलमेर की पिक्चर्स ले रहा था, टेलीविजन पर आ रहा था Now this is Rajasthan. मैंने कहा, very good. गैस मिलेगी या कुछ तेल मिलेगा, कुछ न कुछ तो मिलेगा ही। इसलिए मैं कोई वर्डों के जाल में तो फसूंगा नहीं। एकदम पहले मंत्री या मुख्य मंत्री थे उन्होंने कहा, स्टैंड मेरा बहुत मजबूत है, चट्टान की तरह है, कोई कह रहा है अष्ट धातु की तरह है, लोहे की तरह है। इस तरह मैं शब्दों के जाल में फंसना नहीं चाहता, पर राजस्थान सरकार बहुत सतर्क रही है, राजस्थान का इन्ट्रेस्ट बहुत सुप्रीम है, यह मैटर कई मुदों के साथ जुड़ा हुआ है। एक मुद्दे के जुड़ने या कन्सेन्ट न होने के बाद में कई मामले में हम बराबर एतराज करते हैं, उसका कहीं विपरीत असर नहीं पड़े इसलिये हम पूरा एहतियात ले रहे हैं, राज्य सरकार राजस्थान के हित की दृष्टि से किसी वक्त भी किसी भी स्टेज पर कहीं पर भी कम्प्रोमाइज नहीं करेगी एक। इस सदन की भावनाओं का सर्वोच्च आदर करते हुए उसी प्रकार का स्टैन्ड रखेगी जो पहले रखा है, दो। अब मैं समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : We appreciate it.

(5.00 म. प.)

अनुदान की मांगें
मांग संख्या 8–राजस्व एवं
मांग संख्या 9–वन

श्री सभापति : अनुदान की मांगों पर विचार। माननीय राजस्व मन्त्री जी।

श्री हीरालाल देवपुरा (राजस्व मन्त्री) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 8–राजस्व के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 24,89,33,000 (चौबीस करोड़ नवासी लाख तैंतीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

श्री सभापति : माननीय वन मन्त्रीजी।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (राज्य मंत्री, वन) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 9–वन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

महोदय को रुपये 15,41,73,000 (पन्द्रह करोड़ इकतालीस लाख तिहत्तर हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

मांग संख्या 8 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 8 मुख्य शीर्षक राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय,

श्री रामसिंह विश्नोई (लूनी)

श्री रामनारायण डूडी (बिलाड़ा)

श्री सूरजपालसिंह (भीनमाल)

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत)

श्री शिवदानसिंह राठौड़ (जैतारण)

श्री राम रघुनाथ चौधरी (डेगाना)

1. लगातार चार वर्षों से अकाल पड़ने वाले क्षेत्रों में सरकार द्वारा लगान माफ न करने बावत चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक)

2. टौंक जिले में भू-सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

3. टौंक जिले में सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्य के अन्तर्गत हुई अनियमितता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

4. टौंक जिले में भूतपूर्व जागीरदारों द्वारा बेची गई जमीन को सीलिंग में देने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

5. टौंक तहसील के ग्राम याकूबगंज में भू–प्रबन्धक के पट्टे होने के बावजूद भी अतिक्रमण दर्ज कर परेशान किये जाने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

6. टौंक तहसील में ऊम गाखाई तालाब पर जबरन अतिक्रमण दर्ज कर फसल नीलाम करने एव भारी पैनल्टी वसूली की कार्यवाही करने से उत्पन्न ोष पर चर्चा के लिये।

7. टौंक जिले के अधिकारियों द्वारा राजस्व वसूली में किसानों पर जुल्म करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

8. तहसील निवाई में बहड़ ग्राम पंचायत में तालाबी (बान्ध) की जमीन का हक काश्त होने के पश्चात् भी अतिक्रमण दर्ज कर भारी पैनल्टियां वसूल करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

9. निवाई तहसील की बहड़ ग्राम पंचायत में लम्बे समय से गैर मुमकिन तालाबी जमीन का आवंटन नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

10. राजस्व प्रशिक्षण विद्यालय टौंक में अव्यवस्था से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

11. टौंक जिले में भूतपूर्व जमींदारों को सीलिंग की जमीन का मुआवजा नहीं देने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

12. टौंक जिले में आपसी समझौते के आधार पर भूमि का विभाजन पांच रुपये के नान जुडिशियल स्टाम्प पर नहीं करने से किसानों में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

13. टौंक जिले में भू आवंटन में हुई अनियमितता पर चर्चा के लिये।

14. निवाई नगर पालिका को दी गई भूमि का आवंटन जिलाधीश द्वारा अन्य व्यक्तियों को करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रेवतराम चौधरी (डूंगरगढ़)

श्री राम रघुनाथ चौधरी (डेगाना)

15. कृषकों द्वारा लगाए गए राजस्व भूमि के पेड़ों को कृषकों को काटने की छूट दी जाने की चर्चा के लिये।

श्री भेरूसिंह गुर्जर (खारची)

श्री गोकुलचन्द शर्मा (सुमेरपुर)

श्री असलम खां (बार्रा)

16. कृषि भूमि की प्रत्येक तहसीलों में निर्धारित दरों की वास्तविकता पर प्रकाश डालने की चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

17. भू-राजस्व वसूली में होने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

श्री रामकंवार बैरवा (फागी)

18. गांवों में भूमि सुधार कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के विषय में चर्चा के लिये।

19. भूमिहीन अनुसूचित जाति के लोगों को जमीनें देकर कृषि की उपज बढ़ाने में सरकार कार्य नहीं कर रही है, इस पर चर्चा के लिये।

20. सीलिंग को लागू करने में की गई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

श्री भगवानदास शास्त्री(अजमेर पश्चिम)

21. रेवेन्यू बोर्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

22. राजस्व वसूली में घटिया तरीके अपनाने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर)

23. राजस्व वसूली में होनी वाली गड़बड़ियों के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर)

24. गलत भूमि आवंटन से उत्पन्न मुकदमों को निपटाने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय)

सुश्री पुष्पा जैन (अजमेर)

25. सिकराय तहसील के राजस्व अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों पर कार्यवाही न होने बाबत चर्चा के लिये ।

26. राजस्व विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार से आम जनता में असंतोष पर चर्चा के लिये ।

27. सिकराय तहसील में राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा किसानों को परेशान करने पर चर्चा के लिये ।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना)

28. नीमकाथाना तहसील का बन्दोबस्त कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिये ।

29. पहाड़ी क्षेत्र में बिना काश्त किये पैनल्टी लगाने के संबंध में चर्चा के लिये ।

30. ग्रामधनी गांवों के राजस्व वसूली के संबंध में चर्चा के लिये ।

श्री बहादुर सिंह (दानपुर)

31. बांसवाड़ा जिले की सभी तहसीलों में भूमिहीन काश्तकारों को अलाटमेन्ट होने के बाद कब्जा व पट्टा नहीं मिलने पर चर्चा के लिये ।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन)

32. 1980 से अब तक आवंटित भूमियों पर कब्जा नहीं मिलने पर चर्चा के लिये ।

33. जिला बूंदी में भूमि आवंटन के फर्जी आंकड़े देने पर चर्चा के लिये ।

34. जिला बूंदी के भू आवंटन में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा के लिये ।

35. जिलाधीश बूंदी द्वारा भूमि हस्तान्तरण की रजिस्ट्रियों पर लगाई गई पाबन्दी पर चर्चा के लिये ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर)
श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा)

36. गांव गवाड़ी तहसील रेलमगरा की चरणोट की भूमि के रिकार्ड में हेराफेरी करके जमीन पर कब्जा करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही न करने पर चर्चा के लिये ।

37. उदयपुर नगर में राजस्व अपील अधिकारी का पद लम्बे समय से खाली पड़ा है, इस पर चर्चा के लिये ।

श्री असलम खां (बाली)

38. बाली उपखण्ड जिला पाली में लम्बे अरसे से भू-राजस्व के मामलों का निपटारा नहीं करने पर चर्चा के लिये ।

श्री कनकराज मेहता (सांचोर)

39. राजस्व अदालतों की कार्य प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(172)

(श्री कनकराज मेहता)

40. भूमि के आवंटन का पूर्ण रिकार्ड तहसील मुख्यालय पर उपलब्ध नहीं रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

41. गोचर भूमि से नाजायज कब्जे हटाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

42. तहसील सांचोर के ग्राम कोटाल व जोधावास में नदी की काबिल काश्त भूमि पर नाजायज कब्जों के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बहादुर सिंह (दानपुर)

43. राजस्व विभाग द्वारा कर्मचारियों की विधवाओं को समय पर पेंशन स्वीकृत न करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग)

44. झालावाड़ व अन्य क्षेत्रों में शीत लहर से फसल नष्ट हो गयी है अतः राजस्व वसूलियां स्थगित किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

45. राजस्व के मामलों में पटवारी स्तर पर होने वाली अनियमितताओं को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

46. प्राथमिकता के आधार पर राजस्व के मामले निपटाने हेतु चर्चा के लिये।

47. गरीब लोगों को जमीन आवंटन करते समय उनको शीघ्र कब्जा दिलाया जावे, इस पर चर्चा के लिये।

48. झालावाड़ जिले में अनुसूचित जाति के लोगों को "प्रशासन गांवों की ओर" कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटित भूमि के पट्टे अविलम्ब दिलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

49. झालावाड़, कोटा, बूंदी तथा राज्य के अन्य भागों में फसलें गत फरवरी माह की शीत लहर से समाप्त हो गयी अतः किसानों को मुआवजा दिया जावे, इस पर चर्चा के लिये।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया (रतनगढ़)

50. वर्षों से आबादी में चले आ रहे ग्रामों को रेवेन्यू रिकार्ड में लिए जाने बावत चर्चा के लिये।

श्री पोरूराम (टीबी)

51. टीबी निर्वाचन क्षेत्र में ओलों से नष्ट हुयी फसलों के राजस्व लगान माफ करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी (जैसलमेर)

52. नहरी क्षेत्र मोहनगढ़ तहसील (जैसलमेर) में भूमि आवंटन में हुयी अनियमितताओं के संबंध में चर्चा के लिये।

53. जैसलमेर जिले में किये गये किसानों की वास्तविक कब्जा शुदा भूमि भी

(श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी)

रिकार्ड में अंकित न करने पर चर्चा के लिये।

54. राज्य सरकार द्वारा सन् 1975 तक के अतिक्रमियों की भूमि के नियमिति करण के आदेश देने के वावजूद जैसलमेर में राजस्व अधिकारियों द्वारा वेदखल करने पर चर्चा के लिये।

55. जैसलमेर जिले का सर्वप्रथम करवाये गये अस्यायी भू-प्रबन्ध के समय अधिकारियों द्वारा राज्याज्ञा व परिपत्रों द्वारा नहरी क्षेत्र के खातेदारी अधिकारों की पात्रता रखने वाले काश्तकारों को खातेदार अंकित करवाने व उससे उत्पन्न कठिनाइयों के संबंध में चर्चा के लिये।

56. जैसलमेर तहसील में गलत समरी सैटलमेन्ट व स्थायी भू-प्रबन्ध में सही पैमाइश न होने से किसानों पर धारा 91 के अधीन कार्यवाही से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

57. जैसलमेर क्षेत्र मे भूतपूर्व नरेश की खातेदारी भूमि, जो सीलिंग में सन् 1981 में अवाप्त की गयी उसी पर अनेक वर्षो के रिकार्ड में काबिज काश्तकारों को सन् 1979 में ही अतिक्रमी मानकर वेदखली की कार्यवाही करने के संबंध में चर्चा के लिये।

58. काबिज काश्तकारों को भू-स्वामियों के खातेदारी अधिकार निःशुल्क देने थे किन्तु जिलाधीश, जैसलमेर द्वारा इन भूमियों का एक मुश्त रकम लेकर आवंटन करने के संबध में चर्चा के लिये।

59. जिला जैसलमेर में घोषित डी.पी.ए.पी. क्षेत्र से बाहर की कृषि योग्य भूमि कृषकों को आवंटन न करने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये।

60. जैसलमेर जिले की फील्ड फाईरिंग रेंज के समस्त भूमिहीन काश्तकारों को पृथक-पृथक भूमि आवंटन न करने से उत्पन्न संकट पर चर्चा के लिये।

61. पाकिस्तान से निष्कासित भारत में शरण लिये भारतीय नागरिकता प्राप्त भूमिहीनों को जैसलमेर जिले में 1955 के वर्ष की मतदाता सूची में नाम व मूल निवास के अभाव में भू-आवंटन न करने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री सूर्य कुमार (नैनवा)

62. नैनवा तहसील का पुनर्गठन कर एक नई नायब तहसील की स्थापना के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री सुजान सिंह यादव (बहरोड़)

63. बहरोड़ क्षेत्र में सैटलमेन्ट जो हुआ है उसमें अनेक प्रकार की अनियमिततायें हुयी हैं उनके विषय में चर्चा के लिये।

श्री महाराम चौधरी (नागौर)

64. टिनेन्सी एक्ट की धारा 91 के मामलों का निपटारा तुरन्त मौके पर जाकर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री द्वारका प्रसाद बेरवा (निवाई)

65. निवाई तहसील में भू-आवंटन की व्यवस्था एवं लगान आदि की वसूली की अनियमितता के संबंध में चर्चा के लिये।

66. निवाई तहसील की दहलोद पंचायत में ऊसर भूमि का सर्वे करवाकर किसानों को समुचित राहत दिलाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा)

67. बालोतरा में काश्तकारों को कुएं खुदवाने के लिये लोज पर भूमि लूनी नदी में आवंटन हेतु चर्चा के लिये।

68. कोटा जिले के चेचट कस्बे में उप तहसील नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

69. कोटा जिले में शीत लहर से हुयी फसलों की क्षति के बावजूद भी किसानों से राजस्व वसूली की जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

70. शाहबाद किशनगंज तहसील में भूमि का अवैध आवंटन कर दिये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी)

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग)

71. कोटा जिले में उद्योगपतियों एवं प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा चरागाह भूमि पर अतिक्रमण कर लेने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

72. पचपहाड़–गंगरार एवं रामगंज मंडी तहसील में निरन्तर हो रहे चरागाह की समाप्ति से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

73. झालावाड़ व कोटा जिले में शीत लहर से हुये फसलों के नुकसान का सर्वेक्षण करवाकर किसानों को कोई रियायत नहीं दी गयी जिससे उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री नारायण सिंह (दांतारामगढ़)

74. जिन ग्रामों की जनसंख्या 500 से अधिक हो, सभी को राजस्व घोषित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रतना राम चौधरी (रानीवाडा)

श्री मांगीलाल आर्य (जालोर)

75. लगातार तीन वर्षों से अकाल पड़ रहे क्षेत्रों में बीगोड़ी माफ करने बाबत चर्चा के लिये।

श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह)

76. तहसीलों में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री नानालाल (राजसमंद)

77. नायब तहसील कुंवारिया जिला उदयपुर में नायब तहसील भवन बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री हेमाराम चौधरी (गुडामालानी)

78. बाड़मेर जिले की पंचायत समिति बायतू, धोरीमन्ना एवं सिणधरी मुख्यावास

(श्री हेमाराम चौधरी)

पर उप तहसील खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

79. गुडामालानी तहसील के ग्राम दूधू, धोरीमन्ना, नोखड़ा एवं नगर तथा बाड़मेर तहसील के ग्राम सरली का विभाजन कर नये राजस्व ग्राम बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा)

80 आवंटित कृषि भूमि पर कब्जे ना देने के विषय पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़)

81. राज्य के टिनेन्सी एक्ट के विरुद्ध जनजातियों की खाते की भूमि गैर जनजातियों के नाम दर्ज होने से उत्पन्न समस्या बाबत चर्चा के लिये।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई)

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन)

82. सरकार राजस्व की वसूली में असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री भंरूलाल भारद्वाज (जमवारामगढ़)

83. छोटे किसानों को राजस्व कर माफ करने व पटवारियों को पंचायतों के तहत हस्तान्तरण करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री चांद खां (कामां)

84. कस्बा पहाड़ी के सब तहसील को तहसील किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)

85. इटावा व मांगरोल में सहायक जिलाधीश का कार्यालय स्थापित किये जाने के संबंध मे चर्चा के लिये।

86. इन्द्रगढ़ को तहसील बनाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

87. भूमि आवंटन कार्यक्रम एक दिन में एक ही स्थान पर रखने के संबंध में चर्चा के लिये।

88. भूमि आवंटन के बाद फालोअप कार्यक्रम बनाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

89. सीलिंग से अवाप्त भूमि का मुआवजा चुकाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

90. अलाटमेंट के बाद आवंटियों को कब्जा नहीं मिलने के संबंध में चर्चा के लिये।

91. भूमि आवंटन के वक्त विवादास्पद भूमि को अलाट नहीं किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

92. नायब तहसील इन्द्रगढ़ की बूंदी जिले में मिलाने से जनता में व्याप्त असंतोष के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री भगवान दान शास्त्री (अजमेर पश्चिम)

93. वर्तमान स्थिति में भू-राजस्व की वसूली के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी)

94. राज्य में नायब तहसीलदारों के रिक्त पदों को भू-निरीक्षकों की पदोन्नति के द्वारा शीघ्र भरे जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत)

श्री उम्मेद सिंह (डीडवाणा)

95. जिला बीकानेर के कस्बा किशमीदेसर में मेघवालों की श्मशान भूमि को बेचने से उत्पन्न असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां)

96. तहसीलदारों के स्थानान्तरण में भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

97. कोटा जिले की शाहबाद तहसील में भू-आवन्टन में की गई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

98. टिनेन्सी एक्ट की धारा 91 का तहसीलदारों द्वारा दुरुपयोग करने पर चर्चा के लिये।

99. सीलिंग कानून के अन्तर्गत अवाप्त भूमि का मुआवजा न देने पर चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल (खण्डार)

श्री हंसराज शर्मा (सवाईमाधोपुर)

100. सवाईमाधोपुर के ग्राम माधोसिंहपुरा में वन विभाग के अधिकारियों को गलत तरीकों से जमीन अलाट करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

101. सवाईमाधोपुर के ग्राम माधोसिंहपुरा के खसरा न. 58 में सरकार द्वारा अलाटमेंट की सूची वापस लेने के बाद अनधिकृत कब्जा करने सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा)

102. बालोतरा शहर में सब-रजिस्ट्रार का नया पद सृजित करने पर चर्चा के लिये।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय)

103. सिकराय तहसीलदार द्वारा धारा 91 के मामलों में सजा सुनाने से पहले बेदखली का नोटिस जारी नहीं करने से किसानों को हो रही परेशानी बाबत चर्चा के लिये।

104. सिकराय तहसीलदार द्वारा धारा 91 के अन्तर्गत अपील का समय निकाल कर वारन्ट जारी करने से व्याप्त जन असंतोष पर चर्चा के लिये।

105. सिकराय तहसीलदार द्वारा मामलों की सजा सुनाने तथा गिरफ्तारी वारन्ट जारी करने में अत्यधिक समयान्तर

(श्री रामकिशोर मीणा)

रखने से व्याप्त जन असतोष पर चर्चा के लिये ।

106. सिकराय तहसीलदार द्वारा गैर मुमकिन नाले के अलाटमेन्ट हेतु आये आवेदनों पर सजा व वारन्ट जारी करने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये ।

107. सिकराय तहसीलदार द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कम जमीन वाले लोगों को परेशान करने से क्षेत्र में व्याप्त जन असंतोष पर चर्चा के लिये ।

108. सिकराय तहसीलदार द्वारा नियमनों के लिये दिये हुए आवेदनों तथा पैनल्टी की रसीदों को नजरंदाज कर धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही करने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये ।

109. सिकराय तहसीलदार द्वारा धारा 91 के अन्तर्गत मरे हुए व्यक्तियों को सजा देने से उत्पन्न जन असंतोष पर चर्चा के लिये ।

110. सिकराय तहसीलदार द्वारा सरपंचों के विरुद्ध झूठे मुकदमे दर्ज करने से व्याप्त जन असंतोष पर चर्चा के लिये ।

111. सिकराय तहसील में सम्वत 2036 से पूर्व बने हुये कुओं की जमीन को बगैर नापे अतिक्रमण दिखाकर सजा देने व गिरफ्तारी वारन्ट जारी करने से आम किसानों में व्याप्त भय तथा असंतोष पर चर्चा के लिये ।

112. सिकराय तहसीलदार द्वार भूमिहीनों को अलाट शुदा जमीनों पर अतिक्रमण के नोटिस जारी कर बगैर सुनवाई का उचित समय दिये सजा करने तथा वारन्ट जारी करने से गरीब काश्तकारों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये ।

113. सिकराय तहसीलदार द्वारा केवल पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर ही बगैर सत्यता की जांच के मामलों का निपटारा करने से व्याप्त जन असंतोष पर चर्चा के लिये ।

114. नियमन के आवेदन तथा केवल एक बिस्वा जमीन जो कि बगैर नापे तहसीलदार द्वारा पटवारी की रिपोर्ट को जांच किये बिना सजा देने व वारन्ट जारी करने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये ।

115. सिकराय तहसीलदार द्वारा अतिक्रमण के मामलों में अतिक्रमणियों द्वारा कब्जा छोड़ देने की लिखित में सूचना देने के बावजूद उनके विरुद्ध कार्यवाही करने से व्याप्त जन असंतोष पर चर्चा के लिये ।

116. सिकराय तहसीलदार द्वारा धारा 91 के अन्तर्गत मामलों में केवल मकानों पर नोटिस चस्पा करने या किसी दीगर व्यक्ति पर नोटिस तामील होने तथा अनेक मामलों में बगैर सूचना के सजा व गिरफ्तारी

(178)

(श्री रामकिशोर मीणा)

वारन्ट जारी करने से क्षेत्र में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री माणकमल मेहता (पाली)

117. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की कृषि एवं खातेदारी भूमियों के बेचान के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बन्सीलाल पटवा (भीलवाड़ा)
श्री छीतर लाल आर्य (अटरू)

118. राजस्व अभियान के अन्तर्गत आवंटित कृषि भूमि के कब्जे दिलाने पर चर्चा के लिये।

श्री हेमाराम चौधरी (गुडामालानी)

119. गुडामालानी के तहसीलदार द्वारा किसानों को धारा 91 के तहत झूठे मुकदमों में फंसाकर भारी जुर्माना करने से आम किसानों में भारी असंतोष पर चर्चा के लिये।

120. बाड़मेर जिले में भूमिहीन काश्तकारों के कब्जों का नियमन करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा)

121. तहसील मावली द्वारा मावली उदयपुर रोड स्थित कृषि भूमि आराजी नं. 1601 व 1602 की गलत रजिस्ट्री करने के बारे में चर्चा के लिये।

श्री भेरू लाल मीणा (उदयपुर)

122. राजस्व अभियान में अलाट की गई भूमि को अभी तक नियमित नहीं किया गया है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री भैरू लाल (मनोहरथाना)

123. पटवारियों द्वारा वक्त खसरा टीपशीत लहर अथवा अन्य भांति फसलों में हुये नुकसान को दर्ज न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

124. भूमिहीन कृषकों को आवंटित राजस्व भूमि पर कब्जा न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

125. वन विभाग के अधिकार की भूमि को राजस्व के अधिकार में देकर भूमिहीन व्यक्तियों को कृषि कार्य के लिये आवंटित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी)

126. ग्राम कूंचाड़ा कला तहसील बस्सी का भूमि एकीकरण सम्बन्धित महत्वपूर्ण रिकार्ड तहसील, भू-प्रबन्ध विभाग व जिलाधीश कार्यालय में उपलब्ध न होने से सीमा विवाद के मामलों का निपटारा न होने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

श्री भंवर लाल मेघवाल (सुजानगढ़)

127. तहसील भवन सुजानगढ़ की जीर्ण-शीर्ण स्थिति पर चर्चा के लिये

श्री बन्सीलाल पटवा (भीलवाड़ा)

128. करेड़ा (जिला–भीलवाड़ा) के सरपंच द्वारा राजस्व विभाग का हरा बम्बूल काटने पर कार्यवाही न करने के बारे में चर्चा के लिये।

129 भीलवाड़ा जिले में राजस्व विभाग के पुराने पैंडिंग मामले निपटाने पर चर्चा के लिये।

130. भीलवाड़ा जिले में राजस्व विभाग द्वारा बरती गई अनियमितताओं के बारे में चर्चा के लिये।

131. जिला भीलवाड़ा में आवंटित भूमि के कब्जे ना दिये जाने के बारे में चर्चा के लिये।

श्री हंसराज शर्मा (सवाईमाधोपुर)

132. जिला सवाई माधोपुर में भू-प्रबन्ध का कार्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

133. प्रशासन गांवों की ओर कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीबों को अलाट की गई भूमि का कब्जा नहीं दिये जाने से काश्तकारों में असन्तोष पैदा हो गया है, इस सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत)

134. गांवों के राजस्व अभियान में हरिजनों की अवैध भूमि के कब्जे नहीं हटाये जाने व रास्ते नहीं खोले जाने के क्रम में चर्चा के लिये।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी)

135. ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती हुयी जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुये आबादी विस्तार हेतु उपलब्ध सिवायचक, गोचर भूमि को आबादी में परिवर्तित करने व कृषि भूमि को आवाप्त करने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर)

136. सीकर जिले में स्थित बंजड जोहड़, जो पंचायतों को हस्तान्तरित कर दिये गये थे, की सूची गायब होने से बंजड़ जोहड़ों पर कुछ लोगों द्वारा दावा जताने के प्रयासों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

137. शहरी क्षेत्रों के आस-पास चार-पांच किलोमीटर की परिधि में खातेदारों द्वारा टुकड़ों में रजिस्ट्री कराने से होने वाली हानि के सम्बन्ध चर्चा के लिये।

138. भू-राजस्व वसूली की वर्तमान पद्धति के व्यावहारिक पहलू पर विचार की आवश्यकता पर चर्चा के किये।

139. राजस्व ग्रामों की पुनः सीमा बन्दी रोक जनसंख्या के दबाव को देखते हुये नये राजस्व ग्राम बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

140. बड़ी-बड़ी ढाणियों एवं गांव राजस्व ग्राम न होने से उनके विकास पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव पर चर्चा के लिये।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

141. सीकर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पुरोहित की ढाणी को अलग राजस्व ग्राम बनाने की चर्चा के लिये।

142. दांतारामगढ़ तहसील के ग्राम श्यामदूत, सांगरवा, रानोली, पलसाना, साठावा, केबाना, शिश्कू आदि तहसील से बहुत दूर होने तथा सीकर नगर के नजदीक होने के कारण सीकर तहसील में सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी)

143. कोटखावदा (जयपुर) में उप-तहसील भवन का निर्माण किये जाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)

144. तहसीलों में कार्य अधिक होने तथा कार्य को प्रभावी बनाने हेतु सभी तहसील दारों को जीप उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़)

145. बेरी आयोग का कृषि भूमि सम्बन्धी जांच प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को लागू करने की चर्चा के लिये।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर),

146. तहसील सांगानेर की पंचायत कलवाड़ा का खसरा नं. 240 की भूमि अलाट कर दिये जाने के पश्चात् पैनल्टी पुराने मालिक से लिये जाने पर चर्चा के लिये।

147. सांगानेर तहसील के ग्राम मनोहरपुरा में खसरा न. 117 पर अतिक्रमण कर दाल पीसने का कारखाना लगाने के बाबत चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक)

148. टौंक तहसील के ग्राम लगदर में राजस्व वसूली के समय ग्रामीण जनता के ऊपर सर्दी में पानी डालना, मुर्गा बनाकर पत्थर रखना, सिर की पगड़ी उतारने से उत्पन्न रोष पर चर्चा के लिये।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा)

149. गोगुन्दा 'कोटडा' झाड़ोल में राजस्व भूमि के अलाटमेंट एवं नियमन का का कार्य प्रारम्भ करने हेतु चर्चा के लिये।

150. गरीब आदिवासियों व छोटे किसानों पर लगाई भारी पैनल्टी को माफ कराने पर चर्चा के लिये।

151. भूमिहीनों को भूमि कब्जा शुदा देकर नियमन करने पर चर्चा के लिये।

152. गोगुन्दा तहसील में अनधिकृत कब्जे पर 1000-1200 रु पैनल्टी लगा कर गरीबों की जमीनों को कुर्क कर नीलामी पर चर्चा के लिये।

153. गोगुन्दा के तहसीलदार के आचरण से जनता में व्याप्त रोष पर चर्चा के लिये।

(श्री मेघराज तावड़)

154. गोगुन्दा कोटड़ा तथा झाड़ोल में राजस्व अभियान के अन्तर्गत गरीबों को कोई लाभ नहीं मिलने पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

155. रेवेन्यू बोर्ड मे मुकदमों की की भरमार को देखते हुए बोर्ड मेम्बरों की संख्या बढ़ाने हेतु चर्चा के लिये।

156. पंचायत क्षेत्र से प्राप्त भू-राजस्व की राशि पंचायत क्षेत्र के विकास पर पर खर्च न करने से उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा के लिये।

157. पटवारियों द्वारा अपने मुख्यालय पर रोजाना उपस्थित रहने की आवश्यकता को देखते हुये उनकी उपस्थिति का प्रमाण-पत्र पंचायत मुख्यालयों से प्रतिमाह मंगवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

158. ग्रामीण जनता की भूमि सम्बन्धी शिकायतों को सुनने के लिये उच्च राजस्व अधिकारियों का ग्रामीण क्षेत्रों में दौरा करने की आवश्यकता पर एवं ग्रामों में जाकर उनकी समस्याओं के समाधान की। आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

159. पटवारी अपने मुख्यालयों पर महीने में 3-4 दिन ही हाजिर रहते हैं, शेष दिनों में अपने घर चले जाते हैं, इससे उत्पन्न कठिनाइयों एवं बेईमानी को रोकने के लिये उचित कदम उठाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

160. 1963 एवं 1973 के सीलिंग एक्ट के तहत आने वाले बहु भूमिधारियों को पटवारियों, तहसीलदारों एवं एस. डी. ओ. सीलिंग एक्ट से बचा देते हैं, इससे उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये।

161. तहसीलदारों एवं पटवारियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में फुटकर व्यवसायियों को टैक्स वसूल करने के नाम पर परेशान करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

162. भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा रंगे हाथ रिश्वत लेते पकड़े पटवारियों को अविलम्ब सेवाओं से पृथक न किये जाने से उत्पन्न भ्रष्टाचार को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

163. पटवारियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में वसूली के समय की जाने वाली अनियमितताओं एवं गरीब जनता के साथ मारपीट करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

164. एस.डी. 'ओ. तहसीलदार, आर. आई. व पटवारी व सरपंच द्वारा पत्थरबंदी नहीं करने से होने वाली कठि–नाइयों पर चर्चा के लिये।

165. पटवारी द्वारा सही गिरदावरी का मूल्यांकन नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

166. पटवारियों द्वारा गिरदावरी में गड़बड़ियां की जाने से उत्पन्न जन आक्रोश पर चर्चा के लिये।

182

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

167. ग्राम रास्तों की भूमि दबा लिये जाने से रास्ते तंग हो जाने की स्थिति और उस दबाई गई भूमि को पटवारियों द्वारा रिकार्ड में न दर्शाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

168. जयपुर जिले में अन्य जिलों की अपेक्षा अधिक वसूल की जाने वाली भू-राजस्व को कम किये जाने बाबत उचित कार्यवाही की जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

169. जयपुर नगर के आसपास की 15 कि. मी. की कृषि भूमि को आबादी भूमि में परिवर्तन किये जाने की उचित व आवश्यक कार्यवाही की जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

170. गलत आवंटन से दिये गये खातेदारी अधिकार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

171. लैण्ड रेवेन्यू के सैक्शन 91 के अन्तर्गत हजारों लोगों पर मुकदमे होने के कारण काश्तकारों की परेशानी हो रही है, इस पर चर्चा के लिये।

172. पटवारियों द्वारा अनियमिततायें की जा रही हैं उन्हें मिटाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

173. जयपुर जिले में बढ़ाये गए भू-राजस्व की समस्या पर एवं इससे व्याप्त भ्रष्टाचार से निपटने पर चर्चा के लिये।

174. जयपुर जिले के राजस्व अधिकारियों के भ्रष्ट आचरण के सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई कार्यवाही न होने से उत्पन्न आक्रोश पर चर्चा के लिए।

175. पटवारियों द्वारा हरे पेड़ कटवाने व काटने वालों के साथ सहयोग और मिलीभगत के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही पर चर्चा के लिये।

176. एस. डी. ओ.' तहसीलदार, नायब तहसीलदार के अनावश्यक गांवों के दौरे व अनावश्यक खर्चों को रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

177. सरकार के राजस्व अधिकारियों की लापरवाही से कृषकों की उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये।

178. किसानों की भूमि के बिक्री का नामान्तरण नहीं होने के बारे में उत्पन्न समस्याओं पर एवं नामान्तरकरण में तहसीलदारों, रेवेन्यू इन्सपेक्टरों एवं पटवारियों द्वारा जनता को परेशान करने पर चर्चा के लिये।

179. पटवारियों व तहसीलदारों द्वारा 91 के केस बनाकर ग्रामीण किसानों को फंसाये जाने के हथकंडे अपनाने से उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक)

180. निवाई तहसील के ग्राम बाहड में तालेवी जमीन पर हक काश्त का अमल दरामद नहीं करने से उत्पन्न रोष पर चर्चा के लिये।

181. टौंक जिले में फसल कटाई प्रयोग नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

182 टौंक जिले में विभिन्न स्थानों पर पटवार-घर नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

183. टौंक जिले में भूमि आवंटन भू-अभिलेखों का संधारण, भू-सुधार कार्यक्रम एवं सीलिंग का कार्य प्रभावी एवं उचित और समय पर नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

184. टौंक जिले में राजस्व प्रशासन द्वारा राजस्व व भू-अभिलेखों का सही तरीके से निरीक्षण एवं नियमन नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

185. टौंक जिले में राजस्व आय तथा व्यय का सही अनुमान नहीं लगाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

186. टौंक जिले की निवाई, देवली एवं उनियारा आदि तहसीलों में जनवरी एवं फरवरी, 1983 में गलत व्यक्तियों को भूमि आवंटन एवं उपयुक्त एवं गरीबों को आवंटन नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

187. विभिन्न राजस्व न्यायालयों में लम्बे समय से दुरूस्ती इन्द्राज के मामले नहीं निपटाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

188. टौंक जिले में कृषि भूमि में नियमानुसार किसानों द्वारा अपने खेत में मकान व बाड़े आदि बनाने के उपरान्त भी भूमि रूपान्तरण अधिकारियों द्वारा किसानों को नोटिस आदि देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा)

189 भूमि पर अवैध कब्जों की प्रवृत्ति को रोकने के लिये कठोरतम कदम उठाने पर चर्चा के लिये।

190. नाथद्वारा क्षेत्र में 1967 से पूर्व किस्म जमीन की बाद में अलग किस्म में दर्ज करने से सरकार को हजारों रुपयों के नुकसान पर चर्चा के लिये।

191. नाथद्वारा विधान सभा क्षेत्र की पंचायत समिति खमनोर के मुख्यालय पर इस वर्ष से नायब तहसीलदार का कार्यालय स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

192. नाथद्वारा विधान सभा क्षेत्र की पंचायत सालोर में नया रेवेन्यू पटवार सर्कल स्थापित करने की चर्चा के लिये।

श्री भैरूलाल मीणा (उदयपुर-ग्रामीण)

193. उदयपुर मास्टर प्लान में आई हुई काश्त भूमि को धनी लोग सस्ती दर

(श्री भैरूलाल मीणा)

में खरीद कर लाखों रुपये में पट्टे बनाकर बेचते हैं इस पर उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

194. राजस्व अभियान के तहत दिये गये पट्टे का गरीब तबके को लाभ नहीं मिला है, इस पर चर्चा के लिये।

195. उदयपुर मास्टर प्लान में आने वाली भूमि पर काश्तकारों को अपना मकान नहीं बनाये दिये जाने पर उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री महाराम चौधरी (नागौर)

196. अजमेर जिले के रेवेन्यू रिकार्ड में सैटलमेंट के अनुसार अमल दरामद नहीं करने तथा भू-राजस्व बढ़ाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी)

197. तहसील बस्सी में बडवा एवं पड़ासोली में सीलिंग में अवाप्त 3000 बीघा भूमि को स्टे न होते हुये भी स्टे आर्डर होना बताकर भूमि आवंटन न करने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

198. कुंओं से सिंचित होने वाली कृषि भूमि की लगान दरें अधिक होने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

199. खातेदार को स्वयं की कृषि भूमि में खातेदारी की कृषि भूमि के पचासवें हिस्से में मकान-बाड़ा बनाने की अनुमति तहसीलदार बस्सी द्वारा नहीं दिये जाने के क्रम में चर्चा के लिये।

200. जयपुर जिले के किसानों का सस्ता एवं शीघ्र न्याय दिलाने हेतु राजस्व मण्डल की खण्डपीठ जयपुर में शीघ्र स्थापित किये जाने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

201. संयुक्त खातेदारी में हिस्सा दर्ज होने पर सरचार्ज (अधिभार) नहीं लेने एवं हिस्सा दर्ज न होने पर सरचार्ज लेने की दोहरी नीति अपनाये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

202. चरागाह भूमि पर नियमित भूमिहीन का कब्जा होते हुये राज्य सरकार द्वारा दिये गये आदेशों के अन्तर्गत नियमन कार्यवाही तत्परता से नहीं किये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

203. जयपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक के पक्ष में रहन रखी गयी भूमि का राजस्व रिकार्ड में समय पर इन्द्राज नहीं करने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

204. जयपुर जिले की तहसील बस्सी के जीवित व्यक्ति को मृत बताकर उसकी कृषि भूमि दूसरे के नाम खातेदारी में कर देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

205. नायब तहसीलदार व तहसीलदारों के रिक्त पद पदोन्नति द्वारा यथा शीघ्र भरे जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)

206. बिना जिलाधीश की अनुमति के ग्राम बैनाड तहसील वस्सी में भूमि आवंटित करना व आवंटन के बाद शर्तों के अनुसार मोके पर काश्त न करते हुये भी खातेदारी अधिकार देना तथा खातेदारी अधिकार प्राप्त कर आवंटी द्वारा आवंटित भूमि को बेच देने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

207. "प्रशासन ग्राम की ओर" कार्यक्रम के अन्तर्गत तकासमे के मामलों का निष्पादन न होने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

208. "प्रशासन गांव की ओर" कार्यक्रम के अन्तर्गत तहसील बस्सी की सिवाय चक व चरागाह भूमि को आबादी में परिवर्तित करने के मामलों का निपटारा नहीं करने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

209. "प्रशासन ग्राम की ओर" में ग्रामों में ग्राम रास्तों के अतिक्रमण के मामलों का निपटारा केवल कागजों पर कर वास्तव में ग्राम रास्तों पर किये अतिक्रमण को न हटाने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

210. विरासत के नामान्तरकरण खातेदार की मृत्यु से तीन माह की अवधि में नहीं खोलने वाले पटवारी, गिरदावर के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

211. पटवार प्रशिक्षण विद्यालय राजधानी के निकट बैनाड़ा में स्थापित किये जाने के संदर्भ मे चर्चा के लिये।

212. तहसील बस्सी एवं चाकसू में चरागाह भूमि पर हुये अतिक्रमण को हटाये जाने की कार्यवाही किये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

213. बंध पेटा काश्त हेतु भूमि हर वर्ष के बजाय कम से कम तीन या 5 वर्ष के लिये अस्थायी आवंटन किये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

214. जयपुर जिले की तहसील बस्सी में ढूंढ नदी की पेटा काश्त की भूमि आवंटित न करने से प्रभावशाली लोगों द्वारा हर वर्ष नाजायज काश्त करने एवं भूमिहीन को काश्त हेतु भूमि नहीं दिये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

215. ग्राम कुथाड़ा तह. बस्सी का सैटलमेन्ट रिकार्ड व नक्शा गायब हो जाने से सीमा विवाद सम्बन्धी उत्पन्न समस्या का निवारण न किये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

216. उदयपुरिया ग्राम तह. सिकराय में अनु. जनजाति के व्यक्ति की कृषि भूमि ख. नं. 377 की सवर्णजाति के व्यक्ति के नाम खातेदारी करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

217. मेंहदीपुर बालाजी के महन्त की खातेदारी में भिन्न-भिन्न ग्रामों, तहसीलों व जिलों में सीलिंग से अधिक

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)

कृषि भूमि होते हुये भी सीलिंग से मुक्त रखने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

218. नामान्तकरण नहीं भरने वाले पटवारियों एवं रिपोर्ट नहीं करने वाले गिरदावरों के विरुद्ध विभाग द्वारा कठोर कार्यवाही न किये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

219. राज्य में हल्का पटवारी हल्के में नियमित उपस्थित न रहते हुये भी मकान किराया देने एवं हल्के में नहीं रहने से किसानों को होने वाली कठिनाईयों के संदर्भ में चर्चा के लिये।

220. "प्रशासन गांव की ओर" कार्यक्रम के अन्तर्गत मन्दिर माफी की भूमि मन्दिर के नाम दर्ज करने के मामलों का निपटारा न होने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

221. मेंहदीपुर बालाजी के महन्त द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति की भूमि क्रय करने एवं राजस्व अधिकारियों द्वारा नामान्तरकरण स्वीकार कर खातेदारी हक देने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व)

222. उपखण्ड अधिकारी पाली के क्षेत्राधिकार में पाली स्थित कृषि भूमि ख. नं. 1417, 1418, 1418/1 को बेचने के इकरारनामे दिनांक 31.12.82 के आधार पर नामान्तरण कर देने में हुई अनियमितता पर चर्चा के लिये।

223. पाली स्थित कृषि ख. नं. 1417, 1418, 1418/1 को कृषि से वाणिज्यिक उद्देश्यों हेतु भू-रुपान्तरण करने में हुई अनियमितता पर चर्चा के लिये।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत)

224. तहसील कोलायत के राजस्व मार्गों का पुनः निर्धारण करने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

225. तहसील कोलायत के ग्राम गजनेर के पास दस ईंट भट्टा मालिकों द्वारा काश्त की सैकड़ों बीघा भूमि में अनधिकृत कब्जा करने पर चर्चा के लिये।

226. तहसील कोलायत ग्राम गजनेर में सन् 1971 में 84 व्यक्तियों को आवंटित कृषि भूमि को निशानदेही नहीं देने से किसानों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये

227. घुम्मक्कड़ जाति को कृषि भूमि आवंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत)
श्री उम्मेद सिंह (डीडवाना)

228. तहसील कोलायत के ग्राम ईन्दों का बाला, मोटावता से गंगापुरा, खारी चारणान से राष्ट्रीय उच्च मार्ग वाया तीतरों

(श्री देवीसिंह भाटी)

का वाड़ा, गांधी प्याऊ तक, कदीमी पुराने रास्तों को राजस्व कटान रास्ते नहीं छोड़ने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

229. तहसील कोलायत के ग्राम इन्दों का वाला, कोटड़ी गुड़ा, गोलरी, हाडनां, भाटियान की गोचर भूमि की सही निशानदेही नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

230. तहसील बीकानेर के ग्राम मेघासर में गोचर भूमि की सही निशानदेही न देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

231. तहसील कोलायत के ग्राम मढ़, ढेह, मोटावतां, गंगापुरा में गोचर भूमि नहीं छोड़ने से उत्पन्न पशुधन की चराई की विकट समस्या पर चर्चा के लिये।

232. तहसील बीकानेर के ग्राम कोलासर, मेघासर, बरसिंहसर, केसरदेसर बोहरान बच्छासर में गोचर भूमि छोड़ने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत)

233. तहसील कोलायत के ग्राम समोरकी की आबादी भूमि न छोड़ने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

234. तहसील बीकानेर एवं कोलायत के अधिकतर गांवों में आबादी भूमि क्षेत्र की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 9 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 9 मुख्य शीर्षक वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय,

श्री माधव सिंह दीवान (सोजत)
श्री रामसिंह विश्नोई (लूनी)
श्री रामनारायण (बिलाड़ा)
श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल)
श्री शिवदानसिंह राठौड़ (जैतारण)
श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना)

1. टाईगर प्रोजेक्ट के तहत लिये गये वन अभयारण्य सरिस्का तथा रणथम्भौर में जानवरों की असुरक्षा तथा वनों की अन्धाधुन्ध कटाई पर चर्चा के लिये।

श्री माहावीर प्रसाद जैन (टौंक)

2. टौंक जिले में वन की अवैध कटाई से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

3. टौंक में वन सतर्कता में बरती जा रही शिथिलता पर चर्चा के लिये।

4. टौंक जिले में निवाई के पहाड़ों पर पेड़ लगाकर रेत को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना)
श्री रेवतराम चौधरी (डूंगरगढ़)

5. वन विभाग के कर्मचारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

श्री भैरू सिंह गुर्जर (खारची)

श्री गोकुलचन्द शर्मा (सुमेरपुर)

श्री असलम खां (वाली)

6. वन विभाग में वर्कचार्ज व अस्थाई लेवर को नियमित सेवा में लेने हेतु चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

7. जंगलों की अवैज्ञानिक कटाई से उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा के लिये।

श्री राम कंवर बैरवा (फागी)

8. वनों के विकास के लिये प्रदेश भर में अभियान नहीं चलाया जा रहा है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री भैरूलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण)

9. वन विभाग द्वारा लगाये जा रहे पेड़ों की सुरक्षा सही नहीं होने पर चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव)

10. बाड़मेर जिले की डिफेंस रोड बाड़मेर-मुनाबा, शिव गडरा रोड पर व राणासर गडरारोड पर वन विभाग द्वारा पेड़ लगाने हेतु चर्चा के लिये।

11. वन विभाग द्वारा बाड़मेर जिले के ग्राम राणासर में नर्सरी लगाने पर चर्चा के लिये।

12. वन विभाग द्वारा राणासर-रामसर-डिफेन्स रोड पर दोनों साइड पर पेड़ लगाने पर चर्चा के लिये।

13. वन विभाग द्वारा बाड़मेर जिले की डिफेन्स रोड चौहटन रामसर पर पेड़ लगाने पर चर्चा के लिये।

14. वन विभाग द्वारा बाड़मेर जिले के रेगिस्तानी क्षेत्रों में खेजड़ी व कुमट के पेड़ लगाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री भगवान दास शास्त्री (अजमेर पश्चिम)

15. अजमेर जिले में विभाग की अकर्मण्यता के कारण लगाये गये फलों के पौधों का गायब हो जाने पर चर्चा के लिये।

16. वन विभाग द्वारा पुष्कर (अजमेर) मार्ग पर किये जा रहे फूलों की क्यारियों के अधूरा कार्य को पूरा कराने हेतु चर्चा के लिये।

17. अजमेर नगर के चारों तरफ पहाड़ों पर पेड़ नहीं लगाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर)

18. वन विभाग की अकर्मण्यता से वन सम्पदा नष्ट हो रही है तथा विभाग द्वारा वनों के विकास की योजना पर ध्यान नहीं देने पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम जैन (बेगूं)

19. तहसील बेगूं में हरे वृक्षों की अधा-धुंध कटाई रोकने में विभाग की विफलता के संबध में चर्चा के लिये।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय)

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर)

20. वन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

श्री मोहन लाल मोदी (नीमकाथाना)

21. नीमकाथाना क्षेत्र में वन भूमि को वन विकास हेतु क्षेत्रीय लोगों को आवंटित करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन)

22. वन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

23. वन सम्पदा की सुरक्षा पर वन विभाग द्वारा ध्यान न देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर)

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद)

24. विभाग जनता की आवश्यकता-नुसार कोयला लकड़ी उपलब्ध कराने में असमर्थ रहा, इस पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर)

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा)

25. वन विभाग की मिलीभगत से धरियावद मगाणा रेंज में प्रति दिन लकड़ी ट्रकों द्वारा अवैध रूप से ले जाई जाती है, इस पर चर्चा के लिये।

26. गेम सेंक्चुरी जयसमन्द पर लाखों रुपये व्यय किये जाने के उपरान्त भी जानवरों की संख्या नहीं के बराबर है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव)

27. बाड़मेर जिले की डिफेन्स रोड हरसोनो जालीया रोड पर हरसोनी से वालेया पर पेड़ लगाने पर चर्चा के लिये।

श्री असलम खां (बाली)

28. जिला पाली में बाली जोड़ की भूमि में वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण न करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री कनकराज मेहता (सांचौर)

29. सांचौर विधान सभा क्षेत्र में अंग्रेजी खेजड़ी से हो रही हानि के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री उम्मेद सिंह (डीडवाना)

30. नागौर जिले में हरी खेजड़ी काट-कर बेचने के विषय पर चर्चा के लिये।

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग)

31. झालावाड़ जिले के डग विधान सभा क्षेत्र में चन्दन वन अधिकारियों व कर्मचारियों की निष्क्रियता से नष्ट हो रहा है उसकी रक्षा की व्यवस्था की जाये, इस पर चर्चा के लिये।

32. वन विभाग के अधिकारियों द्वारा वृक्ष लगाने में किये जा रहे भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा के लिये।

33. झालावाड़ जिले में अधिकारियों की मिलीभगत से सारा जंगल उजाड़ दिया गया, इस पर चर्चा के लिये।

श्री फतहसिंह (कुशलगढ़)

34. बांसवाड़ा से वन सम्पदा को अनधिकृत रूप से बाहर ले जाने में वन विभाग के अधिकारियों का हाथ रहा है, इस सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

35. राज्य सरकार बांसवाड़ा क्षेत्र के घने जंगलों की रक्षा करने में असमर्थ रही है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी (जैसलमेर)

36. जैसलमेर बाड़मेर में डी. एन. पी. की परिधि में वन्य जीवों द्वारा पहुंचाये गये नुकसान पर चर्चा के लिये।

37. जैसलमेर, बाड़मेर जिले में डी. एन. पी. की परिधि में आये ग्रामों के ग्रामीणों को ईंधन प्राप्त करने में आने वाली कठिनाई के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

38. जैसलमेर-बाड़मेर में डी.एन.पी. की स्थापना से डी.एन.पी. की परिधि में आने वाले ग्रामों में पशुधन की चराई की समस्या के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री सूर्य कुमार (नैनवा)

39. चरागाह विकास को वृक्षारोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत सर्वोच्च प्राथमिकता देने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री देवदत्त तिवाड़ी (बाड़मेर)

श्री भगवान दास डोसी (चौहटन)

40. वन विभाग द्वारा पौधे लगाने के बाद उनकी देखभाल नहीं करने पर चर्चा के लिये।

श्री सुजान सिंह यादव (बहरोड़)

41. बहरोड़ क्षेत्र में वनों के अभाव एवं सड़कों के किनारे वृक्षारोपण करने के विषय में चर्चा के लिये।

श्री महाराम चौधरी (नागौर)

42. स्थानीय एवं भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए स्थानीय उपयोगी पेड़ लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री द्वारका प्रसाद बैरवा (निवाई)

43. चरागाह विकास को वृक्षारोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत सर्वोच्च प्राथमिकता देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मंडी)

44. कोटा में वन रक्षकों के साक्षात्कार हेतु बेरोजगार युवकों को बुलाकर उनका साक्षात्कार नहीं लिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

45. कोटा जिले की लाड़पुरा तहसील में वन चौकियों के तारबीड़ों को वन अधिकारियों द्वारा बाजार में बेच दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

46. कोटा जिले में वन क्षेत्रों में वन अधिकारियों से मिलकर खोदी जा रही अवैध खदानों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

47. कोटा जिले की शाहबाद तहसील के वनों में गोंद, चिरोंजी, शहद और कत्थे का हो रहे चोरी छुपे व्यापार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हरीश शर्मा (रामगंजमण्डी)

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग)

48. प्रदेश में जंगलों की हो रही अवैध कटाई पर रोक नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

49. कोटा जिले की दरा गेम सेंक्चुरी में हो रहे निरन्तर पशुओं के शिकार एवं अवैध वृक्षों की कटाई पर कोटा के अधिकारियों द्वारा ध्यान नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये।

50. माउन्ट आबू में देलवाडा के मन्दिर के पास के वन में सागोन के पेड़ों को जलाकर, चोरी से बाजार में बेचने पर चर्चा के लिये।

51. झालावाड़ व कोटा जिले में ग्रामीण वनों की समुचित सुरक्षा नहीं किये जाने से ग्रामीण वन सूख जाने पर चर्चा के लिये।

52. झालावाड़ व कोटा जिले में तेजी के साथ हो रही वन की कटाई से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

53. डग व रामगंज मंडी तहसील में वन रक्षकों द्वारा किसानों को नाजायज परेशान करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़)

श्री भूपाल सिंह (निम्बाहेड़ा)

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन)

54. रेंज देवगढ़ जिला, चितौड़गढ़ में नाजायज गली लकड़ी की भारी मात्रा में कटाई पर चर्चा के लिये।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत (भीम)

55. राज्य में जंगलों की अन्धाधुन्ध अवैधानिक कटाई के बारे में चर्चा के लिये।

श्री हंसराज शर्मा (सवाईमाधोपुर)

श्री चुन्नीलाल (खण्डार)

56. जिला सवाई माधोपुर में वन विभाग में भ्रष्टाचार पनप रहा है उसको रोकने हेतु चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

57. वनों की अवैध कटाई से जयपुर के पहाड़ नंगे हो गये हैं जिससे होने वाली क्षति पर चर्चा के लिये।

58. वन विभाग द्वारा जयपुर स्थित गूजरघाटी, कागदीवाड़ा, छीपीवाड़ा आमेर रोड में व विभाग की भूमि पर हो रहे एनक्रोचमेन्ट को प्रोत्साहन दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामधन (लाडनू)

59. वन विभाग में पौध संरक्षण तथा पौध वितरण में हुई अनियमितता पर चर्चा के लिये।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई)

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन)

60. सरकार सोशल फोरेस्ट्री को प्रोत्साहित करने में अक्षम रही है, इस पर चर्चा के लिये।

61. सरकार अंधाधुन्ध अनुपयोगी यूकेलिप्टस के पेड़ लगाने को रोकने में अक्षम रही है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री भैरूंलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण)

62. वन विभाग द्वारा उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र में वनों की रक्षा नहीं हो रही है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमवारामगढ़)

63. वनों की अवैध कटाई रोकने व दोषी कर्मचारियों को दण्डित नहीं करने पर चर्चा के लिये।

श्री भरोसी (हिण्डौन)

श्री डालचन्द आर्यवीर (डग)

64. वन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हंसराज शर्मा (सवाईमाधोपुर)

श्री कुन्जी लाल (वामनवास)

श्री चुन्नीलाल (खण्डार)

65. सवाई माधोपुर टाईगर प्रोजेक्ट से अधिकारियों द्वारा प्रोजेक्ट के वनों की अनधिकृत कटाई–छंटाई पर चर्चा के लिये।

श्री जेठमल बरबड़ (परबतसर)

66. परबतसर में वनों का विकास नहीं करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत)

श्री उम्मेद सिंह (डीडवाना)

67. जिला बीकानेर में चरागाह भूमि पर वृक्षारोपण करने पर चर्चा के लिये।

68. राजस्थान मुख्य नहर के द्वितीय

(श्री उम्मेद सिंह)

चरण को वरसलपुर व चारणवाला शाखा वितरिका, माइनर के किनारे प्राथमिकता के आधार पर पेड़ लगाने पर चर्चा के लिये ।

69. बीकानेर डिवीजन में बढ़ते हुए रेगिस्तान को रोकने हेतु वन विभाग द्वारा शुष्क जलवायु सहन करने वाले पौधे ज्यादा संख्या में लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत)

श्री उम्मेद सिंह (डीडवाना)

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी (जैसलमेर)

70. वन विभाग द्वारा स्थानीय व्यक्तियों को सेवा में, नई नियुक्तियों में प्राथमिकता न दिये जाने पर चर्चा के लिये ।

71. वन विभाग के वृक्षारोपण कार्यक्रम द्वारा फलदार व पशुओं के चारे के लिये काम में आने वाले पौधों को लगाने पर चर्चा के लिये ।

72. बीकानेर, जैसलमेर जिले में पेड़ों की अनियमित कटाई को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)

73. वर्षों से काबिज वन भूमि से किसानों को बेदखल नहीं किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

74. पीपल्दा क्षेत्र में चल रहे कंदरा सुधार एवं पठार स्थिरीकरण योजना के अधूरे कार्य को विभाग द्वारा पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

75. पीपल्दा क्षेत्र में भूतपूर्व महाराजाओं द्वारा निर्मित चैक डेम्स स्थान स्थान पर टूट गये हैं, की मरम्मत किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

76. बूंदी में रामगढ़ गेम्स सेंक्चुरी बनाये जाने के निर्णय को स्थगित किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत)

श्री उम्मेद सिंह (डीडवाना)

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी (जैसलमेर)

77. जिला बीकानेर तथा जैसलमेर में वन और चरागाह विकास की ओर सरकार का विशेष ध्यान दिलाने के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी)

78. जयपुर जिले की पंचायत समिति बस्सी एवं चाकसू में चरागाह विकास योजनान्तर्गत पंचायतों के अधीनस्थ चरागाह भूमि का विकास कर स्थानीय पशुधन को उन्नत घास चरने के लिये उपलब्ध कराने के सन्दर्भ में चर्चा के लिये ।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (सराड़ा)

79. वन विभाग की अव्यवस्था के बारे में सराड़ा क्षेत्र के किसानों को होने वाली परेशानी पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी)

80. जयपुर जिले की पंचायत समिति बस्सी की ग्राम पंचायत तूंगा की गोचर की भूमि, जो वन विभाग में प्लान्टेशन के लिये थी, उसे वापस लौटाये जाने के सन्दर्भ में चर्चा के लिये।

81. तहसील बस्सी के रोजवाड़ी प्लान्टेशन में बबूल के अलावा छायादार एवं फलदार वृक्ष लगाने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

82. जयपुर जिले की पंचायत समिति बस्सी में पृथ्वीपुरा पहाड गढ़ एवं लालगढ़ की नंगी पहाड़ियों पर सघन वृक्षारोपण किये जाने के सन्दर्भ में चर्चा के लिये।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत)

श्री उम्मेद सिंह (डीडवाना)

83. जिला बीकानेर के कस्बा मीनासर के खेतों के पास जोहड़ बीड़ के क्षेत्र में तारबंदी नहीं होने से कृषकों में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

श्री नाथूराम (डूंगरपुर)

84. डूंगरपुर जिले में वन सम्बन्धी समस्याओं का समाधान करने में विभाग की विफलता चर्चा के लिये।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद)

85. नहरों के किनारे वृक्षावलियां लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर)

श्री चुन्नीलाल (खण्डार)

86. सवाईमाधोपुर में वन विभाग द्वारा लकड़ी कटवाने में की गई अनियमितता पर चर्चा के लिये।

श्री अमरराम चौधरी (पचपदरा)

87. पचपदरा तहसील में हजारों हिरणों व नील गायों को रखने का उचित प्रबन्ध न कराने पर चर्चा के लिये।

88. वन विभाग द्वारा पचपदरा से आगोलाई वाया माण्डपुर सड़क के दोनों ओर पेड़ लगाने के विषय पर चर्चा के लिये।

89. वन विभाग द्वारा पाटोदी से पचपदरा सड़क के दोनों ओर पेड़ लगाने के विषय पर चर्चा के लिये।

90. वन विभाग द्वारा थोब से शिव नगरी वाया देरिया सड़क के दोनों ओर पेड़ लगाने के विषय पर चर्चा के लिये।

91. पारलू से काकराला सड़क के दोनों ओर पेड़ लगाने के विषय पर चर्चा के लिये।

(श्री अमराराम चौधरी)

92. समदड़ी से कल्याणपुर सड़क के दोनों ओर पेड़ लगाने के विषय पर चर्चा के लिये।

93. बालातोरा समदड़ी डामर सडक के किनारे पेड़ लगाने के विषय पर चर्चा के लिये।

94. पारलू से थोब सडक पर पेड़ लगाने के विषय पर चर्चा के लिये।

95. पचपदरा साल्ट से परेऊ सड़क के दोनों ओर पेड़ लगाने के विषय पर चर्चा के लिये।

96. बालोतरा से उमरलाई वाया मूगड़ा सडक के दोनों ओर पेड़ लगाने के विषय पर चर्चा के लिये।

श्री माणकमल मेहता (पाली)

97. वनों का विकास एवं संरक्षण करने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री भैरूलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण)

98. वन विभाग द्वारा राष्ट्रीय मार्ग नं. 8 पर खोदे जा रहे खड्डों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

99. वन विभाग द्वारा राष्ट्रीय मार्ग पर लगाये जाने वाले वृक्षों की सुरक्षा नहीं होने पर चर्चा के लिये।

श्री भैरूंलाल (मनोहरथाना)

100. दस साल के बाद भी प्लांटेशन की भूमि में समीपवर्ती ग्रामिणों के मवेशी चरने नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

101. वन विभाग द्वारा अधिकृत प्लानटेशन मे दस साल के बाद भी समीपवर्ती ग्रामों के मवेशियों को चरने की छूट न दिये जाने पर चर्चा के लिये।

102. बंजर भूमि पर कृषकों द्वारा लगाये गये पेड़ों की विभाग द्वारा देखरेख नहीं करने पर चर्चा के लिये।

103. झालावाड़ जिले में परम्परागत काश्तकारों को सूखी जलाऊ लकड़ी का परमिट दिये जाने हेतु चर्चा के लिये।

104. बिना वृक्ष की पहाड़ियों पर कृषकों को पौधे लगाने की इजाजत देकर नये वन विकसित किये जा सकते हैं, इस पर चर्चा के लिये।

श्री भंवर लाल मेघवाल (सुजानगढ़)

105. गेम्स सैंक्चुवरी छापर के हिरणों द्वारा आसपास के कृषकों के खेतों का नुकसान करने पर उन्हें मुआवजा देने हेतु चर्चा के लिये।

श्री बंसी लाल पटवा (भीलवाड़ा)

105. वन विभाग की भूमि नला का माता जी ऊपरमाल क्षेत्र जिला चितौड़गढ़ में अतिक्रमण कर खनन कार्य करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु चर्चा के लिये।

(श्री बंसीलाल पटवा)

107. राज्य के सभी भागों में वन्य जीवों की सुरक्षा ठीक से ना करने पर चर्चा के लिये।

108. भीलवाड़ा जिले में वन विभाग द्वारा स्वयं के क्षेत्र में कार्य न करवाकर चरनोट या अन्य भूमि पर कार्य कराने पर चर्चा के लिये।

109. वनों में लकड़ी की की जाने वाली चोरियों को विभाग रोकने में असमर्थ है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री हंसराज शर्मा (सवाईमाधोपुर)

110. जिला सवाईमाधोपुर के ग्राम भगवतगढ़ के जंगल से पैसा खा कर वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा जंगल कटवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

111. जंगल में उगने वाला घास काटने का परमिट न दिये जाने पर चर्चा के लिये।

112. गत सालों में वन विभाग द्वारा काश्त करने वालों को काश्त करने को उपयोग में आने वाली लकड़ी का परमिट दिया जाता था वह बन्द कर दिया है, उसे चालू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

113. सवाईमाधोपुर के जंगल में तेन्दू का पत्ता तुड़ाने में हजारों रुपये का गोलमाल करने पर चर्चा के लिये।

114. टाईगर प्रोजेक्ट सवाईमाधोपुर की बाउण्ड्री पर तारबंदी करने हेतु चर्चा के लिये।

115. नाका उलियाना, नाका खिलच्ची पर के क्षेत्र में वन विभाग के उच्च अधिकारी द्वारा हजारों हरे वृक्षों को कटवा कर हजारों रुपये की राशि हड़प जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री भैरूंलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण)

116. बहुत से स्थानों पर पंचायतों में प्रभावशाली लोगों ने चरणोट भूमि पर कब्जा कर रखा है उस पर उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर)

117. वन विभाग के अन्तर्गत पलासार बराल एवं शाश्र में की गई बाड़ाबन्दी खोलने एवं नई बाड़ाबन्दी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

118. सड़कों के दोनों ओर वृक्षारोपण कार्यक्रमों में होनी वाली अनियमितता एवं भ्रष्टाचार को समाप्त करने पर चर्चा के लिये।

119. वन विभाग के द्वारा पारम्परिक लकड़ी के पेड़ जैसे खेजड़ा आदि के विकास पर ध्यान नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

120. राज्य में वन–सम्पदा से होने वाली आय अन्य राज्यों की तुलना में बहुत कम होने के कारणों पर चर्चा के लिये।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

121. पहाड़ी क्षेत्र में वन विस्तार हेतु हवाई जहाज से बीजारोपण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

122. सीकर स्थित वन विभाग की जमीन पर (बड़े तालाब के पास) हिरण एवं नील गाय का अभयारण्य बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

123. वनों में जलाऊ लकड़ी एवं कोयले की अवैध कटाई एवं निकासी से होने वाली हानि पर चर्चा के लिये।

124. वनों में बढ़ते जा रहे अवैध शिकार पर प्रतिबन्ध लगाने तथा नये अभयारण्य बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

125. सीकर विधान सभा क्षेत्र के साकम्भरी–माता क्षेत्र एवं लोहार्गल परिक्रमा क्षेत्र में अभयारण्य बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

126. स्थानीय कागदीवाडा, छीपीवाड़ा, गूजर घाटी की पहाड़ों की वन विभाग की भूमि में किये जा रहे कब्जों को रोके जाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा)

127. वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा पशु चराने पर रोक पर चर्चा के लिये।

128. वनों को बढ़ाने के लिये ग्रामीणों को शामिल कर उनके अनुभवों से वनों का लाभ उठाये जाने पर चर्चा के लिये।

129. आदिवासियों को वनों से लकड़ी ले जाने पर रोक लगादी है, इस पर चर्चा के लिये।

130. वन विभाग के अधिकारियों द्वारा वनों की कटाई की जा रही है, इस पर चर्चा के लिये।

131. आदिवासियों का अधिकार वनों वनों पर से छीना जा रहा है, इस पर चर्चा के लिये।

132. वन विभाग द्वारा ग्रामीणों के विरुद्ध कोर्ट और विभाग में केस दर्ज करा उन्हें परेशान किया जाने पर चर्चा के लिये।

133. कोटड़ा, गोगुन्दा, झाडोल और कुम्भलगढ़ इलाके में वन विभाग की जमीन पर पुराने अनधिकृत कब्जे नियमन करने पर चर्चा के लिये।

134. आदिवासी इलाकों में खेतों व मकान के पास जंगलात बाउन्ड्रीवाल बनाने पर चर्चा के लिये।

135. गेम सेंक्चुरी में आये और आस-पास के ग्रामीणों को पैतृक हक–हकूक दिये जाने पर चर्चा के लिये।

136. क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा आदिवासियों को अकारण परेशान करने पर चर्चा के लिये।

(198)

(श्री मेघराज तावड़)

137. वन उपज का आदिवासियों को पूर्व की भांति स्वतंत्र बेचान के अधिकार दिलाने हेतु चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा(जयपुर ग्रामीण)

138. प्रत्येक किसान को वर्ष में कम से कम पांच पेड़ लगाने हेतु प्रोत्साहित करने के कारगार उपाय किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

139. वनों से उत्पन्न होने वाली ईंधन की लकड़ी को कोयला योजना के नाम पर काट कर वनों को नष्ट होने से रोकने के लिये आवश्यक कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

140. राजस्थान में जंगलात की भूमि पर अतिक्रमण को रोकने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये।

141. वन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

142. वनों को क्षति पहुंचाने वाले व्यक्तियों को कारावास की सजा दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

143. वन विभाग की वर्तमान नीति अलाभप्रद होने से उत्पन्न अव्यवस्था तथा कठिनाइयों पर चर्चा के लिये।

144. राज्य सरकार द्वारा जैसलमेर व बाड़मेर जिले की सीमावर्ती क्षेत्र में एरिडजोन में लाखों रुपये व्यय करने के उपरान्त भी वृक्षारोपण कार्यक्रम में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

145. बाड़मेर जिले में वन विभाग द्वारा राणीगांव, बैसाला जूना बालेरा और आरा में पहाड़ों पर जो फोरेस्ट एरिया तय किया गया है वह बहुत ही विस्तृत जिससे आस-पास के गांवों को मवेशी चराने में बड़ी कठिनाई होती है, इस पर चर्चा के लिये।

146. वन विकास, घास विकास व फोडर बैंक्स की स्थापना हेतु सरकार द्वारा उचित कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये।

147. वन सम्पदा के संरक्षण तथा आदिवासियों को वन सम्पदा का उचित मूल्य प्राप्त हो, इसकी आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

148. वनों का क्षेत्रफल घटने के कारण को जानते हुए भी वन विभाग द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने पर चर्चा के लिये।

149. वन विभाग द्वारा लगाए गए पेड़ों की देखभाल की उचित व्यवस्था न होने से वनों में हो रहे नुकसान को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

150. किसानों को स्वयं के काम में लेने हेतु लकड़ी लाने-ले जाने बाबत वन विभाग वाले किसानों को परेशान करते हैं, इस पर चर्चा के लिये।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

151. अवैज्ञानिक ढंग एवं बेतरकीब से वनों की गई कटाई से उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा के लिये।

152. वन विभाग के एरिया में मवेशी के घुस जाने पर वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा मवेशी मालिकों को परेशान करने पर चर्चा के लिये।

153. वन विभाग के एरिया में गांव वालों के मवेशियों को पैसे लेकर वन विभाग के गार्ड चराई की छूट देते हैं, इस पर चर्चा के लिये।

154. राजस्थान में वनों की हालत सुधारने बाबत अधिक कारगर उपाय किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

155. वनारोपण की योजनाओं में फर्जी मस्टररोल भर कर वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा किये जाने वाले भ्रष्टाचार को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

156. वनारोपण की योजनाओं में कार्यरत मजदूरों को उचित मजदूरी दिलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

157. ग्राम पचायतों के अधीनस्थ चरागाहों के विकास हेतु वन विभाग द्वारा सुविधा उपलब्ध नहीं कराने के विषय में आवश्यक कार्यवाही की जाने पर चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक)

158. निवाई क्षेत्र में बालू रेत के टीलों पर वृक्षारोपण कार्यक्रम तेजी से चलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

159. निवाई क्षेत्र में पहाड़ के पास रेत के टीबों की वर्षा के पानी से कटाई को पेड़ लगाकर रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

160. वन विभाग की राजकीय व्यापार योजना के अन्तर्गत वन उपज के मूल्य का स्थिरीकरण करने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

161. टोंक जिले में वन विभाग द्वारा उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर लकड़ी का कोयला उपलब्ध नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति एवं जन-असंतोष पर चर्चा के लिये।

162. टोंक जिले में विद्यालय पौधशालायें कार्यक्रम की विफलता पर चर्चा के लिये।

163. टोंक जिले में फार्म फोरेस्ट्री कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषकों एवं अन्य व्यक्तियों को अपने खेतों पर पेड़ लगाने हेतु निःशुल्क पौधों का वितरण नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

164. टोंक जिले में सड़कों के किनारे वृक्षावली वृक्षारोपण कार्यक्रम की शिथिलता पर चर्चा के लिये।

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

165. टौंक जिले की वृक्ष विहीन पहाड़ियों पर पुनरारोपण कार्यक्रम की असफलता पर चर्चा के लिये।

166. टौंक जिले में पंचायत भूमि चरागाह एवं पड़त भूमि पर वृक्षारोपण कार्यक्रम नहीं चलाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

167. टौंक जिले में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम की विफलता पर चर्चा के लिये।

168. मरु विकास कार्यक्रम सही ढंग से नहीं चलाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

169. टौंक जिले में वन क्षेत्रों में होने वाले ह्रास को रोकने में विफलता पर चर्चा के लिये।

170. टौंक जिले में सामाजिक सुरक्षा पौध वितरण कार्यक्रम में हुई अनियमितता से उत्पन्न स्थिति एवं रोष पर चर्चा के लिये।

171. टौंक जिले में ग्रामीण ईंधन वृक्षारोपण कार्यक्रम को विफलता पर चर्चा के लिये।

172. टौंक जिले में बागान योजना की विफलता पर चर्चा के लिये।

173. टौंक जिले में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की विफलता पर चर्चा के लिये।

174. टौंक जिले में चरागाह विकास कार्यक्रम की विफलता पर चर्चा के लिये।

175. टौंक जिले में सघन वन प्रबन्ध कार्यक्रम की विफलता पर चर्चा के लिये।

176. टौंक जिले में उपलब्ध कृषि भूमि एवं पड़त भूमि पर वृक्षारोपण कार्यक्रम नहीं चलाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

177. टौंक जिले में पर्यावरण सन्तुलन एवं प्राकृतिक संतुलन कार्यक्रम में असफलता पर चर्चा के लिये।

178. टौंक जिले में वनों को वैज्ञानिक दोहन नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

179. टौंक जिले वनों एवं वन्य जीवों का संरक्षण एवं विकास कार्य में शिथिलता एवं उपेक्षा पूर्ण रवैये से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

180. टौंक जिले में वन विकास की आयोजना में विफलता पर चर्चा के लिये।

181 टौंक जिले में वन नीति की क्रियान्विति में असफलता पर चर्चा के लिये।

182. टौंक जिले में प्रभावशाली व्यक्तियों का चरागाह भूमि पर अतिक्रमण

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

को नहीं हटाने से उत्पन्न रोष पर चर्चा के लिये ।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा)

183. नाथद्वारा नगर की नगर-पालिका क्षेत्र में 1967 से पूर्व आवादी क्षेत्र को वाद में वन में दर्ज करने से आवादी क्षेत्र में विस्तार से होने वाली कठिनाई की चर्चा के लिये ।

184. नाथद्वारा विधान सभा क्षेत्र में चरागाह भूमि पर प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा कब्जा करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

185. उदयपुर संभाग में वनों की अवैध कटाई को रोकने के लिये प्रभावी कदम उठाने की चर्चा के लिये ।

186. मचींद गांव में 1971 से पूर्व आदिवासियों द्वारा खेती की जाने वाली जमीन को वन क्षेत्र में घोषित करने से उत्पन्न स्थिति की चर्चा के लिये ।

187. नाथद्वारा तहसील क्षेत्र में लकड़ी की अवैध कटाई को रोकने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये ।

श्री जीतमल जैन (अलवर)

188. वनों की अन्धाधुन्ध कटाई के संबंध में चर्चा के लिये ।

189. वन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा के लिये ।

190. ग्राम मूंगसका अलवर में वन विभाग की जमीन पर नाजायज कब्जों के संबंध में चर्चा के लिये ।

191. राजगढ़ (अलवर) में वनों की नाजायज कटाई के संबंध में चर्चा के लिये ।

192 अलवर जिले में विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा के लिये ।

193. अलवर में वन विभाग द्वारा लकड़ी का डिपो बन्द कर देने के संबंध म चर्चा क लिये ।

194. गेम सैंक्चुरी सरिस्का के आस पास गांवों के पशुओं की चराई के लिये चरागाह क्षेत्र का अभाव पर चर्चा के लिये ।

195. गेम सैंक्चुरी सरिस्का में विभाग द्वारा रा. एरिया व वक्फ एरिया का सीमांकन न होने के संबंध में चर्चा के लिये ।

196. गेम सैंक्चुरी सरिस्का के बीच में से 300 परिवार को हटाये जाने के नोटिस जारी करने से उत्पन्न असन्तोष के संबंध में चर्चा क लिये ।

197. राजगढ़, थाना गाजी, मालाखेड़ा (जिला अलवर) में गैर मुमकिन पहाड़ियों को जंगलात क्षेत्र में लेने से उन गांवों के पशुओं के लिये उत्पन्न चराई की समस्या पर चर्चा के लिये ।

(श्री जीतमल जैन)

198. गेम सैंक्चुरी सरिस्का में निवास कर रहे पशुओं द्वारा आस पास के क्षेत्र की खेती को नष्ट करने से व्याप्त असंतोष के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद)

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग)

श्री छीतरलाल आर्य (अटरू)

199. झालावाड़ व कोटा जिले में रोड़ साइड प्लान्टेशन के तहत जो वृक्षारोपण किया गया था उसकी देखभाल करने में विभाग असमर्थ रहा है, इस पर चर्चा के लिये।

200. झालावाड़ व कोटा नगर में स्थित वन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद)

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)

श्री छीतरलाल आर्य (अटरू)

201. कोटा जिले के लाडपुरा तहसील स्थित रेंज लाडपुरा में क्लोजर व प्लान्टेशन केसराकूटा (जगपुरा) वृक्षारोपण हेतु पूरे गड्ढे न खुदवाकर वृक्ष लगाने पर चर्चा के लिये।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद)

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग)

श्री छीतरलाल आर्य (अटरू)

202. रावतभाटा क्षेत्र में तेजी से वनों के हो रहे विनाश पर चर्चा के लिये।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद)

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)

श्री छीतरलाल आर्य (अटरू)

203. कोटा जिले में वन विभाग में फर्जी मस्टररोल के आधार पर लाखों रुपया गबन करने के संबध में चर्चा के लिये।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद)

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग)

श्री छीतरलाल आर्य (अटरू)

204. झालावाड़ व कोटा जिले में वनों की अवैध कटाई को विभाग रोकने में असमर्थ रहा है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व)

205. जोधपुर स्थित राजकीय वन भूमि को नगर सुधार न्यास, जोधपुर द्वारा अनधिकृत व अनियमित रूप से मैसर्स हिन्दुस्तान पैट्रोलियम को आवंटन कर देने पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी)

206. ग्राम कोटखावदा तहसील चाकसू के चरागाह भूमि की पंचायत द्वारा अवैध रूप से की गयी बिक्री के संदर्भ में चर्चा के लिये ।

207. चीता परियोजना रणथम्भौर में विभाग द्वारा चीतों की सही गणना नहीं करने एवं अनुमानित आधार पर संख्या बताने के संदर्भ में चर्चा के लिये ।

208. ग्राम पंचायत तूंगा (बस्सी) की चरागाह भूमि का वन विभाग द्वारा चरागाह के रूप में विकास करने व वृक्षारोपण के उपरान्त पंचायत को वापस लौटाये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये ।

209. वन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण प्रतिदिन लकड़ी ठेकेदारों द्वारा अवैध रूप से जयपुर शहर में लाई जाने के सन्दर्भ में चर्चा के लिये ।

210. किसान को स्वयं के खेत में पैदा किये वृक्ष को काट कर उचित दामों में बेचने हेतु टी.पी. नहीं देने पर चर्चा के लिये ।

211. किसानों को वृक्षारोपण के लिये प्रोत्साहित करने एवं उपभोक्ताओं को सस्ती लकड़ी उपलब्ध कराने हेतु नये वृक्ष लगाये जाने हेतु चर्चा के लिये ।

212. जयपुर जिले में कानोता से सांभरिया, बस्सी से तूंगा, बस्सी से देवगांव एवं बासखोह से लवाण सड़क के दोनों ओर वृक्ष लगाये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये ।

213. तहसील बस्सी में दूबलो सिंचाई बंध के झरने के पानी के बहाव का उपयोग करने हेतु नदी के दोनों ओर ग्राम भूडला तक यूकलेप्टिस के पौधे लगाये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये ।

214. पंचायत समिति बस्सी एव चाकसू की नंगी पहड़ियों पर एवं पंचायतों के अधीनस्थ चरागाह भूमि में सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम अपनाये जाने के संदर्भ मे चर्चा के लिये ।

212. राज्य में वन विभाग व अन्य संस्थाओं द्वारा हर वर्ष वृक्षारोपण के दिये गये के आंकड़ों का सत्यापन किये जाने व वृक्षारोपण के बाद कितने पौधे लगे इसका मूल्यांकन किये जाने हेतु पंचायत समिति स्तर पर समिति का गठन किये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये ।

116. प्रत्येक विद्यालय प्रागंण में आबादी भूमि में एवं सार्वजनिक स्थानों पर वन विभाग द्वारा पौधे लगाय जाकर उत्साही लोगो को उन लगाये गये पौधों को गोद लेकर उसके पालने व देखरेख की जिम्मेदारी दिये जाने के संदर्भ मे चर्चा के लिये ।

217. राज्य मे वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने एवं पंचायतों में उपलब्ध चरागाह भूमि का विकास करने एवं वृक्षारोपण करने हेतु प्रत्येक पंचायत

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)

समिति में एक वन प्रसार अधिकारी नियुक्त किये जाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री हरि सिंह (कुम्हेर)

218. कुम्हेर विधान सभा क्षेत्र में सड़कों के किनारे वृक्ष लगाने के कार्यक्रम को बढ़ाने व गति में वृद्धि लाने की आवश्यकता वृद्धि इस पर चर्चा के लिये।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद)

श्री छीतरलाल आर्य (अटरू)

219. जयपुर स्थित जू (जन्तु आलय व चिड़ियाघर) की दुर्दशा के संबंध में चर्चा के लिये।

220. कोटा जिले में जो वन विभाग द्वारा नर्सरी हेतु कार्य किया जाता है उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा के लिये।

221. बोरावास व आलनिया क्षेत्र मे तेजी से काटे जा रहे वन की सुरक्षा न कर पाने के संबंध में चर्चा के लिये।

222. कोटा जिले में सुल्तानपुर क्षेत्र में लगाई गयी नर्सरी गोकुलपुरा व प्लान्टेशन को समाप्त होने से न रोक पाने के संबंध में चर्चा के लिये।

223. दरा गेम्स सैंक्चुरी के नष्ट होने व साथ ही उसमें जानवरों के शिकार को न रोक पाने के संबंध में चर्चा के लिये।

224. कोटा जिले के धुलेट ग्राम पचायत क्षेत्र में काफी पुराने चन्दन के वृक्षों को काट कर ले जाने व विभाग द्वारा कोई कार्यवाही न करने पर चर्चा के लिये।

225. कोटा जिले में रोड साइड प्लान्टेशन के कार्य को समाप्त प्रायः कर देने के संबंध में चर्चा के लिये।

226. कोटा जिले की सुल्तानपुर पंचायत समिति क्षेत्र के खेड़ली घाटा में किसानों की जमीन को प्लान्टेशन में लेने व उनका मुआवजा तक न देने के संबंध में चर्चा के लिये।

227. कोटा जिले में पूर्व में प्रारम्भ किए गये रोड साइड प्लान्टेशन से कार्य में लाई एंगिल आयरन के चोरी हो जाने व काटकर ले जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

228. कोटा नगर में स्थित जंतुशाला की दुर्दशा एवं उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा के लिये।

229. राज्य में वृक्षारोपण कार्यक्रम में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत)

230. राजस्थान नहर क्षेत्र की अनुपयोगी भूमि पर वनारोपण करने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

231. पश्चिमी राजस्थान में स्थानीय

(श्री देवीसिंह भाटी)

लोगों के स्वास्थ्य-अनुरूप पेड़ पौधे लगाने के अन्वेषण के औचित्य पर चर्चा के लिये।

232. राजस्थान मुख्य नहर की बाईं ओर दो किलोमीटर क्षेत्र में चरागाह वन लगाया जा रहा है इसके औचित्य पर चर्चा के लिये।

233. पश्चिमी राजस्थान व राजस्थान नहर क्षेत्र में सू–बबूल पौधों को हिरणों द्वारा नष्ट करने से बचाने के औचित्य पर चर्चा के लिय।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत)

श्री उम्मेद सिंह (डीडवाना)

234. राजस्थान नहर उपनिवेशन क्षेत्र को जिला बीकानेर के गांव अमरपुरा, अंगनेऊ, बांगड़सर, बज्जू, फूलासर, गांधी गोगड़ियावाला के किसानों की भूमि वन लगाने के लिये अवाप्त करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 8 एवं 9 पर विचार

श्री सभापति : श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी) माननीय सभापति महोदय, मैं सर्वप्रथम राजस्व की मांग और दूसरे नम्बर पर वन विभाग की मांग पर अपने विचार प्रगट करना चाहूंगा।

राजस्थान में राज्य सरकार ने किसानों की समस्या का निराकरण करने के लिए 'प्रशासन गांवों की ओर' कार्यक्रम चलाया। निश्चित रूप से गांवों के स्तर पर काफी समस्याओं का निदान हुआ है। उसके लिए मैं माननीय वन मन्त्रीजी को और माननीय राजस्व मन्त्रीजी को बधाई देना चाहता हूं। लेकिन 'प्रशासन गांवों की ओर' जैसे प्रभावी कार्यक्रम में जहां कहीं भी हमें कमियां महसूस हुई हैं तो हमें उन बातों पर भी विचार करना होगा ताकि आगे जब इस प्रकार का कार्यक्रम हो तो उसमें इस प्रकार की रुकावट या आने वाली दिक्कतों का हम समय पर ही निराकरण कर सकें। माननीय सभापति महोदय, 'प्रशासन गांवों की ओर' कार्यक्रम भली भांति चला, उसमें सरकारी अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, प्रतिनिधियों ने मौके पर जाकर समस्याओं का निराकरण करने का प्रयत्न किया। उसके बावजूद भी कुछ ऐसी समस्यायें हैं जिनका निपटारा मौके पर नहीं हो सका। उन समस्याओं को मद्दे नजर रखते हुए भविष्य में अगर कोई कार्यक्रम निर्धारित किया जाय तो उन समस्याओं के बारे में हमें निर्णय लेना होगा।

(व्यवधान)

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, चर्चा न करें आपस में।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी : माननीय सभापति महोदय, 'प्रशासन गांवों की ओर' कार्यक्रम के अन्तर्गत जिन काश्तकारों ने पत्थरगढ़ी की दरख्वास्त दी उनका निर्णय

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)

मौके पर नहीं हो सका। मुझे पता नहीं, कानूनी क्या अड़चन थी लेकिन ऐसे मसलों का निर्णय मौके पर नहीं लिया जा सका। दूसरा आम रास्तों पर जो अतिक्रमण थे वह मामले मौके पर नहीं निपटाये गये, केवल दरख्वास्त ले ली गई। या तो उनके पास इतना समय नहीं था कि मौके पर जाकर सभी समस्याओं का निराकरण कर सकें और आम रास्तों पर अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही एक दिन में पूरी कर लें। मैं इस सन्दर्भ में माननीय राजस्व मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि भविष्य में जब भी 'प्रशासन गांवों की ओर' कार्यक्रम प्रारम्भ करे उससे पहले आप ऐसे मसलों पर विचार करें ताकि 'प्रशासन गांवों की ओर' कार्यक्रम में गांवों की समस्याओं का निराकरण मौके पर हो सके और हमारा कार्यक्रम प्रभावी रूप से लागू हो सके।

इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि सीमा सम्बन्धी विवाद के मामलों में भी मौके पर कार्यवाही नहीं हो सकी। आबादी विस्तार के जो प्रस्ताव 'प्रशासन गांवों की ओर' कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त हुए उसमें दो बीघा तक के अधिकार उस समय जिलाधीशजी को थे, जिला स्तर पर जिन्हें निपटाना था वह जिला स्तर पर भी निपटाये गये, राज्य सरकार के स्तर पर भी निपटाये गये लेकिन आबादी विस्तार के जब जब भी राजस्व अभियान चले, हर पंचायत ने आबादी विस्तार के प्रस्ताव दिये हैं उन प्रस्तावों का निपटारा मेरे ख्याल से अभी पचास प्रतिशत तक हुआ है। मेरा यह निवेदन है कि 'प्रशासन गांवों की ओर' कार्यक्रम के अन्तर्गत पहले से ही अधिकार सम्बंधित एस. डी. ओ. या जिस प्रभारी अधिकारी को लगायें उसको दे दिये जायें तो उनका मौके पर निराकरण हो सकता है। मौके पर निराकरण नहीं होने से पंचायतों को इसमें काफी परेशानी होती है और साल साल भर, दो-दो साल इस मामले में समय व्यतीत हो जाता है और पंचायतें ग्रामवासियों को आवासीय भूखण्ड नहीं दे पातीं।

'प्रशासन गांवों की ओर' कार्यक्रम के अन्तर्गत एक समस्या मेरे सामने और उपस्थित हुई। एक जिन्दा है उसको मृत बताकर आज से छः सात साल पहले वहां के सरपंच ने, पटवारी ने, नायब तहसीलदार ने नामान्तरण खोल दिया। वह व्यक्ति आज भी जिन्दा है और यह मांग करता है कि मेरी जमीन मेरे नाम होनी चाहिये। मुझे गलत मृत बता करके मेरा नामान्तरण खोला है। कानून में क्या प्रावधान है इसके बारे में, मैं नहीं जानता लेकिन मैं इतना जरूर समझता हूं कि उसको न्याय मिलना चाहिये। ऐसा न हो कि उसमें पांच-सात साल लग जाये, वह व्यक्ति मर जाय उसके बाद में कार्यवाही हो। जीवित को तो पटवारी ने मार दिया पहले, अब वह न्याय प्राप्त किये बिना मर जाता है तो मैं समझता हूं यह गलत परम्परा होगी। यदि कहीं राजस्थान सरकार को कानून में संशोधन भी करना पड़े तो करना चाहिये। वैसे भी राजस्थान

(श्री जगदीशप्रसाद तिवाड़ी)

अपने भूमि सुधार कानून के अन्तर्गत देश में अग्रणी राज्य रहा है, उसका श्रेय कांग्रेस को जाता है। मेरा यह निवेदन है कि कानून में अगर कहीं संशोधन की आवश्यकता नहीं हो तो इस मामले को किसी भी प्रकार से बिना विलम्ब के निपटाया जाना चाहिये। वह व्यक्ति जो 42-45 बीघा जमीन का काश्तकार था आज उस जमीन की कीमत 5 लाख रुपये है। एक दूसरा व्यक्ति उसको मृत बताकर मालिक बन जाता है, पटवारी उसका नामान्तरण खोल देता है, नायब तहसील-दार उसको तस्दीक कर देता है और वह भूमिहीन की श्रेणी में गरीब बन करके न्याय के लिए भीख मांगता फिर रहा है। मैं समझता हूं, राजस्व मन्त्रीजी अपने स्तर पर इस मामले को देखेंगे और निपटाने की चेष्टा करेंगे।

दूसरा, मैं राजस्व मन्त्रीजी को इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरा क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा इलाका है और बरसात के दिनों में चाकसू तहसील से उसका सम्पर्क टूट जाता है, उसमें कोटखावदे में आपने सब तहसील हैडक्वा-र्टर खोला, उसके लिए मैं बहुत-बहुत आभारी हूं। इतना सा निवेदन जरूर है कि सब तहसील हैडक्वार्टर खोलने के बाद में आज वहां मकान की कठिनाई है। वहां एक ग्राम सेवक भवन छोटा सा था उसमें आज सब तहसील चल रही है। मेरा यह निवेदन है कि आप इसी वित्तीय वर्ष में सब तहसील हैडक्वार्टर के लिए भवन-निर्माण की स्वीकृति दें ताकि हम ज्यादा लाभान्वित हो सकें।

दूसरा मेरा एक निवेदन है कि जयपुर ही नहीं, बल्कि अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर जिले के किसानों को सस्ता और शीघ्र न्याय दिलाने के लिए जयपुर में राजस्व मण्डल की खण्डपीठ स्थापित की जानी चाहिये। आज हमारी सरकार का ध्येय सस्ता और जल्दी न्याय दिलाने का है। अगर राजस्व मण्डल के सदस्यों में वृद्धि करने की भी आवश्यकता हो तो वृद्धि की जानी चाहिये ताकि वर्षों से विचाराधीन मामलों का निपटारा समय पर हो सके, किसानों को सस्ता न्याय मिल सके। यह मेरा दूसरा निवेदन है।

एक मैं निवेदन करना चाहता हूं, संयुक्त खातेदारी में यदि हिस्सा दर्ज है तो उससे सरचार्ज वसूल नहीं होता है और संयुक्त खातेदारी में यदि हिस्सा दर्ज नहीं है, एक बाप के दो बेटे हैं तो उनसे सरचार्ज वसूल होता है। एक दोहरी नीति है। मेरा इस सन्दर्भ में विनम्र निवेदन है कि आप इस मसले को हर दृष्टिकोण से देखें। यदि संयुक्त खातेदारी में कोई हिस्सा दर्ज भी नहीं है और उसका कोई हिस्सा है तो उससे सरचार्ज वसूल नहीं किया जाना चाहिये।

सभापति महोदय, मैं राजस्व मन्त्री जी, से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जयपुर जिले में सैटलमेन्ट पूरा नहीं हुआ है। अभी कुछ तहसीलों में सैटलमेन्ट होना बाकी है। मेरी जानकारी के अनुसार जयपुर जिले में कुओं के सिवाय सिंचाई

(२०८)

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)

के और कोई साधन नहीं हैं कुओं से जो सिंचाई होती है वह महंगी होती है बनिस्पत नहरों के। यहां पर, सभापति महोदय, सिंचाई की लगान की दरें स्टेट के टाइम से ही ज्यादा हैं। उसके बाद में कभी भी कोई संशोधन इन दरों में नहीं हुआ है। मैं राजस्व मन्त्री जी से इस सदर्भ में यह निवेदन करना चाहूंगा कि दूसरे जिले में जिस तरह से लगान है उसी के अनुसार आप जयपुर जिले में लगान की दरें रखें। जयपुर जिले में स्टेट के टाइम से ही दूसरे जिलों से अधिक है इसलिए मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इन दरों को कम करने के प्रयास करें।

मेरा एक निवेदन यह है कि जयपुर नगर परिषद की दस मील की परिधि में मेरे निर्वाचन क्षेत्र बस्सी में करीब तीन हजार बीघा जमीन सिवाय चक पड़ी हुई है। उस सिवाय चक जमीन पर अनधिकृत कब्जा करके लोग काबिज हैं इसलिए उस जमीन का जो उपयोग हम गरीबों के हित में करना चाहते थे वह नहीं कर पा रहे हैं। जमीन को गरीब भूमिहीन लोगों को बांट दिया जाना चाहिये। जब हम भूमिहीन गरीब लोगों को भूमि बांटना चाहते हैं तो भूमि उनको बांट देनी चाहिये। जयपुर नगर परिषद की सीमा, दस मील की परिधि में कई क्षेत्र ऐसे मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हैं जहां आज ही नहीं आगे सौ साल बाद भी कोई आबादी नहीं होगी। इस सिवाय चक जमीन पर अनधिकृत रूप से लोग जो कि समर्थ हैं, कब्जा किये हुए बैठे हैं। उस जमीन का उन लोगों से कब्जा छुड़वाकर भूमिहीनों में बांट दी जाए। मेरा निवेदन है कि राजस्व मन्त्री जी इस पर भी विचार करें।

मेरा यह भी निवेदन है कि जो जमीन आबादी के लिए उपयुक्त नहीं है वह जमीन भी राज्य सरकार उन भूमिहीन को बांट दे। इसके अलावा मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बडेरा और पंडासोली में जयपुर दरबार की सीलिंग में आई करीब तीन हजार बीघा जमीन है। उस तीन हजार बीघा पर स्टे आर्डर है, उसका अलाटमेन्ट नहीं हो सकता है यह कह कर उसका अलाटमेन्ट नहीं किया जा रहा है। और वह बेकार पड़ी हुई है। मेरा विधान सभा में इस के बारे में मेरा एक प्रश्न भी था उसके उत्तर के साथ जो मुझे सूची दी गई थी उसके अनुसार बड़वा और पड़ासोली की जमीन के मामले में कोई कोर्ट का स्टे भी नहीं आया हुआ है और किसी भी कोर्ट या न्यायालय में कोई केस उसके सम्बन्ध में विचाराधीन नहीं है। इस संदर्भ में राजस्व मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वह अपने स्तर पर इस मामले को निपटायें। अगर इसमें किसी कोर्ट से स्टे नहीं हो तो वह जमीन भूमिहीनों को बांट दी जाए, ऐसी व्यवस्था मन्त्री महोदय करने का श्रम करें।

एक चरागाह की जमीन के बारे में, सभापति महोदय, थोड़ा निवेदन करना चाहूंगा कि चरागाह भूमि पर लोग अतिक्रमण करते हैं यह प्रथा काफी वर्षों से प्रचलित है। प्रभावशाली लोग होते हैं वह लोग चरागाह की जमीन पर

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)

कब्जा कर लेते हैं और उस पर काश्त भी करते हैं । सभापति महोदय, यह कोई जयपुर तहसील या मेरे क्षेत्र की ही बात हो वह बात नहीं है, यह तो जनरल प्रश्न है कि लोग चरागाह की जमीन पर कब्जा कर लेते हैं । उनसे सख्ती से निपटना चाहिए । पर इसका दूसरा पहलू और भी है, वह पहलू यह है कि जिन लोगों ने चरागाह भूमि पर कब्जा वर्षों से कर रखा है उनका यह कब्जा निरन्तर चला आ रहा है । अगर उसका राज्य सरकार की नीति के अनुसार नियमन हो सकता है तो वह जमीन उन लोगों को आवंटित कर देनी चाहिए ।

एक बात और है । सभापति महोदय, अनुसूचित जाति के लोगों की जमीन सवर्ण के नाम पहले कभी दर्ज हो गई तो उस मामले में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति के लोगों की अगर कोई जमीन हो तो वह जमीन वापस उसी को मिलनी चाहिए जिसकी खातेदारी पहले थी । अब हुआ क्या है कि प्रभावशाली लोग प्रशासनिक अधिकारियों से मिल कर नीचे के स्तर पर उस जमीन को अपने नाम करा लेते हैं । उदाहरण के तौर पर आपको निवेदन करना चाहूंगा कि मेंहदीपुर के बाला जी के महन्त श्री किशोरगिरी ने खसरा नम्बर 377 उदयपुरिया में एक मीणा की जमीन अपने नाम करा ली । वह जमीन बाद में किसी तीसरे आदमी को बेच दी । तो ऐसे मामले में मेरा निवेदन है कि वह जमीन अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति के उन लोगों को दी जानी चाहिए जिसकी की वह जमीन है । यह तो मैंने एक ही मिसाल दी है, ऐसे केसेज तो बहुत से हो सकते हैं । मैं यहां पर उनका उल्लेख करना नहीं चाहता हूं लेकिन जो जमीन इस प्रकार की है उसके लिए इस प्रकार की व्यवस्था हो कि वह जमीन उन्हीं लोगों को दिलाई जाये । इसके ऊपर भी मन्त्री महोदय विचार करें ।

(5. 14 म. प.)

[श्री हरीसिंह (कुम्हेर), सभापति, पीठासीन]

एक यह निवेदन है कि विरासत के मामलों में जो नामान्तरण होता है उसके लिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि चाकसू तहसील में जब राज्य सरकार की ओर से 'प्रशासन गांवों की ओर' कार्यक्रम चला था उस समय मैंने स्वयं देखा कि पटवारी और गिरदावर ने अपने स्तर पर काश्तकारों को उनकी लड़कियों के नाम जमीन दर्ज करने के लिये काफी डरा और धमका कर उनसे पैसा ऐंठना चाहा था । जब इस बात का पता जिलाधीश और उप जिलाधीश को लगा तो उनकी सतर्कता के कारण तहसीलदार उस काम में सफल नहीं हो सका । पर यह बात निश्चित है कि राज्य सरकार की इसके बारे में नीति निर्धारित की हुई होनी चाहिये । जहां तक हो सके काश्तकारों की लड़कियों के नाम उनकी सहमति हो तो ही दर्ज की जावे । लड़की ससुराल रहती है, सरकार से

(श्री हरिसिंह)

ऋण लेना होता है, बेचारी लड़की को ससुराल से ऋण के कागजों पर दस्तखत करने आना पड़ेगा, अनावश्यक उसे परेशानी होगी। इसलिये विरासत के मामले में जब तक लड़की खुद ही नहीं चाहती हो, किसी की लड़की या बहन जब तक नहीं कहे तब तक उसका नाम दर्ज नहीं कराया जाना चाहिये। यदि वह स्वयं चाहे तो ही उसका नाम दर्ज हो। नहीं तो होता क्या है कि पटवारी, तहसीलदार अपने स्तर पर लड़कियों के नाम दर्ज करने के लिये काश्तकारों को डराते हैं और उनसे पैसा ऐंठते हैं। इसके लिये मेरा यह निवेदन है कि प्रशासन इसको गंभीरता से सोचे, इस सन्दर्भ में अगर कोई नीति निर्धारित हो सकती हो तो कोई रास्ता निकाले। नहीं तो भ्रष्टाचार को रास्ता मिलता है। नामान्तरण के मामले में राज्य सरकार की नीति निर्धारित की हुई होनी चाहिये कि दो या तीन महीने के अन्दर अन्दर नामान्तरण के मामले में उत्तराधिकारी जो भी होगा उसका नाम लिख दिया जायेगा। आज स्थिति यह है कि एक आदमी को मरे हुए कई वर्ष हो गये पर आज 10 – 10 और 15 – 15 वर्ष बीत जाने पर भी उसके नाम का नामान्तरण नहीं किया। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार की व्यवस्था हो कि अनावश्यक रूप से काश्तकार को परेशानी नहीं हो। आज काश्तकार को पटवारी के सामने अनावश्यक रूप से झुकना पड़ता है और उसको ले दे कर अपने बाप का नामान्तरण लगवाना पड़ता है। तो मेरा यह निवेदन है कि राजस्व अभियान में हमने हालांकि बहुत से नामान्तरण कर दिये थे फिर भी हजारों केसेज हो जाने के बावजूद मेरा इसमें दूसरा पहलू सोचने का यह भी है कि उस व्यक्ति का समय पर नामान्तरण लगा क्यों नहीं, उसके लिये कौन जिम्मेदार है। जो भी व्यक्ति दोषी हो उसके खिलाफ में एक्शन होना चाहिये। क्या कारण है कि दस-दस साल तक लोगों के नामान्तरण नहीं खुलें? इस बारे में मैं राजस्व मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि वह इस ओर कारगर कदम उठायें और इसके लिये नीति निर्धारित कर दें कि तीन महीने के अन्दर अन्दर या दो महीने के अन्दर अन्दर नामान्तरण अनिवार्य रूप से खुल जावें।

अब मैं वनों के बारे में भी वन मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, मेरा निर्वाचन क्षेत्र जयपुर शहर के नजदीक है। वन मन्त्रीजी स्वयं शायद जानते है कि जयपुर शहर में रोजाना लकड़ी कटकर आती है। जयपुर शहर में लोग रोजाना चोरी छिपे लाते हैं। जब चोरी छिपे लाते हैं तो यह भी सही है कि लोग पैसा देते हैं और फिर वह लकड़ी जयपुर शहर में आती है। यही लकड़ी जयपुर में उपभोक्ता को महंगी भी मिलती है। स्थिति यह है कि काश्तकार लकड़ी यहां लाकर बेच नही सकता है। काश्तकार जो खुद ही पेड़ लगाता है, वृक्षारोपण करता उसको भी लकड़ी को काटकर बेचने का अधिकार नहीं है। वही लकड़ी बिचौलिये लोग वन विभाग के लोगों से मिलकर

(श्री हरिसिंह)

ज्यादा मुनाफा लेकर यहां लाकर वेचते हैं। जहां तक मेरी जानकारी है ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि इस धन्धे में लिप्त हैं। जिन लोगों के पास साइकिल नहीं थी उन लोगों की आज मोटर साइकिलें और जीपें दौड़ रही हैं। आखिर एक किसान जो लकड़ी पैदा करता है उसी को लकड़ी बेचने का अधिकार नहीं होता है तो जब उसको अपनी लकड़ी का उचित मूल्य नहीं मिलता है तो वह काश्तकार लकड़ी का उत्पादन क्यों करेगा ? तो किसान अपनी लकड़ी बेच सके इसकी हमें व्यवस्था करनी चाहिए। यदि यह व्यवस्था नहीं की गयी तो, सभापति महोदय, कोई भी काश्तकार वृक्षारोपण नहीं करेगा। जब हम चाहते हैं कि वृक्षारोपण हो तो काश्तकार को प्रोत्साहित करने के लिये आपको ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि जो भी काश्तकार लकड़ी बेचेगा वह एक हजार पेड़ लगायेगा, वही लकड़ी बेच सकेगा। अगर ऐसी व्यवस्था होगी तो मैं समझता हूं कि किसान वृक्षारोपण करेगा। वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देने के लिये जो वर्तमान व्यवस्था है, उसमें काश्तकार यह काम नहीं करेगा। सभापति महोदय, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। सभापति महोदय, आप को यह सुनकर आश्चर्य होगा कि वन विभाग में एक फरीदखान नाम का व्यक्ति इन्सपेक्टर है या क्या है मैं नहीं जानता। पहले तो उसको नाके पर लगा रखा था। माननीय वन मंत्री महोदय ने जब उसकी शिकायत मिली तो उसको हटा दिया, लेकिन आज वह व्यक्ति जीप लेकर सड़कों पर डोलता है और उसको चेकिंग पार्टी में लगा दिया है। बैलगाड़ी में अगर कोई काश्तकार लकड़ी लेकर आता है तो उसको पकड़ता है और 500 रुपये लेकर छोड़ देता है। उसने एक ट्रक यूनियन से सांठ-गांठ कर रखी है। जब भी उस यूनियन का ट्रक लकड़ी लेकर आयेगा तो उसको कोई पकड़ नहीं सकता। आखिर यह क्या हो रहा है, हम क्या चाहते हैं ? इस प्रकार की व्यवस्था से उपभोक्ता को लकड़ी महंगी मिल रही है, आज सत्तर रुपये क्विंटल के हिसाब से लकडी मिल रही है। लकड़ी की आवश्यकता गरीब से गरीब व्यक्ति को होती है और जन्म से लेकर मरण तक उसको लकड़ी की आवश्यकता होती है। आपको इन बातों पर विचार करना होगा। इस सन्दर्भ में आपको नीति के आधार पर तय करना होगा कि किसान अपनी लकड़ी को लाकर बेच सकता है। अगर उसको बेचने की आप छूट देंगे ...

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : इलेक्ट्रिक क्रिमेटोरियम बनाने चाहिए।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी : वह तो शहरों में हैं उनमें कितने चल रहे है यह आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं।

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी : मेरा निवेदन यह है कि वन मंत्री महोदय इन बातों पर गम्भीरता से विचार करके कोई नीति निर्धारित कर निर्णय लें।

जय हिन्द।

(212)

श्री सभापति : श्री चन्द्रवीर सिंह।

श्री बिहारी लाल पारीक (माण्डल) : सभापति महोदय, मेरी एक प्रार्थना थी। मैं तो बीमार था इसलिए लिख कर नहीं दे सका। वन विभाग और राजस्व विभाग की मांगों पर चर्चा है, प्रशासन गांवों की ओर के सम्बन्ध में मैं निवेदन करूं कि मेरे क्षेत्र में....

श्री सभापति : पहले माननीय सदस्य बोल लें। आपको अवसर दे दूंगा। कृपया विराजिये।

श्री बिहारीलाल पारीक : थोड़ा सा समय चाहूंगा।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी (जैसलमेर) : सभापति महोदय, मांग संख्या 8 के अन्तर्गत मैं अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूं। जैसलमेर जिले के काश्तकार भारतवर्ष में हुई प्रगति के अनुसार जैसलमेर जिले की प्रगति के लिए वर्षों से धैर्यपूर्वक इन्तजार करते रहे। माडर्न टेक्नोलोजी ने और देश की प्रगति ने प्रदेश को और जैसलमेर जिले को राजस्थान कैनाल प्रदान की। सभापति महोदय, सदियों से अकाल से त्रस्त और अन्य प्राकृतिक विपदाओं से पीड़ित काश्तकारों ने राजस्थान कैनाल के आगमन पर अपनी खुशहाली के सपने संजोये और खुशहाली के सपने संजोकर वह पहली दफा यह महसूस करने लगे कि अब हम प्रकृति पर निर्भर नहीं रहेंगे और मोडर्न टेक्नॉलोजी का लाभ हमको भी प्राप्त होगा। लेकिन, सभापति महोदय, उनके संजोये हुए सपने सपने ही बन कर रह गये। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 (क) (ख) (ग) के तहत काश्तकारों को खातेदारी प्रदान करने का, काश्तकारों को उनके हकूक दिलाये जाने का प्रबन्ध किया गया है, परन्तु हुआ इसके बिल्कुल विपरीत है। सभापति महोदय, विपरीत मैं इसलिए कहता हूं कि जिन काश्तकारों के हकूक पीढ़ी दर पीढ़ी से चले आते थे वह भी इस धारा के तहत उनसे छीन लिये गये। सभापति महोदय, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 के तहत काश्तकारों को खातेदारी अधिकार प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था अर्थात् समस्त गैर खातेदार, जो खुद काश्तकार थे या खुद काश्तकार नहीं थे, सम्मिलित किए गए ताकि खातेदारी राइट्स टिलर आफ दी सोइल को प्रदान किये जा सकें। सभापति महोदय, धारा 15 (1) में राजस्थान नहर के अलावा उपनिवेशन क्षेत्र में खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं करने के लिए उपबन्ध है। इसी तरह, सभापति महोदय, राजस्थान नहर क्षेत्र में खातेदारी अधिकार प्राप्त किये जाने पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में धारा (15) (क) जोड़कर निर्बंधन लगा दिया गया है कि 17.3.58 से अधिनियम संख्या 6, 1958 की धारा 3 के द्वारा परिनियमों में सम्मिलित कर लिया गया। It was not with retrospecteive effect इसलिए उप–धारा के अन्तर्गत राजस्थान नहर में खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लिया जाना माना नहीं जा सकता। ऐसी भूमि को अस्थाई तौर पर या भाड़े पर दिया जा सकता है। राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की अधिसूचना दिनांक 21–1–1959 द्वारा जैसलमेर

(श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी)

जिले के गांवों को राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम के अधीन उपनिवेश घोषित करके इसे लागू किया गया है। अतः वह अधिकार, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15.10.1955 को प्राप्त कर लिये गए उन्हें धारा 15 (ख) और (ग) जोड़कर वापस ले लिया गया। मेरी कंटेंशन यह है कि वह अधिकार, जो एक दफा प्राप्त कर लिया गया है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 31 (1) के उप-बन्ध को ध्यान में रखते हुए मुआवजे की व्यवस्था किये बिना वापस लिया नहीं जा सकता। इसलिए जैसलमेर भूतपूर्व रियासत के काश्तकारों को घोषित उपनिवेशन क्षेत्र में सीलिंग से अधिक भूमि का मुआवजा देना न्यायसंगत है। सभापति महोदय, एक मुरब्बा भूमि को निःशुल्क आवंटन करने तथा शेष भूमि अधिकतम 25 बीघा तक को आरक्षित मूल्य पर आवंटित करने की बात राज्य सरकार ने निश्चित की है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को धारा 15 (क) की पूर्णतः अवहेलना होती है। जो खातेदार काश्तकार बन गया है उसे उसके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। इसलिए राजस्थान नहर क्षेत्र नियमों के नियम 13 तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा (15) (क) (ख) (ग) के उप-बंधों को व्यक्तियों के खातेदारी अधिकार छीनने के लिए लागू नहीं किया जा सकता। इसलिए इन्हें समाप्त कर दिया जाना चाहिए। सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि सीलिंग सीमा में काश्तकारों को निःशुल्क भूमि आवंटन करना न्यायोचित होगा। जैसलमेर जिले के काश्तकारों के साथ एक बड़ी भारी ज्यादती की जा रही है। आवंटन वर्ष 1984 में किया जा रहा है तथा संयुक्त अविभक्त परिवार और विभक्त परिवारों का गठन वर्ष 1955 के सन्दर्भ में निश्चित किया जा रहा है। यह विवेकपूर्ण तथा तार्किक आधार नहीं बताया जा सकता। 28 साल की काल अवधि समाप्त हो चुकी है, जो व्यक्ति 1955 में अविभक्त संयुक्त परिवार का सदस्य था वह परिवार 100 व्यक्तियों का हो सकता है। यदि आवंटन किया जाय तो परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को भूमि का आधा बीघा क्षेत्र भी नहीं मिल पायेगा। अतः 1955 के पश्चात् हुए बंटवारे को मान्यता प्रदान नहीं करने के मान दण्ड विवेकपूर्ण नहीं है, सभापति महोदय, क्यों कि राजस्थान नहर क्षेत्र के बाहर या अन्य काश्तकारों के सम्बन्ध में विवेक पूर्ण वर्गीकरण को आधार नहीं बनाया गया, ऐसा करने से भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 व 16 का उल्लंघन हुआ है। इसलिए 1955 के पश्चात् हुए बंटवारे को मान्यता प्रदान की जाये। सभापति महोदय, आज मुख्य मंत्री महोदय जगह-जगह और बार-बार यह कहते हैं कि जहां से राजस्थान नहर गुजर रही है उस क्षेत्र के, तहसील के काश्तकारों को प्राथमिकता से आवंटन किया जायेगा। उस तहसील के काश्तकारों को आवंटन होने के बाद उस जिले के काश्तकारों को आवंटन किया जायेगा, जिले के काश्तकारों को आवंटन होने के बाद पड़ोसी जिलों के काश्तकारों को आवंटन किया जायेगा, पड़ोसी जिले के काश्तकारों

(२१५)

(श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी)

को आवंटन करने के बाद प्रदेश के अन्य काश्तकारों को और अन्य लोगों को आवंटन किया जायेगा। लेकिन हकीकत यह है, सभापति महोदय, पीढ़ी दर पीढ़ी से जो काबिज काश्तकार हैं, जो सदियों से उस भूमि पर बैठे हुए हैं जहां से राजस्थान कैनाल निकल रही है, उनके साथ जो भेदभाव की नीति अपनाई जा रही है, यह कतई न्यायसंगत या न्यायोचित नहीं है। सभापति महोदय, इसलिए आपके माध्यम से, सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय से मेरी यह मांग है कि क्षेत्र के काश्तकारों की न्यायोचित मांगों को स्वीकार कर उन गरीब काश्तकारों, जो हर पहलू से पिछड़े हुए हैं प्रदेश के अन्य जिलों से, को न्याय प्रदान किया जाए। इससे माननीय मंत्री महोदय भली भांति परिचित हैं, और लम्बी डिटेल में जाकर मैं सदन का समय व्यर्थ गंवाना नहीं चाहता। मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से एक दफा फिर यह मांग करना चाहूंगा कि जैसलमेर जिले के भूतपूर्व रियासतों के काश्तकारों के सम्बन्ध में न्यायोचित कदम उठाकर उनकी जो न्यायोचित मांगें हैं उनको पूर्णतः स्वीकार करके उन्हें न्याय प्रदान किया जाए।

सभापति महोदय, मांग संख्या 9 के अन्तर्गत मैं अपने कुछ सुझाव प्रस्तुत करना चाहूंगा। जैसलमेर बाड़मेर में तीन हजार वर्ग किलोमीटर में नेशनल डेजर्ट पार्क की स्थापना की गई है। इस स्थापना के साथ भविष्य में कई कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं। मैं बार-बार इस मसले पर सदन में माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर चुका हूं, इस सदन का ध्यान आकर्षित कर चुका हूं। यह मसला इम्पार्टेंस का हो जाता है, सभापति महोदय, जैसलमेर की कैटल बेस्ड इकानामी है, उसको देखते हुए यह जो नेशनल डेजर्ट पार्क की स्थापना हुई है तीन हजार वर्ग किलोमीटर में यही नहीं, सभापति महोदय, जैसलमेर जिले में उत्तर भारत की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेन्ज है, जैसलमेर जिले में राजस्थान कैनाल का आगमन हो रहा है, उपनिवेशन क्षेत्र घोषित हो चुका है उसमें यह सही है कि चरागाह की भूमि छोड़ी गयी है, जैसा माननीय मंत्री महोदय ने फरमाया, लेकिन फिर भी कैटल पापुलेशन को देखते हुए और सारे पश्चिमी राजस्थान की कैटल पापुलेशन को देखते हुए जगह जगह तारबन्दी और जगह जगह पशुओं के चरागाह कायम किये जा रहे हैं। इस संबध में, सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, 1972 की धारा 15 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। सभापति महोदय, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, 1972 की धारा 35–डिक्लेरेशन आफ नेशनल पार्क, आप फरमायें आपकी अनुमति हो तो, पूरी पढ़ दूं या फिर इसका जो आपरेटिव पार्शन है वह पढ़ दूं ...

श्री सभापति : बिलकुल रिलेवेन्ट हो वह पढ़ दीजिए।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : यह लम्बा एक्ट है लेकिन मैं इसके सेक्शन 35 के सब-क्लाज (7) और (8) की ओर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना

(श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी)

चाहूंगा । 35–डिक्लेरेशन आफ पावर्स (7) में, सभापति महोदय,, यह स्पष्ट लिखा हुआ है :

"(7) No grazing of any cattle shall be permitted in a National Park and no cattle shall be allowed to enter therein except where such cattle is used as a vehicle by a person authorised to enter such National park.

(8) The provisions of Sections 27 and 28, Sections 30 to 32 (both inclusive), and clauses (a), (b) and (c) of Section 33, and Section 34 shall as far as may be applied in relation to a National park as shey apply in relation to a sanctuary."

सभापति महोदय, जब इस नेशनल डेजर्ट पार्क की स्थापना हो रही थी तो हमको जो अण्डरस्टेंडिंग दी गयी थी वह यह थी कि तीन हजार वर्ग किलोमीटर में जो यह पार्क बनाया जा रहा है उसमें से केवल 10 पर्सेन्ट हिस्से को तारबन्दी की जायेगी और उस 10 पर्सेन्ट हिस्से को ही नेशनल डेजर्ट पार्क घोषित किया जायेगा । नेशनल डेजर्ट पार्क और सेंक्चुरी की अलग अलग परिभाषा है । सभापति महोदय, आप स्वयं परिचित है और आपके वहां भी यह प्राब्लम है, भरतपुर में भी यह समस्या उत्पन्न होती है और माननीय मंत्री महोदय भी इससे भली भांति परिचित है । अब जो नया डवलपमेन्ट हो रहा है वह यह है, सभापति महोदय, इस नेशनल डेजर्ट पार्क की जो सीमा है वह 3 हजार स्क्वायर किलो मीटर ही रखी जा रही है और यह एक्ट स्पष्ट कहता है graging will not be allowed. एक तरफ यहां हमको मंत्री महोदय हमेशा आश्वासन देते आये हैं कि ग्रेजिंग बिलकुल नहीं रोकी जायेगी, आपके खेत हैं उनकी बिलकुल दखलन्दाजी नहीं की जायेगी इत्यादि-इत्यादि । कई दफा यहां कह चुके हैं । लेकिन जब यह एक्ट कहता है No graging shall be allowed. सभापति महोदय, इस नेशनल डेजर्ट पार्क में 42 या 40 गांव आते हैं और इस नेशनल पार्क में 3 लाख से ज्यादा मवेशी हैं । यही नहीं, सभापति महोदय, अकाल के वर्षों में बाड़मेर जिले की भी मवेशी वहां आती है और फलौदी की भी मवेशी वहां आती है । तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा स्पष्ट रूप से कि किसी तरह से पशुओं की चराई यहां नहीं रुकनी चाहिए । और अगर ऐसा प्रावीजन इस एक्ट में है तो भी लेजिस्लेटिव असेम्बली को पावर्स हैं कि इस तरह की पशुओं को जो चराई की व्यवस्था है वह कतई डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए ।

सभापति महोदय, दूसरी समस्या ईंधन की उत्पन्न होगी । इस नेशनल डेजर्ट पार्क में से एक सूखी हुई लकड़ियां नहीं उठाई जा सकती, एक कंडा नहीं उठाया जा सकता और एक तिनका नहीं काटा जा सकता । अब आप स्वयं बतायें, सभापति

(श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी)

महोदय, कि सबसे पिछड़ा जिला और उस जिले के 40 गांव इस नेशनल डेजर्ट पार्क में आते हैं वह ईंधन कहां से लायेंगे और खाना किस प्रकार से बनायेंगे, यह समझ में नहीं आया, सभापति महोदय।

यही नहीं, सभापति महोदय, जैसा कि पूर्व में भी चर्चा हो चुकी है कि इस पार्क में इतने हिरनों की संख्या बढ़ गयी है कि वहां कोई फसल होना सम्भव ही नहीं है। उस पार्क को छोड़िये, सभापति महोदय, जो उसके एडजोइनिंग गांव हैं वहां भी हिरनों का इस तरह का आतंक मचा हुआ है कि वह फसल बिलकुल साफ कर देते हैं। जैसलमेर जिले में छोटे छोटे टुकड़ो में फसल होती है, खडीनों में फसल होती है और जब हिरनों का कन्सन्ट्रेशन होता है और पचास, पचास साठ, साठ और सौ सौ हिरन एक साथ आकर एक दस बीघा के टुकड़ों में पड़ते है तो सुबह तक उस फसल को साफ कर देते हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से मांग करना चाहूंगा कि जो वन्य जीव जिन काश्तकारों की फसल को नष्ट करते हैं उन काश्तकारों को मुआवजा प्रदान किया जाये।

अब, सभापति महोदय, एक आम मसला और उत्पन्न हो गया है। अभी हाल में ही रामदेवरा में एक शिलालेख लगा दिया। शिलालेख में लिखा है "नेशनल डेजर्ट पार्क" अब इस नेशनल डेजर्ट पार्क का क्या क्षेत्रफल है, क्या नहीं है, यह किसी को पता नहीं है। सभापति महोदय,

Preservation and restoration of Thar Desert Eco-System. Regeneration of the degenerated National Desert Eco-System and conservation of Flora and Fauna of Desert region. Wild life Forest Department, Rajasthan.

यह लिखते हैं, सभापति महोदय, पेज 3 पर :

Nine setellite units of rare importance will also be takan-up for protection, under the umbrella of the desert National Park, Wood Fossil park, Akal located at 15 Km. from Jaisalmer on the Jaisalmer Barmer road has exposed wood fossils of tree trunks, which are 18 million years old. These are being developed and protected. The other 8 areas at Dhorimanna, Ramdeora, Dajatra, Ujalrar, Kolu, Fitkasnee, panchola Sidda and Sanchore have a good concentration of chinkara, great Indian bustard and black buck. Dhorimanna area can boast of a natures rare freal an albino chinkar'a. Adequate protection and development operation will be undertaken in these areas also.

(श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी)

मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि मैंने जो यह नाम अभी आपके सामने प्रस्तुत किये हैं इनमें भी क्या यह नेशनल डेजर्ट पार्क बनाया जायेगा और बनाया जायेगा तो कितने क्षेत्रफल में बनाया जायेगा और कहां कहां बनाया जायेगा और कितनी तारबन्दी की जायेगी, इसका भी मंत्री महोदय स्पष्टीकरण दें।

सभापति महोदय, अंत में मैं ज्यादा समय नहीं लेकर माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जैसलमेर जिले में और बाड़मेर जिले में इस नेशनल डेजर्ट पार्क को लेकर कई तरह की भ्रांतियां पैदा हो गयी है। लोगों के मन में डर पैदा हो गया है और डर इस प्रकार का पैदा हो गया है कि यह जो पार्क बन रहा है इसमें से हमको निकाल दिया जायेगा और अगर एक्ट देखा जाये तो, सभापति महोदय, उनका डर सही भी है। एक समस्या और है, सभापति महोदय, कि इस पार्क की परिधि में जो खातेदारों के खेत आते हैं जिनको सरकार अवाप्त करेगी, मैं मंत्री महोदय से यह चाहूंगा कि आप अपने डिपार्टमेन्ट की तरफ से यह प्रयत्न करें कि जिन काश्तकारों के खातेदारी के खेत अवाप्त किये जाते हैं उन काश्तकारों को राजस्थान कैनाल परियोजना में निःशुल्क सीलिंग सीमा तक भूमि आवंटन कराने का कष्ट करायें।

सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय को आपके माध्यम से फिर निवेदन करना चाहूंगा कि जितनी भी भ्रांतियां इस पार्क के संबंध में हो रही हैं....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी : उनका स्पष्ट क्लेरीफिकेशन दें ताकि गांव वालों को सन्तोष हो, हमको भी सन्तोष हो और बारबार जो नेशनल डेजर्ट पार्क का मुद्दा यहां उठाया जाता है इसको हरदम के लिए समाप्त करके, सभापति महोदय, जनता को राहत पहुँचाई जाये। यही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री पीरूराम।

(अनुपस्थित)

श्री जयदेवप्रसाद इन्दोरिया।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : आज आप का पहली बार नाम दिया गया है।

श्री सभापति : कृपया व्यवधान न डालें। माननीय सदस्य को बोलने दीजिए।

श्री जयदेवप्रसाद इन्दोरिया (रतनगढ़) : सभापति महोदय, मांग संख्या 8 पर मेरा कटौती प्रस्ताव है उस पर मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा। मैं आपका समय ज्यादा बचाते हुए इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्व विभाग में जो कुछ हो रहा है वह तो मुझसे ज्यादा राजस्व मंत्री जी जानते हैं। मैं सिर्फ इस अवसर पर राजस्व मंत्री जी का ध्यान आकर्षित इस बात के लिए करना चाहूंगा कि कुछ आबादी वाले गांव काफी अर्से से, सैकड़ों वर्षों से चले

(श्री जयदेवप्रसाद इन्दौरिया)

आ रहे हैं, वहां राज्य सरकार की प्राथमिक शालायें भी हैं, लेकिन उन आबादो गांवों को राजस्व रिकार्ड में अंकित नहीं किये जाने के कारण वहां पेयजल और बिजली की जो सुविधायें बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत उनको उपलब्ध की जानी थीं उससे वह वंचित रह रहे हैं। इसलिए मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इसकी ओर आप ध्यान दें और आपके कायदे कानून के अनुसार आप अग्रिम कदम बढ़ावें।

अभी राज्य सरकार की ओर से 'प्रशासन गांवों की ओर' और 'प्रशासन शहरों की ओर' दोनों तरफ हो आया है। जब ग्राम सभाएं हुई और उस वक्त जो निर्णय ले लिये गये, लिख दिये गये वहां तक तो ठीक है लेकिन जो निर्णय पेन्डिग रख दिये गये उनके अन्दर काफी भ्रष्टाचार हुआ है। 'प्रशासन शहरों की ओर' मे तो आम मार्केट में सांचे की जमीन बोल कर के जिस ढंग से भ्रष्टाचार का बोलबाला हुआ है उससे स्वयं राजस्व विभाग ही मेरी समझ में प्रकम्पित हो रहा होगा। इससे हुआ यह कि गरीबों का शोषण हुआ और सशक्त व सम्पन्न व्यक्ति का पोषण हुआ। दोनों ही बातें हुई। इससे होना यह चाहिये था कि गरीब को अपने ही स्थान पर सस्ता सुलभ न्याय मिले लेकिन जो उस वक्त हो गया वह तो ठीक है। मुझे याद है कि मेरे क्षेत्र में मेलूसर ग्राम में कम से कम 15 वर्ष से एक बाड़ा था। सारे गांव वालों ने कहा कि इसका नियमन कर दिया जाये और पास भी हो गया। उसके बाद उसी बाड़े के सामने किसी दूसरे आदमी, जो सम्पन्न था, ने एक मात्र दरवाजा रोक कर के बाड़ा कर लिया। जब यह मालूम हुआ तो रातों रात वह दूसरा व्यक्ति जिसने बाड़ा किया था एक बोरी बाजरी और एक बोरी मोठ नायब तहसीलदार जी के और तहसीदार जी के पहुंचा दी। कम से कम दो ढाई वर्ष हो गये आज तक वह फाइल पेन्डिंग पड़ी है। और तो मैं विशेष कुछ नहीं कहूंगा, सरकार के जो नियम हैं वह बहुत अच्छे हैं, गरीबों को राहत देने वाले हैं, योजनायें ऐसी हैं कि जिनसे ग्राम और निर्धन व्यक्ति को लाभ पहुँचे लेकिन क्रियान्विति में उदासीनता बरती जाती है। इस ओर मैं राजस्व मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। विशेष इसलिये नहीं कहना चाहूंगा कि वह थोड़ी सी बात को ही सब कुछ समझते हैं। मैं राजस्व मंत्री जी को उनके विभाग के लिये धन्यवाद दे करके अब वन मंत्री जी से थोड़ा निवेदन करना चाहूंगा।

आपका विभाग ऐसा है जो विभाग फाइलों में नहीं चलता। आपका जो विभाग है वह धरती पर खड़ा होता है। आपको यह कहने की आवश्यकता नहीं, आपको फाइलों में यह आंकड़े दिखाने की जरूरत नहीं कि हमने इतने वृक्ष लगा दिये। धरती पर अपने आप वृक्ष बोलते हैं कि हम इतने ऊंचे आ गये हैं, हम इतने लग गये हैं। आपके विभाग का कार्य सन्तोषप्रद है इसलिये मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने मुझे अल्प समय दिया....

श्री सभापति : मैंने तो आपको रोका नहीं बोलते हुए।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया : मैं इसके लिये आपका आभारी हूं।

श्री सभापति : श्री भैरूंसिंह गुर्जर।

श्री सी. एल. कंवरिया (दूदू) : मैं एक प्रार्थना करूंगा, रेवेन्यू के संबंध में मैं नाम तो नहीं दे सका लेकिन अजमेर जिले में 796 गांवों में 1970 से....

श्री सभापति : आप बोलना पसंद करेंगे ना ?

श्री सी. एल. कंवरिया : बोलना है।

श्री सभापति : आपको दे दूंगा। श्री भैरूंसिंह गूर्जर।

श्री भैरूंसिंह गूर्जर (खारची) : माननीय सभापति महोदय, आज जो मांगें हैं उन दोनों नं. 8 और नं. 9 पर कटौती प्रस्तावों पर अपने विचार प्रस्तुत करूंगा और यह आशा करूंगा दोनों ही माननीय मन्त्री जी से कि उन पर कोई ठोस कार्यवाही करेंगे।

मैं आपके माध्यम से राजस्व मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि राजस्थान में पिछले चार साल से अकाल की-सी स्थिति है। इस साल भी अगर बारिश अच्छी हुई है जो वर्तमान में फसल है उसको शीतलहर ने चौपट कर दिया है। ऐसे समय में उन निरीह गरीब किसानों जिनकी फसलें नाम को होती नहीं, जिनका जुताई बुआई में काफी खर्चा हो जाता है, से लगान की जो वसूलियां की जा रही हैं वह लगान की वसूलियां तत्काल रोकी जायें और रोक कर जिन जिन वर्षों में अकाल हुआ था उनको पूरी तौर पर माफ कर दिया जाये, यह मेरा उनसे निवेदन है।

दूसरी बात मैं आपसे निवेदन करूंगा, हमारी सरकार ने राजस्व अभियान चलाया था, प्रशासन गांवों की ओर गया था। प्रशासन गांव की ओर कार्यक्रम के सम्बन्ध में मेरे क्षेत्र के बारे में निवेदन करता हूं और विचार करता हूं कि शायद पूरे राजस्थान में ऐसा हुआ हो। आबादी भूमि के लिये कई प्रस्ताव लिये गये थे। गांवों में आबादी बढ़ गई, पंचायतों के पास आबादी भूमि थी नहीं। तो जो राजस्व भूमि पड़ी थी उनके प्रस्ताव ले कर के एक ओर तो हमने निर्णय लिया था कि प्रशासन गांवों की ओर जायेगा, हाथों हाथ फैसले होंगे और वहीं पर सारा काम काज निपटाया जायेगा फिर भी उसमें शिथिलता देकर अधिकारी वर्ग ने अपने स्वयं के विवेक से यह तय किया था कि कुछ मसले ऐसे जटिल होते हैं जो कुछ समय बाद तय किये जायेंगे। सभापति महोदय, उस बात को काफी समय हो गया है, जिन पंचायतों ने प्रस्ताव दिये थे आबादी भूमि के लिये, राजस्व भूमि से कन्वर्ट करने के लिये वह आज तक दाखिले दफ्तर पेन्डिंग फाइलें पड़े हैं, मेरा निवेदन है कि राजस्व मंत्री जी इस मामले में जांच करके जिन जिन पंचायतों के भी प्रस्ताव हैं उन प्रस्तावों को जल्दी निपटायें ताकि ग्राम पंचायतों के सामने जो आबादी के लिये जमीन की समस्या आ गई है उसके लिये भूखण्ड आवंटित कर सकें। इस लिये इस संबंध में

(श्री भैंरूसिंह गुर्जर)

जल्दी निर्णय लें। इसी अभियान के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जति और पिछड़े वर्ग के लोगों को और गरीब तबके के लोगों को कृषि योग्य भूमि, जो सरकार के पास कहीं पड़ी थी, या तो सीलिंग में अधिग्रहण की गई थी, फैसले देने का निर्णय लिया गया था और उन्हें पट्टे भी दिये गये कई जगह। सभापति महोदय, वह जमीन या तो ऐसे प्रभावशाली लोगों की थी जो गांव में आतंक फैलाते है, या पटवारी जी ने अभी तक उनको इसलिये कब्जा नहीं दिलाया क्योंकि उसकी भेंट पूजा नहीं हो पायी है। आज कई केसेज इस प्रकार के गांवों में हैं। गांवों के लोग अनपढ़ होते हैं, गरीब होते हैं वे जानते हैं कि हम अगर लिखकर देंगे तो सुनवाई नहीं होगी। आज कल तो, सभापति महोदय, आप जानते हैं, विधायकों के लिखे हुए की भी सुनवाई नहीं नहीं होती है। तो एक साधारण आदमी अगर लिखेगा तो उसकी क्या सुनवाई होगी। इसलिये मेरा राजस्व मन्त्री जी से निवेदन है कि आप एक विद्वान मन्त्री हैं, और इस विभाग के योग्य मन्त्री हैं, इसलिये इन मामलों को तत्काल जांच करवायें कि ऐसे ऐसे मामले कहां कहां हैं। सभी तहसीलदारों को निर्देश दें ताकि उन्हें कब्जा दिलाकर आपको वह सूचना दे सकें। मैं निवेदन करूंगा, सभापति महोदय, गांवों में ही जिन लोगों के सीलिंग के मुकदमे चल रहे थे उन लोगों ने पुरानी तारीखों में कई लोगों के नाम जमीन बता दी, जिनमें विशेष कर अनपढ़ लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अनुसूचित जाति, जन जाति के लोग हैं। विशेषकर एक वर्ग, जो सामन्त वर्ग कहलाता है, की जमीन उन लोगों के नाम से रेवेन्यू रिकार्ड में बोल रही है। लेकिन उनको कोई कानूनी अधिकार नहीं है, यहां तक कि एक पैसे की फसल वहां पर वसूल नहीं कर सकते और लगान तो उन्हें भरना पड़ता है। तो ऐसे मामलों में सभी जिलाधीशों को निर्देश दें कि ऐसे मामले जहां पर हों उनका निर्णय शीघ्र करके, जांच करके और उन लोगों को असलियत में कब्जे दिलवायें जिससे वे खेती कर सकें, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था भी करें। मैं एक उदाहरण दूंगा। पाली तहसील में एक भांगेसर पंचायत में एक छोटा सा गांव है मालपुरिया। वहां पर, सभापति महोदय, गांवसा नाम करके एक गरीब ग्रामीण 20 वर्ष से मुकदमा लड़ रहा है। उसकी जमीन पर वहां के ठाकुर ने कब्जा कर रखा है। मुकदमा लड़ते-लड़ते सभी जगह उसके हक में फैसला हुआ है और आखिर में रेवेन्यू बोर्ड से भी उसके हक में फैसला हुआ। अब उस फैसले को लिए लिए वह बेचारा साल भर से घूम रहा है लेकिन प्रशासन आज तक उसको कब्जा नहीं दिला सका है। वह सक्षम नहीं है, अनपढ़ है, कानून जानता नहीं, इसलिये कई बार उसने अपनी दरख्वास्तें जो एस. डी. एम. को, जिलाधीश को, तहसीलदार को दी हैं वह दरख्वास्तें तो ले ली जाती हैं, उन पर कार्यवाही का आश्वासन दे दिया जाता है लेकिन आज तक उन पर कार्यवाही नहीं हुई है। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस मामले की फाइल मंगाकर आप स्वयं अवलोकन करें और उस गरीब को तत्काल कब्जा दिलाने की कार्यवाही करें। मैं निवेदन करूंगा कि पाली व

(श्री भैरुंसिंह गुर्जर)

सोजत में ए. डी. एम. व एस. डी. एम. ने सीलिंग के फैसले दिये हैं, सभापति महोदय। मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेना नहीं चाहता जितने फैसले पिछले दो साल में हुए है, तीन सालों में हुए हैं, वह फैसले मंगवा कर मंत्री महोदय, आप उनका अवलोकन कर लें, तोआपको ज्ञात होगा कि फर्जी सर्टिफिकेट दिये हैं। जहां तक मुझे याद है, ए.डी.एम. पाली के यहां सीलिंग का फैसला चल रहा था। जिस महाशय का फैसला चल रहा था उन्होंने अपनी लड़की के नाम पर जयपुर के स्कूल से फर्जी सर्टिफिकेट दिला दिया कि उनकी लड़की पाली जिले के किसी गांव में पढ़ी है। मेरे पास उसकी फोटोस्टेट कापी है, जयपुर से फर्जी सर्टीफिकेट लिया उसकी कापी है और उन्होंने हलफनामा दिया है एस. डी.एम. के सामने कि मेरी लड़की फलां जगह पढ़ी है, उसकी जन्म तिथि यह है। जब कि फ्राड है। मन्त्री महोदय, अगर आप चाहेंगे तो सारे आपको सबूत दूंगा। ऐसे केसेज निरस्त करवा कर वापस सीलिंग के मुकदमें लागू करवादे जायें।

इसी प्रकार सोजत के एस. डी. एम. ने मेरे निर्वाचन क्षेत्र के सम्बन्धित गांवों के कुछ फैसले किये। मैंने लिखित में आपको रिपोर्ट भी भेजी है उसकी, मंत्री महोदय,....

श्री सभापति : कृपया सबजुडिस मैटर्स को डिस्कस नहीं करें।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : सभापति महोदय, सबजुडिस तो क्या, यह तो रेवेन्यू के मामले हैं।

श्री सभापति: रेवेन्यू कोर्ट में भी कोई मामला अगर विचाराधीन है तो....

(व्यवधान)

वह सबजुडिस है।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर: विचाराधीन नहीं, फैसले तो हो गये उनको मैं तो रिव्यू कराने की अपील कर रहा हूं। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि जो पिछले दो साल में सोजत एस. डी.एम. ने फैसले दिये हैं वे भी आप मंगा कर देखें कि क्या वे सही दिये गये हैं। मामूली से पैसों के लिये गरीब लोगों का अहित करना किस प्रकार उचित है? सभापति महोदय, एक एस.डी.एम. या एक अधिकारी का तो 10 हजार से भला होता है लेकिन गरीब को 10 पीढ़ियों का नुकसान हो जाता है। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि उन फैसलों को देखा जाय।

इसी प्रकार मेरा निवेदन है आपसे कि देश की आजादी के बाद सन् 1955 के बाद और 1960 के बीच में 1958 में ज्यादातर एक्स जागीर एम्प्लाई जो थे उनको आपने एक प्रमाण पत्र लाने पर नियुक्तियां दी थीं। उन नियुक्तियों में स्वयं जागीरदारों ने अपना प्रमाण पत्र बनाकर पेश करके नौकरियां ले ली थीं, कई साल तक नौकरियां करके इस राजस्थान सरकार का पेमेन्ट के रूप में पैसा लेकर हजम कर लिया था। मैं उसकी भी फोटो स्टेट कापियां और सबूत दूंगा मंत्री महोदय आप चाहें तो उन लोगों से वसूल किया

(श्री भैरूंसिंह गुर्जर)

जाय और उन लोगों के खिलाफ 420 का मुकदमा चलाया जाय।

मेरा निवेदन है कि कृषि भूमि पर जो स्टाम्प ड्यूटी लगाई जाती है वह अधिक है। सभापति महोदय, आप स्वयं भी इस बात को जानते हैं और आप स्वयं भी यह चाहते हैं कि स्टाम्प ड्यूटी कम की जाय। कृषि भूमि के आदान-प्रदान और बेचने पर जो स्टाम्प ड्यूटी लगाई जाती है वह अन्य प्रकार के मामलों से कम कर दी जाय ताकि किसानों को राहत मिल सके और अपनी जमीन का आदान प्रदान और लेन देन अथवा बेचान कर सकें।

मैं साथ में यह भी निवेदन करूंगा कि मारवाड जंक्शन तहसील के बारे में मैंने आपको, रेवेन्यू बोर्ड का, मुख्य मन्त्री जी को सभी को शिकायत की है, राजस्व सचिव महोदय को भी की है कि वहां पर पिटीशन राइटर्स जो हैं उनमें से कुछ पिटीशन राइटर्स ने अपना एक धन्धा बना रखा है। तहसीलदार जी से कुछ काम करवाना है तो उनको पैसे दे दो वह काम करा लायेंगे। तहसीलदार जी को अगर पता लग जाय तो काम वाजिब हो, सभापति महोदय, लेकिन गरीब आदमी जायज और नाजायज तो समझ नहीं पाता है वह तो किसी प्रकार सम्पर्क साधना चाहते हैं तहसीलदारजी से इसलिये काम कराते हैं पिटीशन राइटर्स। तहसीलदारजी को इस बात का पता होता नहीं, अगर उन्हें पता चल जाय तब तो हो सकता है वह काम रोक दें और स्वयं ही कर दें उन पिटीशन राइटर्स की मैंने शिकायत की थी। उस शिकायत पर तहसीलदारजी ने अपनी टिप्पणी भी भेज दी है जो कि उनके खिलफ है लेकिन उनका लाइसेन्स जब्त करने की कार्यवाही आज तक नहीं की गई है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि तत्काल आप उन टिप्पणियों का अवलोकन करके उन पिटीशन राइटर्स का लाइसेन्स कैन्सल करें और कुछ नये लोग, जो उत्साह रखते हैं काम करने का, को लाइसेन्स दें।

मैं सभापति महोदय, अब आता हूं वन विभाग की ओर। मेरा इस बाबत में निवेदन है कि मै जिस क्षेत्र से जीत कर आता हूं....

(व्यवधान)

आऊंगा।

सभापति महोदय, निवेदन करूं, अरावली तलहटी की में बसा हुआ है लेकिन मुझे निहायत दुख होता है, अफसोस होता है जब देखता हूं कि अरावलो को लाज लूटी जा रही है, उसको निर्वस्त्र किया जा रहा है, उसके जो गहने हैं-उसका जो आवरण है पेड़ों का वह लगातार कट रहा है। पेड़ कट कर के कहां जाते हैं, सभापति महोदय? पाली की फैक्ट्रियों में। पाली में टैक्सटाइल की 500 से ज्यादा फैक्ट्रियां हैं उनमें लकड़ी का काम ज्यादा होता है। लकड़ी वहां जलाने के काम में लाई जाती है। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं, रेवेन्यू की लकड़ी जो कट कर आती है, खेतों से, मान लीजिये उनके लिये तो

(श्री भैरूंसिंह गुर्जर)

तहसीलदार परमिशन देते होंगे,एस.डी.एम. परमिशन देते होंगे लेकिन वन विभाग की लकड़ी जो गुप्त रूप से उनको मिलती है, उसी के तहत आती है। मैंने कुछ दिनों पहले मंत्री महोदय को विस्तृत रूप से लिख कर भी दिया है। मुझे विश्वास है कि शायद आपने उसकी जांच भी प्रारम्भ कर दी होगी। सभापति महोदय, आप ताज्जुब करेंगे, मैंने चुंगी नाके पर खड़े होकर ट्रक गिने हैं, 50 ट्रक प्रति दिन का एवरेज है। लकड़ी कट कर पाली शहर में आती है। उन पचास ट्रकों में किसी को कोई अगर निहत्था आदमी पकड़ ले तो उसके पास हथियार बन्द लोग बैठे होते है। मैंने कोशिश भी की थी लेकिन मजबूरन डर कर मुझे भागना पड़ा है। पुलिस से कहें तो वह कार्यवाही नहीं करती, रेवेन्यू अधिकारियों से कहें तो वे कह देते हैं जंगलात की लकड़ी है, जंगलात वालों से कहें तो वह कह देते हैं रेवेन्यू की लकड़ी है। जब कि लकड़ी दोनों ही विभाग की सम्मिलित रूप से कट कर आती है। जब मैंने एक ट्रक वाले से पूछा तो उसने कहा 200) रु. प्रति ट्रक हम फारेस्ट के अधिकारियों को और रेवेन्यू के अधिकारियों को देते हैं जिसे वे आपस में बांट लेते हैं। इस प्रकार 50 ट्रक का 200 रुपये ट्रक के एवरेज के हिसाब से, सभापति महोदय, लगायें तो रोज के दस हजार रुपये होते हैं। अब आप हिसाब लगा लीजिये, मुझे 3–4 साल हो गये इस मामले को देखते हुए सारे पेड़ कट गये हैं। अगर उन पेड़ों की कोई गिनती होती, कोई तादाद होती तो पता चलता कि कितने पेड़ कट गये हैं। इस मामले में जिले के सारे के सारे रेवेन्यू और फारेस्ट के अधिकारी, जिनके क्षेत्र से लकड़ी जाती है, मिले हुए हैं यह इससे स्पष्ट साबित होता है। अगर मंत्री महोदय मेरे साथ कभी चलेंगे या किसी फारेस्ट के अधिकारी को भेजेंगे तो मैं एक दिन में 50 ट्रक पकड़वाने का दावा करता हूं।

सभापति महोदय, यह मेरा निवेदन है, छोटे से फारेस्टर की जो पोस्ट होती है, पाली प्रापर में कोई फारेस्टर की पोस्ट है, अगर उसको देखा जाय ...

(व्यवधान)

श्री महाराम चौधरी (नागौर) अब के उन की जमानते जब्त होंगी....

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया व्यवधान न डालें। आप आसन को सम्बोधित करते हुए अपनी बात शुरू करें।

(व्यवधान)

श्री भैरूंसिंह गुजर : सभापति महोदय, यह तो वक्त बतायेगा कि ज़मानत किसकी जब्त होती है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप अपने जवाब में बता दें कि किस एम. एल. ए. ने कितने अधिकारी और कितने कर्मचारी लगवाये हैं। यदि मैंने ज्यादा लगवाये हैं तो आप निःसंकोच कहें। मुझे

(श्री भैरूंसिंह गुर्जर)

कोई डर नहीं । मेरे क्षेत्र से सम्बन्धित हो तो मैंने किसी की सिफारिश कर दी होगी....

(व्यवधान)

इसलिये, सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि उन कर्मचारियों को देखा जाय, ग्राज फारेस्ट के चीफ कन्जरवेटर साहब कार का इस्तेमाल नहीं कर पाते होंगे लेकिन एक फारेस्टर के पास कार होगी । चीफ कन्जरवेटर ग्राफ फारेस्ट ने ग्रपनी कोठी नहीं बनाई होगी जयपुर में लेकिन वहां के वन ग्रधिकारी ग्रौर फारेस्टर की कोठी जयपुर में जरूर होगी ।

एक माननीय सदस्य : दिल्ली में बना ली होगी ।

श्री भैरूंसिंह गुजर : दिल्ली का बाहर का मामला है, वहां बनाई होगी तो पता नहीं ।

इसलिये मेरा निवेदन है कि इस मामले की तत्काल जांच करवायें ग्रौर सीरियस एक्शन लें वरना तो पिछले तीन साल से ग्रापके पहले भी जो मंत्रीजी थे, हम बोलते रहते थे, शिकायत कई बार हमने अधिकारियों को लिख लिख कर दी है, न तो कार्यवाही होती है, न कोई बात होती है । बेफिजूल अगर हमें यहां बुलवाया जाय ग्रौर ग्रधिकारियों से दुश्मनी ही करवाई जाय तब तो फिर हमारे बोलने का कोई मतलब ही नहीं है ।

सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि पाली जिले में ग्रग्रेजी बबूल की एक झाड़ी बहुतायत में होती है, सभापति महोदय, वह इस तादाद में बढ़ती है कि जितनी काटेंगे उतनी ही बढ़ेंगी । मेरा निवेदन है कि उसको ग्रगर काटने की ग्रनुमति रेवेन्यू के ग्रधिकारी ग्रौर फारेस्ट के ग्रधिकारी दे दें तो उससे कोई नुकसान नहीं है । एक प्रकार की झाड़ी है, उसे जितना काटते हैं, उतनी ही बढ़ती है । ग्रापके ग्रधिकारी भी यही ग्रोपीनियन देंगे । लेकिन उसको भी काटने पर ग्रापके वहां केसेज बना दिये जाते हैं । मैं, सभापति महोदय, निवेदन करूंगा कि ग्रामीण लोगों, शहरी लोगों के यहां चूल्हा जलाने के लिये ईंधन के लिये भी यही लकड़ी काम में ग्राती है । मैंने तो बचपन से प्रत्येक झाड़ी को देखा है, इतनी तादाद में बढ़ती है कि जितनी काटें, उतनी ही बढ़ जाती है ग्रौर यूं की यूं ही रहती है लेकिन ग्राज परेशानी हो जाती है उसको काटने वालों के लिये । इसलिये इस झाड़ी को काटने की छूट दे दी जाय तो काफी मेहरबानी होगी ग्रापकी ।

सभापति महोदय, मैं ग्रापके माध्यम से निवेदन करूंगा कुंभलगढ़ गेम्स सैंक्चुरी में मेरे निर्वाचन क्षेत्र का एक बड़ा भाग ग्राता है । पिछले दिनों वहां एक इलेक्ट्रिक लाइन खींची गई थी उस लाइन के क्षेत्र में जहां जहां फारेस्ट ग्रौर गेम्स सैंक्चुरी का भाग ग्राता है वहां वहां पेड़ों की कटाई की गई थी । उसका बहाना लेकर, सभापति महोदय, हजारों पेड़ फालतू काट दिये गये । मैंने स्वयं जाकर लाइन देखी है

(श्री भैरूसिंह गुर्जर)

और पेड़ देखे हैं – लाइन यहां है और पेड़ 100 फीट की दूरी पर है। सभापति महोदय, आज उनके पास जो स्टोर में सूची होगी उससे मालूम पड़ जायगा कि कितने पेड़ कटे या किस समय काटे। आज भी वहां पेड़ों के कटे हुए भाग दिख रहे हैं, उनकी गिनती करवा ली जाय और जो आपके स्टोर में सूची है उसमें कितने पेड़ों का रिकार्ड है उससे आपको स्वयं पता लग जायगा कि कटे कितने हैं, मौजूद कितने हैं, कितनी उसमें हेराफेरी हुई है और कितने पेड़ ज्यादा काट दिये गये हैं। मैं, सभापति महोदय, निवेदन करूंगा....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री भैरूसिंह गुर्जर : कि गेम्स सैंक्चुरी एरिया में सूअरों की बहुतायत है। वहां जो ग्रामीण लोग रहते है उनका विशेषकर बरसात के दिनों में मक्का की फसल बोने का शौक है। देवपुराजी भी इस बात को जानते हैं उनका भी एरिया इसमें आता है, सारे के सारे सूअर आकर मक्का की फसल को तहस नहस कर देते हैं। इसलिये, सभापति महोदय, अगर आप वन्य जीव प्रोटेक्शन के तहत जीवों को नहीं मारना चाहते हैं तो हम भी नहीं चाहते हैं कि उनको मारें लेकिन आप कृपा करके उस गेम्स सैंक्चुरी की तारबन्दी करवा दें या मेड़बन्दी करवा दें पत्थरों की जिससे कि वे जीव बाहर नहीं आयें और किसानों की फसल को नुकसान नहीं हो।

(6.00 सायं)

अन्त में मैं, सभापति महोदय, आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद देते हुए दोनों माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि मैंने जो सुझाव दिये है उन पर ठोस कार्यवाही करें। उन पर शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही करने के लिये ही मैं निवेदन करूंगा।

धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री महाराम चौधरी।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : सभापति महोदय, दल के हिसाब से ही नाम आना चाहिए ....

श्री सभापति : दल के हिसाब से ही बोल रहे हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : उसके हिसाब से पहले भाजपा का आता है फिर जनता पार्टी का आता है, फिर लोकदल का आता है।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : मैं तो थोड़ा ही बोलूंगा।

श्री भैरूसिंह गुर्जर : लोकदल को नहीं बुलवाओ तो कोई बात नहीं है क्योंकि अगली बार जीत कर तो आना नहीं है।

श्री सभापति : कृपया विराजिये। आप विराजें।

श्री महाराम चौधरी : सभापति महोदय, आज की राजस्व की मांग संख्या 8 के सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान का एकीकरण होने के बाद में राजस्थान सरकार ने भूमि सुधार कार्यक्रम में प्रथमता तो हासिल की लेकिन प्रथमता हासिल करने के साथ साथ भूमि सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत जितने भी राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, राजस्थान टिनेन्सी एक्ट, राजस्थान सीलिंग एक्ट इस तरह के जो एक्ट के बनाये उन एक्ट के साथ समय समय पर जो परिपत्र जारी किये या अध्यादेश के द्वारा संशोधन किये भूमि सुधार कार्यक्रम को ठीक ढंग से इम्पलीमेंट करने के जिस ध्येय और उद्देश्य से, उस ध्येय, उस नीति और उस उद्देश्य की पूर्ति कतई नहीं हुई। मेरे कहने का मतलब यह है कि उनका इम्पलीमेन्टेशन बिलकुल ही नहीं हुआ। इम्पलीमेन्टेशन अगर सही रूप में होता और उनको सही रूप में कार्य रूप में परिणत किया जाता तो मैं समझता हूं कि साधारण काश्तकारों के लिए काफी उपयोगी सिद्ध हो सकते थे। किन्तु, सभापति महोदय, यह उपयोगी यों नहीं हुआ कि इन कानूनों को बनाने के वक्त जो किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे पहले नम्बर पर तो उन्होंने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया, या ध्यान अगर दिया था तो पूरी तवज्जोह नहीं दी या उनको चली नहीं। मैं यही कहना चाहता हूं कि जितने भी एक्ट और कानून बने हैं वह जितने उपयोगी होने चाहिए उतने उपयोगी सिद्ध नहीं। सभापति महोदय, भूमि सुधार एक्ट, राजस्थान टिनेन्सी एक्ट और लैण्ड रेवेन्यू एक्ट जो इस तरह एक्ट हैं वह सारे अनपढ़ किसानों के लिए उपयोगी हैं किन्तु इतने जटिल बना दिये हैं और उनकी हिन्दी भी इतनी क्लिस्ट है जिसको आम आदमी और आम काश्तकार समझ नहीं सकता और नहीं समझने की वजह से उसको वकीलों की शरण लेनी पड़ती है और उनकी शरण लेने से किसान पर बहुत बड़ा भारी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मेरा यह निवेदन है कि किसानों और जमीन से सम्बन्धित जितने भी एक्ट हैं इन एक्टों को साधारण हिन्दी के अन्दर बनायें जिससे आम आदमी की समझ में आ जायें।

इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा कि जितने भी एक्ट या अधिनियम की धाराओं में अधिसूचनाएं या नियम जारी होते हैं वह आपके किसी डिस्टिक्ट हैडक्वार्टर पर या तहसील हैडक्वार्टर पर एक तरह से मिलते ही नहीं हैं। कई जगह तो पहुंचे ही नहीं हैं और कहीं पहुंच भी गये हैं तो इस तरतीब से जमाये हुए हैं कि चाहे जो कोई आदमी निकालकर उसको कतई नहीं देख सकता। सभापति महोदय, उदाहरण के तौर पर मैं यह बताना चाहता हूं सरकारी भूमियों पर अनधिकृत रूप से बनाये गये मकान या बाड़ों के नियमन के सम्बन्ध में अधिसूचना एक दफा ही जारी नहीं हुई, दो दफा जारी हुई 75 तक जो भी बाड़े या मकान काश्तकारों ने अपनी भूमि पर बना लिए या गोचर भूमि में बना लिए हैं, आबादी के पास ही चरागाह भूमि में बना लिए उनको नियमन करने के लिए सरकार

(श्री महाराम चौधरी)

के आदेश प्रसारित होने के बावजूद भी उनकी क्रियान्विति नहीं हुई। आज सैकड़ों इस तरह के केसेज हैं जो रिकार्ड के अन्दर दर्ज भी हुए नहीं हैं, और दर्ज हुए हुए हैं तो कई सालों से पैंडिग हैं। सभापति महोदय, अधिसूचना जब जारी होती है या परिपत्र निकलते हैं तो राज्य सरकार तो बहुत सार-संभाल के साथ परिपत्र जारी करती है, उसमें यह लिखा होता है, इस परिपत्र में अंकित समस्त बातों से आप तुरन्त अपने अधीनस्थ अधिकारियों, पंचायत समितियों व ग्राम पंचायतों और उनके जरिये सभी व्यक्तियों को अवगत करा देंगे। इस तरह की सूचना होते हुए भी अवगत नहीं कराया जाता है। इस तरह से ग्राम काश्तकारों को तो मालूम नहीं होता है। जब कि उसके अन्दर स्पष्ट लिखा है कि इसी स्वतः ही इम्पलीमेन्ट करके तहसीलदार द्वारा बाड़े वगैरह जो बने हुए हैं उनका नियमन कर दिया जाय। नागौर तहसील के कुछ बाड़ों और काश्तकारों के मकानों का नियमन करने के लिए मैंने एक लिस्ट भेजी किन्तु 77 और 77 के पहले के भी जो इस तरह के मामले हैं वह आज तक भी पैंडिग पड़े हैं। मैं राजस्व मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि उनका नियमन करने के साथ साथ दोषी अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लीजिए कि उन्होंने इस तरह के केसेज पैंडिग क्यों रखे और क्यों नहीं इम्पलीमेन्ट किये।

इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्व सम्बन्धी जितने भी संशोधन हों और अधिसूचनाएं वगैरह जो भी जारी की जायें, उन अधिसूचनाओं की सूचना तहसील या पंचायतों तक ही सीमित न रखकर पटवारियों के मार्फत गांवों में डूंडी पिटाकर सब लोगों को देनी चाहिए जिससे काश्तकारों को अच्छी तरह से समझ में आ जाय और वह अपने हक का उपयोग कर सकें।

सभापति महोदय, भूमि सुधारों के सम्बन्ध में आपने सीलिंग एक्ट बनाया, सीलिंग एक्ट के बनाने में आपने तत्परता बरती लेकिन उसके अन्दर लू पोल रख दिये। शुरू शुरू में जब बनाया तब तो आपने तहसीलवाइज जमीन को आधार मानकर सीलिंग किया, उसके बाद में एक तहसील की एक ही सीलिंग सीमा रख दी। इस कारण उसकी पालना कतई नहीं हुई। पालना नहीं होने की वजह से वास्तव में जिन जागीरदारों या जिन किसी के पास में ज्यादा जमीन थी वह तो उस सीलिंग एक्ट से बच गये और जो भोले भाले काश्तकार थे, जिन की ऐसी भावना थी कि जब तक बड़ा भाई या दादा-परदादा जीवित रहता है तब तक सारी जमीन उसी के नाम रहती है, उसके जीते जी उसके नाम से अलग जमीन कराने वाला कोई नहीं होता है। इस तरह की भी प्रवृत्ति होती है। तो जिन काश्तकारों की उनके दादा के नाम से जमीन थी, तो जिस वक्त सीलिंग एक्ट लागू हुआ था उस वक्त भी उस जमीन के अन्दर चार भाई थे या पोते थे मगर एक के नाम होने से

228

(श्री महाराम चौधरी)

वह जमीन सीलिंग में आ गयी। ऐसी जमीनों के सीलिंग के फैसले आज सालों से पेण्डिंग पड़े हैं और काश्तकार बहुत बुरी तरह से परेशान हो रहे हैं। इस तरह की मिसलें हैं जो एस. डी. ओ. कोर्ट में या सम्बन्धित अधिकारी के पास में रिमाण्ड हो गयी तो भी उनको पूरी तरह से सुना नहीं जा करके उनके खिलाफ में फैसले हो जाते हैं। जमीन का बंटवारा अगर वास्तव में सही रूप में मालिक आदमियों में माना जाय तो आज उनके पास 5–5 बीघा जमीन भी नहीं आती है। इस तरह से नागौर के अन्दर बहुत से ऐसे केसेज पेंडिंग पड़े हैं। या तो उनके फैसले नहीं किये जाते हैं, और अगर फैसले करते हैं तो अपने पुराने रिकार्ड को देखकर उनके विपरीत करते हैं। इसलिए राजस्व मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि इस तरह के केस, जो देखते ही जायज महसूस हों, का तुरन्त निपटारा किया जाय।

सभापति महोदय, ऐसे आदमी हैं जो सीलिंग एक्ट से प्रभावित हो रहे हैं, जिनके पास में ज्यादा जमीन है यानि, मैं यह कहना चाहता हूं, 6–6 हजार बीघा जमीन एक एक जागीरदार के पास में थी तो उसने पहले बेनामी नाम से एक आदमी के नाम से ट्रांसफर करायी, फिर दूसरे नाम से ट्रांसफर करायी, फिर तीसरे आदमी के नाम ट्रांसफर करायी। मैं नागौर का एक ऐसा किस्सा सुनाता हूं, जिसके अन्दर आपके अधिकारियों, जो ग्रामीण विकास अभिकरण के बड़े बड़े अधिकारी थे, जैसे प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, ए. ई. एन. है, भूजल विभाग का या ग्रामीण विकास अभिकरण का चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट है, ने सीलिंग की जो ज्यादा जमीन थी, जो जमीन सीलिंग से प्रभावित थी, ऐसी जमीन ले ले कर उसके अन्दर ट्यूबवैल धकाधक बना लिये। यह समझ लीजिए कि ऐसे जो ट्रांसफर हुए हैं उन ट्रांसफरों का पट्टा वगैरह लेने की कार्यवाही एक दिन में सन्नाट बन्द हो जाती है कि जिसका कोई अता पता नहीं लग सकता है और काश्तकार, जो बेचारा वाजिब से लेन देन करता है, का तो कई दिनों तक नामान्तरण नहीं होता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, इसमें मैं थोड़ा सा समय लूंगा। मेरी पार्टी से मैं एक ही बोलूंगा। अब थोड़ा जल्दी जल्दी बोलूंगा।

श्री सभापति : कृपया दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री महाराम चौधरी : सभापति महोदय, राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 के अन्दर आपने 24-1-84 को इस तरह का संशोधन कर दिया है कि आप जमीन अलाट करते हैं, उसका फर्स्ट अपील में जिसको अलाट की जाती है उसके हक में फैसला नहीं होता है तो उसके बाद में सैकिंड अपील के लिए वह रेवेन्यू बोर्ड में जाता है। उस पर एक तरह की पाबंदी लगाई हुई है कि पच्चीस प्रतिशत जमीन की वैल्यू जमा करा देता है तो ही वह

(श्री महाराम चौधरी)

अपील करने का अधिकारी है। इस तरह के ये अंधाधुंध आप संशोधन कर देते हैं जो....

श्री हीरालाल देवपुरा (राजस्व मंत्री) : यह तो कालोनाइजेशन का प्रश्न है। इसको आप नागौर में कहां ला रहे हैं।

श्री महाराम चौधरी : सभापति महोदय, चाहे उपनिवेशन समझो चाहे किसी और को समझो, यह काश्तकारों के हित की बात है, जो टालमटोल होती है....

श्री हीरालाल देवपुरा : मेरा मतलब यह है कि यह नागौर जिले में लागू नहीं है।

श्री महाराम चौधरी : नागौर जिले के काश्तकार भी उस जगह पर जमीन अलाट कराने के लिए गए हैं और उससे प्रभावित हुए है इसलिए मुझे इसका ज्ञान हुआ है।

तो सभापति महोदय, मैं आपको बताऊं, इस तरह के एक नहीं अनेकों फैसले हुए हैं जो मैं आपको उदाहरण दे करके प्रस्तुत करना चाहता हूं। प्रार्थी का नाम है बक्शा राम पुत्र राजूराम साकिन भांवदा। इस आदमी पर अतिक्रमण की जमीन के सम्बन्ध में जुर्माना किया गया, वह जुर्माना तहसीलदार ने किया। उसकी ए. डी. एम. के पास में अपील की गयी। उस अपील को ए. डी. एम. ने खारिज कर दिया। उसके बाद जिस काश्तकार ने एक दफा भी जमीन नहीं बोयी, उसके रिकार्ड में दुरुस्ती नहीं होने के कारण मतालवा में रकम चढ़ी हुई रहने के कारण उसके पास में फिर नोटिस गया। फिर दुबारा उस पर ए. डी. एम. के पास में अपील की। फिर भी ए. डी. एम. ने यह फैसला किया कि यह जुर्माना माफ किया हुआ है। इस तरह से नागौर तहसील में सैंकड़ों केसेज हैं जिनमे ए. डी. एम. की कोर्ट से फैसला होने के बाद में भी मतालवे के अन्दर जमीन नहीं छूटी। बार बार काश्तकारों को नोटिस दिए जाते हैं और बार बार उनको परेशान किया जाता है। कई कई मामलों में ऐसे मौकों पर तो वसूली की कार्यवाही शुरू की जाती है जिस वक्त में आखा तीज पर विवाह शादी का मौका होता है। उस वक्त नोटिस लेकर जावें तो एक तरह से वह भयंकर परेशानी में फंस जाते हैं जिसको नोटिस जाता है। इसलिए राजस्व मंत्री महोदय से मैं यह निवेदन करूंगा। कि आप नागौर तहसील में इस तरह के मामलों की जानकारी करावे कि ए. डी. एम. कोर्ट से इस तरह के कितने फैसले हुए हैं लेकिन मतालवे में आज तक रकम नहीं हटाई गई है।

सभापति महोदय, मैं राजस्व मंत्री महोदय से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि पश्चिमी राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में जो ढाणियों में आबाद रहते हैं वह रेवेन्यू की जमीन है। वह पूरी सरहद में अलग अलग बसे हुए हैं यानि पूरे कांकड़ में बसे हुए हैं। इसलिए आप यह नीति निर्धारित कर दें कि पच्चीस हजार बीघा की जिस किसी गांव की रेवेन्यू की जमीन है उस को एक गांव घोषित करें। पचास हजार बीघा

(श्री महाराम चौधरी)

का जिस गांव का रकबा है उसको एक अलग गांव घोषित करें। 75 हजार बीघा का कोई गांव है तो उसको आप एक अलग गांव घोषित करें। एक एक लाख बीघा के रकबे में बसे हुए जो बहुत बड़े बड़े गांव हैं जब तक वह छोटे नहीं होंगे तब तक जो उनके विकास की सुविधायें हैं वह सुविधायें उपलब्ध नहीं हो सकतीं। इसलिए इस पर भी आपको पूरी तरह से विचार करना चाहिए।

सभापति महोदय, एक चीज और आपके ध्यान में लाना चाहता हूं।

श्री **सभापति** : अब समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री **महाराम चौधरी** : सभापति महोदय, जो आपके ट्रेसपासरों का नियमन करने का एक्ट था, पहले तो पिछले तीन चार सालों के अन्दर नागौर के अन्दर यह नियमन की कभी बैठक हुई ही नहीं। नियमन के ऐसे भी केसेज हैं, मैं एक आपको उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं, सरकार वर्सेज किशनाराम सन आफ गिरधाराम, 25–6–73 को तहसीलदार ने छः या सात बीधा जमीन या तो स्ट्रिप आफ लैंड होने की वजह से या शुरू से कब्जा काश्त होने से या सैटलमेंट होने से बाकी रहने की वजह से उसके नियमन की सिफारिश कर दी। यह सिफारिश करने के बाद में भी उसका नियमन रिकार्ड में अमल दरामद नहीं हुआ या आगे कार्यवाही नहीं हुई तो फिर उस को नोटिस देने की कार्यवाही हो गई। वह हैरान हो गया। फिर तहसील में जाकर इस सम्बन्ध की कार्यवाही की तो उसके मुकदमा नम्बर 509/80 के अन्दर फिर नियमन की कार्यवाही हुई। उसमें फैसला फिर भी उसके हक में हुआ और उसका नियमन करने की सिफारिश की गई लेकिन उसका भी आज तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ।

सभापति महोदय, इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि अतिक्रमण सम्बन्धी ऐसे बहुत से काश्तकारों के मामले पेंडिंग हैं जिनके पास में पचास पचास, साठ साठ बीघा जमीन है, वह साधारण गरीब काश्तकार हैं उनका दस पन्द्रह हजार रुपया अतिक्रमण का सालों साल का लगता है यानि जिसने अतिक्रमण किया ही नहीं, तो भी वह मतालबा के अन्दर अतिक्रमण चढ़ा कर उसका जुर्माना चढ़ा दिया। उस काश्तकार को आज तक मालूम ही नहीं पड़ा, रकम बढ़ते बढ़ते काफी बढ़ गई। यहां तक भी मामला रहा, सभापति महोदय, जब अकाल पड़ता है और बरसात नहीं होती है तो जिसका अतिक्रमण जहां पर दर्ज किया हुआ है वह बरसात नहीं होने की वजह से खेत पर गया ही नहीं, बीज उसने बोया ही नहीं फिर भी अकाल के समय में भी उसका अतिक्रमण घोषित कर दिया और जुर्माना लगा दिया। मैं आपके मार्फत निवेदन करूंगा नागौर तहसील के नार, गांगरा, नारवाखुर्द के अन्दर अनेक काश्तकारों ऐसे हैं जिन पर 15–15, 20–20 हजार रुपये जुर्माना के लगे हुए हैं। उस सम्बन्ध में

(श्री महाराम चौधरी)

कोई कार्यवाही हो नहीं रही है। वास्तव में उन्होंने उस जमीन का उपयोग किया ही नहीं है। अगर उपयोग किसी ने किया है तो स्ट्रिप ग्राफ लैंड है या वर्षों से उसका कब्जा काश्त है।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं सैटलमेंट के बारे में थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति : अब आप विराजिये, माननीय सदस्य।

श्री महाराम चौधरी : अजमेर के काश्तकारों का सवाल है।

श्री सभापति : अब समाप्त कीजिए।

श्री महाराम चौधरी : मंत्री महोदय की नालेज में भी है तो ..

श्री सभापति : अब समाप्त कीजिए, कृपया।

श्री महाराम चौधरी : जो आप लैंड रेवेन्यू एक्ट की धारा 106 और 107 के तहत कार्यवाही कर रहे हैं उस कार्यवाही के अन्दर पुराना लगान ही रहने दिया जावे। जो रिकार्ड दुरुस्ती हुई है मौके पर जो जिस जमीन का मालिक है उसको उसी का मालिक रहने दें। सिवाय चक वगैरह में पहले भूल से उसने....

(व्यवधान)

69 को बेस मान कर....

श्री सभापति : आप बिराज जाइये अब। आपने वक्त काफी ले लिया है।

श्री महाराम चौधरी : सैटलमेंट के संबंध मेरा ऐसा निवेदन करना है कि अगर ये सैटलमेंट के अन्दर किसी तरह से भूल से या जान बूझ करके कोई जमीन की किस्म लिख दी गई है, वास्तव में वह मगरा है और भूल से अगर उसकी किस्म दोयम या सोयम लिख दी है और उसके पट्टे में साध ली। वास्तव में वह सार्वजनिक जमीन है तो सार्वजनिक जमीन के लिए कौन किस की पैरवी करे। सार्वजनिक जमीन का धणी कोई नहीं होता है। जब बात बहुत भयंकर बढ़ जाती है तो कोई कार्यवाही की जाती है। यदि इस तरह की बात रेवेन्यू वालों को मालूम हो जावे कि यह सैटलमेंट की भूल रही है और 25 बीघा मगरा इस पर्टीकूलर आदमी के खेत में आ गया है तो उनको स्वतः कार्यवाही करके जैसी जमीन है उसकी वैसी किस्म लिख करके पहली लिखी किस्म हटानी चाहिये। गांव बरण, तहसील नागौर में खसरा नम्बर 144, पच्चीस बीघा एक बिस्वा का ऐसा मगरा है जो वास्तव में बोने लायक नहीं है और एक तरह भाकर टाइप है, ऐसे खसरा नम्बरान, जिनके बारे में पटवारी को मालूम है, आर आई. को मालूम है, को रेवेन्यू वालों को स्वतः ही खाते से हटा करके उसको यह सुविधा देनी चाहिये।

धन्यवाद।

श्री सभापति : भैरू लाल।

श्री भेरूंलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण) : माननीय सभापति महोदय, मांग सं. 8 पर चर्चा हो रही है। मैं भी इसमें कुछ मेरे क्षेत्र की बातें कहना चाहूंगा।

बीस सूत्री कार्यक्रम के तहत जो राजस्व अभियान चलाया गया उसमें काफी भूमि अलाट की गई और नामान्तरण किये गये। जब प्रशासन गांवों की ओर का अभियान चला उसमें मुझे भी जाने का मौका मिला। लोगों की काफी शिकायतें थी। जो भूमि मौके पर ही अलाट कर दी गई उसका तो कुछ हो गया लेकिन जिनको नहीं की गई, जिनको कहा गया तुम्हें बाद में अलाट कर दी जायेगी पटवारियों ने या तहसीलदार साहब ने या जिन अधिकारी को पट्टे देने का अधिकार दिया गया है उन्होंने कम से कम किसी से तीन सौ, किसी से चार सौ रुपये लिये तब जाकर पट्टे दिये। उनको भी सही रूप से अलाटमेंट नहीं किया गया और उनको पट्टे भी नहीं दिये गये।

इसी तरह जो भाई-बंटवारा होता है, पहले बाप के नाम जमीन थी उसके बाद भाई-बंटवारा हो जाता है। भाई-बंटवारा के बाद उनके अलग अलग हिस्से किये हुए हैं। मौके पर बहुत से किसानों ने कहा कि इनका आपस में बंटवारा हो गया है, इनके अलग अलग हिस्से हैं, जिस तरह से इनको बंटवारा किया गया है उसी तरह से नामान्तरण कर दिया जाय. अलग अलग जमीन के हिस्से कर अलग अलग लगान तय कर दिया जाय। लेकिन वह नहीं किया गया, इस कारण उनके काफी आपस में झगड़े हैं। आज के जमाने हम जानते है कि पहले तो सारा गांव, मुखिया जो निर्णय लेता था उसको मानता था लेकिन आज तो स्थिति यह है कि एक भाई फैसला करेगा दूसरा नहीं मानेगा, बाप फैसला करेगा तो बेटा नहीं मानेगा। इस तरह की व्यवस्था हो गयी है। इस प्रकार से जो बंटवारा हो गया, है मैं चाहूंगा राजस्व मन्त्री महोदय से कि इस भाई-बंटवारे को सही रूप से कर दिया जाय जिससे आपसी मतभेद न हों और सही रूप से मिलकर रह सकें।

श्री भेरूंसिंह गुर्जर :सभापति महोदय, कोरम नहीं है। कोरम के बिना तो कार्य-चलनी ही नहीं चाहिये।

श्री सभापति : कोरम है, आप तो अपनी बात जारी रखें।

श्री भेरूंलाल मीणा : दूसरा मेरा यह निवेदन था कि मेरे चुनाव क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में ग्रामीण क्षेत्र चारों ओर लगा हुआ है। कटमोशन भी मैंने दिया है कि गांव के मास्टर प्लान में कई एक गांव आ गये है ...

श्री मेघराज तावड़ : सभापति महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर। कोरम नहीं है। उसके अभाव में हम अपने विचार रखें, यह उचित नहीं है। वास्तव में कोरम पूरा होना चाहिये।

(गण-पूरक घंटी)

(गणपूर्ति के पश्चात्)

श्री सभापति : प्रारम्भ कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री भैरू लाल मीणा : सभापति महोदय, मेरे ग्रामीण क्षेत्र के कई एक गांव उदपुर के मास्टर प्लान में आ गये। हमारे क्षेत्र के कार्यकर्ता राजस्व मन्त्री महोदय से भी मिले। राजस्व मन्त्रीजी ने हम को यह कहा कि जो गांव मास्टर प्लान में आयेंगे उनको किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी। एक तरफ तो यह कहा जाता है किन्तु दूसरी तरफ मास्टर प्लान में जो जमीन है उस जमीन पर कोई काश्तकार अपना मकान बनाना चाहता है तो उसको नियमान्तर्गत नहीं कहा जाता है। यह कहते हैं कि यह गलत बना रहे हो, यह मास्टर प्लान में आ रहा है, इसलिए इसको नहीं बना सकते। जो गांव मास्टर प्लान में आ गये उन गांवों में अगर कोई काश्तकार अपना मकान बनाना चाहे तो उसको मास्टर प्लान के हिसाब से मना कर देते हैं, यह मकान तुम नहीं बना सकते। मास्टर प्लान के हिसाब से ही मकान बनाना होगा, यह बात भी नहीं कही जाती है। दूसरी तरफ पैसे वाले लोग, धनी लोग गरीब किसानों या गरीब तबके के लोगों से जमीन खरीद कर प्लाट काट काट कर बेचते हैं और उनका दुगुना, तिगुना, चौगुना पैसा लेकर धन्धा करते हैं। मेरे सारे क्षेत्र के लोग सेठ के पास जाते हैं। एक तरफ कहा जाता है कि तुम मकान नहीं बना सकते और दूसरी तरफ उन्हीं लोगों से जमीन लेकर प्लाट काट कर मकान बनाने के लिये अलाऊ किया जाता है। यह दोनों बात समझ में नहीं आती। इसलिये मैं चाहूंगा कि या तो वह जिस तरह से जमीन लेकर प्लाट काट कर बेचते हैं उसको रोका जाय या फिर जो मास्टर प्लान में गांव आते हैं उनमें स्वतंत्र रूप से जिनकी जो कुछ भी निजी सम्पत्ति है खेती है या जो मकान बनाना चाहते हैं उनको अलाऊ किया जाय। दोनों बात शामिल नहीं होनी चाहिये।

दूसरा मेरा यह निवेदन था कि जो जंगल में बहुत से काश्तकारों ने जमीनें निकाली, जो काश्त काबिल भूमि है, उनको कई वर्ष हो गये हैं। उन्होंने मकान भी बना लिये और कुएं भी खोद लिये और काफी आबाद कर दी जमीन लेकिन अभी तक वह उनके नाम अलाट नहीं हुई। वह अलाट इसलिये नहीं हुई, क्योंकि रेवेन्यू वाले कहते हैं कि यह कि जंगलात में है और जंगलात वाले कहते हैं कि यह रेवेन्यू में है। कहीं कहीं यह भी झगड़ा है। इस झगड़े में उनको अलाट भी नहीं की जाती है और कहीं कहीं जंगलात के बीच में अलाट कर दी जाती है। तो अब ऐसे किसान, जिन्होंने मकान बना लिये अपना सारा परिवार वहां जमा लिया, एक ही नहीं, पांच-पांच, दस-दस हैं उनको कहां जाना होगा?

श्री सभापति : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री भैरू लाल मीणा : मुझे बोलने भी देंगे, एक मिनट भी नहीं हुआ, सभापति महोदय।

श्री सभापति : आप एक मिनट में समाप्त कर दें, माननीय सदस्य। अपनी बातें पूरी करें, माननीय सदस्य।

श्री भैरू लाल मीणा : राष्ट्रीय मार्ग 8 पर रोज आना-जाना होता है, वहां देखने को मिलता है, वैसे बाहर भी देखते

(श्री भैरू लाल मीणा)

हैं लेकिन आम तौर पर वहां यह ज्यादा नजर आता है जब से मैं विधायक बना हूं देखता हूं कि राष्ट्रीय मार्ग के दोनों किनारों पर हर साल खड्डे खुदते है और हर साल पेड़ लगते हैं लेकिन हजारों पेड़ लगाते हैं और हजारों पेड़ बेकार चले जाते हैं। खड्डे खुदते रहते हैं पेड़ लगते रहते हैं लेकिन उनकी रक्षा नहीं होती। मेरा निवेदन है कि जो पेड़ लगायें उनकी रक्षा होनी चाहिये। पैसा खड्डे खोदने में आप लगाते हैं तो उनकी रक्षा करने के लिये भी पैसा लगाना चाहिये ताकि वृक्ष बड़े हों। उनका रख-रखाव सही ढग से नहीं होने की वजह से पेड़ लगाना या नहीं लगाना बराबर हैं।

एक बड़ी खुशी की बात हैं, सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जो जंगलों के पास रहते हैं, गांवों में रहते हैं उनको जो वीरान जमीन पड़ी हैं, जंगलात की उसमें 5 बीघा, 10 बीघा जमीन देकर पेड़ लगाने की सुविधा दी है। इसके लिये मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सरकार प्लानिंग करके जंगलों का विकास कर रही है जिससे पेड़ों की रक्षा हो सकेगी और जिस जमीन पर पेड़ लगाने के लिये अधिकार दिये गये हैं उसके अन्दर से जो भी घास फूस मिलेगा उसको बेच कर वह अपनी जीविका भी चलायेंगे, जंगलों की भी रक्षा करेंगे और जंगल भी बढ़ेंगे। मगर इसमें एक बात है कि उनको सही रूप से अधिकार नहीं दिया गया तो उनका मालिकाना हक नहीं। इस डर के कारण कुछ लोग तो लगाते हैं और कुछ लगाते भी नहीं हैं वह सोचते हैं कि हम पेड़ लगायेंगे, पेड़ बड़े करेंगे उसके बाद जमीन वापस सरकार ले लेगी तो येह पड़े लगाना बेकार है।

श्री सभापति : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री भैरू लाल मीणा : आपने समय दिया उसके लिये धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री देवीसिह भाटी (कोलायत) : सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं वन विभाग को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने राजस्थान नहर क्षेत्र में मुख्य नहर के बायीं ओर वन लगाने, चरागाह विकसित करने का कार्यक्रम बनाया है। इसके लिये वह बधाई के पात्र है। इससे हमारी पेड़ों की बहुत बड़ी समस्या है उसका समाधान हो जायेगा। इसके साथ में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपका कार्यक्रम तो बहुत बढ़िया है परन्तु नहर के बायीं ओर करीबन दो किलोमीटर क्षेत्र एक्वायर करने जा रहे हैं किन्तु मेरा निवेदन है कि आपने निर्देश जारी किये हैं, उस हिसाब से चाहे वह आपका विभाग है, चाहे कालोनाइजेशन है, उसमें कोआर्डिनेशन नहीं रहने की वजह से काश्तकारों की जो भूमि अवाप्ति की जाती है उसका समय पर कम्पेनसेशन नहीं दिया जाता है। जैसा कि प्रस्तावित है नहर की दाहिनी

(श्री देवीसिंह भाटी)

और जो भूमि दी जाती है वह नहीं दी जायगी। इसलिये मैं चाहूंगा कि इस पर आप विशेष तौर से ध्यान दें। किसानों की जमीन एक्वायर की जाये, उसके साथ साथ कार्यवाही करके उनकी कम्पेनसेट किया जाये।

सभापति महोदय मुझे अगर किसी भी विभाग का कार्यक्रम पसन्द आया तो वह है वन विभाग का। जहां भी देखते हैं वहां वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है। जहां अनावश्यक' बेकार भूमि पड़ी है वहां तारबन्दी करके उन्होंने पौधे लगाये हैं, चरागाह को विकसित किया है। सड़कों के किनारे पेड़ लगाये हैं। निश्चित तौर से इसका रिजल्ट सामने आया है, इससे वाकई में लोगों का हित होगा। मैं तो चाहूंगा, राज्य सरकार ज्यादा से ज्यादा बजट वन विभाग को दे। मैं तो चाहूंगा कि 70 प्रतिशत बजट आप वन विभाग को दे दें तो इस प्रदेश की कायापलट हो जायेगी और सब समस्याओं का समाधान हो जायेगा।

सभापति महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा आप जो भी पैसा लगाते हो, जहां भी चरागाह विकसित किये हैं, उसकी फेन्सिंग की गयी है, आप बजट खर्च करते हैं परन्तु उसकी मेन्टीनेन्स पर खर्चा नहीं होता है जिसकी वजह से तार टूट जाते हैं और वृक्षों को बड़ा नुकसान होता है, पौधों को नुकसान होता है, चरागाहों का नुकसान होता है। इसलिए इस के साथ साथ इसको पूरी निगरानी रखें।

एक आपने जो सूबबूल का पेड़ लगाना चालू किया है। हमारे पश्चिमी राजस्थान में भेड़ों की संख्या बहुत ज्यादा है। जैसे ही कोई पौधा लगाया जाता है हिरण उसको खा जाते हैं। इसके लिये आप पूरा जाप्ता करें ताकि हिरण वगैरह नुकसान नहीं पहुंचाने पावें। सूबबूल एक अच्छा पौधा है। रेगिस्तानी इलाके का निश्चित तौर से इससे फायदा होगा।

मैं अपनी ओर से एक और सुझाव देना चाहूंगा। जैसा कि देश के अन्दर बहुगुणाजी ने एक चिपको आन्दोलन चला कर रखा है इस चिपको आन्दोलन का जितना ज्यादा प्रचार प्रसार आपका विभाग कर सकता है, उतना प्रचार प्रसार होना चाहिये क्योंकि एक तरफ आप वन लगा रहे हैं, हालांकि बहुत कम संख्या में रेगिस्तानी इलाके में पेड़ पाये जाते हैं, दूसरी तरफ निर्ममता से खेजड़ी जैसे पेड़ों की कटायी हो रही है। उसका कोयला बनता है। इसलिये जिस प्रकार परिवार कल्याण का प्रचार हो रहा है, उसी प्रकार से आप चिपको आन्दोलन का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें तो निश्चित तौर पर लोगों को लाभ मिलेगा।

अब मैं राजस्व विभाग के लिये निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय। भूतपूर्व रियासत जैसलमेर के अन्दर कोई भी रेवेन्यू रिकार्ड नहीं था। यह निश्चित तौर पर आप भी मानते हैं, सब मानते हैं कि यह एक स्टेट की गलती थी। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो निश्चित तौर पर आपने इस के लिये टिनेन्सी एक्ट लागू किया। आप चाहते थे कि ऐसे काश्तकार,

(श्री देवीसिंह भाटी)

जो अपने अधिकार से वंचित रह गये हैं, को निश्चित तौर से फायदा दें। परन्तु, सभापति महोदय, जैसा कि आपने 15. 10. 1955 को टिनेन्सी एक्ट लागू किया, उस दौरान हमारे 45 गांव जैसलमेर से कोलायत बीकानेर जिले के अन्दर आये। एक तरफ कोलायत में 45 गांव आये और 39 गांव जैसलमेर से निकल कर जोधपुर जिले में चले गये। इन 39 गांवों को तुरन्त आपने खातेदारी दे दी जब कि कालोनाइजेशन एक्ट हमारे यहां 10. 5. 1956 को लागू हुआ। इस पीरियड के बीच 39 गांवों को खातेदारी दे दी तुरन्त लेकिन हमारे गांवों को खातेदारी क्यों नहीं दी? यह काश्तकारों की समस्या थी। इसमें उनका कोई कसूर नहीं था। इसमें आप गलती कर गये। इसके बाद में जब आपने यह देखा कि कालोनाइजेशन एक्ट लागू हो गया तो उसके तहत दफा 15 में खातेदारी दे सकते थे परन्तु 15 में खातेदारी नहीं दी। फिर 15–ए लागू कर दिया और फिर इस अधिकार से वंचित कर दिया गया। बाद में 1979 में आपने 15–एएए लागू कर दिया। इसमें ऐसा कोई संशोधन नहीं लाया गया जिससे पूरा फायदा मिल जाता। इसके बाद में अब जो संशोधन लाये हैं उसमें भी आपने फंसा कर रख दिया काश्तकार को, जैसा कि जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया आप यूनिट किस को मान रहे हैं। जो 1955 में एक्ट बना था, उस वक्त जो यूनिट दर्ज हुई उसी को आप मान कर 25 बीघा जमीन देने जा रहे हैं। तो जिस परिवार में 1955 के बाद में जो दो साल का लड़का था वह भी बालिग हो गया, उसके भी बच्चे हो गये उन सब में 25 बीघा का बंटवारा करेंगे तो उनको, किसी को दो बिस्वा पांती आयेगी, किसी के बिस्वा पांती आयेगी। फिर क्या रिलीफ दे रहे हैं? तो सिर्फ यह कागजी घोषणा नहीं करें।

इसके साथ में जैसा निर्देश पूर्व में राजस्व विभाग से जारी हुआ है, कालोनाइजेशन कमिश्नर को निर्देश जारी हुआ है, उसमें खुलासा कर दिया है कि किसी भी प्रकार से आप एक मुरब्बे से ज्यादा तो देंगे ही नहीं। सभापति महोदय, यह स्पष्ट किया है, राजस्व उपनिवेशन विभाग से शासन उप सचिव का पत्र निकला है क्रमांक प–3 (अ) 24/राज/उप/79 दिनांक 7.–1. 1983। आयुक्त उपनिवेशन को लिखा है उसमें आपने स्पष्ट कर दिया कि 15. 10. 1955 के पश्चात् कृषक की मृत्यु हो जाने से जहां वारिसान के नाम इन्तकाल दर्ज हो गया है समस्त वारिसान को एक यूनिट मान कर केवल 25 बीघा कमाण्ड भूमि निःशुल्क दी जानी चाहिये। वारिसान को मूल कृषक को मिलने वाले लाभ को आपने बांध दिया कि एक मुरब्बा से ज्यादा नहीं मिलेगा। इसके साथ ही आपने फिर दूसरे में लिखा है कि कोई सह-कृषक दर्ज हो गया फिर भी एक देंगे। तीसरे में आपने लिखा है, जैसे कोई संयुक्त परिवार था, उसके दादा भी शामिल था, उसका पोता भी शामिल था, बड़े बालिग भाई भी शामिल थे, अगर 1955 के अन्दर बालिग सदस्य एक परिवार में 25 थे तो भी आपने एक यूनिट माना। एक

(श्री देवीसिंह भाटी)

यूनिट मानकर अगर इस प्रकार राहत देना चाहेंगे तो इसका कोई भी लाभ मिलने वाला नहीं है। इसलिये मैं राजस्व मंत्री जी से नम्र निवेदन करूंगा, मुख्य मंत्रीजी भी यहां बिराज रहे हैं, उस क्षेत्र में ऐसे केसेज ज्यादा नहीं हैं और ज्यादा हैं नहीं, अगर आप कुल मिला कर देखें तो 8 पर्सेन्ट, 7 पर्सेन्ट से ज्यादा जमीन नहीं है ऐसे लोगों के पास जो आज भी काबिज हैं और गैर खातेदार हैं। इस के सम्बन्ध में मुख्य मन्त्रीजी ने जगह जगह लोगों को आश्वासन दिया है, पुनर्विचार के लिये भी कहा है। शायद राज्य सरकार विचार कर रही थी कि इस सत्र क अन्दर इसके लिये संशोधन लायेगी, लेकिन वह भी नहीं लायी। परन्तु फिर भी भविष्य के लिये मैं आप से निवेदन करूं कि ऐसे ज्यादा केसेज हैं नहीं, अगर रिलीफ देना चाहेंगे तो निश्चित तौर पर आगे जाकर आपको फायदा होगा। हम आपको कहते हैं....

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

मैं बोलूंगा थोड़ा....

श्री सभापति : कृपया जल्दी समाप्त करें।

श्री देवीसिंह भाटी : मैं पूरे राजस्थान बेल्ट के लिये बोल रहा हूं इसलिए थोड़ा समय दे दें।

श्री सभापति : राजस्व की मांग से सम्बन्धित ही बोलें।

श्री देवीसिंह भाटी : इसलिये मैं निवेदन कर रहा हूं कि अगर आप कुछ कीमत लगाना चाहें तो आप बैटरमेन्ट लेवी लागू कर दें हम बैटरमेन्ट लेवी देने के लिये तैयार हैं। परन्तु आज आप भूमि जो भी देने जा रहे हैं उसकी अगर कीमत 35 हजार लेंगे तो यह बड़ा अन्याय होगा उस क्षेत्र के काश्तकारों के साथ, क्योंकि उस वक्त एक तो हमारे साथ बड़ी ज्यादती हो गयी आपके विभाग के द्वारा जिस वक्त प्रथम समरी सैटलमेंट का कार्यक्रम चालू हुआ, संवत् 2012 के अन्दर आपके अधिकारीगण गये, जो आपका स्टाफ गया, उन्होंने जो जमीनें थी उनकी मौके पर जाकर पैमाइश नहीं की। एक गांव में किसी भी जागीरदार या मुखिया के पास बैठ गये और उसने जो भी बताया कि इसके 50 बीघा है, इसके 100 बीघा है, वह लिख लिया, मौके पर जाकर पैमाईश नहीं की। तो वह संवत् 2012 म और फिर 1955 में मारा गया। इसके बाद में सैटलमेन्ट में भी वह वंचित रह गया। ऐसे केसेज में उसको किसी वजह से बेदखल कर दिया हालांकि उसकी झोंपड़ी, उसके कुण्ड और उसके कुए आपने दर्ज कर लिये परन्तु उसका खेत दर्ज नहीं किया। सम्बन्धित मंत्री महोदय और मुख्य मंत्री महोदय यहां विराज रहे हैं, हालांकि यह मामूली केसेज हैं परन्तु जिसके साथ अन्याय होगा उसको बड़ा दुख होगा। सबूत के लिये उसका झोंपड़ा दर्ज है, उसका कुण्ड दर्ज है, उसका कुआं दर्ज है और यह आज तक उसके पास रिकार्ड है कि वह वहां पर काश्त करता रहा है फिर आपने उसको दर्ज नहीं किया है। इससे उस क्षेत्र में बड़ी समस्या खड़ी

(278)

(श्री देवीसिंह भाटी)

हो रही है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय को निवेदन करूंगा कि एक तरफ तो जो भूमिहीन कृषक है, उसे आप जमीन अलाट करते हैं 25 बीघा, दूसरी तरफ जो भूमिहीन दूसरे जिले का रहने वाला है उसे आप जो 25 बीघा जमीन देंगे उससे आप 35 हजार रुपया ले रहे हैं या जो भी कीमत निर्धारित करते हैं वह लेंगे ऐसे अलाटी से। जो काश्तकार पीढ़ियों से जैसलमेर के रहने वाले थे और अब बीकानेर जिले में आ गये हैं उन के साथ आप एक जैसा बर्ताव कर रहे हैं, अलाटी और पुराना वासिन्दगान में आप कोई फर्क समझेंगे या नहीं। अलाटी से भी आप वही कीमत ले रहे हैं 35 हजार रुपये और जो पीढ़ियों से वहां बैठे हैं, आप मान रहे हैं कि पीढ़ियों से बैठे हैं तो एक अलाटी और एक पुराना वासिन्दगान में तो कम से कम डिफरेन्स होना चाहिये। आप शहरी क्षेत्र में देखें, जिसके 1971 के कब्जे थे वह भी नियमन कर दिये गये, 1981 के कब्जे थे वह भी नियमन कर दिये गये हैं जयपुर शहर के अन्दर जो उस जमीन की लाखों की कीमत है वहां पर आपने ध्यान नहीं दिया उनको रेगूलेराइज करते गए परन्तु जो एक नया अलाटी है, जो भूमिहीन है, और जो पीढ़ियों से रह रहा है, उनमें तो डिफरेंस आपको करना ही पड़ेगा। यह तो निश्चित तौर से न्याय की बात है। इस पर मंत्री महोदय विचार करें। इसमें कोई ज्यादा रेवेन्यू का लास नहीं होने वाला है। आगे जाकर आपके हित में होगा, राज्य के हित में होगा, उन काश्तकारों के भी हित में होगा। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जो पूर्व में आश्वासन दिये हैं उसके अनुसार आप निश्चित तौर पर जल्दी ही कार्यवाही कर इसमें निर्णय लें तो हमारे क्षेत्र के लोगों को निश्चित तौर पर लाभ होगा।

धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री आमलिया।

(अनुपस्थित)

श्री राधेश्याम।

(अनुपस्थित)

श्री घनश्याम।

(अनुपस्थित)

श्री राम रघुनाथ।

(अनुपस्थित)

श्री कंवरिया।

श्री सी. एल. कंवरिया (दूदू) : माननीय सभापति महोदय, मैं अजमेर जिले की एक समस्या की ओर माननीय राजस्व मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अजमेर जिले में 976 गांव हैं। 1969 में एक बहुत बड़ी शिकायत राज्य सरकार के समक्ष रखी गयी। उस वक्त स्वर्गीय श्री मोहनलाल सुखाड़िया साहब

(श्री सी.एल. कंवरिया)

मुख्य मंत्री थे और स्वर्गीय रामकिशोरजी राजस्व मंत्री थे। अजमेर के काश्तकारों में यह आम धारणा बिल्कुल सही थी कि रेवेन्यू रिकार्ड से उनके कब्जे जो जमीनें पर थे वह मिलान नहीं खाते थे। इस विषय पर काफी विचार विमर्श उस वक्त हुआ था। राजस्व मण्डल के चेयरमैन, रेवेन्यू सेक्रेटरी आदि की रामकिशोर जी की अध्यक्षता में उस वक्त एक मीटिंग हुई। उसमें यह निर्णय लिया गया कि इन ग्रामों का सर्वे करा कर इसका रिकार्ड तरमीम कराया जाय। उसी के आधार पर 16 अप्रेल, 1970 को लैण्ड रेवेन्यू की धारा 106 और 107 के मुताबिक नोटिफिकेशन जारी किया गया और यह तय किया गया कि इन ग्रामीण क्षेत्रों, जहां रिकार्ड और कब्जे से मेल नहीं होता है, कारी-सर्वे किया जाय और उसके मुताबिक रिकार्ड को तरमीम किया जाय। यह अजमेर की समस्या इस प्रकार की है कि अजमेर में पहले 1950 में अजमेर टिनेन्सी एक्ट लागू था उसके मुताबिक खातेदारान, हम राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में खातेदारान कहते हैं, खेवटदारान कहलाते थे, हर गांव में। जो खालसा के गांव थे उनमें जो खातेदार थे वे खेवटदार कहलाते थे। उन खेवटदारों की जो निजी खाते की जमीनें थी वह तो उनके नाम थी लेकिन बहुत सी जगह ऐसी जमीनें थी जिसकी शामलात देह बोलते थे। जितने गांव के खातेदारान होते थे, खेवटदारान होते थे उन्हीं की शामिलात भूमि कहलाती थी और उन पर खेवटदारान का हक होता था। इस शामिलात की जमीन को काश्तकार अलग अलग बटवारे से काश्त भी करते थे। उनके नाम जब भी वे काश्त करते थे तो उसका लगान भी शामलात देह के नाम से भरा जाता था। इसी प्रकार जो खालसा के अलावा गांव थे वे थे इस्तमरारदारी और जागीरदारी के गांव थे उनमें भी इसी प्रकार की समस्या थी। बहुत से खेत जो उनके मुस्तकिल काश्त में थे वे तो उनके नाम पर थे लेकिन बहुत से खेत ऐसे थे जिन पर वे जब भी काश्त करते थे, वह बारानी लैंड थी, बारानी लैण्ड पर जब भी वे काश्त करते थे इस्तमरारदार या जागीरदार उनसे बांटा लेता था। अजमेर में पहले सैटलमेंट 1943 में हुआ, उसके बाद में इस्तमरारदारी या जागीरदारी एरियों का सैटलमेन्ट 1952 में हुआ, लेकिन सैटलमेंट में किसी न किसी रूप में इन काश्तकारों के कब्जे में होते हुए भी जमीन सिवाय चक में दर्ज कर दी गई। इस्तमरारदारी और जागीरदारी इलाके में पहले तो उनके नाम चढ़ाई गई और बाद में उसको सिवाय चक में दर्ज कर दिया। इसी प्रकार यह शामिलात की जमीन थी उसमें काश्तकारों के कब्जे थे वह जमीन भी इसी प्रकार से चढ़ा दी। इस शिकायत को दूर करने के लिए यह 106 और 107 का नोटिफिकेशन निकाला गया।

श्री सभापति : कृपया संक्षेप में अपनी बात कहें।

श्री सी. एल. कंवारिया : मैं इस बात को संक्षेप में ही कह रहा हूं।

यह सब सर्वे भी हो गया, तरमीम रिकार्ड भी तैयार हो गया लेकिन राज्य

(2५७)

(श्री सी. एल. कंवरिया)

सरकार का उस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ। मेरी जानकारी में यह आया है कि राज्य सरकार उसे पूरा सैटलमेन्ट मान कर लगान बढ़ाना चाहती है। मेरी यह राय है और मैं राजस्व मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा कि हमने 106 और 107 में नोटिफिकेशन निकाला और सिर्फ सर्वे कराकर रिकार्ड तैयार करना था उस के अनुसार हमको लैण्ड रेवेन्यू अभी बढ़ाने की बात नहीं सोचना चाहिए बल्कि जो जमीन है उसके मुताबिक लगान उस पर रखा जाना चाहिए। यह मामला कई वर्षों से पड़ा हुआ है, सन् 1970 से लगाकर सन् 1974 तक उसका कार्य हुआ उस वक्त 4 एडीशनल एस. डी. ओ. लगे, 8 तहसीलदार लगे, 90 अमीन, और पटवारी लगे, काफी खर्चा किया गया किन्तु इतना खर्चा करने के बाद में जो रिकार्ड बनाया गया है उसको हम काम में नहीं ले रहे हैं। अब जानकारी में आया है कि 500 अमीन लगाकर उस पुराने 196? के रिकार्ड यानी खेवट की नकल की जायगी। तो जो रिकार्ड लाखों रुपया खर्च करके तैयार किया गया उस रिकार्ड को क्यों नहीं काम में लिया जा रहा है। मैं माननीय राजस्व मंत्रीजी से यही निवेदन करना चाहूंगा कि यह समस्या अजमेर जिले के 976 गांवों की है, इस समस्या के निराकरण में काफी समय लग गया है। अब इसका जल्दी से जल्दी ही निवारण करें।

बस यही बात कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति : पर्याप्त चर्चा हो चुकी है।

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़।

श्री मेघराज तावड़ : (गोगुन्दा) धन्यवाद।

सभापति महोदय, आज वन और राजस्व विभाग की मांगों पर बहस चल रही। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाकर मोटे तौर से सबसे पहले मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि ....

श्री सभापति : कृपया पांच मिनट में अपनी बात समाप्त कर लें।

श्री मेघराज तावड़ : मेरा 15 मिनट का समय है, सभापति महोदय, पार्टी के हिसाब से।

(व्यवधान)

मैं जल्दी ही समाप्त करूंगा।

सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि अभी उदयपुर जिले में पैमाइश हुई, उनमें या तो मंत्रीजी साहब ने कोई आदेश दिया है या आपके अधिकारी ऐसा कर रहे हैं जो जमीन पहले खालसा हो चुकी थी देवस्थान की, जो सिकमी काश्तकारों थे वह उनके खाते हो गयी थी। लेकिन अभी जब मैं एक दिन

श्री(मेघराज तावड़)

आपके सैटलमेंट आफिस में चला गया तब यह बात मालूम पड़ी कि जितनी भी जमीन सिकमी काश्तकारों के नाम पर हुई थी वह वापस देवस्थान के नाम कर दी गयी। उदयपुर में इस तरह की समस्या है। इसका स्पष्टीकरण करें मंत्री महोदय। अगर ऐसा अधिकारियों ने किया है तो उसका स्पष्टीकरण करें। जो सिकमी काश्तकार थे खेती वे ही करते थे, उनके नाम पर खाते हो गये थे तो उन्हीं के नाम पर रखी जाय।

सभापति महोदय, मैं दूसरा ध्यान इस आदिवासी इलाके, इस पहाड़ी इलाके की तरफ दिलाना चाहता हूं। स्वयं मन्त्री महोदय और मुख्य मन्त्री महोदय भी जानते हैं कि जो आदिवासी इलाका है, वहां बिल्कुल जंगल का इलाका, उसमें जमीन नहीं के बराबर है। यदि किसी आदिवासी का जमीन पर कब्जा है तो वह बिल्कुल पहाड़ी पर है वहां पर कोई उपज नहीं होती है, ऐसी जमीन पर कब्जा है चाहे आधा बीघा हो, चाहे पौन बीघा हो। जैसे उदाहरण के तौर पर बाचूड़ा पटवार सर्कल में मंडारा और छापर गांव है, जिसको मैं खुद देखकर आया हूं एक बिस्वा, दो बिस्वा जमीन पर जिसका कब्जा है उस पर 800/– और 900/– रुपये की पैनल्टी लगाई गयी है। मेरे पास ये कागजात हैं, आपके दिए हुए नोटिस हैं, आप उनकी जानकारी करके एक जनरल आदेश दें। यदि पटवारी को कहीं कुछ दिया नहीं या उसकी सेवा सुश्रुषा नहीं की तो खिन्न होकर इस तरह की पैनल्टी लगाई है। मैंने इस बारे में तहसीलदार से बात की थी, उन्होंने कहा आप ऊपर से बात करिये, हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते।

तो ऐसी हैवी पैनल्टी उन पर लगायी है जिनके पास कुछ नहीं है। इसको आप ठीक करें।

तीसरी बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आपके टिनेंसी एक्ट के अन्दर ट्राइब्स और कास्ट्स की जमीन की अन्य लोगों के नाम रजिस्ट्री नहीं हो सकती थी, बेचान नहीं हो सकता था। मैं आपको कहना चहता हूं, इत्मीनान के साथ कहना चाहता हूं कि कई ऐसे केसेज हैं जिनमें आज भी रजिस्ट्री हो रही है। सभापति महोदय, मुझे ताज्जुब इस बात का है कि मरियम गांव में ऐसे स्टाम्प पेपर पकड़े थे जो आज से तीस चालीस साल पहले के पुराने थे, उनको आज की तारीख में बेचा जा रहा था। आज की तारीख में उन पर लिखा जाता था और 25 –30 साल पहले की उन पर डेट लगायी जाती थी। इस प्रकार से आदिवासियों की जमीनों की रजिस्ट्री की जाती है। ऐसे केसेज हमने अभी पकड़े थे। इसी तरह से आज भी रजिस्ट्री हो रही है। मैं मन्त्री महोदय को कहना चाहता हूं कि धारा 175 के अन्तर्गत नहीं लेकर जो जमीन बेचने वाला है उसको वापस वह जमीन दिलायी जाय। ट्राइब्स और कास्ट्स की जो जमीन जहां पर बिक गयी है उसको वापस दिलाने की घोषणा करें। यदि कानून में संशोधन लाना पड़े तो लायें। अगर ऐसा नहीं

(श्री मेघराज तावड़)

करेंगे तो ट्राइब्स और कास्ट्स की जितनी जमीन है वह चली जायेगी।

सभापति महोदय, इसके साथ साथ सदन का और आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि अभी मंत्रीमंडल ने घोषणा की थी कि ट्राइब्स और कास्ट्स की जमीन जो कस्बों और शहरों के आस-पास है, जो सुरक्षित जमीन है उसको बेचा जा सकता है। इसको बहाल कर दिया, अब वह जमीन बेची जा सकती है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि आपने घोषणा की थी कि ट्राइब्स और कास्ट्स की जमीन बिक्री करने की, उससे गांवों के लोगों में इस तरह का भ्रम पैदा हो गया है कि चक्की के नाम पर, बिजनेस के नाम पर और कार्मशियल पर्पज से बेचे की जाने आपने छूट दी है। यह नहीं दी जाय। अभी मैं दौरे पर गया तो मेरा ध्यान इस ओर दिलाया गया था कि ऐसी जमीन आरा मशीन लगाने के नाम पर, कोई भी छोटा मोटा पैसे वाला आदमी चक्की का नाम लेकर या अन्य कॉमर्शियल पर्पज नाम ले करके आदिवासी से खरीद रहा है। अगर ऐसा चलता रहा तो आदिवासी, ट्राइब्स और कास्ट्स की सारी जमीनें बिक जायेंगी उनके पास कुछ भी नहीं रहेगा, वह बेघरबार हो जायेंगे। उन्हें रहने और खाने के लिये कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए, सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी और राजस्व मंत्रीजी यहां भी बिराजे हुए हैं, मैं चाहूंगा कि जो आपने घोषणा की है उसको वापस लें।

इसी तरह से जो आदिवासियों को, ट्राइब्स को और कास्ट्स को जमीन बेचने का अधिकार दिया गया है वह नहीं दिया जाय।

सभापति महोदय, इसके साथ साथ टिनेंसी एक्ट के अन्तर्गत रजिस्ट्री आज भी हो रही हैं, इंतकाल खोले गये हैं 1956 के बाद। टिनेंसी एक्ट में यह प्रावधान था कि ट्राइब्स और कास्ट्स की जमीन नहीं बेची जा सकती, उसके बाद भी कई रजिस्ट्री हुई हैं। इसलिए जिनकी जमीनें ली गयी हैं, उनको जमीनें वापस दिलायी जायं, ऐसा कानून आप बनायें।

सभापति महोदय, इसके साथ साथ आपका "प्रशासन गांवों की ओर" गया था किन्तु जिस तरह से ट्राइब्स और कास्ट्स के लोगों को 20 सूत्री कार्यक्रम में लाभ मिलना चाहिए था वह नहीं मिला।

इसके साथ साथ एक और मुद्दे की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं....

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

अभी दो तीन मिनट और, सभापति महोदय।

अभी प्रशासन गांवों की ओर गया था इसमें एक मुद्दा यह था कि जो मनी लैण्डर्स हैं वे लोग गरीबों से 10 प्रतिशत, 15 प्रतिशत का ब्याज वसूल करते हैं, उन्होंने जमीनें दबा रखी हैं, गिरवी रखी हुयी हैं, उन जमीनों को छुड़वाया जाय।

(श्री मेघराज तावड़)

उस ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जो लोग गांव में हैं जिनके पास मनी लैण्डर्स एक्ट में लाइसेंस नहीं हैं, उसके बावजूद ऐसा धन्धा करते हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही करें। आपके लम्बे हाथ हैं आप पता लगायें कहां कहां पर ऐसे लोग हैं जो मनी लैंडिंग का काम करते हैं। यह मालूम करके उनके खिलाफ कार्यवाही करें जिन्होंने कानून के अनुसार लाइसेंस नहीं ले रखे हैं।

सभापति महोदय, इसके साथ साथ जो सीलिंग कानून बनाया हुआ है उसको सही ढंग से लागू करना चाहिए। उसमें क्या किया है वह मंत्री जी को भी मालूम है और मुख्य मंत्री जी भी खुद जानते हैं, राजस्थान की सरकार भी जानती है फिर भी जितनी जमीन सीलिंग में आयी है वह ले नहीं पाये हैं। छोटे मोटे लोगों की जमीन ले ली होगी। सभापति महोदय, अफसोस इस बात का है कि डूंगरपुर महाराजा के पास जमीन है, उदयपुर के महाराजा के पास जमीन है, जोधपुर महाराजा के पास जमीन है, बीकानेर और बूंदी, जितने राजा महाराजा हैं उनकी जमीनें आज तक नहीं ली गयी हैं। पता नहीं किस किस के नाम पर, घोड़े गधे के नाम पर जमीन रख छोड़ी है, वह सीलिंग की जमीन, जो हजारों एकड़ है, उनसे लें और उसको बांटें।

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य। कृपया समाप्त करें।

श्री मेघराज तावड़ : दो तीन पाइंट और हैं, सभापति महोदय।

श्री सभापति : एक मिनट में समाप्त करें।

श्री मेघराज तावड़ : जागीरदारों के पास बहुत जमीनें हैं। आज भी डूंगरपुर के महाराजा के पास जमीन है। आज जो लोग उन जमीनों पर काबिज हैं उन खेतों पर काम करते हैं, पहले हिस्सेदारी में काम करते थे, उनके नाम पर जमीन होनी चाहिए। लेकिक उदयपुर और बांसवाड़ा के महाराजा उनको बेदखल कर रहे हैं।

सभापति महोदय, इसी तरह से मैं कहना चाहता हूं कि भू-दान यज्ञ की जो जमीनें हैं उनको भी भूदान बोर्ड के कब्जे में नहीं रहने देकर सरकार अपने कब्जे में ले और उसको अलाट करे।

सभापति महोदय, अब मैं दो मिनट फारेस्ट के बारे में कहना चाहता हूं, नहीं तो मंत्री महोदय नाराज हो जायेंगे। सबसे पहले मैंने प्रश्न उठाया था उसको मैं बहुत सीरीयसली, गम्भीरतापूर्वक कहना चाहता हूं। जंगलों में जो आदिवासी रहता है वह आपके कानून कायदों से वाकिफ नहीं है। इसके साथ जैसा पहले भी बताया था कई रेवेन्यू गांव है जो कि आज गेम्स सैंक्चुरी में लिये गये हैं और लोगों के उनके पैत्रिक अधिकार उनसे छीने गए हैं, वहां पर आदिवासी अपनी गाय बकरियों को चरा नहीं सकते हैं। वे जंगल अब एक तरह से आदिवासियों से छिन गये

(श्री मेघराज तावड़)

हैं। खेतीबाड़ी के काम के लिये लकड़ी नहीं ला सकते हैं। हल के लिये भी लकड़ी नहीं ला सकते हैं, मकान बनाता है आदिवासी तो इमारती लकड़ी के लिये स्लिप लेनी पड़ती है, चिट्ठी कटानी पड़ती है। कई बार अधिकारी नहीं मिलते हैं और मिलते हैं तो जान बूझकर कहते हैं कि मौसन नहीं है, इस मौसम में नहीं काटी जा सकती है। कई आदिवासियों के मकान खुले पड़े हैं, उनके मकान ढके नहीं जा सकते हैं। ऐसे मामले गोगुन्दा, भाड़ोल और कोटड़ा इलाके में बहुत ज्यादा हैं। मंत्री महोदय से चाहूंगा कि बरसात आने से पहले, गर्मी के अन्दर आदिवासियों को इस तरह की लकड़ी लाने को परमिशन दी जाय ताकि वह अपने मकान को ढक सके।

इसके साथ साथ, सभापति महोदय, जंगलात में जो कोई काबिल काश्त जमीन है आदिवासी का उस पर कब्जा है या अन्य किसी का कब्जा है हमने असेम्बली में भी इसको उठाया था कि ऐसे कब्जों को कोई बेदखल नहीं किया जावे। उस समय बेदखल किये जा रहे थे, तो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी ऐसे कब्जे को बेदखल नहीं किये जायेंगे। वैसे तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि कब्जे बेदखल नहीं हुए लेकिन अब यह मामला आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं रहा, केन्द्र के पास चला गया है। तो आपने कितने केसेज को भेजा है जो काबिल काश्त जमीन है जिन पर आदिवासियों के कब्जे हैं उनके नियमन के लिये, उनको निकालने के लिये कितने केसेज केन्द्र को भेजे हैं।

दूसरे, सभापति महोदय, जहां आदिवासी रहता है उनके और फारेस्ट के बीच में आपने बाउन्ड्री बना दी है। यह हमारे जीवन-मरण का मसला है। यह जंगल हमारे कपड़े की तरह से लगे हुए हैं। हम जंगल को बर्बाद नहीं करना चाहते, हम तो जंगल में रहते हैं तो कम से कम हमारा भी जीने का अधिकार है वह तो मिलना चाहिये। आज जो जंगल है 100 गज की दूरी पर आदिवासी का मकान है वहां पर आपने बाउण्ड्री बना दी। यह मैंने प्रश्न के जरिये से भी उठाया था। उस समय भी यही बात बतायी थी। मंत्री महोदय, आपने जो डिसीजन लिये हैं और जिनको आज की तारीख में लागू कर रहे हैं उनके बारे में आदिवासी को मालूम नहीं है। इसलिये आप ऐसी बाउण्ड्री वॉल नहीं बनायें। अभी भी झगड़े चल रहे हैं कोटड़ा में ....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति: समाप्त करें। कृपया बिराजें।

श्री मेघराज तावड़: माननीय सभापति महोदय, एक मिनट में। एक पाइंट और है। सभापति महोदय, हमारे साथ सब जगह अन्याय होता है। सब जगह जंगल में बाउण्ड्री लगा रहे हैं उसके लिए यह कहना है कि उसकी आप जांच करालें उसके बाद ही बाउण्ड्री वॉल बनायें। सभापति महोदय, इसके साथ साथ एक निवेदन और करना चहता हूं, फारेस्ट को बढ़ाने की बात है, जैसे ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले माननीय सदस्य ने बात रखी अगर आपको जंगल को बढ़ाना है पेड़-पौधे लगाने हैं तो मैं आपको सुझाव देना चाहता

(श्री मेघराज तावड़)

हूं गांव का आदमी यह जानता है कि किस क्षेत्र में कौनसी जमीन पर कौनसा पौधा लगता है। तो उसको आप कॉन्फिडेंस में लेकर यह काम करेंगे तो जंगल को बढ़ाने में लोग ज्यादा मदद कर पायेंगे।

(7 .00 रात्रि)

मुझे मालूम है कि आपके अधिकारियों ने जंगल में जहां भी यूक्लेप्टिस जैसे पेड़ लगाये हैं वे केवल शोभा देने के लिए हैं। वे कुछ ही दिन में सूख जायेंगे। उस पहाड़ में कौनसी भूमि है, किस तरह की जमीन है यह देखकर वहां के आदमियों को साथ लेकर जंगल के पौधे लगायेंगे तो वे ज्यादा उपयुक्त होंगे। वहां जितनी जमीन आप जिनको अलाट करते हैं उनको आप यह अधिकार दीजिये। उनको कह दीजिये कि आपको इसका अधिकार है, आप इसकी रक्षा कीजिये। अगर गांवों के लोगों को जंगल की रक्षा करने के लिये, सभापति महोदय, कहा जाय तो अपनी सम्पत्ति समझकर करेंगे। जंगल बर्वाद और कोई नहीं करते, जंगल बर्वाद ठेकेदार करते हैं।

मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है, किशनगढ़ के इलाके में, सभापति महोदय, तीन चार आदमियों को पकड़कर ले गये, उनको पेशाब पिलाया गया। सभापति महोदय, एक व्यक्ति को चार दिन तक उन्होंने बन्द रखा अपने कार्यालय में और उनको पेशाब पिलाया। ऐसी यातना दी गयी कि एक आदमी खटीक नाम का था उसने परेशानी से मजबूर होकर फांसी लगाली। आपके वन क्षेत्र अधिकारी हैं किशनगढ़ में, आप मालूम कर लीजिये। मेरे पास सारे रिकार्ड हैं, मैं आपको देने के लिये तैयार हूं लेकिन सदन का समय न ले करके आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। ऐसे तीन-चार अधिकारी ही हैं, महेश जाट और उसके जितने भी साथी हैं उन्होंने मिल करके इतनी यातना दी है किन्तु पुलिस ने काग्नीजेंस नहीं लिया है, पुलिस ने उनको नजरबंदी से छुड़ाया है। सभापति महोदय, जिस आदमी को यातना दी, वह फांसी लगा कर मर गया। इस तरह से आपके अधिकारी ज्यादती करते हैं। जंगल में आदिवासी आबाद हैं, कोई माथे पर मूली वगैरह ले करके आते हैं तो मारपीट कर उनकी तुनाई की जाती है। तो मैं चाहूंगा कि आदिवासी जिस तरह से सिर पर बोझ ले करके आता है उसको आप लाने दें और इस तरह से आपके अधिकारी जो ज्यादती करते हैं उनको आप निर्देश दें कि आदिवासी के साथ ज्यादती न करें।

सभापति महोदय, आपने समय दिया इसके लिये आपको धन्यवाद। मुझे बोलना तो बहुत था लेकिन अब संक्षेप में ही विचार रख रहा हूं।

श्री सभापति : धन्यवाद । श्री हीरालाल आर्य। कृपया बहुत संक्षेप में अपनी बात समाप्त करेंगे, समयाभाव है।

श्री हीरालाल आर्य : संक्षेप में बोलूंगा।

सभापति महोदय, राजस्थान कृषि

(श्री हीरालाल आर्य)

प्रधान प्रांत है इसलिये किसानों को अधिक से अधिक सुविधा उपलब्ध हो इसके लिये आवश्यक है कि राजस्व की जितनी भी समस्याएं हैं वे दूर की जाय। आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों की जो समस्याएं हैं उनको दूर करने में राजस्व के अधिकारी उनकी मदद तो नहीं करते ही नहीं हैं, साथ ही जो कुछ वे अपने ढंग से और काम करके आ रहे होते हैं राजस्व के अधिकारी अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर उनको नाजायज तौर पर परेशान करते रहते हैं। इसके कुछ उदाहरण मैं देना चाहूंगा। सभापति महोदय, जो सीलिंग से जमीन अलाट की जाती है या दूसरी जो उपनिवेशन की जमीन है उसका अलाटमेंट करने के लिए कहने के नाम पर एक अलाटमेंट कमेटी क बनायी हुई है, उस कमेटी में जन प्रतिनिधि हैं लेकिन जब जमीन अलाट की जाती है उस वक्त जो राजस्व के अधिकारी पटवारी और तहसीलदार जिन किसानों से पहले मिले हुए होते हैं, जिनसे वे पहले पैसा तय कर लेते हैं उन्हीं के नम्बर भरकर योजनाबद्ध तरीके से उन लोगों के नाम अलाट करते हैं। सभापति महोदय, इसी प्रकार कौनसी जमीन अलाट की जानी है इसकी पूर्व में ही सूची जन प्रतिनिधियों के पास भेजते नहीं हैं। इसलिये हमें यह बात मालूम पड़ नहीं पाती कि कौन सी जमीन का अलाटमेंट किया जा रहा है, किसान भी नहीं समझ पाता कि जिस जमीन का नम्बर भर रहा है वह उसकी है या नहीं? यही नहीं, अलाटमेंट का जो कार्यक्रम बनाया जाता है वह एक-एक दिन में तीन-चार स्थानों पर बनाया जाता है। तो जो अधिकारी हैं वे तो समय पर पहुँच नहीं पाते हैं, कभी-कभी देर तक किसान उनका इन्तजार करते रहते हैं, एक स्थान पर तो पहुंचेंगे तीन बजे और बाकी स्थानों पर रात हो जाती है। इस कारण किसान बड़े परेशान होकर चल देते हैं। इसलिये आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब जमीन के अलाटमेंट का कार्यक्रम हो तो एक वक्त में एक स्थान का कार्यक्रम हो। कौन सी जमीन अलाट की जानी है उसकी सूची प्रकाशित हो। वह जन प्रतिनिधियों के पास पहुंचे ताकि ढंग से अलाटमेंट करवा सकें।

सभापति महोदय, जो अलाटमेंट किया जाता है उस अलाटमेंट में बहुत सारी अनियमितताएं की जाती हैं। मेरे इलाके में, कोटा जिले में इस वर्ष 7132 एकड़ भूमि अलाट की गयी है, उसमें 900 एकड़ के करीब मेरे पीपल्दा क्षेत्र में अलाट की गई है लेकिन अलाटमेंट के वक्त मनमानी की जाती है। विवादास्पद जमीन है, जो वास्तव में दी नहीं जानी चाहिये, उसका अलाटमेंट किया भी नहीं जाना चाहिये। किन्तु ऐसी विवादास्पद जमीन अलाटीज को और गरीब लोगों को दी जाती है जिसका कब्जा नहीं प्राप्त कर पाते। वे कब्जा प्राप्त करने के लिये बार-बार तहसीलों के चक्कर लगाते रहते हैं लेकिन उनको कब्जा नहीं मिलता। जो पहले से ट्रेसपासर हैं उनको जमीन नहीं दी जाकर किसी दूसरे के नाम जमीन अलाट कर दी

(हीरालाल आर्य)

जाती है। मेरे इलाके का जगन्नाथ सुपुत्र रामनाथ बैरवा था वह खसरा नम्बर 1232 की साढ़े चार बीघा जमीन पर पहले से काबिज था। अलाटमेंट के वक्त मैंने कहा कि यह जमीन पर काबिज है इसको अलाटमेंट करो, लेकिन उसको अलाटमेंट नहीं किया गया। अधिकारियों ने अपनी मनमानी की क्योंकि पटवारी दूसरे व्यक्ति से मिला हुआ था। हमने आबजेक्शन लगाया। एस.डी.ओ. को हमने कहा कि यह अन्त्योदयी है, गरीब है, पहले से ट्रेसपासर है, शिड्यूल्ड कास्ट का है इसी के नाम इस जमीन का अलाटमेंट होना चाहिये लेकिन उसके नाम नहीं किया गया। इसके अलावा लोगों को अलाटमेंट तो कर देते हैं लेकिन वास्तविक कब्जा उनको नहीं मिलता है। इसलिये मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जो अलाटमेंट का कार्यक्रम बने उसके बाद में एक प्रोग्राम और बने जिसमें यह जानकारी की जानी चाहिये कि जिन व्यक्तियों को अलाटमेंट दिया गया है उनको कब्जा मिला है कि नहीं। अभी बूंदी जिले के केशोरायपाटन क्षेत्र का सर्वे हुआ था। वहां के जिलाधीश महोदय को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस बात का सर्वे किया कि कितने अलाटीज को अभी तक कब्जा नहीं मिला है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अकेले केशोरायपाटन क्षेत्र में 250 लोगों को कब्जा नहीं मिला है। इसलिये मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि बाद में इस तरह का एक प्रोग्राम बनाया जाय ताकि जिन लोगों के नाम अलाटमेंट हुआ उनको वास्तविक कब्जा मिल सके।

सभापति महोदय, अधिकारी लोग मिलकर किसानों को किस तरह से परेशान करते हैं उनके एक-दो उदाहरण मैं अपने क्षेत्र के देना चाहूंगा। सभापति महोदय, जब प्रशासन गांव की ओर गया था उसमें एक नियम था कि जो किसानों की सिवाय चक भूमि पर बाड़े और मकान 1970 से पहले के बनाये हुए हैं उनका नियमन किया जाय। मेरे क्षेत्र के किसानों ने उस वक्त प्रार्थना पत्र दिये जिसमें बद्रीलाल, कन्हैयालाल, हीरालाल हैं। यह वहां के किसान हैं और उन्होंने मकान बना रखे हैं वर्षों से, लेकिन उनका नियमन नहीं किया जाकर अब उनको धारा 91 की कार्यवाही के आधार पर परेशान किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि जब इस तरह का नियम था तो उनको अलाटमेंट किया जाय। इसी तरह कंवरलाल बैरवा का खसरा नम्बर 709 पर पहले से मकान बना हुआ है, उसके मकान पर एक छोटी आरा मशीन है, शिड्यूल्ड कास्ट का है, मेरे इलाके में एकमात्र उसका कारखाना है, उसके पड़ोस में दूसरे लोगों को तो अलाटमेंट कर दिया लेकिन पता नहीं क्यों राजस्व कर्मचारी उससे नाराज हैं उस अकेले व्यक्ति के नाम पर अलाटमेंट नहीं किया गया। मैं चाहूंगा कि उस गरीब व्यक्ति के नाम पर अलाटमेंट किया जाय। इसी तरह से बस स्टेण्ड पर छोटे-छोटे दुकानदार अपनी छोटी-

(श्री हीरालाल आर्य)

छोटी दुकान लगाकर बैठे हैं। वर्षों से वे काबिज हैं लेकिन उनके बार-बार प्रार्थना करने के बाद भी और मंत्री महोदय के इस आश्वासन के बाद भी कि क्योंकि गरीब व्यक्ति हैं इनका नियमन किया जाना चाहिये, उनका नियमन नहीं किया गया।

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिये।

श्री हीरालाल आर्य : सभापति महोदय, इसी तरह से कन्हैयालाल, इटावा का कन्हैयालाल धाकड़ किसान है, उसका खसरा नम्बर 129 और खसरा नम्बर 128 कुल दस बीघा जमीन है। उसकी सरसों की फसल नाजायज तौर पर जुगलकिशोर धन्नालाल सुनार, जो वहां के प्रभावशाली व्यक्ति हैं वे उसको काट लाये। उसने तहसील में रिक्वेस्ट की, उसने थाने में जाकर रिक्वेस्ट की। मैं गरीब हूं, नाजायज रूप से लोग फसल काटकर ले जा रहे हैं, मेरी मदद की जाय। लेकिन किसी भी राजस्व अधिकारी ने और न ही किसी पुलिस वाले ने उसकी मदद की। सभापति महोदय, इसी तरह से 28 दिसम्बर को वहां के इटावा पटवारी ने गीली लकड़ी को काटकर ले जाते हुए एक ट्रक्टर को पकड़ा। उसने उस ट्रैक्टर को सी.ए.डी. तहसील में रख दिया। जब ट्रैक्टर को वहां रख दिया तो रात में 8–10 लोग आये और उसको जबरन ले जाने की कोशिश करने लगे तो उस पटवारी ने वहां पर जो कर्मचारी था, उसने तहसील में सूचना दी, लेकिन तहसीलदार की मिली-भगत से वह लकड़ी जो चोरी से ले जा रहा था वापस उसको दे दी। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि आपके तहसीलदार इस तरह की कार्यवाही करते हैं। इसका मैने प्रश्न भी दिया हुआ है, आप उसके खिलाफ कार्यवाही करें।

इसी तरह से, लक्ष्मीनाथ, सभापति महोदय,

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य ..।

श्री हीरालाल आर्य : इसका बहुत सालों से चानदा गांव में एक मकान बना हुआ है। इसके आसपास की जमीन नियमन की हुई थी दूसरे के नाम। उसने रिक्वेस्ट की कि मेरा मकान इससे पहले से बना हुआ है मेरे नाम नियमन किया जाय। प्रशासन गांवों की ओर जब चला, उसने उसमें जब निवेदन किया तो उसका 50 × 50 का मकान जहां बना हुआ था उस पर नियमन कर दिया गया। लेकिन बाद में 15.1.84 को एस.डी.ओ. वहां गये तो उन्होंने उस गरीब व्यक्ति के मकान को, जो वहां बना हुआ था, तोड़ दिया। वह अन्त्योदयी था। वह चिल्लाता रहा कि प्रशासन गांवों की ओर अभियान में मेरे नाम नियमन किया हुआ है, इसको गिराइये मत, वह रोता रहा इसके बावजूद भी वहां के जो एस. डी. ओ. हैं कोटा के उन्होंने नाजायज रूप से उसको गिरा दिया।

सभापति महोदय, इसी तरह से मेरे

(श्री हीरालाल आर्य)

क्षेत्र के कालूलाल मीणा सन आफ घासीलाल मीणा प्रेमपुरा का है । एस. डी. ओ. 19.1.84 को वहां प्रेमपुरा में गये, उसको बुलाया ।

(समय समाप्ति-सूचक घण्टी)

जो नायब-तहसीलतार था, उसने बुलाया, उसके कानों की वालियां छीनीं । वह चिल्लाता रहा कि मेरे कानों की वालियां क्यों छीन रहे हो ? कहा कि नहीं, तुम्हारे नाम पैसे बाकी है । उसने कहा, मेरे ऊपर किसी तरह के पैसे नहीं हैं, मैं किसी की जमीन को काश्त करता नहीं हूं । इसके बावजूद भी उसकी सोने की वालियां छीन लाये । वह चिल्लाता रहा, उसने रिपोर्ट की थाने में, लेकिन उस बेचारे गरीब की सुनी नहीं । यदि राजस्व अधिकारी इस तरह से वसूली के नाम पर किसी का भी सामान उठा लायें, तो यह बहुत जबरदस्त अन्याय होगा, सभापति महोदय ।

इसी तरह से खसरा नम्बर 114, 160 की 26 बीघा जमीन, जो ग्राम गोठड़ा खुर्द में है, एक अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति फूदीलाल नाम के एक भील की है । वह बरसों से, जब से उसकी जिन्दगी शुरू हुई, मतलब 30-40 सालों से उस जमीन पर खेती करता आ रहा है । लेकिन राजस्व के अधिकारियों की मिलीभगत से वहां के भूतपूर्व जागीरदार, जिनका नाम है भारत सिंह, ने वापस अपने नाम करवा ली, जब कि वह कहता है कि वह जमीन मेरी थी । अब जागीरें नहीं हैं, जागीरें रिज्यूम हो चुकी है फिर भी इस तरह से प्रभावशाली व्यक्ति आपके राजस्व के अधिकारियों के साथ सांठ-गांठ करके गरीबों को परेशान कर रहे हैं । मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस गरीब व्यक्ति को इन जमींदार व्यक्तियों से छुटकारा दिलाया जाय ।

सभापति महोदय, इसी तरह ग्राम रजोरा में, खसरा नम्बर 250····

श्री सभापति : समाप्त कीजिए, अब ।

श्री हीरालाल आर्य : 25 बीघा जमीन है, सभापति महोदय, इस पर वहां के····

श्री सभापति : कृपया विराजें । कृपया समाप्त कीजिए । माननीय सदस्य, समाप्त करें । कृपया विराजें आप ।

श्री हीरालाल आर्य : इस पर वहां के प्रभावशाली व्यक्तियों ने कब्जा कर रखा है उस जमीन का मालिक दूसरे····

श्री सभापति : कृपया विराजें आप । माननीय सदस्य, विराजें आप ।

श्री हीरालाल आर्य : वह पाकिस्तान चले गये दूसरे व्यक्तियो को देकर । लेकिन नाजायज रूप से अपने हाथ में उसको रख-कर राज्य सरकार को धोखा दे रहे हैं । वहां के कलेक्टर ने भी रेवेन्यू बोर्ड को लिखा है कि जमीन को निरस्त किया जाय । यह व्यक्ति नाजायज रूप से ···

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें ।

श्री हीरालाल आर्य : काबिज है तो उसका नाम बेदखल करें।

इस तरह से ग्राम अदानी में....

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य। क्या पाइन्ट आउट कर रहे हैं....

श्री हीरालाल आर्य : सभापति महोदय, संक्षेप में निवेदन कर रहा हूं।

अब मैं अपने इलाके की जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या है....

श्री सभापति : एक मिनट में बता दीजिए।

श्री हीरालाल आर्य : सीलिंग की। कोटा जिले के साथ सीलिंग के मामले तय करते वक्त बड़ा अन्याय किया जा रहा है। गंगानगर और कोटा की जमीन में उपजाऊपन और उर्वरता में कोई अन्तर नहीं है, इसके बावजूद भी कोटा में केवल 22 स्टैण्डर्ड एकड़ माना जा रहा है, गंगानगर में 29 एक बार जहां सिंचाई होती है उसमें कोटा में 37 और गंगानगर में 43, और जो असिंचित है कोटा में 31 और वहां पर 64। एक तो यह अन्याय है। दूसरा हमारे इलाके को सिंचित क्षेत्र मानकर वहां के केसों के फैसले किये जा रहे हैं। जब कि, सभापति महोदय, उस इलाके को कभी भी कमाण्ड एरिया घोषित किया ही नहीं गया। आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि उस कोटा की धरती को आज दिन तक कमाण्ड एरिया घोषित किया ही नहीं, फिर क्यों कमाण्ड एरिया मानकर सीलिंग के केसेज तय किये जा रहे हैं और कोटा जिले के साथ क्यों अन्याय किया जा रहा रहा है? मंत्री महोदय जवाब दें, मैं यह चाहूंगा कि तब वह अपने जवाब में बतायें कि उस क्षेत्र को कमाण्ड एरिया घोषित किया ही नहीं, उस क्षेत्र में पानी लगता ही नहीं, और जो कुछ भी पानी लगता है बड़ी मुश्किल से लगता है। गांधीसागर में बांध बनाने से पानी आता ही नहीं, बड़ी समस्या रहती है, कमाण्ड एरिया कभी घोषित हुआ ही नहीं, इसके बावजूद भी सीलिंग के केसेज तय कैसे किये जा रहें हैं? यह किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है, सभापति महोदय। उस इलाके के किसानों की जमीन जो छीनी जा रही है सीलिंग के नाम पर, मैं यह चाहूंगा कि उन किसानों को जमीन का मुआवजा दिया जाय। मुआवजा तय करते वक्त लगान की बीस गुना बनाकर आप दे रहे हैं वह नहीं देकर वास्तविक कीमत है आज के बाजार भाव की उसके अनुसार मुआवजा दिलाया जाय। इस तरह का निवेदन करके....

श्री सभापति : कृपया बिराजें।

श्री हीरालाल आर्य : सभापति महोदय, एक मिनट।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया बिराजें।

श्री हीरालाल आर्य : एक मिनट में समाप्त कर दूंगा।

श्री सभापति : कितनी बार आपको...

श्री हीरालाल आर्य : सभापति महोदय एक मिनट में संक्षेप में।

इन्द्रगढ़ नायब तहसील है, वह पहले कोटा में थी जिसे अब बूंदी में मिला दिया गया है। जब बूंदी में मिलाया, उस वक्त आपने और माननीय वित्त मंत्री जी, जो वहां के प्रभारी मंत्री हैं, ने आश्वासन दिया था, ज्योंही हम मिलायेंगे, नायब तहसील इन्द्रगढ़ को हम पूरी तहसील घोषित कर देंगे। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, मंत्री महोदय, कि नायब तहसील इन्द्रगढ़ को अभी पूरी तहसील बनाने की घोषणा करें। दूसरा इटावा और मांगरोल बहुत बड़े कस्बे हैं इसके आसपास के केसेज बहुत सारे कोटा निपटने के लिये जाते हैं वहां के लोग वहां सहायक जिलाधीश कार्यालय खोलने की बारबार मांग करते रहते हैं, अतः इटावा और मांगरोल में सहायक जिलाधीश कार्यालय खोले जायें।

श्री सभापति : कृपया विराजें। आर्डर प्लीज।

श्री हीरालाल आर्य : तहसीलदार के पास बहुत सारे काम हैं, उनको राजस्व की वसूलियों के अलावा बहुत सारे काम करने होते हैं। तहसीलें प्रभावी हों, इसलिये मैं मांग करना चाहूंगा कि प्रत्येक तहसील पर जीप उपलब्ध कराई जाये।

श्री सभापति : कृपया विराजें। अंकित न हों।

श्री हीरालाल आर्य : ×××

श्री सभापति : गोविन्द आमलिया।

श्री गोविन्द आमलिया (चौरासी) : सभापति महोदय, आज राजस्व और वन की मांगों पर बहस हो रही है। मैं राजस्व विभाग की मांग के सिलसिले में अपनी बात कहने से पूर्व मेरे विधान सभा क्षेत्र में सीमलवाड़ा तहसील इस साल खोलने के नाम पर जो आदेश हुए, उसके लिए मैं माननीय राजस्व मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी को अपनी ओर से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं।

श्री यदुनाथ सिंह : आप नाश्ता करवा रहे हो और यहा कोरम नहीं है। रेवेन्यू और फारेस्ट जैसी डिमाण्ड पर बात हो रही है और आप नाश्ते में लग रहे हो।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप भी चलो।

श्री गोविन्द आमलिया : इसके साथ ही इस तहसील के सिलसिले में जो एक समस्या अभी वहां के लोगों द्वारा उठाई गयी है और जो ज्वलंत मांग की जा रही है, वह यह है कि बिछीवाड़ा पंचायत

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री गोविन्द आमलिया)

समिति, जो डूंगरपुर के एकदम 10-11 किलोमीटर नजदीक है, शुरू से डूंगरपुर में मिलाने की बात थी, उसको सीमलवाड़ा में मिलाने से कम से कम वहां के किसानों को 25-30 किलोमीटर बल्कि 50 से भी और ज्यादा जाना पड़ता है। इसके साथ ही वह तहसील जहां खुली है वहां लोगों को तहसील के सिलसिले में जाना पड़ता है, उसके अलावा वहां और कोई कार्य नहीं होता है। ऐसी सूरत में उस क्षेत्र के, खासकर 6 पटवार सर्किल्स के लोगों को जो परेशानियां आ रही हैं, उसके निराकरण के लिए मैं राजस्व मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि उसके सीमा निर्धारण के सिलसिले में पुनः विचार करें, तो अच्छा रहेगा।

इसी के साथ ही मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो अभी अभी प्रशासन शहरों की ओर गया, उसके बाद भी शहरी क्षेत्र में जो आदिवासी और हरिजन रहते हैं, उन लोगों के जो पूर्व से मकानात बने हुए हैं राजस्व की भूमि पर उन्होंने नियमानुसार मकानात जो अजाऊ थे, बना रखे हैं, उनको अभी अभी नोटिसेज मिले थे भूमि रूपान्तरण के नाम से। काफी लम्बे टाइम से केसेज बने थे, वे यह सोच रहे थे कि राजस्व अभियान प्रशासन शहरों की ओर जो चला उसमें उनके केस का निपटारा होगा, लेकिन कोई केसेज आज तक नहीं निपटाये गये और कई केसेज आज तक बराबर एस. डी. ओ. रूपान्तरण के यहां चल रहे हैं।

तो मेरा यह निवेदन था कि नार्मल कोर्स में यह हो ही जाना चाहिए था फिर भी वहां पर प्रशासन शहरों की ओर गया न ही उसमें हुआ और न ही अब तक उन केसेज को निपटाया जा रहा है।

श्री मेघराज तावड़ : पाइन्ट आफ आर्डर, सर। कोरम बिलकुल नहीं है। इस तरह से बहस चले, सभापति महोदय, जब कि कोरम भी पूरा नहीं है, सिर्फ चार पांच आदमी हो बैठे रहें।

(गणपूरक घंटी)

(गणपूर्ति के पश्चात्)

श्री गोविन्द आमलिया : माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि राजस्व के मामलों में राजस्व अधिकारियों की नियुक्ति और पदस्थापन के मामलों में मेरे कुछ सुझाव हैं। जिलाधीश, एस. डी. ओ. और तहसीलदार यह ऐसे अधिकारी हैं जो कि राजस्व विभाग के हैं और जिनके पास राजस्व के अलावा विकास और अन्य कई प्रकार के कार्य होते हैं। यह अधिकारी अगर इन्ट्रेस्ट नहीं लें और यह कार्य नहीं करें तो सरकार को बहुत ही काफी नुकसान उठाना पड़ता है। इस कारण लोगों को और खास करके विरोध पक्ष के लोगों को आलोचना करने का मौका मिलता है। वह इसके बारे में काफी आलोचना करते हैं। मेरा इस बारे में सुझाव था कि खास तौर से जिलाधीशों की अध्यक्षता में कई तरह के फंक्शन्स होते हैं, खास करके विकास के कार्यक्रम और बीस सूत्री कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण कार्य उनके द्वारा करने होते हैं, इसलिये गुजरात

(श्री गोविन्द ग्रामलिया)

के पैटर्न पर हमारे यहां भी जिला स्तर का एक जिला विकास अधिकारी हो या इसी रेंक का एक अधिकारी हो जो कि एक्सक्लूसिवली इस प्रकार के कार्यों को देखे। राजस्व और इस तरह के कार्यों के लिए जिलाधीश अलग हो जिसकी मार्फत यह कार्य आसानी से किये जा सकते हैं।

इसी तरह से डूंगरपुर जिले का एक ही सब-डिविजन है। एस. डी. ओ. एक ही होने की वजह से रेवेन्यू केसेज के अलावा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की हैसियत से अन्य प्रकार के कार्य उनके द्वारा सम्पन्न होते हैं, उनको यह कार्य करने पड़ते हैं। तो इतना बड़ा जिला होते हुए भी एक ही सब-डिविजन डूंगरपुर जिले का है, इसलिये सागवाड़ा में एक सब-डिविजन खोला जाये तो मेरा ख्याल है कि आसपुर और सागवाड़ा क्षेत्र के लोगों को बहुत बड़ी सहूलियत मिल सकती है।

इसी तरह से मेरा यह भी निवेदन है कि डूंगरपुर जिले में कुछ ऐसे कर्मचारी और अधिकारी पदस्थापित हैं जो लोकल होने की वजह से स्थानीय मामलों में उलझे रहते हैं। उनका किसी भी समुदाय के साथ किन्हीं प्रकार के लोगों के साथ इस तरह से एक्शन होता है कि वहां के लोगों को हानि उठानी पड़ती है। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि स्थानीय जो अधिकारी हैं उनको वहां पर पदस्थापित नहीं किया जाये। इसी तरह से मेरा निवेदन था....

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री गोविन्द ग्रामलिया : वन विभाग के मामले में मेरा यह निवेदन है डूंगरपुर बांसवाड़ा में कई हजार केसेज ऐसे हैं, जो वन क्षेत्र में जमीन है उस पर पन्द्रह बीस वर्ष से वहां के किसानों के कब्जे हैं फिर भी आज तक उनका नियमन नहीं हुआ है। पिछली बार माननीय मंत्री महोदय ने एक लैटर जारी करके हम लोगों को कहा था। मेरा यह निवेदन था कि हम सभी केसेज को तैयार करके पेश कर रहे हैं, लेकिन वहां राजस्व अधिकारी और वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि आपने आदेश दिये हैं, आप के उन आदेश की यह मंशा है कि 1971 के पूर्व के जो कब्जे हैं उनका नियमन करना गैरकानूनी होगा और आपको परिधि में नहीं आता। इस तरह से उनका कहना है। तो मेरा निवेदन है, मेरे क्षेत्र में कम से कम दो हजार केसेज ऐसे हैं। इसी तरह से सलूम्बर में हजार केस बकाया हैं और इसी तरह से धरियावद में भी हजार के करीब केसेज बकाया हैं। तो मेरा यह निवेदन है कि यह आदिवासी क्षेत्र की आम समस्या है उसको आप निश्चित रूप से वहां के किसानों को और हमको राहत दिलाने की दृष्टि से ध्यान करके फाइनल करायेंगे तो मेरा ख्याल है काफी वहां के लोगों को सहूलियत मिलेगी।

अंत में मुझे मौका दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री रामकिशोर मीणा।

(254)

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : सभापति महोदय, जनतंत्रीय प्रणाली में कल्याणकारी सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि वह अपने अधिकारों का ज्यादा से ज्यादा विकेन्द्रीकरण करे, आम जनता को न्याय प्रशासन सरता और सुलभ कराये, उनकी पहुंच ग्रामीण क्षेत्रों तक हो। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए पिछली सरकार तथा वर्तमान सरकार ने भी नये जिलों के पुनर्गठन के बारे में कमेटी गठित की है, लालवाणी कमेटी जो बनी थी उसने अपनी रिपोर्ट भी दे दी है....

श्री हीरालाल देवपुरा : रेवेन्यू का पार्ट नहीं है। जन एडमिनिस्ट्रेशन का है।

श्री रामकिशोर मीणा : रेवेन्यू का ही है। दौसा जल्दी से जल्दी जिला घोषित किया जाये तो अच्छा होगा। दौसा के बारे में बहुत पुराने समय से मांग चली आ रही है। अगर इसको कायम कर दिया जाता है जल्दी से जल्दी तो बहुत ही उपयुक्त होगा।

सरकार की यह नीति रही है कि जो गरीब वर्ग है, एस. सी., एस. टी. का वर्ग है तथा बैकवर्ड क्लास है उनको ज्यादा से ज्यादा अपलिफ्ट किया जाये लेकिन मैंने मेरे कटमोशन के मार्फत यह जाहिर किया है कि सिकराय के वर्तमान राजस्व अधिकारी, जो कि तहसीलदार हैं, ने किस तरह से गरीब तबके के लोगों का हरेसमेंट किया है। वहां पर 65 पर्सेन्ट व्यक्ति एस. सी., एस. टी., के हैं। दस बीघा जमीन से कम कई मामलों में तो मैं आपको उदाहरण देकर बताऊंगा कि एक बिस्वा जमीन के ऊपर पांच पाच व्यक्तियों को एक महीने और दो महीने की सजायें दी हैं। इस तरह से धारा 91 का खुला दुरुपयोग किया गया है। धारा 91 में निर्दिष्ट प्रावधान है कि सजा से पहले बेदखली का नोटिस होना चाहिये। कई ऐसे व्यक्ति थे जिनको नोटिस नहीं दिये। नोटिस बगैर सजा कर दी गई। एक बड़ी अर्जब बात है कि एक व्यक्ति 6 महीने पहले मर गया और पटवारी ने रिपोर्ट दी कि यह व्यक्ति मर चुका है उसके बावजूद तहसीलदार ने पता नहीं किस आधार पर उस मरे हुए व्यक्ति को सजा बोली और उसके गिरफ्तारी वारन्ट पुलिस में भेजे। इस तरह से अतिक्रमियों को पूरा समय दिया जाता है, समय का पूरा लाभ दिया जाना चाहिये लेकिन उनको बिल्कुल एन टाइम पर नोटिस दिया गया। जैसे 20 तारीख को नोटिस सर्व हुआ और 22 को फैसला कर दिया गया। तो प्राकृतिक न्याय के आधार पर भी जितना समय मिलना चाहिये था उतना नहीं दिया गया है। केवल पटवारी की रिपोर्ट पर बगैर कोई जांच किये फैसला कर दिया। उसने यह दिया कि जमीन सिवाय चक है या नहीं है, या यह जमीन जो काश्तकार की है उनके अलावा है कि नहीं इसकी जांच किये बिना पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर बहुत बड़े जुल्म किये हैं। मेरे प्रश्न के जवाब में विधान सभा में बताया गया कि 126 परिवारों के बारे में ऐसा किया है लेकिन जो जिलाधीश को तहसील से रिपोर्ट मिली उसके हिसाब से 154 व्यक्तियों के खिलाफ धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही को है लेकिन थाना मानपुर के अन्दर जो वारन्ट जारी किये हैं

(श्री रामकिशोर मीणा)

वह 409 व्यक्तियों को किये हैं। मैं राजस्व मन्त्रीजी से यह प्रार्थना करूंगा कि किस तरह से यह विरोधाभास है। एक एक व्यक्ति को दो-दो और तीन-तीन बार परेशान करने की गरज से वारन्ट जारी किये हैं। तो इसके बारे में आप पूरी जानकारी करें। यह तहसीलदार आज तक कन्फर्म नहीं है। सिकराय से पहले यू. आई. टी. में था वहां दुर्गति और मारपीट हुई। राजस्व मन्त्रीजी, आपकी जानकारी में भी है सारा मामला, इसके विरूद्ध लगातार शिकायतें भी आई हैं, जो विधान सभा में प्रश्न का उत्तर दिया था उसके आधार पर 18 विभिन्न शिकायतें आपने बताई हैं। उनमें से दस शिकायतों की आपने जांच की। जांच के आधार पर सही पाये जाने पर डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी के आदेश दिए। पांच सात आदमियों के लिए आदेश जारी हुए। लेकिन राजस्व मन्त्रीजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्व मण्डल ने डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के नोटिस सर्व करके जांच के आदेश दिए उनके बारे में लोगों को संदेह है कि वह व्यक्ति निष्पक्ष रूप से जांच नहीं कर सकता। दौसा के तहसीलदार और ए. डी. एम. एक ही गांव के हैं। यह संदेह इसी आधार पर सही साबित हो जाता है कि साल भर पहले डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी चालू हुई थी लेकिन आज तक एक लाइन भी उस अधिकारी ने उनके विरुद्ध जांच करके नहीं दी है।

श्री जयकृष्ण शर्मा : दोनों अलग अलग गांव के हैं। एक कोटला का और एक तालों का है।

श्री रामकिशोर मीणा : लेकिन राज्य मन्त्रीजी, आपके नाम से भी तो वह बहुत कुछ कर लेता है कि मेरे रिलेटिव हैं। आपके वह तो बहुत....

(व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगा जिससे आपको पता लग जायेगा। मूलचन्द पुत्र सोन्या बैरवा जो पांचोली का है, 6 महीने पहले मर गया, पटवारी ने उसकी रिपोर्ट दी, उसके बावजूद भी सजा कर दी। एक धर्मपाल, मूल्या, पून्या, सांवल्या, रंगलाल मीणा बूलोठ के हैं, एस. टी. के हैं उनका सिर्फ 16 बिस्वा जमीन पर अतिक्रमण था। 12 तारीख को नोटिस दिया और 29 तारीख को 60–60 दिन की सजा दे दी। इस तरह के प्रावधानों के तहत कोई नोटिस नहीं दिया। नोटिस मकानों पर चस्पा करके दिये हैं। सभापति महोदय, केवल मकानों पर चस्पा कर दिया नोटिस और उनके आधार पर सजायें बोली हैं। दीपा पुत्र सोनपाल बैरवा बूजोट का, सिर्फ एक बिस्वा जमीन पर कब्जा था, 15 साल से लगातार वह काश्त करता आया है। सभापति महोदय, रामफूल, रामस्वरूप सन आफ केश्या मीणा, नया गांव नांदरी में 15 साल से लगातार काश्त करता आ रहा है और पेनल्टी दे रहा है। 30. 11. 82 को उसने लिखित में दिया है कि यह मेरा नियमन कर दिया जाय, उसके बावजूद उसको फैसले में शुमार नहीं करते हुए उनको तोस तीस दिन की सजा बोल दी और उनके गिरफ्तारी वारन्ट जारी कर दिये जब कि दोनों व्यक्तियों के नाम नोटिस जारी किये गये और तामील उसमें सिर्फ

(श्री रामकिशोर मीणा)

एक व्यक्ति रामफूल को हुई, जिस एक व्यक्ति को तामील नहीं हुई उसको भी सजा बोल दी गई। इसी तरह से गोरधन सन आफ रामधन चाचोली का है, उसका सिर्फ एक बिस्वा जमीन पर अतिमण है उसको न कोई सूचना मिली न नोटिस तामील हुआ। वगैर नोटिस तामील के उसको एक माह की सजा कर दी। मांग्या सन आॅफ ओंकार मीणा नयागांव नांदरी की अलाट शुदा जमीन थी, इनको अलाटमेंट हुआ था। अतिक्रमण का धारा 91 का नोटिस दिया तो उसने लिखित में दिया कि मेरे को यह जमीन अलाट हुई है किन्तु उस चीज को नजरन्दाज करके उसको एक महीने की सजा दी गई। सभापति महोदय, मुथरिया, लोहड्या, भगतराम, सीताराम सन आफ हारया मीणा नयागांव नांदरी, ये चार व्यक्ति थे, कुल अतिक्रमण 2 बिस्वा का है, पर अधिकतम जो पैनल्टी होती है, सभापति महोदय, वह है चार रुपये आठ पैसे के हिसाब से। सूचना केवल लाहड्या और मुथरया को दी है, बाकी के आदमियों को सूचना ही नहीं दी है।

श्री सभापति : जुडिशियल मैटर को क्या डिस्कस कर रहे हैं।

श्री रामकिशोर मीणा : सभापति महोदय, मैंने कटमोशन दिये हैं।

श्री सभापति : लेकिन जुडिशियल मैटर क्यों डिस्कस कर रहे हैं, नोटिस गया या नहीं गया।

श्री रामकिशोर मीणा : सभापति महोदय, ये सब एस. टी. और एस. सी. के व्यक्ति हैं इनके अतिक्रमण 5 बीघा और 10 बिस्वा से नीचे नीचे के थे। यह गरीबी की रेखा के नीचे आते थे व्यक्ति, इन व्यक्तियों का हरेसमेन्ट करने के लिये यह सब किया है। अब भी उदाहरण देकर मंत्री महोदय अपने उत्तर में बता दें कि 20 बीघा से ज्यादा जमीन अतिक्रमण करने वाले एक भी व्यक्ति को नोटिस के दिया है। जहां तक मेरी जानकारी है 20 बीघा से अधिक वाले एक भी व्यक्ति को आज तक तहसीलदार ने अतिक्रमण का नोटिस नहीं दिया है, न सजा दी है।

इसी तरह से, सभापति महोदय, नियमन के मामले में किया गया। एक व्यक्ति को सवा बीघा कुल जमीन है, सभापति महोदय, उसने 10 बिस्वा पर केवल अतिक्रमण किया था। इसी प्रकार एक व्यक्ति, जो चमार था जाति का है पाटण का, की 15 बिस्वा कुल जमीन है 7 बिस्वा पर अतिक्रमण किया एक महीने की उसको सजा दे दी। सभापति महोदय, यह वह व्यक्ति हैं जो अपील का दायरा होते हुये भी अपील नहीं कर सकते क्योंकि अत्यन्त गरीब कैटिगरी के व्यक्ति हैं। इनको सजा सुनाने के बाद में भी, सभापति महोदय, यह नियम है धारा 91 के तहत कि यदि वह अपील करने के लिये भेजने की मांग करता है तो उसकी सजा रोक दी जाती है और उसको अपील करने के लिये भेजा जाता है। लेकिन ए डी एम साहब के यहां अपील करने गये तो एक तो सजा नहीं रोकी, वारन्ट जारी किये, उसके बीच में और जब

(श्री रामकिशोर मीणा)

ए.डी.एम. साहब के यहां गये अपील के लिये तो उन्होंने भी भारी मुचलके और जमानतें लीं उन व्यक्तियों से और उनको हेरेस करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश की गई। सभापति महोदय, इतने ज्यादा केसेज थे इससे पता लगता है कि तीस चालीस व्यक्ति अपील में जा सके, वह भी कुछ थोड़े बहुत पैसे वाले थे जिनको थोड़ा बहुत पहले से सहारा था। सभापति महोदय, कई मामले तो ऐसे हैं जिनके आधार पर आई.पी.सी. के तहत कन्टेम्प्ट आफ कोर्ट का मामला बनता, उन पर यदि मुकदमा सरकार चलाये तो एक तरह से वह भी कम है, सभापति महोदय। मैं निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय, सरकार की यह नीति है, फारेस्ट डवलपमेंट के अन्दर कि प्राइवेट फारेस्ट के लिये पचास पचास बीघा तक की जमीन का अलाटमेंट आप करते हैं। लेकिन एक व्यक्ति, जो कि बैरवा जाति का था, का सिर्फ दो बिस्वा गैर मुमकिन पर कब्जा था, वह व्यक्ति उस जमीन को सुधार कर के काश्त कर रहा था, वह बरसात के अन्दर बह जाती लेकिन मेहनत करके उसको काश्त करता था उसके बावजूद, सभापति महोदय, दो महीने की सजा उसको सुनाई गई जब कि अस्थाई अलाटमेंट होता है, उसको अस्थाई अलाटमेन्ट भी नहीं दिया गया। मानपुर के एक व्यक्ति को तो नोटिस दिया गया कि आपने मकान बना लिया है सरकारी जमीन पर उसकी सात हजार आप पैनल्टी दें। उसने लिखित में दिया कि कम से कम मुझे मेरा मकान तो बता दिया जाय, मैं पेनल्टी देने के लिये तैयार हूं। सभापति महोदय, आप ताज्जुब करेंगे कि उसका कहीं मकान ही नहीं है। वह नाथ जाति का था उसने लिखित में दिया कि मैं सात हजार कहीं से करके लाऊंगा। लेकिन मकान तो बताया जाय कि मेरा मकान है कहां? तो इस तरह के जहां पर केसेज है उनके विरुद्ध लगातार दो ढाई साल से इन्क्वायरी चल रही है। मेरी यह मान्यता है, सभापति महोदय, और लोगों की यह धारणा है कि ए.डी एम. उनकी जांच सही नहीं कर सकते तो आप किसी आई ए.एस. कैडर के व्यक्ति से जल्दी जल्दी उनकी जांच करायें। यदि उनको सस्पेन्ड करके उसके खिलाफ कार्यवाही करवायें, उनकी जांच करायें तो और ज्यादा बेहतर होगा।

सभापति महोदय, कुछ इसी तरह के मामले और हैं, एक नामान्तरण क मामला है, सभापति महोदय, जो तहसील दारजी ने सरपंच से मिल करके किय मूलचन्द पुत्र मंगल जाति कोली निव रानोली का है, सभापति महो वह आदमी आज भी जीवित है, नामान्तरण है, उसको जमीन 20. को अलाट हुई। सभापति महोदय मृत बता करके दूसरे व्यक्ति के उ का नामान्तरण कर दिया। एस दौसा के यहां पर उसने आवेदन दिया कि मैं जीवित हूं। उसने एफिडेविट भी इस हैं। इसी तरह से धासी पुत्र करीब 12 वर्ष पहले मर बादामी थी जो दस सा लेकिन सरपंच और त मिल करके उनके म

2587

(श्री रामकिशोर मीणा)

पहले नामान्तरण खोल दिया। उनका इरादा यह है कि ज्यादा से ज्यादा किसी तरह से पैसे बटोरें। इसी गरज से इस तरह से कर रहे हैं, सभापति महोदय। जिनके प्रमाण सहित और एफिडेविट सहित विभाग के हर अधिकारी तक पहुंचाने की कोशिश की है। इसी तरह से एक व्यक्ति, जो कि कावडी का है, ने, सभापति महोदय, एक रजिस्टरी कराई, 31. 10. 83 को। उसी तारीख को, सभापति महोदय, उससे पैसे मांगे गये। उसने लिखित में शिकायत की, उसने पैसे देने से मना कर दिया। तो उसकी पहले तो रजिस्टरी कर दी लेकिन जिस रोज, सभापति महोदय, रजिस्टरी की उसी रोज उन्होंने मौके पर जा करके निर्णय दिया, जब कि कायदा यह है कि जिस रोज रजिस्टरी की जाती है उसी रोज मौका मुआयने की कार्यवाही हो, इस तरह का कानून है। उन्होंने गांव के अन्दर जा करके, मरियाणा के अन्दर जा करके यह किया कि आज यह प्रार्थना पत्र मौके पर प्राप्त हुआ। सभापति महोदय, प्रार्थी ने दिया दोनों पक्षों को नहीं सुना और उन्होंने उसको सिकमी काश्तकार दर्ज करने के लिए दिया।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री रामकिशोर मीणा : सभापति महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा।

एक बात निवेदन करना चाहूंगा कि किस तरह से तहसीलदार ने पब्लिक को परेशान करने की कार्यवाही की। वहां पर पिछले कई सालों से रोडवेज की बस आकर रुकती थी उसको वहां न रोकने के लिये उन्होंने कहा। हालांकि उनके पास ऊपर के अधिकारियों के पास से कोई आदेश नहीं थे पर फिर भी उन्होंने उस बस को वहां पर रुकने के लिये मना कर दिया। वह बस वहां पर रात को 9 बजे आती थी और सुबह नौ बजे वहां से जाती थी। सभापति महोदय, वहां चूंकि कोई बस स्टेण्ड नहीं था इसलिये बस वहां पर रुकती थी पर पता नहीं उनको इससे क्या दिक्कत थी उन्होंने वहां पर रोडवेज की बस को रुकने के लिये मना कर दिया। जब लोग कहने गये तो उन्होंने अपने चपरासी को बुलाकर धक्का मुक्की करके वहां से निकालने को कह दिया। सभापति महोदय, जब लोग हमारे पास आये तो हमने जाकर तहसीलदारजी से रिक्वेस्ट की कि आपको क्या परेशानी हो रही है, आपके पास उच्च अधिकारियों से कोई आदेश हैं तो आप हमें लिखित में दीजिए। सभापति महोदय, एप्लीकेशन 2–2–84 को गांव वालों ने दी। सभापति महोदय, वैसे भी उनको कोई अथॉरिटी नहीं है। रोडवेज वाले तो यह चाहते हैं कि हमारे पास कोई बहाना हो तो वहां पर रोडवेज की बस को बन्द कर दें। तो, सभापति महोदय, जो सहूलियत 1965 से लोगों को मिल रही थी उसको उन्होंने बन्द करा दिया। इस तरह से आपको मालूम हो गया होगा, इससे आप अन्दाज लगा सकते हैं कि कैसी सनक सवार होती है, आप चाहें तो मैं लिख कर देने को तैयार हूं।

सभापति महोदय, इसी तरह मैं एक

(श्री रामकिशोर मीणा)

बात और निवेदन करना चाहूंगा । उदयपुरिया में इन्होने वन विभाग की जमीन की करीब दस रजिस्टरी की । वह वन विभाग की जमीन है और इनको मालूम है कि इसका रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिये पर इन्होंने की है । मेहन्दीपुर के बालाजी के महन्त बेनामी तौर से जमीन धर्मशाला के बनाने के नाम पर ले लेते हैं और 50-50 और 60-60 हजार रुपये में वह दूसरे यात्रियों को बेच देते हैं । मतलब यह है कि वह इससे पैसा कमाते हैं । इस तरह से यह जानते हुए कि यह जमीन सरकारी है, रजिस्टरी कर देते हैं । मैंने वन संबंधी जमीन के लिये विधान सभा में पिछले साल एक प्रश्न भी किया था उसके बाद भी यह उसकी रजिस्टरी हुई है । तो, सभापति महोदय, मेरा यह निवेदन है कि इनके खिलाफ में इतनी शिकायतें हैं तो इनके विरुद्ध प्रापर एक्शन होना चाहिये । लेकिन इनके खिलाफ प्रापर एक्शन नहीं होने के कारण....

श्री सभापति : अब समाप्त करिये, माननीय सदस्य ।

श्री रामकिशोर मीणा : सभापति महोदय, इसी तरह से उदयपुरिया में एक जमीन, जो खसरा नम्बर 377 है, सवर्ण के नाम नहीं हो सकती, क्योंकि वह एस. सी., एस. टी. की जमीन है ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करिये ।

श्री रामकिशोर मीणा : शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों की जमीन सवर्णों के नाम नहीं हो सकती है पर इन्होंने कर दी है ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब समाप्त करें ।

श्री रामकिशोर मीणा : सभापति महोदय, आप बोलने के लिये आज्ञा देते हैं तब बोलते हैं, हम कोई नाम छपवाने के लिये तो बोलते नहीं हैं, हम तो पब्लिक के भले के लिये बोलते हैं ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब समाप्त करिये । आपको काफी समय हो गया है । आपने 20 मिनट से ज्यादा समय ले लिया है ।

श्री रामकिशोर मीणा : एक मिनट और बोलूंगा साहब ।

इसी तरह से महुआ में....

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कार्यवाही आपको करनी नहीं है । हम तो काले कारनामे बता रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री रामकिशोर मीणा : सभापति महोदय, इसी तरह से महुआ तहसील के उप प्रधान द्वारा नामान्तरण संख्या 214 के तहत अपने खुद के नाम से अलाटमेंट करा ली

(श्री रामकिशोर मीणा)

गई। अलाटमेंट कैम्प में हुआ था। सभापति महोदय, नियम यह है कि सरपंच खुद अपने नाम से जमीन का नामान्तरण स्वीकार नहीं करा सकता है। नामान्तरण राजस्व अभियान में हुआ तो इसको जब ग्रामवासियों ने शिकायत कलेक्टर को की तो कलेक्टर ने लिखा कि उपरोक्त विषय में आप द्वारा श्री भाग्यसिंह सरपंच, ग्राम पचायत नाहिड़ा, उप प्रधान पंचायत समिति महुआ के विरुद्ध शिकायत प्रस्तुत करने पर उसकी जांच मौके पर की गई। श्री हरिविलास पुत्र घमण्डी गूजर के उक्त प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर सरपंच श्री भाग्यसिंह के होना उचीत प्रतीत नहीं होता है। अतः यदि आप हस्ताक्षर पहचान विशेषज्ञ की फीस जमा कराने को तैयार हों तो इसकी जांच हस्तलिपि विशेषज्ञ से कराई जा सकती है।" सभापति महोदय, यदि कोई आदमी फर्जी काम करता है और अंगूठा निशानी झूठी है तो जो शिकायत करता है उसको यह कहा जायेगा कि तुम फीस जमा कराओ। ऐसा कभी नहीं होता। सभापति महोदय, वह फीस भी जमा कराने को तैयार है और लिखित में दे दिया है। तो मेरा निवेदन है कि चूंकि उस को सरकार की तरफ से संरक्षण मिल रहा है तो फिर ऐसे व्यक्ति के खिलाफ क्या कार्यवाही होगी। उस तहसीलदार के बारे में यह भ्रान्ति है लोगों के मन में कि माननीय राजस्व राज्य मंत्री जी का उसके ऊपर हाथ है। मुझे तो नहीं है लेकिन लोगों ने यह एलिगेशन लगाया है कि माननीय राजस्व मन्त्री जी अलवर के हैं और वह भी अलवर का है, और उन्होंने वहां से इलेक्शन भी लड़ा था वह उनकी कांस्टीट्यूएन्सी का आदमी है। यह मेरा कहना नहीं है पर यह जान-बूझकर इसमें जो डिले हो रही है उससे लोगों के मन में सन्देह पैदा होता है। अब इस सन्देह को आप यदि दूर करना चाहते हैं तो आप उस तहसीलदार को जल्दी से जल्दी सस्पैण्ड करके उसकी जांच करावें और उसके विरुद्ध तत्काल कार्यवाही करें ताकि लोगों को राहत मिल सके।

श्री सभापति : माननीय राजस्व मंत्री।

श्री यदुनाथ सिंह : हुजूर। आज वन विभाग की मांग पर बहस चल रही है इस पर अगर एक भी शब्द नहीं बोला जाय इस सदन में....

(व्यवधान)

जी हां, नहीं बोला गया, एक भी शब्द नहीं बोला गया इस सदन में कजर्वेशन आफ फारेस्ट पर, यहां के वन्य जीवन पर और वाइल्ड लाइफ पर एक भी शब्द नहीं बोला गया है। जिस डिपार्टमेन्ट को मांग हो उसके बारे में एक भी शब्द नही बोला जाय, यह अच्छी परम्परा नहीं होगी। मैं तो, सभापति महोदय, दो मिनट ही लूंगा।

श्री सभापति : बोलिये, बोलिये।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : सभापति महोदय, हिन्दुस्तान शुरू से ही वनों के प्रति, वन्य जीवों के प्रति संवेदनशील और

(श्री यदुनाथ सिंह)

वन प्रेमी रहा है। हमारी चाहे वस्तुकला देख लीजिये, हमारा चाहे साहित्य देख लीजिये, हमारे चाहे लोक गीत देख लीजिये, चाहे हमारी पेंटिंग्स देख लीजिये वे सब वन्य जीवों और वनों से भरे हुये हैं। आप को तलैया चित्रों में मिलेगी, आप को चिड़िया चित्रों में मिलेगी। सभापति महोदय, आज खतरा क्या पैदा हो रहा है? आज इकालाजी का बेलेन्स इस प्रकार से गड़बड़ाता नजर आता है। जब वन्य जीव और वन समाप्त हो गए तो मनुष्य जीवन को बहुत बड़ा खतरा सामने दिख रहा है। हम छोटे सन्दर्भ में सोच कर आज चल रहे हैं। यानी जमीन थी वह जोत में ज्यादा से ज्यादा आ गई। अब जोत के लिये फालतू जमीन हमारे हिन्दुस्तान में है नहीं। अब सारा प्रेसर आज जंगल,पर फारेस्ट पर आने वाला है। पिछले कुछ दिनों से आप हमारे देश में देख रहे हैं कि जितनी भी लड़ाइयां और झगड़े हो रहे हैं, यानी जंगलों में चराई के लिये झगड़े होते हैं या जंगलों से जानवर बाहर आ गया या बाहर से अन्दर गया तो वह झगड़े हो रहे हैं। आज भी यह कहा जा रहा है कि नील गाय और दूसरे जंगली जानवर आकर खेत को वर्बाद करते हैं। सभापति महोदय, खेत वर्बाद नहीं होने चाहिये, यह मानी हुई बात है लेकिन इसमें कसूर किस का है? आज हम अपना मानस इस प्रकार का बनायें कि क्या आप वनों को और वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते? इसकी ओर ध्यान देने की जरूरत है। सभापति महोदय,पेड़ कटते जा रहे हैं। पिछले दिनों में फारेस्ट्री का कुछ काम हुआ लेकिन जिस प्रकार की फारेस्ट्री हमने अडाप्ट की है सोशल फारेस्ट्री के नाम पर वह फारेस्ट्री अच्छी फारेस्ट्री नहीं है। यानी जो हमारे ट्रेडीशनल पेड़ हैं वे तो समाप्त हो रहे हैं, जैसे खेजड़ी राज्य का एक पेड़ बनाया गया। लेकिन खेजड़ी के अलावा ऐसे कौन से देसी पेड़ हैं और हमारी जलवायु के उपयुक्त प्लाण्टेशन है? खेजड़ी से ज्यादा धोक है, जिसको आप धोकड़ा बोलते है,वह प्लाण्ट आधे से ज्यादा क्षेत्र में राजस्थान में उगाया जाता था, होता था लेकिन आज वह नजर नहीं आता। यानी पहाड़ पर आप वही प्लाण्ट लगा सकते हैं। आज आपके पहाड़ नंगे हैं, पहाड़ पर आप खेजड़ी नहीं उगा सकते। आपने देखा भी होगा, आमेर से आप दिल्ली की तरफ निकलते हैं वहां पर आपको थोड़ा सा क्षेत्र नजर आता है जहां पर धोक के पेड़ फारेस्ट को ढके हुये हैं, जमे हुये हैं। तो प्लाण्टेशन के नाम पर आज क्या हो रहा है? यूक्लिपट्स लगाना एक प्रकार से आपको अच्छा तो लग रहा है लेकिन क्रिमिनल है, पूरे समाज के लिये क्रिमिनल है। क्रिमिनल इस रूप में है, सभापति महोदय, यूक्लिपट्स हमारी जलवायु के लिये, हमारे लिये बनाया ही नहीं गया। यूक्लिपट्स पूरा मेच्चोर होता है सौ गैलन तो उसको पानी ही चाहिये। सभापति महोदय, हम इतने असंवेदनशील हो गए हैं इस ओर से क्योंकि कोई हममें जागृति नहीं है। जहांगीरनामा में भी जिक्र है कि किस तरह का फारेस्ट मध्य प्रदेश में और यहां तक कि भरतपुर में हुआ करता था। यानि हम एक कोरीडोर इस किलोमीटर का बनायें आज तो उस क्षेत्र में

(श्री यदुनाथ सिंह)

आज कितने वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन हो सकता है। इसलिये, सभापति महोदय, इसके लिये जरूरी है कि लोकल लोगों में जागृति पैदा की जाय। जंगल के आस पास के लोगों में जब तक आप रुचि पैदा नहीं करेंगे तो रोज लड़ाइयां होंगी। पिछले दिनों एक दर्दनाक घटना भरतपुर में हुई चराई को लेकर लेकिन ये सब जगह घटनायें होंगी आने वाले समय में। इसलिए जंगल के आसपास किसी सूरत में 52 किलोमीटर तक किसी फारेस्ट लैंड या किसी भी दूसरी जमीन का अलाटमेंट नहीं किया जाय। सिवाय चक जमीन का अलाटमेंट नहीं किया जाय। वहां पर जो चरागाह हैं उनको इनटेक्ट रखने की आवश्यकता है। इससे प्रेशर कम होगा। जो आपकी सैंक्चुरी लगी हुई है, फोरेस्ट लगा हुआ है उसमें एक बफर जोन बनाइये आप। उसमें अच्छी अच्छी घास उगाइये। 2–3 किलोमीटर की जोन होगी, अन्दर से जो जानवर आता है वह आपका नुकसान नहीं करेगा। बाहर से जो जानवर आता है उसका आप पैसा भी लेंगे और वह वहां चरने का काम करेगा। इस दबाव को रोकने के लिए बहुत जरूरी है कि हमारी वन नीति यहां के लिए हो। मुझे खुशी है कि पिछले कुछ दिनों में काम हुआ है। आपने पिछले दिनों में बहुत सी सैंक्चुरी डिक्लेयर की हैं प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी के दबाव में आकर। मेरे प्रधान मंत्री से कितने ही मतभेद हों उनसे कोई मेरा समझौता नहीं है लेकिन एक बात में मैं उनकी तारीफ करूंगा, एक बात से मैं इत्तफाक करता हूँ कि she is a keen wild lifer और इकोलोजी में बहुत बडा फैथ रखने वाली वह आज हमारी प्रधान मंत्री हैं। उनके दबाव में आकर लगातार आप सैंक्चुरी डिक्लेयर करते जा रहे हैं यह सैंक्चुरी वह सैंक्चुरी लेकिन स्टाफ नहीं लगा रहे हो। सैंक्चुरी के डवलपमेंट के नाम पर आप कुछ नहीं कर रहे हो। इसलिए सैंक्चुरी आप बनाइये तो पूरी व्यवस्था करिये ताकि एक निश्चित समय में हम सैंक्चुरी को डवलप कर दें। पुरानी सैंक्चुरी अभी पूरी तरह से बर्बाद नहीं हुई हैं, पुराने जंगल पूरी तरह से बर्बाद नहीं हुए हैं उनमें वहीं के क्षेत्रीय पेड़ों को लगा कर उनको आप अभी से पकड़ लेंगे तो ठीक है। नहीं तो कल, थोड़े दिन में, आने वाले दस, बीस, पच्चीस साल में माइनिंग के नाम पर जमीन जोतने के नाम पर, चरागाह के नाम पर फोरेस्ट पर कब्जा होने का काम हो जायेगा इसलिए उनको आप बचाकर रखिए। हमारे यहां जो भरतपुर बर्ड सैंक्चुरी है, रणथम्भोर टाइगर प्रोजेक्ट है, सरिस्का है, आबू है, आबू जैसी संसार में कोई जगह नहीं है। कोई हिल स्टेशन आबू जैसा नहीं है। बीच डेजर्ट में आबू है। आबू की आज बर्बादी हो रही है, माइनिंग हो रहा है आबू में। पापूलेशन की कोई रोक नहीं है लोग बसते चले जा रहे हैं। पीने के पानी की समस्या है और ऊपर से आप यूक्लिपट्स के पेड़ वहां लगा रहे हैं। आप जंगल में वही प्लांटेशन करिये जिसको जानवर खाता भी हो और जल्दी वह उगता भी हो। इस तरह के प्लांटेशन करने का कोई फायदा नहीं है। इकानामी से आप उसको मत जोड़िये। होना तो यह चाहिए कि जो सैंक्चुरी आप

(श्री यदुनाथ सिंह)

बना रहे हैं या नेशनल पार्क बना रहे हैं उसमें एक तिनका घास का काटा नहीं जाये। एक पेड़ अगर आपका सूखकर गिरता है, वहीं गलेगा, सड़ेगा। नहीं तो इकोलोजी के हिसाब से ठीक नहीं होगा। वहीं गलना सड़ना चाहिए तभी आपके नेचरल जंगल और सैंक्चुरी बनेंगे। ज्यादा नहीं कहते हुए इतना ही कहूंगा कि इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए एक वन नीति बनाने की आवश्यकता है। इतना ही मैं कहना चाहता हूं।

श्री सभापति : श्री राजस्व मंत्रीजी।

श्री हीरालाल देवपुरा (राजस्व मंत्री) : पहले वन मंत्री जी को कहें।

श्री सभापति : वन मंत्रीजी।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (राज्य मंत्री, वन) : सभापति महोदय, 17वीं शताब्दी में एक वैज्ञानिक ने यह घोषणा की थी कि बीसवीं शताब्दी तक आते-आते परिस्थिति ऐसी आ सकती है कि जलाने के लिए हमें लकड़ी मिलना मुश्किल हो जाये। सभापति महोदय, हम देख रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति आज हमारे सामने आती जा रही है इसी कारण भारत सरकार ने 1952 में जो राष्ट्रीय वन नीति निर्धारित की थी, उसमें सम्पूर्ण भू-भाग का 35 प्रतिशत भाग वन का होना चाहिए यह निर्धारित किया था। सभापति महोदय, राजस्थान में केवल 9 प्रतिशत भाग वनों का है उसमें भी वास्तविक रूप से वनों से आच्छादित है वह चार या पांच प्रतिशत के लगभग है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बहुत कम है।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : जो मांग है विभिन्न कामों मे लकड़ी की, उसकी पूर्ति करना वन विभाग के लिए सम्भव नहीं है। फ्यूल की जो जरूरत है लोगों की, बड़ी मुश्किल से उसका 10 प्रतिशत अपने वनों से दे पाते हैं। बाकी लकड़ी या तो दूसरे राज्यों से आती है या जो काश्तकार भाई हैं उनके खेतों से आती है या कुछ अवैध कटाई करने से आती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि समस्या बहुत गम्भीर है। अगर वन विभाग से यह उम्मीद की जाये तो जो एक फारेस्ट गार्ड है, जिसके पास दो हजार हैक्टेयर जमीन की रखवाली की जिम्मेदारी है, वह उस पूरे इलाके की अच्छी तरह से रखवाली नहीं कर सकता। इसलिये जैसा कोलायत से आने वाले सदस्य ने बताया था, आवश्यकता इस बात की है बहुत जरूरी है, सभापति महोदय, इस प्रकार की चेतना पैदा की जाये लोगों में कि जो पेड़ों की सम्पत्ति है उस सम्पत्ति को वह अपनी सम्पत्ति समझें और पेड़ों की रक्षा के लिए इसी तरह की कार्यवाही करें। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं, हमारे यहां जो विश्नोई जाति है उन लोगों का कि उन्होंने एक परम्परा रखी है पेड़ों के लिए, उन्होंने रक्षा की है पेड़ों की और वन्य जीवों की, इसके लिये अपने प्राणों की आहूति भी दी है। इसी प्रकार की परम्परा को कायम रखने की जरूरत है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जो भी सीमित साधन हैं उससे सरकार को पेड़ लगाने के काम में सहयोग दें। हम कोशिश कर रहे हैं कि सामाजिक वानिकी में अधिक से अधिक पेड़ लगाने का

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

काम किया जा सके। चाहे जितने पेड़ वन विभाग अपने क्षेत्र में लगा ले तो भी जो राष्ट्रीय नीति है उसके अनुसार उतना क्षेत्रफल हमारे पास नहीं है, जिससे हम उस मापदण्ड को प्राप्त कर सकें। इसलिए जब तक हर आदमी अपना कर्तव्य समझ कर अधिक से अधिक पेड़ नहीं लगायेगा और पेड़ों की रक्षा नहीं करेगा, इस समस्या को लेकर जो वैज्ञानिक ने भविष्यवाणी की थी, वह आगे जाकर सत्य हो सकती है। विभाग इसके लिए काफी योजनायें चला रहा है।

मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं एक बात बताना चाहता हूं जो हमारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पेड़ों की बहुत कमी है उन क्षेत्रों को भी हमने विशेष तौर से वनों से आच्छादित करने का काम किया है। सभापति महोदय, आप जानते हैं कि राजस्थान का 3/5 भाग थार रेगिस्तान है। उस थार रेगिस्तान में डी.पी.ए.पी. आदि के तहत वन लगाने का काम चल रहा है। इसके अलावा, सभापति महोदय, हमने यह भी नियम बनाये हैं कि जो बंजर भूमि हमारे पास पड़ी है, जो खेती के काम में नहीं आती है उसका अलाटमेन्ट करें। उसका अलाटमेंट करने के लिए सरकार ने नियम बना दिये है। मैं उम्मीद करता हूं कि इसका अधिक से अधिक प्रचार होकर लोगों को लाभ पहुंचेगा और ऐसी भूमि को हमारे यहां काम में लिया जायेगा।

सभापति महोदय, आदिवासियों का और वनों का आपस में चोली और दामन का साथ है। अभी फारेस्ट्री बोर्ड की मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में प्रधान मंत्री ने संदेश दिया था उसमें उन्होंने स्पष्ट तौ से कहा था कि जो वन नीति केन्द्र सरका के विचाराधीन है इस वन नीति में आदि वासियों के लिए पर्याप्त व्यवस्था का जायेगी। उनकी सुविधा के लिए इस प्रका के कार्य चालू किये जायें, वनों के ऊप जो उनकी निर्भरता है उसको बरकर रखते हुए इस तरह के काम हाथ में लि जायें कि जो अभी कटाई के काम में लगे हों, उनसे उनको दूर रखा जा सके। इ सम्बन्ध में अभी लोक सभा में भी ए प्रश्न के जवाब में कृषि राज्य मंत्री मकवाना ने लोक सभा को आश्वासन दि था कि शीघ्र ही वन सम्बन्धी नीति ज होने वाली है, आदिवासियों के जो अधिकार हैं, उनको रखने और किस प्र से वनों के संवर्धन में उन्हें लगाया जा इसकी नीति निर्धारित की जायेगी। स पति महोदय, मैं यह भी बताना चाहत कि वनों के विकास के सम्बन्ध में और के प्रति जागृति पैदा करने के लिए सर के सामने वन चेतना केन्द्र खा का विचार है। मैं समझता एक सलाहकार कमेटी के साथ मे चेतना केन्द्र पंचायत समिति के स्तर पंचायत स्तर पर हम आरम्भ क चाहते हैं ताकि नदउई से आने वाले ने जिस प्रकार की भावना व्यक्त की तरह से लोगों को इस आन्दोलन में श किया जा सके और उनको इस बा

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

लिए प्रेरित किया जा सके कि वह वनों की रक्षा भी करें और अधिक से अधिक वन भी लगाएँ।

सभापति महोदय, अभी मेरे साथी विधायक बस्सी से आने वाले जगदीश तिवाड़ी ने लकड़ी के लाने के लिए जो अभी नियम बने हुए हैं उसके सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण बात कही है। इस सम्बन्ध में भी मैं सदन को बताना चाहूंगा कि सैद्धांतिक रूप से सरकार ने स्वीकार कर लिया है कि जो लोग सामाजिक वानिकी के तहत अपने खेतों में पेड़ लगायेंगे उन्हें पेड़ काटने की इजाजत देना सैद्धांतिक रूप से मंजूर है और इसके लिये नियमों में जो परिवर्तन करने की आवश्यकता है वह करने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

सभापति महोदय, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि हमने कुछ नये आयाम इस क्षेत्र में कायम किये हैं। राजस्थान पहला प्रदेश है जिसमें मिलिट्री के लोगों के जरिये इको डवलपमेंट फोर्स के जरिये राजस्थान कैनाल के ऊपर वृक्षारोपण और चरागाह विकास का काम किया जा रहा है।

(8.00 रात्रि)

इसी प्रकार, सभापति महोदय, राजस्थान में ऐसे इलाकों, जहां भी पेड़ लगाना मानव के लिये संभव नहीं है, जो कन्दरायें हैं, जिनके लिये सिकन्दरा से आने वाले साथी मुझे अक्सर कहते रहते हैं, कोटा और चम्बल की उन कन्दराओं में भी हवाई जहाज से बीज गिराकर वृक्षारोपण करने की कार्यवाही हमारे विभाग के जरिये से, सभापति महोदय, कराई जा रही है।

इसके साथ ही साथ, सभापति महोदय बहुत बड़े पैमाने पर, मुझे यह कहते हुये हर्ष है, करीब हर पंचायत समिति के ऊपर हमने एक नर्सरी स्थापित की है। माननीय सदस्यों को भी यह जानकर हर्ष होगा कि गत वर्ष पेड़-पौधों की मांग इतनी ज्यादा थी कि हम किसानों को या पेड़ लगाने वाले प्रेमियों को पौधे नहीं दे पाये थे, इस वर्ष हमने इस बात की कोशिश की है कि जितने भी व्यक्ति पेड़ लगाना चाहते हैं उनको हम पंचायत समिति स्तर के ऊपर पौधे उपलब्ध करायेंगे। इसके लिये व्यवस्था सरकार ने पूरी पूरी की है। मुझे उम्मीद है कि यह जो एक टेम्पो बना है, इस टेम्पो को आगे और बढ़ावा मिलेगा।

इसके साथ साथ, सभापति महोदय, कुछ योजनायें आदिवासियों के लिये हमने आदिवासी इलाकों में चालू की हैं। वनों के जरिये से सामाजिक सुरक्षा के तहत हम दो हैक्टेयर जमीन और तीन हजार रुपये प्रति वर्ष एक आदमी को देते हैं। एक हैक्टेयर में आठ सौ वृक्ष वह लगाता है और इस प्रकार क्रमशः 15 साल में 30 हैक्टेयर जमीन और प्रतिवर्ष 3 हजार रुपये उसको देकर 15 साल के बाद उसको बन्द किया जाता है ताकि जो पेड़ पन्द्रह साल पहले उसने लगाये हैं उसके जरिये से वह अपनी आमदनी कर सकता है। उसमें यह निर्णय लिया गया है कि इसका जो

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

फाइनल प्राड्यूस होगा, जो लघु उत्पादन होगा वह उन लोगों को दिया जायेगा।

सभापति महोदय, इसी प्रकार बच्चों का हमारी प्रधान मंत्री ने आह्वान किया है, यह नारा दिया है कि "एक बच्चा और एक पेड़।" उसके तहत उन सभी स्कूलों, जो अपने प्रांगण में नर्सरी लगाना चाहते हैं, को हम 20 पैसा एक पेड़ का देते हैं। बीज हम देते हैं, थैली हम देते हैं, खाद हम देते हैं, वह केवल 8 या 9 महीने पौधे पैदा करके हमें दें तो हम 20 पैसे उनको देते हैं, मुझे खुशी है कि करीब 75 या 76 स्कूल राजस्थान में हैं जिन्होंने इस प्रकार की नर्सरी लगाई है और वह इसका लाभ उठा रहे हैं और आयन्दा आने वाले में भी, सभापति महोदय, वह इसका लाभ उठायेंगे।

इसके साथ ही साथ, सभापति महोदय, आपने देखा होगा, जैसा अभी माननीय सदस्यों ने भी यह चिन्ता व्यक्त की है, जलाऊ लकड़ी में बहुत कमी आती जा रही है। सभापति महोदय, केन्द्र सरकार ने ग्रामीण ईंधन योजना के तहत एक योजना कई राज्यों को दी है जिसमें राजस्थान भी एक राज्य है। उस योजना के तहत सरकार का यह प्रयास है कि प्रत्येक गांव में जो भूमि उपलब्ध है, चाहे वह चरागाह की है या चाहे बंजर है या और किसी प्रकार की है वहां वन लगा कर इतनी क्षमता पैदा की जाय कि उस गांव की जो आवश्यकता है कम से कम वह उस वन के जरिये से पूरी हो सके।

इसी प्रकार, सभापति महोदय, कुछ प्रस्ताव या कटमोशन्स हमारी नंगी पहाड़ियों को वृक्षों से आच्छादित करने के लिये प्रस्तुत हुये हैं। उनके सम्बन्ध में मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि अभी ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना, जो हमारी प्रधान मंत्री ने 15 अगस्त को लाल किले से घोषित की थी, के तहत बहुत बड़े पैमाने पर खास तौर से जयपुर और जो बड़े-बड़े शहर हैं उनके चारों तरफ पहाड़ियों को वृक्षों से आच्छादित करने के लिये मुख्य मंत्रीजी ने भी कृपा-पूर्वक हमें काफी पैसा और निर्देश भी दिये हैं। उन निर्देश को हम पूरा करेंगे और यह योजना इस साल हम अपने हाथ में ले रहे हैं।

सभापति महोदय, आपकी इजाजत हो तो और निवेदन करूं......

(व्यवधान)

श्री महाराम चौधरी : बहुत अच्छा सफल काम है आपका।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : सभापति महोदय, शुक्रगुजार हूं आपका इस बात के लिये।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करता हूं कि जो मांग संख्या 9 है....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वन्य जीवों के बारे में....

श्री यदुनाथ सिंह : बता दिया, ठीक है।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : मैं शुक्रगुजार हूं आपका कि आपने मेरा काम हल्का कर दिया। इन्हीं शब्दों के साथ, सभापति महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि मांग संख्या 9 को पारित किया जाय।

श्री चन्दनमल बैद (उपनिवेशन मंत्री) : सभापति महोदय, मैं उपनिवेशन के बारे में थोडा सा....

श्री सभापति : कृपया विराजिये।

श्री हंसराज शर्मा : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, कटमोशन्स भी मैंने दिये हैं, सवाईमाधोपुर जिले में वन विभाग का जो 118 किलोमीटर का सर्किल है, एरिया है, उसके आस-पास जो आपका जंगल है, जंगली जानवर 3 किलोमीटर के एरिया में, 118 किलोमीटर के सर्किल में काश्तगारों की उगी हुई फसल होती है उसको खाते हैं। उन जानवरों को जंगल से फसलों के क्षेत्र में आने से रोकने के लिये आप कोई व्यवस्था करेंगे क्या?

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : माननीय सभापति महोदय, यह सवाल पहले भी आया है, प्रश्न के रूप में भी आ चुका है....

श्री यदुनाथ सिंह : बफर जोन बनाइये, वैसे रुकेंगे नहीं।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : बफर जोन भी हो चुका है, पेड़ भी हैं लेकिन जैसा सवाईमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य जानते हैं आखिर जानवर-जानवर ही हो होते हैं कभी रास्ता भूलकर आ भी सकते हैं। इसलिये जैसा नदबई से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि दुनिया को कायम रखने के लिये कुछ न कुछ नुकसान तो हमें बर्दाश्त करना ही पड़ेगा।

(व्यवधान)

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : सभापति महोदय, मंत्री महोदय से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। जयपुर शहर के आस-पास की जो नंगी पहाड़ियां हैं 20 किलोमीटर के क्षेत्र में उसको ग्रीन वैली बनाने की योजना के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी : सभापति महोदय, एक प्रश्न मेरा भी है। माननीय मंत्री महोदय से मैं यह पूछना चाहता हूँ कि ग्राम पंचायत तूंगा की 70 बीघा जमीन आज से 20 साल पहले आपने यह कह करके ली थी कि 5 साल बाद हम प्लान्टेशन करके पंचायत को वापस लौटा देंगे। वह जमीन आप कब तक लौटा देंगे?

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया शान्ति बनाए रखें।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : सभापति महोदय, बस्सी से आने वाले माननीय सदस्य ने मेरे से व्यक्तिगत भी निवेदन किया था और मैंने कल जब यह प्रश्न देखा

(X8)

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

तो विभाग वालों को निर्देश दे दिया है कि अगर इस प्रकार से कोई जमीन ली हुई है, एग्रीमेन्ट किया हुआ है तो तुरन्त वापस लौटा दी जाय।

श्री सभापति : उपनिवेशन मंत्री जी।

श्री चन्दनमल बैद (उपनिवेशन मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, जैसलमेर के नहरी क्षेत्र में भू-आवंटन के सिलसिले में कुछ शंकायें प्रकट की गई हैं। एक कटमोशन के द्वारा यह कहा गया है। मैं नहरी क्षेत्र मोहनगढ़ में भू-आवंटन में हुई अनियमितताओं के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे मोहनगढ़ की तहसील हो, चाहे जैसलमेर का जिला हो, कहीं भी अभी तक स्थायी आवंटन नहरी क्षेत्र में नहीं किया गया है, केवल मोहनगढ़ तहसील नम्बर (1) और मोहनगढ़ तहसील नम्बर (2) में अस्थायी आवंटन एक साल के लिये किया गया है। वह भी वहां के जो वाशिन्दे लोग हैं उनको किया गया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक साल के लिये जो आवंटन किया गया है वह अब तक 2117 आदमियों को कुल 14073 बीघा कमाण्ड जमीन, 60 बीघा अनकमाण्ड जमीन और 59, 839 बीघा बारानी क्षेत्र का किया गया है यानि कुल 73972 बीघा जमीन का अलाटमेन्ट वहां पर किया गया है और वह भी एक साल के लिये किया गया है।

यहां शंकायें प्रकट की गई हैं कि वहां के जो वाशिन्दे लोग हैं उनको भी आप पैसा लेकर जमीन देंगे और दूसरे जो लैण्डलैस लोग हैं उनको भी आप पैसा लेकर जमीन देंगे। मैं, माननीय सभापति महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि जो वहां के पुराने खातेदार प्रमाणित हैं उनको एक मुरब्बा जमीन हम फ्री देंगे। बाकी जो दूसरी जमीन लेंगे वह पैसा लेकर देंगे। बाहर के जो लैण्डलैस होंगे उनको जो एक एक मुरब्बा देंगे वह रिजर्व प्राइस पर देंगे। तो जो पुराने खातेदार हैं उनको सीलिंग की जो लिमिट है उस पर जमीन देंगे और पहला जो मुरब्बा होगा वह फ्री देंगे बाकी जो जमीन होगी उसकी रिजर्व प्राइस लेंगे। जो बाहर से लोग आयेंगे या वहां के लैण्डलैस लोग होंगे उन लोगों को केवल एक मुरब्बा जमीन देंगे। उनको एक मुरब्बा जमीन से ज्यादा नहीं देंगे, एक ही मुरब्बा देंगे वह रिजर्व प्राइस लेकर देंगे।

अब जैसेलमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि जो लोग वहां हमेशा से बसने वाले हैं उनको सीलिंग सीमा तक जमीन देनी चाहिये और उनसे सीलिंग सीमा तक जमीन का पैसा नहीं लेना चाहिये। मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि मंत्रिमण्डल इस विषय पर सचेष्ट होकर विचार विनिमय कर रहा है। मैं नहीं कह सकता इस के बारे में क्या राय बनेगी लेकिन हम सचेष्ट हैं और यह बात करना चाहते हैं कि जो जैसलमेर के लोग बसे हुए हैं और जो यह महसूस कर रहे है कि बहुत वर्षों के बाद, सदियों के बाद वहां पानी आया है, उनको मीठा पानी पीने को भी

(श्री चन्दनमल वैद)

मिलेगा और काश्त करने के लिये भी मिलेगा, उनको सुविधा ज्यादा मिलनी चाहिये, इस पर मंत्रिमण्डल बहुत गम्भीरता से विचार कर रहा है। साथ में हम यह भी विचार कर रहे हैं कि क्योंकि जैसलमेर का एरिया बहुत कठिन एरिया है इस वास्ते वहां जो खेती की जाये, वहां जो जमीन अलाट की जाय उस जमीन के अलाटमेंट की जो किश्ते हैं, जो पैसा है रिजर्व प्राइस वह किश्तों में ली जाये, एक-मुश्त में नहीं ली जाये। साथ में हम यह भी सोच रहे हैं कि क्योंकि वहां खेती करने में काफी कठिनाइयां होंगी और पानी लगाने में भी काफी कठिनाइयां होंगी, इस वास्ते पानी आने के कुछ साल तक का उनको कुछ मार्जिन भी दिया जाये, एक तरह से उनको ग्रेस पीरियड भी दिया जाये जिससे जब किसानों के खेती हो जाये उस के बाद उसकी किश्त चुकानी पड़े। हम खुद इस बात के लिये जागरूक हैं कि जैसलमेर के एरिया के लोगों को जितनी ज्यादा सुविधा हम दे सकें उतनी सुविधा दें। माननीय सभापति महोदय, साथ में मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जैसलमेर का एरिया कठिन होने के साथ साथ हमारे लिये परेशानी वाला एरिया भी है क्योंकि पाकिस्तान से मिलता हुआ एरिया है। बहुत से लोग जैसा कि विपक्षी दल के नेता ने और दूसरे लोगों ने भी कहा है, उधर से क्रास कर के इधर आना चाहते हैं क्योंकि नहर आ रही है, आ गई है और जो जमीन कल कौड़ियों के भाव भी लेने को तैयार नहीं थे आज वह कीमती हो गई है। तो यह मैं आपको निश्चित रूप से कह देना चाहता हूं कि हम किसी भी विदेशी को, परदेशी को वहां की जमीन नहीं लेने देना चाहते। हमारी कोशिश यही है कि पहले जैसलमेर एरिया, जहां से नहर जा रही है उस एरिया के लोगों को जमीन मिले, उसके बाद उस तहसील के लोगों को मिले, फिर जैसलमेर जिले के लोगों को मिले और उसके बाद अगर जमीन बचती है तो जोधपुर या बाड़मेर या जो भी सीमावर्ती जिले हैं उस सीमावर्ती जिले के लोगों को मिले, यह हमारी पूरी मन्शा है। कोई विदेशी परदेशी जमीन ले, ऐसा हम नहीं होने देना चाहते। हमने इसके लिये पूरा प्रबन्ध किया है कि जिन लोगों ने भी जमीन लेने के लिये दरख्वास्त दी है, प्रार्थना पत्र दिये हैं, प्रार्थना पत्रों पर जो उन्होंने फोटो लगाये हैं उनकी पूरी तरह से जांच की जाये और जांच करने के बाद ही उसको सक्षम माना जाय। अलाटमेंट करने का जो अधिकार है, दूसरी जगह गंगानगर में या बीकानेर में पहले जो जमीनें अलाट हुई थीं, तहसीलदारों को भूमि आवंटन करने का अधिकार दिया गया था लेकिन हमने वहां पर ए. सी. सी./डिप्टी कमिश्नर को अधिकार दिया है। तो सभापति महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो शंकायें यहां प्रकट की हैं, वे निर्मूल हैं हम उनसे पहले ही सजग हैं, जितने भी परेशानियों के कारण हैं उन सभी कारणों को पहले से दूर करना चाहते हैं। हम इस बात को अच्छी तरह से देखना चाहते हैं कि जिस नहर को बनाने में सारे राजस्थान की जनता का पैसा लग रहा है, जिसके कारण जैसलमेर में बहबूदी और प्रास्पैरिटी

(श्री चन्दनमल बैद)

आई है वह बहबूदी और प्रास्पैरिटी का सारा जो नतीजा है, फायदा है. राजस्थान और जैसलमेर के लोगों को मिलना चाहिये बाहर के लोगों को नहीं मिलना चाहिये। इतना ही मैं कहना चाहता था, बहुत बहुत धन्यवाद।

हां, एक बात मैं कहना भूल गया। सभापति महोदय, मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि जिन लोगों को हम जमीन देंगे, उस जमीन के ट्रांसफर के जो राइट हैं वह हम बड़ा रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हो जाये कि दूसरे लोगों को जमीन देने में हम रोक लगा रहे हैं लेकिन जिनको हम जमीन दें वह जमीन उनको ट्रांसफर कर दें और उन लोगों को बुला लें जिनको हम रोक रहे हैं। इसलिये भी हम यह बहुत बड़ा रेस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं कि जिन लोगों को हम जमीन दें, वे लोग उस जमीन को आसानी से ट्रांसफर न कर सकें। इस तरह के रेस्ट्रिक्शन हम लगाना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि उसके आसपास रहने वाले लोग हैं और वहां के जो जन प्रतिनिधि हैं, वे मेरी इन बातों से सहमत होंगे। मैं इतना ही आपसे निवेदन करना चाहता था। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : राजस्व मंत्री जी।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं एक दो प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री सभापति : कौन से मंत्री जी से कर रहे हैं यह बता दें ताकि जवाब तो दे दें।

श्री भंवरलाल शर्मा : राजस्व मंत्री जी से।

श्री सभापति : बाद में कर लीजियेगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : पहले मैं कर लूं, दो एक सवाल हैं, लम्बे चौड़े नहीं हैं। कन्वर्शन आफ लैण्ड का प्रावधान राजस्थान में बहुत बड़ा प्रावधान है। आपने कई दिनों पहले जो कन्वर्शन चार्जेज, बाड़ा बन्दी चार्जेज, जो पहले थे, बहुत सारे लोगों से ले भी लिये हैं लेकिन अभी तक उस समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। उस समस्या से सारा राजस्थान प्रभावित है। आप जवाब दें तो यह बता दें कि आप उस समस्या का समाधान चुनाव से पहले कर देंगे या चुनाव तक विचार करेंगे ? यह आप बता दें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : बाद में भी हम करेंगे। आपको उधर ही बैठना है।

श्री रामसिंह विश्नोई : सभापति महोदय, मैं उपनिवेशन मंत्रीजी से मेरी शंकाओं के बारे में जानना चाहूंगा। जैसलमेर जिले के जो वाशिन्दे है उनको 25 बीघा जमीन फ्री देने की बात कही है, दूसरी जमीन जो सीलिंग लिमिट से कम है उसको पैसा लेकर देने की बात कही है। वास्तव में मामला तो ठीक है लेकिन पच्चीस तीस साल से जो किसान जमीन के मालिक थे, उसके बाद उसके बेटे, पोते हो गये हैं क्या आप उचित समझते हैं कि उन्हें केवल 25 बीघा जमीन ही दें ? परिवार के अन्दर जो बच्चे थे, वह अब बालिग हो चुके हैं, वृद्धा मां है, सीलिंग के अन्दर जिस तरह का कायदा

(श्री रामसिंह विश्नोई)

बनाया है उस पूरे परिवार को इकाई मानकर उनको शामिल करते हुए एक मुरब्बा जमीन देने की मूर्खता कर रहे हैं, क्या आप इसको उचित समझते हैं ? इसमें सुधार करें तथा बालिग लड़कों, वृद्ध माता-पिता तथा परिवार के अनुरूप देखकर सीलिंग सीमा तक जमीन दें।

श्री चन्दनमल बैद : माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन कर चुका हूं कि यह सारे इससे कनेक्टेड मामले मंत्रिमण्डल के विचाराधीन हैं। यह प्रश्न भी विचाराधीन है कि इसके बारे में क्या निर्णय लिया जाय। अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है इसलिये अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं लेकिन बड़ी सहानुभूतिपूर्वक मंत्रिमंडल इस पर विचार कर रहा है।

श्री सभापति : श्री राजस्व मंत्री जी।

श्री राधेश्याम : पौंग डैम के जो विस्थापित हैं उनको ट्रांसफर करने का गवर्नमेंट क्या विचार रखती है ? पहले तो वह राजस्थान के लोगों को मिले, दूसरे लोगों को जमीन नहीं मिले और कुछ पैसा गवर्नमेंट पैनल्टी के रूप में उनसे ले, इस तरह का कोई विचार रखती है ?

श्री चन्दनमल बैद : पौंग डैम से जो विस्थापित हुए हैं, आप जानते हैं कि उनको कुछ जमीनें हमने दी हैं। हिमाचल प्रदेश और राजस्थान सरकार के बीच बाकायदा एक एग्रीमेंट है उसके हिसाब से जो भी पौंग डैम के लोग वहां बसना चाहते हैं, जो बस रहे हैं उनको पूरी फैसेलिटी दी जायेगी और जो नहीं बसना चाहते हैं, उनकी बहुत सी जमीनें हमने जब्त की हैं, शेष भी कर लेंगे लेकिन जो बसना चाहते हैं, उनको देंगे।

(व्यवधान)

बहुतों की जमीनें जब्त की हैं और कर लेंगे। लेकिन जो बसना चाहते हैं उनको सारी सहूलियतें देंगे।

श्री सभापति : राजस्व मंत्री जी।

श्री हीरालाल देवपुरा (राजस्व मंत्री) : सभापति महोदय, राजस्व की मांगों पर इस सदन के लगभग 60 माननीय सदस्यों ने 234 कटमोशन्स प्रस्तुत किये उनमें से 12 माननीय सदस्यों ने राजस्व के संबध में अपने सुझाव इस सदन में प्रस्तुत किये। मैं उन सभी माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि राजस्व विभाग कृषकों के हितों की सुरक्षा की दृष्टि से, कृषकों को अपने अधिकार दिलाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण विभाग है। उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया कि राजस्थान हिन्दुस्तान में पहला प्रान्त है जिसने भू-सुधार की दृष्टि से और कृषकों को भूमि पर अपना अधिकार दिलाने की दृष्टि से सबसे पहले कदम उठाया और इसके सम्बन्ध में प्रगतिशील कानून राजस्थान ने प्रसारित किये।

सभापति महोदय, माननीय सदस्यों के इस कानून की क्रियान्विति के ऊपर कुछ

(श्री हीरालाल देवपुरा)

सुझाव थे। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कई स्थानों पर क्रियान्विति में कुछ गलतियां होना स्वाभाविक हो सकता है राजस्व विभाग इस दृष्टि से सजग है। इन गलतियों को किस प्रकार से रोका जा सके, इसके लिये हर समय इस बात का प्रयत्न किया जाता है कि जहां जहां पर इस प्रकार की गलतियां और जहां जहां पर इस प्रकार की शिकायतें राजस्व अधिकारियों के सम्बन्ध में आती हैं उनकी जांच करवाने का प्रयत्न करते हैं, जांच करवाते हैं और जांच के परिणाम के अनुरूप अधिकारियों को दण्डित भी किया जाता है जिससे आने वाले दूसरे अधिकारियों पर एक असर पड़े, प्रभाव पड़े और वे गलतियां दोहराई न जा सकें।

सभापति महोदय, राजस्व विभाग ने किसानों के मामले शीघ्र निपटाने की दृष्टि से गत वर्ष 'प्रशासन गांव की ओर' राजस्व अभियान के रूप में मनाया है। उस संबंध में भी 12 माननीय सदस्य जो बोले, सबने ही करीब करीब अपने विचार व्यक्त किये। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि माननीय सदस्यों ने इस बात को स्वीकार किया कि यह अभियान एक अच्छे अभियान के रूप में साबित हुआ और लोगो के काफी मामले समय पर निपटे। कुछ मामले अनिर्णीत रह गये थे। जिन मामलों का समय पर निपटारा नहीं किया जा सका, उस संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमने समय समय पर उन मामलों को निपटाने के लिये आदेश निकाले। उन आदेशों के निकलने से जिलाधीशों ने अपने मातहतों के द्वारा उन मामलों को निपटाने की कोशिश की। केवल वे ही मामले अनिर्णीत हैं जिन मामलों का निपटारा कानून के अन्तर्गत बिना पूरी जानकारी किये, बिना पूरी जांच किये नहीं किया जा सकता। वे मामले जरूर अनिर्णीत रहे हैं, उनके लिये भी हमारा प्रयत्न है कि उनको शीघ्र निपटा कर उनका निर्णय किया जा सके। राजस्व अभियान जो चला है उस सबन्ध में कुछ आंकड़े देकर निवेदन करना चाहूंगा कि कितना काम राजस्थान में हुआ है। इस अभियान में खातेदारी अधिकार 1,09,818 व्यक्तियों को दिये गये, नामान्तरण प्रस्तुत किये गये 4 लाख 78 हजार 842। भूमि का आवंटन किया गया 147843 एकड़ भूमि का 83348 व्यक्तियों में। इसमें 36715 एकड़ भूमि अनुसूचित जन जाति के 21179 व्यक्तियों को और 30723 एकड़ भूमि 15944 अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को अलाट की गई है। इसमें यह बात कही गई माननीय सदस्यों के द्वारा कि भूमि आवंटित की और मौके पर काफी लोगों को कब्जा मिला लेकिन कुछ लोगों को मौके पर कब्जा नहीं दिलाया जा सका। अभी भी कई जगह ऐसे केसेज हैं जहां पर उन लोगों को कब्जा नहीं दिलाया जा सका है। ऐसे कुछ मामले सामने आये है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ ऐसे मामले रह गये थे जिनको कब्जा उस वक्त नहीं दिलाया जा सका था उसके बाद उन मामलों, जब वे मामले तहसील में गये, में से काफी मामलों में कब्जा दिला दिया गया लेकिन कुछ मामले ऐसे रह गये हैं जिनमें या तो उस भूमि पर कोई विवाद था या पहले कोई ट्रेसपासर था जिस ट्रेसपासर की जानकारी

(श्री हीरालाल देवपुरा)

रिकार्ड के द्वारा नहीं हो सकी थी और जानकारी नहीं होने के कारण वक्त अभियान वह भूमि अलाट कर दी गई थी। ऐसे कुछ मामले रह गये जिन पर कब्जा नहीं दिलाया जा सका, उन की कार्यवाही चल रही है। उन की कार्यवाही पूर्ण होने पर उनको भी कब्जा दिला दिया जायेगा। वैसे कब्जा अभियान के वक्त में 76574 एकड़ का 45164 व्यक्तियों को कब्जा दिला दिया गया था। प्रतिक्रमण के मामले निपटाये गये 189696। आवंटित भूमि, जो पहले आवंटित को हुई थी, के अभियान के दौरान उन लोगों को भी कब्जे दिलाये गये हैं जिन लोगों को अभियान के पहले भूमि आवंटित की थी लेकिन उनको कब्जा नहीं मिला था। ऐसे केसेज में भी लोगों को कब्जा दिलाया। इस प्रकार के सात हजार व्यक्तियों को कब्जे दिलाये गये।

इसी तरह से कई स्थानों पर लोगों की भूमि सड़क की दृष्टि से अवाप्त कर ली गई थी या कोई छोटे मोटे तालाब, जो बन गये थे, के लिये भूमि अवाप्त कर ली गई थी, उनको लगान की जो छूट हो जानी चाहिये थी वह नहीं हो पाई थी इस तरह के मामले भी निपटाये गए। ऐसे 16 हजार 15 मामलों में रुपये 1,22,179) 88 पैसे की लगान में कमी की गई है। मैं आंकड़े बता कर यही निवेदन करना चाहता था कि प्रशासन गांवों की ओर राजस्व अभियान के रूप में जो मनाया गया उसमें काफी मामले लोगों के निपटे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि राजस्व विभाग इस बात के लिये सतर्क है कि किसानों को अपने मामले निपटाने के लिये दूर न जाना पड़े और समय पर उनके मामले निपट जायं।

यहां पर, माननीय सभापति महोदय, अपने विचार व्यक्त करते समय माननीय सदस्यों ने कुछ जो अतिक्रमणकारी लोग हैं, लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 91 के अन्तर्गत जिनके केसेज चल रहे हैं, उसके बारे में शंका व्यक्त की और यह कहा कि मामले गलत बनाये जा रहे हैं और काफी लोगों को हरेसमेंट और परेशानियां हो रही हैं। उस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि 91 के केसेज जब एन्टर होते हैं तो उसमें जुडिशियल टाइप की, क्वासी जुडिशियल टाइप की इन्क्वायरी और उन केसेज के अन्दर अगर कोई निर्णय हो गया, सिकराय से आने वाले मननीय सदस्य ने कई केसेज अभी यहां पर सामने रखे, जिनमें सजाएं भी दी गईं और पैनल्टी भी लगाई गईं और उनकी दृष्टि से उनमें काफी ज्यादतियां होना उसमें बताया है, इस प्रकार के लोगों की व्यक्तिगत शिकायतें हमारे पास नहीं आई हैं। यह सही है कि उस तहसीलदार के खिलाफ दूसरी तरह की शिकायतें जरूर आई थीं आम जनता की तरफ से भी थीं, कुछ सरकारी मुलाजिमान जो उनके अन्तर्गत हैं उनके विरुद्ध थीं, माननीय सदस्य की एक शिकायत थी, उनकी भी एक शिकायत थी, जिनकी हमने जांच करवाई। उन शिकायतों में से कुछ शिकायतें ऐसी थी कि वे ड्यूटी पर टाइम पर नहीं आते हैं, जब दौरे पर गये हैं तो झूठे टी० ए० बिल बना लिये

(श्री हीरालाल देवपुरा)

थे, इस तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव आधार की शिकायतें थीं। उन शिकायतों के बारे में जांच करवाई और प्राइमाफेसी 15 शिकायतों में 9 में कुछ लगा कि इनमें कुछ तथ्य हैं तो उनको चार्ज शीट दी और उनके खिलाफ कार्यवाही चल रही है, इन्क्वायरी चल रही है। पांच या छः केसेज बचे हैं वे प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी में आज भी चल रहे हैं। कहीं पर भी सरकार की तरफ से उन पर कार्यवाही नहीं की गई हो, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। जब शिकायत आती है तो उस पर कार्यवाही की जाती है लेकिन धारा 91 के केसेज जिनका कि आपने यहां रेफरेन्स दिया है, मेरी पूरी सहानुभूति होते हुए भी, मैं पूरी सहानुभूति उनके प्रति रखूं लेकिन मैं आज उन केसेज के जजमेंट को अनड्यू नहीं रख सकता, मुझे कोई अधिकार नहीं है इसलिए क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में अपील करके ही उन जजमेंट्स को निरस्त कराना पड़ेगा, इसके अलावा दूसरा रास्ता हो नहीं सकता। उनको अपील करके ही उन जजमेंट्स को निरस्त करवाना पड़ेगा। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के केसेज हो गये हों तो उन केसेज की समय पर अपील करवा कर उनको जो लाभ मिलना चाहिये वह लाभ ले सकते हैं।

सभापति महोदय, धारा 91 के केसेज की दृष्टि से और जो काफी पुराने कब्जे लोगों के सिवाय चक जमीन पर, बिला नाम जमीन पर हैं, जो नाजायज कब्जे हैं उनको किस तरह रेगूलेराइज कर सकें, ज्यादा लोगों को लाभ दे सकें इसका मतलब यह नहीं है कि मैं कोई नाजायज कब्जों के लिए लोगों को प्रोत्साहन देना चाहता हूं बल्कि इसलिए कि काफी लम्बे समय से वे लोग वहां हैं और जब 91 के केस में कार्यवाही होती है, देखा यह गया कि किसी काश्तकार को एक बार बेदखल करने के आदेश हुए लेकिन मौके पर लोगों को हटाया नहीं, एक दिन के लिये बेदखल हो जाता है और फिर पैनल्टी जमा करा देता है और फिर वही काश्तकार उसी जमीन पर आकर खेती करता है और फिर उस पर पैनल्टी लगती है। तो एक कन्टीनुअस प्रोसेस इस तरह का पैनल्टी का हो गया है और हमें यह अहसास होता है कि इस व्यक्ति को बार बार पैनल्टी लगाकर के परेशान किया जा रहा है। गलती जितनी बार वह करता है, उतनी ही बार उसको पैनल्टी होती है इस दृष्टि से हमने सोचा कि इस प्रकार के काश्तकार, जिनको जमीन अलाट की जा सकती है, जो भूमिहीन काश्तकार की श्रेणी में आते हैं, जिनको जमीन सरकार के द्वारा नियमानुसार अलाट की जा सकती है, को हम यह जमीन देकर उनको नियमित कर दें। उनके लिये समय समय पर विभाग की ओर से आदेश जारी किये गए और उन आदेशों के अनुरूप आज भूमि का नियमन किया जा रहा है। नियमन कमेटी में इस सदन के माननीय सदस्य भी अपने अपने क्षेत्रों के लिये सदस्य हैं। उनको जानकारी है और उनकी सलाह से ही नियमन किया जा रहा है। उस दृष्टि से कुछ और सहूलियत देने की दृष्टि से इस अभियान के समय

(श्री हीरालाल देवपुरा)

में भी कुछ विशेष छूट हमने दी है और आदेश निकाले हैं जिससे कुछ ज्यादा लोगों को लाभ मिल सके । उन आदेशों को मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूँ कि क्या क्या आदेश इस दृष्टि से हमने प्रसारित किये हैं ।

सभापति महोदय, चरागाह की भूमि के ऊपर जिन लोगों के अतिक्रमण थे, 1970 से पहले जिन लोगों के अतिक्रमण थे उन लोगों के लिए हमने आदेश दिया कि अगर वे भूमिहीन की तारीफ में आते हैं और एक अलाटी की तारीफ में आ जाते हैं, जिनको भूमि आवंटन की जा सकती हो उनको वह जमीन रेगूलेराइज करदी जाय, नियमित कर दी जाय, चरागाह की किस्म को परिवर्तन करके काबिल काश्त जमीन के अन्दर लेकर के वह जमीन उनके नाम पर परिवर्तन कर दी जाय । इसी प्रकार सिवाय चक में जो लोग आबाद थे, नाजायज कब्जे किये हुए थे उन लोगों के लिए भी हमने आदेश दिया । उसी के अनुकूल मैंने अभी आपको फिगर्स बताये उन अतिक्रमणों के, जो कब्जे रेगूलेराइज किये जा सकते हैं वे किये गए हैं । सभापति महोदय, इसके साथ साथ काश्तकारों को और कुछ सहूलियतें मिल सकें इस दृष्टि से हमने कुछ और आदेश जारी किये । सबसे पहले तो गत वर्ष में ....

श्री रामसिंह विश्नोई : यह सहूलियत नहीं तो । प्रोत्साहन देने का बात थी ?

श्री हीरालाल देवपुरा : प्रोत्साहन देने का मामला मैंने इसीलिए कहा, मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं प्रोत्साहन देने की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं लेकिन चूंकि जो स्थिति ऐसी है कि वह किसान उस जमीन को छोड़ता ही नहीं है और बार बार....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : रहना चाहिए उसको साहब ।

श्री हीरालाल देवपुरा : मैंने एक उदाहरण दिया है, इनके कहने को नहीं माना । मैं यह निवेदन कर रहा हूं....

(व्यवधान)

आप ठहरिये नाजायज कब्जे हटाने के लिए -

श्री सभापति : कृपया सुन लीजिए मन्त्री महोदय का उत्तर ।

श्री हीरालाल देवपुरा : मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि नाजायज कब्जे हटाने के लिए 50 टाइम्स उसके लैण्ड रेवेन्यू तक की पैनल्टी इम्पोज करने का अधिकार तहसीलदार को है । पहले साल में वह नाजायज कब्जा हटाने की बात करता है, पैनल्टी इम्पोज करता है । दूसरी बार और नाजायज कब्जा होता है फिर पैनल्टी इम्पोज करता है और तीसरी बार फिर नाजायज कब्जा करता है तो हमने प्रावधान किया हुआ है कि उसको जेल की सजा भी दी जा सकती है । इतना कुछ होते हुए भी आज जब हम देखते हैं कि इस प्रकार के नाजायज कब्जे करने वाले लोग भूमि पर बैठे हुए ही हैं, जेल की सजा तक दे दी जाय यह भी भय उनके ऊपर है

(श्री हीरालाल देवपुरा)

फिर भी वह बैठे रहते हैं तो सिवाय इसके कोई दूसरा चारा नहीं है कि उस जमीन को उनके नाम पर नियमित की जा सकती हो तो कर दी जाय। उन लोगों को नहीं जिन लोगों के पास काफी जमीन है, जो लोग सक्षम हैं, जो लोग बदमाशी से बैठे हुए हैं उन लोगों को नहीं, लेकिन वे गरीब लोग जिनको आवंटन में भूमि नहीं मिल पायी और जो किसी तरह से गुजर बसर करने के लिए वहां आकर बैठे हुए हैं, कुछ कमा रहे हैं, कुछ ले रहे हैं उन लोगों को नियमित करने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती, उस दृष्टि से हमने यह प्रावधान किया।

सभापति महोदय, काश्तकारों को और सहूलियतें देने की दृष्टि से हमने गत वर्ष अर्थात् वर्ष 1983-84 में इसी सदन से पास बुक बनाने के लिए, पास बुक जारी करने के लिए कानून पास करवाया। उस पास बुक जारी होने के बाद काश्तकारों को जब पास बुक मिल जायेगी तो काश्तकार को अपने खाते में कितनी जमीन है उसका अप टू डेट रिकार्ड उसके स्वयं के अपने पास होगा, उसको मालूम होगा। उन पासबुक को हमने एक कानूनी रूप दिया जिसके आधार पर उस काश्तकार को जब किसी भी बैंक से या और किसी संस्था से, फाइनेन्शियल इन्स्टीट्यूशन से ऋण लेना होगा, लोन लेना चाहेगा उस ऋण के लिए उसको जो अलग अलग जगह से खाते की नकलें लेकर देना पड़ता था उसको देने से हमने उसको बचाया। उस पास बुक को पेश करते ही उसको मालूम हो जायेगा और जो कुछ भी उसने ऋण लिया है उस ऋण की एन्ट्री भी उस पास बुक के अन्दर होगी, जो किश्तें चुकाता जायेगा उसकी एन्ट्री भी उस पास-बुक में होगी ताकि यह जो हमेशा दिक्कत रहती है कि रुपया जमा करा दिया और उसकी रसीद नहीं मिल पायी तो उसकी बाकियात निकल रही है, वह साबित नहीं करा सकता। लेकिन हमने उन फाइनेन्शियल इन्स्टीट्यूशन्स पर यह जिम्मेदारी दी है कि ज्योंही वह ऋण देंगे उसमें स्वयं उसके अन्दर एन्ट्री करेंगे और वह पास बुक अप टु डेट उसकी रहेगी। यह प्रावधान हमने किया। इसी तरह से....

श्री महाराम चौधरी : यह हो गया क्या ?

श्री हीरालाल देवपुरा : वह पास बुक इस साल वितरित हो जायेगी।

श्री महाराम चौधरी : नहीं, 10 साल कोई बोझा डाल दिया यह तो आप कहते उसमें कोई मतलब नहीं।

श्री हीरालाल देवपुरा : कोई बोझा नहीं डाला।

श्री महाराम चौधरी : और वह पास बुक लेने के लिए....

(व्यवधान)

श्री सभापति : विराजें, व्यवधान न डालें। कृपया विराजें, माननीय सदस्य। कृपया शान्ति बनाये रखें।

श्री हीरालाल देवपुरा : सभापति महोदय, इसी तरह से छोटी जोतों के ऊपर जो लगान की छूट दी गयी थी, हमने छूट दी थी कि जो हमारी असिंचित भूमि ढाई हैक्टेयर तक है उस तक की तो हमने किसानों को लगान की छूट दी वह लगान की छूट एक वार की तरह से मानी जाने लग गयी कि शुरू में सैटलमेंट के वक्त में जो खाता बन गया, उसी खाते के अन्दर जो आ गयी वह लगान में छूट हो गयी लेकिन हमने यह प्रावधान किया कि प्रतिवर्ष पहली जुलाई के अन्दर जो भी ढाई हैक्टेयर की तारीफ में काश्त आ जाती है, मान लीजिए किसी का बंटवारा होने के बाद आ गयी या किसी ने जमीन इधर उधर की या कुछ की उस तरह से पहले नहीं थी लेकिन आज वह ढाई एकड़ की तारीफ में आ गयी तो उन काश्तकारों, जो इस प्रकार की श्रेणी में आ जाते हैं, को भी रेगूलरली वह छूट मिलती रहे, यह प्रावधान भी हमने किया है।

श्री हीरालाल आर्य : किया है। छूट कौन से सन् में दी थी ?

श्री हीरालाल देवपुरा : क्यों इससे क्या तात्पर्य है ? 79 में दी थी शायद, जो ढाई एकड़ वाली छूट है।

श्री हीरालाल आर्य : जनता सरकार में।

श्री जयकृष्ण शर्मा : अब तो खुश हो।

श्री हीरालाल देवपुरा : आपके कहने का तात्पर्य यह है कि जनता राज में दी गयी थी। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह सरकार हो, कोई भी हो, जो सही काम किया गया है उसको स्वीकार करने में कहीं कोई दबाव नहीं होता, लेकिन आप ने जो छूट दी थी वह एक टाइम की छूट दी थी। आपकी छूट में यह था कि सैटलमेन्ट के अन्दर ढाई एकड़ जिसकी दर्ज है आज के खाते में उसी को आपने प्रिफर किया था और हमने यह किया उसमें कि नहीं, प्रतिवर्ष इसको हम देखेंगे और जो भी काश्तकार इस ढाई एकड़ की सीमा में नया भी आ जायेगा उसको भी हम छूट देंगे।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : 1979 में जो हुआ, उसको लोगों ने पसन्द नहीं किया।

श्री भंवरलाल शर्मा : आपने 35 साल में दी हमने ढाई साल में दी थी।

श्री हीरालाल देवपुरा : सभापति महोदय, हमने एक और आदेश जारी किया कि अब तक खातेदार काश्तकार को तो अपनी जमीन एलीमिनेट करके ऋण वगैरह लेने के अन्दर सहूलियत थी लेकिन जो गैर खातेदार काश्तकार हैं, गैर खातेदार काश्तकार का मतलब जिसको भूमि आवंटन की और भूमि आवंटन करने के बाद उसको खातेदारी राइट एकदम नहीं मिले, कुछ वर्षों के बाद जाकर

278

(श्री हीरालाल देवपुरा)

खातेदारी राइट उसको मिलेगा तब तक वह अपनी भूमि को आगे एलीमिनेट नहीं कर सकता था, तो उनके सामने समस्या थी कि अपनी भूमि का डवलपमेन्ट करने के लिए वे कहीं से ऋण लेना चाहें तो कैसे लें। तो हमने उन गैर खातेदार काश्तकारों को भी इस बात के अधिकार दिये कि वे अपनी भूमि को इस काम के लिए बैंकों से, कोआपरेटिव बैंकों से या दूसरी जगह, जहां से वह ऋण लेना चाहते हैं एलीमिनेट करके अपना ऋण प्राप्त कर सकें, यह हमने प्रावधान किया।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : इस प्रावधान के बाद ही तो ठीक हुआ है। 1979 का तो बेकार था।

श्री हीरालाल देवपुरा : सभापति महोदय, इसके अतिरिक्त जैसा अभी वन मन्त्री जी ने भी अपने उत्तर में बताया था राजस्व विभाग ने भी एक निर्णय लिया है उस निर्णय के पीछे दो दृष्टिकोण थे। एक दृष्टिकोण तो यह कि लकड़ी के उपर जितना दबाव पड़ रहा है उसको कैसे बचाया जा सके। लोग अपनी लकड़ी पैदा करें और अपने काम मे लें और दूसरा दृष्टिकोण यह है कि आज जितनी भी जमीन कल्चरेबल या अनकल्चरेबल है कल्चरेबल जमीन तो हमने अलाट कर दी लेकिन जो जमीन गैर मुमकिन नहीं है गैर काबिल काश्त है, जो हम अलाट नहीं कर सकते, उस जमीन पर भी आज किसान नाजायज कब्जा करके बैठता है और धीरे धीरे उसको डवलप करने की कोशिश करता है आगे जाकर उस जमीन को नियमित करते हैं या अलाट करते हैं इस बात से बचने की दृष्टि से भी हमने यह फैसला किया है जो भी हमारे पास बिला नाम जमीन, गैर मुमकिन जमीन, गैर काबिल काश्त जमीन आज पड़ी हुई है चाहे पहाड़ी के रूप में है, चाहे मैदान के रूप में है, चाहे किसी भी रूप में है, चाहे बंजर है उस सारी जमीन में से हमने 10 हैक्टेयर जमीन जंगल लगाने के लिये पेड़ लगाने के लिये ऐसे किसी भी व्यक्ति को अलाट करने का फैसला किया। उसको हम अलाट करेंगे इस शर्त पर कि वे उस पर पेड़ लगायें और तीन साल के अन्दर पेड़ लगाकर उस जमीन को तैयार करें और जैसा कि नियम है पेड़ तैयार होने के बाद रोटेशन से उन पेड़ों को काटें। उन पेड़ों की कमाई उनकी खुद की अपनी होगी, फलदार पेड़ों से तो फलों की कमाई होगी और दूसरे है तो आज लकड़ी का प्रेशर इतना आ रहा है और जंगल जिस तरह बर्बाद हो रहे हैं तो निजी जंगल जब लोगों के इस तरह बन जायेंगे तो लोग गांवों के अन्दर अपनी लकड़ी ले सकेंगे और बेच सकेंगे तो उसका भी प्रेशर कम होगा और हमारी बिला नाम जमीन जो पड़ी हुई है जिस पर आज नाजायज कब्जे होते हैं हम उससे भी बचेंगे और जमीन का उपयोग भी होने लग जायेगा। इससे किसानों को काफी लाभ मिलने को....

श्री देवीसिंह भाटी : उपनिवेशन क्षेत्र में ऐसा नियम लागू करेंगे क्या आप ?

श्री हीरालाल देवपुरा : उपनिवेशन

(श्री हीरालाल देवपुरा)

क्षेत्र की बात अलग है। मै टिनेन्सी एक्ट की बातकर रहा हूं।

सभापति महोदय, इसके साथ साथ हमने एक निर्णय और लिया है। सभापति महोदय, जो काश्तकार अपनी भूमि दूसरे से भूमि के रूप में एक्सचेन्ज करते हैं, भूमि के बदले भूमि लेकर एक दूसरे से एक्सचेन्ज करते हैं अब तक राजस्थान के अन्दर यह था कि उसको भी एक तरह सैल या बिका माना जाता था और सैल डीड के रूप में उसके ऊपर स्टाम्प ड्यूटी लगा करके रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था उससे किसानों को बड़ी परेशानी थी। राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जो किसान भूमि का विनिमय अपने आप आपस में भूमि से भूमि का करते हैं, उनके ऊपर कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगेगी, केवल रजिस्ट्रेशन उन को कराना पड़ेगा, उनके अपने राइट्स के लिये। हमने यह फैसला किया है। इस तरह से किसानों को हमने काफी सहूलियतें देने और उनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने की दृष्टि से ये निर्णय लिए हैं, जो मैंने आपके सामने रखे हैं।

सभापति महोदय, पीपल्दा से आने वाले माननीय सदस्य ने इन सब बातों के अतिरिक्त भी कोटा जिले के सीलिंग में बारे में अभी कुछ कहा कि कोटा जिले में सीलिंग की दृष्टि से भेदभाव बरता गया। वहां पर सीलिंग की लैण्ड को इन्होंने कम्पेयर किया गंगानगर जिले से। सभापति महोदय, यह जब सीलिंग लॉ बना था तब का ही यह फैसला है, अब इस फैसले को अनडन करना सम्भव भी यों नहीं है कि कोटा जिले में सीलिंग के मामले दर्ज हुए, वह 9972 मामले थे। उन 9972 मामलों में 9950 मामले निर्णीत हो गए। केवल 22 मामले शेष रहे हैं। अगर आज उसमें कोई फैसला दूसरा करे यह सोच करके कि कोटा के अन्दर कम जमीन दे दी और गंगानगर में ज्यादा जमीन दे दी तो उन 9950 मामलों में जो फैसले कर दिये वे सब मामले वापस खुलेंगे और लोगों को कितनी परेशानियां होंगी, यह आप समझ सकते हैं। अब इसमें कोई विशेष मामला रहा नहीं, केवल 22 मामले बचे थे जिन पर फैसला होना है, और 85 मामले ऊपर से रिमाण्ड होकर वापस फैसले के लिए आये हुये हैं। इस तरह से 107 मामले 9972 मामलों में से रहे हैं। इसलिए जो समस्या इतनी बढ़ा चढ़ा कर बताई जा रही है, इस प्रकार की कोई समस्या है नहीं।

सभापति महोदय, सीलिंग के मामलों में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान भर में भी हमारी जो सीलिंग की प्रगति है, सीलिंग के कुल मामले 88877 दर्ज हुए थे, उसके अन्दर 86301 मामले निर्णीत हो चुके हैं। अधिग्रहण योग्य जो भूमि सीलिंग में घोषित की गई थी वह थी 5,86,177.82 एकड़। उसमें से कब्जा ले लिया 5,47,127.75 एकड़ पर और जो आवंटन की गई है भूमि

(श्री हीरालाल देवपुरा)

वह है 3,78,101 एकड़। उसमें से अनुसूचित जाति के लोगों को 1,23,388 एकड़ 25,956 व्यक्तियों को और अनुसूचित जनजाति के 10,024 व्यक्तियों को 38,719 एकड़। इस प्रकार सीलिंग की दृष्टि से भी हमने प्रगति की है। जो भूमि आवंटन योग्य नहीं थी उस भूमि का हमने दूसरी तरह से उपयोग शुरू किया, फोरेस्ट के लिए या चरागाहों में परिवर्तित करने के लिए। तो बची हुई भूमि को हमने फोरेस्ट और चरागाहों में परिवर्तित किया है और करीब साढ़े पांच हजार एकड़ भूमि आज हमारे पास रही है जो अलाटमेंट के लिए हमारे पास रही है विभिन्न जिलों में, जो कहीं कम और कहीं ज्यादा है। कुल मिलाकर आज राजस्थान में हमारे पास पांच हजार, साढ़े पांच हजार, 5,700 एकड़ के लगभग हमारे पास है। तो जो भूमि हमें मिली है उस भूमि को भी हमने आवंटित कर दिया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत जो चौथा सूत्र है भूमि आवंटन का, सीलिंग का, उसका हमारा जो लक्ष्य था, बारह हजार एकड़ का, इस वर्ष हमने 24,660 एकड़ भूमि आवंटित की है। इस दृष्टि से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सीलिंग की दृष्टि से जो बातें कही जाती हैं कि सीलिंग ला में कितनी परेशानियां हो रही हैं, तो आज अगर हम सीलिंग के फिगर देखते हैं तो कितने कम मामले निर्णीत करने को रह गये हैं। करीब करीब सारे मामले समाप्त होने की स्थिति में हैं। मैं समझता हूं कि शीघ्र ही इन मामलों का निपटारा हो जायेगा।

सभापति महोदय, एक समस्या और अजमेर के बारे में है। हमारे माननीय सदस्य जो दूदू से आते हैं पर वे रहने वाले अजमेर जिले के हैं इसलिए उन्होंने इस समस्या को उठाया। वह समस्या भी अजमेर के भू-संशोधन के बारे में है। इस सम्बन्ध में····

श्री राधेश्याम (गंगानगर) : गंगानगर के मामले किस प्रकार के हैं ?

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बाद में, मंत्री महोदय के बोलने के बाद में।

श्री हीरालाल देवपुरा : सभापति महोदय, उस भू-संशोधन के मामले में इस सदन में पहले भी चर्चा हुई थी। मैंने बिल्कुल स्पष्ट उस समय भी निवेदन किया था कि भू-संशोधन 1970–71 के अन्दर वहां की समस्या को देखते हुए कराया गया। वह भू-संशोधन जब कराया गया था और भू-संशोधन को आज जब एग्जामिन किया, वह संशोधन जो 75 या 76 में पूरा हो गया था, उसके बाद जब उसने उसको एग्जामिन किया तो उसमें लगभग 80–90 हजार ऐसी गलत एण्ट्रीज हैं कि उससे बहुत नुकसान राज्य सरकार को हो सकता है। उन एण्ट्रीज को ठीक करके उस भू-संशोधन को मान्यता देने

(श्री हीरालाल देवपुरा)

की बात मैंने कही है। मैंने यह निवेदन किया है कि 30 जून, 84 तक, यानि आज अप्रेल का महीना चल रहा है, मई और जून का महीना बीच में है, इन सब एण्ट्रीज को ठीक करके जो भू-संशोधन 1970 में किया गया था उस भू-संशोधन को नियमानुसार मान्यता दे दी जायेगी। माननीय सदस्यों ने एक शंका व्यक्त की। उन्होंने सुना है, पता नहीं उन्होंने कहां से सुना, मैं नहीं कह सकता, उस भू-संशोधन के साथ-साथ रेन्ट रेट भी वहां की बढ़ायी जा रही है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह भू-संशोधन, जो कोई नया सैटलमेंट नहीं है. रेंट रेट बढ़ाने का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता। जो रेंट रेट 1969 में थी वही रेंट रेट रहेगी। केवल रिकार्ड के अन्दर दुरुस्ती करनी थी ताकि किसानों को जो दिक्कत होती थी वह दिक्कत उनकी मिटे और रिकार्ड के अन्दर वह दुरुस्ती की जा सके। इस दृष्टि से संशोधन किया गया था। अजमेर में जब भी सैटलमेंट ड्यू होगा नियमानुसार किया जायगा और उस वक्त की रेंट रेट की स्थिति दूसरी हो सकती है। उस सम्बन्ध में मैं आज कुछ निवेदन नहीं करना चाहता।

इस प्रकार, सभापति महोदय, जो मुख्य मुद्दे यहां पर माननीय सदस्यों के द्वारा विभिन्न रूप से उठाये गए, उस सम्बन्ध में मैंने निवेदन किया। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों ने जो भी 234 कटमोशन्स दिए हैं और यहां पर जो कुछ माननीय सदस्यों ने बातें पाइन्टेड बताई हैं खसरा नम्बर देकर, उन सब बातों का मैं माननीय सदस्यों के पास हमेशा के अनुसार जवाब पहुँचा दूंगा। गत वर्ष भी जब माइनिंग की डिमाण्ड थी तो मैंने निवेदन किया था उनको कि मैं उनके पास लिखकर भेज दूंगा और मैंने उनके पास पहुंचाये हैं। उसी तरह से इस बार भी इन कट मोशन्स के जवाब में माननीय सदस्यों के पास में पहुचा दूंगा।

इन्हीं शब्दों के साथ, माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभार प्रदर्शित करते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि यह मांग संख्या 8, जो राजस्व के सम्बन्ध में है, पारित की जावे।

(व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई : सभापति महोदय, एक तो मंत्री महोदय यह बतायें कि क्या किसान अपने खेत में से लकड़ी काट सकता है या नहीं? एक तो यह। नम्बर दो, हमारे डी.पी.ए.पी. जिलों के अन्दर अलाटमेंट का और नियमन का कोई भी प्रावधान नहीं है। जो यह 'प्रशासन गांवों की ओर' प्रोग्राम था उसमें केवल कम्यूटेशन के अलावा कोई काम नहीं हुआ। तो क्या आप प्रावधान रखना चाहेंगे नियमन करने का तथा छोटी पट्टी, जो किसान के खेत के पास है, इसे आवंटन करने का?

तीसरा, जिन किसानों ने जाने में या अनजाने में सरकारी जमीन के ऊपर कब्जा कर लिया, एक बार काश्त कर ली

(श्री हीरालाल देवपुरा)

उसके ऊपर आपने हैवी पैनल्टी इम्पोज कर दी। उसने आपके हुक्म से उस जमीन को छोड़ दिया। उस पर इतनी ज्यादा पैनल्टी लगी हुई है, करीब हजार हजार, दो दो हजार रुपये पांच पांच, दस दस बीघा पर लगी हुई है। जो जमीन पड़त थी, कालर थी, ऐसी जमीन थी जो वास्तव में काम की नहीं थी वही जमीन गांव में क्रियेट की है। उस जमीन के क्या केसेज आप मानवीय दृष्टि से वापस री ओपन करके निपटाना चाहेंगे ? क्योंकि एक बार छोड़ देने से उनका राइट तो चला गया, अपील करने का राइट तो चला गया और जिन काश्तकारों ने जमीन छोड़ी नहीं है उनकी आप रेगेलेराइज करने जा रहे हैं, क्योंकि यह किसानों के हित की बात है, प्रोत्साहन देने की बात है, जिन्होंने नहीं छोड़ी उनका तो नियमन करने जा रहे हैं लेकिन जिन्होंने आपके हुक्म को तामील की है, उनसे जाने-अनजाने में गलती हुई है क्या आप उन के केसेज को री-ओपन करके मानवीय दृष्टिकोण से निपटाना चाहेंगे ?

श्री हीरालाल देवपुरा : मैं एक एक का जवाब दे दूं। सब एक साथ होने से कन्फ्यूज हो जाएगा, इसमें क्या फायदा।

माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने तीन प्रश्न किये हैं। एक तो यह कि किसान अपने खेत में लकड़ी काट सकता है या नहीं। यह तो स्पष्ट है कि जो किसान अपने खुद के काम के लिए अपने खेत के अन्दर से लकड़ी काटता है तो उसको पूरी इजाजत है। कोई इजाजत लेने की, मंजूरी लेने की जरूरत अपने खुद के काम के लिए नहीं है। बेचने के लिए....

श्री रामसिंह विश्नोई : मैं आपको कहता हूं कि एक खेजड़ी में पचास साठ मण लकड़ी होती है, इतना एक खेजड़ी का वजन होता है। जो उसके खेत में पचास साल से खेजड़ी लगी हुई है, जो पुरानी हो चुकी है उसको बेचेगा नहीं तो क्या करेगा ? उसके खेत में पचास-पचास खेजड़ियां होती हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा : सभापति महोदय, मैंने निवेदन किया कि रूल्स के अन्दर, रेवेन्यू एक्ट की धारा के अन्तर्गत कोई भी किसान अपने काम के लिए अपनी जमीन पर से लकड़ी काट सकता है। माननीय सदस्य कहते हैं कि पुराना दरख्त हो गया, पचास साल का हो गया, उसको बेचने की इजाजत दी जाय। तो इस प्रकार के दरख्त काटने की भी इजाजत हम देते हैं, वह दरख्त काटे, उस पर कण्डीशन यह लगी हुई है कि उसकी जगह वह तीन पेड़ और लगाये ताकि यहां पर पेड़ बराबर चालू रहें। उसको मना नहीं है लेकिन उसको बेचने के लिए इजाजत लेनी पड़ेगी पर अपने खुद के काम के लिए काश्तकार को इजाजत लेने की जरूरत नहीं है।

दूसरी बात आपने कही कि डी.पी.ए पी. एरिया के अन्दर अलाटमेंट नहीं होते हैं उससे दिक्कत और परेशानी होती है। डी.पी.ए.पी. एरिया जहां पर घोषित किये

(श्री हीरालाल देवपुरा)

गए थे वहां पर वह अलाटमेंट का काम जान बूझ कर रोका गया था उस एरिया को डवलप करने की दृष्टि से। वहां पर जमीन ड्राई होकर सूखा रहता है, वह जमीन ठीक हो जावे और सब की सब जमीन को अलाट कर दिया जावे, अन्यथा जमीन उपयोग में नहीं आ सकती। इस दृष्टि से यह निर्णय लिया गया था। फिर भी माननीय सदस्य से मैं इस समय तो यही कह सकता हूं कि आप डी. पी. ए. पी. एरिया के रहने वाले जितने भी माननीय सदस्य हैं उनके साथ बैठकर, मीटिंग करके जो भी निर्णय होगा उसको लेकर आगे कार्यवाही करेंगे।

श्री महाराम चौधरी : यह पाबन्दी तो आपने हटा दी, डी. पी. ए. पी. जिलों में एक हैक्टेयर से ज्यादा भूमि का नियमन नहीं हो सकता।

श्री हीरालाल देवपुरा : नियमन और अलाटमेंट दो डिफरेन्ट बातें हैं। आप बिराजें।

(व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई : दूसरा हैवी पैनल्टी का ?

श्री हीरालाल देवपुरा : तीसरा प्रश्न आपका यह था कि किसी किसान पर नाजायज कब्जे के लिये पैनल्टी लगा दी और उसने कब्जा भी छोड़ दिया। उसकी पैनल्टी बहुत ज्यादा है। उसके रीओपन की बात हो सकती है क्या ? आप कहते हैं कि जिन्होंने नहीं छोड़ा है उनको आप रेगुलेराइज कर रहे हैं। सभापति महोदय, जिन्होंने नहीं छोड़े उनके रेगुलेराइज करने का मतलब यह नहीं है कि जिनके पास्ट में पैनल्टी लगी हुई है उसको हम माफ कर रहे हैं, वह पैनल्टी तो उनसे वसूल की हो जायेगी जो पास्ट में लगी है। जिस तारीख से रेगुलेराइज होगा उसके बाद उसको पैनल्टी नहीं लगेगी। अब यह सवाल ऐसा है कि आज कानूनी दृष्टि से मैं कह सकता हूं कि मैं इसमें कोई मददगार नहीं बन सकता, क्योंकि पैनल्टी तो माफ तभी हो सकती है जब कि कोई अपील करे और अपील करके माफ करा ले। बाकी आज हम इस स्थिति में नहीं हैं कि कुछ कर सकें।

श्री सभापति : श्री भंवरलाल शर्मा।

(व्यवधान)

मैं आपको अवसर दे दूंगा।

श्री राम सिंह विश्नोई : सभापति महोदय, मैं इसमें कोई पक्षकार नहीं हूं लेकिन मैं निवेदन करता हूं कि हजारों केसेज किसानों के हैं जिन पर 2-2, 3-3 हजार का जुर्माना किया हुआ है। उनके पास कोई साधन नहीं है, उनकी गाय भैंस नीलाम होने की स्थिति है। बड़ी मुश्किल से तहसीलदारजी को कह कर जगह जगह पर रुकवाया गया कि इस कानून में कुछ करवायेंगे। तो मेरा निवेदन यह है कि उदार हृदय से विचार करें, जिन्होंने जमीन को छोड़ दिया है। कहीं एक-दो बार गलती से कुछ कर दिया हो तो कम से कम उस पर उदार हृदय रख कर पुनर्विचार करना चाहिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : सभापति महोदय, मैंने शुरू में ही निवेदन किया था कि भूमि रूपान्तरण के बारे आप बतायें, क्योंकि इसके कारण राजस्थान भर में. विशेषकर जयपुर शहर में हजारों लोग पीड़ित हैं। उनकी जमीन कन्वर्ट नहीं हो रही है और कन्वर्ट नहीं होने की वजह से आप नल और बिजली का कनेक्शन उनको नहीं देंगे। रेगुलेराइज आप उनको कर नहीं रहे और करोड़ों रुपया इकट्ठा कर लिया, आखिर आप उनके बारे में बताइये तो सही कि क्या करने वाले हैं ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं इसमें मेरी बात भी जोड़ दूं; सभापति महोदय। मैंने कटौती प्रस्ताव तो दिया था लेकिन मुझे कट मोशन पर बोलने का अवसर नहीं मिला। 14 सितम्बर को जब परसरामजी मदरेणा मंत्री थे तब उन्होंने अपने उत्तर में कहा था कि इससे सम्बन्धित जो रूल्स हैं उनमें सरलीकरण करेंगे। आप उत्तर दें तो आप यह भी बता दें क्या अजमेर लैण्ड रेवेन्यू रेगुलेशन, 1877, दी अजमेर एलियेशन आफ लैण्ड रेगुलेशन, 1914, अजमेर टिनेन्सी एण्ड लैण्ड रिकार्ड एक्ट और दी पंजाब लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, आपने कहा था कि इनमें कुछ संशोधन करने के बाद कृषि भूमि में परिवर्तन करना आसान हो जायेगा और हम 90 दिन के अन्दर अन्दर नियमन कर देंगे।

श्री सभापति : कृपया विराजें।

श्री परसराम मदरेणा : माननीय सदस्या, यह मैंने कब कहा था, आप पहली दफा पढ़ रही हैं....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आप कृपया, माननीय सदस्या, विराजें। व्यवधान न डालें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं पहले अपनी बात कह दूं। 14 सितम्बर को जब आप....

श्री सभापति : कृपया विराजें, व्यवधान न डालें।

श्री हीरालाल देवपुरा : सभापति महोदय, हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया, उसका सीधा सम्बन्ध आपके क्वेश्चन के हिसाब से राजस्व विभाग का नहीं बनता। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह लैन्ड कन्वर्शन में जो देरी हो गई है उसके पीछे केवल रूल्स ही आड़े आ रहे हों ऐसी बात नहो है। बड़ी बात तो यह है कि जिन लोगों ने लैण्ड कन्वर्शन के लिये एप्लोकेशन दी है वे किसी न किसी सोसायटी से सम्बन्धित हैं। सोसायटीज ने उन लोगों को जमीनें तो दे दीं और उनसे पैसा भी ले लिया लेकिन उन जमीनों का किसी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो फिर उनके प्रोपराइटी राइट नहीं हुए। प्रोपराइटी राइट नहीं आया तो कन्वर्शन कैसे किया जाय। जब हम यह कहते हैं कि आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिये तो इंडिविजुअल व्यक्ति कहता है

(श्री हीरालाल देवपुरा)

कि हमने तो सोसायटी से जमीन ली और सोसायटी के अध्यक्ष और सेक्रेटरी कहीं गायब हो गये, उनका कोई पता ही नहीं है, वह सामने आते ही नहीं क्योंकि उनका अपना मतलब निकल गया। तो मोस्टली केसेज तो इस तरह से उलझे हुए हैं। उनके बारे में सोचा जा रहा है कि क्या किस तरह से निर्णय लिया जाय, किस प्रकार से कोई नतीजा निकाला जाय जिससे जिन लोगों ने पैसा खर्च करके जमीन ले ली और कई लोगों के मकान भी बन गये उनको कैसे राहत मिले, इस बारे में राज्य सरकार गंभीरता से विचार कर रही है और सहानुभूतिपूर्वक विचार करके उसका कोई नतीजा निकालेगी। और कुछ बातें ऐसी हैं जिनमें कुछ टाउन प्लानिंग के हिसाब से जो मास्टर प्लान बना है, उस मास्टर प्लान के हिसाब से कुछ हेरफेर करने की जरूरत है और उनको एडजस्ट करने में थोड़ी सी कठिनाई उन लोगों को महसूस होती है। तो जहां जहां इस प्रकार के एग्रीमेंट हो गये हैं और जिन जिन लोगों ने इधर–उधर शिफ्ट होकर अपने आपको सैट कर लिया है वहां के लोगों के रेगूलेराइजेशन की, कन्वर्शन की कार्यवाही पूरी हो चुकी है लेकिन कुछ खामियां उसमें रह गई हैं। उन तमाम चीजों को टाउन प्लानिंग वाले, जे.डी.ए. वाले, रेवेन्यू आथोरिटी जे.डी.ए. में हैं, साथ बैठ कर निर्णय कर रहे हैं, राज्य सरकार बराबर इस बात के लिये चिन्तित है कि इन मामलों का जल्दी से जल्दी निपटारा हो। इसके लिये अगर किसी प्रकार के और कोई कदम उठाने हों तो उठाये जायें।

श्री सभापति : श्री हीरालाल आर्य।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय राजस्व मंत्री महोदय, क्या यह सही है कि जब तक यह भूमि जो एग्रीकल्चर लैण्ड है, आप आबादी में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक न जे.डी.ए. कुछ कर सकता है और न कोई कुछ कर सकता है। इसलिये यह डिपार्टमेंट जो आपका है, इससे सम्बन्धित यह जो नियम हैं, राजस्थान टिनेंसी एक्ट में सुधार लाना है, यह तो आप ही करिये। वह कब तक कर देंगे ?

श्री सभापति : श्री हीरालाल आर्य।

श्री हीरालाल आर्य : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा आपने फर्माया कोटा जिले में जो सीलिंग के केसेज तय किये हैं वह करीब–करीब फाइनल हो चुके हैं। तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो जमीन किसानों से अवाप्त की है उसका मुआवजा बाजार भाव से देने की आप शीघ्र घोषणा करें और जो केसेज अभी री–ओपन किये जा रहे हैं, री–ओपन नहीं हों, इसके लिए आप और व्यवस्था करें। मैंने नायब तहसील इन्द्रगढ़ को पूरी तहसील घोषित करने की बात कही है। जब भी वित्त मंत्री जी वहां जाते है बार–बार घोषणा करके आते हैं। बार–बार घोषणा करके आते हैं, तो आप

(श्री हीरालाल आर्य)

नायब तहसील को पूरी तहसील घोषित करने की घोषणा करें।

श्री हीरालाल देवपुरा : मैंने कोटा जिले में जो सीलिंग के केसेज थे उनकी सारी स्थिति बताई। अब आप कहते हैं उनको मुआवजे की बात, तो मुआवजा हर वर्ष जो सीलिंग के केसेज थे, जो जमीन अवाप्त की है उसके ज्यों ज्यों क्लेम बन कर आते जा रहे हैं और लोग क्लेम पास कर रहे हैं उनको मुआवजा दे रहे हैं, नियमानुसार कार्यवाही कर रहे हैं, आथोराइज्ड आफिसर उनका मुआवजा तय करते हैं और उस मुआवजे के आधार पर संबंधित व्यक्ति क्लेम देता है। गत वर्ष ही करीब 2 लाख रुपये मुआवजा दिया है। हर वर्ष हमारा प्रोविजन रखा हुआ है मुआवजे का, अभी भी प्रोविजन है, मुआवजा देने में कोई एतराज नहीं है।

दूसरा इन्द्रगढ़ तहसील के बारे में कहा। सभापति महोदय, अभी हमारे सामने तो कोई ऐसा आश्वासन नहीं आया।

दूसरी बात यह कि इन्द्रगढ़ तहसील की क्या स्थिति है, किस तरह से है। यह सारी स्थिति जैसा कि मैंने दूसरी तहसीलों के लिये कहा है कि आठवें वित्त आयोग की सिफारिशें जब हमारे पास आ जायेंगी उसके बाद राजस्थान में तहसीलें उप-तहसीलें नई बनाने का प्रश्न आयेगा, उस वक्त यह विचारणीय विषय होगा, इसमें इन्द्रगढ़ फिट-इन होता होगा उस काइ-टेरिया में तो इन्द्रगढ़ का भी नम्बर आ सकता है लेकिन आज उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री सभापति: अन्तिम प्रश्न होगा, श्री तावड़।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, मुझे प्रश्न करने दें, मेरा कटौती प्रस्ताव है....

श्री सभापति : आप विराजें।

श्री मेघराज तावड़ : सभापति महोदय, मैंने शुरू में इसलिये मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित किया था कि देवस्थान की जमीन का जो अभी सैटलमेंट हुआ है, खास तौर से यहां होगा यह पता नहीं लेकिन उदयपुर जिले में हमारी सबसे ज्यादा देवस्थान की जमीनें है सिकमी काश्तकार काबिज थे, पहले खालसा हो गई, सिकमी काश्त-कारों के खालसा हो गई। अभी सैटलमेंट विभाग द्वारा जो जमीन सिकमी काश्तकारों के नाम पर थी उसके नाम काट करके देवता के नाम पर, किसी पुजारी के नाम पर पुजारी को मालिक बनाया जा रहा है।

दूसरा प्रश्न इसके साथ है, सभापति महोदय, जो आदिवासी इलाका है उनकी छोटी छोटी जोते हैं आधा बीघा, पौन बीघा, उन पर 12-12 सौ रुपये पैनल्टी लगाई इस सम्बन्ध आप क्या कह रहे हैं। आप उनकी कुर्की करके नीलाम कर रहे हैं। उनके पास कुछ भी नहीं है। तीसरा जो ...

श्री सभापति : कितने प्रश्न पूछेंगे ?

श्री हीरालाल देवपुरा। पैनल्टी का तो मैं जवाब दे चुका हूं....

श्री मेघराज तावड़ : वह नहीं बताया। तीसरा नायब तहसीलें जितनी भी हैं आपके तहसील हैड क्वार्टर पर काम कर रहे हैं जैसे गोगुन्दा की जो नायब तहसील है ..

श्री सभापति : आपने कट मोशन दिया है क्या ?

श्री मेघराज तावड़ : जी हां।

श्री सभापति : तो उसका उत्तर आपके पास पहुंच जायेगा।

श्री हीरालाल देवपुरा : सभापति महोदय, एक प्रश्न माननीय सदस्य ने किया देवस्थान की जमीनों के बारे में। मैं साफ कर देना चाहता हूं कि देवस्थान की जमीनों के जो सिकमी काश्तकार हैं वे पुजारी कैसे हो सकते हैं। वे मालिक नहीं थे उस जमीन के। अगर गलती से उनके नाम दर्ज हो गई है तो बोर्ड आफ रेवेन्यू ने फैसला किया है कि देवस्थान की जमीनें दूसरे के नाम दर्ज नहीं हो सकती हैं। उस निर्णय के अनुसार जो सिकमी काश्तकार हैं, जो पुजारी के नाम से दर्ज हो गई थी वह गलत दर्ज हो गई, इसलिये वापस देवस्थान के नाम पर कर दी जायेगी।

श्री सभापति : श्री हंसराज शर्मा।

(व्यवधान)

कृपया बैठ जायें। काफी प्रश्न हो गये। आपने कट मोशन दिया है तो उसका उत्तर पहुंच जायेगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उत्तर पहुंचने की बात नहीं है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आप विराजें। श्री हंसराज शर्मा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप मुझे बोलने देंगे।

श्री सभापति : विराजें।

श्री हंसराज शर्मा : मैं यह जानना चाहूंगा कि केवल एक जिले की समस्या है, जिला सवाई माधोपुर में बीस साल पहले जो जमीन डूब में गयी थी, उसका सिंचाई मंत्री महोदय ने बीस साल बाद अब मुआवजा देना प्रारंभ किया है। उस बीस साल के कार्यकाल में काश्तकारों पर एक चौथाई लगान बकाया था। जब जब जमीन काश्तकारों ने काश्त की तो दस गुना पैनल्टी मांगी गयी। तो क्या वह बकाया लेंगे? काश्तकारों से जो पैनल्टी मांगी गयी, वह पैनल्टी और एक चौथाई लगान, वह रकम मुआवजे में से सरकार काट रही है। क्या सरकार काश्तकारों से यह काटी गयी राशि वापस दिलायेंगी।

श्री हीरालाल देवपुरा : सभापति महोदय, मैं इसकी जांच करा लूंगा और आवश्यक कार्यवाही करूंगा।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली) : सभापति महोदय, राजस्थान में प्रगतिशील सीलिंग कानून और टिनेन्सी एक्ट बना है। अब कितने प्रश्न और करायेंगे ?

श्री सभापति : श्री रामप्रसाद।

श्री हंसराज शर्मा : सिंचाई विभाग मुआवजा....

श्री हीरालाल देवपुरा :माननीय सदस्य, यह सवाल आपने अभी पूछा है। इसकी जांच कर कार्यवाही करूंगा। एटरेन्डम तो क्या जवाब दे सकता हूं।

श्री रामप्रसाद (रूपवास) : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को राजस्व अभियान "प्रशासन गांव की ओर" में पट्टे दिये गये। यह ऐसे पट्टे दिये गये, सभापति महोदय....

श्री सभापति : भाषण नहीं।

श्री राम प्रसाद : इन पर बड़े लोगों के कब्जे है। चाहे आवासीय भूखण्ड हों, बड़े बड़े लोगों के उन पर कब्जे हैं जिनके रेवेन्यू विभाग में मुकदमे चल रहे हैं। क्या सरकार उनको हटाना चाहती है या नहीं ? सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा, यह मुकदमे राजस्व विभाग में, तहसील में और जिला लेवल पर चल रहे हैं।

श्री सभापति : कृपया बिराजें। आपका प्रश्न हो गया।

श्री रामप्रसाद : जैसे चरागाह की जमीन है। इस जमीन पर बड़े बड़े लोगों का कब्जा है। मंत्री महोदय ने भाषण में बताया कि उनके नाम कर दिया जायेगा....

श्री सभापति : आप विराजें।

श्री रामप्रसाद : जो बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास 500 बीघा जमीन है, उन्होंने कब्जे कर रखे हैं। आप कब्जा दिलवाना चाहते हैं क्या गरीब लोगों को ?

श्री हीरालाल देवपुरा : जो भूमिहीन हैं उनको पहले कब्जा दिलाया जायेगा। जिन लोगों ने गलत कब्जा कर रखा है उनको रेगुलेराइज करने का सवाल ही नहीं है।

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई। कृपया विराजें।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): कृषि भूमि को नियमन करने का प्रश्न है। आप रुपया लेकर बैठे हैं....

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह मेरे क्षेत्र की समस्या है। आप नियमन क्यों नहीं कर रहे हैं।

श्री सभापति : आपके कट मोशन का उत्तर आ जायेगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपको दिक्कत क्या है। आप बताइये, आपको क्या कठिनाई है।

श्री सभापति : कृपया विराजें। माननीय सदस्य, कृपया विराजें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपने कहा, आपने रुपया ले लिया। कब करेंगे?

श्री सभापति : कृपया विराजें। इसका उत्तर नहीं आयेगा।

श्री हीरालाल देवपुरा : सभापति महोदय, मैंने स्पष्ट कहा है कि कन्वर्शन का कार्य चल रहा है। कई लोगों के हो गये हैं। आप अपनी गलती को मन्जूर नहीं कर रही हैं और व्यर्थ में उत्तेजित हो रही हैं। स्पष्ट है कि जिन लोगों के प्रोपाइटरी राइट नहीं हैं उनको कैसे रेगुलेराइज करेंगे।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपने पैसे मांगे। आपने कहा हम करेंगे। टुकड़े होंगे तो करेंगे। उस सीमा में करेंगे। आपने यह वायदा किया था। आप क्यों नहीं करते हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : आपने पैसे ले लिये और अब यह कह रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आपका अन्तिम प्रश्न है।

(व्यवधान)

कृपया विराजें।

श्री महाराम चौधरी : आम आदमी समझ सके ऐसा कानून बनाओ....

(व्यवधान)

श्री हीरालाल देवपुरा : कानून तो कानून की भाषा में ही बनेगा। कन्वर्शन का जो प्रश्न आया है उसका उत्तर मैं दे चुका हूं कि क्या कारण है, यह नहीं हो रहा है। यह भी कहा था कि राज्य सरकार इस बारे में चिन्तित है। सोच रही है कि ऐसे लोगों का किस तरह से नियमन करें और क्या सुविधा दी जाये। यह प्रारंभ में ही मैंने कह दिया था।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह कब तक होगा।

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई।

मांग संख्या 8 एवं 9 का पारण

श्री सभापति : मांग संख्या 8।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 8-राजस्व के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय, को 24,89, 33,000 रुपये (चौबीस करोड़ नवासी लाख तैंतीस हजार रुपये) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री सभापति)

मांग सख्यां 9. वन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 6–वन के संबंध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 15,41,73,000 रुपये, (पन्द्रह करोड़ इकतालिस लाख, तिहत्तर हजार रुपये) तक की राशि, जिसमे लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

[स्वीकृत]

मांग संख्या 9 स्वीकार की गयी।

सदन कि कार्यवाही सोमवार दिनांक 16 अप्रेल, 1984 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनंतर सदन की कार्यवाही रात्रि 9.11 बजे सोमवार दिनांक 16 अप्रेल, 1984 के म.पू. 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न सख्या 636 का ब्यौरा)

कोटा जिले के अन्ता एवं बारां उप खण्ड कार्यालयों में माह मार्च 84 तक कृषि एवं औद्योगिक कनेक्शन चाहने बावत प्राप्त हुए प्रार्थना पत्रों का वर्षवार ब्यौरा

क्र० सं०	कार्यालय का नाम	प्राप्ति का वर्ष	विचाराधीन प्रार्थना पत्रों की संख्या
1	2	3	4
	1. कृषि कनेक्शन		
1,	सहायक अभियन्ता (परि. एवं. संधा) बारां	1980–81	10
		1981–82	35
		1982–83	16
		1983–84	13
		योग	74
2.	सहायक अभियन्ता(ग्रा. वि. नि.) बारां	1981–82	1
		1982–83	8
		1983–84	40
		योग	49
3.	सहायक अभियन्ता (ग्रा. वि. नि.) अन्ता	1980–81	5
		1981–82	5
		1982–83	22
		1983–84	24
		योग	54
		सकल योग	179

1	2	3	4
	2. औद्योगिक कनेक्शनः		
1.	सहायक अभियन्ता(परि. एवं. संधा) बारां	1981–82	3
		1982–83	20
		1983–84	41
		योग	64
2.	सहायक अभियन्ता(ग्रा. वि. नि.) बारां	1981–82	1
		1982–83	1
		1983–84	13
		योग	15
3.	सहायक अभियन्ता(ग्रा. वि. नि.) अन्ता	1982–83	7
		1983–84	48
		योग	55
		सकल योग	134

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 637 की सूची)

श्रम विभाग द्वारा निम्न नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत न्यूनतम दरें निर्धारित की गई हैं। यह संशोधित न्यूनतम दरें 1-4-82 से लागू हैं :—

1. सोप स्टोन फैक्ट्रीज
2. काटन जिनिंग तथा जिनिंग प्रेसिंग फैक्ट्रीज
3. आटोमोबाइल वर्कशाप
4. काटन डाईंग प्रिन्टिंग तथा वाशिंग फैक्ट्रीज
5. स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज
6. ग्लास एण्ड चाइना वेयर
7. मैकेनिकल शक्ति के बगैर चलने वाले शुगर पान के नियोजन
8. गोटा किनारी एण्ड लम्पा संस्थानों के नियोजन
9. वूलन स्पिनिंग तथा वीविंग फैक्ट्रीज
10. पावर लूम फैक्ट्रीज
11. प्रिन्टिंग प्रेस
12. सिनेमा इण्डस्ट्रीज
13. तेल मिल
14. इन्जीनियरिंग इण्डस्ट्रीज
15. ऊन स्वच्छन एण्ड पीडन फैक्ट्रियां
16. दुकान एवं वाणिज्य संस्थान
17. होटल एण्ड रेस्टोरेन्ट
18. काटन वेस्ट स्पिनिंग फैक्ट्रीज
19. किसी स्थानीय प्राधिकारी के अधीन नियोजन

20. सार्वजनिक मोटर, परिवहन में नियोजन
21. पत्थर तोड़ने या पत्थर पीसने में नियोजन (खानों के बाहर)
22. पत्थर तोड़ने या पत्थर पीसने में नियोजन (खानों में)
23. किन्हीं अभ्रक कर्मान्तों में नियोजन
24. अभ्रक कर्मान्तों में नियोजन (अभ्रक खानों के अतिरिक्त)
25. नमक उद्योग
26. किसी ऊनी गलीचे बनाने वाले या दुशालें बुनने वाले संस्थान में नियोजन
27. किसी धान कुट्टी, आटा मिल या दाल मिल में नियोजन
28. सड़कों के संनिर्माण और बनाये रखने या भवन बनाने में नियोजन
29. किसी तम्बाकू (जिसके अन्तर्गत बीड़ी बनाना भी है) अभिनिर्माण में नियोजन
30. कृषि नियोजन (अनुसूची के भाग (ii) में वर्णित नियोजन)

———

परिशिष्ट 3

(तारांकित प्रश्न संख्या 644 की सूची)

CATEGORY PLOT SIZE IN MTRS.

S. N.	Name of the Scheme sanctioned by HUDCO	EWS	LIG	MIG (I)	MIG (II)	HIG	Total	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Shastri Nagar Ph.I, Bhilwara	—	56 (6x11.25)	40 (6x15)	—	—	96	LIG–1 Bed room, Kitchen, Launch, WC, Bath. MIG (I) 1 Bed room, Kitchen, 1 Drawing room WC, Bath
2.	Shastri Nagar Ph. II Bhilwara	42 (3.75x8)	141 (6x11.25)	64 (6x15)	26 (9x18)	..	273	EWS–1 Bed Room, WC, Bath, Kitchen, Flatform LIG–1 Bed room, Kitche, WC, Bath, Launch MIG (I) Bed room, Kitchen, Drawingroom, WC Bath

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								MIG (II) 1 Bed room, Living room, Kitchen, Launch, WC, Bath.
3.	Shastri Nagar Ph. III, Bhil-wara	—	--	—	44 (9x18)	11 (11.25x21)	55	MIG-II, Same as above HIG-2 Bedroom, Launch, Living room, WC, Bath Courtyard, Kitchen.
4.	Bapu Nagar Ph. II, LIG, Bhilwara	—	77 (L1-17) (J3-50) (J2-10)	—	—	—	77	L1-2 rooms, 1 Kitchen, WC, Bath. (Size 6.1x15) J3-2 rooms, 1 Kitchen, WC, Bath (Size 6x 1.25) J2-2 rooms, WC, Bath (Size 5.25x11.25)
5.	Bapu Nagar Ph. III Bhil-wara	244	98	—	—	—	342	EWS-2 rooms, WC, Bath (Size-3,75x 11.25) LIG-2 rooms, WC, Bath (Size-5.25x 11.25)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
6.	Bapu Nagar Ph. IV Bhil-wara	—	—	85	25	—	110	MIG (I)–Same as above (Size–6x15) MIG (II)–Same as above (Size–9x18)	
7.	Shastri Nagar Bhilwara Non HUDCO	—	—	—	44 (9x18)	—	44		
8.	Bapu Nagar Bhilwara Non HUDCO & PH. I	22	110	29	27	--	188	EWS–3.75x11.25 LIG–5.25x11.25	(92)
								6.1x15	(18)
								MIG (I)–7.6x15	
								MIG (II)–9.2x18	(16)
							——	12x18	(7)
							1185	11x18	(4)

297

298

परिशिष्ट 4

(तारांकित प्रश्न संख्या 352 की सूची)

पच्चीसवीं स्वतन्त्रता जयन्ती के अन्तर्गत चयनित ग्रामों की सूची

क्र. सं.	नाम पंचायत समिति		नाम जयन्ती ग्राम	विशेष विवरण
1	2		3	4
(i) जयपुर				
1.	सांभर	1.	मण्डामीमसिंह	
		2.	भादरा	
5.	बस्सी	3.	बस्सी	
		4.	बांसखो	
3.	साँगानेर	5.	मोहनपुरा	
		6.	पवालिया	
4.	झोटवाड़ा	7.	गेगस	
		8.	पचार	
5.	बान्दीकुई	9.	पीचूपाडा कलां	
		10.	बसवा	
6.	फागी	11.	निमडा	
		12.	माधोराजपुरा	
7.	वैराठ	13.	बीलवाड़ी	
		14.	माकरी	
8.	सिकराय	15.	ठिकरिया	
		16.	बरावन्डा	
9.	गोविन्दगढ़	17.	सिगरिया	
		18.	चिनोई	
10.	शाहपुरा	19.	किशनगढ़	
		20.	मारकी	
11.	चाकसू	21.	गरूडवासी	
		22.	थली	

299

1	2	3		4
12.	दौसा	23.	माकरी	
		24.	मण्डाना	
13	दूदू	25.	बीचून	
		26.	सेवा	
14.	आमेर	27.	जाहोता	
		28.	अचरोल	
15.	कोटपूतली	29.	वनेठी	
		30.	नारडा	
16.	लालसोट	31.	वोडोली	
		32.	खुर्रा	
17.	जमवारामगढ़	33.	भानपुरकलां	
		34.	आंधी	
(2) अजमेर				
18.	पीसांगन	35.	देवनगर	
		36.	अर्जुनपुरा जागीर	
19.	मसूदा	37.	खरवा	
		38.	लोरढ़ी	
20.	जवाजा	39.	जवाजा	
		40.	रांजियावास	
21.	केकड़ी	41.	जूनिया	
		42.	मेहरूकलां	
22.	श्रीनगर	43.	अरकंका	
		44.	मोराझाड़ी	
23.	किशनगढ़	45.	पिगलोद	
		46.	सिंहोद	
24.	भिनाय	47.	वड़ली	
		48.	सिंघावल	
25.	अराई	49.	अराई	
		50.	वोराड़ा	

1	2		4	B
(3) चूरू				
26.	सरदारशहर	51.	भीकमसर	
		52.	बन्धनाऊ	
27.	राजगढ़	53.	नुहन्द	
		54.	वेवड़	
28.	श्रीडूंगरगढ़	55.	बिग्गा	
		56.	सूडसर	
29.	सुजानगढ़	57.	भासोना	
		58.	गुलेरिया	
30.	रतनगढ़	59.	दाऊदसर	
		60.	पाबूसर	
31	चूरू	61.	सीवपुर	
		62.	दूदवाखेड़ा	
32.	तारानगर	63.	रायतुन्दा	
		64.	भीरथल	
(4) गंगानगर				
33	रायसिंहनगर	65.	9 टी. के.	
		66.	67 आर. वी.	
34.	श्रीकरणपुर	67.	माजीवाला	
		68.	मालखान कलां	
35.	हनुमानगढ़	69.	गिलवाला	
		70.	साहनीवाला	
36.	सूरतगढ़	71.	भगवानसर	
		72.	लिखमीसर	
37.	पदमपुर	73.	29 आर वी	
		74.	घामूखाली	
38.	सादुलशहर	75.	करादवाला	
		76.	अमरगढ़	
39.	नोहर	77.	राजगढ़	
		78.	थालरका	
40.	भादरा	79.	उत्तरवावास	

(301)

1	2	3	4
		80. नथराना	
41.	मिर्जेवाला	81. दौलतपुरा	
		82. कैरी	
(5) झुन्झुनू			
45.	चिड़ावा	83. कंवरपुरा	
		84. गिडानिया	
43.	उदयपुरवाटी	85. बागोली	
		86. सिगनौर	
44.	सूरजगढ़	87. बनगोटडी खुर्द	
		88. घूमन्सर	
45.	नवलगढ़	89. ढिगाल	
		90. बाय	
46.	खेतड़ी	91. गौरीर	
		92. नंगली सलेदीसिंह	
47.	बुहाना	93. पहानिया	
		94. सातोर	
48.	झुन्झुनू	95. मारू	
		96. वाकरा	
49.	ग्रलसीसर	97. हंसासर	
		98. घोरासर	
(6) सवाईमाधोपुर			
50.	हिण्डौन	99. ढिढोरा	
		100. बरगमा	
51.	महुवा	101. रसीदपुर	
		102. जटवाड़ा	
52.	टोडाभीम	103. पालना	
		104. कोरा	
53.	करौली	105. दापपुरा	
		106. माच	
54.	स०माधोपुर	107. श्यामपुरा	
		108. कुश्तला	

1	2	3		4
55.	गंगापुर	109.	मेडी	
		110.	खण्डीप	
56.	नादौती	111.	ककराला	
		112.	शफोपुरा	
57.	वौंली	113.	मलारना चौड़	
		114.	खिरनी	
58.	सपोटरा	115.	सेतपुरा	
		116.	वलौती	
59.	खण्डार	117.	गोठड़ा	
		118.	मेई	
(7) सीकर				
60.	नीमकाथाना	119.	भूदोली	
		120.	गुहाला	
61.	लक्ष्मणगढ़	151.	मिरजवास	
		122.	बठोठ	
62.	दांतारामगढ़	123.	सुरेरा	
		124.	कुली	
63.	श्रीमाधोपुर	125.	मोदूमाडी	
		126.	मारनी	
64.	घोद	127.	कंवरपुरा	
		128.	पलथाना	
65.	पिपराली	129.	कटराथल	
		130.	कालीडा	
66.	खण्डेला	131.	रामपुरा	
		132.	समरथपुरा	
67.	फतेहपुर	133.	मांग्यासर	
		134.	खूडी	
(8) टौंक				
68.	मालपुरा	135.	टोरडी	
		136.	गनवर	
69.	टौंक	137.	वराना	

1	2	3	4
		138. सोडावावड़ी	
70.	टोडारायसिंह	139. हमीरपुर	
		140. कूकड़	
71.	निवाई	141. भूरटिया	
		142. रजवास	
72.	उनियारा	143. खेलनिया	
		144. सोप	
73.	देवली	145. रायथल	
		146. निवारिया	
(9) अलवर			
74.	किशनगढ़वास	147. खानपुर मेवान	
		148. रायबका	
75.	गोविन्दगढ़ (मु.लक्ष्मणगढ़)	149. रामवास	
		150. कनवाड़ा	
76.	तिजारा	151. बिरामपुर	
		152. लुहादेश	
77.	मण्डावर	153. बीजवाड़ चौहान	
		154. पेहल	
78.	कोटकासिम	155. नासोपुर	
		156. माजरी	
79.	थानागाजी	157. दुहार चौगान	
		158. मण्डावरा	
80.	बानसूर	159. बिलाली	
		160. लेकड़ी	
81.	राजगढ़	161. राजपुर	
		162. दुब्बी	
82.	उमरेन	163. बजेटा	
		164. बल्लपुरा	
83.	नीमराना	165. दौसाद	
		166. रोडपाल	
84.	कठूमर	167. खोंखरी	
		168. सींखर	

30W

1	2		3	4
85.	रामगढ़	169.	ककरानी	
		170.	खिलोरा	
86.	बहरोड	171.	गूती	
		172.	नागल खोडिया	
87.	रेणी	173.	वरेड़ा	
		174.	ओडपुर	
	(10) बीकानेर			
88.	नोखा	175.	नाथूसर	
		176.	साईनीवाली	
89.	कोलायत	177.	सुरजाडा	
		178.	खारी चरनान	
90.	बीकानेर	179.	पेमासर	
		180.	गेरासर	
91.	लूनकरणसर	181.	धीररा	
		182.	पीपेरा	
	(11) जैसलमेर			
92.	साकडा	183.	लाठा	
93.	जैसलमेर	184.	डावला	
94.	सम	185.	सम	
	(12) जालौर			
95.	आहोर	186.	पानछोटा	
		187.	चावरछा	
96.	सांचौर	188.	सेसावा	
		189.	पूटवासान	
97.	भीनमाल	190.	झुझागती	
		191.	रूचियारा	
98.	सायला	192.	बाकरा	
		193.	पोसाना	
99.	जसवन्तपुरा	194.	भादेरा	
		195.	सिखावारा	

1	2	3		4
100.	रानीवाड़ा	196.	रानीवाड़ाखुर्द	
		197.	कोटरा	
101.	जालोर	198.	भागली	
		199.	दिलदेरी	
	(13) जोधपुर			
102.	बिलाड़ा	200.	चन्देलाव	
		201.	मालकोसनी	
103.	ओसियां	202.	पांचलाखुर्द	
		203.	पडासलाखुर्द	
104.	भोपालगढ़	204.	देवातेडा	
		205.	हिंगोली	
105.	जोधपुर (मण्डोर)	206.	पीथावास	
		207.	तुरपुरा	
106.	बालेसर	208.	चामू	
		209.	नाथराऊ	
107.	लूनी	210.	लूणावास खारा	
		211.	नारनाड़ी	
108.	फलौदी	212.	देनोक	
		213.	भाकरी	
109.	बाप	214.	बगडी	
		215.	टेपू	
110.	शेरगढ़	216.	तेनाग्राम	
		217.	बेचू	
	(14) नागौर			
111.	डीडवाना	218.	बरडवा	
		219.	सामरोदा	
112.	लाडनू	220.	लाछेड़ी	
		221.	खाफियाड	
113.	कुचामन	222.	कुकनवाली	

(307)

1	2	3		4
		223.	रसाल	
114.	मकराना	224.	मोरेड़ा	
		225.	मवलपुर	
115.	हेगाना	226.	हरसार	
		227.	चांदरूण	
116.	जायल	228.	फाडोड	
		229.	रोहिण्डी	
117.	रियां	230.	रियां	
		231.	बग्गड़	
118.	मेड़ता	233.	मेड़तारोड	
		233.	मोकाला	
119.	नागौर	234.	वासनी	
		235.	अलाय	
120.	परबतसर	236.	रावडिया	
		337.	वाजवास	
121.	मूण्डवा	238.	मूण्डवा	
		239.	कुचेरा	
	(15). पाली			
122.	सुमेरपुर	240.	चाणोद	
		241.	नावी	
123.	बाली	242.	ससली	
		243.	चावन्डेरी	
124.	देसूरी	244.	गुढा पृथ्वीराज	
		245.	गुढा अखेराज	
125.	खारची	246.	खारची	
		247.	हेमलियावासखुर्द	
126.	सोजत	248.	सारंगवास	
		249.	शिवपुरा	
127.	रानी स्टेशन	250.	खिवाड़ा	
		251.	देवली	

1	2	3	4
128.	रायपुर	252.	सेन्दडा
		253.	सबलपुरा
129.	जैतारण	254.	जैतारण
		255.	आनन्दपुर कालू
130.	पाली	256.	डिगाई
		257.	हेमावास
131.	रोहट	258.	रोहट
		259.	त्रिवान्दी
(16) सिरोही			
132.	पिण्डवाडा	260.	मला
		261.	बाहेरा
133.	आबूरोड	262.	ओरिया
		263.	सिवाना
134.	सिरोही	264.	माकरोडा
		265.	बावली
135.	शिवगंज	266.	पोलासिया
		267.	केसरपुरा
136.	रेवदर	268.	देताणी
		169.	नागाणी
(17) बून्दी			
137.	तालेड़ा	270.	जावटी
		271.	नोताडा भोपत
138.	हिण्डोली	272.	पगारा
		273.	चेता
139.	नैनवा	274.	खानपुरा
		275.	कलम्वा
140.	केशोरायपाटन	276.	लैसरदा
		277.	जलौदा

1	2	3	4
(18) झालावाड़			
141.	झालरापाटन	278. कनवाड़ा	
		279. गुराडिया जोगा	
142.	खानपुर	280. साजपुर	
		281. हरीगढ़	
143.	मनोहरथाना	282. मनोहरथाना	
		283. अकलेरा	
144.	डग	284. करावन	
		285. कडला	
145.	पिड़ावा	286. धोपलखेड़ा	
		287. रमायदलपत	
146.	बकानी	288. बकानी	
		289. सरड़ा	
(19) कोटा			
147.	बारां	290. नलका	
		291. सम्बलपुरा	
148.	शाहबाद	292. खुशियारा	
		293. गोरधनपुरा	
149.	लाडपुरा	294. खेडारसलपुर	
		295. मन्डाना	
150.	अन्ता	296. मोज्याखेड़ी	
		297. ठीकरिया	
151.	अटरू	298. अटरू	
		299. कवाई	
152.	इटावा	300. गैंता	
		301. लुहावद	
153.	छबड़ा	302. सिवानिया	
		303. महेशपुर	
154.	सुल्तानपुर	304. सुल्तानपुर	
		305. बनेठिया	

1	2	3		4
155.	सांगोद	306.	सांगोद	
		307.	कनवास	
156.	छीपाबड़ौद	308.	हरनावदा शाही	
		309.	सारथल	
157.	चेचट	310.	खेडली	
		311.	खीमच	
(20) **बांसवाड़ा**				
158.	गढ़ी	312.	परतापुर	
		313.	बारी	
159.	कुशलगढ़	314.	मूदंडी	
		315.	अखेपुर	
160.	बागीडोरा	316.	बाडीगामा	
		317.	सुवाला	
161.	घाटोल	318.	बडीपडाल	
		319.	बिछावाड़ा	
162.	बांसवाड़ा	320.	फतेहपुरा	
		321.	मलवासा	
163.	पीपलखूंट	322.	दानपुरा	
		323.	घटाला	
164.	सज्जनगढ़	324.	ताम्बेसरा	
		325.	कसारवाड़ी	
165.	भूखिया	326.	भूखिया	
		327.	चांदरवाड़ा	
(21) **भरतपुर**				
166.	नगरपहाड़ी	328.	जय श्री	
		329.	पालका	
167.	बसेड़ी	330.	बसेड़ी	
		331.	सरमथुरा	
168.	राजाखेड़ा	332.	ढोढकापुरा	
		333.	सिलावट	
169.	नदबई	334.	खेडी देवीसिंह	

1	2	3	4
		335. गंगवाना	
170.	रूपवास	336. इब्राहिमपुर	
		337. रूढावल	
171.	कुम्हेर	338. ताखा	
		339. अवार	
172.	वैर	340. नयागांव	
		341. बराहा	
173.	कामां	342. विराट	
		343. कनवाड़ा	
174.	बयाना	344. विडियारी	
		445. मिलकपुर	
175.	धौलपुर	346. मडा	
		347. बाथपुरा	
176.	वाड़ी	348. बासईडांग	
		349. खानपुर (मैना)	
177.	सेवर	350. हलाह	
		351. अगाहपुर	
178.	डीग	352. खोहरी	
		353. खेड़ा	
	(22) बाड़मेर		
179.	सिवाना	354. गुडानाल	
		355. देवन्दी	
180.	शिव	356. शिव	
		357. गूंगा	
181.	बालोतरा	358, उमालाई	
		359. जालीयाना	
182.	धोरीमन्ना	360. धोरीमन्ना	
		361. गुडामालानी	
183.	बाड़मेर	362. जालीपा	
		363. महावार	

1	2	3	4
184.	सिणधरी	364.	दांख
		365.	कुण्डला
185.	वायतू	366.	माहपुरा बरवाला
		367.	कवास
186.	चौहटन	368.	चौहटन
		369.	धनाऊ
(23) भीलवाड़ा			
187.	माण्डलगढ़	370.	गैनोली
		371.	सिगोली
188.	माण्डल	372.	बागौर
		373.	लादूवास
189.	शाहपुरा	374.	अरवडपुरानी
		375.	तसवारिया
190.	जहाजपुर	376.	लुहारी कला
		377.	आमलदा
191.	कोटड़ी	378.	सातोला का खेड़ा
		379.	रासेड
192.	आसीन्द	380.	खातेला
		381.	करजालिया
193.	हुरडा	382.	टौंकरवाड़ा
		383.	जालखेड़ा
194.	रायपुरा	384.	बोरियापुरा
		385.	नाथडियास
195.	सुवाना	386.	मंगरोप
		387.	कोदूकोटा
196.	सहाड़ा	388.	सरगांव
		389.	कागनी
197.	बनेड़ा	390.	कांकोलिया
		391.	महुवा खुर्द
(24) चित्तौड़गढ़			
198.	प्रतापगढ़	392.	कुणी

1	2	3		4
		393.	अबलेश्वर	
199.	बेगूं	394.	नदवई	
		395.	दौलतपुरा	
200.	कपासन	396.	हिंगोरिया	
		397.	हथियाना	
201.	चित्तौड़गढ़	398.	ओछड़ी	
		399.	बोरदा	
202.	राश्मी	400.	आरणी	
		401.	साडाल	
203.	निम्बाहेड़ा	402.	कैली	
		403.	अरनोदा	
204.	भैंसरोडगढ़	404.	लाडपुरा	
		405.	एकलिंगपुरा	
205.	छोटीसादड़ी	406.	बम्बोरी	
		407.	कारूण्डा	
206.	डूंगला	408.	चिकारड़ा	
		409.	मोवन	
207.	भोपालसागर	410.	भोपालसागर	
		411.	कान्करवा	
208.	भदेसर	412.	मण्डाफिया	
		413.	खण्डीप	
209.	अचनेरा	414.	सालमगढ़	
		415.	जाजली	
	(25) डूंगरपुर			
210.	डूंगरपुर	416.	बसी	
		417.	भोयणी	
211.	सीमलवाड़ा	418.	रास्ता	
		419.	नादिया	
212.	सागवाड़ा	420.	सरोदा	
		421.	पाडबा	

1	2	3		4
213.	आसपुर	422.	रायकी	
		423.	लीलवासा	
214.	बीछीवाड़ा	424.	गामडी देवल	
		425.	गैंतो	
(26) उदयपुर				
215.	राजसमन्द	426.	माणा	
		427	फरारा	
216.	आमेट	428.	सरदारगढ़	
		429.	साला का गुडा	
217.	कुम्भलगढ़	430.	सेवन्तरी	
		431.	साथीयां	
218.	गिर्वा	432.	बली	
		433.	डाकन कोटड़ा	
219.	कोटड़ा	434.	बीकरनी	
		435.	जुडा	
220.	खमनौर	436.	उमरवास	
		437.	जगला	
221.	धरियावद	438.	पारसोला	
		439.	कूण	
222.	वडगांव	440.	सेमल	
		441.	ठीकली	
223.	रेलमगरा	442.	बनेडिया	
		443.	कुरज	
224.	मावली	444.	पलाना कला	
		445.	सवानिया	
225.	गोगुन्दा	446.	सेमड	
		447.	गोगुन्दा	

314

1	2	3	4
226.	भीण्डर	448.	सालेड़ा
		449.	वाठरड़ा खुर्द
227.	झाड़ोल	450.	झाड़ोल
		451.	कोल्यारी
228.	खैरवाड़ा	452.	मसारों की ओबरी
		453.	माकडजमा
229.	देवगढ़	454.	कुवाथल
		455.	लसानी
230.	सराड़ा	456.	झाड़ोल
		457.	देपुरा
231.	सलूम्बर	458.	डाल
		459.	परोड़ा
232.	भीम	460.	सारोठ
		461.	सेमालिया

315

परिशिष्ट 5

(तारांकित प्रश्न संख्या 480 की सूची)

अनुक्रमिका—1

क्र. सं.	चैसिस क्रय किये गये का माह	चैसिसों का भुगतान की दिनांक	लीलैण्ड चीता	चैसिस लीलैण्ड वाईकिंग	टाटा	योग
1—	अक्टूबर, 1983	29-10-83	31	–	22	53
2—	नवम्बर, 1983	26-11-83	31	5	25	61
3—	दिसम्बर, 1983	14-12-83	58	15	33	106
		योग :—	120	20	80	220

अनुक्रमिका—2

सिलवासा से चेसिस लेने बाबत जाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को दिये गये यात्रा-बिल का विवरण

क्र. सं.	नाम अधिकारी/कर्मचारी	पद	दिनांक	किससे यात्रा की	यात्रा व्यय
1—	श्री पी. एस. श्रीमाली	कार्य व्यवस्था-पक	31–10–83 से 4–11–83	हवाई जहाज रेल एवं बस	1884-90
2—	श्री एम. एल. खत्री	सहायक यांत्रिक अभियन्ता	27–10–83 से 10–11–83	रेल एवं बस	554–18
3 —	श्री ए.बी. सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता	30–10–83 से 5–11–83	,,	348–04
4—	श्री ए.वी. सिंह	,,	28–11–83 से 24–12–83	रेल द्वारा	750–00
5—	श्री नारायणसिंह	आर्टिशियन	28–11–83 से 2–12–83 व 17–12–83 से 23–12–83	रेल द्वारा	677–36
				योग :-	4214–48

अनुक्रमिका—3

चैसिसों की दर सिलवासा एवं राजस्थान

क. सं.	नाम चैसिस	सिलवासा में चैसिसों की दर	स्थानीय अधिकृत विक्रेता की दर	निगम को हुआ फायदा
1—	टाटा	1,38,473–39	1,52,271–39	11,03,840–00
2—	लीलैण्ड चीता	1,53,354–00	1,69,406–40	19,26,288–00
3—	लीलैण्ड वाईकिंग	1,50,128–00	1,6[illegible],846–80	3,14,576–00

परिशिष्ट 6

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

किशनगढ़ में कृषि भूमि पर काबिज कब्जों को नियमित करना

647. **श्री रंगजी मीणा** (सपोटरा) एवं **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर जिले के किशनगढ़ कस्बे में स्थित दरबार कृषि भूमि को वर्तमान में उस पर काबिज छोटे व अनुसूचित जाति के काश्तकारों के पक्ष में नियमित किये जाने की सिफारिश उच्चाधिकारियों को की गई है ?

(2) यदि हां, तो सिफारिश कब की गई और उसको स्वीकार किये जाने में क्या कठिनाई आ रही है ? अब कब तक उक्त भूमि को काबिजों के पक्ष में नियमित करने का सरकार का विचार है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) वर्ष 1979 से इस प्रकार की सिफारिश की जा रही है। लेकिन राजस्थान भूमि सुधार तथा भू–स्वामियों की भू-सम्पदा अर्जित अधिनियम, 1963 के लागू होने के दिनांक को जो व्यक्ति काबिज नहीं थे तथा जिनका कब्जा वैधानिक परिधि में नहीं आता, उनका नियमन नहीं किया जा सकता।

अधिशासी अभियंता पी. एस. सी. के विरुद्ध शिकायतें

648. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अधिशासी अभियंता विद्युत मण्डल पी. एस. सी. तृतीय के विरुद्ध टेलीफोन केबल्स डालने में की गई अनियमितता एवं भ्रष्टाचार करने संबंधी कोई शिकायत राज्य सरकार को प्राप्त हुई है ?

(2) क्या इस संबंध में बोर्ड ने उक्त शिकायतों के आधार पर कोई जांच करवाई है ? यदि हां, कृपया तो जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त अभियंता जांच में दोषी पाया गया ? यदि हां, तो अब तक क्या–क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, श्री ए. आर. भण्डारी, अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अन्य अनियमितताओं संबंधी शिकायत विद्युत मण्डल को प्राप्त हुई थी।

(2) जी हां, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के सतर्कता अनुभाग ने शिकायत के आधार पर प्रारम्भिक जांच की थी। प्रारम्भिक जांच प्रतिवेदन के आधार पर विभागीय जांच की जा रही है। अतः जांच रिपोर्ट आने पर कार्यवाही की जावेगी।

(ऊर्जा मंत्री)

(3) बिजली की चोरी के मामले में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई थी तथा पुलिस ने कोर्ट में चालान भी पेश कर दिया है तथा यह केस न्यायालय में चल रहा है। आय के स्रोत से अधिक सम्पत्ति होने के मामले में पुलिस में केस रजिस्टर करा दिया था तथा यह मामला भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में चल रहा है। शेष मामलों में सतर्कता अनुभाग के प्रारम्भिक जांच प्रतिवेदन के आधार पर विभागीय जांच की जा रही है।

परिवार एवं बाल कल्याण योजना के कर्मचारियों को बकाया का भुगतान

650. **श्री यदुनाथ सिंह (नदबई)** : क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि परिवार एवं बाल कल्याण योजना, जो समाज कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित थी और जिसे 1 जुलाई, 1981 से विकास विभाग के अधीन ले लिया गया है, के कर्मचारियों के 1 जुलाई, 1981 से पहले के बकाया वेतन, टी. ए. व डी. ए. का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी मानने की समस्त औपचारिकताएं अभी तक पूरी नहीं की गई हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त कर्मचारियों के वेतन का स्थिरीकरण वेरी वेतन आयोग की राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशों के अनुसार अभी तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्य सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) समाज कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित परिवार एवं बाल कल्याण योजना 1-7-81 से विकास विभाग के अधीन ले ली गई है। दिनांक 1-7-81 से पूर्व की कुल 7,64, 685 रुपये 25 पैसे की देनदारियों में से 3.60 लाख रुपये का आवंटन समाज कल्याण विभाग द्वारा दिनांक 8-7-81 को, 1-4-81 से 30-6-81 तक के बकाया के लिये किया जा चुके है। इससे पूर्व की देनदारियों के भुगतान के लिये वित्त विभाग से राशि आवंटन करने हेतु निवेदन किया गया है। धनराशि आवंटन होने पर भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।

(2) जी हां।

(3) जी हां। इन कर्मचारियों को राज्य सेवा में समायोजन सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् निर्णयानुसार वेतनमान दिये जायेंगे।

ग्राम गोकलपुरा (सीकर) के पहाड़ का पत्थर

651. **श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल)** :

(320)

(श्री सूरजपाल सिंह)

क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम गोकल-पुरा तहसील सीकर में पहाड़ का पत्थर क्रेशर की गिट्टी के लिए उपयुक्त है ?

(2) क्या सरकार इस पहाड़ी तक ग्राम गोकलपुरा होकर सड़क मार्ग निर्मित करवाकर क्रेशर मशीन चालू करने के लिए अलाटमेंट करेगी ? यदि हां, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। ग्राम गोकलपुरा में किसी ऐसी पहाड़ी के होने की जानकारी नहीं है।

(2) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

पंचायत समिति खण्डार के ग्रामों का विद्युतीकरण

652. **श्री चुन्नीलाल** (खण्डार) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला सवाई माधोपुर की पंचायत समिति खण्डार में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत कौन-कौन से गांवों को चयनित किया गया है ? कृपया इसकी सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त योजना का सर्वे किया जाकर योजना राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित कर दी गई है ? यदि हां, तो कब ?

उत्तर

(1) जिला सवाई माधोपुर की पचायत समिति खण्डार में स्वीकृत ग्रामीण विद्युतीकरण निगम योजना के अन्तर्गत सम्मिलित 52 ग्रामों की सूची "अ" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। उक्त योजना ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा माह नवबर 1983 में स्वीकृत की जा चुकी है।

(ऊर्जा मंत्री)

पंचायत समिति खण्डार की ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में सम्मिलित ग्रामों की सूची

क्र. सं.	ग्राम का नाम	क्र. सं.	ग्राम का नाम
1.	गोठड़ा	27.	फठूली उर्फ धनापचा
2.	ग्रोम मीना	28.	डूंगरी
3.	ग्रनियाला	29.	भूरी पहाड़ी
4.	कड़वास	30.	बसो खुर्द
5.	कमोखरी	31.	पादड़ा निजामत
6.	पीपल्दा	32.	बसो कलां
7.	गंडावर	33.	सेवती
8.	ग्रोन कलाल	34.	पाली
9.	पादड़ी तोपखाना	35.	ग्रावंड
10.	बड़ोद	36.	सेवती कलां
11.	पादड़ा बाडदार	37.	सेवती खुर्द
12.	जयसिंहपुरा	38.	विरखिरी
13.	मुकुन्दपुरा	39.	रामपुरा
14.	बरनावदा	40.	ग्राकोड़िया
15.	परसीपुरा	41.	चितारा
16.	बालीपुर	42.	दोलाड़ा
17.	डाबीच	43.	किशनपुरा
18.	पीलेड़ी	44.	खानपुर
19.	सांवलपुर	45.	बलवन खुर्द
20.	खण्डेवलां	46.	सांकली
21.	मीना खेडी	47.	मुन्डराखेड़ा
22.	नरवलां	48.	श्योपुरा
23.	सोनकच्छ	49.	कालीभाट
24.	बोहना	50.	जालपाखेड़ी
25.	तालड़ा	51.	खेड़ला
26.	भिड़	52.	टैटड़ा

लुहारीकलां (जहाजपुर) में आश्रम स्कूल की स्वीकृति

653. **श्री रतन लाल ताम्बी** (जहाजपुर) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि लुहारीकलां तहसील जहाजपुर में जनजाति विभाग के अधीनस्थ आश्रम स्कूल की स्वीकृति हुई है ? यदि हां ,तो कितनी राशि स्वीकृत की गई है ?

(2) क्या यह सही है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से यह कार्य निष्पादन किया गया ? यदि हां, तो कितनी राशि व्यय कर.कार्य कब पूरा हुआ ?

(3) क्या यह सही है कि 29 जुलाई को इस भवन का उद्घाटन हुआ ? यदि हां, तो उद्घाटन किसके द्वारा हुआ ?

(4) क्या यह सही है कि उद्घाटन विभाग की अनुमात से हुआ ? यदि हां, तो उद्घाटनकर्ता को विभाग द्वारा उद्घाटन हेतु कब अनुरोध किया गया था ? कृपया विभाग के अनुरोध पत्र व उद्घाटनकर्ता के सहमति पत्र दोनों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही कि उद्घाटनकर्ता ने बिना विभागीय अनुरोध व स्वीकृति के उद्घाटन कर दिया ?

(6) क्या विभाग के अधिकारी इस समारोह में मौजूद थे ? क्या विभाग के अधिकारियों ने इस प्रकार अनियमित एवं अनधिकृत उद्घाटन के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(7) क्या जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध इस प्रकार की गलत कार्यवाही के विरुद्ध सरकार ने कोई कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या अब भी सरकार सारे मामले की जांच कराकर दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां । आश्रम स्कूल के निर्माण हेतु वर्ष 1979–80 में 1.50 लाख, वर्ष 80–81 में 2.00 लाख और वर्ष 81–82 में 0.76 लाख रुपये कुल 4.26 लाख रुपये की राशि स्वीकृत हुई ।

(2) जी हां । आश्रम स्कूल भवन जुलाई, 83 में एवं अन्य कार्य जनवरी, 84 में पूरे किये गये । इस पर कुल व्यय 3,86,787 रुपये का हुआ एवं फाइनल बिलों का भुगतान करना शेष है ।

(3)पंचायत समिति द्वारा उद्घाटन के लिए व्यवस्था की गयी थी ।

(राज्य मंत्री, पंचायत)

(4) प्रश्न ही नहीं उठता।

(5) जी नहीं।

(6) कार्यक्रम की व्यवस्था के क्रम में पंचायत समिति के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

(7) जी नहीं विभागीय अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने का प्रश्न ही नही उठता।

कोटा से केशोरायपाटन, लाखेरी आदि मार्गों पर अतिरिक्त बसों का संचालन

654. **श्री बाबूलाल बैरवा** (कठूमर) एवं **श्री गोपाल पचेवाल** (पाटन) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) कोटा से केशोरायपाटन, पाटन, लाखेरी, कापरेन तथा खटखड़ रूट पर कितनी प्राइवेट बसें कब-कब से चलती हैं ?

(2) कोटा से खटखड़, लाखेरी रूट पर अनुज्ञा पत्र प्राप्ति पर भी क्या कई बसें रूट पर नहीं चल रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि वर्तमान में उक्त रूटों पर चल रही बसों की संख्या अधिक यात्रियों के आवागमन के कारण कम है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अन्य बसों को अनुज्ञा पत्र जारी करने के संबंध में सरकार की क्या मंशा है ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) मार्ग पर 3 अनुज्ञापत्र स्वीकृत हैं, परन्तु वर्तमान में एक ही बस चल रही है। दो बसों को आबकारी विभाग द्वारा कुर्क कर लिया गया है।

(3) इन मार्गों के स्कोप में वृद्धि किये जाने के लिये कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं। यदि आवश्यकता हुई तो सर्वेक्षण करवाकर नये अनुज्ञापत्र स्वीकृत कर दिये जावेंगे।

(32५)

(यातायात मंत्री)

मार्गों पर चल रही बसों की संख्या व बसें चलन का दिनाक

क्रमांक	मार्ग का नाम	मार्ग पर स्वीकृत परमिटों की संख्या	बस नम्बर	परमिट जारी करने की दि.
1	2	3	4	5
1–	कोटा लाखेरी वाया केशोरायाटन, कापरेन	6	आर जे आर 9293	23.12.70
			आर एस आर 1075	18.1.73
			आर आर आर 7113	4,10.78
			आर आर आर 8013	2.2,81
			आर एस ओ 6177	1.9.82
			आर एस आर 7677	1.9.78
2–	खटखड़ लाखेरी वाया अणेता जखाना माहिजा केशोरायपाटन।	3	आर आर आर 507	26.8.82
			आर आर आर 2411	26.8.82
			आर एस आर 9111	5.1.78
3–	कोटा–कापरेन (रोटेदा तक वृद्धिकृत)	3	आर जे एच 2502	20.1.82
			आर एस ओ 2880	20.1.82
			आर एस ओ 2560	20.1.82
4–	कोटा–खटकड़ वाया केशोरायपाटन	3	आर एस ओ 1713	29.7.81
			आर आर आर 7401	29.7.81
			आर आर आर 2655	30.7.81
5–	कोटा–रोटेदा वाया केशोरायपाटन,कापरेन	2	आर जे आर 9141	2.12.74
			आर एस आर 1609	10.4.73

बीकानेर जिले के सरपंचों के विरुद्ध शिकायतें

655. **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत) : क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बीकानेर जिले में 1983-84 में कितने सरपंचों की जांच के आदेश उप-जिला विकास अधिकारी ने दिये हैं ? कृपया पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उप-जिला विकास अधिकारी द्वारा कई सरपंचों को परेशान करने की शिकायत पंचायत समिति बीकानेर की बैठक में जिलाधीश को की थी ? कृपया पंचायत समिति बीकानेर की फरवरी 1984 की बैठक की कार्यवाही का विवरण सदन की मेज रखें ?

उत्तर

(1) बीकानेर जिले में 1983-84 में किसी भी सरपंच के विरुद्ध जांच करने के आदेश उप जिला विकास अधिकारी, बीकानेर द्वारा नहीं दिये गये।

(2) जी नहीं। उप जिला विकास अधिकारी द्वारा किसी भी सरपंच को परेशान किये जाने की शिकायत पंचायत समिति बीकानेर की बैठक में जिलाधीश, बीकानेर को नहीं की गई। पंचायत समिति, बीकानेर की फरवरी, 1984 की बैठक के कार्यवाही विवरण की प्रति प्राप्त की जा रही है।

पाटन (सीकर) में खोली गई उप तहसील

656. **श्री बिहारीलाल पारीक** (मांडल) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: –

(1) क्या पाटन (सीकर) में उप-जिला तहसील खुलवाने के आदेश जारी कर दिये गये थे ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या यह सही है कि जिलाधीश सीकर द्वारा उप तहसील भवन हेतु मकान भी किराये पर ले लिया था तथा उप तहसील के स्टाफ की मय नाम व तहसीलदार पोस्टिंग कर दी थी ? यदि हां, तो कब ? कृपया स्टाफ की सूची नाम सहित सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सारी कार्यवाही होने के बावजूद भी उप तहसील का कार्य वहां पर नहीं हो रहा है ? यदि हां तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त उप तहसील नहीं खोली गई ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि पाटन (सीकर) में उप तहसील स्थापित करने के आदेश दिनांक 14.4.82 को जारी किए गये थे।

(2) जी नहीं।

(3) उप तहसील पाटन (सीकर) को राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 19.6.82 के द्वारा तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दी। इसलिये उक्त उप तहसील का कार्य करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(३२८)

(राज्य मंत्री, यातायात)

(4) जी हां। यह सही है कि उक्त उप तहसील नहीं खोली गई क्योंकि विस्तृत रूप से विचार करने पर पाया गया कि जनसंख्या, पटवार मण्डलों व ग्रामों की संख्या एवं भौगोलिक स्थिति के दृष्टिकोण से नीमकाथाना तहसील के ग्राम पाटन की अपेक्षा दांतारामगढ़ तहसील के ग्राम पलसाना में उप तहसील स्थापित करने का अधिक औचित्य है।

आवासन मण्डल के क्षतिग्रस्त भवन

658. **श्री जगनसिंह** (बयाना) एवं **श्री दीपेन्द्र सिंह** (श्रीमाधोपुर): क्या आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) आवासन मण्डल की स्थापना से लेकर अब तक मण्डल के कितने मकान कब-कब कहां-कहां गिर गये?

(2) उक्त मकानों पर कितनी राशि व्यय हुई? क्या उक्त राशि ठेकेदारों से वसूल की गई?

(3) उक्त मकान बनाने वाले ठेकेदारों एवं सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) मण्डल की स्थापना से अब तक कोई मकान नहीं गिरे, बल्कि क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार है :—

वर्ष	शहर का नाम	मकानों की सं.
1981	अलवर	23
1982	कोटा	23
1983	जयपुर	56
	उदयपुर	10

(2) इन मकानों के पुनर्निर्माण पर बोर्ड की कोई राशि व्यय नहीं हुई। ठेकेदारों की लागत से ही मकानों का पुनर्निर्माण करवाया, तथा करवाया जा रहा है।

(3) उक्त मकान बनाने वाले ठेकेदारों को ब्लैक लिस्टेड करने की कार्यवाही की जा रही है तथा दोषी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच की कार्यवाही की जा रही है।

अजमेर संभाग के आगार प्रबन्धक के विरुद्ध शिकायतों की जांच

659. **श्री गुलाबचन्द कटारिया** (उदयपुर): क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर संभाग प्रबन्धक श्री रिद्धकरण जोधा के विरुद्ध 64 से भी अधिक प्रकरणों की जांच कराई गई जिसमें उन्हें दोषी माना गया? जांच अधिकारी कौन थे? जांच कब पूर्ण करदी गई? कृपया जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त अधिकारी ने श्री नानकराम परिचालक को बहाल करने हेतु भारी

(राज्य मंत्री, यातायात)

रिश्वत की मांग की थी ? क्या यह भी सही है कि श्री नानकराम ने रिश्वत नहीं दे पाने के कारण तालाब में कूदकर आत्महत्या करली थी जिसका सबूत उनका पास से प्राप्त पत्र था ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त अधिकारी के भांजे व भांजी लोगों से रुपये लेकर इनसे काम कराते रहे जिससे सम्बन्धित पत्र भी अखबारों में प्रकाशित हुए ? क्या विभाग उक्त अधिकारी को निलम्बित कर जाँच कराने का विचार रखता है ?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है कि अजमेर संभाग प्रबन्धक श्री रिद्धकरण सिंह जोधा के विरुद्ध 64 से भी अधिक प्रकरणों की जांच कराई गई। प्रकरण जिनमें जांच के फलस्वरूप श्री जोधा को दोषी पाया गया उनकी जांच श्री शम्भूलाल माथुर सहायक लेखाधिकारी (सतर्कता) द्वारा कराई गई। यह जांच दिनांक 4.2.83 को पूर्ण की गई जांच रिपोर्ट की प्रति संलग्न है।

(5) जी नहीं।

श्री नानकराम द्वारा आत्महत्या अथवा मृत्यु के कारणों की निगम को जानकारी नहीं है।

(3) अजमेर से प्रकाशित स्थानीय "रोजमैल" नामक समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ था। इस सम्बन्ध में जांच कार्यवाही निगम के सतर्कता एवं सुरक्षा शाखा द्वारा की जा रही है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही अग्रिम कार्यवाही किया जाना संभव होगा।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन विगम, सतर्कता शाखा, जयपुर .

विषय :–श्री आर.के.एस. जोधा तत्कालीन संभाग प्रबन्धक, बीकानेर द्वारा 35 परिचालकों की फर्जी नियुक्ति करने के सम्बन्ध में जांच।

उपरोक्त विषयान्तर्गत श्री लाल मोहम्मद, क्षेत्रीय सचिव, बीकानेर डिवीजन परिवहन निगम मजदूर कांग्रेस (इटक) बीकानेर ब्रांच द्वारा एक शिकायत विरुद्ध श्री आर.के.एस. जोधा तत्कालीन संभाग प्रबन्धक बीकानेर के, श्रीमान महाप्रबन्धक महोदय को प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि दिनांक 19.1.82 को विपक्षी पार्टियों द्वारा भारत बन्द की घोषणा की गई थी, उक्त बन्द के समय वाहन संचालन को सुचारु रूप से रखने हेतु चालकों एवं परिचालकों को एक दिवस हेतु नियुक्ति देने के आदेश दिये गये थे। संभाग प्रबन्धक, बीकानेर ने अपने पत्र क्रमांक 144 से 152 दिनांक 18.1.82 के द्वारा 35 परिचालकों को नियुक्त किया जो कि निगम सेवा चयन मण्डल द्वारा चयनित सूची में से एक भी नहीं हैं तथा सभी पूर्व में निगम सेवा से पृथक किये हुए थे। सभी परिचालकों ने दिनांक 24.1.82 से 30.1.82 तक अपनी ड्यूटी जोइन की तथा किसी ने भी दिनांक 19.1.82 की हड़ताल के दिन कार्य नहीं किया।

(राज्यमंत्री, यातायात)

इस सम्बन्ध में जांच कार्यवाही के अन्तर्गत महाप्रबन्धक महोदय द्वारा दिये गये आदेश क्रमांक 10 दिनांक 15.1.82 तथा संभाग प्रबन्धक, बीकानेर द्वारा जारी किये नियुक्ति आदेश क्रमांक 144 से 152 जिसके द्वारा परिचालकों की नियुक्ति की गई तथा उनकी निजी पत्रावलियों का अवलोकन बीकानेर संभाग में चयनित सूची मे मिलान किया गया तथा संभाग प्रबन्धक श्री आर.के.एस. जोधा श्री नन्द किशोर सिंह, परिचालक संस्थापन शाखा श्री करणीराम परिचालक बीकानेर आगार, श्री विनोद कुमार भटनागर, क. लि. संस्थापन शाखा, श्री सत्यनारायण शर्मा, वरिष्ठ लिपिक के बयान लिये जाकर जांच में शामिल किये।

महाप्रबन्धक महोदय के आदेश क्रमांक मु/का/च/82/10 दिनांक 15.1.82 के द्वारा एक आवश्यक सूचना जारी कर प्रतिलिपि सभी संभाग प्रबन्धक, संभाग यांत्रिक अभियन्ता को प्रेषित कर निर्देश दिये गये कि निगम द्वारा चयनित ड्राइवर व कन्डक्टर जो विभिन्न संभागों में पैनल पर है उनकी आवश्यकता दिनांक 19.1.82 को पड़ेगी अतः वह सम्बन्धित प्रबन्धक संभाग यांत्रिक अभियन्ता से नियुक्ति पत्र प्राप्त कर लेवें।

इस सम्बन्ध में श्री नन्द किशोर सिंह, परिचालक, संस्थापन शाखा तथा श्री विनोद कुमार, कनिष्ठ लिपिक 'संस्थापन शाखा द्वारा उपरोक्त आदेशों के जारी होने के सम्बन्ध में जानकारी होना नहीं बतलाया।

श्री करणी राम, परिचालक, बीकानेर संभाग के बयान लिये जाने पर बतलाया कि वह संभाग कार्यालय में आवक-जावक (R & D) का कार्य करता है। दिनांक 18.1.82 को तत्कालीन संभाग प्रबन्धक बीकानेर श्री जोधा साहब द्वारा एक चपरासी से डिस्पेच रजिस्टर मंगवाने पर उसे दे दिये एवं यह रजिस्टर श्री जोधा साहब के पास ही रहा तथा दिनांक 20.1.82 को वापस शाखा में भेजना बतलाया। डिस्पेच रजिस्टर में नियुक्ति आदेश क्रमांक 144 से 152 दिनांक 18.182 किसके द्वारा डिस्पेच किये गये उसकी जानकारी उसे नहीं है।

श्री सत्यनारायण शर्मा, कनिष्ठ लिपिक, संस्थापन शाखा, बीकानेर संभाग ने अपने बयानों में बतलाया कि दिनांक 18.1.82 को वह कार्यालय में उपस्थित था एवं उसकी उपस्थिति में आदेश क्रमांक 144 से 152 के द्वारा परिचालक के नियुक्ति आदेश कार्यालय संस्थापन शाखा से जारी नहीं किये बतलाया गये थे। बतलाया कि श्री जोधा साहब द्वारा डिस्पेच रजिस्टर मंगवाया गया था।

श्री आर.के.एस. जोधा, तत्कालीन संभाग प्रबन्धक, बीकानेर के बयान लेने पर बतलाया कि दिनांक 19.1.82 को मजदूरों द्वारा भारत बन्द का ऐलान किया गया जिसमें रोडवेज के समस्त यूनियन के द्वारा सहयोग कर चक्का जाम का ऐलान

(राज्यमंत्री, यातायात)

किया गया इसलिए यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से रखने के लिए प्रधान प्रबंधक के आदेश क्रमांक मु/का/च/82/10 दिनांक 15.1.82 की अनुपालना में जिलाधीश कार्यालय बीकानेर में बैठकर नियुक्ति आदेश क्रमांक 144-152 दिनांक 18.1.82 के द्वारा 35 परिचालकों की नियुक्ति की गई। नियुक्ति के समय लिस्ट के अनुसार लेने का विशेष ध्यान रखा गया लेकिन मांग पर तुरन्त पैनल लिस्ट के परिचालक उपलब्ध नहीं होने के कारण अन्य को नियुक्ति दी गई। परिचालकों ने उक्त आदेश के अन्तर्गत दिनांक 18.1.82 एवं 19.1.82 को नियन्त्रण कक्ष में ड्यूटी जोइनिंग रिपोर्ट दी तथा उन परिचालकों को उपस्थिति प्रमाण पत्र दिये गये। दिनांक 14.1.82 को इस सम्बन्ध में प्रधान प्रबंधक द्वारा बुलाई गई मिटींग में उपस्थित नहीं होने के सम्बन्ध में बतलाया कि मैं निगम कार्य से उदयपुर गया हुआ था।

संभाग प्रबन्धक, बीकानेर द्वारा जारी नियुक्ति आदेश क्रमांक 144-152 दिनांक 18.1.82 का अवलोकन करने पर पाया गया कि महाप्रबन्धक के आदेश क्रमांक 10 दिनांक 15.1.82 की अनुपालना में 35 परिचालकों की नियुक्ति नियमित वेतन श्रृंखला एवं निगम द्वारा देय अन्य भत्तों सहित अस्थाई तौर पर अधीनस्थ आगारों में की गई जिनका विवरण परिशिष्ट 'अ' पर दर्शाया गया है।

उक्त आदेशों के द्वारा नियुक्त परिचालकों के नाम पैनल लिस्ट बीकानेर आगार से मिलान करने पर निम्नलिखित परिचालकों के नाम पैनल लिस्ट में नहीं पाये गये :–

1. श्री श्रीचन्द पुत्र श्री पूनाराम
2. श्री कुन्दन सिंह पुत्र श्री अमर सिंह
3. श्री नवीन जैन पुत्र श्री रामगोपाल
4. श्री बनवारी लाल पुत्र श्री मनफूला
5. श्री ओंकार सिंह पुत्र श्री शिशुपाल सिंह
6. श्री चन्द्र सिंह पुत्र श्री सांवल सिंह
7. श्री गोपाल सिंह पुत्र श्री सतपाल
8. श्री राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री मोहन लाल
9. श्री लोकेश कुमार पुत्र श्री मांगीलाल
10. श्री जगदीश लाल पुत्र श्री लादूलाल
11. श्री केसरी मल पुत्र श्री हरलाल
12. श्री किशनलाल पुत्र श्री रामलाल
13. श्री हरीराम पुत्र श्री रामलाल
14. श्री रामस्वरूप पुत्र श्री नत्थूलाल
15. श्री राजेन्द्र पुत्र श्री रोड सिंह
16. श्री अनिल कुमार पुत्र श्री जगदीश प्रसाद
17. श्री राम लाल पुत्र श्री शंकरलाल
18. श्री दांताराम पुत्र श्री पुताया राम
19. श्री बगडावत राम पुत्र श्री भांगी खां

इस सम्बन्ध में संभाग प्रबन्धक, बीकानेर श्री श्री टी.ए. जैदी के पत्र क्रमांक 2569 दिनांक 28.6.82 का अवलोकन करने पर पाया गया कि उक्त सभी परिचालकों द्वारा दिनांक 1/ जनवरी, 1982 की हड़ताल के पश्चात् कार्यभार ग्रहण किया गया। आगार कार्यालयों से उक्त परिचालकों की निजी पत्रावलियों का अव-

(राज्य मंत्री, यातायात)

लोकन करने पर भी पाया गया कि परिचालकों ने दिनांक 19.1.82 हड़ताल के दिन कार्य नहीं किया। परिचालकों हेतु दिये गये प्रार्थना पत्र, नियुक्ति आदेश आदि संभाग में उपलब्ध नहीं होना बतलाया। प्रधान प्रबन्धक द्वारा संभाग प्रबन्धकों को निर्देश दिये गये थे कि हड़ताल पर दैनिक वेतन पद पर परिचालक एवं चालक की नियुक्ति करें एवं जो कर्मचारी प्रस्तावित हड़ताल के दिन कार्य करेंगे उन्हें रिक्त पद होने पर प्राथमिकता दी जायेगी। उपरोक्त सभी परिचालकों की सेवायें प्रधान प्रबन्धक के मौखिक निर्देशानुसार निगम सेवा से पृथक कर दी गई हैं।

इस सम्बन्ध में प्रेषण पंजिका (Despatch Register) का अवलोकन करने पर पाया गया कि परिचालक श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री गुरुदयाल का नाम डिस्पेच रजिस्टर के अनुक्रमांक 144 दिनांक 18.1.82 में अंकित है किन्तु आदेश क्रमांक 144 में उसका नाम अंकित नहीं है। इसी प्रकार सत्य प्रकाश पुत्र पुरुषोतम लाल का नाम डिस्पेच रजिस्टर में सम्बन्धित अनुक्रमांक पर अंकित नहीं है जबकि आदेश क्रमांक 144 में उसका नाम अंकित है। इसी प्रकार डिस्पेच रजिस्टर के अनुक्रमांक 147 दिनांक 18.1.82 में चन्द्र सिंह परिचालक का नाम है जबकि सम्बन्धित कार्यालय आदेश में उसका नाम न होकर उसके स्थान पर श्री मांगे लाल सुथार का नाम अंकित है। इस प्रकार आदेश प्रसारण में भी अनियमितता की गई प्रतीत होती है।

निष्कर्ष :

सम्पूर्ण जांच करने पर जांच में यह सही पाया गया कि तत्कालीन सम्भाग प्रबन्धक श्री आर. के. एस जोधा द्वारा महाप्रबन्धक महोदय के आदेश क्रमांक 10 दिनांक 15.1.82 की अवहेलना कर अधिकांश परिचालकों की नियुक्ति चयनित पैनल लिस्ट में से नहीं की गई (Annex.'B) परिचालकों को नियुक्ति नियमित वेतन शृंखला में की गई जबकि महा प्रबन्धक द्वारा दिनांक 14.1.82 को संभाग प्रबन्धकों की बुलाई गई मीटिंग में निर्देश दिये गये थे कि हड़ताल के दिन कार्य करते हेतु दैनिक वेतन पर नियुक्त किया जावे। सभी परिचालकों ने दिनांक 19.1.82 को हड़ताल के पश्चात कार्यभार ग्रहण किया जिसके विषय में श्री जोधा ने बतलाया कि उक्त सभी परिचालकों ने कन्ट्रोल रूम में दिनांक 19.1.82 को ड्यूटी दी तथा उनको उक्त दिनांक से उपस्थिति प्रमाण पत्र दिये गये लेकिन जांच में उपस्थिति प्रमाण पत्र की कार्यालय प्रति आदि दस्तावेज प्रस्तुत करने में असमर्थता प्रकट की। श्री जोधा का यह कथन भी सही प्रतीत नहीं होता है कि चयनित पैनल लिस्ट में अंकित परिचालक उपलब्ध नहीं होने के कारण अन्य को नियुक्ति दी गई। श्री जोधा महाप्रबन्धक महोदय द्वारा बुलाई गई मीटिंग में उपस्थित नहीं हो सके लेकिन महाप्रबन्धक के आदेश क्रमांक 10 दिनांक 15.1.82 की पालना में नियुक्ति आदेश निकाले जिसमें स्पष्ट अंकित है कि चयनित पैनल लिस्ट में से नियुक्ति करें। अतः श्री जोधा

(राज्य मंत्री, यातायात)

आदेशों की अवहेलना करने के दोषी पाये जाते हैं।

प्रतिवेदन अवलोकनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

ह०-

(4-2-83)

सहायक लेखाधिकारी (सतर्कता)

सिरोही जिले में सीलिंग भूमि का आवंटन

660. **श्री देवीसहाय गोपालिया** (सिरोही) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सिरोही जिले में सीलिंग भूमि के कितने मामले न्यायालयों में विचाराधीन हैं ? कितने मामलों में न्यायालयों द्वारा सरकार के पक्ष में कितनी भूमि अवाप्ति के फैसले हुए हैं ?

(2) फैसले हुए मामलों में जिला प्रशासन ने सीलिंग भूमि अवाप्त कर 20 सूत्री कार्यक्रम में गरीबों को आवंटन करने की क्या कार्यवाही की है ? यदि कार्यवाही नहीं की गई है तो सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कारगर कदम उठाने जा रही है ?

उत्तर

(1) बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत दो हजार एकड भूमि आवंटन का लक्ष्य वर्ष 1983-84 हेतु रखा गया था जिसके विरुद्ध 116 व्यक्तियों को 895.44 एकड़ भूमि आवंटन किया गया है। ग्रामवार सूची सलंग्न है।

(2) इस प्रकार की कोई भूमि नियत नहीं की गई।

क्र० सं०	नाम तहसील	ग्राम	व्यक्ति	रकबा(एकड़ों में)
1	2	3	4	5
1.	जैसलमेर	मूलसागर	3	54-72
		मेघवालों की ढाणी	83	364-97
		काणोद	1	14-10
		योग	88	433-79

(राजस्व मंत्री)

1	2	3	4	5
2.	पोकरण	सांकड़ा	3	56–80
		राजमथाई	11	189–50
		जैमला	2	44–00
		दीघू	1	15–60
		लूणा खुर्द	10	139–35
		लूणा कल्ला	1	16–40
		योग	28	461–65
		कुल योग	116	895–44

तहसील टोडारायसिंह के ग्रामों का विद्युतीकरण

661. **चतुर्भुज (टोडारायसिंह)** : क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि टोडारायसिंह तहसील में केवल मात्र 3 गांवों में हीं विद्युतीकरण हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 1983 में राज्य सरकार ने समस्त टोडारायसिंह क्षेत्र (तहसील) को विद्युतीकृत घोषित कर दिया था ? यदि हां, किन-किन गांवों का विद्युतीकरण किया जावेगा ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। उच्च प्रसारण लाइनों से दूर स्थित होने के कारण इस क्षेत्र में पूर्व में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना बनाना सम्भव नहीं था।

(2) जी नहीं। वर्ष 1983–84 में पं0स0 टोडारायसिंह के 50 ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु एक योजना स्वीकृत करवाई जा चुकी है। शेष 58 ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु अभी योजना स्वीकृत नहीं हैं। स्वीकृत योजना में विद्युतीकरण हेतु सम्मिलित 50 ग्रामों की सूची "अ" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(ऊर्जा मंत्री)

पंचायत समिति टोडारायसिंह के स्वीकृत ग्रामों की सूची

क्र. सं.	ग्राम का नाम	क्र. सं.	ग्राम का नाम
1.	बासेड़ा	26.	हून्डील
2.	गनेता	27.	घारेड़ा
3.	गनेती	28.	कूकड़
4.	बांबोलाव	29.	लाम्बा कलां
5.	गनोली	30.	गेदिया
6.	टीबूरू	31.	गादापत
7.	खरेड़ा	32.	कुहाड़ा खुर्द
8.	मोडियाला	33.	बास उदा
9.	मोरड़ा	34.	नयावास
10.	केरली	35.	इन्दोकिया
11.	बास सोनवा	36.	सुखनिवासपुरा
12.	गनेशगंज	37.	रामनिवासपुरा
13.	रतबाई	38.	चूली
14.	गोगलपुरा	39.	हरभगतपुरा
15.	रतवाड़ा	40.	भैरूपुरा
16.	बावड़ी	41.	माधोगंज
17.	पन्द्राहेड़ा	42.	बनेड़िया बुजुर्ग
18.	मोर	43.	कल्याणपुरा
19.	रीडलिया रामपुरा	44.	रामसिंहपुरा
20.	बन का खेड़ा	45.	जैकमाबाद
21.	अलोयारी	46.	क्यारिया
22.	हमीरपुर	47.	बारवास
23.	माण्डा	48.	लक्ष्मीपुरा
24.	बाहेड़ा	49.	छान मय वास सूर्या
25.	मोतीपुरा	50.	इसलामपुरा ।

भिनाय (अजमेर) में अधिकतम विद्युत सप्लाई

662. श्रीमती भगवती देवी(भिनाय): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे –

(1) भिनाय में गत दो माह में औसतन कितने घन्टे प्रतिदिन बिजली दी गई तथा कितने बजे से कितने बजे तक ?

(2) क्या सरकार भिनाय को घोषित नीति के अनुसार अधिक समय तक बिजली देगी ?

उत्तर

(1) भिनाय में पिछले दो माह में औसतन 9 घंटे प्रति दिन तीन फेस की बिजली दोपहर 12 बजे से सायं 6 बजे तक एवं रात्रि 10 बजे से रात्रि 1 बजे तक उपलब्ध कराई गई। इसके अतिरिक्त सायं 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक एक फेस की भी विद्युत कराई जा रही है।

(2) भिनाय क्षेत्र को घोषित नीति के अनुसार ही बिजली दी जा रही है। विद्युत उपलब्धि बढ़ने पर अधिक बिजली देना सम्भव हो सकेगा।

परिशिष्ट 7

तारांकित प्रश्न संख्या 642 की सूची

जयपुर मण्डल	सूचीबद्ध अध्यापक संख्या		
जयपुर	714		
अजमेर	3269		
अलवर	1871		
भरतपुर	2740		
धौलपुर	148	=	8742
जोधपुर मण्डल			
जोधपुर	77		
पाली	166		
नागौर	100		
जैसलमेर	534		
बाड़मेर	54		
जालौर	143		
सिरोही	273	-	134
कोटा मण्डल			
कोटा	504		
बून्दी	458		
झालावाड़	453		
टौंक	525		
सवाई-माधोपुर	446	=	2386
बीकानेर मण्डल			
बीकानेर	741		
चूरू	88		
गंगानगर	825		
झुंझुनू	1238		
सीकर	599	=	3491
उदयपुर मण्डल			
उदयपुर	1331		
बांसवाड़ा	39		
भीलवाड़ा	438		
चित्तौड़गढ़	439	=	2445
डूंगरपुर	198		18,411

परिशिष्ट 8

अतारांकित प्रश्न संख्या 808 की सूची

पाली तहसील के पटवारियों की सूची

क्र. सं. 1	नाम पटवारी 2	स्थान 3	नियुक्ति तारीख 4
1–	श्री खीमसिंह	पाली चक I	23. 6. 81
2–	श्री वेणीदान	पाली चक II	24. 9. 83
3–	श्री जमनादास	मडीयां	18. 5. 82
4–	श्री गोरधनलाल	गिरायदड़ा	24. 9. 83
5–	श्री जालमसिंह	मण्डली खुर्द	1. 2. 79
6–	श्री नरपतसिंह	भागेसर	2. 4. 83
7–	श्री पेपसिंह	रूपावास	28. 7. 81
8–	श्री चम्पालाल	बोमादडा	17. 6. 83
9–	श्री भैराराम	लाम्बीया	17. 6. 83
10–	श्री अचलाराम	आकेली	मई, 82
11–	श्री सलीमखां	बानीयावास	4. 9. 80
12–	श्री अर्जुनसिंह	खेतावास	1. 9. 83
13–	श्री शैतानसिंह	पूनायता	15. 2. 82
14–	श्री जुगराज	गुन्दोज–I	17. 6. 83
15–	श्री रामलाल	गुन्दोज–II	17. 6. 83
16–	श्री सवाईसिंह	डेन्डा	3. 7. 82
17–	श्री भंवरसिंह	कुरणा	17. 6. 83
18–	श्री सुमेरसिंह	दयालपुरा	13. 2. 84
19–	श्री गंगासिंह	गुडलाई	17. 6. 83
20–	श्री देवोराम	बाला	26. 6. 79
21–	श्री अमरसिंह	भावरी	17.12. 83
22–	श्री भूराराम	ऋगुडाएंदला	17. 6. 83
23–	श्री हनुमानसिंह	डरी	17. 6. 38

1	2	3	4
24-	श्री विशनसिंह	मनोहारी	17. 6. 83
25-	श्री मूलदास	सुन्देलाव	13. 1. 82
26-	श्री जगदीश प्रसाद	हेमावास	5. 3. 82
27-	श्री कुन्दनदास	खोड	27. 7. 78
28-	श्री जयसिंह	चाचोड़ी	28. 7. 81
29-	श्री मांगीलाल	वालराई	17. 6. 83
30-	श्री प्रतापसिंह	किरवा	2. 4. 81
31-	श्री लक्ष्मणसिंह	मण्डल	28. 7. 81
32-	श्री शिवनाथसिंह	डिगाई	28. 7. 81
33-	श्री मंगलपुरी	निम्बाडा	11. 7. 79
34-	श्री कुकाराम	अतिरिक्त निम्बाडा	1. 9. 83
35-	श्री गुणाशंकर	सोडावास	24. 4. 81
36-	श्री चेतराम	बूसी	13.10. 81
37-	श्री देवीसिंह	खेरवा-II	2. 4. 83
38-	श्री भोपालसिंह	खेरवा-I	जनवरी,83
39-	श्री रामनारायण	टेवाली	17. 6. 83
40-	श्री सीताराम	सोनाइमाझी	4. 9. 80
41-	श्री जेठसिंह	नादान भाटान	अगस्त, 82
42-	श्री लाखनसिंह	रोहट-I	29.12. 83
43-	श्री अमरसिंह	रोहट-II	14. 9. 81
44-	श्री दलपतसिंह	लालकी	28. 3. 78
45-	श्री रतनसिंह	कलाली	17. 6. 83
46-	श्री बाबूसिंह	भीतड़ा	13 .1. 82
47-	श्री पाबूसिंह	बीठ	17. 6. 83
48-	श्री ऊनसिंह	सीणगारी	28. 4. 80
49-	श्री भंवरसिंह	खारडा	15. 2. 82
50-	श्री लाधोसिंह	भाकरीवाला	28. 7. 81

338

1	2	3	4
51–	श्री दलपतसिंह	चोटीला	13.1.82
52–	श्री नाथूसिंह	अरटीया	17.6.83
53–	श्री गोपीकिशन	निम्बली ऊरा	16.10.81
54–	श्री नैनसिंह	भाण्डाई	17.6.83
55–	श्री बाबूलाल	ढाबर	20.7.82
56–	श्री भंवरसिंह	गढवाड़ा	17.6.83
57–	श्री भीकसिंह	जैतपुर	17.6.83
58–	श्री श्रवणकुमार	खुटाणी	28 7.81
59–	श्री बाधासिंह	खाडी	1.9.83
60–	श्री बख्ताराम	भींजा	13.10.81
61–	श्री नरपतसिंह	गेलावास	4.9.80
62–	श्री नाथूसिंह	चेण्डा	17.6.83
63–	श्री गंगासिंह	घोलेरीया	28.7.81
64–	श्री उम्मेदाराम	कुलथाना	17.6.83
65–	श्री नरपतसिंह	माण्डावास	1.6.79
66–	श्री सुखदेव	ऊमकली	17.6.83
67–	श्री जबरसिंह	सेदरीया	17.12.83
68–	श्री बहादुरसिंह	डूंगरपुर	17.6 83
69–	श्री बन्शीलाल	बायद	27.7.78
70–	श्री गुलाबसिंह	राणी	2.4.83
71–	श्री जबरसिंह	गुडा एंदला–।।	अप्रेल, 83

तहसील बाली के पटवारीयान की सूची:–

1–	श्री गैतानसिंह	बाली	17.8.81
2–	श्री देवीसिंह	सेवाडी	21.11.81
3–	श्री भंमरसिंह	पादरला	मार्च, 82
4–	श्री किशोरसिंह	लुणावा	10.82
5–	श्री आसूलाल	खुडाला	2.4.83

1	2	3	4
6–	श्री नरसिंह गर्ग	फालना गांव	30.11.81
7–	श्री मगनसिंह	पांचलवाड़ा	10.82
8–	श्री किशनलाल	वोया	1.8.83
9–	श्री लालाराम	शेवली	24.11.81
10–	श्री भेरलाल	लाटाडा	25.7.81
11–	श्री रूपसिंह	शिव तलाव	28.11.81
12–	श्री अर्जुनसिंह	वारवा	27.11.81
13–	श्री इन्द्रसिंह	कोट वालियान	30.9.81
14–	श्री मोहब्वतसिंह	भिटवाड़ा	17.6.83
15–	श्री समाराम	धणी	25.8.81
16–	श्री मगनीराम	मुण्डारा	22.7.81
17–	श्री अम्बादान	वेड़ा –1	10.82
18–	श्री गोपालसिंह	वेडा–2	28.11.81
19–	श्री ढलाराम	भाटूण्ड	1.9.83
20–	श्री दौलतसिंह	सेणा	6.12.81
21–	श्री हरीसिंह	चामूण्डरी	17.6.83
22–	श्री मालसिंह	नाणा	2.8.81
23–	श्री चुनीलाल अतिरिक्त	नाणा	1.9.83
24–	श्री मूलशंकर	भमाणा	22.11.81
25–	श्री मोडसिंह	कोठार	25.8.81
26–	श्री रमजानअली	बीजापुर	6.12.81
27–	श्री रूपसिंह	कोयलवाव	10.82
28–	श्री गुमानसिंह	गोरिया	14.2.84
29–	श्री रूपासिंह	दुदणी	28.7.81
30–	श्री शैतानसिंह अतिरिक्त	”	1.9.83
31–	श्री जीवणसिंह	भन्दर	28.11.81
32–	श्री गुलाबसिंह	मालनु	2.5.81

1	2	3	4
33–	श्री शिवलाल	साडेराव–I	14.2.84
34–	श्री बशीसिंह	साडेराव–II	23.7.81
35–	श्री करणसिंह	देवतरा	10.82
36–	श्री असफरअली	खीमेल	28.11.81
37–	श्री जसापुरी	मोखमपुरा	10.82
38–	श्री जोधसिंह	बिरामी	25.11.81
39–	श्री रघुवीरसिंह	ढोला	18.5.82
40–	श्री जबरसिंह	लापोद	23.8.81
41–	श्री उगमसिंह	अनोपपुरा	17.6.83
42–	श्री मगणपतलाल	भाचुन्दा	8.3.82
43–	श्री कपूरचंद	चानोद–I	14.2.84
44–	श्री भबूतलाल	चानोद–II	28.8.81
45–	श्री पनालाल	सुमेरपुर	14.2.84
46–	श्री बिरदसिंह	बलवना	30.7.81
47–	श्री उगमसिंह	कोलीवाड़ा	12.9.80
48–	श्री देवीसिंह	पेरवा	8.3.82
49–	श्री बाधासिंह	बिमलपुर	23.7.81
50–	श्री पूखराज	सिन्दरू,	30.7.81
51–	श्री मंगलसिंह	पालडी	14.2.84
52–	श्री गिरधारीलाल	कोरटा	2.5.81
53–	श्री धर्मनारायण	बामनेर	10.82
54–	श्री मोहनलाल	नेतरा	14.2.84
55–	श्री सरदारसिंह	दुजाणा	29.11.81
56–	श्री मुस्ताखहुसैन	तख्तगढ़	25.11.81
57–	श्री जबरसिंह	बाकली	9.82
58–	श्री बाबूलाल	बलुपुरा	14.10.82

341

1	2	3	4
59–	श्री सूजाराम	नौवी	10.82
60–	श्री बाबूलाल	खिवादीं	10.82
61	श्री मोतीलाल	भारून्दा	14.10.82
62–	श्री बंशीलाल	बलाणा	10.82
63–	श्री ईश्वरसिंह	गोगरा	28.11.81
64–	श्री शैतानसिंह	बंसत	22.8.81
65–	श्री भंवरसिंह	घणा	28.7.81
66–	श्री पन्नालाल	पावा	28.7.81
67–	श्री फतेसिंह	कोसेलाव	28.10.80
68–	श्री भबूतराम	खीमाडा	14.2.84

परिशिष्ट 9

पताका क

अतारांकित प्रश्न संख्या 822 की सूची

लेखा जांच के मुख्य बिन्दु

1— भवन संबंधी किराये पर ब्याज का अनियमित भुगतान ।

2— कर्मचारियों की नियुक्ति संबंधी अनियमितताएं ।

3— सेवा पुस्तिका एवं पंजिका संधारण में नियमों की अनियमितता ।

4— कर्मचारियों की उपस्थिति में काट छाट संबंधी अनियमितता ।

5— इकरार नामें संबंधी अनियमितताएं ।

6— छात्र प्रवेश संबंधी अनियमितता ।

7— अनुदान प्रार्थना पत्र में अंकित छात्र संख्या से वास्तविक छात्र संख्या में अन्तर अनियमित है ।

8— छात्र उपस्थिति रजिस्टर में काट छाट करना अनियमित है ।

9— स्वीकृत पदों का पुनः निर्धारण ।

10— रसीद के अभाव में भुगतान अनियमित ।

11— भविष्य निधि

12— आवश्यकता से अधिक राशि बैंक से बाहर रखना अनियमित है ।

13— संस्था कर्मचारियों को नकद भुगतान करना अनियमित है ।

14— भवन किराये पर ब्याज का अनियमित भुगतान ।

15— अवकाश स्वीकृति के अभाव में वेतन का अनियमित भुगतान ।

16— विद्यालय कोष से निविदा के अभाव में अनियमित क्रय ।

17— रिकार्ड में वाउचरों का उपलब्ध न होना ।

18— विद्यालय भवन की पुताई पर छात्र कोष विकास मद से अनियमित व्यय ।

19— छात्र कोष से अंशकालीन कर्मचारियों को अनियमित भुगतान ।

20— छात्र कोष मद का दुरुपयोग एवं उचित मदों पर व्यय नहीं करने की अनियमितता ।

21— फीस रजिस्टर की राशि व रोकड़ बही में जमा राशि में अन्तर ।

22— संस्थान कोष सम्भालने संबंधी अनियमितताएं ।

23— रोकड़ उपलब्ध नहीं कराया गया आदि ।

परिशिष्ट 10

अतारांकित प्रश्न संख्या 823 की प्रति

कार्यालय आबकारी निरीक्षक वृत अजमेर (ग्रामीण)

क्रमांक/ दिनांक 23–2–83

सेवा में,

श्रीमान न्यायिक दण्डनायक महोदय.
न्यायालय सं. 4 अजमेर (राज.)

विषय :–सरकार बनाम श्री लक्ष्मीनारायण दुकान चांदियावास अभियोग सं. 23/81–82 दिनांक 15–10–81 में कार्यवाही समाप्त करने बाबत ।

महोदय जी,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि उक्त अभियोग आयुक्त महोदय के आदेश क्रमांक प. 29 (व) (1) आव/अभि/ 81/157 दिनांक 6–3–82 द्वारा ड्रोप हो चुका है। उक्त अभियोग में चालान प्रस्तुत करने की तिथि आज दिनांक 23–2–83 निश्चित है।

कृपया उक्त प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही समाप्त कराने के आदेश प्रदान करावे ।

एस. डी/–
आबकारी निरीक्षक
अजमेर (ग्रामीण)

(344)

परिशिष्ट 11

अतारांकित प्रश्न संख्या 824 की सूचियां

परिशिष्ट 1

वर्ष 1981–82 में थोक विदेशी मदिरा अनुज्ञाधारियों से प्राप्त आय

क्र. सं.	नाम दुकान	प्राप्त आय
1–	मैसर्स एम. आर. एण्ड सन्स, अजमेर	36,22,871.25
2–	अजमेर फोरेन लिकर मर्चेन्ट एसोसियेशन, अजमेर	9,43,109.30
	योग	45,65,980.55

परिशिष्ट 2

वर्ष 82–83 में थोक विदेशी मदिरा अनुज्ञाधारियों से प्राप्त आय

क्र. सं.	नाम दुकान	प्राप्त आय
1–	एम. आर. एण्ड सन्स, अजमेर	74,52,521.92
2–	जय किशन एण्ड पार्टी, अजमेर	26.69,327.85
3–	टोपनदास एण्ड पार्टी, अजमेर	18,08,888.52
	योग	1,19.30,738.29

4– राजदूत ऐजेन्सी, अजमेर/कोटा स्थानान्तरण हो जाने से यह राशि कोटा में जमा हुई। अतः दर्शायी नहीं गयी।

5– शंकरलाल एण्ड पार्टी, अजमेर/अनुज्ञाधारी द्वारा दुकान चालू नहीं करने से निरस्त की गई।

परिशिष्ट 3

वर्ष 83–84 में थोक विदेशी मदिरा अनुज्ञाधारियों से प्राप्त आय

क्र. सं.	नाम दुकान	प्राप्त आय
1–	रामेश्वरलाल एण्ड पार्टी, अजमेर	1,21,05,132.00

परिशिष्ट 4

वर्ष 81–82 में खुदरा विदेशी मदिरा अनुज्ञाधारियों से प्राप्त आय

अजमेर शहर

क्र. सं.	नाम दुकान	प्राप्त आय
1–	मैसर्स मिलन वाइन स्टोर, अजमेर	73100.00
2–	केराची वाइन स्टोर, अजमेर	78280.00
3–	न्यू वाइन स्टोर, अजमेर	33495.00
4–	नावल्टी वाइन स्टोर, अजमेर	72515.25
5–	प्रकाश वाइन स्टोर, अजमेर	64800.00
6–	गुडलक वाइन स्टोर, अजमेर	64760.00
7–	राजू वाइन स्टोर, अजमेर	62770.00
8–	अजमेर वाइन स्टोर, अजमेर	73500.00
9–	एम.आर. एण्ड सन्स, अजमेर	69767.99
10–	कमल वाइन स्टोर, अजमेर	77769.00
11–	सजूला वाइन स्टोर, अजमेर	61177.00
12–	फाम वाइन स्टोर, अजमेर	58000.00
13–	मार्डन वाइन स्टोर, अजमेर	58800.00
14–	कान्ता देवी बालूराम, अजमेर	53800.00
15–	श्रीमाल वाइन स्टोर, अजमेर 64	64977.00
16–	अमर वाइन स्टोर, अजमेर	56750.00
17–	शक्ति वाइन स्टोर, अजमेर	56300.00
18–	मेट्रो वाइन स्टोर, अजमेर	61740.03
19–	अम्बि वाइन स्टोर, अजमेर	55986.00
20–	अजमेर फोरेन लिकर मर्चेन्ट एसोसियेशन, अजमेर नं. 1	135708.00
21–	अजमेर फोरेन लिकर मर्चेन्ट एसोसियेशन, अजमेर नं. 2	83515.60
22–	गंगानगर शुगर मिल्स, अजमेर	84020.43
	योग	15,39,534.35

परिशिष्ट 5

वर्ष 81–82 में खुदरा विदेशी मदिरा अनुज्ञाधारियों से प्राप्त आय
अजमेर देहात

क. सं.	नाम दुकान	नाम वृत	प्राप्त आय
1–	अजमेर फोरेन लिकर मर्चेन्ट एसो. श्रीनगर (अजमेर)	अजमेर ग्रामीण	12361.50
2–	अजमेर फोरेन लिकर मर्चेन्ट एसो. पीसांगन (अजमेर)	,, ,,	12193.00
5–	व्यावर इंगलिश वाइन मर्चेन्ट एसो. व्यावर नं. 1	वृत व्यावर	67516.45
2–	व्यावर इंगलिश वाइन मर्चेन्ट एसो. व्यावर नं. 2	वृत व्यावर	53974.05
3–	छाबड़ा वाइन स्टोर, व्यावर	,, ,,	40036.58
4–	व्यावर वाइन स्टोर, व्यावर	,, ,,	39000.00
1–	अम्बिका वाइन स्टोर, किशनगढ़	वृत किशनगढ़	30250.00
2–	इंगलिश वाइन स्टोर, किशनगढ़	,, ,,	22500.00
3–	जे.जे. एण्ड कम्पनी, किशनगढ़	,, ,,	27100.00
4–	गंगानगर शुगर मिल्स, किशनगढ़	,, ,,	26715.28
1–	जे.जे. एण्ड कम्पनी, केकड़ी	वृत केकड़ी	25340.00
1–	मैसर्स फाम जी एण्ड सन्स, नसीराबाद	वृत नसीराबाद	32507.15
2–	सुभाष जयसिंघानी एण्ड देवीलाल, विजयनगर	,, ,,	13986.25
3–	अजमेर फोरेन लिकर मर्चेन्ट एसो. मसूदा (अजमेर)	,, ..	12148.00
		योग	4,45,628.26

परिशिष्ठ 6

वर्ष 82–83 में खुदरा विदेशी मदिरा अनुज्ञाधारियों से प्राप्त आय

क्र. सं.	नाम दुकान		प्राप्त राशि	
1–	अजमेर शहर नम्बर	1	600250.00	
2–	अजमेर शहर नम्बर	2	600211.00	
3–	अजमेर शहर नम्बर	3	600211.00	
4–	,, ,,	4	60 211.00	
5–	,, ,,	5	600211.00	
6–	,, ,,	6	600211.00	
7–	,, ,,	7	600211.00	
8–	,, ,,	8	600211.00	
9–	,, ,,	9	600211.00	
10–	,, ,,	10	600211.00	
11–	,, ,,	12	600211.00	
12–	,, ,,	16	740511.00	(श्री गंगानगर एवं गन-
13–	,, ,,	17	596501.00	हेड़ा की राशि
14–	,, ,,	21	600211.00	शामिल है)
15–	ब्यावर नम्बर	1	329501.00	
16–	,, ,,	2	329551.00	
17–	,, ,,	3	329551.00	
18–	,, ,,	4	322321.00	
19–	किशनगढ़ नम्बर	1	296200.00	
20–	,, ,,	2	296101.00	
21–	बान्दरसिंदरी		113100.00	
22–	नसीराबाद नं.	1	113100.00	
23–	,, ,,	2	113100.00	
24–	विजयनगर नम्बर	1	64000.00	
25–	,, ,,	2	64000.00	
26–	मसूदा		64000.00	
27–	बान्दनवाड़ा		64000.00	
28–	केकड़ी		113100.00	
29–	सरवाड़		113100.00	
		योग	1,12,64,268.00	

परिशिष्ट 7

वर्ष 83–84 में खुदरा विदेशी मदिरा अनुज्ञाधारियों से प्राप्त आय

क. सं.	नाम दुकान	प्राप्त राशि
1–	अजमेर शहर ग्रुप 14 दुकानें	1,12,22,222.51
2–	नसीराबाद ग्रुप (ग्रामीण) 5 दुकानें	5,11,500.00
3–	किशनगढ़ 5 दुकानें	11,98,450.00
4–	नसीराबाद शहर 12	3,14,600.00
5–	ब्यावर शहर ग्रुप 4	18,33,700.00
6–	विजयनगर ग्रुप 2	1,60,200.00
	योग	1,52,40,672.61

परिशिष्ट–8

मानचित्र आय देशी मदिरा दुकानात अजमेर जिला मय दुकानों की संख्या

जिला अजमेर

1981—82

क.सं.	दुकानों की संख्या		आय
1.	अजमेर शहर ग्रुप	31	6688101.00
2.	ब्यावर शहर ग्रुप	12	2100390.00
3.	राजियावास	1	9861.00
4.	जवाजा	1	74851.00
5.	खरवा	1	191111.11
6.	किशनगढ़ नं.1	1	186000.00
7.	किशनगढ़ नं.2	1	150000.00
8.	मदनगंज नं. 2	1	481000.00
9.	उदयपुर कलां	1	22000.00
10.	बरना	1	21000.00

349

1	2		
11.	रलावता	1	9250.00
12.	बान्दरसिन्धरी	1	181101.91
13.	रूपनगढ़	1	105171.00
14.	भामोलाव	1	26130.00
15.	भदून	1	12430.00
16.	छोटानरना	1	9020.00
17.	भोगादीत	1	14990.00
18.	भून्डोलाव	1	9500.00
19.	हुरमाड़ा	1	14100.00
20.	सुरसुरा	1	12920.00
21.	सलेमाबाद	1	12130.00
22.	करकेडी	1	27120.00
23.	श्रंसाई	1	36980.00
24.	दादिया	1	20610.00
25.	ढसूक	1	20000.00
26.	तिलोनिया	1	18120.00
27.	कुचील	1	7700.00
वृत्त नसीराबाद			
28.	नसीराबाद ग्रुप	2	868151.00
29.	जयनगर	1	333333.51
30.	मसूदा	1	231111.11
31.	भिनाय	1	71725.25
32.	बान्दनवाड़ा	1	96001.00
33.	रामसर	1	47250.00
34.	किराप	1	18080.00
35.	हनुतिया	1	13220.00
36.	भड़वासा	1	15000.00
37.	ग्यारा	1	13310.00
38.	डबरेला	1	14110.00
39.	बड़ली	1	15160.00
40.	चापानेरी	1	27540.00
41.	देवलियां	1	17380.00

1	2	3	4
42.	जोतांया	1	8140.00
43.	जांलियां	1	21350 00
44.	राताकोट	1	24500.00
45.	सतावड़िया	1	17450 00
46.	मिखरानी	1	13500.00
47.	केसरपुरा	1	27600.00
48	राजगढ़	[illegible]	28300 00
49.	सथाना	1	25300.00
50.	वाघसुनी	1	18390.00
51.	सराना	1	15450.00
52.	त्रिक्रिचियावास	1	16700.00
वृत्त केकड़ी			
53.	केकड़ी	[illegible]	388050.00
54.	सरवाड ग्रुप	4	191911.11
55.	वडगांव	1	8700 00
56.	कादेड़ा	1	25840.00
57.	नानसी	1	9721.00
58.	प्राणहेडा	1	9580.00
59.	सदारा	[illegible]	19151.00
60.	गोठियाना	1	18500.00
61.	सांपला	1	12950,00
62.	गोयला	1	24160.00
63.	झाडोल	1	13621.00
64.	केरोट	1	11911.00
65.	मेहरुकलां	1	12341.00
66.	फतेतगढ़	1	25650.00
67.	जालियां	1	19840.00
68.	चकवा	1	10480.00
69.	खिरिया	1	7010.00
70.	जुनिया ग्रुप	6	60450.00
	कुल योग	120	1,33,28,695.00

परिशिष्ट–9

मानचित्र आय देशी मदिरा दुकानात अजमेर जिला मय दुकानों की संख्या जिला अजमेर

1982—83

1 क्र. सं.	2 दुकानों की संख्या मय नाम	3	4 आय
1–	अजमेर शहर ग्रुप	18	12111111.00
2–	ब्यावर शहर ग्रुप	16	4792011.00
3–	जवाजा	1	153333.33
4–	खेरवा	1	367777.77
किशनगढ़ सर्किल			
5–	किशनगढ़ ग्रुप	7	1891777.00
6–	बान्दरसिन्दरी	1	377561.00
7–	रूपनगढ़	1	198400.00
8–	भामोलाव	1	[illegible]0000.00
9–	भदून	1	23800.00
10–	छोटानरना	1	17300.00
11–	भोगादीत	1	28700.00
12–	मुन्डोलाव	1	18300.00
13–	हरमाड़ा	1	27000.00
14–	सुरसुरा	1	24700.00
15–	सलेमावाद	1	23200.00
16–	करकेडी	1	51900.00
17–	जराई	1	70721.00
18–	दिदिया	1	39400.00
19–	ढसूक	1	38300.00
20–	तिलोनिया	1	34700.00
21–	कुचील	1	14700.00

(352)

1	2	3	4
सर्किल नसीराबाद			
22–	नसीराबाद ग्रुप	21	1576001.00
2 –	विजयनगर	1	677777.77
24–	भिनाय	1	176777.77
25–	बान्दनवाड़ा	1	235535.51
सर्किल केकड़ी			
26–	केकड़ी दारा	1	873200.00
27–	बघेरा ग्रुप	18	723701.00
28–	सावर	1	151101.00
29–	सरवाड़ ग्रुप	13	810100.00
30–	घूनधरी	1	74201.00
31–	केगोट	1	25901.00
32–	देवगांव	1	50901.00
33–	हरपुरा	1	34001.00
	योग	121	2,58,63,890.15
	गोविन्दगढ़ पीसागन एवं नसीराबाद	3	13,96,521.00
	कुल योग	124	2,72,60,411.15
	बकाया रही		34,870.84
			2,72,25,540.31

353

परिशिष्ट–10

मानचित्र आय देशी मदिरा दुकानात अजमेर जिला मय दुकानों की संख्या

जिला अजमेर

वर्ष 1983–84

1	2	3	4
क्र. सं.	दुकानों की संख्या मय नाम		आय
1–	मसूदा ग्रुप	3	585201.00
2–	अजमेर शहर ग्रुप	31	15421000.00
3–	ब्यावर शहर ग्रुप	17	5376705.00
4–	किशनगढ़ शहर ग्रुप	10	2381791.45
5–	बघेरा	1	135611.00
6–	किशनगढ़ देहात ग्रुप	15	1300000.00
7–	केकड़ी पारा	2	881000.00
8–	सरवाड ग्रुप टोंक के साथ	8	568800.00
9–	बड़गांव ग्रुप	11	316000.00
10–	जूनिया धून्धरी ग्रुप	4	128931.00
11–	नसीराबाद ग्रुप	9	2230000.00
12–	भिनाय बान्दनवाड़ा ग्रुप	5	577777.77
13–	विजयनगर ग्रुप	7	1066800.00
		योग 123	30969617.22

नोट —वर्ष 1982–83 में देशी मदिरा दुकान नसीराबाद नम्बर 2 को समाप्त करने के कारण दुकानें 124 से घटकर 123 हुई ।

परिशिष्ट 12

अतारांकित प्रश्न संख्या 828 की सूचा

बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ क्षेत्र में समाज कल्याण विभाग की ओर से आदिवासियों के लिये चलाये जा रहे छात्रावासों की सूची

क. सं.	स्थान का नाम जहां छात्रावास संचालित किया जा रहा है।	स्वीकृत छात्र संख्या
1	2	3
1.	राजकीय छात्रावास (छात्र) कुशलगढ़	60
2.	राजकीय छात्रावास (छात्रा) कुशलगढ़	25
3.	राजकीय छात्रावास (छात्र) छोटी सरवा	25
4.	राजकीय छात्रावास (छात्र) छोटा डूगरा	25
5.	राजकीय छात्रावास (छात्र) सज्जनगढ	70

355

परिशिष्ट 13

अतारांकित प्रश्न संख्या 831 की सूची

जिला पाली की पंचायत समिति रानी, देसूरी, तथा मारवाड़ जंक्शन पंचायत समितियों में जून 1980 से फरवरी, 1984 तक स्वीकृत की गई वृद्धावस्था पेंशन की सूची।

क्र. सं.	नाम	ग्राम	तहसील/पं. समिति
1	2	3	4
1.	श्रीमती गेरकी/वंगा	देसूरी	देसूरी
2.	,, गोदावरी/माधोराम	खारची	मारवाड़ जंक्शन
3.	,, शान्ति/खमिया	,,	,,
4.	श्रीभगवान नाथ/भगतनाथ	,,	,,
5.	,, घीसाराम/सादुल	हेलियावासकलां	,,
6.	,, नारायण सिह/नृसिंह	राणावास	,,
7.	,, देवाराम/भूराराम	राजोलाकलां	,,
8.	,, देवीचन्द/चन्दरू	सरथूर	देसूरी (रानी)
9.	,, नयनराम/ताराचन्द	सुमेर	देसूरी
10.	,, चुन्नीलाल/चेलाराम	काणा	,,
11.	श्रीमती चंचल/जयदत्त	रानी	रानी
12.	,, रतनलाल/चन्दनमल	सादणी	देसूरी
13.	,, वग्गाराम/पूनाराम	देवला आहुआ	मारवाड़ जं.
14.	श्रीमती वधिया भूराराम	बिधूडाकलां	,,
15.	श्री जुगराज/दीदा	कटालिया	,,
16.	श्रीमती सुखीवाई/रामलाल	दूंदला	
17.	श्री अमरसिंह/देनीसिह	बोरीमादा	,,
18.	श्री मोहराराम/टोपाराम	बिटुडाकलां	,,
19.	श्री चोला/त्रिलोक	हिंगोला खुर्द	,,
20.	श्री कुम्भा/मूला	जोगड़ा बास	,,
21.	श्री मानसिंह/विजयसिंह	खटालिया	,,
22.	श्री बककाराम/हक्काजी	बारली सादड़ी	देसूरी
23.	श्रीमती जेठीबाई/खहमा	प्रतापगढ़ ,,	,,
24,	चेलाराम/पन्नाजी	सादड़ी	,,

(356)

1	2	3	4
25.	गणेश/अपरिग	मादा	देसूरी
26.	चमनदास/सालननाथ	जोटों का कुड़ा	,,
27.	पावू/गणेश	देसूरी	,,
1.	जुम्मरूददीन/अकबर खां	खारची	मा. जंक्शन
2.	चिड़िया/गोविन्द सिंह	,,	,,
3.	परबती/अन्ना	दुन्दला	,,
4.	खिन्कारी/गौराव	,,	,,
5.	अमीचन्द/तान्दाराम	,,	,,
6.	केसरी/पन्ना	,,	,,
7.	खीमीउर्फ सोहनी/अन्नोसिंह	अपर्लीबीबड़ी	,,
8.	कुकी/रघुनाथ	मा. जंक्शन	,,
9.	बदरी/रत्ताराम	मलकाबावड़ी	,,
10.	टीपू बल्ता	खारची	,,
11.	बन्सीलाल/ग्रोताजी	खीमेल	रानी
12.	मिश्रीदेवी/किशनलाल	सादड़ी	देसूरी
13.	अमरती/माधूसिंह	करोलिया	मा. जं.
14.	धौली/भोला	सवराड़	,,
15.	केसरी/गिरधारी	उदोड़	,,
16.	तीजाई/जोराराम	हमीरवास	,,
17.	कुकाराम/लाल	,,	,,
18.	कंवरी/कल्याण	घारेश्वर	,,
19.	जसकी/दौला	घनला	,,
20.	रामसिंह/उराजी	कटालिया	,,
21.	कस्तूरी/गणेश	जीवन्त	देसूरी
22.	दल्ला/भल्ला व जतना	बांता	मा. ज.
23.	कोयली/राधाकिशन	आहुआ	,,
24.	सुन्दरी/चन्द्रावर	,,	,,
25,	जानकी/शैतान	,,	,,
26.	पन्नी/नैनिया	,,	,,
27.	कीकीबाई/सादुल	हैमलियाबास	,,
28.	राजसी/श्रीमल	आहुआ	,,
29.	डबरू/मंगना व कुक्कु	बांता	,,

1	2	3	4
30.	चतरा/राणा	जोभावर	मा. जं.
31.	वन्नेसिंह/भोजा व कश्नीवाई	गुडाखींचा	मा. जं.
32.	खिरेवर/सवाई सिंह	गुडा अवका	,,
33.	मोहिनी/चेली/विरमदास	मलसावावड़ी	,,
34.	केसर/राजेन्द्रसिंह	,,	,
35.	रतनकंवर/पागुदान	राणाबांस	,,
36.	गुलावी/चिमनसिंह	राड़भालटा	,,
37.	दाखुबाई/मोहनसिंह	राणाबास	,,
38.	दारी/तुलसाराम	खारची	,,
39.	गुल्ला/पन्ना	,,	,,
40.	चुन्ना, डामा व हन्जा	राणांबास	,,
41.	दाखु/पन्ना	राणाबास8	मा. जंक्शन
42.	सोयरी मोडसिंह	करमाल	,,
43.	सोनी बोर्धन	राणावास	.
44.	सोनकी/पन्नालाल	करमाल	
45.	कल्लूसिंह/चिमनसिंह	करमाल	,
46.	गेगी/चेना	मा. ज.	,,
47.	भंवरी/लक्ष्मणसिंह	राणाबास	,,
48.	किशन/हीरा व बरदू	मा. ज.	,,
49,	हरजी/खंगारजी व कुपी	,,	,,
50.	मोहन/देवीलाल व सुन्दरी	,,	,,
51.	दोला/रामा	भीमालिया	,,
52.	माडिया, उदाराम व ककुडी	जोजावर	:
53.	रामा, नैना व दायली	गुडा सूरसिंह	,,
54.	चुन्नी, रूपा	आहुआ	,,
55.	कल्लू धनेश	बान्ता	.
56.	पानकी/नैना	सिंधाना	,,
57.	चुन्नी/श्रीमल	भिमालिया	,,
58.	गेरी, सबिया	आहुआ	,,
59.	गुलाबसिंह/गेनेसिंह	सहारन	,,
60.	रूपा/हिमता व हमलाल	बान्ता	,,

358

1	2	3	4
61.	वरजू/मोहनलाल	कारवाडा	मा. जंक.
62.	पुखराज/दीपचन्द	रानी	रानी
63.	जीवनलाल/अचलाजी	सुथारों का गुडा	देसूरी
64	खातून/अहमद	देसूरी	,,
65.	खेताराम/नवलाव चन्दा	,,	,,
66.	वलकी/धीसिया	नारलियी	,,
67.	वेना/नवला	सिनला	मा. ज.
68.	नाथिया/आइदान	जानइ	,,
69.	महराम/बिजल व नौजी	,,	,,
70.	सीमा/चिमनीराम	वड़ी	,,
71.	घूली/हरजी	आहुआ	,,
72.	मूला/सवा	कारोलिया	,,
73.	रोडी/नारायण	वड़ी	,,
74.	लचकी/पुखजी	कारोलिया	,,
75.	सुन्दर/लूम्बाराम	खिचियाबास	,,
76.	देवी/गणेश	खारडी	,,
77.	गुलाबी/भाण्डाराम	सवराड़	,,
78.	चतराराम/देवाराम	विथुडाकलां	,,
79.	अचलनाथ/किशनलाल	वड़ी	,,
80.	गोगी/भुकना जी	मांडा	,,
81.	पनकी/कान्ता	जवालो	देसूरी
82.	हुलासी/धनराज	कोलर	,,
83.	कालूसिंह/इन्द्राजी व सीतादेवी	कोटडी	,,
84.	सदना/भगुता	घेन्डी	,,
85	वसन्तीमल/दल्लाजी	वारली साडडो	,,
86.	सन्तोष बाई/मानकचन्द	सादड़ी	देसूरी
87.	भीखाराम/गेलाराम	,,	,,
88.	भूरीबाई/चीवा	मेनों का छुंपा	,,
89.	बन्सीलाल/नन्दराम व मिक्की	सादड़ी	,,
90.	जरावी बाई/मांगीलाल	,,	,,
91.	तुलसीबाई/नावांजी	,,	,,

359

1	2		4
92.	जस्सी/भाना	सादड़ी	देसूरी
93.	जोनकी/लालाजी	प्रतापगढ़ सादड़ी	"
94.	कस्तूरा राम/तुलसी	"	"
95.	देवाराम/गणेश	"	"
96.	जमीनी/नैना	बिथूडाकला	मा. जं.
97.	भानाराम/चन्दोजी	गुडा रामसिंह	"
98.	जमना/जैठा	रैणावास	"
99.	अनची/हरता	काराडी	"
100.	जेठी/सोना	झझावर	"
101.	शान्ति/नरसी	"	"
102.	सायरी/हीरा	ठाकुरवास	"
103.	अगलिया/मगना व गठुडी	मादाना	"
104.	गुलाब/घीसा व ग्यारसी	बिथूडाकलां	"
105.	केरा/नैना व सुगली	काराडी	"
106.	चैना/चतुर्भुज व पतासी	मा. जं.	"
107.	मांगीलाल/कस्सा	मांडपुर	देसूरी
108.	राजी बाई/सरूप	प्रतापगढ़ सादड़ी	"
109,	केसी/जमनालाल	नारलाई	"
110.	कस्तू/थाना	सोनाना	"
111.	सुखिया देवी/पुखराज	बागोल	"
112.	छोगाराम/नवाजी	सादड़ी	"
113.	भैरा राम केलाजी	"	"
114.	किश्नीबाई/खीमा	"	"
115.	पोशाराम/चेलाजी	देसूरी	"
116.	कस्तूरी/लुम्बा	डायलाना खुर्द	"
117.	हकमाराम/बागा जी	प्रतापगढ़ देसूरी	"
118.	नगाराम/उदाराम	आना	"
119.	लीला/गंगाराम	सादड़ी	"
120.	भीखाराम/केसा जी	नारलाई	"
121.	भवर सिंह/शिवसिंह	सोनाना	"
122.	बानाराम/बेजागी	देसूरी	"

1	2	3	4
123.	भेराराम/तेजाजी	देसूरी	देसूरी
124.	प्रतापराम/पुखराज	,,	,,
125.	सुखिया/ओटाराम	गुडा देवतान	,,
126.	लालाराम/नेमाराम	नी. माण्डीगढ़	,,
127.	विश्वनाथ/मिश्रीलाल	नाडोल	,,
128.	ऊमा/तेजाजी	गुडा आतेराज	,,
129.	अयोध्यादेवी/भूरालाल	पोलर	,,
130.	डलिया/हिन्दाराम	,,	,,
131.	बगदी/चेनाजी	सादड़ी	,,
132.	चम्पाबाई/टेकाजी	राजपुरा	,,
133.	सुखलाल/मूला	पोलर	,,
134.	गणेश/भेरा	राजपुरा	,,
135.	गनीमोहम्मद/अन्नू खां	देसूरी	,,
136.	जीवराव/खीमाराम	निपल	,,
137.	मना/धन्ना जी	पुनारिया	,,
138.	रामप्रताप/आशूसिह	गेंदडी	,,
139.	वनकी/देनाराम	बजदार	,,
140.	अन्ना/दूला	जवाली	,,
141.	मसरी/कानाराम	वुलागुडा	,,
142.	नूर हुसैन/मोह. हुसैन	रानी	,,
143.	लुम्बा/वजा	जवाली	,,
144.	रघुनाथ/चतुर्भुज	इन्द्रवाडा	,,
145.	फुक्काराम/चेनाजी	इण्टठउमेडतियान	,,
146.	सोया/उदा	गजनीपुरा	,,
147.	केवलदास/गुलाबदउस	रानीगांव	,,
148.	शंकर सिह/वक्षुसिह	सिवास	,,
149.	नारायणी/मोहनदास	रानी स्टेशन	,,
150.	पानकी/खरता	गुडा भीमसिह	,,
151.	पकिया/कुपा	नियल	,,
152.	सरदारमल/खीमराज	रानी	,,
153.	जेठाराम/कोका जी	,,	,,

1	2	3	4
154.	लच्छी/गेना	भिमालिया	देसूरी
155.	डगलराम/जमना जी	धनला	,,
156.	चेनकी/हेमा	वाली	,,
157.	हजारी राम/नवल	चौकडियां	,,
158.	राधा/हीरा रामा	खारची	,,
159.	गजरों/जस्सा	चेलावास	,,
160.	पतासी/गुलावदास	गुडा दुर्जन	,,
161.	सुखी/रूपाराम	धनला	,,
162.	काना/नेका व जसकी	गुडा सूर सिंह	,,
163.	बेरा/जमना	विठोडा कलां	,,
164.	भीमा शंकर/हंसा	चेलावास	,,
165.	वचकी/पूनमा	विथोडाकला	,,
166.	सन्तोष कंवर/इसरदान	टोकडा	देसूरी,
167.	सभूबाई/जेठमल	सादड़ी	,,
168.	मोती वाई/स्वरूप	,,	,,
169.	कालू/हीरा	,,	,,
170.	सिकन्दर/शाह सरजोर अली	देसूरी	,,
171.	गोंगाजी/वनजी	,,	,,
172.	हेचकी/माहींग	घाणेराव	,,
173.	भूरी/जीवा	,,	,,
174.	अमली/भानाराम	व्योपारी	मं जंक्शन
175.	ककुडी/लखाजी	चेलावास	मा. जं.
176.	दूदा/हीरा	निचली निम्बाई	,,
177.	शकुना/ढूला व मुनकी	भुजावर	,,
178.	धोला/रामा व होदा	,,	,,
179.	लंहर कवंर/सवाई सिंह	खारिया सोडा	,,
180.	केसरी/खरता	सवराड़ा	,,
181.	भूरी/मूलाराम	पाचौलिया	,,
182.	आयचुकी/लछमन	देवलियाआहूआ	,,
183.	लम्मा/वरदा व धिनी	जुजावस	,,
184.	शान्ति रामा	राजोला खुर्द	,,

1	2	3	4
185.	केसरी वाई/केसू	मेलावास	मा. जं.
186.	सरजू देवी हरिराम	राणावसा	,,
187.	चुनकी जस्सा	मा. जंक्शन	,,
188.	पजत्तू/भीखा	मनसात्रावड़ी	,,
189.	मगतू/मिगतिया	दादिया	.
190.	नैन कसंर/सोहनसिंह	बार्ला	,,
191.	भूरी/मोती	गादान	,,
192.	ताराराम/भगवान	देसूरी	देसूरी
193.	मन्नाराम/कला	नारलाई	,,
194.	धापू/ हिम्मतपुरी	दादाई	,,
195.	केसराराम/चेलाराम	माण्डीगढ़	,,
196.	मोहननाथ/चम्पानाथ	पनला	मा. जं.
197.	मिश्रीमल/चुन्नीलाल	सादड़ी	देसूरी
198.	मानकंवर/कुंवरदास	टोकराडा	,,
199.	मंगला/शंकरदास	रानी स्टे.	देसूरी
200.	तीजो/खुम्माजी	आहुआ	मा. जंक.
201.	हुसन खां/जम्मेखां	रानी	रानी
202.	भूरी काई/गणेश लुहार	जवाली	रानी
203.	मनरूप/भूताजी	भगवानपुरा	,,
204.	केवलदास/गुलाबदास	छोटीरानी	,,
205.	मूली/भीखाराम	आकडावास	,,
206.	पोखरी/पन्ना	भकवानपुरा	,,
207.	हीरा/लादा व बदुडी	इटनडा चालाण	,,
208.	भैरूनाथ चेला/भूरनाथ व शम्भबाई	रानी स्टेशन	,,
209.	देवा/पुरा	भगवान पुरा	,,
210.	गुलाब कंवर/हनवंत सिंह	भादरलाऊ	,,
211.	आछी इसमाइल	रानी	,
212.	हुरमत कादर बक्श	मार. जं.	मा. जंक.
213.	भोमा नवला व हिरकी	चबाडिया	,,
214.	मोहनलाल भीखाराम व पतासी	सवराड़	,,
215.	जमनी खेटा	साराण	,,

1	2	3	4
216.	पीपा गमना व पाछी	नयागांव	मा. जंक्शन
217.	भेरा भारती/मंगया व हरजा देवी	कराडी	,,
218.	सुन्दर/मोहन	मा. जंक्शन	मा. जंक्शन
219.	प्रेमगिरी/हरीराम	,,	,,
220.	अनची/मंतामेभा	नयागांव	,,
221.	भूरी/गोमाराम	शरेणसवास	,,
222.	केलीवाई/दउयुनाथ	व्योपारी	,,
223.	गुलको/पोखरराम	सेहवाज	,,
224.	सुन्दर/मिश्रु खां	,,	,,
225.	अनची/सादुलराम	,,	,,
226.	विमला/मोहनलाल	,,	,,
227.	वनजू/मंगदास	व्योपारी	,,
228.	बावूडी/गुनाराम	सहवाज	,,
229.	तुलसी/जमाल खां	,,	,,
230.	विरदसिंह/खगनाथ	सवराड	,,
231.	भूरी/दुर्गाराम	,,	,,
232.	रानीबाई/मंगलाराम	कराडी	,,
233.	सजी/तेजा दरोगा	,,	,,
234.	दुर्गादास/हनुमानदास	,,	,,
235.	मीरा/दुर्गा सिंह	शमा का वारिया	,,
236.	ज्ञानदा/लुम्बाराम	कंटालिया	,,
237.	रूपी/लालसिंह	वाडियाअनुर्जन नगर	,,
238.	मीरा/डाबर	बड़ी	,,
239.	हन्ना/टूटा	सारण	,,
240.	रामा/बेरा	,,	,,
241.	अनची/खहमा	,,	,,
242.	तेजा/लेरा	,,	,,
243.	कानाराम/मंगना जी	भिमालिया	,,
244.	लक्ष्मीदेवी/मोतीलाल	सवराड	,,
245.	अमरी/दाऊसिंह	कंटालिया	,,
246.	तुलसाराम/चेनाराम व घीसी	बारसा	,,

1	2	3	4
247.	जुगिया बाई/श्रीराम	पिगोलाखुर्द	मा. जंक्शन
248.	हीरालाल/भगवतीलाल	मा. जं.	,,
249.	लच्छा/दुला	नीमलीआडा	,,
250.	रानूराम/मिनाराम व सकमा	विठोराकलां	,,
251.	वेरा/भीरमराम व कन्कू	फुलाद	,,
252.	नसती/मूला	बातां	,,
253.	किशनसिंह/नाथूसिंह व कुक्कू	मलसा बावडी	,,
254.	चुन्नीलाल/नैना व जडावली	जेतपुरा	,,
255.	मीरा बाई/गुलाब	मा. जं.	,,
256.	भूरी/युवराज	देवली	,,
257.	कृपाराम/केनाराम	,,	,,
258.	लालसिंह/नगासिंह	गुडाभोपत	,,
259.	कैसी/मोतीराम	इसाली	,,
260.	मिश्रीलाल रघुनाथ	धनला	मा. जंक्शन
261.	नौंजी लालसिंह	कारनाडा	,,
262.	कानीबाई शिवजी	हिंगोला खुर्द	,,
263.	वर्जाया मूला व गोरखी	मेलाप	,,
264.	रम्भा देवा	बिठुडाखुर्द	,,
264.	हरजी गुलाब	कंटालिया	,,
266.	पीकाराम मांडूग	देवली	,,
267.	पीपू पूसाराम	वासनी व जोजावर	,,
268.	भाकरिया शिवदान	चेलाबास	,,
269.	भूरीबाई घीरा	वासनी जोजावर	,,
270.	भीमाराम नवला	नीमलीमाण्डा	,,
271.	चमनसिंह चैनसिंह	बमाण	,,
272.	प्रेमदास/गबर	सत्रराड	,,
273.	हुजकी/मूरा	दूदोड	,,
274.	इन्दरकंवर/रूपसिंह	माण्डा	,,
275.	लालला/रीरा	बियुडाकलां	,,
276.	चम्पा/जेठा	चबाडिया	,,
277.	उमेदी/भीमा	नीमडी माण्डा	,,

1	2	3	4
278,	भूरी/लादूराम	वमाण	मा. जंक्शन
279.	दाखू/बना	मा. जं.	,,
280.	नेकी/मोहम्मद सफी	,,	,,
281.	पीथा राम/देवारा व झुम्मी	मुडा मोपत	,,
282.	चुन्नी/भंगनाथ	खारची	,,
283.	पानी/घासूलाल	गुडा अर्जुन	,,
284.	बरदा/भारमल	बिथूडा खुर्द	,,
285.	अब्दुल रहमान/लाल मोहम्मद	मा. जं.	,,
286.	रामा/बगदा व अनछी	गुडा अर्जुन	,,
287.	मोड़कंवर/बगतावर सिंह	सत्राड	,,
288.	गेराराम/प्रताप	इसाली	,,
289.	रूपवती/चुन्नीलाल	जानुन्दा	,,
290.	जमना/धोला	खातडी	,,
291.	तुलसीराम/वुद्धराम	चिरपाटिया	,,
292.	शान्तिदेवी/छगनलाल	घामला	,,
293.	लाजवन्ती/भगवान	मा. जं.	,,
294.	रहमत/जुमाददीन	,,	,,
265.	फुली/गामपुरी	नमली	,,
296.	गणेश/कुना	भोजवास	,,
297.	बकताराम/लखाराम व अमरती	ब्योपारी	,,
298.	शंकरलाल/मूलाराम	जीजोवा	देसूरी
299.	मंगली/दरजाराम	जीजोवा	,,
300.	गजरादेवी/पूसाराम	भादरलाऊ	,,
301.	मेमूना/वली मोहम्मद	रानी स्टेशन	,,

366

परिशिष्ट 14

अतारांकित प्रश्न संख्या 833 की सूची परिशिष्ठ—अ

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण—उदयपुर
वर्ष 1982-83

क्रम सं.	नाम कार्य जिस हेतु राशि दी गई	पं. समिति क्षेत्र	राशि जो दी गयी
..	2.	3.	4.
1.	पीपल्दा तालाब	खैरवाड़ा	99300.00
2.	हमेर तालाब	धरियावाद	67700.00
3.	भाडोली तालाब	" "	66000.00
4.	रतन तालाब	सलूम्बर	95500.00
5.	बांदरवाड़ा तालाब	" "	81000.00
6.	वाडी तालाब	गिर्वा	86000.00
7.	पान्द्रा तालाब	"	96000.00
8.	रामसागर तालाब	सराड़ा	96500.00
9.	थाला एनीकट	कोटड़ा	82500.00
10.	कुम्भश्वर महादेव तालाब	"	87000.00
11.	माडवा एनीकट	धरियावद	98500.00
12.	उपलाकल्ला एनीकट	गिर्वा	10000.00
13:	काला खतरा एनीकट	कोटड़ा	49700.00
14.	पाडली एनीकट	"	47750.00
15.	दूदवा का नाला एनीकट	"	48225.00
16.	रायपुर तालाब	धरियावद	26250.00
17.	मानपुर तालाब	धरियावद	15500.00
18.	कुम्हारिया तालाब	सलूम्बर	31000.00
19.	मोडपुरा तालाब	"	18250.00
20.	खेडावल तालाब	"	32750.00
21.	कोटा तालाब	"	24000.00
22.	आमलाया एनीकट	भाड़ोल	47500.00
23.	सोम एनीकट	"	43000.00
24.	बागपुरा तालाब	"	31000.00

1	2	3	4
25.	जलोत्थान सिंचाई जोजना कागवास	कोटड़ा	48080.00
26.	,, ,, खचूरिया	,,	39075.00
27.	,, ,, नयावास	,,	48580.00
28.	,, ,, सांडमारिया	,,	48350.00
29.	आदिवासी कृषक महिलाओं को सेरीकल्चर प्रशिक्षण हेतु मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर को		15600.00
30.	सर्जिकल कैम्प धरियावद हेतु		12000.00
31.	सर्जिकल कैम्प ओगना हेतु		12000.00
32.	आयुर्वेदिक शिविर	भवराना (सलूम्बर)	25000.00
33.	,, ,,	भांडवा (कोटड़ा)	13000.00
34.	,, ,,	लसाडिया (धरियावद)	13000.00
35.	,, ,,	वागपुरा (झाड़ोल)	13000.00
36.	,, ,,	डोडावली (गिर्वा)	13000.00
37.	,, ,,	सेरीकल्चर योजना के अन्तर्गत विद्यापीठ, उदयपुर हेतु स्वीकृत	200000.00
			कुल योग:-1891610.00

वर्ष 1983-84

1.	जनजाति युवकों को आचार/मुरब्बा बनाने हेतु प्रशिक्षण शिविर बाबत्	5000.00
2.	जलोत्थान सिंचाई योजना गरड झाड़ोल	25000.00
3.	नारू रोग की रोकथाम हेतु टेबलेट वितरण हेतु	33120.00
4.	झाड़ोल पंचायत समिति रतनजोत की खेती हेतु राजस संघ को पुनर्भरण	84156.00

(368)

1	2	3	4
5.	रतनजोत की खेती हेतु बीजों के निःशुल्क वितरण के लिये रा. ज. स. निगम को पुनर्भरण		6216.80
6.	सोमकागदर परियोजना में कच्चे घोरों को निर्माण हेतु		12900.00
7.	सोमकागदर परियोजना में नालियों के निर्माण हेतु		26400.00
8.	जलोत्थान सिंचाई योजना डिगावडी (पं. स. कोटड़ा)		51250.00
9.	जलोत्थाक सिंचाई योजना कंथारिया (पं. स झाड़ोल)		76750.00
10.	व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं हेतु पी. डी. खाते मे हस्तान्तरित		431000.00
			कुल योग 751792.80

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बांसवाड़ा

वर्ष 1982–83

1	2	3	4
1.	पाइलेट प्रोजेक्ट प्रशिक्षण घन्टाली हेतु		17750.00
2.	पम्पसैट प्रशिक्षण हेतु आई. टी. आई. बांसवाड़ा हेतु		100000.00
3.	राजकीय महाविद्यालय छात्रावास बांसवाड़ा में पानी बिजली व पंखे की व्यवस्था हेतु		25000.00
4.	भील समुदाय को पशुपालन प्रशिक्षण हेतु सोशल रिसर्च सेन्टर घन्टाली		10000.00

1	2	3	4
5.	वस्सी एनीकट	कुशलगढ़	45000.00
6.	कटन्बी	पीपलखूंट	45000.00
		कुल योग	242750.00

वर्ष 1983–84

1.	व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं हेतु पी. डी. खाते में हस्तान्तरण	450000.00

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, डूंगरपुर
वर्ष 1983–84

1	2	3	4
1.	दूरबीन नसबन्दी शिविरों हेतु		3400.00

वर्ष 1983–84

1.	व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं हेतु पी. डी. खाते में हस्तान्तरित	3,70,000.00

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण. चित्तौड़गढ़ वर्ष 1982–83

1	2	3	4
1.	आंकडियों की पाल एनीकट	प्रतापगढ़	82000.00
2.	परिवार कल्याण हेतु स्वयं सेवी संस्था प्रयास, वास्ते	"	12000.00
3.	भागीवारडीनाला	"	57200.00
4.	कुन्नीखान एमीकट	"	84532.00
5.	विरयावली एनीकट	"	55520.00
6.	हतुनिया खाल एनीकट	"	62175.09
7.	नेत्र एवं शल्य चिकित्सा शिविर ग्राम रठांजना	"	9570.00

1	2	3	4
8.	नेत्र एवं शल्य चिकित्सा शिविर देवगढ़	प्रतापगढ़	9570.00
9.	,, सुहागपुरा	,,	9570.00
10.	,, अमावता	,,	9570.00
11.	,, मोखमपुरा	,,	9470.00
			401177.00

वर्ष 1983–84

1.	पशुपालन प्रशिक्षण हेतु स्वंयसेवी संस्था प्रयास (देवगढ़) को	प्रतापगढ़	2800.00
2.	बन्जाग्राम्बारूमल एनीकट	प्रतापगढ़	55125.00
3.	पन्डावा एनीकट	प्रतापगढ़	57650.00
4.	पटोलिया एनीकट	,,	65760.00
5.	व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं हेतु पी. डी. खाते में हस्तान्तरित		144000.00
			325335.00

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण सिरोही
वर्ष 1983–84

1.	सिमावा एनीकट	आबूरोड	54000.00
2.	पोलापोण्ड एनीकट	,,	48000.00
3.	व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं हेतु पी. डी. खाते में हस्तान्तरित		117000.00
			2,19,000.00

371

परिशिष्ट 15

अतारांकित प्रश्न संख्या 834 की सूची

वर्ष 1982 – 83 में क्रियान्वित योजनाओं पर व्यय राशि एवं लाभान्वित सदस्यों की संख्या का विवरण :—

योजना का नाम	व्यय राशि (लाखों में)	लाभान्वित सदस्यों की संख्या
1. खाद, बीज, कीटनाशक औषधियां		
खाद	110.87	
उन्नत बीज	5.81	
कीटनाशक दवाइयां	2.22	
2. उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण		
नियंत्रित	199.27	
अनियंत्रित	55.08	
3. लघुवन उपज संग्रह	34.99	10,116
4. कृषि उपज विपणन	3.56	
5. सामाजिक कार्यों के लिये उपभोक्ता ऋण	11.93	4,248
6. मत्स्य विपणन		
अ. जयसमन्द झील		
समितियों की संख्या		6
सदस्यों की संख्या		600
नावों की संख्या		225
कुल उत्पादन		232 टन
औसत प्रति सदस्य प्रति दिन		8.50 रुपये
ब. माही बांध एवं कडाना बांध		
समितियों की संख्या		8
सदस्य संख्या		738
नावों की संख्या		130
कुल उत्पादन		86 टन
औसत प्रति सदस्य प्रतिदिन		5.50 रुपये
7. बीड़ी निर्माण कार्यक्रम		185

परिशिष्ट 16

अतारांकित प्रश्न संख्या 836 का विवरण

Statement showing the number of Applicants and amount Deposited by them in the area regident engineer, Div. AJmer applications category wise and amount

S. No.	Year	EWS No.	Amount	LIG No.	Amouut	MIG(A) No.	Amount	MIG(B) No.	Amount	HIG No.	Amount	Total No.	Total Amount
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	1971–72	25	2500	180	360000	186	744000	—	—	—	—	391	1 06500
2.	1972–73	6	600	38	76000	39	156000	—	—	—	—	83	232600
3.	1973–74	666	229200	110	275000	36	180000	—	—	—	—	806	684200
4.	1974–75	79	27100	31	77500	27	135000	—	—	—	—	137	239600
5.	1975–76	–	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6.	1976–77	117	36900	40	100000	20	100000	—	—	1	10000	178	246900
7.	1977–78	433	138500	99	277500	71	355000	—	—	1	10000	605	781000
8.	1978–79												
	Ajmer–A	406	119400	180	144000	112	336000	—	—	3	21000	701	620400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Beawar	87	26300	37	66600	10	30000	—	—	1	7000	135	129900
	Kishan-garh	175	21500	5	9000		—	—	—	—	—	180	30500
9.	1979–80												
	Ajmer	416	208000	451	811800	362	1086000	208	956800	12	84000	1449	3146600
	Beawar-	19	9500	20	36000	19	57000	14	64400	—	—	72	166900
	Kishan garh	10	50	2	3600	4	12000	1	4600	—	—	8	20700
10.	1981–82												
	Ajmer	1101	550500	946	1702800	1056	3168000	853	3923800	349	349000	4305	9694100
	Beawar	170	85000	204	367200	156	468000	143	657800	59	59000	732	1637000
	Kishan-garh	39	19500	34	81200	31	93000	16	73600	5	50000	125	297300
11.	1982–83	262	123750	304	512300	342	971620	381	1748920	79	79000	1368	4136590
											Total	11274	23170790

परिशिष्ट 17

अतारांकित प्रश्न संख्या 841 की सूची

वर्ष 1982-83	लक्ष्य	प्राप्ति
भू-खण्ड आवंटन	1000	1327
गृह निर्माण अनुदान योजना	160	160
वर्ष 1983-84		
भू-खण्ड आवंटन	1000	1046
गृह निर्माण अनुदान योजना	300	280
गृह निर्माण एल. आई. सी./ जी. आई. सी. ऋण योजना	60	47
गृह निर्माण व्यावसायिक बैंक ऋण योजना (अनु. जाति/जनजाति)	100	4

परिशिष्ट 18
अतारांकित प्रश्न संख्या 842 की सूची

उप जिलाधीश की जांच रिपोर्ट

विषय— वि. अ. विरुद्ध श्री नाथू लाल सरपंच ग्राम पंचायत लालाना प.स. सांगानेर

उपरोक्त विषय में अवर सचिव (जांच) सामुदायिक विकास एवं पंचायत विभाग राज. जयपुर के आदेश संख्या एफ 3 (ऐजे) (45) जयपुर/79/2107 दिनांक 3.2.80 के द्वारा जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था। श्री नाथू लाल सरपंच पर निम्नांकित आरोप लगाये गये थे :-

1. श्री नाथू लाल सरपंच ने ग्राम श्रीरामपुरा, जो कि उनका निवास स्थान है, में ही काम के बदले अनाज योजनान्तर्गत अधिकतर कार्य करवाये जबकि पंचायत द्वारा पारित प्रस्तावों के अनुसार व आवश्यकता होते हुये भी क्षेत्र के अन्य ग्रामों में कार्य नहीं करवाये। इस प्रकार अनियमित कार्य करते हुये पद का दुरुपयोग कर कर्तव्य पालन में उपेक्षा की।

2. काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत जिन छात्रों की उपस्थिति बताई गई है उनकी स्कूल में भी उपस्थिति है। इससे स्पष्ट है कि श्री नाथू लाल सरपंच ने फर्जी भुगतान किया है।

3. पंचायत के प्रस्तावानुसार पंचायत भवन का निर्माण कार्य नहीं करवाया गया। इस प्रकार पंचायत के प्रस्ताव की अवहेलना करते हुये कर्तव्य पालन में उपेक्षा की।

4. श्री नाथू लाल सरपंच ने पंचायत कोष की राशि का उपयोग अपने निजी कार्यों में किया व पंचायत द्वारा पारित प्रस्तावों के आधार पर अग्रिम लेकर उस कार्य में उपयोग न करना।

5. पंचायत की बैठक निश्चित समय पर न कर श्री नाथू लाल सरपंच द्वारा समय में रद्दोबदल कर मनमाने तौर पर किया जाकर अनियमित कार्य किया।

6. काम के बदले अनाज योजना में मस्टरोल श्री नाथू लाल सरपंच द्वारा तैयार किये गये जिसमें फर्जी नाम हैं और अनाज का भुगतान भी नहीं हुआ है इस प्रकार अकृत्य कार्य कर पद का दुरुपयोग कर कर्तव्य पालन में अपेक्षा की है।

जांच के दौरान अभियोजक पक्ष एवं शिकायतकर्ता की ओर से सर्व श्री गोपी पुत्र भूथा मीना, रामजीवन पुत्र भूथा मीना, रामशरण शर्मा पुत्र हरिशंकर शर्मा, भैरू पुत्र भूरा, कल्याण सहाय पुत्र चौथूराम, बंशीधर पुत्र सुवालाल, श्री राधेश्याम पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा, श्री राम नारायण पुत्र गणेश नारायण, श्री दुर्गासिंह पुत्र श्री गिरधारी सिंह, श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री मूल सिंह, श्री राकेश जैन पुत्र मूल चन्द जैन के बयान कलमबन्द किये गये। इसके पश्चात् सरपंच श्री

(376)

नाथू लाल शर्मा को बचाव पक्ष का अवसर दिया गया जिन्होंने भौरी लाल पुत्र सूजी लाल, नन्दराम पुत्र कामड, नन्दराम पुत्र महादेव, बिरदाराम पुत्र कालूराम के बयान कराये। इसके पश्चात् श्री शंकरलाल पुत्र कृष्णराम बयान में क्रास सरपंच ने पूरे नहीं करने दिये तथा दिनांक 6.3.81 7.3.81, 10.3.81, 16.3.81, 24.3.81 को सरपंच को बचाव का मौका दिया परन्तु इन तारीखों पर न तो बयान कराये न ही स्वयं ने दिये तथा चार्जशीट का जवाब भी नहीं दिया। ऐसी स्थिति में साक्षी समाप्त कर प्रस्तुत बयान एवं रिकार्ड के आधार पर जांच की जाकर रिपोर्ट बिन्दुवार निम्न प्रकार से प्रेषित है :—

(1) आरोप नं. एक के सन्दर्भ में ग्राम पंचायत लाखना के सरपंच श्री नाथू लाल ने काम के बदले अनाज योजना के कुल 15 कार्य कराये हैं जिनमें से 8 कार्य श्री रामपुरा, जो उनका निवास स्थान है, में कराये गये। इस प्रकार अधिकतर कार्य अपने ही निवास स्थान में करा कर पद का दुरुपयोग किया है।

(2) काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत सर्व श्री जगदीश नारायण पुत्र ग्यारसी लाल, मोती लाल पुत्र बंशीधर, कैलाश चन्द्र उर्फ हनुमान सहाय पुत्र बाबू लाल शर्मा, हरनारायण पुत्र श्री रामगोपाल, राजूलाल पुत्र राम सहाय, रामगोपाल पुत्र भौरी लाल की उपस्थिति उच्च प्राथमिक विद्यालय में चल रहे काम के बदले अनाज योजना के मस्टररोल में भी दर्ज की गई है। जबकि इन्हीं छात्रों की उपस्थिति स्कूल में भी दर्ज है। इसी प्रकार श्री रूपनारायण पुत्र लाल राम की उपस्थिति तलाई श्रीरामपुरा 2 पर चल रहे काम के बदले अनाज योजना के मस्टररोल में दिखाई गई है। इसी छात्र की स्कूल में भी उपस्थिति दर्ज है।

छात्रों की उपस्थिति का विवरण

नाम छात्र	मस्टररोल नं.	उपस्थिति मस्टररोल में	उपस्थिति स्कूल में
1. जगदीश नारायण	34	28.11.78 से 30.12.78	28.11.78 व29.11.78
2. मोती लाल	34	28.11.78 से 30.11.78	28.11.78 1/2 दिन व 29.11.78
3. कैलाश चन्द	34	28.11.78 से 30.1178–	28 व 29 नवम्बर 78
4. हरिनारायण	34	28.11.78 से 30.11.78–	28 व 30 नवम्बर 78
5. राजू लाल	34	28.11.78 से 30.11.78–	28 से30 नवम्बर 78
6. रामगोपाल	34	28.11.78 से 30.11.78–	28, 29, 30 नवम्बर 78
7. रूपनारायण	11 75	12,3,4,6,8,10,जनवरी 79—	यह छात्र जनवरी 79 के सभी कार्य दिवस में उपस्थिति रहा है।

अभियोजन पक्ष के साक्षी 2 और 3 का कहना है कि छात्र कार्य पर नहीं आये हैं। पी. डब्ल्यू. 7 श्री राधेश्याम सहायक अध्यापक ने भी बयान किया है कि मैंने छात्रों की उपस्थिति विद्यालय में बताई है। उनका यह भी कहना है कि विद्यार्थियों ने श्रमदान की स्वीकृति न तो चाही है न दी गई है। इस तरह यह स्पष्ट है कि श्री नाथू लाल ने फर्जी अनाज का भुगतान छात्रों को उपस्थिति बताकर किया है। अत : यह आरोप पूर्णतः सिद्ध पाया जाता है।

3. आरोप नं० 3 के बारे में यह है कि दिनांक 27. 2. 78 को पंचायत भवन के निर्माण कार्य का प्रस्ताव पारित किया था मगर इसका निर्माण कार्य नहीं कराया गया। निर्माण कार्य क्यों नहीं कराया गया यह स्पष्ट नहीं है। इस प्रकार पंचायत के प्रस्ताव की अवहेलना की गई है। परन्तु इससे सरपंच पूर्ण रूप से दोषी है इसका प्रमाण नहीं मिलता। अतः यह आरोप पूर्णत सिध्द नहीं होता।

4. आरोप नं. 4 श्री नाथू लाल सरपंच द्वारा पंचायत कोष से अग्रिम धनराशि प्राप्त की गई थी जिनका विवरण निम्न प्रकार है:—

	राशि प्राप्त करने का दिनांक	राशि	प्रयोजन
1.	1.6.78	800.00	लोहे की आलमारी क्रय करने हेतु।
2.	24.1.79	268.00	मवेशी खाना निर्माण हेतु।
3.	14.2.79	500.00	साण्ड घर निर्माण हेतु।
4.	4.5.79	400.00	टेबल पंखा क्रय करने हेतु।
5.	14.5.79	500.00	सफाई व रोशनी व्यवस्था हेतु।

उपरोक्त राशि में से क्रम 1 पर वर्णित राशि का समायोजन 5.1.79 को किया गया है। शेष के बारे में प्रमाणित सबूत सरपंच द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये हैं न ही जिस कार्य के लिये राशि अग्रिम ली थी उसका उपयोग किया, श्री नाथूलाल सरपंच ने पंचायत द्वारा पारित प्रस्तावों के आधार पर अग्रिम लेकर उसका उपयोग नहीं किया।

अतः श्री नाथूलाल सरपंच पर यह आरोप सिद्ध होता है।

(5) आरोप नं 5 श्री नाथूलाल सरपंच ने अपने कार्यकाल में पंचायत की बैठकें निश्चित समय पर न करके मनमाने तौर पर करके अनियमितता बरती है जैसे दिनां 27.1 78, 20.3.78, 2.4.78, 17.4.78, 2.5.78, 31.5.78 आदि के अनुसार मीटिंग की गई हैं तथा 5.5.79 के बाद 10.7.79 को मीटिंग की गई। अतः यह आरोप श्री नाथूलाल सरपंच पर सिद्ध होता है।

378

(6) आरोप नं. 6 के बारे में काम के बदले अनाज योजना में फर्जी नाम है। विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र. सं.	विवरण	नाम	निवासी	मस्टररोल न.	मस्टररोल में संख्या	उपस्थित काम के बदले अनाज योजना में।
1.	बेलदार	ग्यारसीलाल पुत्र सुखलाल	श्रीरामपुरा	17561	8	17.1.79 से 4.1.79
2.	बैलगाड़ी	,,	,,	17559	6	21.1.79 से 22.1.79
3.	बेलदार	सुजीलाल पुत्र हरदेव	,,	6896	10	21.1.79 से 30.1.79
,,		,,	,,	25077	20	19.1.79 से 26.1.79 17.1.79 21.1.79 22.1.79
4.	कुली	केसर पत्नि		17559	3	24.1.79 को 1/2 दिन 27.1.79
	,,	भोरीलाल		6896	5	16.1.79 से 30.1 79

इससे स्पष्ट है कि श्री नाथूलाल सरपंच के द्वारा काम के बदले अनाज योजना में फर्जी नाम भरे गये हैं। अतः यह आरोप फर्जी भुगतान का श्री नाथूलाल सरपंच पर सिद्ध पाया जाता है।

ह०
उप जिला अधिकारी,
जयपुर

श्री धर्मसिंह मीणा की रिपोर्ट

विषय :- काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत सरपंच, ग्राम पंचायत लाखना के विरुद्ध प्राप्त शिकायत की जांच के संबंध में।

उपरोक्त विषय में श्री नाथूलाल सरपंच ग्राम पंचायत लाखना के विरुद्ध प्राप्त शिकायती पत्र अवलोकनार्थ पत्रावली में पृष्ठ संख्या 6 से 14 तक 35-36, 39 से 45 तथा 58-59 पर संलग्न है। श्रीमान के आदेशानुसार पंचायत मुख्यावास पर दिनांक 16.9.79 को पहुँचकर विकास अधिकारी पंचायत समिति सांगानेर के साथ शिकायतकर्ता, पंचों व अन्य ग्रामवासियों तथा सरपंच श्री नाथूलाल शर्मा की उपस्थिति में जांच की गई। इसके अलावा इसके बाद शिकायतकर्ताओं व सरपंच के समक्ष इस कार्यालय पर उनके द्वारा करवाये गये बयानों के आधार पर, पंचायत के उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर जांच की गई। इसके अलावा विकास अधिकारी सांगानेर से कई विषयों पर सूचना भी प्राप्त की गई उनके आधार पर जांच रिपोर्ट निम्न प्रकार प्रस्तुत है। शिकायत के मुख्य बिन्दु निम्न प्रकार हैं :—

1. सरपंच श्री नाथू लाल शर्मा ने ग्राम श्रीरामपुरा, जो कि उनका निवास स्थान है, में ही काम के बदले अनाज योजनान्तर्गत अधिकतर कार्य करवाये जबकि पंचायत द्वारा पारित प्रस्तावों के अनुसार व आवश्यकता होते हुए भी क्षेत्र के अन्य ग्रामों में कार्य नहीं कराये।

2. काम के बदले अनाज योजना में फर्जी भुगतान किया गया।

3. पंचायत भवन लाखना का कार्य करवाया जिसके पीछे सरपंच की यह भी मंशा थी कि वे मुख्यालय अपने गांव श्रीरामपुरा में बनाना चाहते हैं।

4. पंचायत कोष की राशि का उपयोग सरपंच द्वारा उनके निजी कार्यों में किया जा रहा है व पंचायत द्वारा पारित प्रस्तावों के आधार पर अग्रिम लेकर उस कार्य में उपयोग करना।

5. पंचायत की बैठकें निश्चित समय पर न कर सरपंच द्वारा रद्दोबदल कर मनमाने तौर पर किया जाना।

6. काम के बदले अनाज योजना में मस्टररोल सरपंच स्वयं ने तैयार किये जिनमें, फर्जी नाम हैं और अनाज का भुगतान भी नहीं हुआ है।

7. काइन हाउस श्रीरामपुरा का कार्य बजरी आदि डलवाने का ट्रेक्टर में करवाया गया जबकि मस्टररोल में गाड़ी आदि दर्ज किये।

8. काइन हाउस का कार्य मुख्यालय पर न करवाकर श्रीरामपुरा में करवाया

जिसके लिए विकास अधिकारी सांगानेर ने स्थगन आदेश भी दिया था किन्तु कार्य पूर्ण दिखाकर स्थगन आदेश की अवमानना सरपंच ने की।

9. सांड घर का कार्य एक व्यक्ति को ठेका देकर करवाया गया जबकि पूर्व में वह कार्य गर्दनातव करवाया हुआ था।

10. कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी कर दिये जबकि भुगतान अब तक भी नहीं हुआ है।

11. हरे पेड़ों का कटवाना।

12. जनसहयोग का पूर्ण हिसाब पेश नहीं करना।

13. पंचायत का मुख्यालय लाखना में हैं और रिकार्ड श्री रामपुरा में रखा जाता है।

14. सीमेन्ट का दुरुपयोग कर गबन करना।

शिकायत के बिन्दु सं. 1 के संबंध में पंचायत रिकार्ड के अनुसार विवरण निम्न प्रकार पाया गया :—

पंचायत की बैठक दिनांक 28.10.78 व 23.1.79 व 17.2.79 का काम के बदले अनाज योजना में कराये जाने वाले प्रस्तावित कार्यों का विवरण पत्रावली में पृष्ठ सं. 83 व 84 पर व पंचायत द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों की सूची पृष्ठ सं. 60 पर संलग्न है। इन सूचियों के अनुसार पंचायत द्वारा पंचायत क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों में लगभग 34 कार्यों के प्रस्ताव लिये थे। तथा जांच दिनांक तक कुल 15 कार्य करवाये गये है। इन 15 कार्यों में 8 कार्य श्री रामपुरा (1) लाखना, (2) रातल्या (1) बाला-बाला (1) सीतारामपुरा (2) अनारिया वाला में हैं। इस प्रकार स्पष्ट जाहिर है कि सरपच द्वारा अपने ही ग्राम श्री रामपुरा में सबसे अधिक कार्य कराकर व पंचायत मुख्यालय के ग्राम लाखना व अन्य ग्रामों में कम काम करवाकर क्षेत्र के अन्य ग्रामों की उपेक्षा की है जो पद के दुरुपयोग की संज्ञा में आता है। इस प्रकार शिकायतकर्ताओं द्वारा को गई शिकायत का यह बिन्दु सही साबित होता है। यही नहीं सरपंच को अपने ही ग्राम में अधिक कार्य कराने की भावना इस बिन्दु से भी स्पष्ट होती है कि दिनांक 15.1.79 को मस्ट्रोल सं. 17562 सार्वजनिक कूप सीतारामपुरा के कार्य हेतु पंचायत समिति सांगानेर में प्राप्त किया और ग्राम सीतारामपुरा का कार्य शुरू नहीं कराकर यह मस्टररोल निर्माण श्री रामपुरा ग्राम के कार्य के उपयोग में लिया गया है। सीतारामपुरा के कुएं का कार्य जांच दिनांक तक नहीं करवाया गया जबकि इस कार्य हेतु दिनांक 2.3.79 को 4 कट्टे सीमेन्ट श्री राजेन्द्र सिंह को पंचायत के स्टाक रजिस्टर के अनुसार दिये जाना पाया जाता है। इसी प्रकार लाखना में कूप मरम्मत के लिये सीमेन्ट के 3 कट्टे दिनांक 2.3.79 को श्री जगन्नाथ पुत्र लक्ष्मी नारायण को दिया जाना बताया है किन्तु कार्य जांच दिनांक तक नहीं कराया गया है। बिन्दु संख्या 2 :–इस संबंध में शिकायत कर्ता श्री राकेश पंच व अन्य के बयानों के आधार पर जो अवलोकनार्थ

पत्रावली में पृष्ठ सं. 68 से 72 तक संलग्न है के आधार पर पंचायत के मस्टररोल को देखने पर निम्न तथ्य सामने आये हैं।

(1) पंचायत समिति से मस्टररोल जारी होने से पूर्व ही मजदूरों की उपस्थिति अंकित कर दी गई जिनको पंचायत समिति में लेखाकार द्वारा जांच करने पर अमान्य किया है।

उदाहरणार्थः–मस्टररोल सं. 025080, 25081, 25082 सुतलाई मनोरियावाला जो 18.1.79 को पं. स. से जारी हुए और 16.1.79 से 24 व्यक्तियों, 19, व्यक्तियों की उपस्थिति दर्ज हैं। दिनांक 18.1.79 की उपस्थिति भी संदेहास्पद बतायी गई है।

(2) मस्टररोलों में अधितर कांट छांट, ऊपर लेखन किया गया है साथ ही मस्टररोल सं. 06896, उ.प्रा.शा. श्रीरामपुरा में क्रमशः 10 व 11 पर पूर्व में अंकित नामों को रवर आदि से मिटाकर वाद में श्री चुन्नी लाल व कल्याण सहाय बनाम अंकित करना प्रतीत होता है। इसी कार्य की मस्ट्रोल पं. 34 में पूर्व में अंकित मजदूरों की संख्या वाद में नाम जोड़कर बढ़ायी गया है जिसमें अनाज भुगतान में गोलमाल किया जाना जाहिर होता है।

(3) फर्जी भुगतान के सम्बन्ध में पाया गया कि मस्टररोल सं.6896 उ.प्रा.शा.कार्य श्रीरामपुरा में उ.पं05 पर श्री केसर-भोरी लाल श्रीरामपुरा का उपस्थिति दिनांक 16 से 31.1.79 तक (14) है, तथा इसी श्री केसर भोरी लाल का नाम मस्टररोल पं 017539 सार्वजनिक कूप कार्य सीताराम जी वाला ग्राम श्री रामपुरा में क्रमांक 3 पर अंकित है जिसमें दिनांक 16 से 31.1.79 तक 4 उपस्थिति दर्ज हैं इसका भुगतान पं.स. द्वारा रोका गया है और इस मस्टररोल में अधिकतर काटपीट कर ऊपर लेखन किया हुआ है। इसी भांति मस्टररोल न06896 शाला कार्य के क्रमांक 10 पर श्री सूजी लाल हरदेव चमार का नाम अंकित है जिसकी दिनांक 16.1.79 से 30.1.79 तक 10 उपस्थिति दर्ज हैं। इसी व्यक्ति का नाम मस्टरोल सं0 25077 तवाई श्री राम पुरा में क्रमांक 20 पर सूज्या/ हरदेव के नाम से अंकित हैं जिसकी दिनांक 19.1.79 से 30.1.79 तक 10 दस उपस्थिति दर्ज हैं और इसके पिता के नाम हरदेव को काटपीट कर अंकित किया हैं इसकी उपस्थितियों में ऊपर लेखन किया हुआ हैं। इस प्रकार स्पष्ट जाहिर है कि एक व्यक्ति को एक ही समय पर दो कार्यो की मस्टररोलों में उपस्थिति अंकित कर दोहरा भुगतान व फर्जी मस्टररोल साबित करता है।

(4) पंचो द्वारा प्रस्तुत शिकायत पृष्ट सं4॰ के पैरा 4 में अंकित किया गया है कि छात्रों की उपस्थिति मस्टररोल में की गई है इस संवध में इस कार्यालय में दिनांक 10.9.79 को विकास अधिकारी सांगानेर को पत्र भेजकर संबंधित छात्रों की उपस्थिति स्कूलों की मंगाई गई है जो पत्रावली में पृष्ठ सं09292 पर अवलोकनार्थ संलग्न है। जिसमें निम्न प्रकार छात्रों की उपस्थिति निर्माण कार्य।

382

क्र. सं.	मस्टररोल नं.	कार्य उपस्थिति	दिनांक उच्च.प्रा. सांगानेर शाला में उपस्थिति का विवरण
1. जगदीश नारायण पुत्र ग्यारसी श्री रामपुरा	34	प्रा०वि० श्रीरामपुरा	28,29,30,नव० 30. 11 .79 की अनु० बाकी कार्य दिवसों में उप० सांगानेर
2. मोती/वंशीधर	34	,, ,,	28.29.30. नव. 15 का अर्द्ध अ. 78 21 व 30. 11. 78 अनु. शेष कार्य दिवसों में उप० सांगानेर
3. कैलाश उर्फ हनुमानसहाय पुत्र बाबूलाल	,,	,, ,,	28.29.30. " 30. 11. 76 को अनु० सांगानेर गेड
4. रूपनारायण/कपाराम	पं. नं. 11851	तलाई श्रीरामपुरा	2,3,4,6,8, जन, 79 सभी कार्य 10, जन, 79 दिवसों की उपस्थिति हैं।
5. हरिनारायण/रामगोपाल श्री रामपुरा	34	प्रा. वि. श्रीरामपुरा 28,29,30	उ. प्रा. शाला श्रीरामपुरा 28 29 30 उप. अव. उप.
6. राजू लाल/राम सहाय	,,	,,	28,29,30, उपस्थितियां है।
7. रामगोपाल/भोरीयां	,,	,,	28, 29, 30, ,,

उपरोक्त तालिका में स्पष्ट होता है कि छात्रों की स्कूल व निर्माण कार्यों के मस्टर-रोलों में दोनों जगह उपस्थिति अंकित है जो स्पष्ट तथा मस्टररोल में फर्जी उपस्थिति अंकित करना जाहिर करता है इस सम्बन्ध में विकास अधिकारी सांगानेर द्वारा भेजा गया पत्र पत्रावली में पृष्ठ सं093 व छात्रों के बयान की प्रतिलिपि प्र. अ. श्रीरामपुरा के दिनांक 21.9.79 की प्रतिलिपि संलग्न कर भेजी है जिसमें प्रा0 अध्यापक ने विकास अधिकारी को पत्र लिखा है कि छात्रों ने शाला समय में पूर्व व बाद में कार्य किया है व छात्रों के बयानों में 101.00 ग्रामवासियों को निर्माण कार्य में दान में देना अंकित किया है। इस प्रकार की कार्यवाही सरपंच को आक्षेप से बचाने को गरज में की गई प्रतीत होती है जो इस स्कूल समय से पहले व बाद में की गई करना उचित प्रतीत नहीं होता है। साथ मस्टररोल सं34 में नामों के बारे में जोड़ी

जाने का छात्रों की गलत हाजरी करना ही साबित करता है। इसके अलावा छात्रों के बयानों में स्कूल भवन श्रीरामपुरा में कार्य करना अंकित किया है जबकि छात्र रूपनारायण की उपस्थिति तलाई श्री रामपुरा 11 में छः दिन अंकित किया है इस प्रकार स्कूल के छात्रों को निर्माण कार्य में उपस्थिति अंकित करना सर्वथा फर्जी व सन्देहात्मक प्रतीत होता है।

(5) मनोहरीण वाला में सार्वजनिक कूप निर्माण का मस्टररोल 17563 जिसमें कि 4.65.800 क्वी. गेहूं का भुगतान करना बताया हैं, यह मस्टररोल जांच में प्रस्तुत नहीं की गई और सरपंच व ग्रुप सचिव द्वारा अपने बयानों में इसका गायब होना बताया है और चपरासी द्वारा हस्ताक्षर कराने पंच के पास भेजते समय गायब होना बताया हैं इस प्रकार जब पंचों के हस्ताक्षर नहीं हुए तो उनका भुगतान सरपंच द्वारा किस आधार पर किया गया। संदेहात्मक प्रतीत होता हैं। अत एवं मस्टररोल का जानबूझ कर गायब करना मस्टररोल में गलत हाजरियां अंकित करने के कारण स्पष्ट करता है।

(6) फर्जी भुगतान के संबंध में रातल्या की सुताई व हरिजन कूप निर्माण के संबंध में विस्तार में श्री मांगो लाल पंच की शिकायत की जांच रिपोर्ट में अंकित की गई है, जिसमें मजदूरों की फर्जी हाजरी अंकित कर भुगतान दिलाना पाया गया हैं। इस प्रकार मस्टररोल में फर्जी व दोहरी हाजरी अंकित करना काम के बदले अनाज योजना में फर्जी भुगतान की शिकायत सही प्रतीत होती है।

शिकायत के बिन्दु सं 3 के संबंध में पंचायत की बैठक दिनांक 23.1.79 के प्रस्ताव सं. 11 में श्री राकेश उप सरपंच द्वारा अधूरे पंचायत भवन को पूर्ण कराने का प्रस्ताव रखा गया था जिस पर सर्व सम्मति से ग्राम लाखना में ग्राम सभा की बैठक बुलाकर इस बाबत निर्णय लेने का प्रस्ताव पारित किया है जिसका कारण पूर्व में बने हुए पचायत भवन के सामान भूमि आदि का विस्तृत हिसाब बतलाना बताया है। इसके बाद दिनांक 7.6.79 को ग्राम लाखना में ग्राम सभा की गई है जिसमें प्रस्ताव सं6 में दूसरे पंचायत भवन को शीघ्र पूर्ण कराने का प्रस्ताव पारित किया है परन्तु जांच आरतंह पंचायत भवन का कार्य पूर्ण नहीं कराया गया है इससे यह जाहिर होता है कि सरपंच की रूचि पंचायत भवन लाखना में बनाने की नहीं हैं सरपंच द्वारा पंचायत का रिकार्ड अपने ही ग्राम श्री रामपुरा में ही रखा जाता है। और पंचायत का कार्यालय भी इसी ग्राम में एक व्यक्तिगत मकान में रखा हुआ हैं जो पूर्व में किराये पर था तथा काइन हाऊस श्रीरामपुरा में बन जाने के बाद इसका किराया भी सरपंच महोदय ने बन्द करना बताया। इस प्रकार राज. पचायत सामान्य नियम, 1961 के नियम 86 की सरपंच द्वारा अवहेलना किया जाना पाया जाता है। जबकि इस संबंध में शिकायत कर्ता पंच श्री राकेश जैन द्वारा पंचायत की बैठकों में बार बार इसका विरोध भी किया है। उदाहरण तथा बैठक दिनांक 17.2.79 प्रस्ताव सं 3 में काफी विचार विमर्श इस संबंध में किया गया है। जिससे सरपंच महोदय की स्पष्ट रूपसे

(384)

पंचायत कार्यालय श्रीरामपुरा, में ही रखना जाहिर करती है।

बिन्दु सं 4 :—के अनुसार जांच करने पर पाया गया कि सरपंच द्वारा निम्न प्रकार से पंचायत कोष में राशि अग्रिम स्वयं के द्वारा प्राप्त की गई है।

दिनांक	राशि	नाम कार्य	उपयोगिता विवरण
1. 1.6.78	800/—	लोहे की आलमारी खरीदने हेतु	मवेशी खाता बनाने में उपयोग बताकर हिसाब दिया पर जिसमें से 96/—नकद जमा कराये हैं 5.1.79
2. 14.2.79	500/—	सांडघर श्रीरामपुरा	जांच दि. तक समायोजना नहीं हुआ हैं।
3. 24.1.79	268/—	मवेशी खाना निर्माण	,, ,,
4. 4.5.79	400/—	पंखा खरीदने हेतु	,, ,,
5. 14.5.79	500/—	पं. राज्यमंत्री व सामाजिक राज्य मंत्री के आगमन पर रोशनी, पानी आदि की व्यवस्था हेतु।	जांच दि. तक समायोजन नहीं हुआ हैं।

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट जाहिर होता है कि सरपंच द्वारा 800/–रु. राशि का उपयोग संबंधित कार्य पर नहीं किया व शेष राशि का जांच दिनांक तक हिसाब प्रस्तुत नहीं कर निजी उपयोग में लिया जाकर दुरुपयोग करना पाया जाता है। अतएवं सरपंच से 1668/—मजइण्डनीय ब्याज 14% से वसूली योग्य है साथ ही सरपंच द्वारा पंचायत कोष का दुरुपयोग करने के कारण उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना भी आवश्यक प्रतीत होता है।

बिन्दु सं 5:—इस संबंध में पंचायत का कार्यवाही रजिस्टर देखने पर पाया गया कि पंचायत की बैठकों के लिए कोई तिथि निश्चित नहीं है और पंचों को इकजाई सूचना जारी कर बैठक सरपंच द्वारा बुलायी जाती है। जिसके अनुसार वर्ष 1978–79 व चालू वर्ष में अब तक निम्न प्रकार बैठकें की गई हैं।

दिनांक	स्थान	
2.4.76	पंचा. कार्यालय	लाखना
17.4.76	,,	,,
2.5.76	.	,,
31.5.76	..	..
29.6.76	,,	,,
2 8.76	,,	श्रीरामपुरा
13.8.70	,,	,,
14.9.76	,,	,,
20.10.76	,,	..
28.10.76	,,	,,
7.12.76		,,
16.12.76	..	लाखना
23.1.79	,,	श्रीरामपुरा
17.2.79	,,	,,
30.3.79	,,	,,
6.4.79	,,	,,
10.4.79	,,	,,
13.4.79	पंचा. कार्यालय	श्रीरामपुरा
5.5.79	,,	,,
14.7.79	,,	,,

उपरोक्त बैठकों के लिये सरपंच द्वारा पंचों को जारी की गई सूचना के पत्र जांच में प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे यह जानकारी किया जाना, सम्भव नहीं है कि बैठकों के लिए जारी किये गये नोटिस राज. पंचायत (सामान्य) नियम, 1961 के नियम, 56 के अनुसार जारी किये गये या नहीं। इसके अलावा उपरोक्त तालिका में पाया गया कि गत जून, 78 में केवल एक बैठक, जुलाई, 78 में कोई बैठक नहीं बुलाई। सितम्बर, 76 म एक मिटिंग, नवम्बर, 78 में कोई बैठक नही की गई। जनवरी, 79 में एक मिटिंग, फरवरी, 79 में, एक मिटिंग मार्च, 79 में कोई मिटिंग हनीं की गई। मई, 79 में एक मिटिंग, जून, 79 में व जुलाई, 79 में एक मिटिंग की गई है। उसके पश्चात अगस्त, 79 व जांच तिथि सितम्बर, 79 तक पंचायत की कोई मिटिंग नहीं की गई है। इस प्रकार सरपंच द्वारा राज. पंचायत अधिनियम की धारा 21 (2) की पालना नहीं की गई है जिसमें सरपंच अपने कर्तव्य पालन में असमर्थ रहे हैं।

बिन्दु सं. 6-सरपंच श्री नाथू लाल शर्मा द्वारा निम्नांकित कार्यों के मस्ट्रोल स्वयं द्वारा भरे गये हैं।

1. मवेशीखाना श्री रामपुरा		11854
2. ,,		7308
3. शाला भवन श्री रामपुरा		25182
4. सांडघर	,,	32958
5. ,,	,,	32927
6. ,,	,,	17562

उपरोक्त मस्ट्रोल में कोई फर्जी नाम शिकायत पत्र कर्ताओं द्वारा सिध्द नहीं किये गये परन्तु मस्ट्रोल सं. 34 शाला भवन कार्य के भुगतान स्वयं श्री नाथूलाल सरपंच द्वारा किया गया है और उपस्थिति श्री राकेश द्वारा अंकित किया जाना प्रकट होता है परन्तु राकेश को मेट रखा जाना प्रकट नहीं होता। इस प्रकार इस मस्ट्रोल में छात्रों की फर्जी हाजरी अंकित करना सरपंच की जिम्मेदारी स्पष्ट प्रकट करता है। इसके अलावा स्कूल भवन श्री रामपुरा के लिए दिनांक 28.10.78 को प्रस्ताव सं 2 (ठ) में अपूर्ण कार्य, किवाड फर्श, को पूर्ण कराने का निर्णय किया गया था तथा 5000/रु. का अनुमानित व्यय आंका गया है। परन्तु मौके पर किवाड़ों व फर्श का कार्य न कराकर कमरों का नव निर्माण किया गया है, जो अपूर्ण अवस्था में हैं इस प्रकार सरपंच द्वारा मनमाना कार्य करवाकर पंचायत कोरम के निर्णय की अवहेलना की है। और कार्य कम्पाउण्ड वाल पर रुपये 4132.95 व्यय होना बताया है इस प्रकार प्रस्ताव मौके पर किये गये कार्य व मस्टररोल में दिखाये गये व्यय के कार्य में तीनों में ही मिलता है। साथ ही इस कार्य पर 5000/—से अधिक का कार्य जन सहयोग सहित कराया गया है जिसकी स्वीकृति राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार जिलाधीश महोदय से लेनी चाहिये थी जो नहीं दी गई है। और जनसहयोग कुल कितना किस प्रकार प्राप्त किया गया इसका भी समायोजन पंचायत द्वारा नहीं किया गया है जिससे इस कार्य पर कुल कितना व्यय किया गया है इसकी वास्तविकता की जांच नहीं की जा सकती है। इस प्रकार

सरपंच द्वारा मनमानी कार्यवाही किया जाना व पद का दुरुपयोग किया जाना प्रकट करता है। इसके अलावा शिकायत कर्ताओं द्वारा मस्ट्रोल में अंकित व्यक्तियों का अनाज बकाया होने के संबंध में कोई स्पष्ट सबूत प्रस्तुत नहीं किया परन्तु श्री बद्री नारायण पुत्र राम देव बागडा नि. तेजावाला का शपथपत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है जिसमें श्री बद्री नारायण ने अपनी ट्रेक्टर ट्रोली में चार ट्रोली बजरी काइन हाऊस के निर्माण व अन्य कार्यों में डाली थी उसके 300/—बकाया बताये हैं इसके अतिरिक्त सांडघर का ठेका तीस क्वी. गेहूं में किया बताया जिसमें से 25 क्वी. तो प्राप्त कर लिया बताया 5 क्वी. बाकी लेना बताया है जबकि मस्ट्रोल में काइन हाऊस व सांडघर निर्माण कार्यों में इसका नाम नहीं है परन्तु मस्ट्रोल संख्या 7562 सांड घर कार्य में उसे 1, 2, 3 व 5 पर अंकित ऊंट/बैलगाड़ी व्यक्तियों का नाम बाद में अंकित कर उपस्थिति अंकित कर उपस्थिति अंकित करना जाहिर करता है। इसमें श्री बद्री लाल द्वारा किये गये शपथ पत्र से यह जाहिर होता है कि वास्तव में बजरी आदि उसमें डलवाये गये हैं और उपस्थिति ऊंटगाडी बैलगाड़ी की फर्जी बनाई गई है। मात्र मेट श्री सत्य नारायण का भुगतान तलाई कार्य में ही कराया हुआ है जो मस्ट्रोल में बाकी हैं।

7. शिकायत के बिन्दु सं. 7 के संबंध में उपरोक्त बिन्दु 6 में विवरण अंकित कर दिया गया है।

8. शिकायत के बिन्दु सं. 8 के संबंध में यह सही पाया गया कि काइन हाऊस का निर्माण पंचायत के मुख्यावास ग्राम लाखना मे न कराया जाकर श्री रामपुरा सरपंच के ग्राम में करवाया गया है जो पंचायत के प्रस्ताव दिनांक 28.10.78 के प्रस्ताव सं 2 (ट) के अनुसार कराया गया है जिससे सरपंच के विरुद्ध तो स्पष्ट कोई आरोप सिद्ध नहीं होता है किन्तु जैसा कि शिकायत कर्ताओं ने विकास अधिकारी के स्थगन की अवमानना करने का सरपंच पर आरोप लगाया है इस संबंध में पंचायत कार्यालय में स्थगन आदेश उपलब्ध नहीं होने के कारण वास्तविकता की जांच नहीं की जा सकी परन्तु सरपंच ने भी अपने बयानों में स्थगन आदेश कार्य पूर्ण होने की बगैर प्राप्त करना बताया है अतः इस संबंध में विकास अधिकारी सांगानेर से पूर्ण स्पष्टीकरण प्राप्त करना आवश्यक प्रतीत होता है।

बिन्दु सं9 :–शिकायत के बिन्दु सं9 के सम्बन्ध में पाया गया कि सांडघर निर्माण पर 4722.47 पैसे का कार्य करवाया जाना बताया है जिसमें अनाज 2716.46 व पंचायत कोष में 502.01 व जन सहयोग में 1436.00 बताया है। पूर्व में जो कार्य हुआ है उसके प्रमाण पत्र की नकल शिकायत कर्ताओं द्वारा प्रस्तुत की गई है वह पृष्ट प48 पर अवलोकनार्थ संलग्न है जिसमें कार्य 628/–का होना दर्ज है।

मस्ट्रोल के अनुसार सांण्डघर का कार्य ठेके से कराया जाना प्रकट नहीं होता परन्तु श्री बद्री नारायण के शपथपत्र जो अवलोकनार्थ पत्रावली में पृष्ट सं58 व59 पर हैं से कार्य 30 क्वीटल गेहूं में ठेके पर देना बताया है। साथ ही मस्ट्रोल में से सं0175 62 में ऊंटगाडी व बैलगाडी के नाम बाद में

अंकित कर उपस्थिति दर्ज करना जाहिर होता है। इससे यह कार्य ठेके से ही पाया जाना प्रकट होता है। परन्तु श्री बद्री नारायण जांच वक्त उपस्थित नहीं मिले जिनमें अन्य मजदूरों के सम्बन्ध में पूर्व जानकारी नहीं दी जा सकी। इस प्रकार इस कार्य की वास्तविक जांच जे. ई.एन. से कराया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

शिकायत के बिन्दु सं.10 क- सन्दर्भ में प्रमाण पत्र पंचायत के कोरम से जारी किए हैं और कार्य की स्थिति के आधार पर है इससे बकाया का संबध नहीं रहता है। शिकायत कर्ताओं ने ठोस सबूत इस बाबत प्रस्तुत नहीं किए कि जिस आदमी के भुगतान मस्ट्रोल में बताया है उसका भुगतान नहीं किया गया है। कम्पांउण्ड वाल श्री रामपुरा शाखा का बताया है जबकि ऐसा कोई कार्य मौके पर नहीं बताया है केवल एक तरफ 15–16 कम्पाउण्ड वाल बनी हुई है बाकी कमरों का निर्माण किया गया है

बिन्दु सं. 11 हरे वृक्ष काटकर विक्रय करना :—इस बाबत मौके पर दिये गये स्थानों में प्रतीत होता है कि बिजली के तारों को बचाने के कारण एक बबूल का पेड़ कटवाया है जिसे नीलाम द्वारा विक्रय किया गया है। इस सम्बन्ध में शिकायत कर्ता श्री राकेश पंच का कथन है कि काइन हाऊस व साण्डघर के किवाड़ बनवाने चाहिए थे परन्तु पेड़ नीलाम किया गया है। जिससे सरपंच के विरुद्ध यह आरोप कि हरे वृक्ष कटवाये गये उचित उचित प्रतीत नहीं होता है।

शिकायत के बिन्दु सं. 12 :—जन सहयोगता पूर्ण हिसाब प्रस्तुत नहीं करने बाबत पाया गया है कि अनाज के बदले काम योजना में कराये गये कार्यों पर जन सहयोग जो प्राप्त किया गया है उसका पूर्ण हिसाब पंचायत के रिकार्ड में नियमानुसार नहीं रखा गया जिससे कार्यों की पूर्व लागत का सही अनुमान लगाया जाना पंचायत की रोकड़ से व स्टाक रजिस्टर से संभव नहीं है। जबकि हिसाब का नियमानुसार नकद चंदे का पंचायत की रोकड़ में व सामान का स्टाक रजिस्टर में इन्द्राज होना आवश्यक है। इस प्रकार की शिकायत के तथ्य सही पाये गये हैं।

बिन्दु सं. 13 :—शिकायत के बिन्दु सं. 13 के बारे में विवरण बिन्दु सं3 में अंकित किया जा चुका है।

बिन्दु सं. 14 :—सीमेंट का दुरुपयोग :- पंचायत को जो सीमेन्ट प्राप्त हुई हैं उसका वितरण स्वयं सरपंच ने अपने स्तर पर किया है। कार्य के लिए कितनी मात्रा किसे दी जाये इसके लिये पंचायत के कोरम में कोई विचार नहीं किया। जहां कार्य आरम्भ भी नहीं हुए वहां सीमेन्ट दी गई तथा ग्राम रातल्या का हरिजन कूप जहां कच्चा कुंआ पहले से खुदा हुआ था 10 वर्षों के लिए उक्त कई सीमेन्ट दिया जाना बताया जबकि वहां 30 कट्टे कार्य में लेना बयानों में जाहिर है। इस कुए में सीमेन्ट की कमी से कुआ ढह गया जिससे हरिजनों को पानी की परेशानी हो गई है। इस प्रकार सीमेन्ट का आमद तथा खर्च की गई उसकी जांच जे. ई. एन. से करायी जानी चाहिए।

उपरोक्त स्थिति में शिकायत के आरोपों पर बिन्दुवार रिपोर्ट प्रस्तुत है। इसमें सरपंच के विरुद्ध आरोप सं. 12, 4. 5, 8 ऐसे हैं जो गम्भीर हैं। आरोप सं. 3 साबित होता है 6 व 7 के प्रति सरपंच को उत्तरदायी माना जायेगा आरोप सं. 9, 10 के बारे में जे. ई. एन. की रिपोर्ट चाहिए आरोप सही साबित नहीं हैं। 12 साबित होता है। 13 साबित होता है। 14 जांच जे. ई. एन. में होनी है। सरपंच के प्रति आरोप है अतः एवं राज. पं. अधिनियम 1953 की धारा 17 (4) के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु राज्य सरकार को मामला प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तथा पंचायत के रिकार्ड की जांच आडिट (विशेष आडिट) करवाया जाये ताकि गंभीर अनियमितताओं की जांच हो सके। निर्माण कार्यों की जाच जे. ई. एन. से करायी जाकर वस्तु स्थिति की रिपोट ली जानी चाहिए।

रिपोर्ट अग्रिम आदेशार्थ प्रस्तुत है।

ह०
धर्मसिह
19.10.79
स० सचिव
जि. प. एव स. जि. जि. वि. अ.
जयपुर

भाग (2) से संबंधित

ए. ई. एन. (सी. डी) की मूल्यांकन जांच रिपोर्ट

फोर्म :—कार्यालय सहायक अभियंता सामुदायिक विकास योजना, कलेक्ट्रेट, जयपुर

To : —अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी, जयपुर।

विषय:-ग्राम रातल्या एवम, ग्राम श्रीरामपुरा ग्राम पंचायत लालना पंचायत समिति सांगानेर के कार्यों के मूल्यांकन के संबंध में।

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि उक्त ग्राम पंचायत के निम्न लिखित कार्यों के मूल्यांकन मेरे द्वारा दिनांक 15.12.79 को करवाये गये जिन की स्थिति इस प्रकार है : —

क्र० स०	नाम कार्य	मूल्यांकन राशि
1.	रातल्या तलाई	1946.00
2.	कुआ रातल्या	3800.00
3.	श्रीरामपुरा तलाई	780.00

(394)

उक्त दोनों कार्यों पर जो जो खामियां पाई गई वह भी मूल्यांकन पत्र पर अंकित की गई हैं।

संलग्न :—7

ह०

सहायक अभियन्ता,

सामुदायिक विकास प्रोजेक्ट, कलैक्टर,

जयपुर।

भाग (4) से संबंधित **प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति**

रिपोर्ट इत्तिला अव्वल (प्रथम सूचना)

नियम, 226 रा मु) नं. 71

(जो काबिल दस्तन्दाजी पुलिस जुर्म में हस्व दफा 156 भा. को. बाके होते हैं)

भाग सांगानेर | जिला—जयपुर | राजस्थान

सुखी में 194/83 | तारीख और वक्त व कुआ

तारीख और वक्त जब इत्तला हुई मय रिपोर्ट नं. रोजनामचा नाम	नाम बकुआ और फासला और सिक्त थाने के मय नाम हल्का कोई दूसरा हो।	तारीख व वक्त खामगी
तारीख 9. 9. 83 स. रपट नं. 394 समय 6-20 पी. एम.	व कुआ मोजा लाखना जानिब पश्चिम फासला 10 कि. मी. करीब थाने से।	जरिये डाक

(391)

नाम व नम्बर हस्बे 119 हलके में व कुआ अन्तर शाखा नं. 1

नाम और सकूनत इस्तला और मुस्तगीस सूचना देने वाले का नाम और निवास	नाम और सकूनत मुल्जीमान निवास स्थान अपराधी	मुख्तसर हालात जुर्म मय दफा और साथ अगर कोई गया हो।	कार्यवाही तहसील जो अमल में लाई गई और वजह देरी जो इतला करने में हुई हो।
श्री रामधन शर्मा पुत्र श्री शिव सहाय शर्मा निवासी सामोद हाल पंचायत प्रसार अधिकारी, जिलाधीश कार्यालय, जयपुर।	श्री नाथू लाल सरपंच ग्राम पंचायत लाखना में फर्जी मस्ट्रोल तैयार कर सरकारी रकम का गबन किया। जुर्म धारा 467, 468, 471, 409, आई. पी. सी.		रिसिट तहरीरी प्राप्त होने पर जोरा मुकदमा कायम कर तफतीश शुरू करता हूं

ह०
अशोक कुमार शर्मा
एस. एच. ओ. पी. एस. सांगानेर

कार्यालय जिलाधीश, जयपुर क्रमांक पवि/पी ओ/83/730 दिनांक 1. 9. 83 भार साधक अधिकारी आरक्षी केन्द्र सांगानेर, विषय श्री नाथू लाल शर्मा, सरपंच ग्राम पंचायत लाखना, पंचायत समिति सांगानेर जिला जयपुर के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के संबंध में। मेरे से पूर्व जांच अधिकारी श्री धर्म सिंह मीणा तत्कालीन सहायक सचिव जिला परिषद, एवं सहायक जिला विकास अधिकारी एवं श्री सुधीर भार्गव तत्कालीन उप जिला अधिकारी जयपुर ने सरपंच नाथू लाल शर्मा, सरपंच के विरुद्ध प्रारम्भिक एवं विभागीय जांच की। जांच में गबन के आरोप भी सिद्ध थे। इसी दरम्यान श्री नाथू लाल शर्मा की पुनः शिकायत हो गयी और इसमें मुझे प्रारम्भिक जांच हेतु जांच अधिकारी नियुक्त किया। शिकायतकर्ताओं द्वारा विभागीय जांच प्रेतिवेदन की फोटो स्टेट कापी मुझे भी पेश की गई। विभागीय जांच प्रतिवेदन में जो गबन के आरोप थे एवं रेकार्ड देखने पर जो आरोप रेकार्ड के अनुसार पाये गये उनका विवरण निम्न प्रकार है: -

1. काम के बदले अनाज योजन के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालय, श्रीरामपुरा की कम्पाउन्ड वाल निर्माण हेतु

मस्ट्रोल नं. 34 एवं 33 पंचायत समिति सांगानेर से जारी हुए थे। उनमें मस्ट्रोल 34 एवं मस्ट्रोल नं. 11851 तलाई श्री रामपुरा में छात्रों की उपस्थिति दर्ज हैं और उन्हीं छात्रों की उपस्थिति स्कूल श्रीरामपुरा एवं सांगानेर स्कूल में दर्ज है। इस प्रकार फर्जी रिकार्ड तैयार करके रकम फर्जी उठायी है। माह नवम्बर में स्कूल प्रातः 10. 30 से सांय 5. 00 बजे तक चलते हैं जबकि काम के बदले अनाज योजना के कार्य का समय प्रातः 8 से सांय 5 बजे तक था। 100 छात्रों की उपस्थिति स्कूल में भी अंकित है और साथ ही मस्ट्रोल में भी दर्शायी है। उनका विवरण निम्न प्रकार है:-मस्ट्रोल नाम छात्र जिनका मस्ट्रोल दिनांक जिनमें दोनों जगह उपस्थिति हैं कुल कार्य दिवस में कुल रकम जो भुगतान की 34 श्री जगदीश नारायण, पुत्र श्री ग्यारसी लाल बागड़ा श्री राम पुरा 28 एवं 29. 11. 78 2, 5, 10/– 34– श्री मोती लाल/बंशीधर शर्मा श्री राम पुरा 28. 11. 78 को आधा दिवस एवं 29. 1. 78 1–1/2/5–7–50 रु. श्री कैलाश उर्फ हनुमान/बाबू लाल शर्मा 28 एवं 29. 11. 78 दो दिन 5 की रेट 10.00 34-श्री हरि नारायण-रामगोपाल शर्मा श्री रामपुरा 28–30. 11. 78, 3, 5, 15–34 श्री राजू लाल/राम सहाय शर्मा श्री रामपुरा 34 श्री रामगोपाल, मांगी लाल शर्मा श्री रामपुरा 28 30. 11. 78 28 से 30.11. 78 3, 5, 15–00 11851–श्री रूप नारायण लाल श्री रामपुरा 2, 3, 4, 6, 8, एवं 10-1-79, 6, 6 36/–=108–50 इस प्रकार फर्जी मस्ट्रोल भरकर छात्रों के नाम से 108–50 पैसे का भुगतान उठाकर सरकारी धन का गबन किया है। (ख) मस्ट्रोल नं. 34 एवं 35 जो पंचायत समिति सांगानेर से स्कूल कम्पाउण्ड वाल श्री रामपुरा के नाम से जारी हुए थे और इन दोनों मस्टर रोल का स्टाक रजिस्टर पेज संख्या 2 पर दिनांक 24. 12. 78 को 8 क्वी 094 कि. गेहू का भुगताय बताया हैं जो 894/–रुपये की कीमत का था। मौके पर कम्पाउन्ड वाल बनी हुई नहीं और कम्पाउन्ड वाल के नाम से फर्जी मस्टरोल्स भरते हुए असत्य को सत्य में क्रियान्वित करके सरकार के साथ धोखा-धड़ी की और रुपये 894/–का गबन कर लिया है। इस 894/–रु. में बिन्दु क की गबन की राशि में मस्टरोल्स नं. 34 की 72–50 पैसे भी शामिल है।

(ग) विभागीय जांच के समय मस्टरोल्स नं. 34 एवं 11851 जो हाजरियां छात्रों की दर्ज कीं और यह जांच में सिद्ध था उससे जांच पूर्ण होने के पश्चात उनकी हाजरियों को दोपहर बाद अनुपस्थिती में बदल दी गई। इस प्रकार उक्त दोनों मस्टरोल्स में हाजरियों में परिवर्तन की गई। जिसमें से कोई आपसी तालमेल बिठाकर और मिलकर सरकारी रेकार्ड की काट छांट हेराफरी अपलेखन आदि करके अथवा करवा करके श्री नाथू लाल शर्मा सरपंच ने सबूतों को नष्ट किया अथवा करा दिया है।

(घ) श्री कैलाश उर्फ हनुमान/बाबू लाल के पिता के नाम के आगे अपलेखन द्वारा छोटू लाल धानका दर्ज है जो बाद

जांच श्री नाथू लाल शर्मा सरपंच ने सरकार की तहसील में रखे हुए रेकार्ड में किसी प्रकार व्यवस्था बैठाकर परिवर्तन कर दिया अथवा करा दिया है इस प्रकार प्रमाणित आरोपों संबंधी सबूतों को नष्ट किया है। 2 (क) दोहरा भुगतान :— निम्नलिखित व्यक्तियों के नाम दोहरा भुगतान छल से जाली रेकार्ड तैयार करके सच के रूप में काम में लेते हुए सरकारी धन का निम्न प्रकार गबन किया है। मस्टरोल्स नम्बर मस्टरोल्स में क्रमांक नाम दिनांक दोहरी हाजरी दिवस रेट भुगतान क्रमांक 175618 श्री ग्यारसी लाल/सुवालाल श्रीरामपुरा 21. 9. 79 से 22. 9. 79, 2, 6/–12–17559, 6, श्री ग्यारसी लाल/सुवालाल श्रीरामपुरा 21. 1. 78, 22. 1. 79, 2, 32/—64/–6896 10. श्री सूजालाल/हरबक्श चमार श्रीरामपुरा 19. 1. 79 से 26. 1. 79 तक 86/–48/–25077 20 श्री सूजी लाल पुत्र हरदेव चमार श्रीरामपुरा 17: 21, 22 एवं 24 को 1/2 दिन 4–1/2 और 27. 1. 79 6/–, 27/–6896, 5 श्रीमती केसर/श्री भोरी लाल श्रीरामपुरा 17, 21, 22 एवं 24 को 1/2 दिन 4–1/2 और27. 1· 79 6/–27/–24209 22 श्रीमती लछमा/छोटू श्रीरामपुरा 5 से 8 11 से 13 एवं 15–2–79,8, 6/–48–250797– श्रीमती लिछमा/छोटू श्रीरामपुरा 5 से 8 11 13 एवं 15. 2. 79 6, 48/–; 322 रुपये इस प्रकार चारों व्यक्तियों के नाम दोहरा मस्टररोल्स भरकर 322/रु. का भुगतान बताया मस्टररोल्स नं. 17559 में से रुपये 64.00 का 27–00 कुल 91.00 रु. का भुगतान नहीं होने के कारण 231.00 का गबन सिद्ध हैं और इस प्रकार मस्टर रोल नं. 717559 की धोखा देने से नियम फर्जी रिकार्ड तैयार करना भी सिद्ध है।

(ख) मस्टररोल नं017559 में दैनिक हाजरियों के योग के कुल कार्य दिवस में विवरणों के और भुगतान राशि आदि की प्रविष्टियों को किसी वस्तु से वित्तिय लेखों को मिटाकर सरकारी रिकार्ड में फर्ज कारी की गई है। जो मस्टररोल्स से स्पष्ट प्रकट है।

(ग) मस्टररोल नं06896 के अन्दर श्रीमती केसर/भोरी लाल के स्थान पर श्रीमती केशर/गोरी लाल था ग्यारसी लाल का अपलेखन किया है अथवा कराया है क्रमांक 10 से 12 तक जो नाम श्री सूजी लाल कल्याण सहायक बंसीराम अंकित किये हुए हैं जिनके क्रमांक 10 से 12 तक जो नाम हैं जिनके स्थान पर उसके पूर्व अन्य नाम होगा जो पत्नी या अन्य वस्तु से मस्टररोल को छीलकर बाद में लिखे गये स्पष्ट दृष्टिगोचर हैं। इस प्रकार सरकारी दस्तावेजों को फर्जकारी करवाकर आरोपों के सबूतों को नष्ट किया है या कराया है।

(घ) मस्टर रोल नं025077 में सूजी लाल/हरदेव में से लाल/हरदेव को काटकर एवं हाजरियों का अपलेखन किया जाकर सरकारी सबूतों को नष्ट करके अथवा कराकर परिवर्तन किया गया है।

(ङ.) मस्टररोल नं025079 में श्रीमती लिछमा/छोटू के नाम में भी काटछांट स्पष्ट

नजर आती है जो सरकारी दस्तावेजों में इस प्रकार होना गम्भीर व त है। उपरोक्त बिन्दु। में (क) लगावत 2 . ख) की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर तुरन्त अन्वेषण करें और श्री नाथूलाल सरपंच ग्राम पंचायत लाखना के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही शीघ्र करावें।

एस.डी./रामधन शर्मा
1.9.83
पंचायत प्रसार अधिकारी
जिलाधीश कार्यालय, जयपुर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त रिपोर्ट तहरीर श्री रामधन पुत्र श्री शिव सहाय जाति ब्राह्मण उम्र 54 साल आर/ओ सामोद, पी. एस. चौमू हाल पंचायत प्रसार अधिकारी, जिलाधीश कार्यालय जयपुर में हाजिर थाना होकर पेश की जिसकी व नकल अक्षर से अक्षर की गई। मजबुन रिपोर्ट से मामले जुर्म धारा 467, 471, 409, 468 आई.पी सी का घटित होना पाया जाता हैं अतः मु. नं. 194/83 मजकूर में कायम कर तफतीश सुपूर्द धन्ना राम के की गई पुलिस एफ.आई.आर. नियमनुसार जारी की। एक प्रति निःशुल्क एफ.आई.आर की मुस्तगील को दी गई।

एस.डी.
अशोक कुमार शर्मा. एस.एच.ओ.
पी.एस.सांगानेर।
9.9.83

395

परिशिष्ट 19

अतारांकित प्रश्न संख्या 847 से सम्बन्धित सूची पंचायत समिति इटावा

क्र. सं.	अध्यापक का नाम	शाला का नाम	नियुक्ति की दिनांक	हटाने की दिनांक
1.	श्रीमती रामदुलारी शर्मा	इटावा	7.7.80	15.5.83
2.	श्री रामप्रसाद	रनोदिया	1.8.80	,,
3.	श्री राधेश्याम	भवानीपुरा	1.8 80	,,
4.	श्री गोविन्दसिंह	सौभागपुरा	10.8.80	,,
5.	श्री रामचरण	डूगरली	11.7.80	,,
6.	श्री नरेन्द्र कुमार	श्रीपुरा	1.7.80	,,
7.	श्री मोतीलाल	गणेशपुरा	1.8.80	,,
8.	श्री शम्भूलाल	पीपल्दाखुर्द	1.9.80	,,
9.	श्री श्रीलाल नागर	दूबली	23.9.80	,,
10.	श्री उमाशंकर	केशोपुरा	10.7.81	,,
11.	श्री ओमप्रकाश	केशोपुरा	1.8.81	,,
12.	श्री राजेन्द्रसिंह	मगेना	30.9.81	,,
13.	श्रीमती मज्जनबाई	हथावदा	7.12.81	,,
14.	श्री रमेशचन्द	फरेरा	9.1.81	,,
15.	शारदा शर्मा	अयाना	7.8.81	,,
16.	श्रीमती शमीम बानो	अयाना	3.11.81	,,
17.	श्रीमती शशी कान्ता	अयाना	23.11.81	,,
18.	श्री मदनलाल नागर	लुआवद	30.11.81	,,
19.	श्रीमती दयावती	लुआवद	11.12.81	,,
20.	श्री धनराज	प्रेमपुरा	10.7.81	,,

परिशिष्ट 20

अतारांकित प्रश्न संख्या 850 की सूची

जिला चित्तौड़गढ़ के जलाशयों से प्राप्त आय वर्ष 1983-84

क. सं.	जलाशय का नाम		प्राप्त आय
1.	बन्ध सरुपा	रु0	9000/-
2.	बन्ध सोनियाना डैम	,,	25300/-
3.	बन्ध कांकरिया डैम	,,	2400/-
4.	बन्ध अरनीता	,,	1500/-
5.	बन्ध बाण गंगा मय नदी	,,	37000/-
6.	बन्ध वोरदा	,,	26500/-
7.	बन्ध कालादेह	,,	2200/-
8.	बन्ध सादी बान्ध	,,	1800/-
9.	बन्ध गम्भीरी	,,	601786/-
10.	बन्ध बनाकिया	,,	25100/-
11.	बन्ध मेवदा	,,	13300/-
12.	बन्ध उचकिया	,,	7200/-
13.	बन्ध ऊंचा	,,	3300/-
14.	बन्ध मुरलिया	,,	20200/-
15.	बन्ध बरडिया	,,	3300/-
		योग—	779886/-

397

परिशिष्ट-21

अतारांकित प्रश्न संख्या 851 की सूची

स्टाम्प पेपर (कीमत पांच रुपये)

शपथ–पत्र

मैं जुगल किशोर शर्मा उर्फ जुग्गा पुत्र स्व. श्री धन्नालाल शर्मा उम्र 72 साल ग्राम रामपुरा तहत तहसील फुलेरा जिला जयपुर बहल्फ निम्न बयान करता हूं कि–

1–यह है कि मेरे भ्राता का लड़का श्री भंवरलाल शर्मा का जन्म 30 अक्टूबर सन 1935 को तदनुसार मास कार्तिक सम्वत् 1992 को उपरोक्त ग्राम में हुआ था।

2–यह है कि मेरे बड़े भाई श्री महादेव प्रसाद शर्मा अर्थात् श्री भंवरलाल शर्मा के पिता थे, उनका स्वर्गवास सन 1978 अक्टूबर में हो गया है।

3–यह है कि उपरोक्त लिखित जन्म तारीख 30 अक्टूबर सन 1935 तीस अक्टूबर सन् उन्नीस सौ पैंतीस है सो भंवरलाल शर्मा की सही जन्म तिथि है।

ATTESTED
SD/–
NOTARY PUBLIC
JBAIPUR 14.4.80

नि. अ. जुगल किशोर
शपथग्रहीता

Identifid by
Sd/–
14 4.80

मैं जुगल किशोर शर्मा उर्फ जुग्गा बहल्फ तस्दीक करता व कहता हूं कि शपथ पत्र में लिखित तथ्य मेरे ज्ञान व विश्वास में सही है भगवान साक्षी है।

ADMITTED AND SWORN (Jugga)
Before me by Shri Jugal Kishore Sharma शपथग्रहीता नि. अ.
S/o Late Sh. Dhanna Lal Sharma
VPO Rampura Teh. Phulera on this
14th April, 1980
at 2.30 P.M.

(398)

Sd/-
Notary Public, Jaipur
14.4.80

ATTESTED
Sd/-
Notary Public
Jaipur
14.4.80

प्रमाणित किया जाता है कि श्री भंवरलाल शर्मा पुत्र स्व. श्री महादेव प्रसाद शर्मा निवासी ग्राम-रामपुरा-बोबास पंचायत, तहसील-सांभर जिला-जयपुर का उपलब्ध सूचना के अनुसार जन्म तिथि दिनांक तीस अक्टूबर सन् उन्नीस सौ पैंतीस है।

ह0/-
(राम गोपाल शर्मा)
उप सरपंच
ग्राम पंचायत बोबास तह.-फुलेरा।
जिला-जयपुर (राजस्थान)

दिनांक 5.7.1981

परिशिष्ट 22

अतारांकित प्रश्न संख्या 540 से सम्बन्धित सूची

क्र. सं	जिले का नाम	उन ग्राम पंचायतों की संख्या जिनके कार्यालय		
		पूरी तरह अपने स्वयं स्वयं के भवनों में चल रहे हैं।	पूरी तरह किराये के भवनों में चल रहे हैं।	आंशिक स्वयं के व आंशिक किराये के भवनों में चल रहे हैं।
1	2	3	4	5
1.	अजमेर	235	11	10
2.	अलवर	333	33	71
3.	बांसवाड़ा	184	6	—
4.	बाडमेर	237	4	10
5.	भरतपुर	145	5	9[illegible]
6.	धौलपुर	42	1	-
7.	भीलवाड़ा	232	96	8
8.	बीकानेर	110	7	7
9.	बून्दी	90	34	19
10.	चित्तौड़गढ़	212	95	—
11.	चूरू	154	4	41
12.	डूंगरपुर	162	11	1
13.	श्री गंगानगर	252	40	22
14.	जयपुर	451	109	24
15,	जैसलमेर	61	32	—

1	2	3	4	5
16.	जालौर	130	71	14
17.	झालावाड	152	46	11
18.	झुन्झुनू	156	9	42
19.	जोधपुर	208	20	17
20.	कोटा	225	34	30
21.	नागौर	263	60	35
22.	पाली	226	47	18
23.	सवाईमाधोपुर	280	74	34
24.	सीकर	216	44	16
25.	सिरोही	101	26	3
26.	टौंक	158	27	7
27.	उदयपुर	475	50	24
	कुलयोग	5400	996	563

परिशिष्ट–23

अतारांकित प्रश्न संख्या 542 की सूची

विकास अधिकारियों द्वारा वर्ष 1980–81 व 82–83 में किये गये पंचायतों के निरीक्षण की सूची

क्रम. सं.	नाम जिला	नाम पं. स.	वर्ष	नाम विकास अधिकारी जो कार्यरत रहा	अवधि जिसमें कार्यरत रहा	उन पंचायतों की संख्या जिसमें निरीक्षण किये गये	यदि निर्धारित दण्डों के अनुसार निरीक्षण किये गये तो उसके कारण
1–	2–	3–	4–	5–	6–	7–	8–
1–	अजमेर	केकड़ी	80–81	श्री सतीदयावती सक्सैना	80–81	7	पंचायत समिति की विभिन्न योजनाओं की क्रियान्विति के कारण एवं 20 सूत्रीय कार्यक्रम पर अधिक समय देने के कारण मापदण्ड के अनुसार पंचायतों के निरीक्षण नहीं किये जा सके।
			81–82	श्री मोहनलाल मित्तल	81–82	7	
			82–83	श्री दिलीप कुमार बत्रा	82–83	13	

1	2	3	4	5	6	7	8
2–	अजमेर	जवाजा	80–81	श्री मदनलाल जोशी	1–4–80 से 23–7–80	–	
				श्री जे.आर. नागोरी	23–7–80 से 31–10–80	–	
				श्री रमेशचन्द्र भार्गव	1–11–80 से 20–12–80	–	—
				श्री मिठ्ठनसिंह पंवार	20–12–80 से 3–3–81	(5)	—
			81–82	श्री मिठ्ठनसिंह पंवार	1–4–81 से 31–3–82	–	—
			82–83	श्री मिठ्ठनसिंह पंवार	1–4–82 से 31–3–83	–	—
	अजमेर	श्री नगर	80–81	श्री दीनदयाल शर्मा	1–4–80 से 9–10–80	–	—
				श्री वेदभगवान	10–10–80 से 31–3–81	(7)	—
			81–82	श्री वेदभगवान	1–4–81 से 13–4–81	–	—
				श्री नगेन्द्रशंकर गौड़ (कार्यवाहक)	14–4–81 से 1–5–81	–	कार्यवाहक विकास अधिकारी रहे (अल्पावधि में 20 सूत्रीय एवं एन. आर. ई. पी. विकास कार्यों में व्यस्त रहे।
				श्री बहादुरसिंह	2–5–81 से 31–3–82	7	
			82–83	श्री बहादुरसिंह	1–4–82 से 26–6–82	–	
				श्री विपन्नेद्रकुमार पाठक (कार्यवाहक)	26–6–81 से 28–10–82	–	
				श्री नगेन्द्रशंकर गौड़	29–10–82 से 31–3–83	7	कार्यवाहक विकास अधिकारी रहे। 20 सूत्रीय कार्यक्रम एन.

1	2	3	4	5	6	7	8
							आर. ई. पी. विकास कार्यों में व्यस्त रहने के कारण।
4–	अजमेर	मसूदा	80–81	श्री ताराचन्द बाकलीवाल	80–81	–	—
			81–82	श्री ताराचन्द बाकलीवाल	81–82	7	—
			82–83	श्री ताराचन्द बाकलीवाल	1–4–82 से 17–10–82	–	—
				श्री मोहनलाल मित्तल	18–10–82 से 31–3–83	2	20 सूत्रीय कार्यक्रम के लक्ष्य प्राप्ति के कार्यक्रम में व्यस्त रहने के कारण नहीं किये जा सके।
5–	अजमेर	अराई	80–81	श्री दीनदयाल शर्मा	80–81	–	—
			81–82	श्री दीनदयाल शर्मा	81–82	–	—
			82–83	श्री दीनदयाल शर्मा	82–83	–	—
6–	अजमेर	पीसांगन	80–81	श्री घनश्याम शर्मा	1–4–80 से 27–10–80	5	राहत कार्यों के कार्य अधिक होने के कारण कम रहे।
				श्री भवानीसिंह राठौड़	3–11–80 से 31–3–81	4	,, ,, ,,
			81–82	श्री भवानीसिंह राठौड़	1–4–81 से 31–3–82	10	एन. आर. ई. पी. कार्य, 20 सूत्री कार्यक्रम आदि अन्य कार्यों में अधिक व्यस्त होने के
			82–83	श्री भवानीसिंह राठौड़	1–4–82 से 10–10–82	6	
				डा. ओ. पी. मायुर	11–10–82 से 13–1–83	2	

1	2	3	4	5	6	7	8
							कारण निरीक्षण कम किये जा सके।
				श्री मदनलाल जोशी	14–1–83 से 31-3–83	2	,, ,, ,,
7–	अजमेर	किशनगढ़	80–81	श्री ओमप्रकाश कोशिक	1–4–80 से 16–7–80	4	राज्य सरकार द्वारा दिये गये अन्य विकास कार्यों को
				श्री मिठूलाल सांखला	17–7–80 से 1–8–80	–	
				श्री सूरजमल शर्मा	1–8–80 से 19–9–81	4	सम्पादित करने में पंचायतों के निरीक्षण नहीं किया जा सके।
			81–82	श्री मीठूलाल सांखला	11–12–81 से 21–8–82	5	
			82–83	श्री रामकृष्ण शर्मा	21–8–82 से 26–8–83	7	
8–	अजमेर	भिनाय	80–81	श्री मोहनलाल मित्तल	1–4–80 से 30-9–80	4	—
				श्री दिलीपकुमार बत्रा	1–10–80 से 31–3–81	1	–
			81–82	श्री दिलीपकुमार बत्रा	1–4-81 से 31–3–82	–	—
			82–83	श्री दिलीपकुमार बत्रा	1–4–82 से 24–6–82	–	—
				श्री मोहनलाल मित्तल	26–6–82 से 23–9-82	–	—
				श्री प्रभूसिंह गहलोत	24–9–82 से 25–2–83	1	प्रशासन गांवों की ओर कार्यक्रम में व्यस्त रहने के कारण निरीक्षण नहीं किये जा सके।
				श्री चन्द्रशेखर शर्मा	26–2–83 से 31–3–83	3	प्रशासन गांवों की ओर तथा गृह निर्माण योजना एवं बैंक
9-	अलवर	रामगढ़	80–81	श्री सुरेन्द्रपालसिंह	14–2–80 से 8–12–80	4	

1	2	3	4	5	6	7	8
				श्रीमती कमला जैन	8-12-80 से 11-2-81	2	व्यवस्थापकों के कैम्प आदि में व्यस्त रहने के कारण पंचायत समिति में अत्यधिक विकास योजनाए होने के फलस्वरूप समयअभाव के कारण मापदण्ड के अनुसार निरीक्षण नहीं किये जा सके।
			81-82	श्री यदुवीरसिंह	1-4-82 से 31-3-82	9	
			82-83	श्री यदुवीरसिंह	1-4-82 से 31-3-83		
10-	अलवर	थानागाजी	80-81	श्री भगवन्तसिंह	1-4-80 से 2-1-81	3	योजनाओं के कार्यों में काम रहने के कारण निरीक्षण नहीं किये जा सके।
				श्री बाबूलाल शर्मा	3-1-81 से 15-2-81	–	
			81-82	श्रीमती कमला जैन	16-2-81 से 31-5-81	2	
				श्री भोजराज	13-8-81 से 4-6-82	5	"
			82-83	श्री गोकुलचन्द	28-8-82 से 8-2-83	3	"
				श्री रामजीलाल जैन	10-2-83 से 31-3-83	3	"
11-	अलवर	रैणी	80-81	श्री सन्तराम गुप्ता	1-4-80 से 31-3-81	–	"
			81-82	श्री महेन्द्रसिंह	1-4-82 से 31-3-82		"
			82-83	श्री महेन्द्रसिंह	1-4-82 से 31-3-81		"
12	अलवर	कठूमर	80-81	श्री रामजीलाल जैन	1-4-80 से 19-11-80	5	पंचायत समिति में विभिन्न अभियानों में व्यस्त रहने
				श्री बाबूलाल जैन	20-11-80 से 19-9-81	10	

1	2	3	4	5	6	7	7
			81–82	श्री भगवतसिंह	19–9–81 से 31–3–82	30	राजस्व अभियान, परिवार कल्याण, काम के बदले अनाज योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण योजना, भूखण्ड वितरण के कारण के समयअभाव के कारण निरीक्षण नहीं किये जा सके ।
			82–83	श्री भगवतसिंह	1–4–82 से 31–3–83	30	
—	—	—	—	—	—	—	
13	अलवर	राजगढ़	80–81	श्री गोपालकृष्ण भार्गव	1–4–80 से 31–3–81		,, ,,
				श्री गोपालकृष्ण भार्गव	1–4–81 से 25–6–81		,, ,,
				श्री मुरारीलाल शि.प्र.अ.	20–6–81 से 30–6–81		—
			82–83	श्री बालस्वरूप मीणा	1–7–81 से 14–10–81		—
				श्री मुरारीलाल शि.प्र.अ.	17–10–81 से 5–11–81		—
				श्री गोपालकृष्ण भार्गव	5–11–81 से 31–3–83	5	—
14	अलवर	कोटकासिम	80–81	श्री जगन्नाथ शर्मा	1–4–80 से 31–8–80	5	समय अभाव के कारण निरीक्षण नहीं किये जा सके ।
				श्री गोकुलचन्द अग्रवाल	6–10–80 से 31–12–80	3	
				श्री मेघश्याम शर्मा	31–12–80 से 31–3–81	3	—
			81–82	श्री मेघश्याम शर्मा	81–82	21	,, ,,
			82–83	श्री मेघश्याम शर्मा	1–4–82 से 31–3–83	21	,, ,,

1	2	3	4	5	6	7	8
15–	अलवर	तिजारा	80–81	श्री सरनामसिंह	सितम्बर, 79 से 10/80	5	पंचायत समिति में चल रहे विभिन्न अभियानों में व्यस्त रहने के कारण निरीक्षण नहीं किये जा सके।
				श्री ओमप्रकाश मल्होत्रा	अक्टूबर, 80 से 3/81	–	
			81–82	श्री भगवतसिंह	अप्रैल, 81 से सितम्बर, 81	–	,, ,,
				श्री ईश्वरमल वर्मा	अक्टूबर, 81 से 2/82	4	अल्प अवधि रहने एवं अभियानों में व्यस्त रहने के कारण।
			82–83	श्री लालाराम शर्मा	अप्रैल, 82 से 2/83	4	
16–	अलवर	नीमराना	80–81	श्री चन्द्रपालसिंह	1–4–80 से 31–3–81	30	—
			81–82	श्री चन्द्रपालसिंह	1–4–81 से 14–2–82	30	
			82–83	श्री दुर्गविजयराम	15–2–82 से 31–3–83	22	शेष शीघ्र किये जायेंगे।
17–	अलवर	बानसूर	80–81	श्री सूर्यनारायण शर्मा	80–81	17	समय अभाव के कारण नहीं किये जा सके।
			81–82	श्री लक्ष्मीनारायण अग्रवाल	81–82	––	—
			82–83	श्री लक्ष्मीनारायण अग्रवाल	82–83	11	—
18–	अलवर	किशनगढ़-बास	80–81	श्री अजयपालसिंह	1–4–80 से 21–12–80	2	आई० आर० डी० पी० व 20 सूत्रीय कार्यक्रम में व्यस्त
			81–82	श्री भगवतसिंह	9–2–81 से 3–5–81	1	

(408)

1	2	3	4	5	6	7	8
			82–83	श्री दलीपसिंह	8–5–81 से 31–3–83	1	रहने के कारण नहीं किये जा सके।
19–	अलवर	उमरैन	80–81	श्रीमती कमला जैन	4–80 से 9/80	–	—
				श्री प्रेमनारायण माथुर	10–80 से 31–3–81	6	पंचायत समिति में विभिन्न
			81–82	श्री प्रेमनारायण माथुर	1–4–81 से 31–3–82	–	कार्यों में कैम्पों में व्यस्त रहने
			82–83	श्री प्रेमनारायण माथुर	1–4–82 से 31–3–82	–	के कारण निरीक्षण नहीं किये जा सके।
20–	अलवर	लक्ष्मनगढ़	80–81	श्री धीरसिंह पंवार	1–4–80 से 31–3–81	–	—
				श्री धीरसिंह पंवार	1–4–81 से 22–10–81	10	—
				श्री फूलचन्द शर्मा	23–10–81 से 1–11–81	—	—
				श्री गोकुलचन्द अग्रवाल	20–11–81 से 30–6–82	—	—
				श्री रामजीलाल जैन	1–7–82 से 21–2–83	20	—
				श्री गोकुलचन्द अग्रवाल	11–3–83 से 31–3–83	20	—
21–	अलवर	मुण्डावर	80–81	श्री सांवतसिंह	80–81	—	—
			81–82	श्री सांवतसिंह	81–82	—	—
			82–83	श्री सांवतसिंह	82–83	—	—
22–	अलवर	बहरोड	80–81	श्री कृष्णपालसिंह	80–81	7	—

1	2	3	4	5	6	7	8
			81-82	श्री कृष्णपालसिंह	81-82	9	—
			82-83	श्री कृष्णपालसिंह	82-83	15	—
23-	बाड़मेर	बाडमेर	80-81	श्री केशवचन्द्र शर्मा	19-4-80 से 31-3-81	17	हर वर्ष अगस्त व सितम्बर तक अकाल की स्थिति रहने के कारण सहायता कार्यों में व्यस्त रहा।
			81-82	श्री केशवचन्द्र शर्मा	1-4-81 से 31-3-82	22	,, ,,
			82-83	श्री केशवचन्द्र शर्मा	1-4-82 से 31-3-83	25	,, ,,
24-	बाड़मेर	शिव	80-81	श्री नाहरसिंह चौहान	80-81	—	जनगणना के 80-81 के प्रथम व द्वितीय खोज के अतिरिक्त तहसील जनगणना अधिकारी का कार्य करने व अकाल राहत कार्य व आई. आर. डी. पी. की योजना कार्य में व्यस्त रहने के कारण।
			80-81	श्री नाहरसिंह चौहान	81-82	—	अकाल राहत कार्यों की अधिकता एवं आई० आर०

1	2	3	4	5	6	7	8
							डी० पी० की योजना कार्य में व्यस्त रहने के कारण ।
			82–83	श्री नाहरसिंह चौहान	82–83	—	,, ,,
25–	बाड़मेर	बायतु	80–81	श्री रूपनारायण शर्मा	1–4–80 से 12–4–80	—	—
				श्री केशवचन्द्र वर्मा	12–4–80 से 9–12–80	—	—
				श्री महेश्वरसिंह सूद	10–12–80 से 22–1–81	—	—
			81–82	श्री ओमदत्त गौड़	22–1–82 से 6–8–82	—	—
			82–83	श्री रणछोड़दास नामा	7–8–82 से 31–3–83	—	—
26–	बाड़मेर	सिवाना	80–81	श्री देवीसिंह राठौड़	1–4–80 से 2–10–80	—	राज्य सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाओं की क्रियान्विति में व्यस्त रहने के कारण ।
				श्री पूनमचन्द पुरोहित	2–10–80 से 31–3–81	—	,, ,,
			81–82	श्री पूनमचन्द पुरोहित	8–1–82	—	,, ,,
			82–83	श्री पूनमचन्द पुरोहित	82–83	—	,, ,,
27–	बाड़मेर	चोहटन	80–81	श्री रतिरंजन जोशी	10–4–80 से 23–8–80	3	चुनाव फेमिन तथा अन्य विकास कार्यों में व्यस्त रहने

1	2	3	4	5	6	7	8
							के कारण नहीं किये जा सके ।
				श्री भवानीसिंह कार्य० वा०	24-8-80 से 1-1-81	5	,, ,,
				श्री गोकुलचन्द अग्रवाल	2-1-81 से 3-2-81	5	,, ,,
			81-82	श्री लक्ष्मीधर पुरोहित	26-2-81 से 31-3-82	3	,, ,,
			82-83	श्री लक्ष्मीधर पुरोहित	1-4-82 से 31-3-83	2	,, ,,
28-	बाड़मेर	धोरीमन्ना	80-81	श्री केशवचन्द्र वर्मा	1-4-80 से 28-4-80	7	लगातार फेमिन कार्य होने के कारण कार्य में व्यस्त रहने के कारण ।
				श्री मानसिंह लम्बावत	2-5-80 से 14-8-80	—	,, ,,
				श्री चौथमल खत्री	14-8-80 से 2-9-80	—	,, ,,
				श्री सज्जनसिंह दतुआ	3-9-80 से 31-3-81	—	,, ,,
			81-82	श्री सज्जनसिंह दतुआ	1-4-81 से 31-3-82	—	,, ,,
			82-83	श्री सज्जनसिंह दतुआ	1-4-82 से 1-7-82	—	,, ,,
				श्री रिखबदास जैन	2-7-82 से 7-11-82	—	,, ,,
				श्री देवदत्त शर्मा	8-11-82 से 31-3-83	—	,, ,,
29-	बाड़मेर	सिगधरी	80-81	श्री मदनलाल जोशी	80-81	11	20 सूत्री कार्यक्रम एवं आई०

(511)

1	2	3	4	5	6	7	8
							आर० डी०पी० ट्राइसम योजना, रा० ग्रा० रो० यो०, दूरबीन नसबन्दी कार्यक्रम फेमिन कार्य में व्यस्त रहने के कारण।
			81–82	श्री मदनलाल जोशी	81–82	7	,, ,,
			82–83	श्री मदनलाल जोशी	82–83	11	,, ,,
30–	बाड़मेर	बालोतरा	80–81	श्री बसन्तपुरी गोस्वामी	1–4–80 से 7/80	—	लगातार फेमिन कार्य होने एवं कार्य की अधिकता के कारण नहीं किये जा सके।
				श्री रणछोड़दास नामा	10/80 से 31–3–81	—	,, ,,
			81–82	श्री रणछोड़दास नामा	81–82	5	,, ,,
			82–83	श्री द्वारकादास	8/82 से 10/82	—	,, ,,
				श्री असगर हुसैन उस्मानी	10/82 से 2/83	—	,, ,,
				श्री गुलाबसिंह	2–83 से 31–3–83	—	,, ,,
31–	बांसवाड़ा	तलवाड़ा	80–81	श्री नटवरलाल दोशी	80–81	1	,, ,,
			81–82	श्री गौतमलाल भट्ट	18–4–81 से 31–3–82	—	,, ,,
			82–83	श्री गौतमलाल भट्ट	82–83	8	,, ,,

1	2	3	4	5	6	7	8
32–	बांसवाड़ा	बागीडोरा	80–81	श्री योगनारायणपांड्या	1–4–80 से 8–3–81	2	काम के बदले अनाज कार्य में व्यस्त रहने के कारण।
			81–82	श्री मदनमोहन त्रिवेदी	2–3–81 से 22–11–81	1	—
		बागीडोरा		श्री बालस्वरूप मीणा	23–11–81 से 27–1–82	—	—
				श्री मदनमोहन	27–1 82 से 24–8–82	1	—
			82–83	श्री कन्हैयालाल दोषी	24-8–82 से 31–3–83	3	—
33–	बांसवाड़ा	गढ़ी	80–81	श्री पी० डी० मसीह	1–4–80 से 26–11–80	5	—
				श्री जगदीशचन्द्र भट्ट	27–11–80 से 31–3–81	7	—
			81–82	श्री जगदीशचन्द्र भट्ट	1–4–81 से 31–3–82	—	—
			82–83	श्री जगदीशचन्द्र भट्ट	1–4–82 से 30–9–82	5	—
				श्री रविन्द्रपाल मेहता	1–10–82 से 31–3–83	5	—
34–	बांसवाड़ा	सज्जनगढ़	80–81	श्री भीमचन्द जैन	1–4–80 से 17–1–81	6	सरपंचों की उपस्थिति निरीक्षण की अवधि में नहीं रहने तथा अन्य अकस्मिक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण।
				श्री नील के स्वर्णकार	18–1–81 से 31–3–81	6	,, ,,
			81–82	श्री नील के स्वर्णकार	1–4–81 से 30–11–81	—	,, ,,

413

1	2	3	4	5	6	7	8
				ईसरईसएहमद	1-12-81 से 20-12-81	—	कम अवधि के कारण।
				श्री राजकमल गांधी	21-12-81 से 31-3-82	5	सरपंचों की उपस्थिति निर्धारित दिनांकों में नहीं रहने के कारण एवं अन्य आकस्मिक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण।
				श्री राजकमल गांधी	1-4-82 से 13-5-83	5	
35-	बांसवाड़ा	आनन्दपुरी	80-81	श्री हस्तबहादुरसिंह	1-4-80 से 8-12-80	—	—
				श्री नटवरलाल शर्मा	9-12-80 से 1-1-81	—	—
				श्री अजयपालसिंह	2-1-81 से 31-1-81	—	—
				श्री छोवरलाल व० लि०	31-1-81 से 15-3-81	—	—
			81-82	श्री बाबूलाल जोशी	16-3-81 से 31-3-82	—	—
3..	बांसवाड़ा	ाटोल	80 81	श्री राजकुमार शर्मा	18 9 80 से 18 11 80		पंचायत समिति में प्रसार अधिकारियों का अभाव एवं 20 सूत्रीय कार्यक्रम की अधिकता के कारण।
				श्री रईस अहमद	19 11 80 से 3 1 81		—
				श्री धनश्याम जोशी	4 1 81 से 31 3 81	1	—

1	2	3	4	5	6	7	8
			81–82	श्री घनश्याम जोशी	1–4–81 से 31–3–82	5	—
			82–83	श्री घनश्याम जोशी	1–4–82 से 31–3–83	3	—
37–	बांसवाड़ा	कुशलगढ़	80 81	श्री इच्छाशंकर जोशी	1–4–80 से 31–3–81	4	स्थाई विकास अधिकारी नहीं रहने आई. आर.डी.पी.20 सूत्रीय कार्यक्रम परिवार नियोजन एवं अन्य कार्यों में व्यस्त रहने के कारण।
			81 82	श्री इच्छाशंकर जोशी	1–4–82 से 31–3–83	5	
			82 83	श्री इच्छाशंकर जोशी	1–4–82 से 31–3–83	9	
38	बांसवाड़ा	पीपलखूंट	80 81	श्री नाथूसिंह	1–4–80 से 27–5–80		—
				श्री खलिल अहमद	28–5–80 से 29–12–80	—	—
				श्री हनुमानप्रसाद कुमावत	6–1–81 से 31–3–81	—	—
			81–82	श्री हनुमानप्रसाद कुमावत	1–4–81 से 8–7–81	—	—
				श्री शंकरलाल दोषी	10–7–81 से 11–11–81	2	—
				श्री विश्वनाथ सहानी	12–11–81 से 3–7–82	–	—
				श्री शंकरलाल दोषी	7–4–82 से 31–3–83	1	—
39–	भरतपुर	कुम्हेर	80–81	श्री रामसिंह वर्मा	1–4–80 से 31–3–81	3	पंचायत समिति में चलाये गये अभियानों में व्यस्त रहने तथा समयाभाव के कारण निर्धारित
			81–82	श्री रामसिंह वर्मा	1–4–82 से 31–3–82	26	
			82–83	श्री रामसिंह वर्मा	1–4–82 से 15–2–83	12	

1	2	3	4	5	6	7	8
			82–83	श्री रामस्वरूप शर्मा	16–2–83 से 31–3–83	–	निरीक्षण नहीं किये जा सके।
40–	भरतपुर	सेवर	80–81	श्री मदनलाल मीणा	15–3–80 से अक्टूबर 80	7	,, ,,
				श्री लालाराम शर्मा	अक्टूम्बर से 31–1–81	5	—
			81–82	श्री अजयपालसिंह	फरवरी 81 से 31–3–82	1	—
			82–83	श्री अजयपालसिंह	1–4–82 से 31–3–82	–	—
41–	भरतपुर	नदबई	80–81	श्री बालमुकुन्द पंवार	अप्रेल 80 से जुलाई 80	8	सरपंचों के समय पर न मिलने के कारण निरीक्षण नहीं किये जा सके।
			81–82	श्री महेन्द्रसिंह	29–7–80 से 11–9–81	18	
			81–82	श्री सन्तराम गुप्ता	11–9–81 से अगस्त 82	6	
			82–83	श्री अमरसिंह	21–8–82 से 31–3–83	18	,, ,,
42–	भरतपुर	डीग	80–81	श्री सूर्यलाल पुरोहित	1–4–80 से 31–3–81	14	—
			81–82	श्री सूर्यलाल पुरोहित	1–4–81 से 12–5–81	–	—
				श्री ज्ञानचन्द यादव ए.एच.ई.ग्रो.	13–5–81 से 22–5–81	–	
				श्री रामजीलाल जैन	13–6–81 से 31–3–82	–	—
				श्री रामजीलाल जैन	1–4–82 से 30–6–82	–	—
				श्री ज्ञानचन्द यादव ए.एच.ई.ग्रो. कार्यवाहक विकास ग्रधिकारी	1–7–82 से 31–3–83	1	—

1	2	3	4	5	6	7	8
43–	भरतपुर	नगर	80–81	श्री लालाराम	3/80 से 10/80	10	--
			81–82	श्री सरनामसिंह	10/80 से 10/82	5	—
			82–83	श्री सज्जनसिंह	10/82 से 10/83	8	—
44–	भरतपुर	कामां	80–81	श्री शान्तिप्रसाद शर्मा	80–81	22	राज्य कार्यों में व्यस्त रहने के
			81–82	श्री देवदत्त शर्मा	81–82	6	कारण नहीं किये जा सके।
			82–83	श्री रामानन्द शर्मा	7–2–82 से 31–3 83	1	,, ,,
45–	भरतपुर	बयाना	80–81 व 81–82	श्री राममोहन गुप्ता	1–4–80 से 26–6–82	1	,, ,,
			82–83	श्री नेताराम सिंह	27–5–82 से 6–6–83	–	,, ,,
46–	भरतपुर	वैर	80–81 व 81–82	श्री रोशनलाल	1–480 से 16–8–81	–	,, ,,
			81–82	श्री नेतरामसिंह	17–8–81 से 7–6–82	–	,, ,,
			82–83	श्री रोशन मोदी	8–6–82 से 17–10–82	–	,, ,,
				श्री बांकेबिहारीलाल	18–10–82 से 3–12–82	–	,, ,,
				श्री रोशनलाल मोदी कार्य. वि. अ.	4–12–82 से 31–1–83	–	,, ,,
				श्री लक्ष्मीचन्द गुप्ता	1–2–83 से 31–3–83	–	,, ,,

(417)

1	2	3	4	5	6	7	8
47–	रूपवास	रूपवास	80–81	श्री अमरसिंह	1–4–80 से 31–3–81	29	—
			81–82	श्री अमरसिंह	1–4–81 से 31–3–82	32	—
			82–83	श्री राधेश्याम गुप्ता	1–4–82 से 31–8–82	–	—
				श्री सन्तराम गुप्ता	1–9–82 से 31–3–83	–	—
48–	भीलवाड़ा	शाहपुरा	80–81	श्री गुलाबचन्द वर्मा	15–12–80 से 31–3–81	1	—
			81–82	श्री गुलाबचन्द वर्मा	1–4–81 से 3–2–82	–	—
			82–83	श्री बालचन्द शर्मा	3–2–83 से 27–2–83	–	—
49–	भीलवाड़ा	माण्डल	80–81	श्री मीठालाल सांखला	1–4–80 से 15–7–80	4	राज्य कार्य की अधिकता के कारण व नई योजनाओं में व्यस्त रहने के कारण।
				श्री दलीपसिंह यादव	26–7–80 से 20–11–80	1	
				श्री शान्तीलाल पाटनी	26–11–80 से 31–3–81	1	
			81–82	श्री शान्तीलाल पाटनी	1–4–81 से 31–3–82	7	—
			82–83	श्री शान्तीलाल पाटनी	1–4–82 से 31–3–83	1	—
50–	भीलवाड़ा	कोटडी	80–81	श्री गोपाल शर्मा	1–4–80 से 24–9–80	–	—
				श्री मदनलाल जोशी	29–9–80 से 29–4–81	3	—
			81–82	श्री सुन्दरनाथ व्यास	30–4–81 से 4–9–81	–	—
				श्री रामकिशन जगोटिया	5–9–81 से 31–3–82	–	—
			82–83	श्री रामकिशन जगोटिया	1–4–82 से 31–3–83	19	...

1	2	3	4	5	6	7	8
51–	भीलवाड़ा	सुवाणा	80–81	श्री मथुरालाल अजमेरा	1–4–80 से 26–7–80	1	—
				श्री शान्तीलाल पाटनी	27–7–80 से 21–11–80	1	
				श्री मीठालाल सांखला	10–11–80 से 17–1–81	–	—
			81–82	श्री श्यामसुन्दर भटट्	1–4–81 से 31–3–82	21	
			82–83	श्री श्यामसुन्दर भटट्	1–4–82 से 31–3–83		—
52–	भीलवाड़ा	आसीन्द	80–81	श्री प्रेमसिंह सोलंकी	1–4–80 से 14–7–80	–	स्थाई विकास अधिकारी नहीं
				श्री प्रेमसिंह डोडिडा	15–7–80 से 31–10–80	–	होने के कारण ।
				श्री घनश्याम शर्मा	1–11–80 से 17–3–81	–	—
			81–82	श्री मांगीलाल वैष्णव	18–3–81 से 30–8–81	–	—
				श्री मदनलाल जोशी	31–8–81 से 13–10–81	–	—
			82–83	श्री शिवदयाल पारीक	18–1–82 से 31–3–83	5	—
53–	भीलवाड़ा	हुरडा	80–81	श्री सौभागरूपराय	30–9–80 से 31–3–81	5	अवधि रहने के कारण ।
			81–82	श्री सौभागरूपराय	1–4–81 से 26–10–81	,,	
			82–83	श्री शहजादखां	9–6–82 से 31–3–83	–	विभिन्न योजनाओं में व्यस्त रहने के कारण ।
54–	भीलवाड़ा	माण्डलगढ़	80–81	श्री सुवेसिंह डाका	1–4–80 से 3–10–80	4	पंचायत समिति के विभिन्न
			81–82	श्री गणेशनारायण अटल	1–4–81 से 16–11–81	6	कार्यों में व्यस्त रहने के कारण

1	2	3	4	5	6	7	8
				श्री मोतीलाल मनहर	5–12–81 से 31–3–82	17	निरीक्षण नहीं किये जा सके।
			82–83	श्री मोतीलाल मनहर	1–4–82 से 31–3–83	–	—
55–	भीलवाड़ा	बनेड़ा	80–81	श्री देवीदत्त शर्मा	1–4–80 से 31–9–80	–	अकाल कार्यों में व्यस्त रहने
				श्री प्रेमसिंह सोलंकी	1–10–80 से 31–3–83	–	के कारण।
			81–82	श्री प्रेमसिंह सोलंकी	1–4–81 से 30–4–81	–	विकास कार्यों में व्यस्त रहने के
				श्री शिवदयाल सोनी	1–5–81 से 31–7–82	–	कारण।
			82–83	श्री हरि कुमार बक्षी	8–7–82 से 22–10–82	–	—
				श्री गोपाल शर्मा	23–10–82 से 31–3–83	–	विकास कार्यों में व्यस्त रहने के
						–	कारण।
56–	भीलवाड़ा	रायपुर	80–81	श्री राधेश्याम भावन	अप्रेल 80 से 31–3–81	16	विकास कार्यों में व्यस्त रहने के कारण।
			81–82	श्री राधेश्याम भावन	1–4–81 से 13–11–81		
				श्री एन. जी. निगम	नवम्बर 81 से 31–3–82	12	
			82–83	श्री एन. जी. निगम	1–4–82 से 31–3–83		
57–	भीलवाड़ा	सहाड़ा	80–81	श्री भंवरलाल माहे.	1–4–80 से 31–3–81		राज्य सरकार से स्वीकृत
			81–82	श्री भंवरलाल माहे.	1–4–81 से 31–3–82	–	विभिन्न योजनाओं में कार्य
			82–83	श्री भंवरलाल माहे.	1–4–82 से 21–8–82	–	सम्पादन कराने के कारण
							निरीक्षण नहीं किये जा सके

1	2	3	4	5	6	7	8
				श्री जे. पी तिवाड़ी कार्यवाहक	22–8–82 से 5–9–82	--	निम्न योजनाओं का कार्य किया काम के बदले अनाज । रा० ग्रा० रोजगार योजना, अन्त्योदय, पिछड़े को पहले, परिवार कल्याण, 20 सूत्रीय कार्यक्रम ,
58–	भीलवाड़ा	जहाजपुर	80–81	श्री महेन्द्रसिंह	20–2–80 से 24–7–80	29	—
				श्री बालमुकुन्द	25–7–80 से 23–11–80	—	राज्य सरकार द्वारा बार बार विकास अधिकारी के स्थानान्तरण होने मे नहीं किये जा सके ।
				श्री दुर्गविजयराय	24–11–80 से 29–11–80	—	
				श्री बालमुकुन्द	1–1–81 से 20–1–81	—	,, ,,
				श्री रामकृष्ण जोठिया	21–1–81 से 18–3–83	—	,, ,,
				श्री घनश्याम शर्मा	19–3–81 से 31–3–81	—	,, ,,
			81–82	श्री घनश्याम शर्मा	1–4–81 से 18–4–81	—	,, ,,
				श्री घनश्याम शर्मा	25–4–81 से 29–4–81	—	,, ,,
				श्री घनश्याम शर्मा	11–5–81 से 26–8–81	2	,, ,,
				श्री बालमुकुन्द	29–8–81 से 2–10–81	—	,, ,,

1	2	3	4	5	6	7	8
				श्री घनश्याम शर्मा	3–10–81 से 6–11–81	—	राज्य सरकार द्वारा बार बार विकास अधिकारी के स्थानान्तरण होने से नहीं किये जा सके ।
				श्री गणेशनारायण अटल	21–11–81 से 31–3–81	—	
			82–83	श्री गणेशनारायण अटल	1–4–82 से 6–6–83	6	,, ,,
59–	बीकानेर	बीकानेर	80–81	श्री गोपालसिंह	1–4–80 से 1–8–80	—	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार एवं अकाल राहत कार्य व्यस्त रहने के कारण ।
				श्री रामकुमार	2–8–80 से 31–3–81	—	,, ,,
			81–82	श्री रामकुमार	1–4–81 से 31–3–82	—	,, ,,
			82–83	श्री रामकुमार	1–4–82 से 31–3–83	—	,, ,,
60–	बीकानेर	लूणकरणसर	80–81	श्री हरिराम	1–4–80 से 31–3–81	—	,, ,,
			81–82	श्री हरिराम	81–82	—	,, ,,
			82–83	श्री हरिराम	82–83	—	,, ,,
61–	बीकानेर	कोलायत	80–81	श्री इन्द्र शर्मा	80–81	20	,, ,,
			81–82	श्री इन्द्र शर्मा	81–82	22	,, ,,
			82–83	श्री इन्द्र शर्मा	82–83	18	,, ,,

1	2	3	4	5	6	7	8
62–	बीकानेर	नोखा	80–81	श्री रामकुमार	1–4–80 से 15–7–80	8	—
				श्री गोपालसिंह	16–7–80 से 31–3–81	20	—
			82–83	श्री गोपालसिंह	82–83	20	—
63–	बूंदी	केशवराय पाटन	80–81	श्रीमति सुशीला सक्सैना	80–81	—	—
			81–82	श्रीमति सुशीला सक्सैना	81–82	—	—
			82–83	श्रीमति सुशीला सक्सैना	82–83	—	—
64–	बूंदी	नैनवा	80–81	श्री शिवदयाल सोन	21–2–80 से 14–11–80	9	—
			81–82	श्री देवीदत्त शर्मा	4–6–81 से 31–12–81	7	—
			82–83	श्री देवीदत्त शर्मा	जनवरी 82 से मई 83	—	—
65–	बूंदी	हिण्डोली	80–81	श्री हनुमानसिंह हाडा	18–2–80 से 29–4–80	—	अल्प अवधि के कारण 2 शिक्षा प्रसार प्रधिकारियों द्वारा कार्य वाहक वि० प्रा० कार्य किया और अन्य कार्यों में व्यस्त रहने के कारण नहीं किये जा सके।
				श्री महावीर प्रसाद श्रीमान	29–4–80 से 31–3–81	—	
			81–82	श्री महावीरप्रसाद श्रीमान	1–4–81 से 25–6–82	—	
			82–83	श्री गोपाल शर्मा	25–6–82 से 17–9–82	—	
				श्री गजराजसिंह हाडा	17–9–82 से 29–10–82	—	
				श्री सूरजमल शर्मा	29–10–82 से 31–3–83	—	

५२५

1	2	3	4	5	6	7	8
66-	बूंदी	तालेडा	80-81	श्री रामेश्वरप्रसाद शर्मा	1-4-80 से 31-3-81	—	—
			81-82	श्री रामेश्वरप्रसाद शर्मा	81-82	—	—
			82-83	श्री रामेश्वरप्रसाद शर्मा	82-83	—	—
67-	चित्तौड़गढ़	भूपाल सागर	80-81	श्री पुरुषोत्तम ठठेरा	1-4-80 से 24-10-80	—	आई. आर.डी. पी. के कार्य में व्यस्त रहने के कारण।
				श्री धूपनारायण पाण्डे	24-10-80 से 2-8-81	3	—
			81-82	श्री जयलाल बोहरा	3-8-81 से 6-9-81	—	बीस सूत्रीय कार्य में व्यस्त रहने के कारण।
				श्री धूपनारायण पाण्डे	17-9-81 से 27-11-81	—	—
				श्री जयलाल बोहरा	28-11-81 से 31-3-82	2	एन. आर. ई. पी. एवं आई. आर. डी पी. तथा बीस सूत्रीय कार्यक्रम में व्यस्त रहने के कारण।
			82-83	श्री जयलाल बोहरा	1-4-82 से 17-8-82	—	
				श्री राजकुमार शर्मा	18-8-82 से 10-2-83	—	—
				श्री जयलाल बोहरा	11-2-83 से 31-3-83	—	—
68-	चित्तौड़गढ़	भदेसर	80-81	श्री बाबूलाल जैन	1-4-80 से 1-9-80	—	राज्य कार्य की अधिकता के

1	2	3	4	5	6	7	8
				श्री सुमेतेन्द्र धूमन	2–9–80 से 17–11–80	–	कारण पंचायतों के निरीक्षण नहीं किये जा सके।
				श्री एन. जी. निगम	18–11–80 से 31–3–81	5	....
		भदेसर	81–82	श्री एन. जी. निगम	1–4–81 से 23–11–81	3	,, ,,
				श्री सुमतेन्द्र धूमन कार्या. वा.	24–11–81 से 26–11–82	—	,, ,,
				श्री नन्दलाल अजमेरा	27–11–81 से 31–3–82	4	,, ,,
			82–83	श्री नन्दलाल अजमेरा	1–4–82 से 20–2–83	10	,, ,,
				श्री रतनलाल चांगवाल	21–2–83 से 31–3–83	—	
69–	चित्तौड़गढ़	निम्बाहेड़ा	80–81	श्री यशवन्तसिंह	1–4–80 से 29–7–80	12	आई. आर. डी. योजना परिवार कल्याण अभियान में व्यस्त रहने के कारण नहीं किये जा सके।
				श्री देवदत्त शर्मा	30–7–80 से 18–6–81	12	
			81–82	श्री दामोदर कालिया कार्य.	19–6–81 से 3–7–81	5	
				श्री पुरूषोत्तम ठठेरा	4–7–81 से 6–9–81	5	—
				श्री देवदत्त शर्मा	7–9–81 से 20–10–81	5	

1	2	3	4	5	6	7	8
				श्री दामोदरलाल	21-10-81 से 31-3-82	—	आई. आर. डी. योजना परिवार कल्याण कार्यक्रम 20 सूत्रीय कार्यक्रम में व्यस्त रहने के कारण निरीक्षण नहीं किये जा सके।
			82-83	श्री दामोदरलाल	1-4-82 से 10-.1-82	3	
				श्री सुमतेन्द्र धूपन कुलश्रेष्ठ	11-11-82 से 31-3-83	3	
70-	[illegible]त्तौड़गढ़	[illegible]ाला	80-[illegible]1	श्री देवदत्त शर्मा	1-4-80 से 16-4-80	—	अल्प समय के कारण [illegible] किये सके।
				श्री वीरसिंह पंवार	17-4-80 से 5-5-80	—	" "
				श्री देवदत्त शर्मा	6-5-80 से 25-7-80	5	" "
				श्री हरिवल्लभ पुरोहित	26-9-80 से 20-2-81	8	—
				श्री रतनलाल चांगवाल	21-2-81 से 31-3-81	4	—
			81-82	श्री रतनलाल चांगवाल	1-4-81 से 5-12-81	10	—

1	2	3	4	5	6	7	8
				श्री चन्द्रशेखर शर्मा	6–12–81 से 25–12–82	1	—
			81–82	श्री हरिवल्लभ पुरोहित	26–2–82 से 31–3–82	3	—
			82–83	श्री हरिवल्लभ पुरोहित	1–4–82 से 31–3–83	10	—
71—	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	80–81	श्री ठाकुरदास शर्मा	80–81	34	निर्धारित मापदंड के अनुसार है।
			81–82	श्री ठाकुरदास शर्मा	81–82	33	
			82–83	श्री ठाकुरदास शर्मा	82–83	32	
72—	चित्तौड़गढ़	राशिम	80–81	श्री सुवेसिंह ढाका	16–10–80 से 31–3–81	12	
			81–82	श्री सुवेसिंह ढाका	80–81	28	
			82–83	,, ,,	82–83	32	
73–	चित्तौड़गढ़	वेगूं	80–81	श्री प्रेमनाथ सक्सैना	1–4–80 से 24–10–80	2	0 सूत्रीय कार्यक्रम गरीबी रेखा से नीचे का चयन नियुक्त आवासीय भूखण्ड आवंटन, छप्पर योजना परिवार नियोजन के कार्यों के कारण निरीक्षण नहीं किये जा सकते।
				श्री मदनमोहन जैन	25–10–80 से 31–3–81	3	
			81–82	,, ,,	1–4–81 से 31–3–82	6	
			82–83	,, ,,	1–4–82 से 27–8–82	5	
				श्री बदनसिंह कार्य.	28–8–82 से 31–3–83	—	

(428)

1	2	3	4	5	6	7	8
74–	चित्तौड़गढ़	बडी सादडी	80–81	श्री घूपनारायण पाण्डे	1–4–80 से 8–10–80	—	20 सूत्रीय कार्यक्रम गरीबी रेखा से नीचे का चयन नियुक्त आवासीय भूखण्ड आवंटन, छप्पर योजना परिवार नियोजन के कार्यों के कारण निरीक्षण नहीं किये जा सकते।
				श्री रतनलाल चांगवाल	8-10–80 से 9–11–80	—	
				श्री नारायण भटनागर	28–11–80 से 31–3–81	3	
			81–82	श्री नारायण भटनागर	1–4–81 से 4–9–81	3	
				श्री नन्दलाल अजमेरा	6–9–81 से 31–10–81	—	
				श्री ओमप्रकाश दत्ता	23–11–81 से 31–3–81	1	,, ,,
			82–83	श्री ओमप्रकाश दत्ता	1–4–82 से 8–12–82	—	—
				श्री शिवदयाल सोनी	8–12–82 से 19–3–83	—	—
				श्री गोपाल	19–3–83 से 31–3–83	—	—
75–	चित्तौड़गढ़	प्रतापगढ़	80–81	श्री रतनलाल लसाड	1–4–80 से 8–9–80	6	—
				श्री शिवलाल	8-9–80 से 21–9–80	2	—
				श्री मंगलप्रसाद	22–9–80 से 9–1–80	—	—
				श्री शिवलाल	10–10–80 से 29–1–81	3	—
				श्री बालमुकन्द पवार	30–1–81 से 31–3–81	—	—
			81–82	श्री बालमुकन्द पंवार	1–4–81 से 20–8–81	3	—
				श्री बसन्तलाल	22–8–81 से 8–9–81	-	—
				श्री घनश्याम शर्मा	9–9–81 से 30–9–81	—	—
				श्री ओमप्रकाश दत्ता	1–10–81 से 19–11–81	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
				श्री बालमुकन्द पंवार	20–11–81 से 26–11–81	2	—
				श्री बसन्तलाल	27–11–81 से 31–3–82	—	—
			82–83	श्री बसन्तलाल	1–4–82 से 31–3–83	8	—
76–	चित्तौडगढ	भेंसरोडगढ	80–81	श्री महेश्वरदयाल	1–4–80 से 11–11–80	—	—
				श्री घीसालाल चौधरी (कार्यवाहक)	12–11–80 से 14–12–80	—	—
				श्री दिलीपकुमार बत्रा	14–12–80 से 15–1–81	—	—
				श्री रामकल्याण गुप्ता	16–1–81 से 1–2–81	—	—
				श्री शिवदयाल सोनी	2–2–81 से 31–3–81	—	—
			81–82	श्री शिवदयाल सोनी	1–4–81 से 22–4–81	—	—
				श्री जगजीवनलाल कार्य.	22–4–81 से 7–11–81	5	—
				श्री मोहनलाल(वांकलीवाल)	7–11–81 से 5–12–81	—	—
				श्री कान्तप्रसाद शर्मा (कार्यवाहक)	5–12–81 से 31–3–82	—	—
			82–83	,, ,,	1–4–82 से 26–8–82	—	—
			82–83	श्री मथुरालाल अजमेरा	26–8–82 से 31–3–83	2	—
77–	चित्तौडगढ	छोटी	80–81 81–82	श्री दुर्गविजयराज	21–2–80 से 6–11–80 दिसम्बर 80 से 11–2–82	4	कार्यवाहक विकास अधिकारी रहने से निर्धारित मापदण्ड के

1	2	3	4	5	6	7	8
			82–83	श्री औंकारलाल सोमानी	12–2–82 से 14–3–83	5	अनुसार पंचायतों के निरीक्षण
				श्री हरकरण चौधरी (कार्यवाहक)	15–3–83 से 31–3–83	1	नहीं किये जा सके।
78–	चित्तौडगढ	कपासन	80–81	अमाउल्ला खां (कार्य.)	27–9–80 से 31–3–81	—	
			81–82	,, ,,	1–4–81 से 31–3–82	12	
			82–83	,, ,,	1–4–82 से 31–3–83	—	
79–	चित्तौडगढ	अरनोद	81–82	श्री नटवरलाल दोषी	25–9–81 से 31–3–82	—	
			82–83	,, ,,	1–4–82 से 31–3–83	13	
80–	चूरू	राजगढ़	80–81	श्री कुन्दनलाल	1–4–80 से 15–5–80	—	विभिन्न योजनाओं में व्यस्त
				श्री धीरसिंह पंवार	16–5–80 से 29–7–80	—	रहने के कारण।
				श्री देवदत्त शर्मा	30–7–80 से 29–9–80	—	,, ,,
				श्री लादूराम शर्मा	30–9–80 से 3–12–80	—	,, ,,
				श्री डालसिंह गोदारा	4–12–80 से 31–3–81	—	,, ,,
			81–82	श्री डालसिंह गोदारा	1–4–81 से 31–3–82	—	,, ,,
			82–83	श्री डालसिंह गोदारा	1–4–82 से 31–3–83	—	,, ,,
81–	चूरू	रतनगढ़	80–81	श्री पी. डी. भार्गव	14–4–80 से 20–11–80	4	आई. आर. डी. डी. कैम्पों पशु
				श्री राजकुमार शर्मा	24–11–80 से 31–3–81	—	क्रय करने बैंकों से ग्रामीण को

1.	2.	3.	4.	5.	6	7	8
			81-82	श्री राजकुमार शर्मा	1-4-81 से 17-7-81	—	ऋण दिलाने में व्यस्त रहने के कारण।
				श्री परमेश्वर स्वरूप	20-7-81 से 29-11-81	—	
				श्री कान्तीप्रसाद शर्मा	30-11-81 से 31-3-82	—	,, ,,
			82-83	,, ,,	1-4-81 से 13-2-83	3	,, ,,
82-	चूरू	ता॰ नगर	80-81	श्री बालसिंह	80-81	—	आई.आर. डी. एवं एन.ई.आर.पी. ट्राईजम एव विकास कार्यो में व्यस्त रहने के कारण।
			81-82	असगर हुसैन	81-82	—	
			82-83	श्री राधाकिशन जोशी	82-83	—	
83-	चूरू	श्री डूंगरगढ़	80-81	श्री जगदीशचन्द्र शर्मा	1-4-80 से 13-11-80		आई.आर.डी. एवं एन. आर. ई. पी. व अन्य बीस सूत्री कार्यक्रम व अन्य कार्यों में व्यस्त रहने के कारण निरीक्षण नहीं किये जा सके।
				श्री कल्याणसिंह तंवर	14-11-80 से 31-3-81	—	
			81-82	,, ,,	1-4-81 से 5-8-81	2	
				श्री जगदीशप्रसाद वर्मा	(-8-81 से 22-10-81	2	,,
				श्री बाबूलाल	23-10-81 से 9-11-81	--	,,
				श्री जगदीशप्रसाद वर्मा	10-11-81 से 31-3-83	--	,,
			82-83	श्री जगदीशप्रसाद वर्मा	1-4-82 से 14-7-82	--	,,
				श्री इकबालहुसैन खां	15-7-82 से 31-8-82	—	,,
				श्री सरनामसिंह	1-9-82 से 31-3-83	—	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
84-	चूरू	सुजानगढ़	80-81	श्री कल्याणसिंह	1-4-80 से 14-8-80	—	विकास अधिकारियों के बार स्थानान्तरण होने के कारण नहीं किये जा सके।
				श्री मनफूलाराम	15-1-80 से 12-9-80	--	
				श्री देवकरणसिंह	13-9-80 से 1-11-80		
				श्री विरदीचन्द क्र.प्र.अ.	2-11-80 से 13-11-80	—	
				श्री जगदीशचन्द्र शर्मा	14-1 -80 से 14-1-81	1	
				श्री श्यामबिहारी शर्मा	15-1-81 से 16-1-81	—	
				श्री ईश्वरमल वर्मा	17-1-81 से 31-3-81	—	
			81-82	श्री ईश्वरमल वर्मा	1-4-81 से 11-5-81	—	
				श्री ईश्वरमल	15-6-81 से 24-6-81	—	
				श्री दीनदयाल क्र.प्र.अ	25-6-81 से 4-9-81	—	
				श्री ईश्वरमल	5-9-81 से 20-9-81	—	
				श्री मोहनलाल	21-9-81 से 6-11-श्र1	—	
				श्री दीनदयाल	7-11-81 से 29-11-81	....	
				श्री श्यामबिहारी माथुर	30-11-81 से 31-3-82	—	
			82-83	श्री श्यामबिहारी माथुर	1-[illegible]-82 से 31-3-83	—	
85-	चूरू	सरदारशहर	80-81	श्री सुरेन्द्रसिंह	31-4-80 से 31-3-81	17	—
			81-82	श्री सुरेन्द्रसिंह	1-4-81 से 1-9-81	1	—

1	2	3	4	5	6	7	8
				श्री हरिरामसिंह कार्य.वा.वि.अ.	2–9–81 से 30–11–81	—	—
				श्री राजकुमार शर्मा	1–12–81 से 31–3–82	—	—
			82–83	,, ,,	1–4–82 से 30–7–82	—	—
				श्री गंगाप्रसाद	30–7–82 से 31–3–83	—	—
86–	चूरू	चूरू	80–81	श्री राधाकृष्ण जोशी	1–?–80 से 1–9–80	—	आई.आर.डी. शिविर पशुक्रय शिविरों व निर्माण कार्य व अन्य विकास कार्यों में व्यस्त रहने के कारण।
				श्री सूरजकरण शर्मा	2–9–80 से 19-9-80	—	
				श्री परमेश्वरलाल	20–9–80 से 31–3–81	—	
				,, ,,	1–4–81 से 17–7–81	—	
				श्री सूरजकरण शर्मा	18–7–81 से 22–7–81	-	
				श्री राजकुमार शर्मा	23–11–81 से 30–7–82	—	,,
				श्री सूरजकरण शर्मा	31–7–82 से 24–8–82	—	,,
				श्री ताराचन्द गुप्ता	25–8–82 से 8–9–82	—	,,
				श्री वृध्दिचन्द प्रजापत	9–9–82 से 17–2–83	1	,,
				श्री गुलाबचन्द शर्मा	18–2–83 से 31–3–83	—	,,
87—	डूंगरपुर	डूंगरपुर	80–81	श्री सुल्तानसिंह खेमसरा	80–81	5	एकीकृत ग्रामीण कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धनता परिवारों को
			81-82	,, ,,	81-82	—	

1	2	3	4	5	6	7	8
			82–83	श्री सुल्तानसिंह खेमसरा	82–83	1	लाभान्वित अकाल राहत कार्य की अधिकता के कारण नहीं किये जा सके।
88—	डूंगरपुर	आसपुर	80–81	श्री वेदभगवान	7–4–80 से 10/80	7	,, ,,
			81–82	श्री सम्पतसिंह	3/81 से 4/81	5	,, ,,
				श्री राजमल गांधी	5/81 से 12/81	4	,, ,,
			82–83	श्री रतनलाल चांगवाल	12/81 से 2/83	—	,, ,,
89–	डूंगरपुर	सागवाडा	80–81	श्री प्रेमसुख सोमानी	80–81	4	आई. आर. डी. व अन्य कार्यों में व्यस्त रहने के कारण।
			81–82	,, ,,	11–82	1	
			82–83	,, ,,	82–83	11	,, ,,
90–	डूंगरपुर	बिछीवाडा	80–81	श्री मेघश्याम शर्मा	11/79 से 12/80	26	आई. आर. डी. शिविर परिवार नियोजन एवं 20 सूत्रीय कार्यक्रम में व्यस्त रहने के कारण।
			81–82	श्री बाबलाल शर्मा	12/80 से 1/81		
			82–83	श्री भीमचन्द जैन	24–1–81 से 3/83	21	
91–	डूंगरपुर	सिमलवाडा	80–81	श्री गोतमलाल भट्ट	4/80 से 5/81	—	रिलिफ कार्य व विकास के अन्य कार्यों की वजह से नहीं किये जा सके।
			81–82	श्री सूर्यलाल चौबीसा	5/81 से 3/82	7	

1	2	3	4	5	6	7	8
			82-83	श्री सूर्यलाल चौबीसा	4/82 से 3/83	5	20 सूत्रीय कार्यक्रम में व्यस्त रहने के कारण।
92-	श्रीगंगानगर	गंगानगर	80-81	श्री गयाप्रसाद गोतम	13-5-80 से 31-3-81	25	20 सूत्रीय कार्यक्रम की लक्ष्य प्रगति के लिये अधिक ध्यान दिया गया।
			81-82	,,	1-4-82 से 17-9-82	13	
			82-83	श्री ख्यालीराम	18-8-82 से 31-3-83	11	
9-	श्रीगंगानगर	करनपुर	80-81	श्री बिरधीचन्द मिश्रा	80-81	—	
			81-82	श्री गोविन्दराम गुप्ता	मई, 81 से सितम्बर, 81	—	
				श्री महेन्द्रसिंह त्यागी	10/81 से 3/82	8	कम अवधि में ही विकास कार्यों के साथ निरीक्षण का कार्य किया।
			82-83	श्री महेन्द्रसिंह त्यागी	82-83	24	,, ,,
94-	श्रीगंगानगर	पदमपुर	80-81	श्री राधाकृष्ण जोशी	80-81	—	—
			81-82	श्री राधाकृष्ण जोशी	81-82	—	—
			82-83	श्री श्याममुरारी अस्थाना	82-83	...	—
95-	श्रीगंगानगर	रायसिंह नगर	80-81	श्री ओमप्रकाश	80-81	34	निर्धारित मापदंड के अनुसार किये गये।
			81-82	श्री ओमप्रकाश	81-82	34	
			82-83	श्री ओमप्रकाश	82-83	34	....

435

1	2	3	4	5	6	7	8
96–	श्रीगंगानगर	हनुमानगढ़	80–81	श्री शिशुपालसिंह	80–81	....	....
			81–82	श्री शिशुपालसिंह	81–82	....	....
			82–83	श्री शिशुपालसिंह	82–83	....	....
97–	श्रीगंगानगर	सूरतगढ़	80–81	श्री आसाराम शर्मा	80–81	....	....
			81–82	श्री आसाराम शर्मा	81–82	....	....
			82–83	,, ,,	1–4–82 से 22–7–82	—	—
				श्री दलबारसिंह	23–8–82 से 31–3–83	—	—
98–	श्रीगंगानगर	सादुल शहर	80–81	श्री वीरेन्द्र भण्डारी	28–4–80 से 25–6–80	—	अधिक विकास अधिकारी बहुत कम समय में रहे।
				श्री सुरेन्द्रकुमार शर्मा कार्यवाहक	26–6–80 से 30–9–80	—	,,
				श्री हरीपसिंह	1–10–80 से 31–3–81		
			81–82	श्री हरीपसिंह	1–4–81 से 18–5–81	—	,,
				श्री सुरेन्द्रकुमार (कार्य वाहक	17–5–81 से 4–10–81	—	,,
				श्री सुरेन्द्रकुमार ,,	25–2–82 से 31–3–82	—	,,
			82–83	,, ,,	1–4–82 से 23–7–82	—	,,
				श्री आशाराम शर्मा	24–7–82 से 31–3–83	—	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
99–	श्रीगंगानगर	नोहर	80–81	श्री शंकरलाल धारनिया	1–4–80 से 31–3–81	—	अधिक विकस अधिकारी बहुत कम समय में रहे।
			81–82	श्री दौलतराम सहारण	81–82	—	
			82–83	,, ,,	82–83	—	,,
100–	श्रीगंगानगर	नोहर	80–81	श्री मनोराम	1–4–80 से 27–10–80	—	पंचायत समिति की योजना की क्रियान्वित के कारण निरीक्षण नहीं किये जा सके।
				श्री रूपसिंह (कार्यवाहक)	28–10–80 से 31–3–81	—	,,
			81–82	श्री दौलतराम	1–4–81 से 24–4–81	—	,,
				श्री फतेहसिंह (कार्यवाहक)	1–5–81 से 31–8–81	—	,,
				श्री श्यामबिहारी माथुर	12–10–81 से 18–11–81	–	,,
				श्री फतेहसिंह	19–11–81 से 31–3–82	—	,,
		भादरा	82–83	श्री फतेहसिंह (कार्यवाहक)	1–4–82 से 28–7–82	—	—
				श्री स्वरूपसिंह (कार्यवाहक)	28–7–82 से 16–8–82	—	—
				श्री मदनलाल ,,	16–8–82 से 31–3–83	—	—
101–	श्रीगंगानगर	अनुपगढ़	80–81	श्री रामचन्द्र अरोड़ा	31–1–81 से 13–10–81	..	—

1	2	3	4	5	6	7	8
			81–82	श्री शंकरलाल धारनिया	14–10–81 से 31–3–82	—	—
			82–83	श्री शंकरलाल धारनिया	1–4–82 से 31–3–82	—	—
102–	जयपुर	भोटवाड़ा	80–81	श्री वीरेन्द्रकुमार शर्मा	1–4–80 से 9–7–80	—	अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में व्यस्त रहने के कारण ।
				श्री अब्दुल सलाम खां	10–7–80 से 31–3–81	3	,,
			81–82	,, ,,	1–4–81 से 18–6–81	—	,,
				श्री मोहनलाल	19–6–81 से 14–7–81	—	,,
				श्री वीरेन्द्रकुमार शर्मा	15–7–81 से 27–8–81	—	अतिवृष्टि के राहत कार्यों में चाकसू में रहे ।
				श्री अब्दुल सलाम खां	28–7–81 से 31–3–82	3	अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में व्यस्त रहने के कारण ।
			82–83	,, ,,	1–4–82 से 31–3–83	6	,,
103–	जयपुर	सांगानेर	80–81	श्री रामस्वरूप संधावा	1–4–80 से 7–7–80	—	महत्वपूर्ण योजनाओं और विकास के कार्यों में व्यस्त रहने के कारण ।
				श्री रामकृष्ण शर्मा	6–11–80 से 31–3–81	—	,,
			81–82	श्री रामकृष्ण शर्मा	1–4–81 से 31–3–82	—	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
			82–83	श्री रामकृष्ण शर्मा	1–4–82 से 14–7–82	—	महत्वपूर्ण योजनाओं और विकास
				श्री हरलालसिंह	15–7–82 से 15–10–82	—	के कार्यों में व्यस्त रहने के
				श्री रूपनारायण शर्मा	20–10–82 से 31–3–83	—	कारण।
104–	जयपुर	बस्सी	80–81	श्री हरीशंकर भावन	1–4–80 से 30–4–80	—	,,
				श्री गुमानाराम	1–5–80 से 17–7–80	—	,,
				श्री बहादुरसिंह	17–7–80 से 31–3–81	—	,,
			81–82	,, ,,	1–4–81 से 21–4–81	—	,,
				श्री वेदभगवान शर्मा	21– –81 से 31–3–82	—	,,
			82–83	,, ,,	1–4–82 से 31–3–82	—	,,
105–	जयपुर	चाकसू	80–81	श्री बहादुरसिंह	1–4–80 से 14–7–80	—	ग्राम पंचायतों द्वारा अकाल
				श्री प्रेमसिंह	17–7–80 से 27–9–80	—	राहत कार्य काम के बदले
				श्री कन्हैयालाल	28–9–80 से 4–11–80	—	अनाज योजना, एन. आर ई.पी.
				श्री रामकल्याण	5–11–80 से 31–3–81	—	माण्डा योजना की क्रियान्वित में
			81–82	,, ,,	1–4–81 से 5–7–81	—	व्यस्त रहने से तथा बाढ़ प्रभा-
				श्री रूपनारायण	6–7–81 से 31–3–82	—	वित क्षेत्रों में राहत प्रदान करने
			82–83	,, ,,	1–4–82 से 19–10–82	—	के कार्य में लगे रहने रिकार्ड
				श्री हरलालसिंह	21–10–82 से 31–3–83	—	जांच में चले जाने।
106–	जयपुर	आमेर	80–81	श्री रामकिशन शर्मा	7–7–80 से 31–3–81	—	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
			81–82	श्री रामकिशन शर्मा	1–4–81 से 31–3–82	—	ग्राम पंचायतों द्वारा अकाल राहत
			82–83	,, ,,	1–4–82 से 6–1–83	.	कार्य, काम के बदले अनाज योजना
				श्री आर. सी. कल्ला	9–1–83 से 31–3–83	10	की क्रियान्विति में व्यस्त रहने से
						—	तथा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत
						—	प्रदान करने का कार्य में लगे रहने
						—	रिकार्ड जांच में चले जाने।
107–	जयपुर	जमवारामगढ़	80–81	श्री रामजीलाल शर्मा	1–4–80 से 19–7–80	—	विशेष अन्य योजनाओं जैसे
				श्री रूपनारायण शर्मा	1–8–80 से 31–3–81	—	अन्त्योदय, काम के बदले अनाज
			81–82	,, ,,	1–4–81 से 6–7–81	—	योजना, विशेष अकाल राहत
				श्री रामकल्याण वर्मा	9–7–81 से 26–9–82	—	योजना, एकीकृत ग्रामीण विकास
				श्री वीरेन्द्रकुमार शर्मा	26–9–81 से 31–3–81	—	कार्यक्रम मण्ड आदि कार्य में
			82–83	,, ,,	1–4–82 से 31–3–83	—	व्यस्त रहने के कारण।
108–	जयपुर	गोविन्दगढ़	80–81	श्री मोहनलाल बाकलीवाल	2–8–80 से 31–3–81	—	अन्त्योदय योजना में व्यस्त रहने के कारण।
			81–82	श्री मोहनलाल	1–4–81 से 31–5–82	—	,,
			82–83	श्री बंशीधर शर्मा	1–4–82 से सितम्बर, 82	5	गरीब परिवार कल्याण योजना
				श्री बिहारीदानसिंह	सितम्बर, 82 से 31–3–83	10	में व्यस्त रहने के कारण।
109–	जयपुर	दौसा	80–81	श्री रामकृष्ण शर्मा	1–4–80 से 15–7–80	—	महत्वपूर्ण योजनाओं और

1	2	3	4	5	6	7	8
				श्री लक्ष्मीनारायण शि. प्र. अ.	16-7-80 से 1-8-80	—	विकास कार्यों में व्यस्त रहने के कारण।
				श्री गुमानाराम	2-8-80 से 31-8-80	—	,, ,,
				श्री लक्ष्मीनारायण	1-9-80 से 23-9-80	—	,, ,,
				श्री जयनाथ शर्मा	30-9-80 से 31-3-81	—	,, ,,
			82-83	श्री जयनाथ शर्मा	1-4-81 से 31-12-81	—	,, ,,
				श्री बसन्तीलाल जैन शि. प्र. अ.	1-1-82 से 31-3-82	—	,, ,,
				,, ,,	1-4-82 से 13-6-82	—	,, ,,
				श्री हरिकृष्ण मीणा	14-6-82 से 31-3-83	—	,, ,,
110—	जयपुर	बांदीकुई	80-81	श्री शशिभूषण शर्मा	1-4-80 से 31-1-81	—	समयाभाव एवं अन्य योजनाओं के कारण।
				श्री कंवरबहादुर सक्सेना	1-2-81 से 31-3-81	—	
			81-82	,, ,,	1-4-81 से 31-3-82	26	,, ,,
			82-83	,, ,,	1-4-82 से 31-3-83	30	,, ,,
111—	जयपुर	लालसोट	80-81	श्री धर्मसिंह मीणा	1-4-80 से 31-3-81	—	,, ,,
			81-82	,, ,,	1-4-81 से 31-3-82	—	,, ,,

५५८

1	2	3	4	5	6	7	8
			82–83	श्री धर्मसिंह मीणा	1–4–82 से अगस्त, 82	–	समयाभाव एवं अन्य योजनाओं
						–	के कारण।
				श्री रतनलाल जैन कार्यवाहक	18–8–82 से 25–2–83	–	अन्य कार्य ग्रामीण रोजगार आदि गरीबों को पहले कार्यों
				श्री बहादुरसिंह	26–2–83 से 31–3–83	–	में व्यस्त रहने के कारण नहीं किये।
112–	जयपुर	सिकराय	80–81	श्री शान्तीलाल पाटनी	अप्रेल,80 से 19–7–80	–	विशेष योजना अन्त्योदय काम
				श्री हरिकृष्ण मीणा	19–7–80 से 31–3–81	–	के बदले अनाज योजना एवं
			81–82	,, ,,	1–4–81 से 31–3–82	–	कार्य की अधिकता के कारण।
				,, ,,	1–4–82 से 7–6–82	–	
			82–83	श्री बालस्वरूप मीणा	7–6–82 से 26–3–83	–	
113–	जयपुर	कोटपूतली	80–81	श्री एल. एन. अग्रवाल	1–4–80 से 15–11–80	–	महत्वपूर्ण योजनाओं और
				श्री वीरेन्द्रसिंह भण्डारी	16–11–80 से 31–3–81	–	विकास के कार्यों में व्यस्त रहने
				,, ,,	1–4–81 से 31–3–82	–	के कारण।
				,, ,,	1–4–82 से 31–3–83	–	
114–	जयपुर	विराटनगर	80–81	श्री गोकुलचन्द शर्मा	1–4–80 से 15–7–80	–	एकीकृत विकास योजना,
				श्री ओमप्रकाश कौशिक	16–7–80 से 31–3–81	–	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार
			81–82	,, ,,	1–4–81 से 31–3–82	–	योजना एवं 20 सूत्री कार्य-

1	2	3	4	5	6	7	8
			82–83	श्री ओमप्रकाश कौशिक	1–4–82 से 31–3–83	–	क्रम के अन्य सूत्रों की क्रियान्वित में व्यस्त रहने के कारण।
115–	जयपुर	शाहपुरा	80–81	श्री रामस्वरूप सैनी	1–4–80 से 31–3–81	2	महत्वपूर्ण योजना और विकास के कार्यों में व्यस्त रहने के कारण।
			81–82	,, ,,	1–4–81 से 31–3–82	–	
			82–82	,, ,,	1–4–82 से 29–8–82	–	
				श्री रामेश्वरलाल कार्यवाहक	29–8–82 से 31–3–83	–	,, ,,
116–	जयपुर	फागी	80-81	श्री शिवसिंह	1–4–80 से 18–12–80	3	,, ,,
				श्री मदनलाल मीणा	19–12–80 से 31–3–81	2	,, ,,
			81–82	,, ,,	1–4–82 से 20–6–82	4	,, ,,
				श्री हनुमानलाल कुमावत	21–6–82 से 31–3 83	6	,, ,,
117–	जयपुर	दूदू	80–81	श्री जयनाथ शर्मा	1–4–80 से जुलाई, 80	3	महत्वपूर्ण कार्यों में व्यस्त रहने के कारण।
				श्री विरेन्द्रकुमार शर्मा	जुलाई, 80 से 31–3–81	5	
			81–82	,, ,,	1–4–81 से मई 81	–	,, ,,
				श्री बिरदीचन्द्र	16–9–81 से 31–3–82	–	,, ,,
			82–83	,, ,,	1–4–82 से 31–3–83	4	,, ,,
118–	जयपुर	सांभर	80–81	श्रीमती पदमावती	1-4–80 से 20–10–80	–	गरीबी रेखा के आई. आर.

1	2	3	4	5	6	7	7
				श्री कल्याणसिंह सोंलकी	21–10–80 से 31–3–81	–	डी. के विशेष कार्यक्रम में
			81–82	,, ,,	1–4–81 से 23–1–82	–	व्यस्त रहने के कारण।
				श्री रामकल्याण वर्मा	24–1–82 से 31–3–82	3	,, ,,
				,, ,,	1–4–82 से 31–3–83	5	,, ,,
119–	जयपुर	जैसलमेर	80–81	श्री उगमसिंह कृ. प्र. अ.	14–3–80 से 26–1–81	5	डी. डी. ए. की ओर से योजना योजनान्तर्गत कार्य एवं एन.
			81–82	श्री पुरुषोतमदास	27–1–81 से 30–7–82	–	आर. ई. पी. कार्यों तथा समय
			82–83	श्री पी. डी. भार्गव	31–7–82 से 31–3–83	–	समय पर 20 संकल्प कार्य आवासीय भवन एवं झोपा आदि के कारण निरीक्षण नहीं किये जा सके।
120–	जैसलमेर	सम	80–81	श्री प्रेमसिंह जेतावत	1–4–80 से 31–7–80	–	वि. अ. का स्थानान्तरण हो
				श्री कपिलदेव पुरोहित	21–8–80 से 25–10–80	–	जाने के कारण शि. प्र. अ.
				श्री गिरधारीलाल (कार्यवाहक)	26–10–80 से 31–3–81	–	द्वारा वि. अ. का कार्य किया गया कार्य की अधिकता के
			81–82	,, ,,	1–4–81 से 4–5–81	1	कारण पंचायतों के निरीक्षण
				श्री दौलतराम सारण	5–5–81 से 26–9–81	–	नहीं किये जा सके।

1	2	3	4	5	6	7	8
				श्री चन्द्रपालसिंह	27–9–81 से 31–3–82	1	,, ,,
			82–83	,, ,,	1–4–82 से 31–3–83	2	,, ,,
121–	जैसलमेर	सांकड़ा	80–81	श्री कंवरपालसिंह बाना	7–3 80 से 8–6–81	–	क्षेत्रों में अकाल सरपंचों का अपने कार्यों में व्यस्त रहना अकाल राहत कार्य काम के बदले अनाज योजना कार्यों में व्यस्त रहे।
			81–82	श्री हस्तबहादुरसिंह	8–6–81 से 3–12–82 4–12–82 से 31–5–83 तक प्रसार अधिकारी द्वारा कार्य वि. अ. रहे।	–	
122–	जालोर	आहोर	80–81	श्री प्रकाशलाल मायुर	1–4–80 से 31–3–81	27	—
			81–82	,, ,,	1–4–81 से 31–3–82	27	—
			82–83	,, ,,	1–4–82 से 31–3–83	–	—
123–	जालोर	सायला	80–81	श्री सोहनलाल पुरोहित	1 4–80 से 31–3–81	–	—
			81–82	श्री वेदपालसिंह	1–4–82 से 31–3–82	–	
			82–83	श्री भगवानसिंह का. वा.	1–4–82 से 31–3–83	–	—
124-	जालोर	जसवन्तपुरा	80–81	श्री सत्यवीरसिंह	1–4–80 से 28–11–80	–	—
			81–82	श्री पी. डी. भार्गव	14–1–81 से 26–11–81	–	—
			82–83	श्री गोविन्दकरण	27–11–81 से 31–3–83	–	—
125–	जालोर	जालोर	80–81	श्री ओ. सी मायुर	1–4–80 से 1–11–81	3	—

445

1	2	3	4	5	6	7	8
			81–82	श्री मोहनलाल विश्नोई	1–11–81 से 29–3–82	–	—
			82–83	श्री एस. डी. पुरोहित	30–3–82 से 4–3–82	–	
				श्री हरकरण उज्जवल (कार्यवाहक)	5–10–82 से 31–3–82	–	—
126–	जालोर	सांचोर	80–81	श्री गोविन्दकरण	1–4–80 से 16–11–81	33	श्री गोविन्दकरण विकास अधिकारी के पश्चात शेष अवधि में कार्यवाहक वि. अ. कार्य करते रहे।
			81–82	श्री पुखराज बोकडिया	17–11–81 से 22–11–81	—	
			82–83	श्री पी. डी. भार्गव	23–11–81 से 8–11–81	—	
				श्री गुलाबसिंह (कार्य.वा)	9–12–81 से 31–7–82	—	
				श्री पुखराज बोकडिया (कार्यवाहक)	1–8–82 से 1–11–82	–	—
				श्री मिठ्ठूलाल सांखला	2–11–82 से 23–4–83	–	—
127–	जालोर	भीनमाल	80–81	श्री सत्यनारायण शर्मा	1–4–80 से 16–5–81	–	—
			81–82	श्री गणपतसिंह कार्य. वा.	17–5–81 से 31–7–81	–	—
				श्री श्यामसुन्दर कल्ला	1–8–81 से 31–3–83	–	—
			82–83	श्री श्यामसुन्दर कल्ला	1–4–82 स 31–3–83	–	—
128–	जालोर	रानीवाड़ा	80–81	श्री श्यामसुन्दर कल्ला	1–4–80 से 31–3–81	14	—

1	2	3	4	5	6	7	8
			81–82	श्री श्यामसुन्दर कल्ला	1–4–81 से 22–9–81	13	—
				श्री पार्वतीशंकर दवे	23–9–81 से 31–3–82		—
			82–83	,, ,,	1–4–82 से 1–4–83	17	—
129–	झालावाड़	मनोहरथाना	80–81	श्री रमेशचन्द प्रजाप्रति	4–6–80 से 15–11–80	–	समयाभाव के कारण।
				श्री के. पी. रावत	24–11–80 से 31–3–81	–	,,
			81–82	श्री के. पी. रावत	1–4–81 से 2–12–81	–	,,
				श्री सुरेशचन्द्र श्री वास्तव	2–12–81 से 31–3–82	3	,,
			82–83	,, ,,	1–4–82 से 31–3–83		,,
130–	झालावाड़	खानपुर	80–81	श्री चन्द्रप्रकाश गर्ग	1–4–80 से 31–3–81	13	विभिन्न प्रकार योजनाओं से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना गरीब चयनित परिवारों को लाभान्वित करना आदि कार्यों में व्यस्त रहने के कारण।
			81–82	,, ,,	1–4–81 से 8–9–81		
				श्री बृजवल्लभ गुप्ता	9–9–81 से 31–3–82	–	
			82–83	,, ,,	1–4–82 से 6–8–82		
				श्री अर्जुनसिंह हाडा	7–8–82 से 31–3–83	2	
131–	झालावाड़	सुनेल	80–81	श्री ब्रजवल्लभ गुप्ता	1–4–80 से 17–7–80	5	
				श्री अर्जुनसिंह हाडा	24–7–80 से 31–3–81	–	
			81–82	,, ,,	1–4–81 से 31–3–82	–	

1	2	3	4	5	6	7	8
				श्री अर्जुन सिंह हाड़ा	1-4-82 से 5-8-82	23	
			82-83	श्री बृजबल्लभ गुप्ता	9-8-82 से 31-3-83		
132-	झालावाड़	झालरापाटन	80-81	श्री गोपाल लाल राठौड़	1-4-80 से 25-4-80		काम के बदले अनाज योजना एवं अकाल राहत कार्यों की अधिकता के कारण।
				श्री प्रेमनारायण माथुर	26-4-80 से 26-6 80		
				श्री गोपाल लाल राठौड़	1-7-80 से 30-7-80		
				श्री जगदीशचन्द पाल	1-8-80 से 26-11-80	—	
				श्री विश्वनाथ साहनी	27-11-80 से 31-3-81	13	
			81-82	,, ,,	1-4-81 से 26-10-81	5	20 सूत्रीय कार्यक्रम तथा निर्माण कार्यों की अधिकता के कारण।
				श्री धीरसिंह पंवार	26-10-81 से 31-3-82	6	
			82-83	,, ,,	1-4-82 से 31-3-83	12	
133-	डग	डग	80-81	डा. मोहम्मद मोही	1-4-80 से 31-3-81	30	कार्य की अधिकता (आई आर डी.) निमार्ण कार्य आदि के कारण।
			81-82	,, ,,	1-4-81 से 31-3-82	17	
			82-83	,, ,,	1-4-82 से 31-3-83	16	
134-	झालावाड़	बकानी	80-81	श्री विश्वनाथ सहानी	1-4-80 से 21-11-80	5	अकाल राहत कार्य बीस सूत्रीय कार्यक्रमों की क्रियान्विति में अत्यधिक व्यस्त रहने के कारण।
				श्री श्याम सुन्दर शर्मा	22-11-80 से 11-3-81	१	
				श्री झुन्झार सिंह	12-3-81 से 27-3-81	—	
			81-82	श्री मिसवाउद्दीन	1-4-81 से 25-5-81	—	,,
				श्री नटवर लाल दोषी	25-5-81 से 15-9-81	—	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
				श्री झुन्झार सिंह	16–9–81 से 17–11–81	—	अकाल राहत कार्य बीस सूत्रयी कार्यक्रमों की क्रियान्विति में अत्यधिक व्यस्त रहने के कारण
				श्री मथुरा लाल अजमेरा	18–11–81 से 31–3–82	—	
				श्री मथुरा लाल अजमेरा	1–4–82 से 8–7–82	—	
				श्री झुन्झार सिंह	9–7 82 से 11–8·82	—	
				श्री विश्वनाथ सहानी	12–7 82 से 31–3–83	3	
135–	झुन्झनू	नवलगढ़	80–81	श्री रामेश्वरलाल वर्मा	1–4–80 से 15–.–81	—	,,
				श्री जगदीश प्रसाद	16–1–81 से 31–3–81	16	,,
			81–82	श्री ,, ,,	1–4–81 से 18–9–81	—	,,
				श्री डूंगरसिंह (कार्यवाहक)	1–9–81 से 28–11–81	—	,,
				श्री जगदीश चन्द्र शर्मा	29–11–81 से 31–3–82	—	,,
			82–83	,,	1–4–82 से 31–3–83	25	,,
136–	,,	अलसीसर	80–81	श्री राधेश्याम बन्हल	1–4–80 से 28–1–81	9	,,
				श्री तुलसीराम (का.वा.)	29–1–81 से 31–3–81	–	,,
			81–82	श्री तुलसीराम	1–4–81 से 20–5–81	—	,,
				श्री चन्द्रपाल सिंह	21–5–81 से 16–9–81	6	,,
				श्री परमानन्द शर्मा (कार्यवाहक)	17–9–81 से 14–12–81	—	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
			82-83	श्री टेकचन्द	1-12-81 से 31-3-82	7	,,
				,,	1-4-82 से 13-7-82	—	,,
		अलसीसर	82-83	श्री बच्चन सिंह	14-7-82 से 18-10-82	—	20 सूत्रीय कार्यक्रम व अन्य कार्यों में व्यस्त रहने के कारण ।
				श्री सांवलराम (का.वा.)	19-10-82 से 31-3-83	—	
137-	झुन्झुनू	झुन्झुनू	80-81	श्री श्याम बिहारी अस्थाना	1-4-80 से 31-3-81	60	,,
			81-82	,,	1-4-81 से 31-3-82	62	,,
			82-83	जगन सिंह	1-4-82 से 31-3-83	70	,,
138-	,,	खेतड़ी	80-81	डा० कटियार	4/80 से 9/81	—	योजना कार्यों में व्यस्त रहने के कारण
			81-82	श्री महेन्द्र सिंह राठौ	9/81 से 8/82	—	,,
			82-83	श्री धासीराम गोवर	8/81 से 1/83	—	,,
				श्री बुद्धिधर यादव शि० प्र० अ०	1-2-83 से 2-3-83	—	,,
139-	,,	चिड़ावा	80-81	श्री ओ. पी. मल्होत्रा	1-3-80 से 2-10-80	11	,,
				श्री शांति प्रसाद शर्मा	3-10-80 से 3-3-81	10	,,
			81-82	श्री ओ.पी. मल्होत्रा	1-4-81 से 27-1-82	13	,,
				श्री रामेश्वर लाल भड़िया	27-1-82 से 31-3-82	4	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
			82-83	श्री रामेश्वर लाल मड़िया	1-4-82 से 31-3-83	23	योजना कार्यों में व्यस्त रहने के कारण।
140-	झुन्झुनु	बुहाना	80-81	श्री टी.एन. चतुर्वेदी	फरवरी, 80 से नवम्बर, 81	-	,,
			81-82	श्री बुद्धिधर यादव	11/81 से 8/82	-	,,
			82-83	श्री नरेन्द्र सिंह शेखावत	9/82 से 2/83	-	,,
141-	,,	उदयपुरवाटी	80-81	श्री भवानीसिंह राठौड़	1-4-80 से 30-11-80	13	ग्रामीण एकीकृत कार्यक्रम एवं आईपी व अकाल राहत कार्यों में व्यस्त रहने के कारण।
				श्री विद्याधर सिंह	1-12-80 से 31-3-81	5	
			81-82	श्री श्याम विहारी माथुर	1-4-81 से 27-9-81	12	
				श्री कल्याणसिंह तंवर	28-9-81 से 31-2-82	14	,,
			82-83	,, ,,	1-4-82 से 31-3-83	30	,,
142-	,,	सूरजगढ़	80-81	श्री डालसिंह गोदारा	23-2-80 से 15-4-80	-	,,
			80-81	श्री सत्यनारायण जोशी	16-4-80 से 2-11-80	3	,,
				श्री दौलतराम सारण	3-11-80 से 3-3-81	—	,,
				श्री सत्यनारायण जोशी	4-3-81 से 25-5-81	2	,,
				श्री गयाप्रसाद गौतम	27-5-81 से 29-5-81	—	,,
				श्री सत्यनारायण जोशी	30-5-81 से 31-3 82	26	,,

451

1	2	3	4	5	6	7	8
			82—83	सत्यनारायण जोशी	1-4-82 से 31-3-83	18	ग्रामीण एकीकृत कार्यक्रम एवं आईपी व अकाल राहत कार्यों में व्यस्त रहने के कारण।
143—	जोधपुर	भोपालगढ़	80—81	श्री बनवारीलाल	1-4-80 से 3-5-80	—	20 सूत्री कार्यक्रम में व्यस्त रहने के कारण।
				श्री मज्जनलाल	4-5-80 से 2?-2-80	—	
				श्री दूदाराम चौथी	26-7-80 से 31-3-81	5	,,
				,, ,,	1-4-81 से 7-11-82	2	,,
				श्री सज्जनलाल माथुर (का. वा.)	8-12-82 से 31-3-83	5	,,
144—	जोधपुर	मण्डोर	80—81	श्री गोविन्दलाल माथुर	1-4-80 से 31-3-81	2	आई. आर डी. ट्राइसम, गृह निर्माण, एन. आर. ई. पी. व अन्य विकास योजनाओं में व्यस्त रहने के कारण।
			81—82	,, ,,	1-4-82 से 31-3-82	1	
			82—83	,, ,,	1-4-82 से 30-9-82	—	
					1-10-82 से 31-3-83	1	
145—	जोधपुर	बालेसर	80—81	श्री टेक चन्द	1-4-80 से 31-3-81	—	,,
			81—82	,, ,,	1-4-81 से 25-7-81	—	,,
				श्री गोपीकिशन बोहरा	26-7-81 से 17-9-81	—	,,
				श्री सूरजमल शर्मा	3-10-81 से 18-11-81	—	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
				श्री रामानन्द शर्मा	1–12–81 से 26–7–82	—	आई. आर. डी. ट्राइसम, गृह
				श्री पी. डी. परमार	10–8–82 से 31–3–83	—	निर्माण, एन. आर. ई. पी. व
146–	जोधपुर	आसियां	80-81	श्री रणछोड़दास	1-4–80 से 25–10–80	—	अन्य विकास योजनाओं मे व्यस्त
				श्री सत्यनारायण शर्मा	26–10–80 से 25–3–81	—	रहने के कारण।
			81–82	श्री रामानन्द शर्मा	1–4 81 से 21-11-81	—	,,
				श्री तेजसिंह	22–11–81 से 5–12–81	—	,,
				श्री वेदपालसिंह	26–12–81 से 31–3–82	3	,,
			82–83	,, ,,	1–4–82 से 31-3-83	—	,,
147	जोधपुर	बाप	80–81	श्री गुमानमल पुरोहित	3–.–80 से 31–3–81	18	आई आर डी एवं अकाल राहत
			81–82	,, ,,	1–4–81 से 31–3–82	10	कार्य के कारण।
			82–83	,, ,,	1-4–82 से 31-3-83	—	,,
				श्री गोपीकिशन बोहरा	27–7–82 से 3 -3-83	—	,,
148–	जोधपुर	बिलाड़ा	80–81	श्री आर. के. थानवी	1–4–80 से 31–3–81	—	अकाल राहत कार्य आई आर डी
				,, ,,	1–4–81 से 31–3–82	—	कार्यक्रम एवं एन. आर. ई.
			82–83	,, ,,	1-4–82 से 5–8-82	—	पी, कार्य में व्यस्त रहने के
				श्री कुंजबिहारीलाल अग्रवाल	6–8 8. से 31-3-83	—	कारण।

453

1	2	3	4	5	6	7	8
149-	जोधपुर	शेरगढ	80-81	श्री मदनमोहन	1-4-80 से 31-3-81	—	अकाल राहत कार्य आई. आर. डी.
			81-82	,, ,,	1-4-81 से 8-3-82	—	कार्यक्रम एवं एन. आर. ई. पी.
				श्री पेहमसिंह (का. वाहक)	7-3-82 से 31-3-82	—	कार्य में व्यस्त रहने के कारण।
			82-83	,, ,,	1-4-82 से 15-5-82	—	,,
				श्री पी. डी. भार्गव	2-5-82 से 20=7-82	—	,,
				श्री पेहमसिंह (का. वाहक)	21-7-82 से 9-8-82	—	,,
150-	जोधपुर	लूनी	80-81	श्री एस. एम. भट्ट	1-4-80 से 21-1-81	3	अकाल की स्थिति के कारण विचार नहीं किया गया।
				श्री एस. एल सांखला	21-1-81 से 31-3-81	—	
			81-82	,, ,,	2-4-81 से 13-5-81	—	
			81-82	श्री आर. डी. व्यास (का. वा.)	14-5-81 से 14-6-81	—	अकाल की भयंकर स्थिति तथा विकास अधिकारी के वर्ष में
				श्री मोहनलाल शर्मा	15-6-81 से 13-7-81	—	अधिक स्थानान्तरण हुए।
				श्री आर. डी. व्यास (का. वा.)	14-7-81 से 2-9-81	—	,,
				श्री सुरेन्द्रसिंह	3-9-81 से 24-11-81	—	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
				श्री आर. डी. व्यास (का. वा.)	25–11–81 से 31–3–82	—	अकाल की भयंकर स्थिति तथा विकास अधिकारी के वर्ष में
			82–83	,, ,,	1–4–82 से 1–7–82	17	अधिक स्थानान्तरण हुए।
				श्री सज्जनसिंह	2–7–82 से 25–8–82		,,
				श्री आर. के. पानवी	26–8–82 से 31–3–83		,,
151–	जोधपुर	फलौदी	80–81	श्री शिवदान पुरोहित	80–81	12	आई. आर. डी. ट्राईसम, गृह
			81–82	,, ,,	81–82	14	निर्माण एन. आर. ई. पी. आदि
			82–83	श्री मोहनलाल	82–83		योजनाओं में व्यस्त रहने के कारण।
152–	कोटा	लाडपुरा	80–81	श्री रतिरंजन जोशी	2–10–80 से 31–3–81	—	,,
			81–82	,, ,,	1–4–81 से 31–3–82	—	,,
			82–83	,, ,,	1–4–82 से 31–3–83	4	,,
153–	कोटा	अन्ता	80–81	श्री प्रकाशचन्द्र शर्मा	1–4–80 से 31–3–81	—	,,
			81–82	,, ,,	1–4–81 से 31–3–82	—	,,
			82–83	,, ,,	1–4–82 से 29–10–82	—	,,
				श्री बन्शीधर इन्दोरिया शि. प्र. अ. (का. वा.)	30–10–82 से 15–3–83	—	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
				श्री मदनमोहन भार्गव	16–3–83 से 31–3 83		आई. आर. डी. ट्राईसम, गृह
				(का. वा.)			निर्माण एन. आर. ई. पी.
154–	कोटा	बारां	80–81	श्री शिवदयाल पारीक	अप्रेल, 80 से 31–3–81	9	आदि योजनाओं में व्यस्त
			81–82	,, ,,	1–4–81 से 5–12–81	—	रहने के कारण।
				श्री सूरजमल शर्मा	5–12–81 से 31–3–82	—	
			82–83	,, ,,	1–4–82 से 13–12–82	—	
				श्री प्रकाशचन्द्र शर्मा	25–11–82 से मार्च, 83	18	
155–	कोटा	किशनगंज	80–81	श्री राधेश्याम भावन	1–4–80 से 24–4–80	—	,,
				श्री डालसिंह गोदारा	24–4–80 से 21–11–80	—	,,
				श्री जगदीशप्रसाद गुप्ता	25–11–80 से 31–3–81	—	,,
			81–82	श्री गोविन्दनारायण	1–4–81 से 24–5–81	—	,,
				श्री नत्थूलाल सांखला	25–5–81 से 1–12–81	—	,,
				श्री मोहनलाल गुप्ता	2–12–81 से 17–1–82	—	
				(तहसीलदार)			
				श्री भंवरलाल जैन ,,	18–1–82 से 27–1–82	—	,,
				श्री जगदीशप्रसाद,	28–1–82 से 8–3–82	—	,,
				एस. डी. आई.			

1	2	3	4	5	6	7	8
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	श्री भंवरसिंह नाथावत, ई. पी. ओ.	9–3–82 से 31–3–82	—	माप दण्ड के अनुसार
			82–83	,, ,,	1–4–82 से 21–6–82	—	,,
				श्री सूरजमल शर्मा	27–6–82 से 25–7–82	—	,,
				श्री टेकचन्द	26–7–82 से 31–3–83	—	,,
156–	कोटा	शाहबाद	80–81	श्री चतुर्भुज शर्मा	28–8–80 से 31–3–81	4	,,
			81–82	,, ,,	1–4–81 से 31–3–82	—	,,
			82–83	,, ,,	1–4–82 से 12–7–82	—	,,
				श्री रामचन्द्र अरोड़ा	3–3–83	—	,,
157–	कोटा	इटावा	80–81	श्री बांकेबिहारी गुप्ता	1–4–80 से 31–3–81	35	,,
			81–82	,, ,,	1–4–81 से 31–3–82	35	,,
			82–83	,, ,,	1–4–81 से 15–10–82		विकास योजनाओं में व्यस्त रहने तथा स्टाफ की कमी के कारण।
				श्री बद्रीलाल विजय	16–10–82 से 15–11–82	—	
				श्री गजराजसिंह हाडा	6–11–82 से 15–3–83	30	
				श्री चन्द्रप्रकाश गर्ग	16–3–83 से 31–3–83	—	
158–	कोटा	सुल्तानपुर	80–81	श्री मोहनलाल बाकलीवाल	18–4–80 से 1–7–80	2	अल्प अवधि होने के कारण

1	2	3	4	5	6	7	8
				श्री नन्दसिंह हाड़ा शि. प्र. अ.	2–7–80 से 17–11–80	—	दो पदों का कार्यभार होने के कारण
				श्री मथुरालाल अजमेरा	18–11–80 से 31–3–81	—	,,
			81–82	,, ,,	1–4–81 से 23–7–81	—	,,
				श्री बहादुरसिंह,	28–7–81 से 8–11–81	-	दो पदों का कार्यभार होने के कारण।
				श्री घनश्याम शर्मा	9–11–81 से 3–12–81	—	
				श्री नन्दसिंह हाड़ा शि. प्र. अ.	4–12–81 से 13–12–81	—	,,
				श्री बहादुरसिंह, तहसीलदार	14–12–81 से 3–2–82	—	,,
				श्री रामचन्द्र वर्मा	4–2–82 से 31–3–82	—	,,
			82–83	,, ,,	1–4–82 से 25–8–82	—	,,
				श्री चतुर्भुज शर्मा, दि.अ.	26–8–82 से 31–3–83	12	,,
159–	कोटा	सांगोद	80–81	श्री कन्हैयालाल गुप्ता	1–4–80 से 17–7–80	—	विशिष्ट काम के बदले अनाज योजना एवं अन्त्योदय परिवारों को लाभान्वित करने कार्यों में व्यस्त रहने।
				श्री बंशीधर इन्दौरिया शि. प्र. अ.	18–7–80 से 15–8–80	—	

1	2	3	4	5	6	7	8
				श्री गजराजसिंह हाड़ा	16–8–80 से 31–3–81	—	आई. आर. डी. के गरीब परिवारों को लाभान्वित कराने के कारण।
			81–82	,, ,,	1–4–81 से 31–3–82	—	
			82–83	,, ,,	1–4–82 से 6–9–82	—	
				श्री नरेन्द्रमोहन शर्मा	7–9–82 से 31–3–83	—	
159–	कोटा	खैराबाद	80–81	श्री के. बी. अग्रवाल	10–2–80 से 2–9–80	—	,,
			81–82	श्री पी. सी. गुप्ता	27–9–80 से 31–3–81	4	,,
				,, ,,	1–4–81 से 17–11–81	—	,,
			82–83	श्री चन्द्रप्रकाश गर्ग	18–11–81 से 5–3–83	—	,,
161—	कोटा	अटरू	80–81	श्री चतुर्भुज शर्मा	14–2–80 से 25–7–80	3	,,
				श्री श्यामकुमार त्यागी का. वा.	26–7–80 से 22–8–80	—	,,
				श्री मधुसूदन गंजन	23–8–80 से 31–3–81	—	,,
			81–82	,, ,,	1–4–81 से 22–7–81	—	,,
				श्री राजेन्द्रकुमार मीणा का. वा.	23–8–81 से 25–8–81	4	,,
				श्री शिवदयाल पारीक	26–8–81 से 16–2–81	—	,,
				श्री रामचन्द्र अरोड़ा	18–10–81 से 31–3–82	—	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
		अटरू	82–83	श्री रामचन्द्र अरोड़ा	1–4–82 से 17–10–82	—	आई.आर.डी. के गरीब परिवारों को लाभान्वित कराने के कारण।
				श्री सूरजमल शर्मा, (का. वा.)	10–11–82 से 21–12–82	6	
				श्री कल्याणसिंह	22–12–82 से 31–3–83	-	
				श्री सूरजमल, का. वा.	1–3–83 से 31–3–83	—	,,
162	कोटा	छीपाबड़ौद	80–81	श्री मोतीलाल मनहर	14–2–80 से 26–7–80	—	,,
				श्री कन्हैयालाल पंचोली	27–7–80 से 31–3–81	—	,,
			81–82	,, ,,	1–4–81 से 27–7–81	—	,,
				श्री कस्तूरचन्द, नायब तहसीलदार	28–7–81 से 15–9–81	—	,,
				श्री राजेशकुमार-मीणा	16–2–81 से 22–9–81	—	,,
				श्री रमेशचन्द्र तहसीलदार	23–9–81 से 30–10–81	—	,,
				श्री उनुरियामला, तहसीलदार	31–10–81 से 3–11–81	—	,,
				श्री तेजकुमार, आई. ई. एस.	6–11–81 से 19–12–81	—	,,
				श्री उनुरियामल तह.	6–1–82 से 12–2–82	—	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
				श्री उसमान गनी, शि. प्र. अ.	13–2–82 से	—	आई.आर.डी. के गरीब परिवारों को लाभान्वित कराने के कारण।
				श्री कृष्णसिंह, तह.	8–4–82 से 30–4–82	—	,,
				श्री उस्मान गनी,	1–5–82 से 7–3–83	-	,,
				श्री ओमवीरसिंह	8–3–83 से 30–3–83		,,
1	-	छबड़ा	80–81	श्री राघव कुरूप	5–3–80 से 15–8–80	...	,,
				श्री मोहम्मद जहीर	16–8–80 से 31–3–81		,,
			81–82	श्री रामकिशन जागरिया	1–4–81 से 1–9–81	...	,,
				श्री रमेशचन्द्र श्रीवास्तव तहसीलदार	2–9–81 से 5–11–81	—	,,
				श्री श्यामसुन्दर अग्रवाल आई. ए. एस.	6–11–81 से 18–12–81	—	,,
				श्री रमेशचन्द्र श्रीवास्तव तहसीलदार	9–12–81 से 5–2–82	—	,,
				श्री धनराज शर्मा	6–2–82 से 31–3–82	—	,,
	कोटा	छबड़ा	82–83	श्री धनराज शर्मा	1–4–82 से 1–7–82	—	—
				श्री रमेशचन्द्र शुक्ला	2–7–82 से 19–7–82	—	—
				श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा			

पद्दी

(4GB)

1	2	3	4	5	6	7	8
164—	नागौर	मूण्डवा	80—81	श्री वेदपाल सिंह	1—4—80 से 31—3—81	17	सरपंचों को पूर्व सूचना दिये जाने के पश्चात् सूचना उपलब्ध नहीं हुई, चुनाव, राजस्व अभियान, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यों के अन्तर्गत ग्राम सभा आयोजित एवं अन्य नवीन हस्तांतरित योजनाओं की क्रियान्विति के कारण लक्ष्य के अनुसार निरीक्षण नहीं किये जा सके।
			81—82	,, ,,	1—4—81 से 3—10—81	22	
				श्री सोहनलाल पुरोहित	3—10—81 से 31—3—82	4	
				,, ,,	1—4—82 से 31—3—83	25	
165—	नागौर	जायल	80—81	श्री मनीराम चौधरी	24—11—80 से 31—3—81	—	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनाएं अन्त्योदय योजना, पिछड़ों को पहले आदि के कारण नहीं किये जा सके।
			81—82	,, ,,	1—4—81 से 31—3—82	14	
			82—83	,, ,,	1—4—82 से 31—3—83	—	
166—	नागौर	मेड़ता	80—81	श्री नथराज शर्मा	1—4—80 से 3—9—80	—	कार्यवाहक वि. अ. होने के कारण नहीं किये गये।

1	2	3	4	5	6	7	8
				श्री यदुवीर सिंह	4–9–80 से 17–1–81	2	कम समय के रहने से नहीं किया गया।
				श्री मोहनलाल शर्मा	17–1–81 से 27–1–81	3	,,
				श्री यदुवीर सिंह	27–1–81 से 31–1–81	–	,,
				श्री मोहनलाल शर्मा	31–1–81 से 31–3–81	–	,,
			81–82	श्री ,,	1–4–81 से 3–6–81	–	,,
				श्री परमसुख	3–6–81 से 15–7–81	–	,,
				श्री मोहनलाल शर्मा	15–7–81 से 9–9–81	–	,,
				श्री मधुसूदन गंजल	9–9–81 से 9–11–81	–	,,
				श्री मोहनलाल शर्मा	9–11–81 से 18–11–81	5	,,
				श्री मधुसूदन गंजल	18–11–81 से 3–4–81	–	,,
			82–83	श्री गणपतसिंह पूनिया	3–4–82 से 30–4–82	–	,,
				,, ,,	3–4–82 से 30–4–82	2	,,
				श्री सुरेन्द्रपाल शर्मा	21–2–83 से 31–3–82	3	,,
167–	नागौर	रियां	80–81	श्री के. एस. माथुर	1–4–80 से 5–2–81	–	,,
				श्री एल. एन. बोहरा	6–2–81 से 20–4–81	–	,,
			81–82	श्री एस. एस. मिर्धा	21–4–81 से 14–5–81	–	,,
				श्री पी. सी. मिश्रा	15–5–81 से 15–9–81	–	,,

(463)

1	2	3	4	5	6	7	8
				श्री एस. एस. मिर्धा	16–6–81 से 18–3–82 [?]	–	कम समय के रहने से नहीं
			82–83	श्री ओमप्रकाश अजमेरा	19–3–82 से 19–7–82	–	किया।
				श्री एस. एस. मिर्धा	20–7–82 से 23–8–82	–	,,
				श्री बी. एल. माहेश्वरी	24–8–82 से 31–3–83	–	,,
168–	नागौर	डेगाना	80–81	श्री धर्मवीर सिंह नेदा	11–9–80 से 31–3–81	—12	एन. आर. ई. पी. एवं आई
			81–82	,, ,,	1–4–81 से 31–3–82		आर. डी. पी. कार्यों में [illegible]
				,, ,,	1–4–82 [?] से 22–8–82	–	रहने के कारण।
			82–83	श्री दयाल सिंह काला	23–8–82 से 18–10 82	–	,,
				श्री मंगलचन्द शर्मा	19–10–82 से 31–3–83	10	,,
169–	नागौर	डीडवाना	80–81	श्री पार्वती शंकर दवे	1–4–80 से 31–3–81	5	अन्य योजनाओं में जैसे ग्राम-
			81–82	,, ,,	1–4–81 से 20–9–81	–	सभाएं, परिवारों के चयन,
				श्री टेकचन्द	20–9–81 से 26–11–81	–	पिछड़े को, पहले के लाभान्वयन
				श्री सुरेन्द्र सिंह	27–11–81 से 31–3–82	–	आदि योजनाओं में व्यस्त रहने
			82–83	,, ,,	1–4–82 से 31–3–82	–	के कारण।
170–	नागौर	लाडनू	80–81	लक्ष्मीधर पुरोहित	1–4–80 से 16–2–81	–	
			81–82	श्री गोकुल चन्द अग्रवाल	1–4–81 से 7–11–81	–	—
			82–83	श्री रामप्रकाश सिंह	8–9–82 से 25–2–83	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
171-	नागौर	परबतसर	80-81	श्री ईश्वरचन्द्र मतड़	6-3-80 तक	–	वर्ष 80-81 में कोई अधिकारी ज्यादा समय नहीं रहने से निरीक्षण पंचायतों के नहीं किये जा सके ।
				श्री घनश्याम शर्मा	6-3-80 से 2-7-80	–	
				श्री वक्ताराम चौधरी	12-7-80 से 15-11-80	–	
				श्री मंगलचन्द शर्मा	15-11-80	–	
			81-82	श्री मंगलचन्द शर्मा	1-4-81 से 31-3-82	8	आई. आर. डी व एन. आर. पी., परिवार कल्याण आदि ।
			82-83	,, ,,	1-4-82 से 11-10-82	–	
				श्री गोविन्द लाल माथुर	11-10-82 से 31-3-83	10	—
172-	नागौर	मकराना	80-81	श्री मोहन सिंह	1-4-80 से 31-3-81	—	—
			81-82	श्री मोहन सिंह	1-4-81 से 11-3-82	—	
				श्री सत्यनारायण	16-3-82 से 31-3-82	—	—
			82-83	,, ,,	1-4-82 से 20-8-82	—	—
				श्री धर्मवीर सिंह मेदा	21-8-82 से 16-1-83	14	—
173-	नागौर	कुचामन	80-81	श्री मोहनलाल शर्मा	1-4-80 से जनवरी, 81	—	अन्त्योदय, काम के बदले अनाज योजना, परिवार कल्याण आदि कार्यों में व्यस्त रहने के कारण ।
			81-82	श्री राधेश्याम बन्सल	फरवरी, 81 से 31-3-82	—	
			82-83	श्री राधेश्याम बन्सल	1-4-82 से 31-3-83	—	
174-	नागौर	नागौर	80-81	श्री गोपी कृष्ण बोहरा	1-4-80 से 24-7-80	—	अकाल राहत कार्य व एकी-

465

1	2	3	4	5	6	7	8
				श्री परम सुख, शि. प्र. अ.	25–7–80 से 1–8–80	—	करण ग्रामीण विकास कार्य-क्रम, 20 सूत्री कार्यक्रम होने से निरीक्षण नहीं किये गये ।
				श्री टेकचन्द	2–8–80 से 31–3–81	—	
			81–82	,, ,,	1–4–81 से 16–9–81	—	
				श्री अर्जुन सिंह	17–9–82 से 31–3–82	—	—
			82–83	श्री मोहन सिंह राजपुरोहित	22–3–82 से 31–3–83	—	—
175–	पाली	रोहट	80–81	श्री श्यामबिहारी माथुर	1–4–80 से 8–10–80	—	—
				श्री सरदारमल हर्ष प. पा. प्र. अ. (का.वा.)	9–10–80 से 16–11–80	—	—
				श्रीमती पदमावती साहो	17–11–80 से 31–3–81	1	—
			81–82	,, ,,	1–4–81 से 30–9–81	—	—
				श्री सरदारमल हर्ष	1–10–81 से 31–3–82	—	—
			82–83	श्री सरदारमल हर्ष	1–4–82 से 8–7–82	—	—
				श्री उदयराम पुरोहित	9–7–82 से 1–9–82	—	—
				श्री सज्जनसिंह पुरोहित	2–9–82 से 21–10–82	—	—
				श्री कपिलदेव	22–10–82 से 31–3–83	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
176–	पाली	बाली	80–81	श्री रमेशचन्द शुक्ला	1–4–80 से 12–2–81	—	विभिन्न योजनाएं काम के बदले अनाज, एन. आर. ई. पी. माडा योजना आई. आर. डी. पी. कार्यों को निष्पादित करने के कारण।
				श्री विश्वनाथ बोहरा (कार्यवाहक)	13–2–81 से 31–3–81	—	
			81–82	श्री विश्वनाथ बोहरा	1–4–81 से 15–5–81	—	
				श्री मोहम्मद नाजिम खां	16–5–81 से 31–3–82	—	
			82–83	श्री मोहम्मद नाजिम खां	1–4–82 से 24–9–82	—	,,
				श्री विश्वनाथ बोहरा (कार्यवाहक)	25–9–82 से 7–11–82		,,
				श्री हिंगलाजदान कार्य	8–11–82 से 31–12–82	—	,
				श्री विश्वनाथ बोहरा	1–1–83 से 8–3–83	—	,,
				श्री अगसर हुसैन उस्मानी	9–3–83 से 31–3–83	—	,,
177–	पाली	जैतारण	80–81	श्री सज्जनसिंह	1–4–80 से 22–8–80	—	अन्य कार्यों में व्यस्त रहने के कारण।
				श्री मानसिंह	2–3–80 से 31–3–80	—	
			81–82	श्री मानसिंह	1–4–81 से 31–3–82	5	,,
			82–83	,, ,,	1–4–82 से 31–3–83	—	परिवार नियोजन, आई. आर. डी. अन्य कार्यों की अधिकता के कारण।

1	2	3	4	5	6	7	8
178-	पाली	देसूरी	80-81	श्री प्रेमसिंह जेतावत	1-4-80 से 31-3-81	—	अन्य कार्यों में व्यस्त रहने के कारण 20 सूत्रीय कार्यक्रम में व्यस्त रहने के कारण।
			81-82	,, ,,	1-4-81 से 31-3-82	1	
			82-83	श्री चेतनारायण सिंह (कार्यवाहक)	1-4-82 से 31-3-83	—	
179-	पाली	रानी	80-81	श्री ओमप्रकाश पंवार	1-4-80 से 8-6-80	10	—
				श्री भंवरलाल (कार्यवा)	9-6-80 से 25-6-80	—	—
				श्री ओमप्रकाश	26-6-80 से 6	—	—
			81-82	श्री गोपीकिशन	20-4-81 से 22-11-81	—	—
			81-82	श्री ओमप्रकाश	23-11-81 से 3-12-81	—	—
				श्री गोपीकिशन	3-12-81 से 22-12-81	—	—
				श्री ओमप्रकाश	22-12-81 से 12-1-82	—	—
				श्री गोपीकिशन	12-1-82 से 31-3-82	—	—
			82-83	श्री गोपीकिशन	1-4-82 से 21-7-82	—	—
				श्री मदनलाल त्रिवेदी	22-7-82 से 21-8-82	—	—
				श्री प्रेमसिंह जेतावत	13-8-82 से 31-3-83	12	—
180-	पाली	सोजत	80-81	श्री रामेश्वरलाल डाणी	1-7-80 से 31-3-81	13	20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम की कार्य की अधिकता के कारण।
			81-82	,, ,,	1-4-81 से 31-3-82	17	
			82-83	,, ,,	1-4-82 से 31-3-83	15	

1	2	3	4	5	6	7	8
181–	पाली	रायपुर	80–81	श्री चिरंजीलाल जैन	1–4–80 से 31–3–81	—	—
			81–82	,, ,,	1–4–81 से 5–5–81	—	—
				श्री प्रेमसिंह	6–5–81 से 1–10–81	—	—
				श्री बहादुरसिंह	2–10–81 से 13–10–81	—	—
				श्री ओमप्रकाश	14–10–81 से 10–12–81	—	—
				श्री असगर हुसैन	11–12–81 से 31–3–82	—	—
			82–83	,, ,,	1–4–82 से 7–10–82	—	—
				श्री मोहनसिंह	8–10–82 से 20–12–82	—	—
				श्री राणकचन्द	27–12–82 से 31–3–83	3	—
182–	पाली	पाली	80–81	श्री मानवेन्द्र चक्रवती	1–4–80 से 31–3–81	—	विभिन्न योजनाओं में व्यस्त रहने के कारण।
				श्री हरिकिशन रतेश्वर	1–2–81 से 15–2–81	—	
				श्री श्यामबिहारी माथुर	16–[illegible]–81 से 11–3–81	—	—
				श्री रमेशचन्द शुक्ला	12–3–81 से 21–3–81	—	—
			81–82	,, ,,	1–4–81 से 1–7–81	—	—
				श्री भगवतीशंकर राजोरिया	2–7–81 से 21–7–81	—	—
				श्री रमेशचन्द्र शुक्ला	22–7–81 से 14–9–81	—	—

MC9

1	2	3	4	5	6	7	8
				श्री भगवतीशंकर राजोरिया	15–11–81 से 27–11–81	–	–
				श्री मोहनलाल शर्मा	1–12–81 से 31–3–83	–	–
183–	पाली	सुमेरपुर	80–81	श्री मोहम्मद नाजिम	1–4–80 से 3/81	–	–
			81–82	श्री मदनलाल जोशी	4/81 से 8/81	–	–
				श्री सुरेन्द्र कुमार	9/81 से 10/81	–	–
				श्री दरयावपुरी	11/81 से 11/81	–	–
			82–83	श्री ओमप्रकाश पंवार	12/81 से 5/82	–	–
				श्री दरयावपुरी	6/82 से 7/83	–	–
184–	स. माधोपुर	स. माधोपुर	80–81	श्री हनुमान लाल कुमावत	1–4–80 से दिसम्बर, 80	–	–
				श्री खलीक अहमद	फरवरी, 81 से 3/81	–	–
			81–82	,, ,,	1–4–81 से 31–3–82	–	–
			82–83	,, ,,	1–4–82 से 27–8–82	–	–
				श्री के. पी. रावत	28–8–82 से 31–3–83	–	–
185–	स. माधोपुर	खण्डार	80–81	श्री कंवरपालसिंह	1–4–80 से 31–3–81	–	–
			81–82	,, ,,	1–4–81 से 31–3–82	6	पंचायत चुनाव कार्य में व्यस्त
			82–83	,, ,,	1–4–82 से 31–3–83	12	रहने के कारण ।
186–	स. माधोपुर	वली	80–81	श्री एन. जी. निगम	1–4–80 से 15–11–80	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
				श्री सूर्यनारायण शर्मा	3-12-80 से 31-3-81	–	–
			81–82	,, ,,	1-4-81 से 28-9-81	–	–
				श्री राधेश्याम शर्मा	23-11-81 से 31-3-82	–	–
			82–83	,, ,,	1-4-82 से 31-3-83	–	–
187–	स. माधोपुर	गंगापुर	80–81	श्री के. पी. रावत	1-4-80 से 15-10-80	–	–
				श्री सुरेशचन्द्र श्रीवास्तव	16-10-80 से 2-10-80	–	–
				श्री ओमप्रकाश अग्रवाल	3-11-81 से 31-3-81	–	–
			81–82	श्री ओमप्रकाश अग्रवाल	1-4-81 से 7-11-81	–	–
				श्री धर्मचन्द मीणा	8-11-81 से 11-12-81	–	–
				श्री के. पी. रावत	11-12-81 से 31-3-82	–	–
			82–83	श्री के. पी. रावत	1-4-82 से 19-8-82	–	–
				श्री रामजीलाल वर्मा	20-8-82 से 25-3-83	–	–
188–	स. माधोपुर	बामनवास	80–81	श्री खूलीक अहमद	1-4-80 से 9-5-80	–	–
				श्री खूबीलाल	10-5-80 से 20-7-80	–	–
				श्री जयनाथ शर्मा	21-7-80 से 23-9-80	–	–
				श्री चन्द्रपाल शर्मा	2-3-80 से 8-10-80	–	–
				श्री बालस्वरूप मीणा	9-10-80 से 4-10-81	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
				श्री दयानन्द जैन	4–2–81 से 31–3–81		
			81–82	श्री दयाचन्द जैन	1–4–81 से 7–6–81		
				श्री हरलालसिंह	8–6–81 से 31–3–82		
		वामनवास	82–83	श्री हरलालसिंह	1–4–82 से 15–7–82		
				,, चन्द्रपालसिंह	16–7–82 से 18–10–82		
				,, ओमप्रकाश गुप्ता	19–10–82 से 14–3–83		
				,, रवीन्द्रकुमार श्रीवास्तव	15–3–83 से 19–3–83		
				,, रामसिंह वर्मा	20–3–82 से 31–3–83		
189–	सवाईमाधोपुर	हिन्डौन	80–81	श्री ओमप्रकाश गुप्ता	1–4–80 से 31–3–81		
			81–82	,, ,,	1–4–81 से 13–10–81		
				श्री खरीफ अहमद	13–10–82 से 17–3–82		
			82–83	श्री के. एल. गर्ग	18–3–83 से 31–3–83		
190.		महुआ	80–81	श्री नेतरामसिंह	1–4–80 से 31–3–81		
			81–82	,, ,,	1–4–81 से 17–7–81		
				श्री कुंजविहारी अग्रवाल	18–7–81 से 16–1–82		
				श्री के. पी. अवस्थी	22–1–82 से 31 3 82		

1	2	3	4	5	6	7	8
			82–83	श्री के. पी. अवस्थी	1–4–82 से 31–3–83		
191.		टोडाभीम	80–81	,, ,,	12–4–80 से 31–3–81		
				,, ,,	1–4–81 से 18 11 81		
				श्री बाबूलाल जैन	18–11–81 से 31–3–82		
			81–82	,, ,,	1–4–82 से 31–3–83		
192–		करौली	80–81	श्री गोकुलचन्द शर्मा	जुलाई, 80 से 31–3–81		
			81–82	,, ,,	1–4–81 से 31–3–82		
			82–83	,, ,,	1–4–82 से 31–3–83		
193–	सवाईमाधोपुर	सपोटरा	80–81	श्री महेन्द्रसिंह त्यागी	1–4–80 से 31–3–81		योजनाओं में व्यस्त होने के कारण पंचायत के निरीक्षण नहीं किये जा सके।
			81–82	,, ,,	1–4–81 से 24–9–81		
				श्री जगदीश प्रसाद	25–9–81 से 31–3–82		
			82–83	,, ,,	1–4–82 से 11–7–82		
				श्री टी. एन. चतुर्वेदी	12–7–82 से 31–3–83		
194–	सवाईमाधोपुर	नादौती	80–81	श्री बालस्वरूप मीना	1–4–80 से 7/80		
				श्री रामजीलाल वर्मा	4/80 से 31–3–81		
			81–82	,, ,,	1–4–80 से 20–8–82		

1	2	3	4	5	6	7	8
			82–83	श्री धर्मसिंह मीणा	9/82 से 31–3–82	3	20 सूत्रीय कार्यक्रम व्यस्त होने के कारण ।
195–	सीकर	धौंद	80–81	श्री प्रेमबहादुर श्रीवास्तव	1–4–80 से 31–3–81	9	20 सूत्रीय कार्यक्रम में व्यस्त होने के कारण ।
			81–82	,, ,,	1–4–81 से 31–3–82	12	
			82–83	,, ,,	1–4–82 से 31–3–83	14	
196–	.....	श्रीमाधोपुर	80–81	श्री त्रिलोकचन्द बंसल	1–4–80 से 31–3–81	15	......
			81–82	,, ,,	1–4–81 से 31–3–82	15	
			82–83	श्री राममोहन गुप्ता	18–8–82 से 31–3–83	15	
197–		नीमकाथाना	80–81	श्री पूर्णदास हरबंशी	1–4–80 से 31–3–81		कार्य की अधिकता के कारण
			81–82	श्री सत्यवीरसिंह	1–4–81 से 31–3–83		,, ,,
				श्री पूर्णदास हरबंशी	1–4–82 से 31–3–83		,, ,,
198–	सीकर	दांतारामगढ़	80–81	श्री पूरणदास हरबंशी	7–5–80 से 31–3–81		......
			81–82	,, ,,	1–4–81 से 31–3–82		
			82–83	,, ,,	1–4–82 से 29–6–82		
				श्री सत्यवीरसिंह	12–7–82 से 31–3–83		
199–	सीकर	फतेहपुर	80–81	श्री गोकुलचन्द अग्रवाल	13–3–81 से 31–3–81	2	
				श्री नारायणसिंह शि.प्र.प.			
				श्री ओमवीरसिंह			

1	2	3	4	5	6	7	8
			81–82	श्री ओमवीरसिंह	1–4–81 से 2–5–81		
				श्री लालाराम	26–11–81 से 27–3–82		
				श्री ओमप्रकाश मलहोत्रा	27–3–82 से 31–3–83		
200–		लक्ष्मणगढ़	80–81	श्री केशरदेव शर्मा	1–4–80 से 31–3–81	37	निरीक्षण निर्धारित मापदण्ड के अनुसार है।
			81–82	,, ,,	1–4–81 से 31–3–82	37	
			82–83	,, ,,	1–4–82 से 26–3–83	37	,,
201–		पिपराली	80–81	श्री वलीमोहम्मद	22–7–80 से 5–8–80		कार्य की अधिकता के कारण।
				श्री मथुरादास अजमेरा	6–8–80 से 13–10–80		,,
				श्री दीनदयाल माथुर	14–10–80 से 5–12–80		,,
				श्री त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी	9–12–80 से 31–3–81		,,
202—	सीकर	पिपराली	81–82	श्री त्रिलोकनाथ चतुर्वेदी	1–4–82 से 31–8–82	—	कार्य की अधिकता के कारण।
			82–83	श्री जतनसिंह अग्रवाल	7–5–82 से 17–7–82	—	,,
				श्री मोहम्मद हनीफ	18–7–82 से 22–8–82	—	,,
				श्री सुरेन्द्रपाल शर्मा	22–8–82 से 9–2–83	—	,,
203-	सीकर	खण्डेला	80–81	श्री राधेश्याम शर्मा	1–4–80 से 31–3–81	10	,,
			81–82	,, ,,	1–4–81 से 31–3–82	13	,,
			32–83	श्री हनीफ मोहम्मद	1–4–82 से 31–3–83		

1	2	3	4	5	6	7	8
204–	सिरोही	सिरोही	80–81	श्री दूधाराम	1–4–80 से 25–1–80	20	ग्रामीण विकास अभिकरण के कार्यों में राष्ट्रीय राजगार कार्यों, ग्रामीण गृह निर्माण योजना, पंचायत चुनाव, परिवार नियोजन आदि कार्यों में व्यस्त रहने के कारण।
				श्री कन्हैयालाल	25–1–80 से 25–4–80		
				श्री शिवनाथसिंह	25–2–80 से 24–11–80		
				श्री तेजबहादुरसिंह	24–11–80 से 31–3–81	15	
			81–82	श्री तेजबहादुरसिंह	1–4–81 से 4–11–81		
				श्री जुगराज काला	5–1–81 से मार्च, 82		
			82–83	श्री अमरदत्त	—		
				श्री उगमसिंह	—		
				श्री देवीदत्त मिश्रा	8–3–83 से 31–3–83		
205—	सिरोही	शिवगंज	80–81	श्री पूनमचन्द	1–4–80 से 28–7–80		
				श्री बसन्तपुरी	28–7–80 से 31–3–81		
			81–82	श्री बसन्तपुरी	28–7–80 से 31–3–81		
			81–82	श्री ओ. सी. माथुर	1–4–81 से 9–12–81		
				” ”	10–12–81 से 31–3–82		
			82–83		1–4–82 से 31–3–82	23	

1	2	3	4	5	6	7	8
206—	सिरोही	आबू	80–81	श्री शहजाद खां	1–4–80 से 31–3–81		ग्रामीण विकास अभिकरण कार्य राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, ग्रामीण ग्रह निर्माण योजना, पंचायत चुनाव, कार्य में व्यस्त रहने के कारण।
			81–82	"	1–4–81 से 31–3–82		
			82–83	"	1–4–82 से 4–6–82		
				श्री कंवरपाल माथुर	5–6–82 से 12–8–82		
				श्री रमानन्द शर्मा	24–8–82 से 17–1–83		
				श्री कंवरपाल माथुर	18–1–83 से 31–3–82		
207—	सिरोही	पिण्डवाड़ा	80–81	श्री मोहम्मद इब्राहिम	1–4–80 से 28–10–80		
				श्री श्यामलाल दुबे	20–10–80 से 19–11–80		
				श्री प्रेमलाल सक्सेना	20–11–80 से 31–3–81	4	
			81–82	श्री प्रेमनाथ सक्सेना	1–4–81 से 31–5–81		
				श्री श्यामलाल दुबे	1–6–81 से 6–7–81		
				श्री ईश्वरीलाल वर्मा	7–7–81 से 1–9–81		
				श्री श्यामलाल दुबे	2–9–81 से 11–10–81		
				श्री प्रेमसिंह जैतावत	12–10–81 से 31–3–82	4	
				"	1–4–82 से 7–7–82		
			82–83	श्री प्रेमसुखलाल	8–7–82 से 19–8–82		
				श्री प्रेमसुखलाल (कार्यवाहक)	20–8–82 से 1–9–82		

(478)

1	2	3	4	5	6	7	8
				श्री ओमप्रकाश पंवार	2–9–82 से 31–3–83	10	
208–	सिरोही	रेवदर	80–81	श्री मांगीलाल सिंधी	1-4–80 से 31–3–81	27	निर्धारित मापदण्ड के अनुसार किये हैं।
			81–82	,, ,,	1–4–81 से 31–3–82	28	
			82–83	,, ,,	1–4–82 से 31–3–83	26	
209–	टौंक	मालपुरा	80–81	श्री प्रेमनारायण माथुर	1–4–80 से 17–4 80		
				श्री रविशंकर शर्मा	1–5–80 से 24–6–80		
				श्री पुरषोतमलाल जोशी	8–7–80 से 31–3–81		
			81–82	,, ,,	1–4–81 से 31–5–81		
				श्री हनुमानलाल कुमावत	21–7–81 से 31–3–82	1	
			82–83	,, ,,	1–4–81 से 7–7–82		
				श्री मदनलाल मीणा	12–7–82 से 31–3–83		आई०आर०डी० में व्यस्त रहने के कारण।
210–	टौंक	टौंक	80–81	श्री बंशीधर मिश्रा	1–4–80 से 31–3–81		राजकीय कार्य में व्यस्त रहने के कारण।
			81–82	श्री राधेश्याम भावन	1–4–81 से 31–3–82		
			82–83	,, ,,	1–4–82 से 31–3–83		
211–		देवली	80–81	श्री गजराजसिंह हाडा	1–4–80 से 11–7–80		अकाल राहत कार्य राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के
				श्री रामस्वरूप	17–7–80 से 31–7–81		

1	2	3	4	5	6	7	8
			81–82	श्री रमेशचन्द्र शुक्ला	17–7–82 से 1[illegible]–6–82		कार्य तथा आई०आर०डी० में व्यस्त रहने के कारण।
			82–83	श्री बंशीधर मिश्रा	4–9–82 से 31–3–83		
212–		उनियारा	80–81	श्री यदुवीर सिंह	21–2–80 से 3–8–80		
				श्री मोतीलाल मनहर	4–8–80 से 31–3–81		
			81–82	श्री मोतीलाल मनहर	1–4–81 से 28–11–81		
				श्री तेजबहादुर	29–11–82 से 8–3–83		
			82–83	श्री बद्रीनारायण	9–3–82 से 10–5–82		
				श्री इकबाल अहमद	11–5–82 से 31–3–83		
				श्री एम०डी० अरोड़ा	22–3–83 से 31–3–83		
213–		टोडारायसिंह	80–81	श्री गणेशनारायण	20–2–80 से 28–12–80	12	आई० आर० डी०, एन० आर०ई० पी०, परिवार कल्याण आदि कार्य में व्यस्त रहने के कारण
				श्री डी०डी० परनामी	28–11–80 से 31–3–81	2	
				,, ,,	1–4–81 से 5–2–82	13	
				श्री कल्याण सिंह	6–2–82 से 31–3–82		
			82–83	श्री कल्याण सिंह	1–4–82 से 13–10–82	4	
				श्री एम०डी० कुर्मी	14–10–82 से 31–3–82	9	
214–		निवाई	80–81	श्री धन्नीदास परनामी	1–4–80 से 31–3–81	13	
			81–82	श्री महेश्वरदयाल कुर्मी	1–4–81 से 31–3–81	21	

(479)

(४८३)

1	2	3	4	5	6	7	8
			82–83	श्री हस्तबहादुर सिंह	1–4–82 से 31–3–83	25	
215–	उदयपुर	कुशलगढ़	80–81	श्री इन्द्रलाल मंत्री	22–7–80 से 31–3–81	4	
			81–82	,, ,,	1–4–81 से 26–11–81	1	
				श्री भैरुलाल पालीवाल	27–11–81 से 31–3–82	1	
			82–83	श्री भैरुलाल पालीवाल	1–4–82 से 26–9–82		
				श्री रामचन्द्र वर्मा	27–9–82 से 31–3–83	34	
216–	,,	मावली	80–81	श्री बिहारीदानसिंह	अगस्त, 80 से 31–3–81	3	स्वंय प्रशासक होने से प्रशासनिक कार्यों में व अकाल कार्य में व्यस्त
			81–82	,, ,,	1–4–81 से सितम्बर, 81	3	अकाल कार्य में व्यस्त
			82–83	श्री शान्ति प्रसाद शर्मा	सितम्बर, 82 से मार्च 83	15	20 सूत्री कार्य में व्यस्त रहने के कारण
217–	,,	झाड़ोल	80–81	श्री अर्जुन सिंह	1–4–80 से 31–7–80	2	
				श्री तेजपाल गोयल	11–8–80 से 30–11–80	9	
				श्री इन्द्रलाल मंत्री	30–11–80 से 31–3–81	9	
			81–82	,, ,,	1–4–81 से 31–3–82		

1	2	3	4	5	6	7	8
			82–83	श्री इन्द्रलाल शर्मा	1–4·82 से 31–3–83		
218–	उदयपुर	झांमेट	80–81	श्री मंगलचन्द्र शर्मा	1–4–80 से 31–8–80	20	सभी पंचायतों के निरीक्षण किये गये हैं।
				श्री रतनलाल लसोड़	12–9–80 से 31–3–81		
			81–82	श्री रतनलाल लसोड़	1–4–81 से 31–3–82	13	महिला सहायता ए०आई०पी० कार्यों में व्यस्त रहने के कारण नहीं किये जा सके।
			82–83	,, ,,	1–4–82 से 31–3–82	20	सभी निरीक्षण कर लिये गये।
219–	,,	सरड़ा	80–81	श्री ईश्वरलाल शर्मा	1–4–80 से 31–3–81	10	
			81–82	,, ,,	1–4–81 से 31–3–82	2	
			82–83	,, ,,	1–4–82 से 26–8–82	12	
				श्री आनन्दीलाल	27–8–82 से 31–3–83		
220—		सलूम्बर	80–81	श्री रामचन्द्र शर्मा	1–4–80 से 31–5–81	15	
			81–82	श्री शान्तिप्रसाद शर्मा	2–6–81 से 23–3–82	12	
				श्री भंवरसिंह पंवार	24–3–82 से 23–5–83	15	
221—		गोगुन्दा	80–81	श्री भवानीसिंह	80–81	11	कार्य की अधिकता के कारण।
			81–82	,, ,,	81–82		
			82–83	,, ,,	81–82	—	

४८१

1	2	3	4	5	6	7	8
222—		कोटड़ा	80–81	श्री राजमल गान्धी	1–4–80 से 31–7–80		
				श्री नारायणलाल जोशी	1–4–80 से 16–11–80		
				श्री असगर हुसैन	17–11–80 से 7–2–81		
			81–82	श्री धनराज पालीवाल	22–7–81 से 13–10–81		
				श्री पूर्णदास	14–10–81 से 3–11–81		
				श्री धनराज पालीवाल	4–11–81 से 28–11–81	—	
				श्री राधेश्याम	29–11–81 से 26–2–82	2	
				श्री चौथमल	25–6–82 से 17–9–82		
			82–83	श्री सत्यनारायण	18–9–82 से 31–3–83	2	
223—		देवगढ़	80–81	श्री देवदत्त	1–4–80 से 26–5–81	8	
			81–82	श्री माधवलाल	2–7–81 से 5–8–81	6	
			82–83	श्री उदयसिंह	6–8–81 से 31–3–81	9	
224—		गिर्वा	80–81	श्री लक्ष्मण मनमानी	1–4–80 से 26–6–80		सरपंचों का उपस्थित न होना
				श्री प्रेमप्रकाश प्रलय	31–7–80 से 31–3–81	3	
			81–82	,, ,,	1–4–81 से 31–5–81	—	
			81–82	श्री चन्दनलाल छापिया	1–9–81 से 31–3–82	17	
			82–83	,, ,,	1–4–82 से 31–3–83	27	

1	2	3	4	5	6	7	8
225—		राजसमन्द	80–81	श्री अयोध्याप्रसाद	80–81	19	
			81–82	,, ,,	81–82	10	
			82–83	,, ,,	82–83	14	
226—		बड़गांव	80–81	श्री चन्दनमल छाविया	80–81	12	अन्त्योदय योजना में व्यस्त
			81–82	श्री उदयसिंह झाला	81–82	16	रहने के कारण।
			82–83	,, ,,	82–83	13	
227—		खमनोर	80–81	श्री पुरुषोत्तमलाल	31–10–81 से जून, 81		
				श्री देवदत्त शर्मा	जुलाई, 81 से अगस्त, 81	7	
			81–82	श्री पुरुषोत्तमलाल	7-9–81 से 31–?–82		
			82–83	,, ,,	1–4–82 से अगस्त, 82		
228—		खैरवाड़ा	80–81	श्री तेजबहादुर	1–4–80 से 1–8–80	8	
				श्री राजमल गोन्धी	2–8–80 से 19–5–81	12	
			82–81	श्री सत्यनारायण	20–5–81 से 25–3–82		
				श्री ईश्वरलाल शर्मा	2–9–82 से 3–10–83		
229–		भीम	80–81	श्री दिलीपसिंह	1–4–80 से 24–7–80	5	कार्य की अधिकता के कारण।
				श्री भंवरलाल जैन	25–7–80 से 22–7–80		
				श्री बिठनसिंह	2?–7–80 से 5–11–80	2	,,

483

484

1	2	3	4	5	6	7	8
				श्री भंवरलाल जैन	6–11–80 से 14–11–80		कार्य की अधिकता के कारण।
				श्री रामनारायण	15–11–80 से 1–1–82	1	,,
				श्री भंवरलाल जैन	2–1–82 से 12–8–82		
				श्री प्रेमसिंह	13–8–82 से 20–8–82		
				श्री बहादुरसिंह	21–8–82 से 21–2–83	9	
				श्री भंवरलाल जैन	22–2–83 से 31–3–83	1	
230–	उदयपुर	रेलमगरा	80–81	श्री नन्दलाल	1–4–80 से 23–7–80	3	,,
				श्री आनन्दीलाल	24–7–80 से 31–3–81	9	
			81–82	श्री आनन्दीलाल	1–4–81 से 31–3–82	17	
			82–83	,, ,,	1–4–82 से 14–7–82	8	
				श्री नटवरलाल	15–7–82 से 31–3–83	23	
231–	,,	धरियावद	80–81	श्री रमाचन्द शर्मा	17–3–80 से 12–3–81		
			81–82	श्री असगर हुसैन	13–3–81 से 11–6–81		
			82–83	श्री पुरुषोतमलाल	82–83		
232–	,,	भीण्डर	80–81	श्री बिहारीदान सिंह	1–4–80 से 31–7–80	4	
				श्री नारायण लाल भटनागर	5–8–80 से 16–9–80	3	
				श्री नन्दलाल अजमेर	16–9–80 से 31–3–81		

1	2	3	4	5	6	7	8
			81–82	श्री नन्दलाल अजमेर	1–4–81 से 5–9–81	4	
			81–82	श्री नारायणलाल भटनागर	5–9–81 से 1–10–81		
				श्री नन्दलाल अजमेरा	1–11–81 से 10–11–81	4	
				श्री नारायणलाल भटनागर	11–11–81 से 31–3–82		
			82–83	,, ,,	1–4–82 से 30–8–82		
				श्री भंवरलाल जैन	1–9–82 से 31–3–83	3	
233.	धौलपुर	राजाखेड़ा	80–81	श्री जुगलबिहारीलाल श्रीवास्तव	1–4–80 से 31–3–81	10	आई. आर. डी. पी. एवं
			81–82	,, ,,	1–4–81 से 31–3–82	30	ग्रामीण विकास योजनाओं
			82–83	,, ,,	1–4–82 से 31–3–82	35	में व्यस्त रहने के कारण।
234–		बाड़ी	80–81	श्री ओमवीर सिंह	1–4–80 से 31–3–81	17	
			81–82	,, ,,	1–4–81 से 31–3–82	20	
			82–83	,, ,,	1–4–82 से 31–3–83	13	
235–		बसेड़ी	80–81	श्री आर.पी.सिंह	1–4–80 से 11–12–80		
				श्री सुरेन्द्रपालसिंह	12–12–80 से 31–3–81		
			81–82	श्री सुरेन्द्रपाल शर्मा	1–4–81 से 9–9–81		
				श्री आर. पी. सिंह	10–9–81 से 31–3–82		
			82–83	श्री आर. पी. सिंह	1–4–82 से 24–4–82		
				श्री बाबूलाल गोयल	15–4–82 से 7–12–82		

1	2	3	4	5	6	7	8
				श्री द्वारिका प्रसाद	22–12–82 से 31–3–83		
236–	धौलपुर	धौलपुर	80–81	श्री देवीशरणपाल	1–4–80 से 14–7–80		
				श्री जगदीश प्रसाद सक्सैना कार्यवाहक	15–7–80 से 6–1–81		
				श्री रामजीलाल जैन	7–1–81 से 16–5–81		
—		—	81–82	श्री जगदीश प्रसाद सक्सैना	17–5–81 से 15–9–81		
			82–83	श्री सुरेन्द्रपाल शर्मा	16–9–81 से 31–3–82	5	
				,, ,,	1–4–82 से 4–5–82		
				श्री आर. पी. दीक्षित का.वा.	5–5–82 से 31–3–83		

परिशिष्ट 23

अतारांकित प्रश्न संख्या 568 से संबंधित सूची

क्रम सं.	नाम सरपंच एवं ग्राम पंचायत जिसे निलम्बित किया गया।		निलम्बन के कारण	फिर से बहाल किया जा चुका है अथवा नहीं	क्या निलम्बन के बाद स्थगन आदेश ले आया।
1	2		3	4	5
1.	श्री जयसिंह	पंचायत कुतीना	धारा 17 (4) राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 के अन्तर्गत विचाराधीन जांच में गम्भीर आरोप होने के कारण।	नहीं	नहीं
2.	श्री करतारसिंह	पंचायत गंज	,,	,,	,,
3.	श्री हनुमान सैनी	पंचायत बड़ौद	,,	हां	,,
4.	श्री रंगलाल	पंचायत रामगढ़	,,	नहीं	,,
5.	श्री नौरतमल	पंचायत करनोठा	,,	हां	नहीं
6.	श्री वीरेन्द्रसिंह	पंचायत बादनवाड़ा	,,	नहीं	,,
7.	श्री घीसा सिंह	पंचायत अंधी देवरी	,,	,,	,,
8.	श्री रामसहाय	पंचायत भूनौली	,,	हां	,,
9.	श्री तन्नूसिंह	पंचायत बोडोली	,,	हां	,,

(487)

1	2		3	4	5
10.	श्री श्यामलाल	पंचायत इटामदा	धारा 17 (4) राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 के अन्तर्गत विचाराधीन जांच में गम्भीर आरोप होने के कारण।	नहीं	नहीं
11.	श्री लक्ष्मीचन्द गुप्ता	पंचायत महलपुरचूरा	,,	हां	,,
12.	श्री हरिशंकर	पंचायत मुरवारा	,,	हां	,,
13.	श्री रामसहाय	पंचायत कासौट	,,	हां	,,
14.	श्री हेतराम	पंचायत घस्यारी	,,	हां	,,
15.	श्री मुरली सिंह	पंचायत सतवास	,,	नहीं	,,
16.	श्री नत्थी सिंह	पंचायत बोलखेड़ा	,,	,,	,,
17.	श्री हिन्दू सिंह	पंचायत डांगियावास	,,	,,	,,
18	श्री मांगी लाल	पंचायत सतलाना	,,	,,	,,
19.	श्री नरपत सिंह	पंचायत सोलंकियांतला	,,	,,	,,
20.	श्री खेमचन्द	पंचायत बीवासर	,,	हां	,,
	,,	,,	,,	नहीं	,,
21.	श्री हनुमान सिंह	पंचायत पीपली	,,	,,	,,
22.	श्री सरदारा राम	पंचायत छत्ररवाल	,,	,,	,,

1	2		3	4	5
23.	श्री मोहम्मद फरुकखां	पंचायत नूआ	धारा 17 (4) राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 के अन्तर्गत विचाराधीन जांच में गम्भीर आरोप होने के कारण।	हां	नहीं
24.	श्री बोदूराम	पंचायत खण्ठेलसर	"	हां	"
25.	श्री गुमानाराम	पंचायत श्यामपुरा	"	नहीं	"
26.	श्री रामजीलाल	पंचायत को-रा	"	"	"
27.	श्री छिदासिंह	पंचायत हिनोता	"	हां	"
28.	श्री दलेल सिंह	पंचायत बागथर	"	"	"
29.	श्री रामजीवन	पंचायत पाला	फौजदारी कार्यवाही में नैतिक पतन के अपराध का आरोप अदालत के विचाराधीन होने के कारण।	हां	नहीं
30.	श्री रामस्वरुप	पंचायत कोवट	"	हां	नहीं
31.	श्री विशाल सिंह	पंचायत जपावली	"	नहीं	नहीं

1		2	3	4	5
32.	श्री बद्रीनारायण	पंचायत गलियाकोट	धारा 17 (4) राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 के अन्तर्गत विचाराधीन जांच में गम्भीर आरोप होने के कारण।	नहीं	नहीं
33.	श्री हरी सिंह	पंचायत जावाल	"	"	"
34.	श्री सीताराम	पंचायत रौहिडा	"	"	हां
35.	श्री नन्दूलाल	पंचायत खेरवाड़ा	"	"	हां
36.	श्री कुरीचन्द	पंचायत सुलेई	"	"	हां
37.	श्री नथूलाल	पंचायत कारछा	"	"	नहीं
38.	श्री रतनसिंह	पंचायत पण्डेरी	"	"	"
39.	श्री धूलचन्द	पंचायत सेवान्दी	"	"	हां
	श्री भैरूंलाल भाटी	पंचायत पूठोली	"	"	हां
40.	श्री शान्तिलाल विदानी	पंचायत पहुना	"	"	नहीं
41.	श्री शान्तिलाल	पंचायत भूपाल सागर	"	हां	नहीं
42.	श्री अर्जुन सिंह	पंचायत रोड़ा	"	नहीं	नहीं
43.	श्री हाजी खां	पंचायत शिवबाड़ी	"	नहीं	हां
44.	श्री रामकिशन	पंचायत जैमलसर	"	नहीं	हां

1		2	3	4	5
45.	श्री गुमानसिंह	पंचायत साण्डवा	धारा 17 (4) राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 के अन्तर्गत विचाराधीन जांच में गम्भीर आरोप होने के कारण।	नहीं	हां
46.	श्री केवलचन्द	पंचायत भोमासर	,,	,,	नहीं
47.	श्री हरचन्द गोदरा	पंचायत लालगढ जाटान	,,	नहीं	नहीं
48.	श्री ईशरराम	पंचायत भाटी	,,	हां	नहीं
49.	श्री अनूपसिंह	पंचायत हिन्दूमल कोट	,,	नहीं	नहीं
50.	श्री सूरजमल	पंचायत भोजासर	,,	नहीं	नहीं
51.	श्री शिवराम आर्य	पंचायत रामगढ़	,,	नहीं	नहीं
52.	श्री रामस्वरूप	पंचायत रिड़मलसर	,,	नहीं	नहीं
53.	श्री जोगेन्द्र सिंह	पंचायत सोला. बी. बी.	,,	हां	नहीं
54.	श्री हनुमान प्रसाद	पंचायत तलवास	,,	नहीं	नहीं
55.	श्री हुकमसिंह	पंचायत झावरा	,,	नहीं	नहीं
56.	श्री जसवन्तसिंह	पंचायत तेजराव	,,	नहीं	नहीं
57.	श्री रेवतदान	पंचायत बारट का गांव	,,	हां	नहीं
58.	श्री तजेन्द्रसिंह	पंचायत नगर फोर्ट	,,	,,	,,
59.	श्री जगदीश प्रसाद	पंचायत बगड़ी	,,	नहीं	हां
60.	श्री जग्गाराम	पंचायत चावड़िया	,,	,,	,,

1		2	3	4	5
61.	श्री रामप्रसाद सोनी	पंचायत अटरू	धारा 17 (4) राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 के अन्तर्गत विचाराधीन जांच में गम्भीर आरोप होने के कारण ।	हां	नहीं
62.	श्री हरदीश सिंह	पंचायत रेलावन	,,	नहीं	नहीं
63.	श्री ब्रजमोहन बडोद	पंचायत बडौद	,,	,,	,,
64.	श्री मदनलाल	पंचायत खेराबाद	,,	नहीं	हां
65.	श्री रामेश्वर प्रसाद	पंचायत खण्डवा	,,	नही	नहीं
66.	श्री प्रतापसिंह	पंचायत चोहटन	,	,,	हां
67.	श्री शिवनारायण	पंचायत पचपदरा	,	,,	हां
68.	श्री सुमेर सिंह	पंचायत रमनिया	,,	नहीं	हां
69.	श्री नवनीत लाल	पंचायत सनावास	,,	नहीं	नहीं
70.	श्री बद्रीलाल	पंचायत जोनापुर	,,	,,	,,
71.	श्री बद्रीनारायण	पंचायत ग्रोलवाड़ा	,,	हां	नहीं
72.	श्री भगवतसिंह	पंचायत चौथ का बरवाड़ा	,,	नहीं	नहीं
73,	श्री घासीराम	पंचायत दूमोदा	,,	,,	,,
74.	श्री रमेशचन्द	,, बहरावडा खुर्द	,,	नहीं	नहीं
75.	श्री रामबिलास	,, नीमोद राठौड बौंली	,,	नही	नहीं

1		2	3	4	5
76.	श्री रामप्रसाद	पंचायत पीलोदा	धारा 17 (4) राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 के अन्तर्गत विचाराधीन जांच में गम्भीर आरोप होने के कारण	नहीं	नहीं
77.	श्री पृथ्वीराज	,, जाहरा	,,	नहीं	हां
78.	श्री कुलमानसिंह	,, सुमेल	,,	नहीं	नहीं
79.	श्री बीरबल	,, कोयली	,,	नहीं	नहीं
80.	श्री परमात्मा	,, सांचोली	,,	नहीं	नहीं
81.	श्री गिर्राज सिंह	,, नादौती	,,	नहीं	नहीं
82.	श्री नाथूलाल	,, बरदाला	,,	नहीं	नहीं
83.	श्री रामखिलाड़ी	,, सलिमपुर	,,	नहीं	नहीं
84.	श्री नसीबा	,, कोट	,,	नहीं	नहीं
85.	श्री घनश्याम	,, आण्ड मीना	,,	नहीं	नहीं
86.	श्री विजयसिंह	,, नाहिड़ा	,,	नहीं	नहीं
87.	श्री नारायणलाल मीना	,, महस्वा	फौजदारी कार्यवाही में नैतिक पतन के अपराध का आरोप। अदालत के विचाराधीन होने के कारण।	नहीं	नहीं

1	2		3	4	5
88.	श्री रमेश चन्द	पंचायत करसाई	धारा 17 (4) राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 के अन्तर्गत विचाराधीन जांच में गम्भीर आरोप होने के कारण।	नहीं	नहीं
89.	श्री लक्ष्मीनारायण	,, चैनपुर	,,	नहीं	नहीं
90.	श्री ठण्डाराम	,, अमरवाड	,,	नहीं	नहीं
91.	श्री रामजीलाल	,, बहादुरपुर	,,	नहीं	नहीं
92.	श्री ब्रजमोहन	,, दानपुर	,,	नहीं	नहीं
93.	श्री इन्द्रलाल	,, लांगरा	,,	हां	नहीं
94.	श्री चिरंजीलाल	,, बाजना	,,	नहीं	नहीं
95.	श्री ओंकारलाल	,, सरदार नगर	,,	नहीं	हां
96.	श्रीमति प्रेमकुंवर	,, रोपा	,,	हां	नहीं
97.	श्री शिवनारायण	,, आकोला	,,	नहीं	हां
98.	श्री हरकचन्द	,, वासेडा	,,	नहीं	हां
99.	श्री देवकरण	,, कालियास	,,	नहीं	नहीं
100.	श्री भोज्याराम	,, दहीमथा	,,	हां	नहीं
101.	श्री उगूम लाल	पंचायत बराना	,,	हां	नहीं
102.	श्री कल्याण मल	पंचायत इटूदा	,,	हां	नहीं
103.	श्री सोहनदास	पंचायत गागल्यास	,,	हां	नहीं

1	2	3	4	5
104. श्री नाथूसिंह	पंचायत कोटूकोटा	धारा 17 (4) राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 के अन्तर्गत विचाराधीन जांच में गम्भीर आरोप होने के कारण।	नहीं	नहीं
105. श्री मोहनसिंह	पंचायत पांसल	,,	नहीं	नहीं
106. श्री लालूराम	पंचायत बागोलिया	,,	हां	नहीं
107. श्री नरेन्द्रसिंह	पंचायत धनोप	,,	हां	नहीं
108. श्री श्याम सुन्दर	पंचायत कनिछनकलां	,,	नहीं	नहीं
109. श्री रामेश्वरलाल	पंचायत बिजोलिया	,,	नहीं	नहीं
110. श्री रघुवरीसिंह	,, तसवारिया	,,	नहीं	हां
111. श्री शान्तिलाल	,, महुव	,,	नहीं	नहीं
112. श्री भोपालसिंह	,, सुवाना	,,	नहीं	हां
113. श्री राजमल	,, बड़ा महुवा	,,	नहीं	हां
114. श्री नाथूलाल शर्मा	,, लाखना	,,	हां	नहीं
115. श्री कानाराम	,, खिजूरिया	,,	नहीं	नहीं
116. श्री सत्यनारायण	,, हंस महल	,,	नहीं	नहीं
117. श्री भगवान सहाय	,, भूरथल	,,	हां	नहीं
118. श्री भगवान सहाय	,, सिकरिया गूजरान	,,	नहीं	नहीं
119. श्री गोकुलचन्द यादव	,, उदयपुरिया	,,	हां	नहीं

1		2	3	4	5
120.	श्री रामेश्वर प्रसाद	पंचायत धूलारावजी	धारा 17 (4) राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 के अन्तर्गत विचाराधीन जांच में गम्भीर आरोप होने के कारण।	नहीं	नहीं
121.	श्री रेवडमल	पंचायत डांगरवाड़ा	,,	नहीं	नहीं
122.	श्री राम दयाल	,, फोटोला	,,	हां	,,
123.	श्री प्रभातीलाल	,, बिरासना	,,	नहीं	,,
124.	श्री शिवदयाल	,, धोला	,,	नहीं	,,
125.	श्री लादूराम	,, चाँदमाकलां	,,	हां	,,
126.	श्री छगनलाल	,, चकवाड़ा	,,	,,	,,
127.	श्री बजरंगलाल	,, ,,	,,	,,	,,
128.	श्री ताराचन्द	,, फागी	,,	,,	,,
129.	श्री भंवरसिंह	,, रहलाना	,,	नहीं	,,
130.	श्री जगदीश	,, रहलाना	,,	,,	,,
131.	श्री बद्रीनारायण	,, नांगल राजावतान	,,	हां	,,
132.	श्री श्रवण राम,	पंचायत एचडी	,,	नहीं	नहीं
133.	श्री शिवप्रसाद मीना	,, सवासर	,,	,,	,,
134.	श्री बजरंगलाल मीना	,, महारिया	,,	,,	,,
135.	श्री गोरधनलाल	,, होदायली	,,	हां	नहीं
136.	श्री रामलाल पालीवाल	,, सिकन्दरा	,,	नहीं	,,

1	2	3	4	5
137.	श्री भंवरसिंह पंचायत पायरेड़ी	धारा 17(4) राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 के अन्तर्गत विचाराधीन जांच में गम्भीर आरोप होने के कारण ।	नहीं	नहीं
138.	श्री प्रहलाद राय ,, आन्तेला	,,	हां	,,
139.	श्री मदन सिह ,, जयसिहपुरा	,,	नहीं	,,
140.	श्री महादेव सिंह, ,, नायन	,,	हां	,,
141.	श्री डायालाल ,, कोहला	,,	नहीं	,,
142	श्री भगवती लाल ,, परतापुर	,,	,,	,,
143.	श्री गिरधारीलाल ,, चांवडिया	,,	नहीं	नहीं
144.	श्री हरी ,, डिरी	,,	हां	नहीं
145.	श्री असरफ खां, ,, खेरवा		हां	नहीं
146.	श्री लक्ष्मी चन्द ,, श्री बालाजी	,,	नहीं	नहीं
147.	श्री पूरण दास ,, नादोली चांदावत	,,	,,	हां
148.	श्री भाग चन्द ,, अलाय	,,	,,	नहीं
149.	श्री नत्थमल गट्टानी, पंचायत बहुसरोली	,,	नही	नहीं
150.	श्री जगदीश नारायण मोहनपुरा	,,	हां	हां

497